


# ANNUAL REPORT
2020-21

**Building** Better Tomorrow
Strengthening **International Presence**

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
IRCON INTERNATIONAL LIMITED

# विषय सूची


**कॉर्पोरेट विवरण**

| | |
|---|---|
| इरकॉन की एक झलक | 2 |
| हमारे पथप्रदर्शक / कॉर्पोरेट सूचना | 3 |
| अध्यक्ष का संबोधन | 4 |
| निदेशक मंडल | 8 |
| वरिष्ठ कार्यपालक | 10 |
| पूर्ण परियोजनाएं (वित्तीय वर्ष 2020-21) | 11 |
| प्रमुख निष्पादन संकेतक | 12 |
| वित्तीय हाइलाइट | 13 |
| हमारे पुरस्कार एवं मान्यताएं | 14 |
| हमारे व्यवसाय का विहंगावलोकन | 16 |

**प्रबंधन रिपोर्ट**

| | |
|---|---|
| प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट | 26 |
| निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक | 54 |
| कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट | 84 |
| व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट | 115 |
| निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय गतिविधियों की रिपोर्ट | 127 |
| सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं प्रबंधन के उत्तरों | 139 |
| संबंधित पार्टी लेनदेन (फॉर्म संख्या - एओसी-2) | 143 |
| लाभांश वितरण नीति | 146 |

**स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण**

| | |
|---|---|
| लेखापरीक्षक की रिपोर्ट | 150 |
| तुलन पत्र | 161 |
| लाभ और हानि विवरण | 163 |
| रोकड़ प्रवाह विवरण | 164 |
| इक्विटी परिवर्तन विवरण | 166 |
| वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 1 से 47 | 167 |

**समेकित वित्तीय विवरण**

| | |
|---|---|
| सहायक कंपनियों/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताए (फॉर्म एओसी-1) | 240 |
| लेखापरीक्षक की रिपोर्ट | 242 |
| तुलन पत्र | 250 |
| लाभ और हानि विवरण | 252 |
| रोकड़ प्रवाह विवरण | 253 |
| इक्विटी परिवर्तन विवरण | 255 |
| वित्तीय विवरणों के नोट - नोट सं 1 से 48 | 256 |
| नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ (स्टैंडएलोन एवं समेकित) | 334 |



गौरवमयी 45 वर्ष

# बेहतर भविष्य का निर्माण
# अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को सुदृढ़ बनाना

प्रारंभ से ही इरकॉन द्वारा परिवर्तनकारी अवसंचना परिसम्पतियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया गया है। यह भारत के लिए आधुनिक एवं उन्नत अर्थव्यवस्था की सक्षमता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सामाजिक प्रगति के माध्यम हैं। हम सरकार के साथ मिलकर देश की समृद्धि के समान लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं जिससे हमें एक ऐसी अग्रणी अवसंरचना का निर्माण करने की प्रेरणा प्राप्त हो रही है जो भारत के आर्थिक विकास एवं विश्व मानचित्र पर भारत को सुदृढ़ता की प्राप्ति में सहायक होगी।

इरकॉन में हम सदैव विवेकशील एवं अनुदार व्यापार अभिमुखता का अनुसरण करते हैं। हमारा प्रमुख ध्यान तुलना पत्र एवं संवहनीय व्यवसाय मॉडल को सुदृढ़ता प्रदान करना है जो पिछले अनेक वर्षों से हमारी सफलता का प्रेरक बल है। हमारी यह मान्यता है कि अपने प्रमाणित नेतृत्व, आंतरिक प्रतिभा के भंडार, सुदृढ़ साझेदारियों, तथा नए अवसरों का मूल्यांकन करने की अपनी क्षमता के बल पर हमें उद्योग में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त हुई है। हमें गर्व है कि हम देश की ऐसी सर्वश्रेष्ठ कम्पनियों में से एक हैं जो देश के विकास में अपना योगदान देने के साथ साथ स्थलों और व्यक्तियों के मध्य सम्पर्कता स्थापित करने के कार्य कर रही है।

एकाएक उत्पन्न अप्रत्याशित बाधाओं के इस परीक्षा काल में भी हम सहकार्यता एवं संवहनीयता के निर्माण से आगे बढ़ रहे हैं और अवसंरचना निर्माण के कार्यों में हमने संतुलन स्थापित कर दिया है। ऐसा करते हुए, हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों, अपने कर्मचारियों, अपने शेयरधारकों एवं प्रमुख रूप से समाज की प्रत्याशाओं को प्राथमिकता प्रदान करना एवं अपनी अनुरूपता सिद्ध करना है।

आगे बढ़ते हुए, हमें अनिवार्य अवसंरचना उद्योग में गुणवत्ता पूर्ण अवसंरचना के निर्माण एवं अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के संबंध में हमारे कंधों पर एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होने का आभास है।

आर्डर बुक
**₹34,689 करोड़**

**ईएनआर 2021**

**229 वाँ रैंक**

**निष्पादित कार्य**

रेलवे
**5133 वाँ रैंक**

सड़क और राजमार्ग
**6466 कि.मी.**

रेल विद्युतीकरण
**7711 आरकेएम**

आरओबी
**159 नं.**

सुरंगें
**97 कि.मी.**

# इरकॉन विहंगावलोकन

इरकॉन प्रमुख अवसंरचना सेक्टरों में विशेषज्ञता प्राप्त तीव्रतर विकासशील एकीकृत इंजीनियरिंग एवं निर्माण कम्पनी है।

## सेवाएं



इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण



परियोजना प्रबंधन परामर्श



सार्वजनिक निजी भागीदारी



रियल इस्टेट

## सेवित औद्योगिक क्षेत्र

रेलवे | राजमार्ग | पुल और फ्लाइओवर | भवन | विद्युत

सिग्नलिंग और दूरसंचार | यांत्रिकी | कोच फैक्टरी | स्टेशन भवन | एमएफसी | विमानन

## अक्षय उर्जा की ओर अग्रसर

## सूचना प्रौद्योगिकी

- मोबाइल एप : इरकॉन टेंडर्स, इरकॉन सीएसआर, इरकॉन रोजगार
- एसएपी ईसीसी आधारित ईआरपी
- एसएपी व्यापार लक्ष्य
- एनआईसी की जीईपीएनआईसी के माध्यम से प्रापण

# हमारे पथ प्रदर्शक

## विजन

एक ऐसे निर्माण संगठन के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान निर्मित हुई है जिसकी तुलना अवसंरचना सेक्टर में निर्माण क्रियाकलापों एवं सेवाओं के समग्र विस्तार क्रम के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संगठन से की जा सकती है।

## मिशन

हमारा लक्ष्य कम्पनी को ऐसी स्थिति में स्थापित करना है जिससे यह भारत एवं विश्व के बदलते हुए आर्थिक परिवेश में अवसंरचना विकास की निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद एवं सेवाओं की समय पर एवं सर्वोत्तम इंजीनियरिंग व्यवहारों के अनुरूप पूर्ति करके विश्व में अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं।

## विजन

1. रचनात्मक अभिमुखता
2. टीम वर्क
3. निष्पादन उत्कृटता
4. कार्य एवं संव्यवहार में सत्यनिष्ठा
5. उत्तरदेयता एवं जवाबदेही



# कॉर्पोरेट कार्यालय

### पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
दूरभाष: 91-11-29565666, फैक्स: 91-11-26522000/26854000
ई-मेल: info@ircon.org, वेबसाइट: www.ircon.org
सीआईएन: L45203DL1976GOI008171

### कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सुश्री रितु अरोड़ा

### मुख्य वित्त अधिकारी और मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी

श्री सुराजित दत्ता

### सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

### लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी
लागत लेखाकार

### सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

### बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक, येस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक इंडसेंड बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक।

### रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट

केफिन टैक्नॉलोजिस प्राइवेट लिमिटेड
सेलेनियम टावर-बी, प्लाट सं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ननक्रऊगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032, तेलंगाना
वेबसाइट : https//www.kfintech.com और https//ris.kfintech.com.com
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com
दूरभाष: 1-800-309-4001

### शेयर सूचीबद्ध

बीएसई लिमिटेड (बीएसई)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)

### डिपोजिटरी

नेशनल सिक्योरिटीस डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)

### स्क्रिप्ट कोड

बीएसई : 541956
एनएसई : IRCON

### आईएसआईएन नम्बर

INE962Y01021



# अध्यक्ष का संबोधन

*प्रिय शेयरधारकों,*

आपकी कंपनी की 45वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके साथ साझा करना और वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान आपको कंपनी के कार्यनिष्पादन और कंपनी की नई पहलुओं और भविष्य की योजनाओं के परिप्रेक्ष्य की जानकारी देना मेरे लिए गर्व का विषय है।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप, इरकॉन ''राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम'' के सिद्धांत के लिए भी प्रतिबद्ध है (राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम से तात्पर्य है कि राष्ट्र पहले और हमेशा पहले)''

आपको यह सूचित करते हुए मुझे गर्व हो रहा हैं कि आपकी कम्पनी संतुलन के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है तथा कम्पनी द्वारा भारत में औद्योगिक औसत से अधिक निष्पादन किए जा रहे हैं। वर्ष 1985 से हम सेक्टोरल एवं भौगोलिक कवरेज दोनों दृष्टिकोणों से विविधतायुक्त कम्पनी बनने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। हमने निर्माण क्रियाकलापों एवं अवसंरचना सेवाओं के सम्पूर्ण विस्तार की क्रियाओं में क्रमिक रूप से विविधता की प्राप्ति की है। हम विकास पथ पर दृढ संकल्प हैं और इसी दृढता के साथ हमने विश्वभर में अनेक चुनौतिपूर्ण परियोजनाओं का निष्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अब तक हम विश्व में 25 देशों के लिए 128 परियोजनाओं तथा भारत में 395 से अधिक परियोजनाओं का निष्पादन कर चुके हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कंपनी को मार्च, 2021 में कुल राजस्व के आधार पर वर्ष 2020 में '180' रैंक प्राप्त हुआ है, और बिजनेस स्टैंडर्ड बीएस1000 वार्षिक पत्रिका में 'निर्माण और अवसंरचना' के क्षेत्र में कार्यनिष्पादन के मामले में '10वां' रैंक प्रदान किया गया है।

## हमारा परिचालनात्मक निष्पादन एवं उपलब्धियां

कोविड–19 वैश्विक महामारी और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण प्रतिकूलताओं सहित चुनौतीपूर्ण मैक्रो–इकोनॉमिक वातावरण के बावजूद, हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप हमारी मजबूत वित्तीय स्थिति ने हमें अपनी ऑर्डर बुक में संवर्धन की गति को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। आपकी कंपनी के लिए, ऑर्डर बुक और व्यवसाय के मामले में वित्त वर्ष 2020–21 को एक सफल वर्ष माना गया है। इरकॉन की ऑर्डर बुक, दिनांक 31 मार्च, 2021 को 34,689 करोड़ रूपए थी, जिसमें रेलवे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और नामांकन दोनों आधार पर 32,916 करोड़ रूपए के कार्य प्राप्त किए गए थे।

4157 करोड़ रूपए से अधिक मूल्य के ऑर्डर प्राप्त करने के कारण वर्ष 2021 को एक उत्कृष्ट वर्ष माना गया है, जिसमें से 4097 करोड़ रूपए के ऑर्डर प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त किए गए थे।

वित्त वर्ष 2021 के दौरान, रेलवे क्षेत्र ने हमारे कुल राजस्व में 85 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया है। हमारा प्राथमिक फोकस और शक्ति, निरंतर रूप से रेलवे क्षेत्र के प्रति निहित है। हालाँकि, हम राजमार्ग व्यवसाय में भी हैं, और इस वर्ष कुल राजस्व में राजमार्ग व्यवसाय की भागीदारी लगभग 14.52 प्रतिशत है और कुल राजस्व में इलेक्ट्रिकल, भवन और अन्य कार्यों की भागीदारी लगभग 0.28 प्रतिशत है।

घरेलू बाजार में, हमने राजमार्गों, पुलों व फ्लाईओवरों और इलेक्ट्रिकल के क्षेत्रों में कई परियोजनाओं को पूरा किया है। हम बांग्लादेश, अल्जीरिया, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में चल रही परियोजनाओं सहित विदेशों में नई परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। अपने व्यापार और भौगोलिक फोकस में विविधता लाने के लिए, हम व्यापार की मात्रा और लाभ मार्जिन को अधिकतम करने हेतु परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

## वित्तीय निष्पादन

### वित्तीय विशेषताएं:

कोविड–19 वैश्विक महामारी ने विश्व को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसका प्रभाव अलग–अलग प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न रहा है, किन्तु निर्माण उद्योग में इसका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए, वित्त वर्ष 2020–21 के वित्तीय आंकडों की तुलना, वित्तीय वर्ष 2019–20 से नहीं की जा सकती हैं। वित्त वर्ष 2021 के दौरान, कोविड–19 के कारण वर्ष की पहली छमाही के दौरान परियोजनाओं के निष्पादन में व्यवधान के बावजूद, हमने 5,200 करोड़ रूपए की कुल आय अर्जित की है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह 5,442 करोड करोड रूपए थी। इस वर्ष, परिचालन व्यवसाय 4,948 करोड रूपए रहा, जबकि वित्त वर्ष 2020 में यह 5,202 करोड़ रूपए था, जो 4.89 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। कुल आय में से, 11.35 प्रतिशत (590 करोड रूपए) अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं से प्राप्त किए गए हैं। वित्त वर्ष 2019–20 में कर पश्चात लाभ 490 करोड़ रूपए से 17.40 प्रतिशत कम होकर वित्त वर्ष 2020–21 में 405 करोड़ रूपए हो गया है।

समेकित आधार पर, हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 5,540 करोड़ रूपए की तुलना में वित्त वर्ष 2021 के दौरान 5,523 करोड़ रूपए की कुल आय दर्ज की है, और पिछले वित्तीय वर्ष में 485 करोड़ रूपए की तुलना में उक्त वित्तीय वर्ष के लिए 391 करोड़ रूपए का समेकित शुद्ध लाभ प्राप्त किया है।

इसके अतिरिक्त, मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या टिप्पणी व्यक्त नहीं की है और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने अभी वित्त वर्ष 2021 के लिए अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी है।

### दिनांक 30.06.2021 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम:

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कोविड 2.0 के प्रभाव के बावजूद, वित्त वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही के लिए कंपनी के टर्नओवर और लाभप्रदता में वित्त वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही की तुलना में काफी सुधार हुआ है। इस तिमाही के लिए कुल टर्नओवर 114.90 प्रतिशत बढ़कर 513.48 करोड़ रूपए से 1,103.49 करोड़ रूपए हो गया है। परिचालन टर्नओवर पिछले वर्ष के 477.35 करोड़ रुपये की तुलना में 1,051.09 करोड़ रुपये रहा, जो 120.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, और कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 112.39 प्रतिशत की वद्वि हुई, जो 39.88 करोड़ रुपये से बढ़कर 84.70 करोड़ रुपये हो गया है।

### लाभांश:

शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन, निदेशक मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2021 के लाभ में से 61.13 करोड रूपए की राशि के प्रति 2 रूपए के फेस मूल्य पर 1.30 रूपए प्रति इक्विटी शेयर पर अंतरित लाभांश के अतिरिक्त, 159.89 करोड़ रूपए के लाभांश के अनुसार 2/– रूपए के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.70/– रूपए के अंतिम लाभांश की सिफारिश की गई है। इसके साथ, वित्त वर्ष 2021 के लिए कुल लाभांश 221.02 करोड रूपए (लगभग) होगा, जो वित्त वर्ष 2020–21 के कर–पश्चात लाभ का 54.63 प्रतिशत और दिनांक 31 मार्च, 2021 को निवल मूल्य का 5.01 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2021 तक शेयरधारकों को किया गया संचयी लाभांश 2139.33 करोड़ रूपए (लगभग) है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्त वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही के लाभों के आधार पर, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 0.45 रूपए प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है, जो कि

> **''हम उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं में अपने कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं।''**

42.33 करोड़ रूपए है, और यह 188.10 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूंजी का 22.50 प्रतिशत है।

## शेयर पूंजी में परिवर्तन

### शेयरों का विभाजन

मार्च, 2020 में शेयरों के विभाजन की स्वीकृति के पश्चात, वित्त वर्ष 2021 के दौरान, आपकी कंपनी ने इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को 10/– रूपए प्रति शेयर से 2/– रूपए प्रति शेयर में विभाजित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, शेयरधारकों को दिनांक 08 अप्रैल, 2020 को 10/– रूपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए, 2/– रूपए के पांच इक्विटी शेयरों का आवंटन किया गया था।

### शेयरों की बिक्री के लिए प्रस्ताव:

आपकी कंपनी के प्रमोटर अर्थात ''रेल मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के महामहीम राष्ट्रपति'' ने दिनांक 3 और 4 मार्च, 2021 को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 16 प्रतिशत की दर से विनिवेश किया गया। प्रति शेयर 89.75 रूपए की दर से कुल राशि 677.07 करोड़ रूपए (स्टॉक एक्सचेंज लेनदेन शुल्क और सभी लागू करों और शुल्कों सहित) है। ओएफएस के परिणामस्वरूप, भारत के राष्ट्रपति की होल्डिंग कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी, 89.18 प्रतिशत से कम होकर 73.18 प्रतिशत हो गई है। इसके साथ, आपकी कंपनी प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकता का अनुपालन कर रही है।

### बोनस इश्यु :

वित्त वर्ष 2021 की समाप्ति के पश्चात, मई–जून 2021 में, आपकी कंपनी ने 1:1 के अनुपात में पूर्णता प्रदत्त बोनस शेयर जारी और आवंटित किए हैं, अर्थात प्रति 2/– रूपए के मौजूदा इक्विट शेयर के लिए प्रति 2/– रूपए का एक (1) नया पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर। तदनुसार, आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 94.05 करोड रूपए से बढ़कर 188.10 करोड़ रूपए हो गई है।

## सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियां

दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को सृजित, एक और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हावेरी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल) के शामिल होने से, इरकॉन समूह में अब छह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हो गई हैं, जिनमें से पांच एनएचएआई की परियोजनाओं के निष्पादन के लिए बनाए गए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) हैं और सात संयुक्त उद्यम कंपनियां, जिनमें से पांच संयुक्त उद्यम कंपनियां मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों में कोयला सम्पर्कता परियोजनाओं के लिए सृजित की गई हैं। निदेशकों की रिपोर्ट में सभी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों का विवरण दिया गया है।

वर्ष के दौरान, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और इरकॉन की एसपीवी अर्थात इरकॉनडीएचएचएल ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 502.76 करोड़ रूपए के सावधि ऋण का पुनर्वित्तपोषण किया है और इरकॉन को 326.72 करोड़ रूपए का ऋण चुकाया है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन की 26 प्रतिशत भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी सीईडब्ल्यूआरएल ने भारतीय स्टेट बैंक और बैंकों के संघ से 1033.76 करोड़ रूपए की बाह्य सावधि ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त किया है। ये दोनों ऋण संबंधित बैंकों के पक्ष में कॉर्पोरेट गारंटी/प्रायोजक सहायता (शेयरधारिता की सीमा तक) द्वारा समर्थित हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने अपनी दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और एसपीवी अर्थात इरकॉन जीआरएचएल तथा इरकॉन वीकेईएल के लिए अपनी कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है, जो पहली वार्षिकी प्राप्त होने तक अर्थात वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से 180 दिनों तक वैध है। वर्ष की समाप्ति के पश्चात, इरकॉनजीआरएचएल को 309.68 करोड़ रूपए का सावधि ऋण प्रदान करने के लिए इरकॉन द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) को कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की गई है और इरकॉनवीकेईएल को 724.12 करोड़ रूपए का सावधि ऋण प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) को कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की गई है। यह उल्लेखनीय है कि, इरकॉन वीकेईएल को बीओबी द्वारा ऋण के वितरण के पश्चात, इरकॉन के 589.50 करोड़ के मौजूदा ऋण को इरकॉन वीकेईएल द्वारा चुकाया गया है, जिससे सहायक कंपनी में इरकॉन के वित्तीय निवेश में कमी आई है और इरकॉन की तरलता स्थिति में सुधार हुआ है।

## पुरस्कार और सम्मान

रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संदर्भ में, आपकी कंपनी को वर्ष 2018–19 के लिए 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है। वर्ष 2019–20 के लिए समझौता ज्ञापन के तहत कंपनी की रेटिंग, लोक उद्यम विभाग द्वारा समीक्षाधीन है। कंपनी को वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए भी 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त होने की आशा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2021 के दौरान विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनका विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है, हालांकि उनमें से प्रमुख हैं – विश्व एचआरडी कांग्रेस द्वारा 'पीएसयू में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार', तीन श्रेणियों में 'एल्टेस नेशनल पीएसयू अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस' अर्थात संधारणीय अवसंरचना का विकास और निर्माण, कोविड–19 के दौरान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और भारतीय रेलवे के लिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) द्वारा तीन श्रेणियों में 12वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार अर्थात सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक रूप से प्रबंधित कंपनी (1,000 करोड़ से अधिक टर्नओवर श्रेणी में) के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना (मथुरा–कासगंज परियोजना) और कोरोना योद्धाओं के लिए पुरस्कार, और 8वां फिक्की गुणवत्ता प्रणाली उत्कृष्टता पुरस्कार।

## उत्तरदायी और जिम्मेदार

भारत में कोविड–19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर, पहले की तुलना में अधिक तीव्र रही थी। निर्माण क्षेत्र, जो पहले से ही वित्तीय बाधाओं और घटते उत्पादन के कारण इस महामारी से पूर्व संकट से गुजर रहा था, कोविड–19 की दूसरी लहर और परिणामी माइग्रेशन के कारण इस क्षेत्र के समक्ष बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार की मदद के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें कोविड देखभाल केंद्र, टीकाकरण केंद्र स्थापित करना और उन्हें चिकित्सा देखभाल सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करना शामिल है। कंपनी ने इस महामारी से निपटने के लिए सभी निवारक उपायों को लागू करने की दिशा में भी कई पहल की हैं।

कोविड–19 वैश्विक महामारी के इस असाधारण संकट के दौरान, प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए 20.50 करोड़ रूपए के योगदान (वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 5.01 करोड़ रूपए का योगदान, जिसमें आपकी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से 51 लाख रूपए का योगदान शामिल है, और वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 15.5 करोड़ का योगदान शामिल है), के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2021–22 में हमने विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को सहायता प्रदान की है, जैसे कि भारत सरकार के कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में कोल्ड चेन उपकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और मंडल रेलवे अस्पताल, दानापुर में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट की स्थापना। इसके अतिरिक्त, हम विभिन्न सीएसआर पहलों के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के विकास और उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, जो भारत की वंचित आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में अग्रसर हैं।

## कार्पोरेट शासन

कम्पनी द्वारा कार्पोरेट शासन के सिद्धांतों का पूर्ण निष्ठा के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है। आपकी कम्पनी अपने परिचालनों के प्रत्येक पक्ष में पारदर्शिता, उत्तरदेयता एवं समानता को सबसे अधिक महत्व देती है। आपकी कम्पनी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग के कार्पोरेट शासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों तथा अन्य लागू विनियामक अपेक्षाओं का पूर्ण रूप से पालन कर रही है।

आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा अधिसूचित रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन हेतु 'उत्कृष्ट' ग्रेड प्राप्त किया है।

## जन–केंद्रित संगठन की ओर

हम अपने कर्मचारियों को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानते हैं। इसलिए, हम उनके विकास और कल्याण की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं। हम एक व्यस्त और सक्षम कार्यबल के लिए आदर्श कार्य संस्कृति के निर्माणे और ऐसे वातावरण को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रबंधन के बीच संयुक्त परामर्श के माध्यम से हमारे पास सुदृढ मूल्य, अग्रणी प्रथाएं और सहायक कार्य संस्कृति विद्यमान है। हम नए प्रतिभाशाली लोगों के साथ नियमित रूप से अपने कार्यबल का विस्तार करने में विश्वास करते हैं, जो हमारे संगठन में सृजनात्मकता और विकास को प्राप्त करने में सहायक होंगें। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक हमारे मानव संसाधन की कुल संख्या 1298 है। नए नियोजित कर्मियों की कुल संख्या 100 है।

इसके अतिरिक्त, हम अपने कर्मचारियों के विकास और कैरियर की प्रगति पर बल देते हैं। हमारी जन प्रबंधन टीम, नियमित रूप से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है, जो सुधार और उत्पादकता की ओर अग्रसर होते हैं। इन सभी प्रयासों के माध्यम से, हम इरकॉन को एक ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं जो जन–केंद्रित और लोगों द्वारा संचालित हो।

## सूचना प्रौद्योगिकी

पारदर्शिता और कार्य प्रणाली में नवीन प्रौद्योगिकी और दृष्टिकोण की

आवश्यकता पर बल देने के साथ, आपकी कंपनी ने कार्य प्रणाली के परिवर्तनशील तरीके को अपनाने के लिए कई सक्रिय उपाय किए हैं। ऐसी कुछ पहलों में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और एनआईसी द्वारा विकसित ई–ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन और एनआईसी द्वारा विकसित जीईपीएनआईसी प्रापण प्लेटफॉर्म का प्रयोग शामिल है। इन पहलों ने कागज रहित कार्यालय प्रणाली के विकास को गति प्रदान की है।

इन उपायों के साथ आगे बढ़ते हुए, आपकी कंपनी एसएपी एस/4 एचएएनए के नवीनतम संस्करण का क्रियान्वयन कर रही है और इसका लक्ष्य, इसे दिनांक 1 सितंबर 2021 से लाइव करना है। एसएपी एस/4 एचएएनए के क्रियान्वयन से संगठन की संपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं को कवर करने और कंपनी के समग्र कार्यनिष्पादन और दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

## भविष्य का दृष्टिकोण

पिछले कुछ वर्षों में मजबूत परियोजना निष्पादन क्षमतओं, रेलवे के अवसंरचना और निर्माण क्षेत्र में आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त बाजार नेतृत्व की स्थिति का औचित्य सिद्व करती है। हमें विश्वास है कि हमारी अनुभवी प्रबंधन टीम और कुशल कार्यबल के सहयोग से, हम आने वाले वर्षों में इस प्रगति को जारी रखेंगे। हम उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने और विदेशों से ऑर्डर बढ़ाने की अपनी रणनीति को जारी रखने का प्रयास करते हैं। हमारा लक्ष्य अपने सुदृढ लाभ मार्जिन और सुलभ तरलता की स्थिति में और अधिक वृद्वि करना है, जो हमारे परिचालन निष्पादन के संवर्धन में भी योगदान देगा। सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने और बेहतर लाभ मार्जिन बनाने के लिए, हम अपनी विशेषज्ञता और वित्तीय स्थिति दोनों के मामले में बाजार में अपनी लाभप्रद स्थिति का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न अवसंरचनात्मक पहल, हमारे भविष्य के विकास को बढ़ावा देने में हमारी मदद करेगी। हम मानते हैं कि हम अपनी मजबूत तकनीकी क्षमताओं और सुदृढ वित्तीय स्थिति के कारण इन विधियों के तहत परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए दृढतापूर्वक तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, हम अपनी सभी प्रक्रियाओं और प्रणालियों में एक मजबूत ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) संस्कृति को बनाए रखने और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को स्वीकार करना चाहते हैं।

आपकी कंपनी, भारत और विदेशों में रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाह, निर्माण परियोजनाओं, हार्बरों, पुलों, सुरंगों, मेट्रो रेल में संभावित अवसरों का लाभ प्राप्त करने तथा इन कार्यों में सहयोग करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ ही सौर ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने व इस क्षेत्र में भागीदारी हेतु विभिन्न नीतिगत समझौता ज्ञापनों में प्रवेश कर रही है।

इसके अतिरिक्त, हम हाई–स्पीड रेलवे परियोजनाओं, सौर ऊर्जा और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) निवेश परियोजनाओं जैसी उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं में अपने पदचिह्नों का विस्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे व्यवसाय परिचालन, श्रम आधारित हैं। हालाँकि, कोविड–19 महामारी ने कार्य प्रणाली में नई तकनीक और दृष्टिकोण का उपयोग करके नए सामान्य (न्यू नार्मल) के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता को जन्म दिया है। हमने नई तकनीक जैसे ड्रोन, प्रीकास्ट एलिमेंट्स और नए डिजाइन को अपनाकर इस चुनौती को दूर किया है, जो श्रम गहन नहीं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षा और निवारक उपाय की निगरानी विशेष कार्य बल द्वारा की जा रही है।

अवसंरचनात्मक क्षेत्र, भारत सरकार के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। राष्ट्रीय रेल योजना–2030 के अनुरूप, केंद्रीय बजट, 2021 में रेलवे के अवसंरचनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) और हाई–स्पीड रेलवे के प्रस्ताव शामिल हैं। रेल मंत्रालय ने महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं के लिए पीएसयू कंपनियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है, जो उच्च गुणवत्ता वाली सरकारी परियोजनाओं को प्राप्त और निष्पादित करने के अवसर प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी सरकार की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन और मेट्रो रेल के साथ अतिरिक्त अवसंरचना के विकास के अवसरों का भी पता लगा रही है। यह भारतीय राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), जिसमें बस्तियों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ा जा रहा है, के तहत राजमार्ग परियोजनाओं, और रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के क्षेत्र में अवसरों का पता लगा रही है।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हाल ही में 100 लाख करोड़ रूपए की लागत पर गति शक्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो हमारे देश के लिए समग्र अवसंरचना के आधार हेतु एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगा। 100 लाख करोड़ रूपए में से 30 लाख करोड़ रेलवे अवसंरचना के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो अधिक व्यवसाय को प्राप्त करने के अतिरिक्त अवसर प्रदान करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर, आपकी कंपनी ने एजेंटों की नियुक्ति के लिए अपनी नीति में सुधार किया है, जिससे वैश्विक बाजारों में व्यापार अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इरकॉन मालदीव, मलेशिया, जॉर्डन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। कंपनी रेलवे और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अफ्रीकी देशों में भी अवसरों का लाभ प्राप्त करेगी।

इरकॉन ने आर.जेड.डी इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रेलवे और अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के संयुक्त विकास के अवसरों का पता लगाने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली रूसी रेलवे कंपनी है। हमने अपनी नीति को पुनः तैयार किया है, जिससे वैश्विक बाजारों में व्यापार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

## आभारोक्ति

अंत में, मैं निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा स्टेकधारकों उनके अनवरत सहयोग एवं इरकॉन में उनकी निष्ठा के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अन्य अनिवार्य सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के साथ साथ डाक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, नगरपालिका के अधिकारियों/कर्मचारियों, सेना एवं पुलिस, का भी हृदय से आभार करना चाहूंगा। मैं मुक्त हृदय से भारत सरकार, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं विभागों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी), सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों एवं साचिविय लेखापरीक्षकों के प्रति भी उनसे प्राप्त सहायता के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। मैं कम्पनी में प्रत्येक स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्तम कार्य की प्रशंसा करते हुए उनकी प्रतिबद्धता एवं कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि इसी के बलबूते हमारी कम्पनी को एक और वर्ष मे सफलता हासिल हुई है।

शुभकामनाओं सहित,

ह0/–

**(एम. के. सिंह)**

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

# निदेशक मंडल



हमारी सफलता हमारी सुदृढ़ प्रतिबद्ध एवं निदेशक मंडल से अनवरत प्राप्त दिशानिर्देशन का प्रतिफल है।

**श्री मुकेश कुमार सिंह**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी

श्री मुकेश कुमार सिंह (डीआईएन:06607392) हमारी कम्पनी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एल/ए) एवं निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी हैं। वे कला (आनर्स – गणित) विषय में स्नातक, कला (गणित) विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त, इग्नु से एम. फिल (गणित) तथा वित्त प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त हैं। वे भारतीय रेलवे लेखा सेवा (आईआरएएस) के 1990 बैच के अधिकारी हैं।

इरकॉन में सेवा प्रारम्भ करने से पूर्व वे पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर में एफए एवं मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर तैनात थे। उन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड (प्रतिनियुक्ति पर) में महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर लगभग 4 वर्ष कार्य किया है। उन्हें रेलवे, व्यय, निर्माण संगठन, सांविधिक लेखापरीक्षकों से संव्यवहार (सी एंड एजी) इत्यादि जैसे लेखांकन एवं वित्त मामलों की देखरेख का अनुभव प्राप्त है। इसके अलावा पैन–इंडिया आनलाइन एकाउंटिंग पैकेज सिस्टम एवं रेलवे की वित्त एवं लेखा के कम्प्युटराइजेशन की दो प्रमुख टीमों में सदस्य के रूप में कार्य करने के साथ साथ रेलवे व्यवस्था के जोनल मुख्यालय एवं डिवीजनों के अन्य रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (आरडीबीएमएस) लेखांकन पैकेजों का अनुभव प्राप्त है। वे इरकॉन के निदेशक मंडल में 1 मई, 2016 से हैं। वे रेल मंत्रालय पुरस्कार (1998 में), महाप्रबंधक पुरस्कार (2004) इत्यादि जैसे विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं।



## श्री योगेश कुमार मिश्रा
निदेशक (कार्य)

श्री योगेश कुमार मिश्रा (डीआईएन : 07654014) हमारी कम्पनी में निदेशक (कार्य) हैं। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से बी.टैक, सिविल इंजीनियरिंग हैं।

वे 1987 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसई) अधिकारी हैं तथा हमारी कम्पनी में सेवा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने रेलवे में 34 वर्ष तक कार्य करके समृद्ध एवं विभिन्न अनुभव प्राप्त किए हैं। उन्हें टर्नकी रेलवे एवं राजमार्ग परियोजनाओं में परियोजना विकास एवं परामर्श का अनुभव प्राप्त है जिसके अंतर्गत विस्तृत सर्वेक्षण, डिजाइन संरेखन, सुरंगें, पुल इत्यादि के कार्य किए जाते हैं। इरकॉन में उन्होंने पूर्व कार्यपालक निदेशक (कार्य) के पद पर कार्य किया है। इरकॉन के निदेशक मंडल में वे 28 दिसम्बर, 2018 से सदस्य हैं।



## श्री श्याम लाल गुप्ता
निदेशक (परियोजना)

श्री श्याम लाल गुप्ता (डीआईएन : 07598920) हमारी कम्पनी में निदेशक (परियोजना) हैं। वे रूड़की विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त हैं तथा उन्होंने स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एंड एक्जीक्यूटिव एजुकेशन (एसपीईईडी), एशिया ई यूनिवर्सिटी से परियोजना प्रबंधन विज्ञान में एक्जीक्यूटिव मास्टर पूरी की है।

इरकॉन में वे वर्ष 2006 से कार्य कर रहे हैं तथा इससे पूर्व उन्होंने भारतीय रेलवे में 28 वर्ष सेवा की है। उन्हें अवसंरचना सेक्टर का अनुभव प्राप्त है तथा उन्होंने भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य किए हैं। वे निदेशक (परियोजना) के पद पर नियुक्ति से पूर्व इरकॉन में कार्यपालक निदेशक (सामान्य) थे। उनके सुपरवीजन में श्रीलंका में अनेक परियोजनाएं समय पर पूरी की जा चुकी हैं। वे 1 नवम्बर, 2019 से इरकॉन के निदेशक मंडल में सदस्य हैं।



## श्री राजेश अरगल
सरकारी नामिति निदेशक

श्री राजेश अर्गल (डीआईएनः 09171980) ने वर्ष 1983 में एमएसीटी (मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी), भोपाल से सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के साथ स्नातक किया है।

उन्हें रेलवे में 35 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव प्राप्त है। उनके तत्काल पिछले कार्यों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर मुख्य सुरक्षा अधिकारी, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, मंडल रेल प्रबंधक मालदा शामिल हैं। उनके पहले के कार्यों में मुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्वी रेलवे, कोलकाता और महाप्रबंधक, इरकॉन में लगभग डेढ़ वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर मलेशिया में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की सेरेम्बन–जेमास डबल ट्रैकिंग परियोजना में शामिल हैं। उन्होंने साढ़े चार वर्षों तक मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिणी रेलवे चेन्नई के रूप में भी कार्य किया है।

रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य (योजना) के रूप में उनके वर्तमान कार्यभार में रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं की योजना और बजट बनाना है, जिसमें निवेश को प्राथमिकता देना और उसका निष्पादन शामिल है। वह रेलवे बोर्ड में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजनाओं के समन्वयक भी हैं।

वे दिनांक 13 मई 2021 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।



## श्री धनंजय सिंह
सरकारी नामिति निदेशक

श्री धनंजय सिंह (डीआईएनः 08955500), को लखनऊ विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त हैं।

वे वर्तमान में कार्यकारी निदेशक (कार्य), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान कार्यभार से पूर्व, उन्होंने निदेशक (कार्य) (रेलवे बोर्ड) वरिष्ठ मंडल अभियंता (उत्तर रेलवे) सहित विभिन्न कार्य पदों पर रेलवे बोर्ड में कार्य किया है। वह मुंबई रेल विकास निगम में उप मुख्य परियोजना प्रबंधक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे। वह दिनांक 10 नवंबर 2020 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।

# वरिष्ठ कार्यपालक



**श्री ए.के. गोयल**
कार्यपालक निदेशक (परियोजना)



**डॉ. सुभाष चन्द**
कार्यपालक निदेशक (इलैक्ट्रीकल)



**श्री प्रमोद कुमार सिंह**
परियोजना निदेशक (पटना)



**श्री शैलेश कुमार सिन्हा**
परियोजना निदेशक (कटनी)



**श्री मोहिन्द्र सिंह**
परियोजना निदेशक (शिवोक रंगपो)



**अंकुश गुप्ता**
कार्यकारी निदेशक (परियोजना) और परियोजना निदेशक (छत्तीसगढ़)

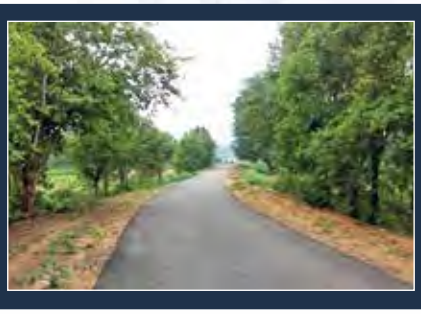


**श्री सुरिन्द्र सिंह**
कार्यकारी निदेशक (विशेष कार्य)

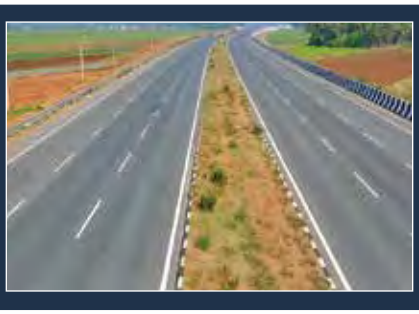
# पूर्ण परियोजनाएं (वित्तीय वर्ष 2020-21)

झारखंड राज्य के 5 जिलों में पुलों सहित ग्रामीण सड़कों का निर्माण/ स्तरोन्नयन









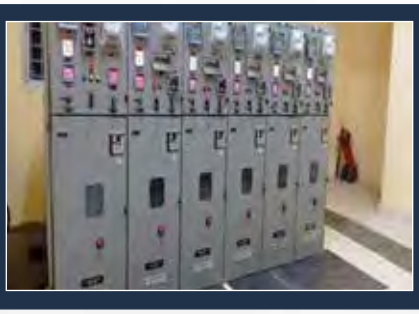
कर्नाटक राज्य में दावणगिरी - हवेरी को छह लेन का बनाना

मथुरा-कासगंज-कल्याणपुर रेल विद्युतीकरण परियोजना



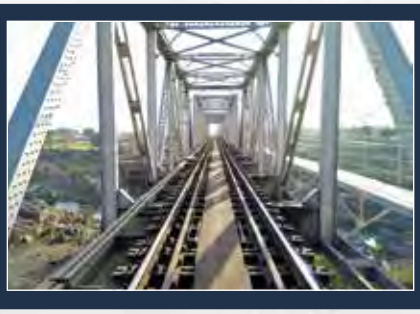






जम्मू प्रांत के अंतर्गत आरएपीडीआरपी - भाग ख

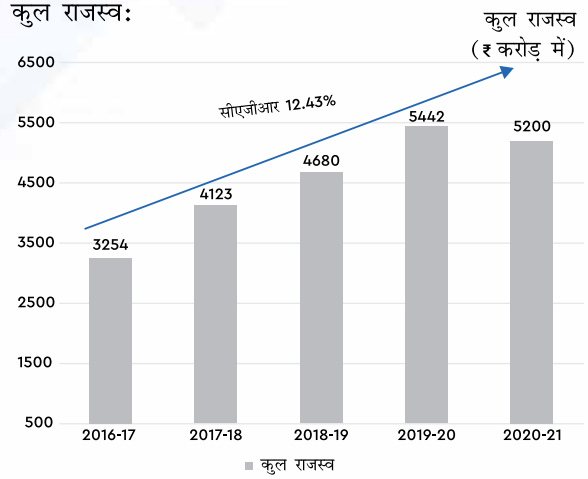
कटनी - सिंगरौली के लिए रेल विद्युतीकरण परियोजना



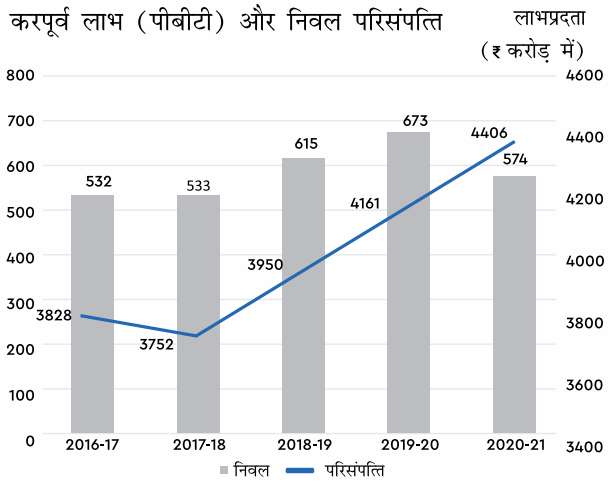


# प्रमुख निष्पादन सूचकांक (स्टेंडएलोन)

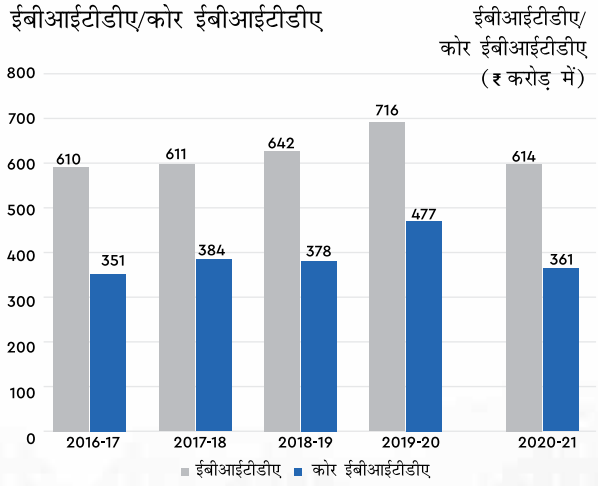
कुल राजस्व:



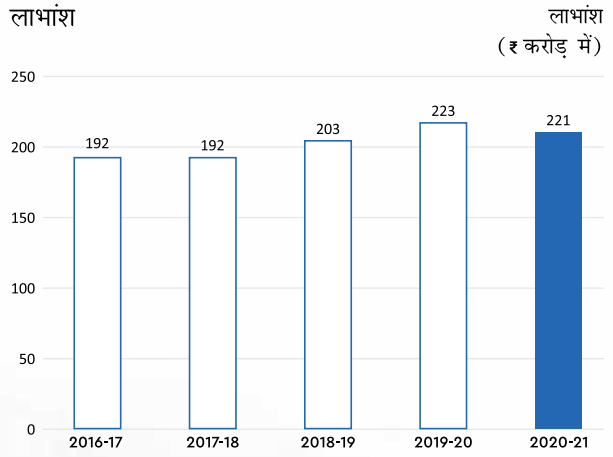

करपूर्व लाभ (पीबीटी) और निवल परिसंपत्ति



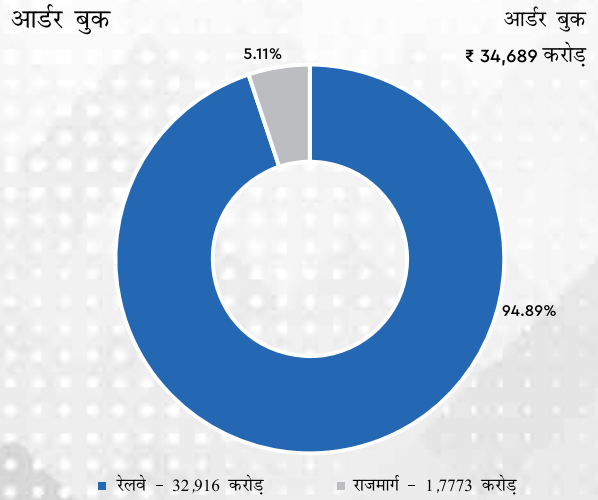

ईबीआईटीडीए/कोर ईबीआईटीडीए




लाभांश




आर्डर बुक




**हमारा निरन्तर विकास, हमारी विविध व्यावसायिक नीति और अपने निष्पादन में सुधार के लिए निरंतर प्रयासों का परिचायक है।**

# वित्तीय हाइलाइट (स्टेंडएलोन)

(₹ करोड़ में )

| क्र. सं. | विवरण | इंड एएस | | | | | | आईजीएएपी | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 |
| 1 | परिचालन आय | **4,948** | **5,202** | **4408** | **3870** | **2,934** | **2,418** | **2,950** | **4,067** | **4,232** | **3,601** |
| 2 | जोड़े/घटाएं: एकीकृत संयुक्त उद्यमों की टर्नओवर में कम्पनी का अंशभाग | - | - | 7 | 26 | 90 | – | 89 | (9) | (13) | (23) |
| 3 | जोड़ें: एकीकृत संयुक्त उद्यमों की लाभ/(हानि) में कम्पनी का अंशभाग | - | | – | – | – | – | 2 | (1) | 1 | 2 |
| 4 | निवल परिचालन आय | **4,948** | **5,202** | **4,415** | **3,896** | **3,024** | **2,418** | **2,864** | **4,057** | **4,220** | **3,580** |
| 5 | अन्य आय | 253 | 240 | 265 | 227 | 230 | 442 | 258 | 250 | 251 | 181 |
| 6 | **आय योग** | **5,200** | **5,442** | **4,680** | **4,123** | **3,254** | **2,860** | **3,122** | **4,307** | **4,471** | **3,761** |
| 7 | व्यय (स्टॉक में बढ़त/घटत सहित) | 4,596 | 4,735 | 4,048 | 3577 | 2,766 | 2,222 | 2,267 | 3,024 | 3,412 | 3,102 |
| 8 | परिचालन मार्जिन (पीबीडीआईटी) | 604 | 707 | 631 | 546 | 488 | 638 | 854 | 1,283 | 1,059 | 659 |
| 9 | ब्याज आय | 6 | 18 | 4 | – | 12 | 8 | – | – | – | – |
| 10 | मूल्यह्रास | 25 | 16 | 12 | 13 | 18 | 28 | 10 | 34 | 44 | 57 |
| 11 | अपरिहार्य मदें | – | – | – | – | (74) | – | – | – | – | – |
| 12 | **कर पूर्व लाभ** | **574** | **673** | **615** | **533** | **532** | **602** | **844** | **1,249** | **1,015** | **602** |
| 13 | कर पश्चात लाभ | **405** | **490** | **445** | **391** | **369** | **395** | **579** | **907** | **730** | **470** |
| 14 | वर्ष में लाभांश | 221 | 223 | 203 | 192 | 192 | 168 | 182 | 182 | 148 | 94 |
| 15 | सामान्य रिजर्व | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 3334 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 2,971 | 2,277 | 1,733 |
| 16 | धारित आय | 979 | 733 | 517 | 311 | 390 | 318 | – | – | – | – |
| 17 | अन्य व्यापक आय | (5) | (4) | (0.32) | 9 | 5 | (5) | – | – | – | – |
| 18 | अन्य रिजर्व | 5 | 5 | 5 | 4 | – | – | – | 2 | 3 | – |
| 19 | योग रिजर्व एवं अतिरिक्त | 4,312 | 4,067 | 3,856 | 3,658 | 3,729 | 3,647 | 3,334 | 2,973 | 2,280 | 1,733 |
| 20 | निवल अचल परिसम्पतियां | 255 | 271 | 128 | 134 | 137 | 149 | 163 | 170 | 180 | 196 |
| 21 | मालसूचियां | 118 | 321 | 332 | 141 | 139 | 141 | 114 | 119 | 125 | 135 |
| 22 | विदेशी मुद्रा आय (निवल) | 45 | 15 | 33 | 64 | 24 | 59 | 418 | 1,042 | 822 | 444 |
| 23 | शेयर पूंजी | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 98.980 | 19.796 | 19.796 | 19.796 | 19.796 | 9.898 |
| 24 | नियोजित पूंजी* | 4,406 | 4,161 | 3,950 | 3,752 | 3,828 | 3,667 | 3,354 | 2,993 | 2,300 | 1,743 |
| 25 | सरकारी निवेश | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | निवल सम्पति | **4,406** | **4,161** | **3,950** | **3,752** | **3,828** | **3,667** | **3,354** | **2,993** | **2,300** | **1,743** |
| 27 | नियोजित पूंजी में कर पूर्व लाभ(%) | 13 | 11 | 9 | 8 | 14 | 16 | 25 | 42 | 44 | 35 |
| 28 | नियोजित पूंजी में परिचालन मार्जिन(%) | 14 | 12 | 10 | 8 | 13 | 17 | 26 | 43 | 46 | 38 |
| 29 | शेयर पूंजी पर कर पश्चात लाभ (%) | 430 | 521 | 473 | 416 | 373 | 1,995 | 2,924 | 4,578 | 3,687 | 4,747 |
| 30 | आय पर व्यय (%) | 88 | 87 | 87 | 87 | 85.00 | 78 | 73 | 70 | 76 | 82 |
| 31 | कर्मचारियों की संख्या (संख्या) | 1,295 | 1,426 | 1,576 | 1,622 | 1,496 | 1,499 | 1,472 | 1,579 | 1,704 | 1,703 |
| 32 | प्रति कर्मचारी आय | 4.02 | 3.82 | 2.97 | 2.54 | 2.18 | 1.91 | 2.12 | 2.73 | 2.62 | 2.21 |
| 33 | प्रति कर्मचारी विदेशी मुद्रा आय | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.28 | 0.66 | 0.48 | 0.26 |
| 34 | चालू अनुपात | 1.22 | 1.15 | 1.32 | 1.66 | 2.02 | 1.99 | 1.72 | 1.81 | 1.61 | 1.47 |
| 35 | नामे/इक्विटी अनुपात | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | निवेश | 1,506 | 1,469 | 1,314 | 1,201 | 1,223 | 743 | 737 | 494 | 295 | 208 |

**नोटः**

*वर्ष 2021 के दौरान, कंपनी ने आईआरएफसी से ऋण को ऑफसेट किया है और यह राशि आरएलडीए से वसूलनीय है। तद्नुसार पूर्व वर्ष के आंकड़ों को सही किया गया है।

1. 28 से 31 तक प्रतिशत में है।

2. 32, 35 तथा 36 करोड रूपए में नहीं है।

# हमारे पुरस्कार एवं मान्यताएं



**12वां सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड**
कोरोना वारियरों हेतु



**12वां सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड**
विविध कार्य वातावरण के सृजन हेतु सर्वाधिक प्रतिबद्धता और प्रयासों के प्रदर्शन हेतु



**12वां सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड**
मथुरा-कासगंज परियोजना हेतु सर्वोत्तम निर्माण परियोजना



**12वां सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड**
1,000 करोड़ रूपए जमा टर्नओवर श्रेणी में सर्वोत्तम पेशेवर प्रबंधित कंपनी हेतु



**ईटी नाव ड्रीम कंपनी टू वर्क अवार्ड**
(समग्र रैंक 50)



**ईटी नाव ड्रीम कंपनी टू वर्क अवार्ड**
पीएसयू सेक्टर हेतु

# अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों से पुरस्कारों और सम्मानों सहित निरंतर कार्यनिष्पादन को मान्यता



**राष्ट्रीय पुरस्कार**
वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा पीएसयू में उत्कृष्टता हेतु




**उत्कृष्टता हेतु एलेट्स राष्ट्रीय पीएसयू अवार्ड**
संधारणीय अवसंरचना के निर्माण और विकास हेतु




**उत्कृष्टता हेतु एलेट्स राष्ट्रीय पीएसयू अवार्ड**
कोविड-19 के दौरान डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन हेतु




**उत्कृष्टता हेतु एलेट्स राष्ट्रीय पीएसयू अवार्ड**
भारतीय रेल के लिए स्टार्म अवसंरचना हेतु




**13वां डी.एल शाह गुणवत्ता पुरस्कार**
**उधमपुर श्रीनगर बारामुला रेल लिंक परियोजना**
(जम्मू और कश्मीर) में टनलिंग उद्यमों में उत्कृष्ट योगदान के प्रदर्शन हेतु
भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा प्रदान किया गया




**8वां एफआईसीसीआई गुणवत्ता**
प्रणाली उत्कृष्टता पुरस्कार



**राष्ट्रीय पुरस्कार**
वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा
पीएसयू में उत्कृष्टता हेतु

# इरकॉन एक सुदृढ व्यवस्था

## हमारे बारे में

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन), एक अनुसूची ''ए'' और मिनी रत्न – श्रेणी–I, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है, जिसका निगमन रेलवे मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 28 अप्रैल 1976 को मूल रूप से नाम ''इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड'' के तहत किया गया था। इस कंपनी को भारतीय रेलवे की विशेषज्ञता का उपयोग करके भारत और विदेशों में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए बनाया गया था। कंपनी की अंतरराष्ट्रीय छवि और संचालन के दायरे के अनुरूप दिनांक 17 अक्टूबर 1995 को कंपनी का नाम बदलकर ''इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड'' कर दिया गया था।

हम एक एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी हैं, जो रेलवे, राजमार्ग, पुल, फ्लाईओवर, सुरंग, विमान अनुरक्षण, हैंगर, रनवे, ईएचवी सबस्टेशन, विद्युत और यांत्रिक कार्यों, वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास सहित प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। हम विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए एक निश्चित राशि के टर्नकी आधार पर और साथ ही एक आइटम–दर के आधार पर ईपीसी सेवाएं प्रदान करते हैं। भविष्य की कमाई को बनाए रखने के लिए कंपनी की वित्तीय ताकत का लाभ उठाना इरकॉन निर्माण, प्रचालन एंड अंतरण (बीओटी)/हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) के आधार पर परियोजनाओं को भी निष्पादित करता है।

इरकॉन वर्ष 1996 से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी है (यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली निर्माण कंपनी), और वर्ष 2011 से पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और वर्ष 2012 से व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए भी मान्यता प्राप्त है। यह एक आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 45001:2018 और आईएसओ 14001:2015 प्रमाणित कंपनी है।

दिनांक 31.03.2021 को कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 400 करोड़ रुपये और 188.10 करोड़ रुपये है और प्रदत्त शेयर पूंजी का 73.18 प्रतिशत भारत सरकार के पास है। इरकॉन के शेयर 28 सितंबर, 2018 को बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध किए गए थे। दिनांक 31.03.2021 तक बाजार पूंजीकरण के मामले में इरकॉन को भारत की शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में स्थान दिया गया है।

फॉर्च्यून इंडिया पत्रिका की वर्ष 2020 की 'फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों की सूची' में इरकॉन को शीर्ष 500 भारतीय कंपनियों में स्थान दिया गया है। इरकॉन को वर्ष 2020–21 में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों प्रदान किए गए हैं। इरकॉन एकमात्र भारतीय पीएसयू है, जिसे इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड (ईएनआर), यूएसए द्वारा शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदार 2020 (केवल भारतीय पीएसयू) में स्थान दिया गया है।

## इरकॉन एक नेतृत्व के रूप में

इरकॉन ही एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धी बोली, लागत प्रभाव्यता के मंत्र का उपयोग कर रहा है। रेलवे परियोजनाओं का टर्नकी आधार अथवा अन्य रूप से निष्पादन करने की विशेषज्ञता के साथ हम देश की सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों परिवहन क्षेत्र में नेतृत्व की दीर्घकालिक साख हमें प्राप्त है। हम निष्पादन में गुणवत्तापूर्ण समाधानों, प्रतिबद्धताओं एवं अनुकूलता के लिए जाने जाते हैं।



# हमारा सेवा पोर्टफोलियो




## इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी)

हम ईपीसी परियोजनाओं के पूर्ण विस्तार में संकल्पना से कमीशनिंग तक पूर्ण रेंज वाली सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारे द्वारा रेलवे, राजमार्गों, सुरंगों, रोड ओवर ब्रिज, प्रमुख नदियों के ऊपर रेल एवं सड़क पुल, हवाई अड्डा हैंगर एवं रनवे, मैट्रो, भवन, अत्यधिक उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन वाली लाइनें तथा ग्रिड सब–स्टेशन, औद्योगिक विद्युतिकरण, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार व्यवस्थाएं एवं अन्य अनेक ऐसी परियोजनाओं का निष्पादन किया गया है जिसमें अत्यधिक जटिलता एवं परिष्करण से कार्य किए जाने अपेक्षित थे।

निष्पादन के चरण से लेकर सफलतापूर्वक कमीशनिंग तक हम डिजाइन, इंजीनियर्स, तकनीकी स्टाफ, परियोजना प्रबंधन कार्मिक एवं अपने उपकरणों के विशाल बेड़े के साथ सेवाएं प्रदान करते हैं।

## सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

हम रेलवे सेक्टर की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की श्रेणी में संयुक्त उद्यम मॉडल के अंतर्गत राज्य सरकार तथा अन्य स्टेकधारकों के साथ डीबीएफओटी पैटर्न के अनुसार टोल, वार्षिक व्यवस्था, एवं मिश्रित वार्षिक व्यवस्था के आधार पर सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार की परियोजनाओं के निष्पादन एवं समय पर इन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास वित्तीय क्षमता के साथ साथ अनुभवी डिजाइनरों, तकनीकी कार्मिकों एवं कुशल परियोजना प्रबंधन व्यावसायिकों के समूह उपलब्ध है।

## परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श (पीएमसी)

हम परियोजना की योजना से कमीशनिंग तक के पूर्ण विस्तार में परियोजना, प्रबंधन एवं परामर्श की वृहद रेंज की व्यापक सेवाएं प्रदान करते हैं। परियोजना, प्रबंधन एवं परामर्श की ये सेवाएं रेलवे साइडिंग, राजमार्गों, रेलवे, एवं रोड ओवर ब्रिज्स, भवन सहित अन्य कार्य या तो हम स्वयं करते हैं या ये सेवाएं हमारे पूर्ण स्वामित्व वाली 'इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉनआईएसएल) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन एवं अनुबंध प्रबंधन की हमारी समर्पित टीमों के विशेषज्ञ अवसंरचना सेक्टर के पीएमसी कार्यों का संपादन करते हैं।

## स्थावर सम्पदा (आरई)

हम विकास, निर्माण एवं कार्यालय के स्थावर स्थल के पट्टे एवं वाणिज्यिक स्थावर सम्पति के विकास कार्य करते है।

## हमारे प्रमाणन

हम गुणवत्ता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था के लिए मान्यताप्राप्त आईएसओ, **अनुसूची 'क'** एवं मिनी रत्न वर्ग में सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्ध कम्पनी हैं। केयर रेटिंग द्वारा इरकॉन के लिए दीर्घकालिक बैंक सुविधा के संबंध में केयर एएए; स्टेबल/केयर ए1+ होने की पुष्टि की गई है।

# विविधिकृत वैश्विक अवसंरचना सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम

**इरकॉन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विविध परियोजनाओं के निष्पादन में अपनी विशेषज्ञता के साथ अवसंरचना उद्योग में अग्रणी है।**

अपनी स्थापना के पश्चात इरकॉन ने क्षेत्रीय और भौगोलिक कवरेज दोनों ही दृष्टिकोणों में एक विविध अवसंरचनात्मक कंपनी बनने पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित किया है। वर्षों से हमारे प्रयासों ने हमें एक स्थापित कंपनी बना दिया है, विशेष रूप से रेलवे और राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में। हमारी सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से, हम रेलवे निर्माण जैसे नई लाइनों, दोहरीकरण कार्यों, पुनर्वासन और गेज परिवर्तन परियोजनाओं, गिट्टी रहित ट्रैक, विद्युतीकरण, पुलों/फ्लाईओवर, टनलाइनिंग, उप–स्टेशनों, सिग्नलिंग और दूरसंचार के साथ–साथ लोको, स्टेशन भवन आदि को पट्टे पर देना सहित अन्य क्षेत्रों में अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, रेलवे परियोजनाओं को अपने फोकस क्षेत्र के रूप में रखते हुए, इसने राजमार्ग और एक्सप्रेसवे, टनलिंग, पुलों, मेट्रो, पावर उप–स्टेशन, पारेषण और वितरण, भवन (औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय) टाउनशिप, और एयरपोर्ट रनवे और हैंगर और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे अवसंरचना के व्यापक क्षेत्र में विविधता प्राप्त की है।

इन वर्षों में, कंपनी ने अल्जीरिया, बांग्लादेश, ईरान, इराक, मलेशिया, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, सीरिया, तुर्की, इथियोपिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, जाम्बिया, लाइबेरिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, भूटान, आदि देशों सहित अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में अपने प्रचालनों का विस्तार किया है।

अब तक हमने 523 परियोजनाओं का निष्पादन किया है तथा 52 आन–गोइंग परियोजनाएं हैं। हमारी निष्पादित परियोजनाओं की रेंज से हमें अपने निर्माण व्यवसाय में विविधता लाने एवं किसी सेक्टर विशेष पर अपनी निर्भरता को कम करने में सहायता मिली है। हमारा यह मानना है कि विविधता युक्त परियोजना पोर्टफोलियों ही हमारी प्रमुख शक्ति है जो गतिबोधक बाजार स्थितियों में हमारे प्रचालनों के निर्वाह के साथ साथ हमारी भिन्नता को प्रमाणित करने का कारक है। इसके अलावा, विस्तारित भौगोलिक क्षेत्रों में हमारे प्रवेश से भी हम धीरे धीरे निर्माण कम्पनी से बीओटी, डीबीएफओटी, ईपीसी एवं एचएएम परियोजनाओं के विविधता युक्त कम्पनी के रूप में उन्नयन प्राप्ति के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इससे हमें संयुक्त उद्यम एवं सहायक कम्पनियों के रूप में सृजित विशेष उद्देश्य वाहकों के माध्यम से उच्चतर परियोजना विकास करने एवं परिचालनात्मक क्षमताएं प्राप्त करने में भी सहायता मिली है।

एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के तौर पर उच्चतर गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को निष्पादित करने के हमारे इतिहास के कारण परियोजनाओं की वृद्धि दर कड़ी पूर्व अर्हताओं के बावजूद भी नए अवसर प्राप्त करने के महत्वपूर्ण लाभ हमें प्राप्त हैं। प्रत्याशित बाजार विकास का पूंजीयन करने के लिए हम भारतीय बाजार में अपने उद्यम के माध्यम से राजस्व के संवर्धन की ओर ध्यान केन्द्रित करने के साथ साथ स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों में परियोजना आधारित लक्ष्य खोजते हैं।

आज हमारा ऐसा मानना है कि हमारे अविरल प्रयासों ने हमारे विकास में अंगीकार करने योग्य बेहतर शासन एवं पूंजी निर्धारण के प्रति पारम्परिक अभिमुखता स्थापित हो सकी है तथा हमें विशिष्ट बाजार नेतृत्व गुणवत्ता के साथ एक विख्यात अवसंरचना कम्पनी के रूप में स्थापित होने में सहायता की है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यही विशिष्टताएं आगे भी इसी प्रकार इरकॉन के उद्यीमान भविष्य के निर्माण में सहायक होंगी।







# विश्वसनीय बाजार शक्ति

**हमारी उद्योग उत्कृष्टता की छवि हमारी विश्वसनीय निष्पादन क्षमताओं एवं परियोजनाओं की समय पर डिलीवरी में प्रतिबिंबित होती है।**

हमारी व्यावसायिक ताकत के लिए कई कारकों को श्रेय दिया जा सकता है। इरकॉन के पास समय पर उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को निष्पादित करने का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे कार्यबल के पास निष्पादन क्षमताएं और विशेषज्ञता, हमारी निरंतर सफलता के पीछे एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है।

वर्ष दर वर्ष, हम लगातार प्रचालनिक लाभ और विदेशी मुद्रा प्रवाह के स्तर को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। हमारा उद्योग नेतृत्व, हमारे प्रचालनिक इतिहास, उद्योग ज्ञान और सिविल और अन्य अवसंरचना निर्माण परियोजनाओं की हमारी गहन समझ में परिलक्षित होता है। हमारी विशिष्टता का प्रदर्शन, विवेकपूर्ण रूप से तैयार की गई संविदा प्रबंधन प्रणाली के साथ संयुक्त रूप से हमारे भौगोलिक और क्षेत्रीय विविधीकरण के माध्यम से किया जाता है।

हमारे व्यवसाय का लचीलापन, भी हमारे रणनीतिक रूप से विविध प्रचालन का परिणाम है, जो हमें किसी विशेष उद्योग से जुड़े जोखिमों को सीमित करने में मदद करता है। हम मानते हैं कि निर्माण क्षेत्र में लंबे समय की उपस्थिति के साथ हमारी वित्तीय सुदृढता और प्रचालनिक दक्षता हमें अवसंरचना के क्षेत्र में अग्रणी बनाती है।

औचित्यपरक रूप से सशक्त हमारे तुलन पत्र तथा अवसंरचना क्षेत्र में निविदाओं की बिडिंग एवं प्राप्ति के प्रति हमारी अग्रसक्रियता ने हमें बाजार में भिन्न स्थान प्रदान किया है। परियोजनाओं को प्राप्त करने, निष्पादित करने और समय पर डिलीवरी करने का हमारा ट्रैक रिकार्ड सकारात्मक है, जिससे भविष्य में हमें उल्लेखनीय परियोजनाओं को अर्जित करने के लिए प्रतिष्ठा और साख प्राप्त हुई है। विवेकपूर्ण लागत मूल्यांकन के साथ हमारे तुलन पत्र का बल हमें बड़ी परियोजनाओं की बोली लगाने और अनुबंध प्राप्त करने में सहायता मिलती है। समय पर और गुणवत्ता परियोजना के पूरा होने के हमारे सिद्ध संकेत ने हमें एक मजबूत प्रतिष्ठा विकसित करने और प्रीमियम निविदाओं को प्राप्त करने के हमारे अवसरों को बढ़ाने में मदद की है।

वर्षों से निष्पादित अपने परिचालनों से हमने अच्छी तरह से परीक्षण किए गए सिस्टम और नियंत्रणों को स्थापित किया है जिसमें मजबूत अनुबंध प्रबंधन, कुशल परियोजना प्रबंधन, डिजाइन नवोपाय और उन्नत प्रौद्योगिकी शामिल है। ये सिस्टम हमारी कंपनी के लिए अद्वितीय विक्रय बिंदुओं के रूप में कार्य कर रहे है। हम मानते हैं कि ऑर्डर बुक परियोजनाओं के सफल निष्पादन के फलस्वरूप बढ़ी है, और इसने हमें सफलतापूर्वक नए अनुबंधों की बोली लगाने और प्राप्त की क्षमता दी है। हमारे ऑर्डर बुक में वृद्धि, परिवहन, इंजीनियरिंग और भवन निर्माण में हमारी विविध व्यावसायिक गतिविधियों के साथ–साथ एक विशेष उद्योग से जुड़े जोखिमों को परिभाषित करती है, साथ ही साथ विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में परिचालन की सहक्रियाओं से लाभ उठाने में हमारी मदद करती है। इसके अतिरिक्त, समय–सीमा की माँगों के भीतर परियोजनाओं को वितरित करने की हमारी क्षमता ने हमें लागतों को कम करने में सक्षम बनाया है।

आगे बढ़ने के साथ साथ हमारा प्रमुख ध्यान अपने सभी ग्राहकों के लिए सबसे पसंदीदा अवसंरचना कंपनी के रूप में बने रहना है। हम एक निर्धारित समय सीमा में सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विश्व स्तरीय परियोजनाओं को वितरित करने का प्रयास करते हैं। हम मानते हैं कि हमारी वित्तीय ताकत और परिचालन क्षमता ने हमें बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणी बनाया है।



# पूर्ण अर्हता प्राप्त एवं अनुभवी मानव पूंजी

**हमारी आधारभूत प्राथमिकता हमारी टीम है, जो हमारी सफलता एवं हमारे वृहद ग्राहक आधार की आवश्यकताओं की पूर्ति की हमारी दक्षता है।**

एक कंपनी जो अपने कार्यबल को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में पहचानती है, के रूप में हम अपने कर्मचारियों के विकास और कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। इरकॉन में, हम उस महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हैं जो हमारे कर्मचारी संगठन की सफलता में निभाते हैं। हमारे प्रयास अक्सर एक ऐसा कार्यस्थल बनाने पर केंद्रित होते हैं जो निरंतर विकास पहल के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाता है। इसके शीर्ष पर, हम नियमित रूप से निगरानी करते हैं और अपने कार्यबल के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करते हैं।

हमारा विकास भी हमारी प्रबंधन टीम द्वारा संचालित है जिसकी विशेषज्ञता ने हमें अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। कंपनी की सफलता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने हमें एक बाजार अग्रणी बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हमें एक प्रतिबद्ध कार्यबल वाले संगठनों में से एक होने पर गर्व है, जो सबसे चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिदृश्य में भी समय पर परियोजनाओं को निष्पादित करने में कुशल है। हमारे कर्मचारियों के विविध और उल्लेखनीय कौशल गुणों के कारण हमें अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं और हमारे द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं। हम अपने लोगों पर आधुनिक निर्माण उपकरण संचालित करने, अपनी जटिल परियोजनाओं पर विभिन्न कार्यों को पूरा करने और अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण निष्पादन प्रदान करने के लिए भरोसा करते हैं और वह भी प्रायः कठिन समय–सीमा के भीतर।

हम नियमित रूप से ऑन–जॉब कौशल विकास कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कार्यबल को सुदृढ करने में लगातार प्रयासरत रहते हैं। हमारी नियमित कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के अतिरिक्त,

**"इरकॉन में हम कर्मचारियों द्वारा संगठन की सफलता के लिए निभाई गई भूमिका की सराहना करते है। हमारा यह मानना है कि कोई कम्पनी तभी सुदृढ़ हो सकती है जब उसके लोग भी सुदृढ़ हों। तदनुसार हम कर्मचारियों के विकास एवं उनकी समृद्धि के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं।**

हमने शैक्षिक छात्रवृत्ति, व्यावसायिक डिग्री में प्रवेश के लिए एकमुश्त शैक्षिक अनुदान, डिप्लोमा पाठ्यक्रम और शैक्षिक पुरस्कार जैसी विभिन्न योजनाएं भी आरंभ की हैं।

कई वर्षों से, हमने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक संरक्षित कार्यस्थल बनाने के महत्व को पहचाना है। उन्हें एक अनुकूल और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। यह सुनिश्चित करने के लिए, हमारे पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति विद्यमान है।

जैसे–जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा लक्ष्य कार्मिकों के विकास पर निरंतर ध्यान केंद्रित करके अपनी मानव पूंजी को मजबूत करना होता है। हम कर्मचारियों द्वारा संगठन को छोड़ने की अपेक्षाकृत कम दर को बनाए रखना चाहते हैं और अपने विस्तार को और प्रोत्साहित करने के लिए अपने कुशल कर्मचारियों को बनाए रखना चाहते हैं। हम गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यक्रमों के साथ सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सहित उनमें लगातार निवेश करके इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं।





# प्रेरणाप्रद विकास रणनीतियां – भावी परिदृष्य

**हमारी विवेकपूर्ण विकास नीतियां हमारे निरंतर मजबूत निष्पादन की प्रेरक शक्ति है**

एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) होने के कारण, साल दर साल आगे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से हमारा उद्देश्य ऐसी विवेकपूर्ण रणनीति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है, जो हमें अस्थिर आर्थिक वातावरण में भी उत्कृष्ट निरंतर विकास रिकॉर्ड करने में मदद करती है।

हमने क्षेत्रीय और भौगोलिक कवरेज दोनों के संदर्भ में एक विविध अवसंरचनात्मक कंपनी बनने पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित किया है। हमने बीओटी, डीबीएफओटी, ईपीसी और एचएएम परियोजनाओं के पोर्टफोलियो के साथ परिवहन इंजीनियरिंग, नागरिक व औद्योगिक निर्माण और अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में अपनी विशेषज्ञता का विस्तार किया है। इसके अतिरिक्त, हम सक्रिय रूप से संयुक्त उद्यमों और विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से सहयोग परियोजनाओं को विकसित करने के अवसरों की खोज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय बाजार में अपनी स्थापित उपस्थिति के साथ, हम आगे देश के भीतर बेरोजगारी के क्षेत्रों को कवर करने के प्रति प्रयासरत हैं। हमें विश्वास है कि इससे हमें भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के साथ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद मिलेगी और अवसंरचना के क्षेत्र में हमारी स्थिति और सुदृढ होगी।

परिवहन अवसंरचना क्षेत्र में उद्योग के अग्रणी कंपनियों में से एक के रूप में हमारी दीर्घकालिक प्रतिष्ठा को देखते हुए, रेलवे परियोजनाओं में सिद्ध विशेषज्ञता के साथ, हमारे व्यापार का एक बड़ा हिस्सा सीधे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई परियोजनाओं द्वारा संचालित होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने और बेहतर लाभ मार्जिन बनाने के लिए, हम अपनी विशेषज्ञता और वित्तीय स्थिति दोनों ही दृष्टियों सें बाजार में अपनी लाभप्रद स्थिति को भुनाने की

> **वर्ष प्रति वर्ष हमारे लक्ष्य दूरदर्शी रणनीतियों के प्रति केन्द्रित रहे हैं जिनसे हमें अस्थिर आर्थिक वातावरण में भी उत्कृष्ट विकास करने में सहायता प्राप्त हुई है।**

मंशा रखते हैं। हमें विश्वास है कि भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न अवसंरचनात्मक पहल, हमारे भविष्य के विकास को बढ़ावा देने में हमारी मदद करेगी। हम मानते हैं कि हम अपनी मजबूत तकनीकी क्षमताओं और सुदृढ वित्तीय स्थिति के कारण इन विधियों के तहत परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

हम जैसे–जैसे आगे बढ़ते हैं, हम विकास के नए क्षेत्रों के माध्यम से उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने की अपनी रणनीति बना रहे हैं। हम इन परियोजनाओं द्वारा पेश किए गए अच्छे लाभ मार्जिन को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में परियोजनाओं के साथ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। साथ ही, जब हम पोर्टफोलियो विविधीकरण के माध्यम से रेलवे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं, तो हमारा लक्ष्य विशिष्ट क्षेत्रों या परियोजनाओं में जोखिमों से सुरक्षित रहता है और विशेष औद्योगिक क्षेत्रों और सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में व्यावसायिक एकाग्रता के परिणामस्वरुप बाजार में बदलाव के प्रति कंपनी को संरक्षा प्राप्त होती है। अच्छी विशेषज्ञता और ठोस निष्पादन के साथ, हम अपने व्यवसाय में निरंतर वृद्धि देखने की उम्मीद करते हैं, जो कि हमारे द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि के साथ प्राप्त होगी।



# पर्यावरणीयता, सामाजिकता एवं सुशासन (ईएसजी) को सशक्त करना

**हमने विवेकपूर्ण रूप से उद्देश्यपरक संस्कृति का निर्माण किया है जो हमारी ईएसजी पहलों को प्रेरित करने के लिए हमारे विजन के अनुरूप है।**

इरकॉन में, हमारा पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) फ्रेमवर्क, हमारे व्यावसायिक कार्यों में एकीकृत है। हमारे ईएसजी प्रयास हमारी नीतियों और सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं, जो यह नियंत्रित करते हैं कि हमारा संगठन कैसे कार्य करता है। जिम्मेदार व्यवसाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार करने में, हम एक मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन नीति और आचार संहिता को अपनाकर नैतिक व्यापार संचालन और सर्वोत्तम प्रथाओं के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं। ये नीतियां पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुपालन, प्रकटीकरण, नैतिक आचरण और सभी हितधारकों के हितों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी के मूलभूत सिद्धांतों द्वारा संचालित प्रणालियों के एक समूह की सिफारिश करती हैं। इसके अतिरिक्त, हमारी व्यापार नीति का लक्ष्य लगातार विकास हासिल करना है, जो टिकाऊ होने के साथ–साथ उत्तरदायी भी है। जिम्मेदार व्यवसाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को साकार करने में, हम एक मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन नीति और आचार संहिता को अपनाकर नैतिक व्यापार संचालन और सर्वोत्तम प्रथाओं के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं। ये नीतियां पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुपालन, प्रकटीकरण, नैतिक आचरण और सभी हितधारकों के हितों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी के मूलभूत सिद्धांतों द्वारा संचालित प्रणालियों के एक सेट की सिफारिश करती हैं।

हम उन समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का लगातार प्रयास करते हैं, जहां हम प्रचालन करते हैं। हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में विवेकपूर्ण रूप से पहल की है। अपने प्रयासों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए, हम कई गैर–लाभकारी संगठनों के साथ सहयोग करते हैं जो हमारे साथ सामाजिक लाभ का एक पारस्परिक लक्ष्य साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे पास एक मजबूत और विश्वसनीय सीएसआर और संधारणीय समिति है, जो विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से समुदायों के साथ नियमित रूप से जुड़ते हुए सक्रिय रूप से आवश्यक गतिविधियों को तैयार करती है।







## इरकॉन में संधारणीय विकास

संधारणीय विकास के पीछे हमारी नीति संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप हैं!

### हमारे संधारणीय विकास को संयुक्त राष्ट्र एसडीजी के साथ संयोजित करना

**लक्ष्यः** 2030 तक गरीबी को उसके सभी रूपों और आयामों में समाप्त करना है।

**लक्ष्यः** भूख को मिटाना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और स्थायी कृषि को बढ़ावा देना है।

**लक्ष्यः** सभी आयु समूहों में स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए स्वस्थता का संवर्धन करना है।

**लक्ष्यः** समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है।

**लक्ष्यः** लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है।

**लक्ष्यः** सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और इनका सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

**लक्ष्यः** सभी के लिए सतत, समावेशी और निरंतर आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और अच्छे काम को बढ़ावा देना है।

**लक्ष्यः** लचीले अवसंरचना का निर्माण करना है, जो दुनियाभर में संधारणीय सृजनात्मकता को संवर्धित करना है।

**लक्ष्यः** शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना है।

**लक्ष्यः** स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापन करना और उन्हें बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, वनों का सतत प्रबंधन करने, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने, रिवर्स बायोडिग्रेडेशन सुनिश्चित करने और जैव विविधता के नुकसान को रोकने का प्रयास करना है।



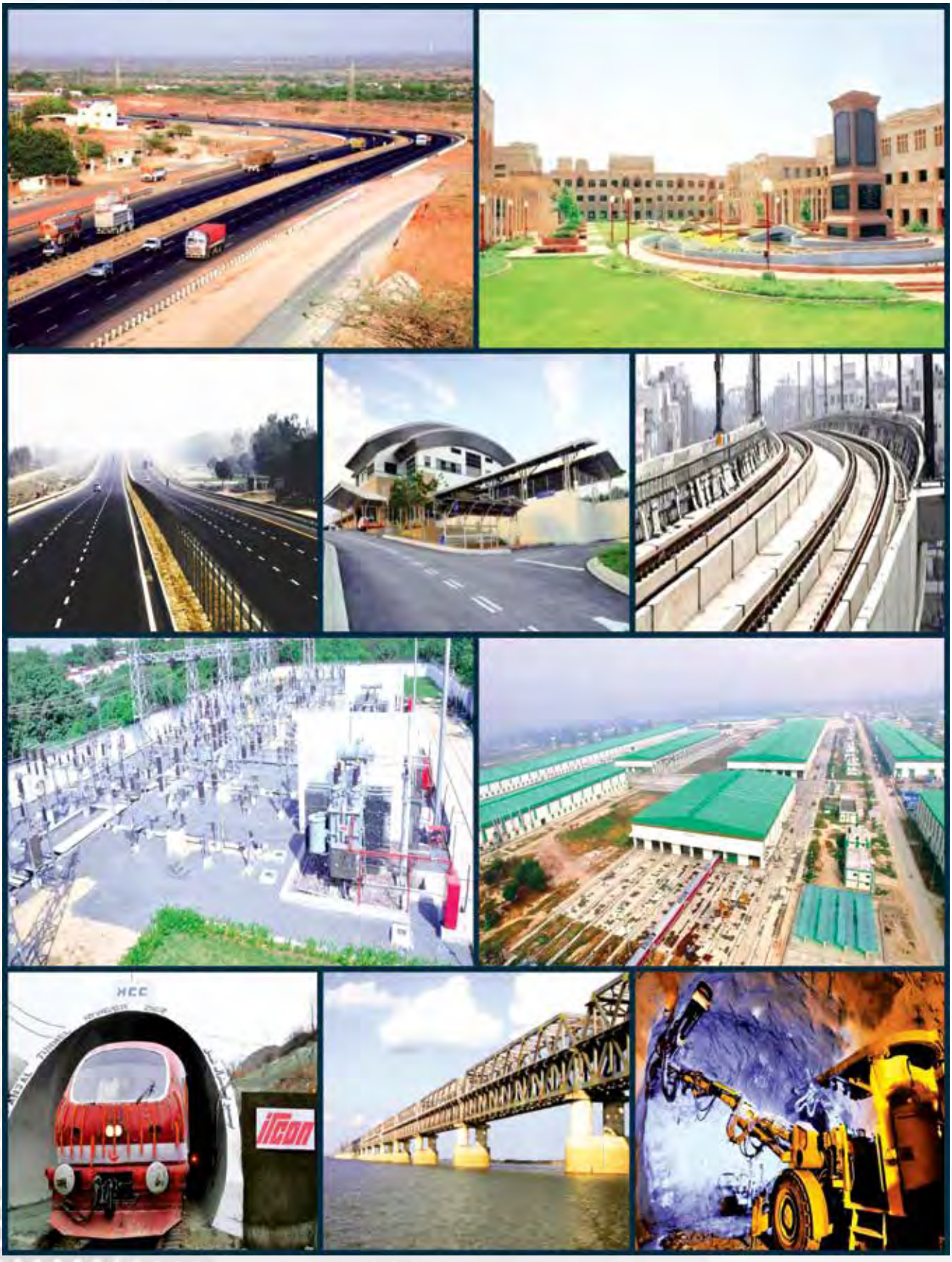




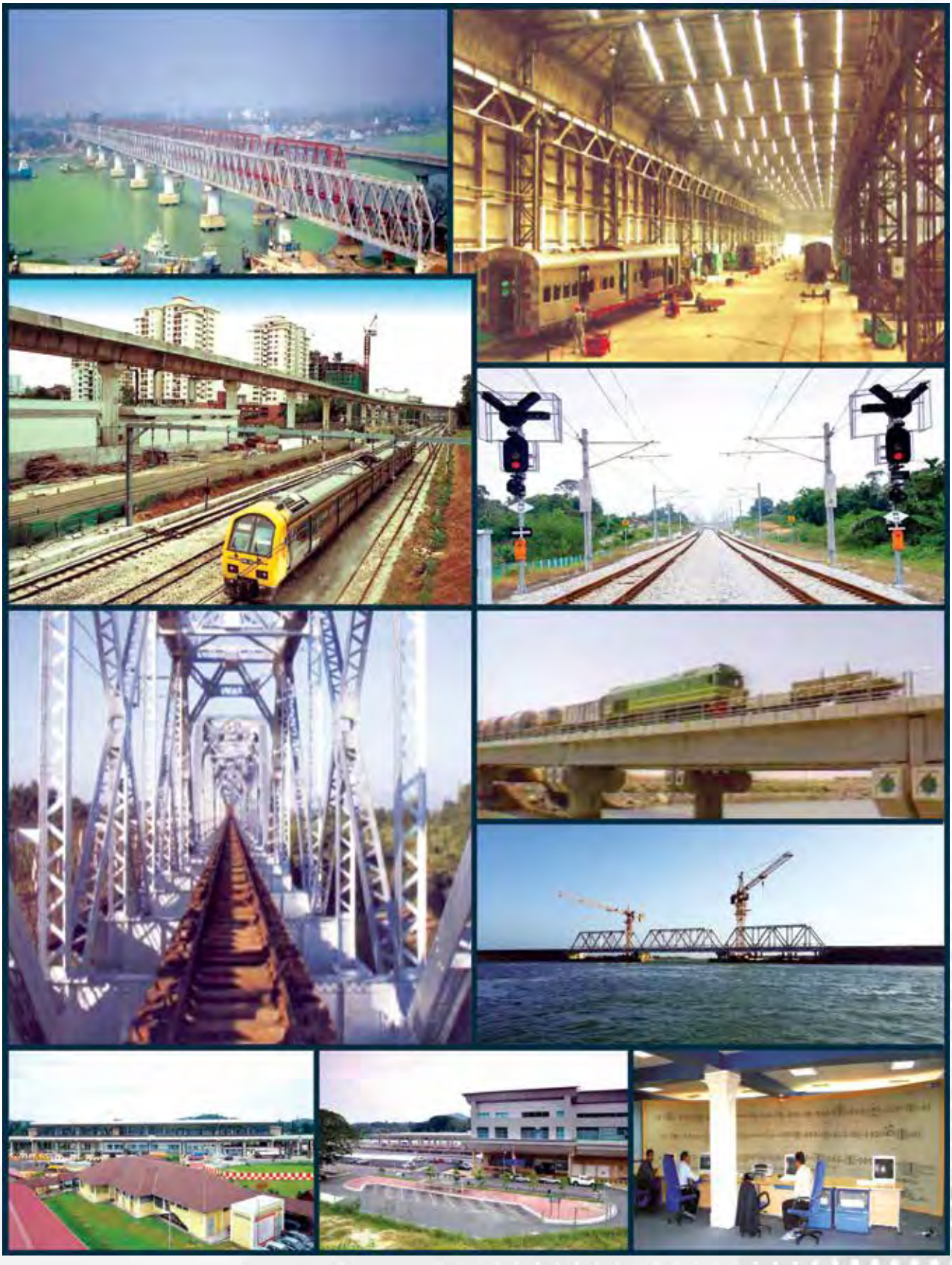




# भारतीय परियोजनाएं



# विदेशी परियोजनाएं



# प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण



# प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र, जो भारत के समग्र विकास को संवर्धन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है और देश में विश्व स्तर की अवसंरचना के समयबद्ध निर्माण को सुनिश्चित करने वाली नीतियों को आरंभ करने हेतु सरकार का गहन ध्यान आकर्षित करता है।

## वैश्विक आर्थिक अवलोकन

कोविड–19 महामारी के दौरान पिछले एक वर्ष से अधिक समय से वैश्विक संभावनाएं अत्यधिक अनिश्चित बनी हुई हैं। हालाँकि, यह आशंका की जा रही थी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड–19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित होगी, किन्तु वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में 2020 (विश्व बैंक वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, जून, 2021) में 3.5 प्रतिशत संकुचन के पश्चात भी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण गति प्राप्त हुई है। महामारी के कारण भारी संख्या में मौतों हुईं है और लोग बीमार हुए हैं, लाखों लोगों को गरीबी की ओर चले गए हैं, और यह स्थिति लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों और आय को प्रभावित कर सकती है। निकटवर्ती नीतिगत शीर्ष प्राथमिकताओं में कोविड–19 के प्रसार को नियंत्रित करना और तेजी से और व्यापक रूप से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। आर्थिक सुधार को सहयोग प्रदान करने के लिए, प्राधिकरणों को स्थायी विकास के उद्देश्य से एक पुनःनिवेश चक्र की सुविधा प्रदान करने की भी आवश्यकता है जो सरकारी ऋण पर कम निर्भर है।

आर्थिक सुधार देशों और क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न गति से हो रहे हैं, जो महामारी–प्रभावित बाधाओं में भिन्नता और नीति समर्थन की सीमा को दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) (अप्रैल 2021) के अनुसार, 2021 में वैश्विक विकास दर 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2022 में 4.4 प्रतिशत हो जाएगी। डब्ल्यूईओ द्वारा अक्टूबर 2020 प्रस्तुत अक्तूबर 2020 में किए गए पूर्वानुमानों की तुलना में वर्ष 2021 तथा 2022 के पूर्वानुमान अधिक सुदृढ हैं। ऊपर की ओर संशोधन कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अतिरिक्त राजकोषीय समर्थन, 2021 की दूसरी छमाही में प्रत्याशित वैक्सीन–संचालित पुनर्प्राप्ति और मंद गतिशीलता के लिए आर्थिक गतिविधि के निरंतर अनुकूलन को दर्शाता है। हालांकि, महामारी के क्रम के कारण वैक्सीन–संचालित सामान्यीकरण के लिए एक मार्ग प्रदान करने के लिए नीति समर्थन की प्रभावशीलता और वित्तीय स्थितियों के विकास के कारण इस दृष्टिकोण के संबंधम में व्यापक स्तर पर अनिश्चितता है।

## भारतीय अर्थव्यवस्था

देशभर में फैले अत्यधिक संक्रामक कोरोना वायरस (कोविड–19) के साथ वर्ष 2020–21 में एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट से भारतीय

**मार्च 2021 को भारत की विदेशी विनिमय आरक्षित निधि**

$ 576.98 बिलियन अमरीकी डालर

**इरकॉन सार्वजनिक क्षेत्र का एक एकीकृत उपक्रम है जो विश्व में विविध क्षेत्रों मे सेवाएं प्रदान कर रहा है।**

अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई थी। महामारी के प्रत्युत्तर में, सरकार ने अनेक सक्रिय निवारक और शामक उपाय किए हैं जिनमें आरंभिक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय यात्रा के गतिशील रूप से नियंत्रत करना, जनसाधारण के लिए सलाह जारी करने, संगरोध सुविधाओं की स्थापना, वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क का पता लगाने और विभिन्न सामाजिक दूरी के साथ शुरू होने वाले कई सक्रिय निवारक और शमन उपाय किए हैं। सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत 25 मार्च, 2020 से देश में स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना में सुधार करते हुए कोविड–19 के प्रसार को रोकने हेतु 21 दिनों का देशव्यापी तालाबंदी लागू किया जिसे आद में बढाया जा सके और और उसमे कुछ छूट दी जा सके। भारत में कोविड–19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन उपायों, ने सार्वभौमिक रूप से रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, विनिर्माण और सेवाओं क्षेत्र की गतिविधियाँ को प्रभावित किया है। चरणबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने से अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर वापस आने में मदद मिली है। भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, व्यवसायों की चिंताओं को दूर करने और आजीविका को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न सुधार उपायों पर आश्रित है।

जबकि लॉकडाउन के परिणामस्वरूप प्रथम तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 23.9 प्रतिशत की कमी आई है, इसकी वापसी V–आकार की रही है, जैसा कि दूसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत की गिरावट और सभी प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सुधार के रूप में देखा गया है। इसके साथ, देश की अर्थव्यवस्था पहली बार तकनीकी मंदी के दौर में गई है – जब इसकी जीडीपी वृद्धि नकारात्मक हो गई या लगातार दो तिमाहियों या उससे अधिक के लिए गिरावट बनी रही। कोविड–19 महामारी ने मांग और आपूर्ति दोनों को प्रभावित किया है। भारत ने मध्यम से लंबी अवधि में आपूर्ति का विस्तार करने और उत्पादक क्षमताओं को दीर्घकालिक हानि से बचने के लिए कई संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की है।

मई, 2020 में, भारत ने 'आत्मनिर्भर भारत' या 'सेल्फरिलायंट भारत' योजना के तहत 20.97 लाख करोड़ रूपए (26.6 बिलियन अमरीकी डॉलर) के बड़े आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण किया गया। पूरे पैकेज को छह खंडों में वर्गीकृत किया गया है और जिससे अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ने की आशा है। फरवरी, 2021 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अद्यतन किया कि टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति और भारत सरकार द्वारा की गई अन्य

पहलों के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अच्छी संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। हालांकि, संक्रमणों की दूसरी लहर ने इस दृष्टिकोण को अधिक अनिश्चितता प्रदान की है और इसका गहन अवलोकन करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से स्थानीय और क्षेत्रीय लॉकडाउन के कारण हाल ही में मांग की स्थिति में हुए सुधार को कम कर सकते हैं और सामान्य स्थिति की वापसी में देरी कर सकते हैं।

विश्व आर्थिक आउटलुक (अप्रैल 2021) में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि, आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2021 में 9.5 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में 8.5 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। .

सीमाबद्ध मुद्रास्फीति सदैव दर में कटौती की गुंजाइश प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2021 में, आरबीआई ने सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर जैसे तरलता की स्थिति को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं और बैंक दर घटकर 4 प्रतिशत हो गई है और रिवर्स रेपो दर घटकर 3.35 प्रतिशत हो गई है जो कि जून 2021 में बनी हुई है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिनांक 31 मार्च, 2021 को बढ़कर 576.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो मार्च 2020 तक 477.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (एफसीए), समग्र भंडार का एक प्रमुख घटक है, जो मार्च 2021 तक 442.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 536.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के अनुसार, मौद्रिक नीति का ध्यान वायरस के प्रसार के साथ–साथ आर्थिक पुनरुद्धार पर भी है – अब तक प्राप्त लाभ को सुदृढ करना और नए वित्तीय वर्ष (2021–22) में विकास के स्तरों को बनाए रखना है। इस रणनीति का एक प्रमुख पहलू मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता के आधार को मजबूत करना होगा, जिसने भारत को महामारी से पुनर्जीवित किया है। इससे हितधारकों को लंबी अवधि में कुशल खर्च निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे निवेश के माहौल में सुधार होगा। प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश, पूंजी स्टॉक और उत्पादकता को सीधे बढ़ाकर और निजी निवेश को आकर्षित करके व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की ऐतिहासिक रूप से सिद्ध क्षमता के साथ एक बल गुणक है। वर्ष 2021–22 के केंद्रीय बजट का मुख्य ध्यान पूंजीगत व्यय के लिए बढ़े हुए आवंटन के साथ निवेश आधारित उपायों को विस्तारित उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और बढ़ती क्षमता उपयोग (2020–21 की दूसरी तिमाही में 66.3 प्रतिशत से 20–21 की तीसरी तिमाही में 66.6 प्रतिशत) आर्थिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया को सुदृढ़ करेगा। इसके अतिरिक्त, मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए सर्वेक्षण में विनिर्माण, सेवा और अवसंरचनात्मक क्षेत्र में लगी फर्में वित्त वर्ष 2021–22 में व्यावसायिक गतिविधि की मांग और विस्तार के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं।

वित्त वर्ष 2021 में, कोविड–19 का अर्थव्यवस्था पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। सभी नकारात्मकता और अराजकता के बीच, भारत में सुदृढ जीएसटी संग्रह, कृषि उत्पादन में वृद्धि, अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश, संधारणीय आर्थिक नीतियों, आदि के माध्यम से एक आशा की किरण देखी जा रही है।

## उद्योग परिदृश्य

अवसंरचना क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण विकास इंजन बनने की संभावनाएं है। यह उद्योग भारत के समग्र विकास में सहायक है और नीतियों को लागू करने के लिए एक मजबूत नीतिगत प्रभाव डाल रहा है जो देश की विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण समय पर करना सुनिश्चित करेगा। इस क्षेत्र में बिजली, पुल, बांध, सड़क, रेलवे, सुरंग और शहरी अवसंरचना विकास शामिल हैं। अवसंरचना विकास के क्षेत्र में 2025 तक यूएस डालर 5 ट्रिलियन (367. 52 लाख करोड़ रूपए लगभग) के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावनाएं है जो इसकी लक्ष्य प्राप्ति की आशा का एक महत्वपूर्ण कारक है। नए अवसंरचना का निर्माण करना और मौजूदा संरचनाओं को उन्नत करना भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया 'कार्यक्रम की सफलता में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, अवसंरचना क्षेत्र श्रम–गहनता का क्षेत्र है और अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय सृजन में सुधार करने में मदद करता है, जो घरेलू मांग को और अधिक प्रबल करता है।

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि देश के लगभग सभी क्षेत्रों में फैले कोविड–19 महामारी के शुरुआती झटके, अविश्वास और निराशा ने धीरे–धीरे इस धारणा का मार्ग प्रशस्त किया है कि हालांकि संकट को समाप्त करने के लिए कोई त्वरित समाधान नहीं है और हमें इसके साथ रहना होगा और यह स्थिति आरंभ में जितना सोचा गया था उससे अधिक महीनों के लिए बनी हुई है। हम अभी भी आगे बढ़ सकते हैं और गतिविधियों की व्यवस्था के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं, वह व्यवस्था जो संकट से पहले मौजूद गतिविधियों से पूरी तरह अलग नहीं हैं। अवसंरचनात्मक क्षेत्र वैश्विक महामारी कोविड–19 से प्रभावित हुआ है। परियोजना स्थलों पर श्रमिकों की कमी के कारण देश भर में निर्माण गतिविधियां बाधित हुई हैं, जिससे पहले से ही तरलता संकट, बढ़ती परियोजना लागत और घटती मांगों जैसे कई मुद्दों से जूझ रही कंपनियों के लिए खराब स्थिति और बदत्तर हो गई है। अवसंरचनात्मक क्षेत्र को प्रचालन शुरू करने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन उद्योग को अन्य सभी चुनौतियों से निपटने की भी आवश्यकता है।

चीन से आपूर्ति लाइनों को स्थानांतरित करने के लिए वैश्विक पहल, सरकारी घरेलू योजनाओं की एक व्यवस्था, एक बड़े पूंजीगत बाजार की उपस्थिति और कोविड–19 प्रतिबंधों के कारण एकत्रित भारी मांग जैसे कारकों का संयोजन, भारत के निर्माण उद्योग को 2021–22 में एक मजबूत वसूली करने के लिए प्रेरित करेगा। देश में भवनों के निर्माण

**भारतीय रेल का नेटवर्क**
1,23,236 कि.मी.

# प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने निर्माण परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने हेतु एकल खिड़की मंजूरी सुविधा को लागू करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का समर्थन करने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के माध्यम से जीविका हासिल करने लेनदेन लागत को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों को लागू किया है। भारत सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। विशिष्ट उल्लेखनीय विकास शुरू किए गए हैं जैसे भारतमाला परियोजना, रेलवे पटरियों का विद्युतीकरण, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी), मेट्रो और हाई–स्पीड ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करना, सागरमाला परियोजना, सड़कों और राजमार्गों का निर्माण और अन्य योजनाएं इनमें शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2021–22 का बजट भौतिक, वित्तीय पूंजी और अवसंरचना सहित 6 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिनमें स्वास्थ्य और देखरेख, महत्वाकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को पुनः जीवंत करना, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन शामिल हैं।

केंद्रीय बजट 2021 में, सरकार ने परिवहन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 233,082 करोड़ (31.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित करके

**नई अवसंरचना का निर्माण व मौजूदा संरचना के स्तरोन्नयन, भारतीय प्रतिस्पर्धात्मकता को प्राप्त करने का माध्यम है तथा यह 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।**

अवसंरचना क्षेत्र को व्यापक बल प्रदान किया है। सरकार ने 'नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी)' का विस्तार 7,400 परियोजनाओं तक किया। वर्ष 2020 तक 1.10 लाख करोड करोड रूपए (14.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की 217 परियोजनाएं पूरी की गईं हैं। बजट 2021–22 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:




दिनांक 31 मार्च 2020 को प्रयुक्त परिवर्तन दर है 1 रूपए = 0.013605 अमरीकी डॉलर, 1 अमरीकी डॉलर = 73.5047 रूपए



- भारतीय रेलवे को 1,10,055 करोड़ रूपए (14.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर) प्राप्त हुए, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रूपए (14.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पूंजीगत व्यय के लिए हैं।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र के लिए 1,18,101 करोड़ रुपये (15.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किए गए हैं।
- एक नई केंद्र प्रायोजित योजना प्रधान मंत्री आत्मानिर्भर स्वस्थ भारत योजना (पीएमएनएसवाई) को विभिन्न योजनाओं के लिए 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रूपए (8.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का परिव्यय प्राप्त हुए हैं, जैसे कि 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' को मजबूत करना ताकि नई और उभरती बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए माध्यमिक और तृतीयक देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और संस्थानय ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए सभी जिलों आदि में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा सके, आदि।
- सरकार ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए 18,998 करोड रूपए (2.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की घोषणा की।
- कपड़ा क्षेत्र में विश्व स्तरीय अवसंरचना स्थापित करने और तीन वर्षों में सात टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क (एमआईटीपी) योजना शुरू की गई थी।

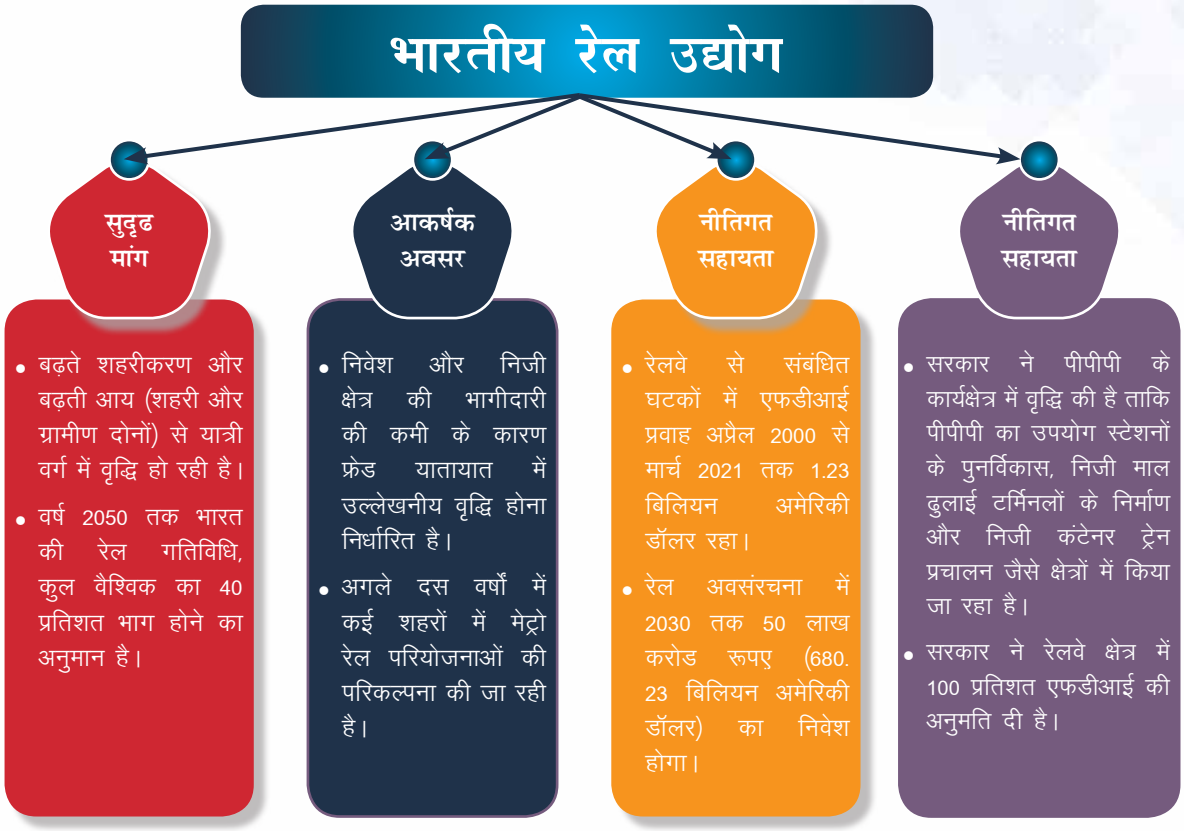
## रेलवे सेक्टर

भारतीय रेलवे 1,23,236 किलोमीटर तक फैले नेटवर्क के साथ दुनिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली में से एक है, जिसमें 13,452 यात्री गाडियां और 7,349 स्टेशनों से सेवाएं प्रदान करने वाली 9,141 मालवाहक गाडियां हैं, जो 23 मिलियन यात्रियों और 3 मिलियन टन प्रति दिन माल ढुलाई करती हैं। ये कनेक्टिविटी, गतिशीलता, और वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्भर रही है।

भारतीय रेल बाजार का आकार सीधे रेल मंत्रालय के बजट से निर्धारित होता है। यह दो श्रेणियों के अंतर्गत आता है – नई लाइनें, दोहरीकरण, गेज रूपांतरण, ट्रैक नवीनीकरण, सिग्नलिंग सुधार, रेलवे विद्युतीकरण और अन्य सहित नया रोलिंग स्टॉक खरीदने के लिए पूंजीगत व्यय

भारतीय रेल बाजार का आकार सीधे रेल मंत्रालय के बजट से निर्धारित होता है। यह दो श्रेणियों के अंतर्गत आता है – नई लाइनों की स्थापना, दोहरीकरण, आमान परिवर्तन, रेलपथ नवीनीकरण, सिग्नलिंग सुधार, रेलवे विद्युतीकरण और नया रोलिंग स्टॉक खरीदने के लिए पूंजीगत व्यय और अन्य। भारत सरकार ने निवेशक अनुकूल नीतियां बनाकर रेलवे के अवसंरचना में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया है। रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को सक्षम करने के लिए माल और उच्च गति वाली ट्रेनों के अवसंरचना में सुधार के लिए तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में, कई घरेलू और विदेशी कंपनियां भी भारतीय रेल परियोजनाओं में निवेश करना चाहती हैं। भारतीय रेलवे ने बाधाओं को दूर करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। कुछ उपायों में पुलों का पुनर्निर्माण, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण / सुदृढ़ीकरण, यार्ड री–मॉडलिंग, दोहरीकरण और विद्युतीकरण आदि शामिल हैं।

केंद्र सरकार, रेलवे को अपने नेटवर्क का विस्तार करने और पूंजीगत व्यय में निवेश करने में सहयोग प्रदान करती है। केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2021–22 के लिए भारतीय रेलवे के लिए 2.15 लाख करोड़ रूपए की उच्चतम पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) योजना आवंटित की है, जोकि वर्ष 2020–21 के लिए 161,042 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय योजना की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक है। यह राशि नई लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण, ट्रिपलिंग और विद्युतीकरण, मौजूदा सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली के ओवरहालिंग, स्टेशन पुनर्विकास और आधुनिक रोलिंग स्टॉक की शुरूआत सहित रेलवे की प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर खर्च होने जा रही है। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के अनुरूप चलते हुए, केंद्रीय बजट 2021–22 में रेलवे के अवसंरचनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है– जिसमें नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के प्रस्ताव शामिल हैं। बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं, जिसमें से 1,07,100




करोड़ रूपए पूंजीगत व्यय के लिए होंगे।

वित्त वर्ष 2021–22 के बजट में रेलवे से संबंधित प्रमुख घोषणाओं और प्रस्तावों में शामिल हैं:

- पश्चिमी डीएफसी और पूर्वी डीएफसी को जून, 2022 तक चालू किया जाएगा। भविष्य में समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाएं अर्थात् खड़गपुर से विजयवाड़ा तक ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, भुसावल से खड़गपुर से दानकुनी तक ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर और इटारसी से विजयवाड़ा तक नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर को लिया जाएगा।
- सोननगर – पूर्वी डीएफसी के गोमोह खंड (263.7 किमी) को वित्त वर्ष 2021–22 में सार्वजनिक–निजी भागीदारी मोड में पूरा किया जाएगा। 274.3 किमी के गोमोह से दानकुनी खंड के कार्य को शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा
- दिसंबर 2023 तक ब्रॉड–गेज मार्गों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा हो जाएगा। वर्ष 2021 में भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण कें 46,000 रूट किलोमीटर (किमी) या 72 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 1 अक्टूबर, 2020 को 41,548 आरकेएम से ऊपर है।
- सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के लिए, भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क मार्गों को स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली प्रदान की जाएगी जो मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेन की टक्कर की संभावना को को समाप्त करती है।

वर्तमान में, भारतीय रेलवे ने 49,069 किलोमीटर (किमी) लंबाई की 498 रेलवे परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनकी लागत 6.75 लाख करोड़ रूपए है, जो योजना, अनुमोदन और निष्पादन के विभिन्न चरणों पर हैं। इसमें से 58 को अत्यंत महत्वपूर्ण और 68 को महत्वपूर्ण परियोजनाएं माना जाता है। इसके अलावा, यात्रियों की वहन क्षमता बढ़ाने और माल ढुलाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए, 247 दोहरीकरण, 189 नई लाइनें, 522 यातायात सुविधाएं और 55–गेज परिवर्तन कार्यों को मंजूरी दी गई है।

## रेलवे विद्युतीकरण पर सरकार की पहल:

बेहतर और प्रदूषण मुक्त भविष्य के लिए रेलवे लगातार विद्युतीकरण बढ़ा रहा है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक स्वयं को 'हरित रेलवे' में परिवर्तित करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें विद्युतीकरण, इंजनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार, कोचों में जैव–शौचालय लगाना और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपनाना शामिल है। भारतीय रेलवे अगले साढ़े तीन वर्षों में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की ओर अग्रसर होगा। भारतीय रेलवे ने 40,000 आरकेएम (जो कि कुल ब्रॉड–गेज मार्गों का 63 प्रतिशत है) से अधिक का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिसमें 2014–20 के दौरान 18,605 किमी विद्युतीकरण कार्य किये गए हैं। भारतीय रेलवे द्वारा 2020–21 के लिए 7,000 आरकेएम के विद्युतीकरण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था।

भारतीय रेलवे वर्ष 2023 तक अपने पूरे ब्रॉड–गेज नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। एक बार लक्ष्य हासिल करने के बाद, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर

को ईंधन बिल पर सालाना लगभग 14,500 करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिलेगी।

वर्तमान में, भारतीय रेलवे के कुल बीजी नेटवर्क का लगभग 71 प्रतिशत विद्युतीकरण किया गया है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 6015 रूट किलोमीटर पर रेलवे विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (फरवरी, 2021 तक) के दौरान 10,980 करोड़ रूपए की लागत से कुल 1095 किमी की नई लाइन/गेज परिवर्तन/दोहरीकरण परियोजनाओं को चालू किया गया है।

## भविष्य का मार्ग

भारतीय रेलवे नेटवर्क अच्छी दर से प्रगति कर रहा है। अगले पांच वर्षों में, भारतीय रेलवे बाजार तीसरा सबसे बड़ा होगा, जो वैश्विक बाजार का 10 प्रतिशत हिस्सा होगा। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2017 में 1.1 बिलियन टन से वर्ष 2030 तक अपने माल ढुलाई को 3.3 बिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे की 2024 में मौजूदा 1,200–1,300 मीट्रिक टन से 2,024 मीट्रिक टन (मीट्रिक टन) लोडिंग हासिल करने की योजना है। यह अनुमान है कि समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से माल ढुलाई वर्ष 2016–17 में 140 मीट्रिक टन से वित्त वर्ष 2021–22 में 5.4 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़कर 182 मीट्रिक टन हो जाएगी।

वर्ष 2030 के लिए राष्ट्रीय रेल योजना के भाग के रूप में, भारतीय रेलवे को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने की उम्मीद है ताकि लॉजेस्टिक लागत को कम किया जा सके और दिसंबर 2023 तक व्यापक रेल मार्गों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

## सड़क सेक्टर

भारत में विश्व का दूसरा सबसे विशाल सड़क नेटवर्क है जिसका विस्तार 5.89 मिलियन किलोमीटर में है। इस सड़क नेटवर्क से देश के 64.5 प्रतिशत माल का परिवहन किया जाता है, और भारत का कुल 90 प्रतिशत यात्री यातायात सड़क नेटवर्क का उपयोग करता है। देश के शहरों, कस्बों और गांवों के बीच बेहतर संपर्क के साथ, सड़क परिवहन धीरे–धीरे बढ़ा है।

वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2021 के बीच भारत में राजमार्ग निर्माण में 17.00 प्रतिशत सीएजीआर की वृद्धि हुई। महामारी और लॉकडाउन के बावजूद, भारत ने वित्त वर्ष 21 में 13,298 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया है, जो वित्त वर्ष 2020 में 10,237 किलोमीटर था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड–19 के चुनौतीपूर्ण वर्ष में, वित्त वर्ष 2021 के दौरान हर दिन लगभग 37 किमी (एक दिन में 36.4 किमी) राजमार्गों का निर्माण करके एक रिकॉर्ड बनाया है, जबकि वित्तवर्ष 2015 में राजमार्ग निर्माण एक दिन में 28 किमी और वित्त वर्ष 19 में 30 किमी प्रति दिन था।

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2019–25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत 111 लाख करोड़ रूपए (1.4 ट्रिलियन अमरीकी



डॉलर) का आवंटित किया है। वित्त वर्ष 2019–25 में सड़क क्षेत्र में 18 प्रतिशत पूंजीगत व्यय होने की संभावना है।

सड़क के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की सरकार की नीति अवसंरचना उद्योग के लिए वरदान साबित हुई है क्योंकि कई निजी पक्षों ने सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से व्यवसाय में प्रवेश किया है। भारत के वर्ष 2022 तक विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा निर्माण बाजार बनने की उम्मीद है।

## सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए सरकारी पहल

वित्त वर्ष 2021 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 के बजट अनुमान (बीई) में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के लिए पूंजी परिव्यय में 32 प्रतिशत की वृद्धि से राजमार्गों के निर्माण को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो पहले से ही पिछले कुछ साल से ऊपर की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

वित्त वर्ष 2022 के लिए राजस्व व्यय सहित कुल आवंटन 1,18,101 करोड़ रूपए है, जो वित्त वर्ष 21 में 1,01,823 करोड़ रूपए से अधिक है। वित्त वर्ष 22 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के लिए पूंजी आवंटन 1,08,230 करोड़ रूपए था जो कि वित्त वर्ष 2015 के 81,975 करोड़ रूपए के मुकाबले मंत्रालय के लिए सबसे अधिक है, और वित्त वर्ष 20 में, यह 68,373 करोड़ रूपए (वास्तविक) था। कुल आवंटन में से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 57,350 करोड रूपए का बजट परिव्यय आवंटित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2021 में 49,050 करोड रूपए (संशोधित अनुमान) से अधिक है। एनएचएआई को भी वित्त वर्ष 2022 में 65,000 करोड़ रूपए उधार लेने की अनुमति दी गई है, जो वित्त वर्ष 2021 के समान है।

सड़क क्षेत्र में हाल की कुछ सरकारी पहलें इस प्रकार हैं:

1. 3.3 लाख करोड़ रूपए की लागत से 13,000 किमी से अधिक लंबी सड़कों को पहले ही 5.35 लाख करोड़ रूपए की भारतमाला परियोजना के तहत प्रदान किया जा चुका है, जिसमें से 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है। मार्च 2022 तक, अन्य 8,500 किलोमीटर का काम सौंपा जाएगा और 11,000 किलोमीटर के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों को पूरा किया जाएगा।
2. सड़क अवसंरचना को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा बजट में और अधिक आर्थिक गलियारों की भी योजना बनाई जा रही है। इनमें से कुछ हैं:
   - क. तमिलनाडु राज्य में 1.03 लाख करोड़ रूपए के निवेश से 3,500 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें मदुरै–कोल्लम कॉरिडोर, चित्तूर–थैचूर कॉरिडोर शामिल है, जिसका निर्माण अगले साल शुरू होगा।
   - ख. केरल में मुंबई–कन्याकुमारी कॉरिडोर के 600 किमी सेक्शन सहित 65,000 करोड़ रूपए के निवेश से केरल राज्य में 1,100 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य कर रहा है।
   - ग. मौजूदा सड़क–कोलकाता–सिलीगुड़ी के उन्नयन सहित 25,000 करोड़ रूपए की लागत से पश्चिम बंगाल राज्य में 675 किमी राजमार्ग का कार्य।
   - घ. असम राज्य में वर्तमान में लगभग 19,000 करोड़ रूपए का राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। आगामी तीन वर्षों में राज्य में 1300 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को शामिल करते हुए 34,000 करोड़ रूपए से अधिक के कार्य किए जाएंगे।



# प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

सरकार ने सड़क क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है। इस क्षेत्र के विकास को भुनाने के लिए कई विदेशी कंपनियों ने भारतीय पक्षों के साथ साझेदारी की है। सरकार का लक्ष्य भारतमाला योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी), और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सड़क क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी निवेश को बढ़ावा देना है। सरकार, कई पहलों के माध्यम से, महत्वपूर्ण निवेशक हित को आकर्षित करने के लिए नीतियों पर काम कर रही है। वर्ष 2022 तक कुल 200,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरा होने की उम्मीद है।

## आउटलुक

विकास की प्रक्रिया में अवसंरचना सेक्टर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा भी अवसंरचना सेक्टर के प्रति अपनी रूचि व्यक्त की गई है। एनआईपी के अनुसार अवसंरचना विजन 2025 में ''प्रत्याशाओं की पूर्ति, विकास में तीव्रता एवं जीवन शैली को सुगम बनाने'' की ओर ध्यान दिया गया है। एनआईपी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–2025 के दौरान सड़क के लिए कुल 19.6 लाख करोड़ रूपए के निवेश की आवश्यकता आंकी गई है। इरकॉन इस अवसर को प्राप्त करने तथा इस सेक्टर का नेतृत्व करने के लिए तत्पर है। इसी प्रकार, रेलवे सेक्टर के लिए कुल अनुमानित निवेश 13.7 लाख करोड़ रूपए आंका गया है। विजन 2025 में विद्यमान रेल नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण करने तथा उच्च घनत्व वाले कारीडोरों के खंड में दोहरीकरण / ट्रिपलिंग के कार्य शामिल किए गए हैं।

## कंपनी का विहंगावलोकन

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन/कंपनी) एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है जिसकी विशेषज्ञता प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में है और इन क्षेत्रों में रेलवे, राजमार्ग, पुल, फ्लाइओवर, सुरंग, विमान अनुरक्षण हैंगर, रनवे, ईएचवी उपस्टेशन, विद्युत एवं यांत्रिक कार्य, वाणिज्यिक और अवसंरचनात्मक गतिविधियां शामिल हैं। इरकॉन विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए नियत टर्नकी आधार पर तथा मद दर आधार पर ईपीसी सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन दीर्घकालीन सम्पत्ति के निर्माण के लिए कंपनी की वित्तीय शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) आधार पर भी परियोजनाओं का निष्पादन करता है।

आपकी कंपनी की टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्रक निर्माण कम्पनियों में परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में एक निरंतर लंबी प्रतिष्ठा विद्यमान है। इरकॉन अपने कार्यनिष्पादन की दृष्टि से अपनी गुणवत्ता, प्रतिबद्धता और निरंतरता के लिए जानी जाती है।

आपकी कंपनी ने पिछले 45 वर्षों से देश और विदेश, दोनों में महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किया है। इसने क्षेत्र तथा भौगोलिक



# प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

कवरेज दोनों ही दृष्टिकोणों से विविध अवसंरचनात्मक प्रचालक बनने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया है। वर्ष 1976 में रेलवे निर्माण कम्पनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के पश्चात वर्ष 1985 से इसने उत्तरोतर निर्माण गतिविधियों तथा अवसंरचनात्मक सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम में विविधता प्राप्त की है। इसके बावजूद भी इसका मुख्य केन्द्र तथा शक्ति अभी भी रेल क्षेत्र से संबंधित है।

इरकॉन सार्वजनिक क्षेत्र की उन कुछ एक निर्माण कंपनियों में से एक है जिसने देश के लिए व्यापक स्तर पर विदेशी विनिमय अर्जित किया है और प्रत्येक वर्ष निरंतर लाभांश का भुगतान किया है।

इन वर्षों में कंपनी ने अल्जीरिया, अफगानिस्तान बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, इंडोनेशिया ईरान, इराक, लीबिया, मलेशिया, मोजांबिक, म्यामार, नेपाल, नाइजीरिया, साउदी अरब, श्रीलंका, तुर्की, यूके और जांबिया जैसे देशों सहित अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक अपने प्रचालन का विस्तार किया है। कंपनी ने विश्वभर में अब तक 25 से अधिक देशों में 128 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है तथा भारत में 395 परियोजनाएं पूरी की हैं। भारत में विशेष रूप से यह दुर्गम और अशांत क्षेत्रों में भी परियोनजाओं को निष्पादित कर रही है और राष्ट्र निर्माण की परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रही है।

हालांकि कम्पनी पहले ही भारत के अनेक राज्यों में परियोजनाएं निष्पादित कर चुकी है, यह अपने व्यवसाय विकास मॉडल के भाग के रूप में भारतवर्ष में अपने घरेलू प्रचालनों का विस्तार करना चाहती है।

## वैधानिक स्थिति तथा स्वायत्ता

इरकॉन, सरकार से एक पृथक वैधानिक निकाय है, जिसे वैधिक, कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है और एक स्वतंत्र वाणिज्यिक उद्यम के रूप में निगमित कानूनों के अंतर्गत प्रचालन कर रही है, सरकार से किसी प्रकार की बजटीय या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती है और न ही यह सरकार पर आश्रित एजेंसी है। बहरहाल, रेल मंत्रालय तथा भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार सभी सरकारी कंपनियों के संबंध में संसद के प्रति जवाबदेही के भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रणाली के माध्यम से इसकी मानीटरिंग करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के रूप में कंपनी की कार्यप्रणाली को विनियमित करने तथा कुछ समरूपता लाने के लिए सरकार दिशा–निर्देश जारी कर सकती है और जारी करती भी है। बहरहाल, सरकार के किसी भी विभाग को इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का पर्यवेक्षण का अधिकार या प्रभाव या नियंत्रण का प्रयोग करने की क्षमता नहीं है तथा यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसके निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशों के अंतर्गत प्रबंधित तथा प्रचालित की जाती है।

सितंबर 2019 में आरंभिक पब्लिक ऑफर द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी के 10.53 प्रतिशत के विनिवेश के बाद, इरकॉन को अनुबंध विनियम नियम, 1957 जो भारत सरकार के अनुसरण में प्रतिभूतियों के तहत निर्धारित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों का अनुपालन करने के लिए 31 अगस्त 2021 तक सार्वजनिक शेयरधारिता को कम

**इरकॉन ने विश्वभर में पिछले 45 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं को निष्पादित किया है।**

से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ाना आवश्यक था, जिसे भारत सरकार द्वारा जनसाधारण को अपनी कम से कम 14.18 प्रतिशत हिस्सेदारी को और बेचकर प्राप्त किया जा सकता है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी के प्रमोटर अर्थात ''रेल मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व में भारत के राष्ट्रपति'' ने स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी के 16 प्रतिशत भाग का विनिवेश किया है अर्थात 7,52,41,260 इक्विटी शेयर (03,2021 मार्च को गैर–खुदरा निवेशकों को 5,26,68,882 इक्विटी शेयर और 04 मार्च, 2021 को खुदरा निवेशकों को 2,25,72,378 इक्विटी शेयर) प्रति शेयर 89.75 की दर से 675.29 करोड़ रूपए की राशि के शेयर बिक्री के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, भारत के राष्ट्रपति की धारिता कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 89.18 प्रतिशत से घटकर 73.18 प्रतिशत हो गई है। इसलिए, 04 मार्च 2021 से कंपनी सेबी विनियमों के अनुसार एमपीएस के प्रावधानों के अनुपालन में है।

यूएसए के इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड (ईएनआर) के 2020 संस्करण के अनुसार, इरकॉन शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों की सूची में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय सार्वजनिक उपक्रम है। इसके अलावा, मार्च 2021 में जारी बिजनेस स्टैंडर्ड बीएस 1000 वार्षिक पत्रिका में, इरकॉन को कुल राजस्व द्वारा 2020 में 180 (2019 की पिछली रैंकिंग 203 थी) के रूप में स्थान दिया गया है, और 'निर्माण और अवसंरचना' क्षेत्र के तहत इस क्षेत्र के निष्पादन की दृष्टि से 10वें स्थान पर है। .

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अवसंरचना के विकास के लिए मलेशिया, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों में अवसर मौजूद हैं।

## व्यावसायिक इकाइयाँ / प्रभाग

इरकॉन की प्रमुख व्यावसायिक इकाइयाँ/ प्रभाग इस प्रकार हैं:

### 1. व्यवसाय विकास विभाग

इरकॉन का व्यवसाय विकास प्रकोष्ठ ऑर्डर बुक प्राप्त करने, बोली लगाने की रणनीतियों का विकास और मूल्यांकन करने के साथ–साथ इस तीव्र प्रतिस्पर्धी माहौल में कंपनी के लिए लीड/ अवसर पैदा करने और उन अवसरों का पोषण करने के लिए नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने हेतु एक समर्पित विपणन दल है।

# प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

पिछले वर्षों में इरकॉन के व्यवसाय विकास विभाग ने रेलवे, राजमार्ग, सुरंग, मेट्रो, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, सिग्नलिंग और दूरसंचार, भवन आदि में प्रतिस्पर्धा और नामांकन के आधार पर परियोजनाएं हासिल की हैं। रेल मंत्रालय ने रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों को नामांकन के आधार पर काम देने की अपनी नीति में बदलाव किया है, अब रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों के बीच बोली प्रक्रिया द्वारा रेलवे कार्यों का आवंटन किया जाता है। इरकॉन अपने व्यवसाय विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न रेलवे और अन्य विभाग की निविदाओं में प्रतिस्पर्धी बोली पर भाग लेता है।

विभाग नए व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापनों में प्रवेश करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इरकॉन ने विशेष रूप से बीओटी आधार पर आमंत्रित किए जा रहे भारत में राजमार्ग अवसंरचना परियोजनाओं में भागीदारी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आईजेएम कॉर्पोरेशन बरहाद के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है।

यह विभाग इरकॉन को एक विविध अवसंरचना अग्रणी बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस संबंध में कंपनी ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने और सहयोग करने के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (एनआईआईएफएल) और अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड (अयाना) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, यह व्यवसाय विकास दल भारतीय हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में इरकॉन के लिए अवसर तलाश रही है और कंपनी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के कुछ पैकेजों के लिए बोली लगाने में भाग लिया है।

इरकॉन का व्यवसाय विकास विभाग मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में अवसंरचना परियोजनाओं को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। साथ ही, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रेलवे और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के संयुक्त विकास के अवसरों का पता लगाने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली रूसी रेलवे कंपनी की सहायक कंपनी इरकॉन और आरजेडडी इंटरनेशनल एलएलसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। व्यापार विकास विभाग वैश्विक बाजार में व्यापार के अवसरों को हासिल करने के लिए व्यापार विकास टीम द्वारा अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर एजेंटों की नियुक्ति के लिए इरकॉन की नीति तैयार करने में योगदान देता है।

पुरस्कार और सम्मान कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और उसकी उपलब्धियों को उजागर करने में मदद करते हैं। व्यवसाय विकास विभाग प्रतिष्ठित पुरस्कारों की पहचान करता है और विभिन्न क्षेत्रों में इनके लिए आवेदन करता है।

## 2. सिविल इंजीनियरिंग विभाग

सिविल इंजीनियरिंग विभाग कंपनी की रीढ़ है, जो कंपनी के लिए राजस्व का बड़ा हिस्सा अर्जित करता है। सिविल इंजीनियरिंग विभाग में भारत के शीर्ष रैंकिंग संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी आदि से गतिशील कुशल ऊर्जावान सिविल इंजीनियरों



की एक टीम है। आरंभ से ही कंपनी सिविल इंजीनियरों की ताकत पर निर्भर रही है, और इरकॉन के निगमन के बाद से सिविल इंजीनियरों के नेतृत्व में कंपनी ने विकास किया है। वरिष्ठ और मध्य प्रबंधन में तैनात सिविल इंजीनियरों को आईआईएम जैसे शीर्ष प्रबंधन संस्थानों से दल निर्माण और परियोजना वितरण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सिविल इंजीनियरों की कुल संख्या 650 है, जो कंपनी के कुल कर्मचारियों का 50 प्रतिशत है जिन्हें व्यापक स्तर का अनुभव प्राप्त है।

इस विभाग के पास रेलवे, राजमार्ग, पुल, फ्लाईओवर, हवाईअड्डों, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों, सुरंगों, जल उपचार संयंत्रों, आवासीय क्वार्टरों आदि जैसे सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्रों के लगभग सभी क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। इरकॉन के सिविल इंजीनियरों को परियोजना के क्रियान्वयन के लिए देश और विदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करना, इसकी शुरुआत से लेकर अत्याधुनिक आधुनिक परियोजना प्रबंधन उपकरण, जैसे कि प्राइमावेरा, टीआईएलओएस, एमएस प्रोजेक्ट, आदि का उपयोग करने आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। विभाग के अधिकांश सिविल इंजीनियर दुनियाभर में उपलब्ध नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों में, जैसे कि जीपीएस सर्वेक्षण, एरियल लिडार ड्रोन के साथ सर्वेक्षण, कुल स्टेशन सर्वेक्षण, आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षित हैं।

इस विभाग ने कई मेगा परियोजनाओं को पूरा किया है, और परियोजनाओं को पूरा करने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जैसे आईआरएक्यू में हाई–स्पीड रेलवे लाइन, बांग्लादेश में जमुना ब्रिज रेल लिंक–।।, जिसकी लागत 61 मिलियन अमरीकी डालर है, सेरेम्बन और जेम्स, मलेशिया के बीच डबल ट्रैक परियोजना–1.04 अरब बिलियन अमरीकी डॉलर, श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में रेलवे लाइनों का उन्नयन (4 अनुबंध) – 550.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जम्मू–कश्मीर में काजीगुंड–बारामूला नई बीजी रेलवे लाइन के 118 किलोमीटर का निर्माण, जम्मू और कश्मीर में 11.2 किलोमीटर पीरपंजाल सुरंग का निर्माण ( भारत में सबसे लंबी परिवहन सुरंग)।

इस विभाग ने एनएटीए जैसी नवीनतम तकनीक के साथ हिमालय में सुरंग बनाने में विशेषज्ञता विकसित की है और इसे

200 से अधिक प्रशिक्षित सुरंग इंजीनियरों के होने पर गर्व है। यह विभाग अपने स्वयं के इंजीनियरों के समूह के साथ 100 किमी से अधिक सुरंग खनन को पूरा करने में गर्व महसूस करता है। 12.75 किमी की एक और सबसे लंबी परिवहन सुरंग पूर्ण होने के अग्रिम चरण में है। हिमालय के सीमावर्ती क्षेत्रों में परिवहन नेटवर्क के विस्तार के साथ, सिविल इंजीनियरिंग विभाग सुरंग बनाने में अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए तत्पर है।

विभाग बहु–उद्देशीय परिसरों (एमएफसी) की परियोजना के पूरा होने के साथ अचल संपत्ति के दोहन में अपने पदचिह्नों को स्थापित करने में सक्षम है, जिसे व्यावसायिक रूप से इसकी एक सहायक कंपनी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। यह नवीनतम विशिष्टताओं के लिए निर्मित रिटेल मॉल और कार्यालयों को पट्टे पर देने की प्रक्रिया में भी है।

हाल ही में, कंपनी ने एचएएम और बीओटी आधार पर एनएचएआई से पांच परियोजनाओं को प्राप्त करके राजमार्ग क्षेत्र में एक बड़ा हिस्सा हासिल किया था। सिविल इंजीनियरिंग विभाग इन परियोजनाओं के निष्पादन और एनएचएआई की आवश्यकताओं के अनुसार राजमार्ग संपत्ति के मुद्रीकरण में शामिल है। इसके अलावा, सामरिक कारणों के लिए कुछ परियोजनाओं को दुनिया के प्रसिद्ध ठेकेदारों और सलाहकारों के साथ संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम के गठन के माध्यम से निष्पादित किया गया है। जे.वी. के साथ परियोजनाओं में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों में कोयला सम्पर्कता परियोजनाएं शामिल हैं।

बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं पर सरकार के ध्यान केन्द्रण को देखते हुए यह विभाग संगठन के विकास में योगदान देने में प्रमुख भूमिका अदा करेगा।

### 3. डिजाइन और विकास विभाग

डिजाइन और विकास विभाग, सिविल कार्यों के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन समाधान प्रदान करता है। समय के साथ, यह विभाग विकसित हुआ है और इसकी वर्तमान सेवाओं में शामिल हैं: इन–हाउस डिजाइन और ड्राइंग का विकास, सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत डिजाइन और ड्रॉइंग की प्रूफ जाँच, परियोजना की समस्याओं के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करना। इनके मेंडेट में रेलवे और सड़क परियोजनाओं दोनों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बोली के लिए विधिवत मूल्य इंजीनियरिंग करना भी शामिल है।

उपर्युक्त क्षमताओं के साथ, डिजाइन और विकास विभाग, रेलवे परियोजनाओं जैसे अखौरा–अगरतला नई रेल लिंक परियोजना के इन–हाउस संरेखण डिजाइन के कार्य में भी शामिल है। यह विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के संरेखण को ठी क करने में सहायता भी प्रदान करता है, जिससे लागत अनुकूलन सुनिश्चित होता है। डिजाइन और विकास विभाग ने कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय परियोजनाओं में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में रेलवे लिंक का पुनर्वास, डोना–अन्ना रेलवे परियोजना मोजाम्बिक, सड़क परियोजना म्यांमार, जयनगर–बरदीबासपुर रेलवे परियोजना नेपाल, आदि शामिल हैं।

अखौरा–अगरतला नई रेल लिंक परियोजना, सीईडब्ल्यूआरएल, सीईआरएल, डीएफसीसीआईएल (सीटीपी–12), जेसीआरएल आदि, कुछ ऐसी घरेलू परियोजनाएं हैं, जिनमें डिजाइन और विकास विभाग ने व्यापक स्तर पर योगदान दिया है।

### 4. विद्युत विभाग

रेलवे क्षेत्र में अग्रणी टर्नकी परियोजना निष्पादन कंपनी के रूप में, रेलवे विद्युतीकरण स्कंध एंड–टू–एंड समाधान में परियोजना को सहयोग प्रदान करता है। विद्युत विभाग, 25 केवी रेलवे विद्युतीकरण कार्यों, एचटी ग्रिड और 400 केवी तक वोल्टेज वर्गों के ट्रैक्शन सब–स्टेशन, ईएचटी ट्रांसमिशन लाइन, ईएचवी केबलिंग कार्य, मेगा औद्योगिक संयंत्रों और लोको शेड के औद्योगिक विद्युतीकरण, शहरों के लिए बिजली आपूर्ति वितरण नेटवर्क मेट्रो रेलवे (एसी और डीसी सिस्टम) और हवाईअड्डे, सुरंग की बिजली आपूर्ति और वेंटिलेशन सिस्टम, मेट्रो रेलवे में बिजली आपूर्ति उप–स्टेशनों सहित विद्युतीकरण और अक्षय सौर ऊर्जा कार्यों में विशेषज्ञता प्रदान करता है।

इरकॉन ने वर्ष 1980 में दिल्ली–रिंग–रेलवे की अपनी पहली प्रमुख रेलवे विद्युतीकरण परियोजना शुरू की और 1982 में आयोजित एशियाई खेलों में यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल विद्युत कर्षण सेवाए का कार्य निष्पादित किया है। डीएमआरसी के तीनों चरणों में अधिकांश सब–स्टेशनों का कार्य इरकॉन द्वारा निष्पादित किया गया हैं। इरकॉन ने 220 केवी तक गैस इंसुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) और ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं को निष्पादित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है।

सुरंग वेंटिलेशन और लंबी रेल सुरंग में इसकी बिजली आपूर्ति अत्यधिक तकनीकी और चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे पीर–पंजाल रेल सुरंग में सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया था। विद्युत क्षेत्र में इरकॉन के अनुभव और विशेषज्ञता के साथ, इसने भारत के पहले सेमी हाईस्पीड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल कार्यों के नए क्षेत्र में प्रवेश किया है और इसे दिल्ली–मेरठ खंड को क्रियान्वित किया है। यह रेलवे ट्रैक्शन में उभरता हुआ क्षेत्र है।

मिशन रेलवे विद्युतीकरण में, इरकॉन 2500 आरकेएम से अधिक और 29 सब–स्टेशन कार्यों को क्रियान्वित कर रहा है।



# प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

## 5. यांत्रिकी इंजीनियरिंग विभाग

यांत्रिकी इंजीनियरिंग विभाग, कुशल, अनुभवी और साथ ही युवा, गतिशील और ऊर्जावान मैकेनिकल इंजीनियरों की एक टीम है। इसमें मौजूदा इकाइयों की पुनःसंरचना के अतिरिक्त नई रोलिंग स्टॉक उत्पादन इकाई, कारखानों या डीजल शेड को डिजाइन करने, स्थापित और चालू करने की क्षमता है, जिसका उद्देश्य इष्टतम उपयोग करके एक कुशल और किफायती तरीके से उत्पादन / आउट–टर्न में वृद्धि करना है, जिसे घरेलू और विदेशी बाजार के अंतिम उपयोग ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार संसाधित किया जाता है। यह दल चल संपत्तियों के संचालन और रखरखाव की व्यवस्था में भी सक्षम है।

हमारा यह दल, दुनिया भर में भौतिक संसाधनों को जुटाने के साथ–साथ एमएस प्रोजेक्ट, सिक्स सिग्मा, प्राइमावेरा आदि जैसे नवीनतम परियोजना प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करके ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार निकट लक्ष्यों के साथ भी परियोजनाओं को समय पर पूरा करती है।

इस विभाग ने केवल रिकॉर्ड समय में रायबरेली में आधुनिक और अत्याधुनिक स्टेनलेस स्टील कोच उत्पादन इकाइयों की स्थापना की है और लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त किया है, बल्कि डीजल शेड को भी उन्नत किया है ताकि यह एक साथ डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों की व्यवस्था कर सके।

रायबरेली में कोच उत्पादन सुविधा एक इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और एकीकृत इकाई है, जिसमें मूल कच्चे माल जैसे रोल्ड स्टील शीट से तैयार कोच को बाहर निकालने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस सुविधा में कोच/शेल फैब्रिकेशन लाइन, रोबोटाइज्ड वेल्डिंग से लैस बोगी फैब्रिकेशन शॉप, फर्निशिंग, फिनिशिंग शॉप, व्हील शॉप, अत्याधुनिक आर्ट पेंट शॉप के साथ–साथ मैटेरियल ऑटो स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम आदि जैसे सभी सहायक प्रणालियां, पावर सबस्टेशन उपलब्ध हैं। क्षेत्र में 3 मेगावाट के सबसे बड़े सौर पार्क में से एक के साथ, 100 बिस्तरों वाले अस्पताल, क्रिकेट स्टेडियम, एथलेटिक ट्रैक, एफआईएच प्रमाणित हॉकी स्टेडियम और 18 होल गोल्फ कोर्स के साथ–साथ काम करने वाले कर्मियों के लिए आवासीय कॉलोनी और शीर्ष प्रबंधन के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।



लोकोमोटिव, फ्रेट वैगन और यात्री कारों के निर्यात के साथ–साथ लोकोमोटिव के रखरखाव और अनुरक्षण, ट्रैक मशीन विभाग की अन्य प्रमुख क्षमताएं हैं। इस प्रकार हमारे यांत्रिक विभाग को रोलिंग स्टॉक परिसंपत्ति प्रबंधन के सभी डोमेन क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है, अर्थात सुविधाओं के निर्माण के क्षेत्रों से लेकर परिसंपत्तियों के रखरखाव के साथ–साथ मौजूदा सुविधाओं की बिजनेस प्रोसेस री–इंजीनियरिंग। यह अनुभव न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी विभिन्न सरकारी और / या बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों और अन्य संगठनों के लिए बड़ी परियोजनाओं को लागू करके प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विभाग द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला में व्हील शॉप की स्थापना, डीजल लोको शेड, विशाखापत्तनम का विस्तार, रॉयल रेलवे, कंबोडिया को 10 (दस) इकाइयों वाईडीएम4 (मीटर गेज) इंजनों की आपूर्ति, श्रीलंकाई रेलवे, श्रीलंका को बोगियों के साथ 2300एचपी के एसी/डीसी (ब्रॉड गेज) इंजनों की 6 (छह) इकाइयों की आपूर्ति, केटीएमबी, मलेशिया को डीजल लोको को पट्टे पर देना और उनका अनुरक्षण करना, जहां दो दशक से अधिक की अवधि के लिए रोलिंग परिसंपत्तियों की 85 प्रतिशत से अधिक उपलब्धता है, यह स्वयं रोलिंग परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए इरकॉन की असाधारण क्षमता को दर्शाता है।

## 6. सिग्नल और दूरसंचार विभाग

वर्ष 1976 में अपनी स्थापना के बाद से, इरकॉन भारत और विदेशों में टर्नकी सिग्नलिंग समाधान प्रदान कर रहा है, और उसे विभिन्न देशों में अपने स्थानीय कोड, मैनुअल और मानकों के अनुसार सिग्नलिंग और दूरसंचार (एस एंड टी) परियोजनाओं को निष्पादित करने का उत्कृष्ट गौरव प्राप्त है। इन–हाउस डिजाइन, निर्माण और परियोजना प्रबंधन क्षमताओं के साथ, सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा पर संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया है। इरकॉन ने रिले इंटरलॉकिंग से कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग (सीबीआई), स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी), केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण (सीटीसी) प्रणाली और अद्वितीय रेल इन्फ्रा कंडीशन मॉनिटरिंग प्रणाली (सीएएस) से शुरू होने वाली कई अत्याधुनिक सिग्नलिंग परियोजनाओं को निष्पादित किया है। भारत में किसी अन्य संगठन को इस तरह की विविध और अत्याधुनिक सिग्नलिंग परियोजनाओं का अनुभव नहीं है। इरकॉन दूरसंचार कार्यों के निष्पादन में प्रौद्योगिकी के मामले में सबसे आगे रहा है, और हाल ही में श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और भारत में मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) और सिंक्रोनस डिजिटल पदानुक्रम (एसडीएच) प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को निष्पादित किया है। इस तकनीक के आधार पर, इरकॉन ने आईपी–ईपीएबीएक्स, आईपी–सीसीटीवी, पीए सिस्टम और यात्री सुविधा संबंधी परियोजनाओं का निष्पादन किया है।

## 7. संपदा प्रबंधन विभाग

रियल एस्टेट क्षेत्र विश्व स्तर पर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त क्षेत्रों में से एक है और भारत में, यह कृषि के बाद दूसरा सबसे

# प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण



बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है और हाल के दिनों में कार्यालय के साथ–साथ आवासीय स्थानों की मांग में वृद्धि के साथ इस क्षेत्र में उच्च वृद्धि देखी गई है। रियल एस्टेट क्षेत्र में चार उप–क्षेत्र शामिल हैं – आवास, खुदरा, आतिथ्य और वाणिज्यिक।

पिछले कुछ वर्षों में, विविधीकरण से लेकर राजमार्गों और एक्सप्रेसवे जैसे बुनियादी ढांचे के पूरे स्पेक्ट्रम में विद्युत उप–स्टेशन, ट्रांसमिशन और वितरण, औद्योगिक और वाणिज्यिक भवन और टाउनशिप आदि, इरकॉन के व्यवसाय की प्रकृति में भी पिछले 45 वर्षों में एक निर्माण कंपनी से एक परियोजना विकास और संचालन कंपनी में परिवर्तन आया है, जो बीओटी परियोजनाओं, पट्टे और परामर्श सेवाओं, रियल एस्टेट और वाणिज्यिक जैसी गतिविधियों का पूरे क्षेत्रों को कवर करती है।

अचल संपत्ति परियोजनाओं में, इरकॉन ने भारत में कई वाणिज्यिक, संस्थागत भवनों, रेलवे स्टेशनों और टाउनशिप का निर्माण किया है। इस सूची में कुछ बहुत ही प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें इरकॉन अवधारणा से लेकर परियोजना को चालू करने तक शामिल है। इरकॉन के पास इस तरह की परियोजनाओं को विकसित करने की क्षमता है जिनमें प्रमुख हैं, नवी मुंबई में सिडको के लिए बहुमंजिला वाणिज्यिक परिसर, भोपाल में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल, आइजोल में पशु चिकित्सा विज्ञान पशुपालन कॉलेज परिसर, झांसी, भोपाल और इलाहाबाद में रक्षा मंत्रालय के लिए तीन प्रमुख आवासीय टाउनशिप, पूसा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सीआईएफई, मुंबई, वाशी रेलवे स्टेशन से जुड़ी परियोजनाएं। टाउनशिप परियोजना में, कपूरथला में रेल डिब्बा कारखाने के साथ–साथ रायबरेली में कारखाना शामिल है। इरकॉन ने अपना स्वयं का कॉर्पोरेट कार्यालय विकसित किया है जो एक आधुनिक और स्मार्ट कार्यालय है जिसमें ग्रीन बिल्डिंग के सभी तत्व शामिल हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित कुछ अन्य प्रतिष्ठित परियोजनाओं में भारतीय रेलवे के 23 रेलवे स्टेशनों पर बहु–कार्यात्मक परिसरों (एमएफसी) का विकास शामिल है। एमएफसी वाणिज्यिक परिसर हैं, जिनका निर्माण स्टेशन परिसर में शॉपिंग, फूड स्टॉल और रेस्तरां, बुक स्टॉल, पीसीओ/एसटीडी/आईएसडी/फैक्स बूथ, दवा और अन्य किस्म के स्टोर, बजट होटल, भूमिगत पार्किंग आदि जैसी रेल उपयोगकर्ताओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है।

रियल एस्टेट क्षेत्र में विकास को देखते हुए, अपनी यात्रा के दौरान इरकॉन ने रियल एस्टेट संपत्तियों का एक बड़ा पोर्टफोलियो स्थापित किया है, अर्थात मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बैंगलोर जैसे महानगरीय शहरों में इरकॉन के स्वामित्व वाली अनेकों संपत्तियां हैं। इसके अतिरिक्त, रियल एस्टेट क्षेत्र में अत्यधिक क्षमता को देखते हुए इरकॉन ने अचल संपत्ति परियोजनाओं में चुनिंदा विविधीकरण पर विचार करने की तत्काल आवश्यकता को पहचाना है। इस संबंध में, इरकॉन ने व्यावसायिक विकास के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य में नोएडा और हरियाणा राज्य में गुरुग्राम में विभिन्न भूखंडों का अधिग्रहण किया है। उच्च मांग को ध्यान में रखते हुए, इरकॉन ने एक रिटेल मॉल, सेक्टर –43, नोएडा, यूपी, सेक्टर –1 और सेक्टर –48, नोएडा (यूपी) में दो वाणिज्यिक–सह–कार्यालय परिसर और गुरुग्राम में दो कार्यालय भवन विकसित किए हैं, जिसमें 50 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र और 250 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला सभागार शामिल है।

वर्तमान में, भारत सरकार ने देश के नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और इसे वैश्विक पावरहाउस बनाने के लिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य परिष्कृत आधुनिक जीवन के युग की शुरुआत करना है। सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, भूमि मुद्रीकरण और स्टेशन पुनर्विकास रियल एस्टेट में महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इरकॉन ने भूमि मुद्रीकरण मॉडल के तहत रेलवे/आरएलडीए के साथ पीएमसी – शुल्क आधारित सेवाओं (मुंबई में बांद्रा प्लॉट रेलवे स्टेशनों पर 12 स्थलों के मुद्रीकरण के लिए) या आवासीय स्थान या वाणिज्यिक स्थान के विकास के लिए सफदरजंग रेलवे स्टेशन के लिए सह–डेवलपर के रूप में कार्य करने की व्यवस्था की है।

मध्यम और लंबी अवधि में रियल एस्टेट व्यवसाय में वृद्धि के उद्देश्य से, भूखंडों का विकास, भवनों का निर्माण करना, अचल संपत्तियों को पट्टे पर देना और / या बेचना और संपत्ति से



संबंधित अन्य मामले जैसे कर और कानूनी मामलों की व्यवस्था के लिए इरकॉन ने संपदा प्रबंधन विभाग (ईएमडी) की स्थापना की है। इरकॉन में ईएमडी एक पेशेवर रूप से प्रबंधित रियल एस्टेट डिवीजन है, जो इरकॉन के मौजूदा रियल एस्टेट का प्रबंधन करेगा और संपत्ति कर मामलों सहित रियल एस्टेट विकास परियोजनाओं को आरंभ करेगा।

## वित्तीय निष्पादन

लगभग पूरे वर्ष कोविड–19 प्रतिकूलताओं के कारण वित्त वर्ष 2021 के वित्तीय विवरणों, वित्त वर्ष 2020 के साथ विशुद्व रूप से तुलनीय नहीं हैं। वित्त वर्ष 2021 के दौरान, कंपनी की कुल आय पिछले वित्तीय वर्ष में 5,442 करोड़ रूपए की तुलना में 5200 करोड़ रूपए थी, इस प्रकार इसमें 4.44 प्रतिशत की कमी आई है। कंपनी की कुल आय का लगभग 95.15 प्रतिशत, यानी 4948 करोड रूपए प्रचालन क्षेत्र में दर्ज किया गया है जो कि वित्त वर्ष 2020 के 5202 करोड़ रूपए के प्रचालन व्यवसाय की तुलना में 4.89 प्रतिशत कम है। प्रचालन की कुल राशि में से, 11.76 प्रतिशत, अर्थात 582 करोड़ रूपए अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2020 में 443 करोड़ रूपए की तुलना में 31.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात लाभ (पीएटी) में क्रमशः 14.65 प्रतिशत और 17.40 प्रतिशत की कमी हुई और यह क्रमशः 574 करोड़ रूपए और 405 करोड़ रूपए रहा।

भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश का ब्यौरा और आगामी साधारण वार्षिक बैठक में अंतरित लाभांश के अतिरिक्त शेयरधारकों द्वारा विचार और घोषणा के लिए अंतरिम लाभांश और प्रस्तावित लाभांश के विवरण का उल्लेख 'वित्तीय विशेषताओं' के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में किया गया है।

## प्रमुख वित्तीय अनुपातः

महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण (अर्थात, प्रमुख वित्तीय अनुपातों में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 25 प्रतिशत या उससे अधिक का परिवर्तन) के साथ–साथ उसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया हैः

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन मानकों के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया है तथा वित्तीय सूचना की रिपोर्टिंग में किसी प्रकार का कोई व्युतक्रम नहीं किया गया है।

| क्र. सं | अनुपात का नाम | सूत्र | वित्त वर्ष 2021 | वित्त वर्ष 2021 | वित्त वर्ष 2020–21 की तुलना में अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | देनदार टर्नओवर | प्रचालनों से राजस्व / औसत लेखा वसूलीयोग्य | 9.30 | 9.77 | (4.85) | – |
| 2. | निवेशक टर्नओवर | प्रचालनिक व्यय / औसत इन्वेंटरी | 19.69 | 13.55 | 45.27 | पिछले वर्ष की तुलना में औसत इन्वेंटरी में कमी हुई है। |
| 3. | ब्याज कवरेज अनुपात | ई बीआई ई टी / ब्याज व्यय | 104.61 | 37.55 | 178.58 | पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज व्यय में व्यापक कमी हुई है। |
| 4. | चालू अनुपात | चालू परिसंपत्तियां / चालू देयताएं | 1.22 | 1.15 | 6.19 | – |
| 5. | ऋण इक्विटी अनुपात | ऋण / कुल शेयरधारक इक्विटी | – | – | – | रेल भूमि विकास प्राधिकरण से वसूली योग्य राशि के साथ भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण की भरपाई के कारण अनुपात लागू नहीं है। तदनुसार, पिछले वर्ष के आंकड़े को पुनःवर्णित किया गया गया है। |
| 6. | प्रचालनिक लाभ मार्जिन (%) | (पीबीटीः अन्य आय) / टर्नओवर | 0.065 | 0.08 | (21.99) | – |
| 7. | निवल लाभ मार्जिन (%) या क्षेत्र विशिष्ट अनुपात, जैसा लागू हो | निवल लाभ / कुल आय | 0.078 | 0.09 | (13.56) | – |

| क्र. सं | अनुपात का नाम | सूत्र | वित्त वर्ष 2021 | वित्त वर्ष 2021 | वित्त वर्ष 2020–21 की तुलना में अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | निवल परिसंपत्ति पर प्रतिफल | निवल लाभ/औसत निवल परिसंपत्ति | 0.094 | 0.12 | (21.81) | चालू वर्ष में कम लाभप्रदता के कारण अनुपात में गिरावट आई है। पिछले वर्ष में उच्च लाभप्रदता मुख्य रूप से आयकर रिफंड और विदेशी परियोजनाओं के लिए देय एजेंसी कमीशन के एकमुश्त राइट बैक/रिवर्सल के कारण थी। |

## परिचालनात्मक निष्पादन

### सेक्टर निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान इरकॉन को 86 प्रतिशत से अधिक राजस्व योगदान रेलवे सेक्टर से प्राप्त हुआ है। इरकॉन के व्यापार का मुख्य ध्यान केन्द्रण क्षेत्र रेलवे है, तथापि कम्पनी राजमार्ग व्यवसाय की ओर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है जहां से लगभग 14 प्रतिशत का राजस्व प्राप्त हुआ है तथा शेष राजस्व इलैक्ट्रिक एवं भवन कार्यों से प्राप्त हुआ है।

पिछले तीन वर्षों का सेक्टर–वार तुलनात्मक स्थिति विवरण नीचे प्रस्तुत है:–

## वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्रारंभ की गई परियोजनाएं

रेल मंत्रालय ने रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों को नामांकन के आधार पर कार्य देने की अपनी नीति में परिवर्तन किया है और अब रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों के बीच बोली प्रक्रिया द्वारा रेलवे कार्यों का आवंटन किया जाता है। इरकॉन ने प्रतिस्पर्धी बोली पर विभिन्न रेलवे निविदाओं में भाग लिया और उसे 4,097 करोड़ रूपए के कार्य प्रदान किए गए हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार इरकॉन की आर्डर बुक लगभग 34,689 करोड़ रूपए है जिसमें से 32,916 करोड़ रूपए के कार्य रेलवे खंड से नामांकन एवं प्रतिस्पर्धा आधार पर हैं।

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा घरेलू बाजारों में 05 परियोजनाएं पूरी की गई हैं जिसका विवरण निदेशक रिपोर्ट में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

| सेक्टर | वि. वर्ष 2021 | | वि. वर्ष 2020 | | वि. वर्ष 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | परिचालन आय | प्रतिशत | परिचालन आय | प्रतिशत | परिचालन आय | प्रतिशत |
| रेलवे | 4,215.21 | 85.20 | 4,128.21 | 79.36 | 3,741.01 | 84.73 |
| राजमार्ग | 718.56 | 14.52 | 953.17 | 18.32 | 554.62 | 12.56 |
| इलैक्ट्रिक्ल | 0.02 | - | 25.06 | 0.48 | 97.35 | 2.20 |
| भवन | 1.66 | 0.03 | 1.08 | 0.02 | 5.26 | 0.12 |
| अन्य | 12.32 | 0.25 | 94.54 | 1.82 | 16.86 | 0.39 |
| **योग** | **4,947.77** | **100** | **5,202.06** | **100** | **4,415.10** | **100** |

### सेगमेंट वार निष्पादन :

(₹ करोड़ में)

| सेक्टर | वि. वर्ष 2021 | | वि. वर्ष 2020 | | वि. वर्ष 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल आय | प्रतिशत | कुल आय | प्रतिशत | कुल आय | प्रतिशत |
| विदेश | 590.12 | 11.35 | 476.31 | 8.75 | 604.46 | 12.92 |
| घरेलू | 4,610.19 | 88.65 | 4,965.41 | 91.25 | 4,075.08 | 87.08 |
| **योग** | **5,200.31** | **100** | **5,441.72** | **100** | **4,679.54** | **100** |

# प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

## आगामी परियोजनाएं

इरकॉन के पोर्टफोलियों में लगभग 52 आनगोइंग परियोजनाएं है। जिनमें से चार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए अल्जीरिया, बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका में हैं तथा शेष परियोजनाएं घरेलू बाजार में हैं।

## शक्तियां

**दूरदर्शिता एवं विविधता युक्त व्यवसाय** : अपनी स्थापना के पश्चात से ही इरकॉन ने अपने व्यवसाय परिचालन विविधता सम्पन्न व्यवसाय क्षेत्रों में है। कंपनी रेलवे और राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में एक स्थापित कम्पनी है। इसके अलावा, यह वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों, बिजली ट्रांसमिशन लाइनों, औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था, पुलों और फ्लाईओवर के अतिरिक्त क्षेत्रों में अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति कर रही है। इरकॉन ने अपने ऑन–टाइम और उच्च–गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखा है। इन विशेषताओं ने कंपनी को एक मजबूत प्रतिष्ठा विकसित करने में मदद की है जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख कंपनियों के लिए बोली लगाने के अवसर बढ़े हैं।

**स्थापित ट्रैक रिकार्ड एवं सिद्ध परियोजना निष्पादन क्षमताएं** : इरकॉन ने रेल निर्माण कंपनी के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया है और वह आगे अन्य निर्माण गतिविधियों में भी शामिल हो रही है। तथापि, रेलवे और राजमार्ग कंपनी के मुख्य परिचालन क्षेत्र हैं, जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान क्रमशः राजस्व में लगभग 85 प्रतिशत और 14 प्रतिशत योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा, इरकॉन ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बड़े परिमाण के परियोजना निष्पादन में असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।

**सुदृढ़ वित्तीय निष्पादन एवं क्रेडिट प्रोफाइल** : इरकॉन का एक मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल है जिसमें 3500 करोड़ रुपये की गैर–निधि आधारित अतिरिक्त बैंक सीमाएं शामिल हैं, जिनमें से 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 1792 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। 31 मार्च 2021 को कंपनी का वित्तीय प्रोफाइल अच्छे लाभप्रद मार्जिनल और अच्छी तरलता स्थिति को दर्शाता हैं। प्रस्तावित लाभांश के अनुमोदन और भुगतान के बाद आरंभिक वर्षों में 4.94 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश के प्रति वित्तीय वर्ष 2021 तक संचयी लाभांश 2139 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के स्थिर व्यापार मॉडल ने अपनी वित्तीय ताकत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी परियोजनाओं के लिए इरकॉन की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता मुख्य रूप से ग्राहक अग्रिमों के साथ–साथ आंतरिक अभिवृद्धि से पूरी होती है, जो मुख्य रूप से कठिन क्षेत्रों और क्षेत्रों में बड़ी और जटिल परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए अपनी व्यावसायिक वृद्धि और क्षमता द्वारा समर्थित है।

इरकॉन को (i) दीर्घकालिक गैर–निधि आधारित ऋण सुविधाओं के लिए केयर एएए रेटिंग प्रदान की गई है और (ii) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केयर) द्वारा वर्ष 2017 से अल्पकालिक गैर–निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं के लिए 'ए1' रेटिंग प्रदान की गई है।

हालाँकि, कोविड–19 महामारी ने दुनियाभर में व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावित किया, लेकिन कंपनी का मानना है कि अब तक, राजस्व और लाभप्रदता के मामले में कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर कोविड–19 महामारी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

**संतुलित निष्पादन एवं सुदृढ़ आर्डर बुक** : इरकॉन घरेलू के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सेवाएं प्रदान करके प्रतिस्पर्धी



बोली और नामांकन के माध्यम से अपनी ऑर्डर बुक प्राप्त करता है। रेल मंत्रालय ने रेल पीएसयू को नामांकन आधार पर कार्य प्रदान करने की अपनी नीति में परिवर्तन किया है, अब रेलवे कार्य रेलवे पीएयू में बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। कंपनी के ग्राहक आधार में मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों जैसे कि रेल मंत्रालय, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शामिल हैं, जो काफी हद तक प्रतिपक्ष जोखिम कम हो जाता है।

**प्रक्रियाएं एवं विधियां** : इरकॉन ने सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं पर संकुचित शैड्यूल को पूरा करते हुए किफायती समाधान और गुणवत्ता आउटपुट प्रदान करने के लिए उद्योग में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली की स्थापना की है। विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कंपनी के विविधीकरण, परियोजना निष्पादन के लिए अपनी विशेषज्ञता और पेशेवर दृष्टिकोण के साथ, इरकॉन ने न केवल अपने काम के क्षितिज को विस्तारित किया है, बल्कि किसी एक क्षेत्र या परियोजना के प्रकार पर निर्भरता को कम किया है, और साथ ही स्वयं को भौतिक सीमाओं को पार करने के लिए भी प्रेरित किया है।

**भौगोलिक कवरेज** : इरकॉन के पास व्यापक भौगोलिक फुटप्रिंट है जिसने कंपनी को विभिन्न अनुबंधों जैसे डीबीएफओटी, ईपीसी, एचएएम, वार्षिकी का अंवेषण करने और विविधता लाने में सहायता मिली है। इसने संयुक्त उद्यम और विशेष उद्देश्य वाहक जैसी रणनीतिक व्यावसायिक व्यवस्थाओं के माध्यम से परियोजनाएं भी विकसित की हैं। वित्तीय वर्ष 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 25 देशों और भारत के 24 राज्यों में परियोजनाएं विकसित की हैं।

**अनुभव प्राप्त मानव पूंजी एवं सिद्ध प्रबंधन दल** : इरकॉन की शक्ति प्रशिक्षित और अनुभवी जनशक्ति की अपनी टीम में निहित है। टीम के पास रेलवे और राजमार्ग, डिजाइन और निष्पादन इंजीनियरों और व्यवसाय विकास प्रबंधकों की विशेषज्ञता से युक्त व्यावसायिकों का एक असाधारण प्रतिभा पूल है। वे ईपीसी, डीबीएफओटी और एचएएम मॉडल पर आधारित उच्च–मूल्य की परियोजनाओं पर काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, अपने कर्मचारियों के कौशल सेट कंपनी को अपने ग्राहकों की जरूरतों और उन्हें पूरा करने वाली विभिन्न परियोजनाओं की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुकूल होने की सुविधा देते हैं। इसके अलावा, इरकॉन कंपनी या प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित नियमित तकनीकी सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से अपने कर्मचारियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक प्रबंधन टीम है जो निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में योग्य और अनुभवी है।

## कार्य क्षेत्र एवं अवसर

**आर्थिक एवं सेक्टर प्रयास** : सरकार द्वारा अवसंरचना क्षेत्र के विकास में अपनी रूचि पुनः दिखाते हुए आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए विभिन्न आर्थिक और औद्योगिक पहल की गई हैं। कोविड–19 के उद्भव के कारण अर्थव्यवस्था के सम्मुख व्याप्त संकट के बावजूद, रेलवे क्षेत्र के लिए आवंटित बजट में सरकार ने कोई समझौता नहीं किया है। इसके अलावा, रेल मंत्रालय ने महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

**इरकॉन ने उन्नत प्रोद्योगिकी को अपनाया है जिससे अन्य प्रतियोगियों से आगे रहने और कंपनी की प्रचालनिक कुशलता को सुनिश्चित किया गया है।**

इस विकास से उच्च गुणवत्ता वाली सरकारी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए इरकॉन को और अधिक अवसर प्राप्त हो सकते है। कंपनी सरकार की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं जैसे स्मार्ट सिटी मिशन और मेट्रो रेल के साथ अतिरिक्त अवसंरचना के विकास के अवसरों की तलाश कर रही है। यह भारतीय राज्यों में राजमार्ग परियोजनाओं में अवसरों का अनुगमन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के साथ बस्तियों को जोड़ने, रेलवे स्टेशनों का पुनः विकास करने के कार्यों के लिए कर रही है। रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास के लिए इरकॉन की संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम के पास 400 क्लास–ए स्टेशनों के निर्माण का दायित्व है, जो कंपनी के लिए उच्च–गुणवत्ता वाले रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।

**सौर ऊर्जा क्षेत्रः** भारत वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन ऊर्जा से 40 प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और नवीकरणीय ऊर्जा की आकांक्षाओं और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख सौर परियोजनाओं को शुरू किया जाना है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं और पीपीपी परियोजनाओं के निष्पादन में इरकॉन द्वारा प्राप्त अनुभव और आधुनिक कोच फैक्टरी, रायबरेली में 3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र को ध्यान में रखते हुए, इरकॉन सौर ऊर्जा विकास के क्षेत्र में प्रवेश करने की मंशा रखता है और भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) द्वारा ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण–II (सरकारी उत्पादक योजनाद्ध के तहत भारत में 5000 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर पीवी बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए सौर ऊर्जा डेवलपर्स के चयन (किश्त–III) के लिए चयन हेतु अनुरोध (आरएफएस) में भाग ले रहा है''।

**अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं** : गुणवत्ता सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के अपने पोर्टफोलियो के कारण इरकॉन की बॉटम लाइन निरंतर स्वस्थ स्थिति में बनी हुई है। कंपनी ने एजेंटों की नियुक्ति के लिए अपनी नीति तैयार की है जो वैश्विक बाजारों में व्यापार के अवसर प्राप्त करने में मदद करेगी। इरकॉन अति महत्वाकांक्षा के साथ बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में अवसंरचना परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा

**सुपुर्द की गई कुल परियोजनाएं**
523

है। इसके अतिरिक्त, कंपनी रेलवे और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अफ्रीकी देशों में कार्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं करेगी।

## रणनीतिक समझौता ज्ञापन एवं गठबंधन

इरकॉन ने व्यापार के नए अवसरों का पता लगाने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। इसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रेलवे और अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के संयुक्त विकास के अवसरों का पता लगाने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली रूसी रेलवे कंपनी की सहायक कंपनी आरजेडडी इंटरनेशनल एलएलसी के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने और सहयोग करने के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (एनआईआईएफएल) और अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड (अयाना) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इरकॉन और अयाना संयुक्त उद्यम/संघ का गठन करेंगे और इरकॉन भारतीय रेलवे की खपत आवश्यकताओं के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन के अवसरों की पहचान करेगा। इरकॉन ने विशेष रूप से बीओटी आधार पर आमंत्रित किए जा रहे भारत में राजमार्ग अवसंरचना परियोजनाओं में भागीदारी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आईजेएम कॉर्पोरेशन बरहाद, मलेशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन में भी प्रवेश किया है।

कंपनी ने वर्तमान में या भविष्य में उपलब्ध डिजिटल सेवाओं के प्रावधान के लिए रेलटेल के साथ जुड़ने के लिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेलटेल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इरकॉन ने इंजीनियरिंग पेशेवरों की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए सतत शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय इंजीनियरिंग परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और विभिन्न विषयों में इंजीनियरिंग क्षत्रों की उन्नति के लिए काम कर रहा है। इरकॉन ने गुणवत्तापूर्ण परियोजनाओं को समय पर और बजट के भीतर पूरा करने के लिए अधिकतम दक्षता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के कुशल और इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) के साथ सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं। सभी प्रकार की घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्यिक परामर्श के लिए सुविधाओं से संबंधित सहायता, मार्गदर्शन और सूचना को बढ़ावा देने के लिए इरकॉन ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कंसल्टेंट्स (आईसीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। इरकॉन ने अपनी परियोजनाओं में ट्रेंचलेस प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी (इंडएसटीटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

**परियोजना मॉडलः** ईपीसी, डीबीएफओटी, एचएएम और वार्षिकी के आधार पर राजमार्ग क्षेत्र में कई उच्च–मूल्य की परियोजनाएँ संभावित हैं। इरकॉन ने बीओटी, डीबीएफओटी और एचएएम आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एसपीवी के रूप में चार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना की है और भारत के तीन राज्यों में कोयला कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए गठित संयुक्त उद्यम कंपनियों में रणनीतिक हिस्सेदारी की है। कंपनी ईपीसी, एचएएम और वार्षिकी आधार सहित कई परियोजना निष्पादन मॉडल के तहत टर्नकी परियोजनाओं का संचालन करने के लिए तैयार है।

**प्रौद्योगिकी उन्नयनः** कंपनी ने उन्नत प्रौद्योगिकी और निर्माण पद्धति को अपनाया है जिससे प्रतियोगियों पर बढ़त सुनिश्चित हो पाती है। इससे परिचालन क्षमता और बेहतर बनती है, विश्वसनीयता स्थापित होती है, ऑर्डर बुक वैल्यू बढ़ती है और ग्राहकों की संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा, इरकॉन का लक्ष्य अपने कर्मचारियों को प्रचलित प्रौद्योगिकियों से परिचित होने के लिए प्रशिक्षित करने और ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं का अंवेषण करना है जिनमें नवीनतम तकनीक की आवश्यकता है।

## प्रमुख विचारणीय क्षेत्र

**बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धाः** इरकॉन एक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रही है और इसकी प्रतिस्पर्धा विभिन्न घरेलू और विदेशी इंजीनियरिंग, निर्माण और अवसंरचना कंपनियों के साथ है। जिस उद्योग में इरकॉन कार्य कर रहा है, वह परियोजनाओं के अधिग्रहण और बोली के लिए गहन मूल्य प्रतियोगिता के अध्याधीन है। इसकी प्रतियोगिता परियोजना के आकार, प्रकृति, जटिलता और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त, यह अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बढ़ाने के लिए अपने वित्तीय संसाधनों के साथ–साथ उद्योग विशेषज्ञता का लाभ उठाने का प्रयास करता है। जबकि सेवा की गुणवत्ता, तकनीकी क्षमता और प्रदर्शन, कार्यबल और प्रतिष्ठा के स्वास्थ्य और सुरक्षा रिकॉर्ड ग्राहकों के निर्णयों में आवश्यक विचार का कारक होते हैं, प्रतिस्पर्धी मूल्य भी एक महत्वपूर्ण कारक है।

रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में एक प्रमुख कम्पनी होने और राजमार्ग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उद्यमी के रूप में इरकॉन, कंपनी के लिए पूर्वकाल में व्यापार का एक उचित भाग सुरक्षित करने में सक्षम रहा है। तथापि, अन्य कम्पनियों के साथ भारी प्रतिस्पर्धा ने कंपनी के लिए आइटम दर अनुबंधों में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल बना दिया है। इसके अलावा, नियोक्ताओं द्वारा योग्यता की आवश्यकता को कम करने के साथ, एक बड़ी संख्या में ठेकेदार रेलवे खंड में विविधता ला रहे हैं जिससे कंपनी के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

अवसंरचना क्षेत्र के नए संगठनों में से अधिकांश उच्च जोखिम लेने और कम मुनाफे पर काम करने के लिए अपनी ऑर्डर बुक की स्थिति बढ़ाने और बाजार में व्यापक हिस्सेदारी पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। इससे उद्योग में इरकॉन के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाती है।

तथापि, प्रत्येक संगठन को एक निश्चित कानूनी रूपरेखा के दायरे में काम करना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में इरकॉन को अपेक्षाकृत अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो निजी इंजीनियरिंग कंपनियों पर लागू नहीं होती हैं। यह इरकॉन के लिए प्रतियोगी बाजार में एक असुविधाजनक स्थिति है। अनुबंधों को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद इरकॉन को वे अनुबंध प्राप्त होते हैं जिनमें कंपनी निर्धारित पूर्व–योग्यता मानदंडों को पूरा कर रही है। कंपनी की प्रतियोगिता परियोजना के उस आकार, प्रकृति और जटिलता और भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करती है जिसमें परियोजना को निष्पादित किया जाना है।

कंपनी निर्माण उद्योग के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और मूल्य में कटौती के वातावरण में काम कर रही है जहां परिचालन के पारंपरिक क्षेत्रों में

प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण लाभ मार्जिन घट रहा है।

कंपनी को उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च गति वाली रेलवे परियोजनाओं और पीपीपी निवेश परियोजनाओं जैसे उच्च मूल्य परियोजनाओं में पहुंच का विस्तार करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा ।

**काम रुकने और श्रमिकों की कमी:** इरकॉन का व्यवसाय परिचालन श्रम गहन हैं, जिसमें उप–ठेकेदारों द्वारा विशिष्ट परियोजनाओं के लिए काम पर रखे गए अनुबंध कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तथापि, कोविड–19 महामारी ने हजारों श्रमिकों की बड़े पैमाने पर घर वापसी हुई है। इसके परिणामस्वरूप श्रम की कमी और निर्माण रुक जाएगा, जो कुछ परियोजनाओं के पूरा होने और उनकी डिलीवरी में देरी करेगा। इसके अलावा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बेहतरी के लिए उप–ठेकेदार की बढ़ी हुई लागत महामारी के दौरान परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ–साथ नए कानून और नियामक अनुपालन को ध्यान में रखते हुए लागत में वृद्धि होगी।

**मुद्रा विनिमय दर में उतार–चढ़ाव:** इरकॉन ने अपने परिचालन श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, इथोपिया और मोजाम्बिक जैसे नए भौगोलिक क्षेत्रों में किए हैं। वर्तमान में, कंपनी अल्जीरिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में कार्य कर रही है।

भारत के बाहर स्थित परियोजनाओं के लिए, भुगतान की शर्तों को विदेशी मुद्राओं में दर्शाया जाता है और कंपनी को इस तरह के अनुबंधों के अनुसार प्रतिकूल विनिमय दर के प्रभाव की लागत वहन करनी पड़ता है। तदनुसार, इन मुद्राओं के प्रति रुपये के मूल्य में किसी भी उतार–चढ़ाव का प्रभाव उन दायित्वों को पूरा करने और जारी रखने के लिए रुपये की लागत पर होगा, जो इरकॉन को वहन करना होता है। यह कारक कंपनी विनिमय दर जोखिम है जिससे इसके परिचालन और वित्तीय स्थिति के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

## कोविड–19 के प्रति प्रतिक्रिया

कोरोना वायरस (कोविड–19) ने अपने भयावह प्रकोप के कारण दुनियाभर में स्वास्थ्य प्रणालियों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को सबसे बड़ा वैश्विक संकट में धकेला है। इससे वे प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों प्रभावित हो रहे हैं जिनमें हम काम करते हैं, लगभग सभी देश संक्रमण की दूसरी लहर की रिपोर्ट कर रहे हैं। विभिन्न सरकारों द्वारा महामारी को रोकने के लिए की गई कार्रवाई, जैसे सीमाओं को बंद करना और लॉकडाउन प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप, परियोजना निष्पादन में रुकावट, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण कंपनी के सामान्य प्रचालनों में व्यापक स्तर पर व्यवधान आया है।

### वित्तीय निष्पादन

वर्ष की पहली तिमाही के दौरान लॉकडाउन के प्रभाव और दूसरी तिमाही में आपूर्ति श्रृंखला पर कुछ हद तक दबाव के कारण, राजस्व और लाभप्रदता लक्ष्य को वर्ष की दूसरी छमाही में एक कठिन लक्ष्य रखते हुए संशोधित किया गया था। कंपनी ने वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान अच्छा निष्पादन किया और इस अवधि के दौरान अपने पिछले वर्ष के निष्पादन को पीछे छोड़ दिया और अंततः रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के करीब व्यवसाय प्राप्त करने में सक्षम रही। हालांकि, समाप्त हुए वर्ष के परिणाम उस सीमा तक, पिछली अवधियों के परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

### आर्डर बुक:

कंपनी के पास अपने प्रचालनों के लिए पर्याप्त तरलता उपलब्ध है और लगभग 34,600 करोड़ रूपए की इसकी सुदृढ ऑर्डर पर्याप्त नकदी प्रवाह प्रदान करती है।

### सुचारू प्रचालन के लिए उठाए गए कदम:

कंपनी ने कोविड–19 के लिए सभी कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने, परिसर और वाहनों को नियमित आधार पर साफ करने, सभी कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने को लागू करने के संबंध में कड़ी निगरानी प्रक्रियाओं जारी रखी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कई अन्य पहल भी किए हैं ताकि अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की मदद, जिसमें कोविड देखभाल केंद्र, टीकाकरण केंद्र स्थापित करना और उन्हें चिकित्सा देखभाल सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करना शामिल है।

### कोविड–19 के भविष्य के प्रभाव का अनुमान:

कंपनी ने वित्तीय और गैर–वित्तीय संपत्तियों की वहन राशि की वसूली सहित अपने वित्तीय परिणामों की तैयारी में कोविड–19 से होने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है। कोविड–19 के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करते हुए, कंपनी ने सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और उम्मीद है कि परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की जाएगी।

इस वैश्विक स्वास्थ्य महामारी की दूसरी और संभावित तीसरी लहर का वास्तविक प्रभाव उस अनुमान से भिन्न हो सकता है, जिसका अनुमान लगाया गया है, क्योंकि भारत और विश्वस्तर पर कोविड–19 की स्थिति विकसित हो रही है। हालांकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की गहन निगरानी करना जारी रखेगी।

## व्यापारिक रणनीतियां

### घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार:

इरकॉन सक्रिय रूप से सेक्टर एवं भौगोलिक कवरेज, दोनों, के साथ विविधता अवसरंचना कम्पनी बनने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। कंपनी ने परिवहन इंजीनियरिंग, सिविल और औद्योगिक निर्माण, और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में अपने अवसंरचना कार्य विशेषज्ञता में विविधता का समावेश करके किए है। इसके अतिरिक्त, भारत में अपनी व्यापक उपस्थिति के साथ, यह अपने व्यवसाय मॉडल के लिए पर्याप्त अवसरों की खोज करके घरेलू स्तर पर अपने परिचालनों को और अधिक विस्तारित करने का मंशा रखता है। अपनी भौगोलिक कवरेज का विस्तार करने और देश के भीतर नए क्षेत्रों में भूमिका बढ़ने से, इरकॉन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिक परियोजनाओं को लेने में

# प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

सक्षम होगा और अवसंरचना के क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। इसके अलावा, जबकि यह रेलवे क्षेत्र में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, पोर्टफोलियो विविधीकरण के माध्यम से, इसे विशिष्ट क्षेत्रों या परियोजनाओं में जोखिम के प्रति बचाव करने की संभावना है, और विशेष रूप से उद्योग क्षेत्रों और / या सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार एकाग्रता से उत्पन्न बाजार विविधताओं से स्वयं का बचाव कर सकता है। बढ़ते अनुभव और सफलता के साथ, कंपनी को उम्मीद है कि निर्माण उद्योग में सर्वश्रेष्ठ या उससे बेहतर विस्तार की दर के साथ अपने व्यवसाय में लगातार वृद्धि देखी जा सकती है।

इसके अलावा, कंपनी का लक्ष्य उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने की अपनी रणनीति को जारी रखते हुए घरेलू परियोजनाओं की तुलना में अच्छे लाभ मार्जिन वाली परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अधिक ऑर्डर प्राप्त करना है।

**राजस्व उत्पति के माध्यमः** इरकॉन धीरे–धीरे केवल अपनी परियोजनाओं के माध्यम से आय अर्जित करने के स्थान पर नियमित रूप से अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवी) के माध्यम से राजस्व और लाभ उत्पन्न करने की प्रक्रिया कर रहा है। मौजूदा परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के निरंतर संचालन के कारण इरकॉन की सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में संधारणीय आधार पर राजस्व और लाभ उत्पन्न करने की संभावनाएं व्याप्त हैं। कंपनी का लक्ष्य बीओटी, डीबीएफओटी, ईपीसी और अन्य परियोजना विकास कार्य करने के अपने एवं अपनी सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के माध्यम से करने के साथ एक निर्माण कम्पनी के स्थान पर एक विविधता सम्पन्न पोर्टफोलियो वाली कम्पनी का स्वरूप धारण करना है।

**नई परियोजनाओं के लिए सक्रिय होकर बोलीः** इरकॉन की व्यावसायिक वृद्धि को मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली बड़ी परियोजनाओं में अधिक कार्य सक्रियता से सम्बद्ध किया जाता है। टर्नकी आधार पर रेलवे की परियोजनाओं के निष्पादन में कंपनी की लंबे समय से चली आ रही प्रतिष्ठा और विशेषज्ञता के साथ, इसके व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा परियोजनाओं द्वारा संचालित है, जो सीधे सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इरकॉन का लक्ष्य अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति अपनी लाभकारी स्थिति को भुनाकर अपनी प्रवीणता और वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास द्वारा संचालित बड़ी–उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को शुरू करना है। भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलुओं से कंपनी के लिए विकास की गति को जारी रखने में मदद मिलेगी।

कंपनी अन्य प्रमुख निजी कम्पनियों के साथ घरेलू और विदेशी बाजारों में रणनीतिक गठजोड़ तैयार करने और व्यापार के अवसरों के अपने कार्यों का और विस्तार करने के लिए आक्रामक तरीके से बोलियों में भाग लेने का भी प्रयास करती है।

**इरकॉन की सुदृढ़ आर्डर बुक**

46 ₹ 34,689 करोड़

> **इरकॉन द्वारा देश के भीतर भौगोलिक कवरेज के विस्तार से कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को निष्पादित करने और अपनी स्थिति को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।**

अनुकूल वित्तीय जोखिम प्रोफाइलः इरकॉन का वित्तीय प्रोफाइल बेहतर लाभप्रदता मार्जिन और अपने परिचालनों में योगदान देने वाले सुगम रोकड़ प्रवाह की स्थिति को इंगित करता है। कंपनी की मंशा है कि ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों और परियोजनाओं के प्रति कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए आंतरिक अभिवृद्धि द्वारा न्यूनतम ऋण के साथ अपनी सकारात्मक पूंजी संरचना को बनाए रखा जाए। इसके अलावा, उच्च लाभ प्राप्त करने के लिए इरकॉन अपने तुलन पत्र पर पड़ने वाले अधिक भार अथवा इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं से बचकर उच्चतर लाभ प्राप्त करना चाहता है।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिस्थापन ऋणः इरकॉन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा सौंपे गए राजमार्ग के निष्पादन के लिए और इन एसपीवी की धन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के रूप में विभिन्न पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का गठन किया है। इरकॉन ने समय–समय पर इक्विटी और ऋण के माध्यम से निवेश किया है। इन एसपीवी में लंबी रियायत अवधि होती है, इसलिए, कुछ एसपीवी द्वारा इरकॉन निधियों को समाप्त करने के लिए, बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्थापन ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है। इन एसपीवी द्वारा ऋण के वितरण पर, इरकॉन द्वारा वित्तपोषित ऋण वापस कर दिया जाता है, इस प्रकार, कंपनी की वित्तीय शक्ति में सुधार होता है।

**सरकार द्वारा किए गए सेक्टोरल प्रयासः** वर्षों से, भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न मैक्रो–स्तरीय और क्षेत्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। अवसंरचना क्षेत्र, विशेषकर रेलवे क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अवसंरचना क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार के बढ़ते प्रयासों के साथ, इरकॉन अपने व्यवसाय के लिए कई अवसर प्राप्त करने में सक्षम रहा है। कंपनी का लक्ष्य अपने स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड का लाभ उठाकर और परिवहन इंजीनियरिंग, नागरिक और औद्योगिक निर्माण और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में अपनी अवसंरचनात्मक विविधता प्रदान करके इन अवसरों को भुनाना है।

**प्रतिभा पूल को आकर्षित करना एवं धारण करनाः** इरकॉन अपने प्रतिभाशाली कर्मचारियों के महत्व और कंपनी की सफलता में उनकी भूमिका को पहचानता है। यह आधुनिक निर्माण उपकरणों को संचालित करने, इसकी जटिल निर्माण परियोजनाओं पर विभिन्न कार्यों को पूरा

करने और मांग के अनुकूल समय पर अपने ग्राहकों को गुणवत्ता प्रदान करने के लिए उन पर निर्भर है। एक कुशल मानव संसाधन प्रणाली के साथ, इरकॉन अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह नियमित रूप से कार्य सम्बद्ध कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कार्यबल को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन का लक्ष्य अपनी महिला कर्मचारियों को एक सहज और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कंपनी के पास एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) है औरा प्रतिष्ठिक संस्थानों से बाहरी संकायों को आमंत्रित करके जेंडर सेंसिटाइजेशन पर नियमित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं की व्यवस्था करता है, जो आत्मरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित क्षेत्रों को कवर करता है। यह दिल्ली पुलिस और वरिष्ठ डॉक्टरों के सहयोग से किया जाता है। इन प्रयासों के अलावा, इरकॉन का इरादा अपेक्षाकृत कर्मचारी पलायन दर को कम रखना है और अपने भविष्य के विस्तार के लिए अपने अधिक कुशल कर्मचारियों को बनाए रखना है। यह बेहतर समग्र लाभ पैकेज और सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी वातावरण प्रदान करके किया जाता है।

## जोखिम प्रबंधन

कंपनी में एक वृहत उपक्रम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) फ्रेमवर्क विद्यमान है। ईआरएम फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन के भाग के रूप में तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार, इरकॉन में बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) विद्यमान है जो जोखिम तत्वों, उनके निवारण योजनाओं आदि के संबंध में बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करती है। आरएमसी को जोखिमों की पहचान करने और उनकी समीक्षा करने, तथा जोखिम निवारण के लिए कार्य योजनाओं और नीतियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। आरएमसी का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों की मॉनीटरिंग करना और कंपनी द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति और पद्धतियों की उपयुक्तता की जांच करना और कंपनी के प्रचालनों और अन्य प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई आरंभ करना भी शामिल है।

ईआरएम के अनुसार इरकॉन में कार्यपालक निदेशक (बोर्ड स्तर से नीचे) तथा मुख्य महाप्रबंधक स्तरों, व्यवसाय समूह, तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के स्तर पर त्वरित कार्यदल विद्यमान है, जो इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं तथा जोखिम प्रबंधन पर एम आई एस रिपोर्टों सहित एमआईएस रिपोर्ट फार्मेट तैयार किए गए हैं जिनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। त्वरित कार्यदल तथा आंतरिक लेखापरीक्षा से प्राप्त रिपोर्टों को जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से लेखापरीक्षा समिति को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

अधिकतर जोखिम में निम्नलिखित शामिल हैं:–

### परियोजना प्रबंधन जोखिम

भारत में परियोजनाओं के निष्पादन में मुख्य चिन्ता का विषय दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता और आरेखणों और अनुमानों के अनुमोदन में विलंब है जिसके कारण समय तथा लागत के बढ़ जाने का जोखिम रहता है, जिसे कई बार क्लाइंटों द्वारा पूरा किया जाता है। परियोजनाओं से सृजित होने वाले राजस्व का पूर्वानुमान कठिन है और इसमें विभिन्न कारकों के कारण परिवर्तन की संभावना रहती है।

### कोषीय जोखिम प्रबंधन और तरलता प्रबंधन

आपकी कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के बीएएसईएल–।। मापदंडों के आधार पर वर्ष 2008–09 के दौरान क्रेडिट एनेलेसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) द्वारा दीर्घकालीन गैर–निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए ''सीएआरई एएए'' रेटिंग तथा अल्पकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए ''ए1+'' रेटिंग प्रदान की गई है। सीएआरई द्वारा सितंबर, 2020 में वार्षिक निगरानी समीक्षा द्वारा इन रेटिंगों की पुनःपुष्टि की गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार कंपनी ने सरकारी निकायों, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के ढांचे और दिशानिर्देशों के भीतर बैंकों, म्यूचुअल फंड और कॉरपोरेट बॉन्ड में अपने अधिशेष धन को निवेश करने की एक कुशल निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन करके अपने अधिशेष धन का अनुकूलन जारी रखा है। कंपनी द्वारा किए गए निवेश की समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, इरकॉन विभिन्न देशों में अपने व्यवसाय को प्रचालित कर रहा है और, इसलिए, उसे विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करना पड़ता है। विदेशों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विदेशी बैंकों में कुछ निधियों का निवेश किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि अस्थाई रोकड़ प्रवाह अंतर के कारण उत्पन्न किसी आकस्मिकता से निपटा जा सके। तथापि, विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने से विदेशी विनिमय जोखिम बना रहता है और मुद्रा के विनिमय किए जाने से पूर्व विनिमय मुद्रा में प्रतिकूल परिवर्तन हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम को न्यूनतम बनाने या समाप्त करने के लिए इन विनिमय दर उच्चावचनों की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है और उपयुक्त समय में तथा नियमों के अनुसार सरप्लस निधियों को विनियमित/भारत में लाया जाता है। विभिन्न विदेशी परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा इनफ्लो तथा आऊटफ्लो में समानता स्थापित करके प्राकृतिक समतुल्य स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उचित तथा पारदर्शी रूप से विदेशी बैंकों में निधियों के स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी परियोजनाओं के लिए निवेश दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

## आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी उपयुक्तता

प्रचालन तथा वित्तीय आंतरिक नियंत्रण की एक सुव्यवस्थित अभिकल्पित तथा निरंतर सुदृढ प्रणाली से कंपनी के निदेशक मंडल तथा प्रबंधन को अपने संसाधनों को सुरक्षित रखने, विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टों को प्रस्तुत करने, तथा नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। प्रभावपूर्ण आंतरिक नियंत्रण महत्वपूर्ण त्रुटियों और अनियमितताओं की संभावना को कम करता है और इनके प्रस्तुत होने पर समय पर इनके संसूचना में सहायता करती है। इरकॉन के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा विद्यमान है, जो इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है ताकि

प्रचालनों की कुशलता को बढाया जा सके और लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी ने व्यवसाय को सुलभ बनाने के लिए प्राधिकार के ईष्टतम प्रयायोजन के लिए नीतियों और दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को निम्नलिखित के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इन नियंत्रणों को इस प्रकार अभिकल्पित किया गया है ताकि उचित लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके, तथा कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजियों और त्रुटियों का निवारण एवं संसूचन, वित्तीय और प्रचालनिक सूचना की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के संबंध में आश्वासन उपलब्ध कराया जा सके।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143 की उपधारा– 3 के खंड (प) के तहत लेखापरीक्षक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है और इसे स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपलब्ध है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समय–समय पर समीक्षा की जाती है, और बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। प्रबंधन कंपनी के वित्त और उसके संचालन की उचित समझ के लिए आवश्यक सभी वित्तीय और बजटीय जानकारी का खुलासा करता है।

### आंतरिक लेखापरीक्षा

कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा, एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए अनुभवी पेशेवरों और बाहरी ऑडिट फर्मों द्वारा किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति प्रत्येक परियोजना के टर्नओवर और पूर्णता के प्रतिशत से जुड़ी होती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा फ्रेमवर्क आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराता है, जो निविदा प्रकिया से लेकर सांविधिक अनुपालनों तक के क्षेत्रों को शामिल करता है। क्रियान्वयन हेतु इन्हें आंतरिक लेखापरीक्षकों को जारी किया जाता है ताकि आंतरिक लेखापरीक्षक प्रणाली को अधिक कुशल और परियोजना विशिष्ट बनाया जा सके इन–हाऊस पेशेवरों द्वारा विभागीय निरीक्षणों के अतिरिक्त ऑनलाइन/ऑफलाइन रिपोर्टिंग फार्मेट के माध्यम से परियोजनाओं की गहन मानीटरिंग की जाती है और मासिक आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रमुख कार्य निष्पादन सूचकांकों की मानीटरिंग की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी में एक संरचनात्मक संगठनात्मक चार्ट तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक प्रणाली विद्यमान है। इसके साथ व्यापक आंतरिक एमआईएस प्रणालियां, उपयुक्त सूचनाओं के प्रवाह को सुनिश्चित करती हैं ताकि प्रभावपूर्ण मॉनीटरिंग की जा सके।

कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षकों को उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विद्यमानता पर टिप्पणी करनी होती है और उचित जोखिम आंकलन तथा अल्पीकरण तंत्र के अस्तित्व पर विचार व्यक्त करने के अतिरिक्त इसके अनुपालन पर भी टिप्पणी करनी होती है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अनुपालनों सहित लेखापरीक्षा रिपोर्टों के सार–संग्रह को लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

कंपनी ने एसएपी ईसीसी 6.0 आधारित वित्त–नियंत्रण मॉड्यूल स्थापित किया है। एसएपी में प्रविष्टियां किए जाने के बाद उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। एसएपी ईआरपी एफआईसीओ मॉड्यूल का संवर्धन बेहतर पारदर्शिता और वित्तीय नियंत्रण और सभी परियोजनाओं के लिए खातों, अचल संपत्तियों, एमआईएस, लाभ और हानि को बनाए रखने के लिए किया गया है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए, ईआरपी – एसएपी हाना कार्यान्वयन के अधीन है जो कंपनी को वित्त वर्ष 2021–22 में सभी स्थानों पर कंपनी के सभी कार्यों को एकीकृत करने में सक्षम बनाएगा। कागज रहित कार्यालय बनाने और फाइलों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए 'ई–ऑफिस' पहले ही शुरू की जा चुकी है, निविदा फाइलों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए 'निविदा सूचना प्रणाली' भी शुरू की गई है।

आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा प्रणाली की समय–समय पर प्रबंधन सहित लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है, और इसके बाद निरंतर सुधार के एक भाग के रूप में सुधारात्मक कार्रवाई, जब भी आवश्यक हो, की जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) को मजबूत करने के लिए, इरकॉन कंपनी में प्रचलित आईएफसी प्रणाली की समीक्षा के लिए 2020 में लगी पेशेवर एजेंसी की सिफारिश का पालन कर रहा है। ईआरपी–एसएपी एचएएनए के कार्यान्वयन के बाद कंपनी के भीतर आईएफसी को और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा, एक संरचित धोखाधड़ी रोकथाम, संसूचन और नियंत्रण नीति (एफपीडीसी नीति) के साथ–साथ निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति उपलब्ध है ताकि गोपनीय रूप से ई–शिकायतों को प्राप्त किया जा सके ।

## गुणवत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण मानक

इरकॉन गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी है। वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान, कंपनी ने आईएसओ 9001:2015 के अनुसार एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है। इसने आईएसओ 14001:2015 के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली भी लागू की है।

# प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

## गुणवत्ता

इरकॉन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन को अपनाने वाला एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) को वर्ष 1996 से सफलतापूर्वक बनाए रखा गया है और इसमें लगातार सुधार किया गया है जबसे कंपनी को पहली बार टीयूवी एसयूडी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईएसओः 9002–1994 के लिए प्रमाणित किया गया था। हमने प्रमाणन जारी रखा है और गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के नवीनतम संस्करण, अर्थात आईएसओः 9001 – 2015 (हर तीन साल की समाप्ति के बाद आवधिक पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा द्वारा) के अनुसार प्रणाली को बनाए रखा है। नवीनतम पुनः प्रमाणन संपरीक्षा जनवरी, 2020 में आयोजित की गई थी, जिसके तहत कंपनी को टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तीन साल की और अवधि के लिए, अर्थात मार्च 2023 तक फिर से प्रमाणित किया गया है।

वर्ष के दौरान, कोविड–19 का प्रकोप दुनिया में बड़े पैमाने पर उद्योगों और आबादी को प्रभावित कर रहा है। कोविड–19 के प्रभावों को दूर करने के लिए, इरकॉन ने कोविड–19 की रोकथाम के लिए नवीनतम तकनीकों और डिजिटल समाधानों को अपनाया है और अपने ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को सुनिश्चित करके गुणवत्ता केंद्रित संगठन के रूप में उभर कर सामने आया है।

कोविड–19 महामारी को देखते हुए, कंपनी ने कंक्रीट सेंसर, हेलिकल पाइल्स, रिजिड जियोसेल्स, टनल ड्रेनेज और रॉकफॉल प्रोटेक्शन जैसे विषयों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म (अर्थात गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम आदि) को अपनाकर तकनीकी ज्ञान साझा करने की पहल जारी रखी है। ट्रैक फास्टनिंग्स और नवीनतम ट्रैक पेरिफेरल्स, बीआईएम सॉल्यूशंस, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस और कई अन्य तकनीकी और साथ ही संगठन की मुख्य क्षमता अर्थात रेलवे, राजमार्ग, सुरंग और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में तकनीकी समाधान को लागू किया है।

इसके अलावा, संगठन के भीतर प्रत्येक कर्मचारी की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए बेहतर सुपुर्दगी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना पेशेवरों के साथ गुणवत्ता परिषद बैठक आयोजित की गई हैं। कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमारे परियोजना स्थलों पर आरएसीआई मैट्रिक्स को निर्धारित और कार्यान्वित किया गया है। सामग्री परीक्षण योजना और प्रारूपों के साथ परियोजना प्रक्रिया नियमावली (पीपीएम) का मानकीकरण कंपनी की आंतरिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ताकि ज्ञान साझा करने और परियोजनाओं को परियोजना स्तर पर आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में मदद मिल सके। परियोजनाओं की जटिल और विविध प्रकृति के बावजूद, गुणवत्ता प्रक्रियाओं के मानकीकरण के लिए इरकॉन की पहल संगठनात्मक ढांचे के भीतर पूर्ण एकीकरण प्राप्त करने की दिशा में अग्रणी मार्ग प्रदान करता है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए गुणवत्ता अधिकारियों को उनकी संबंधित परियोजनाओं पर क्यूएमएस की निगरानी के लिए नामित करती है, और इसे कार्य निष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया गया है।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कॉर्पोरेट गुणवत्ता परिषद और परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठक कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना स्थल पर त्रैमासिक रूप से आयोजित की जा रही है। गुणवत्ता उद्देश्यों को कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना दोनों स्तरों पर मापा जाता है और समीक्षा की जा रही है। कोविड–19 महामारी के मद्देनजर परियोजना और कॉर्पोरेट कार्यालय के समन्वय से सभी आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट, और गुणवत्ता आश्वासन ऑडिट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किए गए हैं। इन लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट न केवल लेखापरीक्षा के दौरान सामने आई गैर–अनुरूपताओं का विवरण प्रदान करती है बल्कि परियोजना की मुख्य विशेषताएं, प्रगति, सकारात्मक बिंदु, यदि कोई हो, और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को भी प्रकट करती है।

## सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन (एसएचई)

कंपनी ने एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) की स्थापना की है और अक्टूबर 2011 में आईएसओः 14001–2004 के लिए प्रमाणित किया गया था। आईएसओ 14001–2015 के लिए नवीनतम पुनः प्रमाणन ऑडिट जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था, जिसके तहत कंपनी को अन्य तीन वर्षों के लिए पुनः प्रमाणित किया गया था अर्थात फरवरी 2023 तक। इरकॉन के पास आईएसओः 45001–2018 भी है, और आईएसओः45001–2018 का पुनः प्रमाणीकरण दिनांक 27 दिसंबर, 2021 को होने वाला है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड–19 महामारी को देखते हुए, कंपनी सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए एहतियाती उपायों / दिशानिर्देशों का पालन करती है। साथ ही थर्मल स्कैनर, आरोग्यसेतु ऐप, स्वचालित सैनिटाइजेशन मशीन, पेपर डिसइंफेक्शन मशीन आदि जैसे निगरानी उपकरणों को लागू करके कार्यस्थल में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए तेजी से पहल की है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए एसएचई अधिकारियों को उनकी संबंधित परियोजनाओं में वैधानिक कानूनों के अनुपालन की निगरानी के लिए नामित करती है, और इसे कंपनी के अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया जाता है ताकि ठेकेदार द्वारा काम के निष्पादन के दौरान एसएचई प्रबंधन मानकों को लागू किया जा सके।

इसके अलावा, आपातकालीन तैयारी योजना, एसएचई मैट्रिक्स, पीपीई मैट्रिक्स, सुरक्षा और पर्यावरण जांच सूची जैसे दस्तावेज भी इरकॉन इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं।

## पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी ने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) स्थापित की है और इसे अक्तूबर, 2011 में आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित किया गया है। आईएसओ 14001:2015 के लिए अद्यतन पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा जनवरी, 2020 में किया गया है, जिसके द्वारा अगले तीन वर्षों यथा फरवरी, 2023 तक कंपनी को पुनःप्रमाणित किया गया है।

# प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अधिकारियों को ईएमएस और उनके संबंधित परियोजनाओं पर पर्यावरण कानूनों के अनुपालन की निगरानी के लिए नामित करती है, और ठेकेदार द्वारा पर्यावरण प्रबंधन मानकों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया गया है। पर्यावरणीय जाँच सभी परियोजनाओं द्वारा विकसित और प्रचालिपत की गई है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण सहिष्णु उपकरणों जैसे सौर पैनलों को भी विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में संस्थापित किया गया है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल की रीसाइकलिंग की जाती है, और इसे हॉर्टिकल्चर कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण नोएडा, गुडगांव, तथा एमएफसी भवनों में भी किया जा रहा है।

विद्युत और जल के संरक्षण को लिए निगमित कार्यालय में एलईडी लाइट, सेंसर लाइट और सेंसर नलों का प्रयोग किया जा रहा है। कंपनी के विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में विभिन्न पर्यावरण सहिष्णु कदम उठाए जा रहे हैं जैस, मिट्टी की ईंटों के स्थान पर फ्लाई ऐश की ईंटों का प्रयोग, वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था, सेंसर नियंत्रित क्रोमियम प्लेट फिटिंग, नवीनतम प्रकार के फेसेड ग्लास (भवनों में ग्लास) का प्रयोग, ताकि भवन को धारणीय बनाया जा सके।

## मानव संसाधन

इरकॉन एक ऐसे संगठन का स्वरूप धारण करना चाहता है जिसका ध्यान अपने कर्मचारियों की समृद्धि और समग्र विकास पर केन्द्रित हो। यह अपने मानव संसाधन में निवेश करके अपने संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास रखता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के पास अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता है। इरकॉन के मानव संसाधन विकास प्रयास उद्योग के प्रचलित मानकों के साथ संरेखित हैं। कंपनी सकारात्मक कार्यस्थल के महत्व को समझती है, और इसे बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करती है। इरकॉन का लक्ष्य एक प्रेरक और संतोषजनक कार्यशील वातावरण बनाना है, जहाँ कर्मचारी कंपनी में अधिक योगदान देते हैं।

कंपनी को अपने अत्यधिक प्रेरित और सक्षम मानव संसाधन और इसके योगदान पर गर्व है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को हमारी कंपनी की कुल कर्मचारियों की संख्या 1298 थी।

## कर्मचारी उत्पादकता

पिछले 5 वर्षों में कर्मचारी उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी की कुल आय 5200 करोड़ रूपए है। वित्त वर्ष 2010–21 के लिए प्रति कर्मचारी कुल आय 4.01 करोड़ रूपए रही, जबकि वित्त वर्ष 2019–20 में यह 3.98 करोड़ रूपए थी।

**दि.व. 2021 के दौरान इरकॉन कार्मिक प्रशिक्षण**

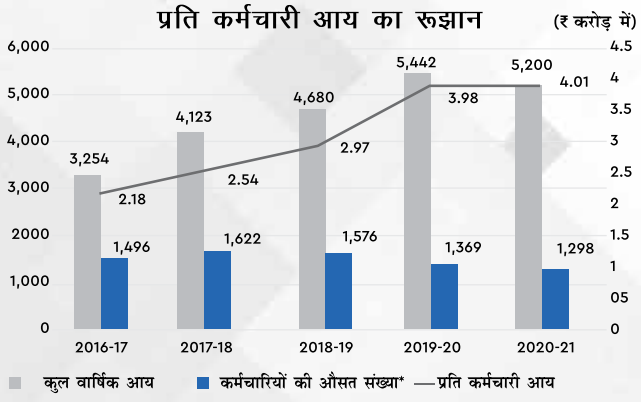
1084 कार्य दिवस




वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान नौकरी छोड़ने की दर कम हो गई है और पिछले वर्ष के 9.9 प्रतिशत की तुलना में यह 7.85 प्रतिशत हो गई है।

### भर्ती

अपने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बनाए रखने के लिए, कंपनी विभिन्न माध्यम से पदानुक्रम में सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली जनशक्ति को शामिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रतिनियुक्ति पर और अन्य सरकारी विभागों और रेलवे से अवशोषण के आधार पर, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भर्ती और तीसरे पक्ष के पेरोल पर नए स्नातक इंजीनियर, पेशेवर, प्रबंधन प्रशिक्षु, खुले बाजार से अनुभवी कर्मियों को शामिल किया जाता है। कंपनी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिला कर्मचारियों की उन्नति के लिए समान अवसर और एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम भर्ती पद्धतियों को अपनाया है। ये नीतियां ''समान अवसर नियोक्ता'' बनने पर जोर देने के साथ प्रबंधन की खुली और नवीन मानसिकता को दर्शाती



हैं। कंपनी अपनी भर्ती नीतियों को कंपनी के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए पुनःनिर्धारित करती है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, 11 कर्मचारियों को पूर्णकालिक आधार पर भर्ती किया गया था, जबकि 89 को सेवा अनुबंध सहित अनुबंध के आधार पर भर्ती किया गया था, समावेशी रोजगार की नीति के रूप में, शामिल किए गए लोगों में से 59 अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं। कंपनी ने 8 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल करने के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी लागू किया है। कार्यकाल आधारित नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। खुले बाजार में भर्ती के अलावा, एनआईटी सूरत, एनआईटी जयपुर और जादवपुर विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थानों से भी कैंपस भर्ती की गई थी। विविध प्रेरण विधियों से कंपनी को एक समृद्ध प्रतिभा पूल का दावा करने की अनुमति मिलती है जिसमें आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, एक्सएलआरआई, एससीएमएचआरडी और एमडीआई आदि से निविदा पर अनुभवी और नए स्नातकों को नियुक्त किया गया हैं।

## प्रतिनियुक्ति

प्रशिक्षित और अनुभवी जनशक्ति की निरंतर आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से परियोजना की आवश्यकताओं को देखते हुए, अनुभवी और प्रशिक्षित जनशक्ति को भारतीय रेलवे और अन्य सरकारी विभागों से एक निश्चित कार्यकाल के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर शामिल किया जाता है। वर्ष के दौरान, 04 कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर शामिल किया गया, जिससे प्रतिनियुक्ति पर कुल कार्मिक संख्या 26 हो गई है।

## प्रशिक्षण एवं विकास

इरकॉन सभी स्तरों पर कर्मचारियों के योग्यता पूल के निर्माण के उद्देश्य से सक्षमता–आधारित संरचना के निर्माण की ओर अग्रसर है। सक्षमता मैपिंग के परिणामस्वरुप, वरिष्ठ और मध्यम स्तर के प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं। इसके आधार पर, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान की जाती है और अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण और विकास को एक उच्च फोकस क्षेत्र के रूप में देखते हुए, कर्मचारियों को अनुबंध प्रबंधन, मध्यस्थता, पीएमपी, आईपीएमए–स्तर डी प्रमाणन, परियोजना प्रबंधन, प्रबंधकीय प्रभावशीलता, वार्ता, व्यवसाय विकास और रणनीति, जोखिम प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न डोमेन में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत और विदेशों में प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईएम, आईएसबी हैदराबाद, आदि द्वारा आयोजित नेतृत्व कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों और वरिष्ठ व्यापारिक नेतृत्व हेतु विभिन्न तकनीकी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, 1084 मानव–दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें लगभग 611 कर्मचारियों को शामिल किया गया, जिसमें इंजीनियरिंग भू–विज्ञान और जियोटेक पर प्रशिक्षण, जेम पोर्टल के उपयोग पर प्रशिक्षण, निवारक सतर्कता पर पाठ्यक्रम, श्रम कानून और मानव संसाधन अनुपालन, पाठ्यक्रम ईआरपी कार्यक्रम आदि शामिल थे और कई अन्य व्यवहारिक, तकनीकी, गैर–तकनीकी आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं प्रदान की गईं। कंपनी ने अगले कुछ वर्षों के लिए मानव संसाधन के लिए एक महत्वाकांक्षी विकास योजना की कल्पना की है, और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए 3–5 दिनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष रूप से भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान, से डिजाइन किए गए हैं। इसलिए, हमारी मानव पूंजी को मजबूत करना हमारे कार्यों का मूल आधार है। इरकॉन कर्मचारियों को उनके करियर में आगे बढ़ने हेतु मदद करने के लिए कई पहल करता है। कनिष्ठ कर्मचारियों के लिए परामर्श और कौशल विकास कार्यक्रम और वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए विशेष नेतृत्व विकास कार्यक्रम जैसी प्रगतिशील नीतियां कार्यस्थल को अधिक कर्मचारी–अनुकूल बनाने की दिशा में आगे बढ़ी हैं।

## कैरिअर प्रोग्रेशन

कंपनी की पदोन्नति नीति सुदृढ है और समय की कसौटी पर खरी उतरी है। यह योग्य कर्मचारियों को कैरियर की प्रगति और उत्तराधिकार योजना के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। संगठन की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप योग्यता, उपयुक्तता, निष्पादन और पेशेवर उपलब्धियों के अनुरूप, कर्मचारियों को वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत किया जाता है। विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) 2021 में कार्यपालक श्रेणी में कुल 124 और गैर–कार्यपालक श्रेणी में 34 को पदोन्नत किया गया था।

## उत्तराधिकार नियोजन

कंपनी की उत्तराधिकार योजना नीति वर्तमान और अनुमानित व्यावसायिक उद्देश्य के अनुरूप कर्मचारियों की पहचान, विकास और उन्हें बनाए रखने के लिए एक एकीकृत और व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करती है। कंपनी की उत्तराधिकार योजना नीति के तहत, ई–7 से ई–9 के स्तर के 48 कर्मचारियों को भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संभावित नेतृत्व के उत्तराधिकार पूल के रूप में रखा गया था। संभावित नेतृत्व के इस पूल को तैयार करने के लिए, वर्ष के दौरान भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में नेतृत्व और प्रबंधन विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कंपनी के निदेशक मंडल ने पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (पीसीएमएम) को स्तर–3 तक अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए इरकॉन ने मेसर्स क्यूएआई लिमिटेड को ट्रांजिशन साझेदार के रूप में नियुक्त किया है। इरकॉन ने पहले ही पीसीएमएम के स्तर–2 के अनुसार अंतरालों को बंद कर दिया है और अब पीसीएमएम के स्तर–3 के अंतराल को बंद करने के लिए सलाहकार के साथ काम कर रहा है।

## निष्पादन प्रबंधन प्रणाली

कंपनी के पास एक निष्पादन प्रबंधन प्रणाली है जो आईटी सक्षम है और निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) से जुड़ी है। पीआरपी प्रणाली कंपनी के वार्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में कंपनी के निष्पादन, टीम के निष्पादन और व्यक्तिगत योगदान जैसे शीर्षों के तहत कर्मचारी के निष्पादन के विभिन्न घटकों को प्राप्त करने में मदद करती है। दल के प्रदर्शन पर जोर से कर्मचारियों को दल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तालमेल और सामंजस्य के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त होते हैं।

# प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

### सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग

व्यवसाय की निरंतरता बनाए रखने और कर्मचारियों को घर से काम करने में सक्षम बनाने के लिए, आईटी विभाग ने डिजिटल प्रारूप में रिकॉर्ड रखने और दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए ई–ऑफिस को लागू करने के लिए एक पहल की है। कर्मचारी रिकॉर्ड, छुट्टी रिकॉर्ड, प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस), वार्षिक संपत्ति रिटर्न, कर्मचारी के कार्य, आदि जैसे मानव संसाधन कार्यों को एक ई–प्रारूप में रखा गया है, जिससे कागज का उपयोग कम हो जाता है, पारदर्शिता और दक्षता आती है, और गुणवत्ता में सुधार होता है। कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल और विभिन्न सोशल मीडिया मोड के माध्यम से कर्मचारियों को नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचित किया जाता है।

### प्रेरणा, पुरस्कार और मान्यता

असाधारण प्रदर्शन को पहचानने के लिए, कर्मचारियों को समय–समय पर पुरस्कार और मान्यता प्रदान की जाती है। एक वित्तीय वर्ष में असाधारण प्रदर्शन करने वाले मेधावी कर्मचारी को सीएमडी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा, कर्मचारियों को वर्ष के दौरान उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए विभिन्न व्यक्तिगत और समूह पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

### कर्मचारी कल्याण

सेवा के दौरान, कर्मचारियों को परिवहन, आवास, पट्टे पर आवास, रियायती भोजन और चिकित्सा सुविधाओं जैसे मौद्रिक और गैर–मौद्रिक लाभों के संदर्भ में उदार भत्ते, भत्ते और सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसका प्राथमिक उद्देश्य उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस प्रकार, कंपनी ने अपने कर्मचारियों के समग्र कल्याण में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है।

मातृत्व अवकाश और एडोप्शन अवकाश, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान इत्यादि जैसे वैधानिक लाभों को शामिल करने के अलावा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल (नियमित चिकित्सा जांच), लंबे समय तक इलाज खर्च की प्रतिपूर्ति जैसी नीतियों में अतिरिक्त लाभों को शामिल किए गए हैं। एलोपैथिक, होम्योपैथिक डॉक्टरों की उपलब्धता और वैकल्पिक चिकित्सा की सुविधा, जिम की सुविधा जैसी मनोरंजक गतिविधियाँ, वेंडिंग मशीनों के माध्यम से मुफ्त चाय/कॉफी का प्रावधान, और शिक्षा के लिए कर्मचारियों के बच्चों को योग्यता छात्रवृत्ति नकद पुरस्कार और उच्च शिक्षा, अंतिम संस्कार खर्च, रिसॉर्ट सुविधा, आदि शामिल हैं।

बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण, अग्रिम, हाउस लीज पॉलिसी के रूप में कर्मचारी सहायता कार्यक्रम, टीबी, कुष्ठ, कैंसर, मानसिक रोग या किसी अन्य लाईलाज बीमारी जैसी लंबी बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को संकट से राहत, जब वे बिना वेतन के छुट्टी पर हों, और कार्यकारी–I श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों के लिए आवश्यक होने पर कृत्रिम अंगों की आपूर्ति आदि की व्यवस्था है।

कर्मचारियों और कंपनी के बीच एकता की भावना को बढ़ाने के लिए आवधिक उपहार जैसे सेवानिवृत्ति उपहार, कर्मचारी की शादी और उसके बच्चे की शादी के लिए उपहार, जन्मदिन का उपहार,

**इरकॉन सभी स्तरों के कर्मचारियों के सक्षमता पूल का निर्माण करने के उद्देश्य से सक्षमता आधारित फ्रेमवर्क की ओर अग्रसर है।**

पिकनिक उपहार, दिवाली उपहार और वार्षिक दिवस उपहार आदि दिए जाते हैं।

भविष्य निधि, उपदान, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना सहित उदार सेवानिवृत्ति लाभ प्रचलन में हैं। प्रतिधारण उपकरण के रूप में काम करते हुए ये योजनाएं कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु और ग्रुप–डी (गैर–कार्यकारी क्लस्टर–I) कर्मचारियों के आश्रित (पति या पत्नी या बच्चों के लिए) की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार खर्च प्रदान किया जाता है, और सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु / स्थायी अक्षमता पर अनुग्रह राशि आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रदान किया जाता है। परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय के रूप में, कर्मचारियों के लिए अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी, टर्म प्लान और बचत से जुड़े बीमा के रूप में उदार बीमा कवर लिया गया है।

अप्रैल 2014 में एक 24x7 हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, जिसमें किसी भी कर्मचारी को किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए समर्पित मोबाइल नंबर (क्षेत्रवार) उपलब्ध होता हैं।

### महिला विकास

कंपनी ने समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाया है और लैंगिक मुद्दों, यौन उत्पीड़न और अनुकूल कार्य परिस्थितियों पर कई कार्यक्रम आयोजित करके महिला कर्मचारियों की उन्नति और विकास के लिए एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण प्रदान किया है। साथ ही, महिला कर्मचारियों को बिना किसी लैंगिक पूर्वाग्रह के समान अवसर की व्यवस्था को बल प्रदान करने के लिए उन्हें बैठकों, परियोजना कार्यों और समितियों आदि में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। प्रबंधन हमेशा ऐसी व्यवस्थाओं को अपनाने और ऐसा वातावरण बनाने में अग्रणी रहा है, जहां महिलाएं निर्णय लेने के लिए मजबूत, आत्मविश्वास और सशक्त महसूस करती हैं। अपनी महिला कर्मचारियों को संरक्षित और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक समिति (पीओएसएच) मौजूद है।

### ई–शिकायत निवारण

कर्मचारियों की शिकायत को तुरंत और समान रूप से संबोधित करने और उनका समाधान करने के लिए कंपनी में ई–शिकायत निवारण

प्रणाली मौजूद है, जिसमें कर्मचारी अपनी शिकायत ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और इसके प्रतिउत्तर और शिकायत की लाइव स्थिति देख सकते हैं। कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) पोर्टल के माध्यम से भी कर्मचारी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जनता का कोई भी सदस्य या कंपनी का पूर्व कर्मचारी भी कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा, केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से रेल मंत्रालय को ऑनलाइन शिकायतें की जा सकती हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने के लिए प्रत्येक वैकल्पिक मंगलवार का दिन निर्धारित किया है।

### व्हिसल ब्लोअर नीति

इरकॉन का एक अलग और सुव्यवस्थित सतर्कता विभाग है, जो कर्मचारियों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या कंपनी के साथ व्यापार करने वालों से संबंधित धोखाधड़ी या संदिग्ध कदाचार से निपटने के लिए कार्य करता है। इसके अलावा, अनैतिक गतिविधियों की निगरानी और उन पर नियंत्रण लगाने के लिए व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति भी लागू है।

## भारत सरकार की पहलों के लिए योगदान

कंपनी हमेशा भारत सरकार की पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन करती रही है जैसे कि स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्टार्ट–अप इंडिया, मेक इन इंडिया, जिसमें एमएसएमई, डिजिटल इंडिया, सरकार के अनुरूप अपने व्यवसाय या शासन उद्देश्यों को तैयार करके सौर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना शामिल है।

### एमएसएमई को बढ़ावा देना

एक सीपीएसई होने के नाते, कंपनी की खरीद नीति और पद्धतियां सीवीसी दिशानिर्देशों सहित सरकारी नीतियों और प्रथाओं द्वारा निर्देशित होती हैं। ये पारदर्शी खरीद तंत्र पर आधारित हैं, जो स्थानीय और छोटे उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को भी बढ़ावा देता है। इरकॉन एमएसई से सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर रहा है। तदनुसार, उन छोटे उत्पादकों को खरीद वरीयता दी जाती है जो कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य बैंड के भीतर अपनी कीमत उद्धृत करते हैं। कंपनी ने भारतीय बोलीदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया भी अपनाई है। इसके अलावा, एमएसई के बीच अधिक जागरूकता लाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कंपनी द्वारा एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने सामग्री और स्टोर पर 380.15 करोड़ रूपए मूल्य के व्यय के प्रति एमएसई विक्रेता से 163.08 करोड़ रूपए मूल्य की वस्तुओं की खरीद की है, जिसमें से एमएसई विक्रेताओं के दायरे और क्षमता से परे वस्तुओं का मूल्य 84.30 करोड रुपये हैं। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने खरीद नीति के अनुपालन में एमएसई के दायरे और क्षमता से परे वस्तुओं के मूल्य को छोड़कर एमएसई से 295.85 करोड़ रूपए मूल्य की शुद्ध खरीद का 55 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया है।

## चेतावनी विवरण

कंपनी के उद्देश्यों, पूर्वानुमानों, अनुमानों, संभावनाओं का वर्णन करने वाले प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए विवरण कंपनी के प्रबंधन के मतानुसार लागू नियमों और विनियमों के भीतर अग्रणी विवरण हो सकते हैं। ऐसे विवरण भावी घटनाओं के संबंध में कंपनी के वर्तमान दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं और यह जोखिमों और अनिश्चितताओं के मद्देनजर हो सकते हैं। कई कारक इस रिपोर्ट के पूर्वानुमान से सामग्रीगत रूप से भिन्न परिणाम प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें, अन्य कारकों के साथ–साथ शामिल हैं, कंपनी के प्रचालन के क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सामान्य आर्थिक और व्यवसायिक परिस्थितियां, व्यवसाय नीति में परिवर्तन, ब्याज की दरों मुद्रास्फीति, मुद्रा अवनति, विदेशी मुद्रा दरों तथा उद्योग में प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन, सरकारी विनियमों, कर नियमों तथा अन्य सांविधिक और अन्य आकस्मिक कारकों में परिवर्तन। कंपनी किसी भावी विवरणों के सार्वजनिक उद्यतन के किसी दायित्व को स्वीकार नहीं करती है, वह चाहे नई सूचना, भावी घटना या अन्यथा हो।

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

ह0/–

**(मुकेश कुमार सिंह)**
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(एल/ए) एवं निदेशक (वित्त)
(डीआईएनः 06607392)

दिनांक : 24.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

# निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल को कम्पनी के व्यापार एवं परिचालनों की 45वीं वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय विवरणों के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

## वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

| विवरण | स्टैंडएलोन | | | CONSOLIDATED | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वित्तीय वर्ष 2020–21 | वित्तीय वर्ष 2019–20 | प्रतिशत परिवर्तन | वित्तीय वर्ष 2020–21 | वित्तीय वर्ष 2019–20 | प्रतिशत परिवर्तन |
| **वित्तीय परिणाम:** | | | | | | |
| कुल आय / टर्नओवर | **5,200** | 5,442 | **(4.44)** | 5,523 | 5,540 | **(0.29)** |
| कुल प्रचालन आय / टर्नओवर | **4,948** | 5,202 | **(4.89)** | 5,342 | 5,392 | **(0.91)** |
| विदेशी परियोजनाओं से प्रचालन आय | **582** | 443 | **31.38** | 584 | 450 | **29.78** |
| भारतीय परियोजनाओं से प्रचालनिक आय | **4,366** | 4,759 | **(8.26)** | 4,758 | 4,941 | **(3.70)** |
| कर पूर्व लाभ | **574** | 673 | **(14.65)** | 578 | 672 | **(14.05)** |
| कर पश्चात लाभ | **405** | 490 | **(17.40)** | 391 | 485 | **(19.41)** |
| निवल सम्पत्ति | **4,406** | 4,161 | **5.90** | 4,403 | 4,171 | **5.56** |
| **विनियोजन:** | | | | | | |
| लाभांश (अंतिम और अंतरिम)* | **221** | 223 | **(0.09)** | | | |
| लाभांश संवितरण कर# | **4.30** | **5.21** | **(17.47)** | | | |

*नोट :*

** अंतिम प्रस्तावित लाभांश (आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारों के अनुमोदन के आधार पर)।*

*# अप्रैल 2020 में 1:5 के अनुपात में स्टॉक विघटन और मई 2021 में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी होने के पश्चात।*

### वित्तीय आकर्षण

कोविड–19 महामारी ने दुनिया को अव्यवस्थित कर दिया है। इसका प्रभाव, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न है किन्तु निर्माण उद्योग में इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। इसलिए, वित्त वर्ष 2020–21 के वित्तीय निष्पादन वित्तीय वर्ष 2019–20 के साथ विशुद्ध रूपए से तुलनीय नहीं हैं, जो कि कोविड–19 की प्रतिकूलताओं के कारण लगभग पूरे वर्ष जारी रहे। सभी प्रतिकूलताओं के बावजूद, कंपनी वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 5200 करोड रूपए की कुल आय प्राप्त करने में सक्षम रही है, जबकि वित्त वर्ष 2019–20 में यह 5,442 करोड़ रूपए थी जो 4.44 प्रतिशत की साधारण कमी को दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी का प्रचालनिक टर्नओवर 4948 करोड़ रहा, जबकि यह वित्त वर्ष 2019–20 में 5,202 करोड़ थी, जो 4.89 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। हालांकि, कंपनी द्वारा प्राप्त प्रचालनिक टर्नओवर वित्त वर्ष 2020–21 के लिए रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के समीप है।

कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 14.65 प्रतिशत की कमी आई है जो वित्त वर्ष 2019–20 में 673 करोड़ रूपए से वित्त वर्ष 2020–21 में 574 करोड़ रूपए हो गया था। कर पश्चात लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 2019–20 में 490 करोड़ रूपए से घटकर वर्ष 2020–21 में 405 करोड़ रूपए हो गया है जो 17.40 प्रतिशत की कमीं को दर्शाता है।

आपकी कंपनी की निवल परिसंपत्ति 5.90 प्रतिशत बढ़ गई है, जो वित्त वर्ष 2019–20 में 4161 करोड़ रूपए से वित्त वर्ष 2020–21 में 4406 करोड रूपए हो गई है, और वित्त वर्ष 2020–21 में प्रति शेयर आय 4.30 रूपए प्रति शेयर थी (अप्रैल 2020 में 1:5 के अनुपात में स्टॉक

विभाजन और मई 2021 में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के पश्चात)।

### लाभांश

कंपनी शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने पर केंद्रित करती है और कम्पनी वित्त वर्ष 1980–81 के बाद से लगातार लाभांश का भुगतान करने का ट्रैक रिकॉर्ड है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए फरवरी, 2021 में निदेशक मंडल ने प्रति इक्विटी शेयर (2 रूपए प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) 1.30 रूपए का अंतरिम लाभांश (अर्थात कुल 94.05 करोड़ रूपए की चुकता पूंजी पर 650 प्रतिशत) जिसकी कुल राशि 61.14 करोड़ रूपए (लगभग) है, घोषित किया गया था। लागू करों की कटौती के पश्चात, इस लाभांश का भुगतान सभी शेयरधारकों को 3 मार्च, 2021 को कर दिया गया था।

निदेशक मंडल ने आगे वित्तीय वर्ष 2020–21 में अर्जित लाभ में से 2/– रूपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर 1.32 रूपए (अर्थात 188.05 करोड़ रूपए की प्रदत्त पूंजी पर 66 प्रतिशत), कुल राशि 124.15 करोड़ रूपए, का अंतिम लाभांश चुकता किए जाने की सिफारिश की गई थी जो शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त पर थी।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल लाभांश की राशि का योग 185.28 करोड़ रूपए (अनुमानित) (अर्थात 188.10 करोड़ रूपए की चुकता पूंजी पर 98.5 प्रतिशत) है, जो कर पश्चात लाभ का 45.80 प्रतिशत तथा 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की निवल सम्पति का 4.20 प्रतिशत है। अनुमोदन और भुगतान के पश्चात वित्तीय वर्ष 2020–21 तक शेयरधारकों को चुकता किए गए संचयी लाभांश का योग 2103.59 करोड़ रूपए (लगभग) हो जाएगा।

लाभांश की घोषणा लाभांश वितरण नीति के अनुसार की गई है जिसकी रूपरेखा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, यथा संशोधित (सूचीकरण विनियम) के विनियम 43क की शर्तों के अनुरूप तैयार किया गया है।

कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020–21 की पहली छमाही के दौरान परियोजनाओं के निष्पादन में व्यवधान आया है, जिसके परिणामस्वरूप कम टर्नओवर और लाभ प्राप्त हुआ है। उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की तरलता की स्थिति और इसकी सहायक कंपनियों और जे.वी. में भविष्य की निवेश प्रतिबद्ध ताओं के साथ, डीआईपीएएम दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित दर की तुलना में कम लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, द्वारा जारी ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन'' पर दिशानिर्देशों के तहत वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) से अनुमोदन मांगा गया है।

### शेयरों की बिक्री के लिए प्रस्ताव

'सूचीकरण विनियमों' के अनुसार, इरकॉन के एक सूचीबद्ध निकाय होने के कारण उसके लिए प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम–19(2) और नियम–19ए में निर्दिष्ट न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है। सेबी ने एमपीएस अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए अगस्त 2021 तक की अनुमति प्रदान की है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी के प्रमोटर अर्थात ''रेल मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के राष्ट्रपति'' ने स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 16 प्रतिशत विनिवेश किया है (अर्थात 3 मार्च, 2021 को गैर–खुदरा निवेशकों को 5,26,68,882 इक्विटी शेयर और 4 मार्च, 2021 को खुदरा निवेशकों को 2,25,72,378 इक्विटी शेयर अर्थात कुल मिलाकर 7,52,41,260 इक्विटी शेयर) 89.75 रूपए की दर से प्रति शेयर की राशि 677.07 करोड रूपए (स्टॉक एक्सचेंज संव्यवहार शुल्क और सभी लागू करों और शुल्कों सहित)। बिक्री के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, भारत के राष्ट्रपति की धारक कंपनी में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 89.18 प्रतिशत से घटकर 73.18 प्रतिशत हो गई है, और इस प्रकार कंपनी एमपीएस की अपेक्षा के अनुपालपन में है।

दिनांक 31 मार्च, 2021 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के बाजार मूल्य के आधार पर इसे शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में रखा गया है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को इसका बाजार पूंजीकरण 4152.38 करोड़ रूपए था।

### शेयर पूंजी / डिमैटियरलाइजेशन

#### (क) शेयरों का विभाजन

10/– रूपए के अंकित मूल्य के एक (1) इक्विटी शेयर का प्रत्येक 2/– रूपए के अंकित मूल्य के पांच (5) इक्विटी शेयरों में विभाजन और कंपनी के समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) में पूंजी खंड में परिणामी संशोधन को वर्ष 2019–20 में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, शेयर के अंकित मूल्य में परिवर्तन किए जाने का प्रभाव उन स्टाक एक्सचेंजों में शेयर के मूल्य पर हुआ था जहां कम्पनी 2/– रूपए अंकित मूल्य प्रत्येक के शेयरों के लिए 3 अप्रैल, 2020 से सूचीबद्ध (बीएसई तथा एनएससी) है तथा शेयर के 2/– रूपए प्रत्येक अंकित मूल्य के संबंध में कार्पोरेट कार्रवाई 8 अप्रैल, 2020 को पूरी कर ली गई थी क्योंकि इसके उद्देश्य से रिकार्ड तिथि 7 अप्रैल, 2020 थी। तदनुसार कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 2/– रूपए मूल्य प्रत्येक के 200 करोड़ शेयरों के प्रति 400 रूपए के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था तथा कम्पनी की जारी एवं चुकता शेयर पूंजी 2/– रूपए मूल्य प्रत्येक 470,257,870 इक्विटी शेयरों के प्रति 94.05 करोड़ रूपए है।

#### (ख) बोनस शेयर

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, 2/– रूपए के अंकित मूल्य के पूर्ण भुगतान वाले बोनस शेयरों को 1:1 के अनुपात में जारी करना अर्थात 2 रूपए के प्रत्येक एक (1) शेयर के लिए प्रत्येक 2 रूपए का एक (1) नया पूर्णता प्रदत्त इक्विटी शेयर कंपनी के सदस्यों द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। इस उद्देश्य की रिकॉर्ड तिथि 21 मई, 2021 थी और शेयरों का आवंटन 23 मई, 2021 को किया गया था। 25 मई, 2021 को बीएसई और एनएसई से सैद्धांतिक मंजूरी

मिलने के पश्चात, बोनस शेयरों के क्रेडिट की कॉर्पोरेट कार्रवाई 01 जून 2021 को पूरी की गई थी। तदनुसार, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 94.05 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 188.10 करोड़ रूपए हो गई है अर्थात प्रति 2/– रूपए के 94,05,15,740 इक्विटी शेयर।

### (ग) शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन

दिनांक 30 जून, 2021 तक, सभी शेयर (भौतिक रूप में केवल 5817 शेयरों को छोड़कर) डीमैट रूप में रखे गए हैं और शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

## आरक्षित निधि में अंतरण

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिधारित आय का विनियोग 183.84 करोड़ रूपए के प्रस्तावित अंतिम लाभांश के पश्चात 159.89 करोड रूपए था।

## पूंजीगत व्यय और चलनिधि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने स्टेंडअलोन आधार पर घरेलू और विदेशी परियोजनाओं में पूंजीगत परियोजनाओं पर 34.01 करोड़ रूपए खर्च किए, जिसमें मुख्य रूप से 0.32 करोड़ रूपए के संयंत्र और मशीनरी के अधिग्रहण के लिए और सैप ईआरपी पर 2.15 करोड रूपए खर्च किए गए। व्यापक स्तर पर व्यय के बावजूद, कंपनी वर्ष के दौरान सकल ऋण स्तर को स्थिर रखने में सफल रही है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को कंपनी की तरलता की स्थिति 3250.46 करोड़ रूपए पर सुदृढ बनी हुई है, जिसमें 322.27 करोड़ रूपए नकद और नकद समकक्ष हैं और 2928.19 करोड रूपए अन्य बैंक शेष शामिल हैं, जिसमें 2018.35 करोड़ की ग्राहक निधि भी शामिल है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने समेकित आधार पर घरेलू और विदेशी परियोजनाओं में पूंजीगत परियोजनाओं पर 31.92 करोड़ खर्च किया है, जिसमें मुख्य रूप से 0.32 करोड़ के संयंत्र और मशीनरी के अधिग्रहण हेतु, 30.49 करोड़ के भवन निर्माण हेतु खर्च किए गए। व्यापक स्तर पर व्यय के बावजूद, कंपनी वर्ष के दौरान सकल ऋण स्तर को स्थिर रखने में सफल रही। दिनांक 31 मार्च, 2021 को कंपनी की तरलता की स्थिति 3250.46 करोड़ रूपए पर सुदृढ बनी हुई है, जिसमें 322.27 करोड़ रूपए के नकद और नकद समकक्ष और 2928.19 करोड़ रूपए अन्य बैंक शेष शामिल हैं, जिसमें 2018.35 करोड़ रूपए की ग्राहक निधि और 737.90 करोड़ रूपए की परियोजना निधि शामिल है।

## विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में अर्जित 540.62 करोड़ रूपए मूल्य की विदेशी मुद्रा की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 561. 03 करोड़ रूपए मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय 525.67 करोड़ रूपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 515.55 करोड़ रूपए हुआ है। इस प्रकार, निवल विदेशी मुद्रा आय में 304.21 प्रतिशत अर्थात वित्तीय वर्ष 2019–20 में 14.95 करोड़ रूपए तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 45.48 करोड़ रूपए की कमी है जो कि विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनात्मक टर्नओवर घटने के कारण है।

## इरकॉन समूह का निष्पादन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इरकॉन ('समूह') ने समेकित आधार पर 5523 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 5540 करोड़ रूपए) का टर्नओवर प्राप्त किया है। समूह ने 391.06 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 485.27 करोड़ रूपए) का कर पश्चात समेकित लाभ प्राप्त किया है।

समूह ईबीआईटीडीए 682.12 करोड़ रूपए ( पिछले वर्ष 773.54 करोड़ रूपए) था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.82 प्रतिशत कम था।

## कोविड– 19 का प्रभाव

कोविड–19 महामारी हमारे समय के वैश्विक स्वास्थ्य संकट को परिभाषित कर रही है और पूरे महाद्वीप में बहुत तेजी से फैल गई है। लेकिन यह स्वास्थ्य संकट से भी कहीं बहुत अधिक है और दुनिया भर के लोगों और अर्थव्यवस्थाओं पर इसका अभूतपूर्व प्रभाव पड़ रहा है। 24 मार्च, 2020 से भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के परिणामस्वरूप कोविड–19 महामारी और परिणाम के मद्देनजर, समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसलिए, कंपनी के परिचालन भी अछूते नहीं रहे हैं।

कोविड–19 के प्रकोप के कारण, कंपनी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी लॉकडाउन निर्देशों के अनुपालन में सभी चल रही परियोजनाओं में अस्थायी रूप से परिचालन निलंबित कर दिए थे। इन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों ने परियोजना के निष्पादन, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और लॉकडाउन अवधि के दौरान कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण कंपनी के सामान्य संचालन को प्रभावित किया था। अब ज्यादातर परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं, कंपनी सभी आवश्यक उपायों के संदर्भ में कदम उठा रही है। व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों के प्रभाव को कम करना तथापि कंपनी की दीर्घकालिक दिशात्मक प्राथमिकता है जो कोविड–19 के कारण है और परिचालन वातावरण पर इसका अपेक्षित प्रभाव पड़ता है, कंपनी की प्रमुख प्राथमिकताएं आपूर्ति श्रृंखला की बारीकी से निगरानी करना, नकदी का संरक्षण करना और निर्धारित लागतों को नियंत्रित करना होगा। जबकि कुछ विकास क्षेत्रों में निवेश जारी है।

कंपनी के कामकाज को सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए घर से कार्य करने और रोस्टर के साथ सुव्यवस्थित किया गया है। इसके अलावा, तेजी से काम करने के लिए अधिकारियों के बीच ई–ऑफिस को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से बैठकें सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही हैं। इसके अलावा, कंपनी ने कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) स्थापित की हैं।

परियोजनाओं पर काम शुरू होने के साथ, कंपनी लगातार अपने परिचालनों की समीक्षा कर रही है और महामारी के कारण व्यर्थ गए समय के समायोजन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वर्ष की पहली तिमाही के दौरान लॉकडाउन के प्रभाव और दूसरी तिमाही

में आपूर्ति श्रृंखला पर कुछ हद तक प्रभाव के कारण, राजस्व और लाभप्रदता लक्ष्य को वर्ष की दूसरी छमाही में तीव्र लक्ष्य रखते हुए संशोधित किया गया था। कंपनी ने वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान असाधारण रूप से अच्छा निष्पादन किया और इस अवधि के दौरान अपने पिछले वर्ष के निष्पादन लक्ष्य को पार कर लिया और अंततः कंपनी चालू वर्ष के लिए अपने संशोधित बजट टर्नओवर और लाभप्रदता को पार कर सकती है। हालांकि, समाप्त वर्ष के परिणाम उस सीमा तक, पिछली अवधियों के परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

### कोविड 2.0 का प्रभाव

कोरोना वायरस के बार–बार आने के कारण अर्थव्यवस्था और बाधित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में व्यवसायों, वित्तीय संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। कोविड–19 के मामलों में हर गुजरते दिन के साथ एक लाख की वृद्धि के साथ, भारत में कोरोनावायरस वैश्विक महामारी की दूसरी लहर पहले की तुलना में अधिक घातक रही। कुछ राज्यों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रात के कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों की घोषणा की थी। पूर्ण तालाबंदी के डर ने उन श्रमिकों के रिवर्स माइग्रेशन की एक और लहर को जन्म दिया, जो शहरों से अपने मूल स्थानों पर लौटने के इच्छुक थे जिसके कारण कोविड के मामलों में तेज वृद्धि दर्ज हुई है। निर्माण क्षेत्र के लिए, जो पहले से ही वित्तीय बाधाओं और घटते उत्पादन के कारण महामारी से पूर्व प्रतिकूल रूप से प्रभावित था, वह कोविड–19 की दूसरी लहर और इसके परिणामी प्रवास के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

हालांकि, यह एक खतरनाक स्थिति है, किन्तु वर्तमान परिदृश्य बड़ी और मध्यम आकार की निर्माण कंपनियों को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि वे पहले से ही साइटों पर आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं। भारत सरकार, राज्य सरकारों और सशस्त्र बलों के साथ चिकित्सा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है।

वर्ष 2021–22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 12–13 प्रतिशत बढ़ने की संभावना थी, विशेष रूप से वर्ष 2020–21 में देखे गए संकुचन के कारण किन्तु देशभर में फैली कोविड महामारी की दूसरी लहर के साथ, अपेक्षित दो अंकों की वृद्धि अब संभव प्रतीत नहीं होती है। हालांकि, पिछले वर्ष के विपरीत, सरकार मुख्य रूप से कोविड की लडाई में टीके की उपलब्धता के कारण सुदृढ स्थिति में है। भारत का त्वरित टीकाकरण अभियान कोविड–19 मामलों में पुनरुत्थान के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधान को सीमित कर सकता है, हालांकि टीके की आपूर्ति में कमी अभियान की प्रगति को प्रभावित कर सकती है।

कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की मदद करने के लिए कई उपाय आरंभ किए हैं, जिसमें कोविड देखभाल केंद्र, टीकाकरण केंद्र स्थापित करना और उन्हें चिकित्सा देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। कंपनी ने महामारी से निपटने के लिए सभी निवारक उपायों को लागू करने की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। इसमें प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए 20.5 करोड़ रूपए का वित्तीय योगदान शामिल है (वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 5.01 करोड़ रूपए का योगदान जिसमें कर्मचारियों द्वारा 51 लाख रूपए का योगदान, और वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 15.5 करोड़ का योगदान शामिल है)।

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, कंपनी ने कोविड–19 के लिए 89.56 लाख रूपए का और अधिक योगदान दिया है, अर्थात 39.56 लाख रूपए भारत सरकार के कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में कोल्ड चेन उपकरण के लिए और 50 लाख रूपए मंडल रेलवे अस्पताल,दानापुर में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट की स्थापना के लिए निर्धारित किए गए हैं।

### वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस रिपोर्ट की तिथि तक केवल कोविड–19 के प्रभाव के अलावा कोई अन्य सामग्रीगत परिवर्ततन अथवा प्रतिबद्धताएं और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण के लिए बैंकों को जारी कॉर्पोरेट गारंटी, जैसा कि इस रिपोर्ट के 'ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण' शीर्ष के तहत उल्लिखित है, कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं कर रही हैं।

### वित्तीय विवरण (स्टेंडएलोन तथा समेकित) और हरित पहलः

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 30 जून 2021 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय विवरणों (स्टेंडएलोन तथा समेकित) को अनुमोदित किया है।

अधिनियम, 2013 के खंड 129(3) के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी ने (लाइन विधि के अनुसार) पांच सहायक कंपनियों यथा इरकॉन आईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल तथा इरकॉन वीकेईएल (दिनांक 16.05.2018 से 31.03. 2019 तक की अवधि हेतु); और (इक्विटी विधि के अनुसार) सात संयुक्त उद्यम कंपनियों यथा आईआरएसडीसी, आईएसटीपीएल, सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल, एमसीआरएल, जेसीआरएल तथा बीआरपीएल के साथ अपने समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार किया है। गैर–निगमित संयुक्त उद्यमों के लेखों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने अपनी छह सहायक कंपनियों यथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉनआईएसएल), इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉनपीबीटीएल), इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल), इरकॉन दावांगेरे हाईवे लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल), इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल) और इरकॉन गुड़रगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल) और (इक्विटी पद्धति के अनुसार), सात संयुक्त उद्यम कंपनियों अर्थात इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल), इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आइआरएसडीसी), छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल), छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल), झारखंड

सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल), महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल), बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) के साथ अपने समेकित वित्तीय विवरण (लाइन–बाय–लाइन पद्धति) के अनुसार, तैयार किए हैं। अनिगमित संयुक्त उद्यमों के लेखों को वित्त वर्ष 2020–21 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

कंपनी इरकॉन के लेखों (स्टैंडएलोन तथा समेकित) तथा इसकी सहायक कंपनियों (इरकॉन आईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल इरकॉन एसजीटीएल इरकॉन डीएचएचएल, इरकॉन वीकेईएल तथा इरकॉन जीआरएचएल) के वित्तीय विवरणों को अपनी वेबसाइट (www.ircon.org) पर उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त, फॉर्म एओसी–1 में पांच सहायक कंपनियों और सात संयुक्त उपक्रम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं वाला विवरण वित्तीय विवरणों में संलग्न है।

वर्तमान कोविड–19 महामारी के मद्देनजर वित्तीय विवरणों की भौतिक प्रतियों (नोटिस, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट या संलग्न किए जाने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों सहित) को भेजने के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निर्धारित किया है कि इस तरह के विवरण केवल उन सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिनके ईमेल कंपनी के साथ या डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ डिपॉजिटरी और अन्य सभी व्यक्तियों के लिए पंजीकृत हैं, जो इसके लिए पात्र हैं।

उपर्युक्त रियायत और हरित पहलों के भाग के रूप में, उन शेयरधारकों को वार्षिक साधारण बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रिानिक सुपुर्दगी प्रदान की गई है, जिनका ई–मेल आईडी संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों के पास पहले से पंजीकृत है और डिपॉजिटरी यथा एनएसडीएल/सीडीएसएल से डाउनलोड किया गया है। इन अभिलेखों को कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सजेंचों यथा बीएसई और एनएसई में उपलब्ध कराया गया है।

## नवरत्न के पुनःश्रेणीकरण के लिए आवेदन

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने इरकॉन को अनुसूची–क मिनीरत्न सीपीएसई से 'नवरत्न' सीपीएसई में पुनः श्रेणीबद्ध करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (रेल मंत्रालय) के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) को एक आवेदन प्रस्तुत किया है। भारत सरकार ने बजट 2021 में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की घोषणा की है। इरकॉन का नवरत्न श्रेणी में पुनर्वर्गीकरण इसके बाजार पूंजीकरण को बढ़ाने में मदद करेगा। यह उद्योग के विकास और वृद्वि के साथ सामंजस्य रखने और कर्मचारियों की प्रतिधारण दर, उत्पादकता और निष्ठा में सुधार करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ नई प्रतिभाओं को भी आकर्षित करेगा। नवरत्न का दर्जा वित्तीय और प्रचालनिक स्वायत्तता को बढ़ाएगा और विभिन्न निविदाओं के लिए बोली लगाने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्रदान करने में मदद करेगा।

## प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट की प्रस्तुति सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची–ट और लोक उद्यम विभाग दिशानिर्देशों के साथ पठनीय विनियम 34 के अंतर्गत अपेक्षित है जो रिपोर्ट (पृष्ठ 26) में संलग्न है और यह संदर्भ और स्वरूप के अंतर्गत रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है। यह वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग और भविष्य के दृष्टिकोण, कंपनी के मामले, इसकी गुणवत्ता के मानक, इसकी कानूनी स्थिति और स्वायत्तता, वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन, वित्त वर्ष 2021 में शुरू की गई परियोजनाएं और आगामी परियोजनाएं, शक्तियां, कार्य स्कोप और अवसर, प्रमुख चिंता के क्षेत्र, कोविड–19 के प्रति प्रतिक्रिया, व्यापार रणनीतियों, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता के साथ–साथ मानव संसाधन में सामग्रीगत विकास का विहंगावलोकन प्रस्तुत करते है।

## बाह्य पर्यावरणीय

### समष्टि अर्थव्यवस्था स्थितियां

वित्त वर्ष 2020–21 के प्रथम अर्धवर्ष में कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी के कारण विश्व में नाटकीय रूप से बदलाव आया है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मानव जीवन की क्षति हुई है। जैसा कि देशों ने महामारी को रोकने के लिए आवश्यक संगरोध और सोशल डिस्टेंसिंग व्यवहारों को लागू किया है, जिससे सम्पूर्ण विश्व लॉकडाउन हो गया है। क्रियाकलापों में पतन की तीव्रता एवं इसकी गति हमारे जीवनकाल में अनुभव की गई किन्हीं भी स्थितियों से पूर्णत भिन्न हैं।

यह वास्तव में एक वैश्विक संकट है क्योंकि कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। पर्यटन, यात्रा, आतिथ्य और उनके विकास के लिए मनोरंजन पर निर्भर देश विशेष रूप से बड़े व्यवधानों का सामना कर रहे हैं। उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को पूंजी जोखिम में अभूतपूर्व उलटफेर के साथ अपनी कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जूझने के साथ साथ बढ़ते हुए वैश्विक जोखिमों एवं मुद्रा बाध्यताओं के कारण, सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध सीमित धन के साथ अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, कई अर्थव्यवस्थाओं को धीमे विकास और उच्च ऋण स्तर के साथ कमजोर स्थिति में इस संकट का मुकाबला करना पड़ा है।

अनेक देशों के सम्मुख अनेक प्रकार के संकट – स्वास्थ्य संकट, वित्तीय संकट, और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट, जो जटिल परिस्थितियों में प्रक्रिया करती हैं, व्याप्त हैं। नीति निर्धारक घरों, फर्मों और वित्तीय बाजारों को अभूतपूर्व सहायता प्रदान कर रहे हैं और जबकि यह एक मजबूत रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण है, परन्तु साथ ही यह अनिश्चितता भी है कि जब हम इस लॉकडाउन से उभरेंगे तो आर्थिक परिदृश्य कैसा दिखेगा।

### आर्थिक दृष्टिकोण

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमए) विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट (डब्ल्यूईओ) (जुलाई 2021) के अनुसार, वर्ष 2020 में 3.5 प्रतिशत के अनुमानित संकुचन के पश्चात, वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्ष 2021 में 6 प्रतिशत की दर से बढ़ने और वर्ष 2022 में 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। डब्ल्यूईओ द्वारा वर्ष 2021 और 2022 के अनुमान अक्टूबर 2020 की तुलना में अधिक सुदृढ हैं, जो लॉकडाउन में ढील दिए जाने और अर्थव्यवस्थाओं को काम करने के नए तरीकों के अनुकूल होने

के पश्चात अधिकांश क्षेत्रों के लिए वर्ष की दूसरी छमाही में अपेक्षा से अधिक विकास के परिणाम को दर्शाते हैं।

यदि असाधारण नीति सहायता प्राप्त नहीं होती तो यह संकुचन तीन गुना अधिक हो सकता था। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और कम आय वाले विकासशील देशों को अधिक नुकसान हुआ है और उन्हें अधिक महत्वपूर्ण मध्यम अवधि के नुकसान होने की संभावना है। आईएमएफ के अनुमानों से उच्च स्तर की अनिश्चितता बनी है, हालांकि, टीकाकरण की तेज प्रगति इन पूर्वानुमान को वृद्वि कर सकती है, जबकि टीकों के प्रभाव को कम करने वाले अधिक दीर्घकालीन वायरस वेरिएंट इन पूर्वानुमानों में तीव्र गिरावट ला सकते हैं।

डब्ल्यूईओ के अनुसार वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था संकुचित होकर 7.3 प्रतिशत हो गई है। तथापि, आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2021 में 9.5 प्रतिशत एवं अगले वित्तीय वर्ष में 8.5 प्रतिशत की उत्कृष्ट विकास दर का अनुमान लगाया है।

## इंजीनियरिंग एवं निर्माण उद्योग–वैश्विक इंजीनियरिंग एवं निर्माण उद्योग

अवसंरचना किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण वाहक है। बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक उपयोगिताओं, हवाई अड्डों, रेलवे, और दूरसंचार आवश्यक सेवाएं हैं जो व्यापार और गतिशीलता को नियंत्रित करके आर्थिक क्रियाकलाप आगे बढ़ाते हैं।

इंजीनियरिंग और निर्माण उद्योग के एक भाग में अवसंरचना पर खर्च में वृद्धि, आगे और पिछड़े दोनों लिंकेज की वजह से समग्र आर्थिक विकास पर गुणक प्रभाव डालती है, क्योंकि इससे औद्योगिक विकास और विनिर्माण की मांग की पूर्ति होती है। बदले में यह, जीवन शैली की स्थिति में सुधार लाकर सामूहिक मांग को तीव्रता प्रदान करता है।

सरकारों और व्यवसायों के बीच व्यापक सहमति अवसंरचना की गुणवत्ता में वृद्धि आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्यता है, लेकिन औसतन देशों में कम निवेश किया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, अवसंरचना में 2040 तक विश्व भर में निवेश अमेरिकी डालर 79 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। तथापि, वास्तविक वैश्विक निवेश की आवश्यकता अमेरिकी डालर 97 ट्रिलियन के करीब है। 18 ट्रिलियन अमेरिकी डालर की इस कमी को पूरा करने के लिए औसत वार्षिक वैश्विक अवसंरचना निवेश को प्रति वर्ष लगभग 23 प्रतिशत बढ़ाना होगा। इस अंतर के लिए सड़क और बिजली क्षेत्रों में अपर्याप्त निवेश को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

वर्ष 2020 कई दृष्टिकोणों में एक अविस्मरणीय वर्ष था और इस वर्ष ने दुनिया को स्थायी रूप से बदल दिया होगा। सुदृढ ऑर्डर बुक और रेजिडेंशियल सेगमेंट की मांग के कारण इंजीनियरिंग और निर्माण (ईएंडसी) उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना में तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम था। वर्ष 2020 ने संभवतः ई एंड सी कंपनियों को काम, कार्यबल और कार्यस्थल परिवर्तनों के लिए स्वयं को अधिक प्रभावी ढंग से पुनःव्यवस्थित करने और तैयार करने में मदद की है। आने वाले वर्ष में केवल इन परिवर्तनों में तेजी आने की संभावना है।

### उद्योग दृष्टिकोण

अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र जो उभरते हुए राष्ट्रों में बेहतर संस्थागत ढांचे के विकास के लिए एक संभावित क्षेत्र के रूप में अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है, वह है निर्माण क्षेत्र, वह उद्योग जो हर विकासात्मक गतिविधि में मौजूद है। निर्माण क्षेत्र उत्पादन, रोजगार सृजन, आय सृजन, पुनर्वितरण सहित विकास के कुछ बुनियादी उद्देश्यों को पूरा करके आर्थिक विकास में योगदान देता है। यह बुनियादी भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओ ंको पूरा करने में भी प्रमुख भूमिका निभाता है, जिसमें शैल्टर, अवसंरचना और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन शामिल है।

वर्ष 2020–21 की पहली छमाही में, निर्माण उद्योग कोरोनावायरस महामारी के प्रभाव के कारण ठप हो गया था। उद्योग जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें निरंतर लागत दबाव, उत्पादकता को प्रभावित करने वाली श्रम की कमी, और निश्चित–बोली परियोजनाओं की ओर रुझान हैं, जो प्रायः मूल्य निर्धारण और प्रचालन सटीकता के स्तर की मांग करते हैं, जिन्हें पारंपरिक प्रणालियों के साथ प्राप्त करना कठिन है। जबकि, उद्योग अभी भी व्यापक डिजिटल अधिग्रहण परिपक्वता के स्तर पर पीछे है, जबकि डिजिटल तकनीकों को जारी रखने से इनमें से कुछ समस्याओं को कम किया जा सकता है।

उपर्युक्त चुनौतियों के बावजूद, इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनियां उद्योग में कई महत्वपूर्ण अवसरों से संभावित लाभ के लिए तैयार हैं। 21वीं सदी में उभरती प्रौद्योगिकियां और मेगाट्रेंड जैसे शहरीकरण व्यवसाय की प्रेरक ताकत हैं, और वे आज इंजीनियरिंग और निर्माण उद्योग के लिए अवसर प्रदान करते हैं। जो कंपनियाँ अपने व्यवसायों में डिजिटल इकोसिस्टम को एम्बेड करने की रणनीति का सफलतापूर्वक निर्माण और क्रियान्वयन करती हैं, वे संभावित रूप से वर्तमान में उद्योग का सामना करने वाले लागत दबाव और श्रम की कमी से बचे रहने के लिए बेहतर स्थिति में होंगी। इन कंपनियों को स्मार्ट शहरों के उदय का समर्थन करने के लिए अच्छी तरह से रखा जाएगा, और आगे आने वाले साल इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनियों के प्रमुखों के लिए अवसर लाएंगे।

## आर्डर बुक

कंपनी जिस उद्योग से संबंधित है, उसमें ऑर्डर बुक को भविष्य का एक संकेतक माना जाता है क्योंकि यह प्रत्याशित भविष्य के राजस्व के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, दोनों, में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है और रेलवे मंत्रालय द्वारा नामांकन के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली–प्रक्रिया दोनों पर आदेश प्राप्त करती है, जबकि, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परियोजनाएँ आवंटित करने पर रेल मंत्रालय ने अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। उन्होंने रेलवे के कार्यों के निष्पादन के लिए पात्र सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने की एक प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य है इरकॉन को ऐसी बोली प्रक्रिया में सफल होने की उम्मीद है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से रेल मंत्रालय से 4157.08 करोड़ रुपये के कार्यों को प्राप्त किया है। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की

ऑर्डर बुक 34,689 करोड़ रुपये (लगभग) की तुलना में 31 मार्च, 2020 में यह 30,713 करोड़ रुपये (लगभग) थी। दिनांक 30 जून 2021 की स्थिति के अनुसार आर्डर बुक 34312 करोड़ रुपये (लगभग) है।

### घरेलू परियोजनाएं

निगमन के बाद से, कंपनी ने विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में विविधता ला दी है और यह अब रेलवे और राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में एक स्थापित खिलाड़ी है। इसके अलावा, यह वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों, बिजली पारेषण लाइनों, औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था, पुल और फ्लाईओवर, सुरंगों, बिजली और यांत्रिक कार्य, सिग्नलिंग और दूरसंचार, कोच फैक्ट्री, स्टेशन भवन, मल्टी फंक्शन कॉम्प्लेक्स और हवाईअड्डों के निर्माण जैसे कई अन्य क्षेत्रों में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है। विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना पोर्टफोलियो के विविधीकरण ने हमें निर्माण व्यवसाय को खत्म करने और किसी भी क्षेत्र या परियोजना के प्रकार पर हमारी निर्भरता को कम करने में मदद की है।

## पूर्ण परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, भारत में निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी की गई हैं:

1. **झारखंड राज्य के 5 जिलों (गढ़वा, गुमला, रांची, लोहरदगा और सिमडेगा) में 607 करोड़ रूपए की लागत से ग्रामीण सड़कों का निर्माण/उन्नयन।** ग्रामीण लोगों को उनके सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत परियोजना को वर्ष 2000 में 607 करोड़ रूपए के कुल मूल्य के साथ आरंभ किया गया था। इरकॉन को दिनांक 23 मार्च, 2013 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और झारखंड राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से पीएमजीएसवाई का काम सौंपा गया था। पहले चरण में यह काम इरकॉन को दो चरणों में दिया गया था, अर्थात चरण–I में चतरा, पलामू, गढ़वा, रांची, खुटनी, सिमडेगा, दुमका और लोहरदगा जिलेय और दूसरे चरण में रांची, खूंटी, गुमला, गढ़वा और सिमडेगा जिले शामिल हैं। इरकॉन को सौंपे गए सभी कार्यों का निर्माण कार्य अप्रैल 2021 में पूरा कर लिया गया है और काम पांच वर्ष के नियमित अनुरक्षण के अधीन है।
2. **इरकॉन दावणगिरि हावेरी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल) के लिए कर्नाटक राज्य में रा. रा–48 के दावांगेरे–हावेरी से (कि.मी. 260+000 से कि. मी. 338+923) को 791.19 करोड़ रूपए की लागत पर छह लेन का बनाना।** परियोजना का काम अक्टूबर 2017 में इरकॉनडीएचएचएल द्वारा 1026.96 करोड़ रूपए (जीएसटी 12 प्रतिशत की दर सहित) के कुल अनुबंधित मूल्य के लिए प्रदान किया गया था, जिसे 24 जुलाई, 2020 की मूल समपान तिथि के साथ लगभग 985.60 करोड़ रूप के मूल्य पर संशोधित किया गया था। हालांकि, कोविड–19 महामारी के कारण, आत्मानिर्भर नीति के तहत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 23 जनवरी, 2021 तक समय विस्तार दिया गया है। कार्य के दायरे में 2 नए प्रमुख पुलों का निर्माण (दोनों पुल नदियों के लिए, 100 मीटर लंबा और 474 मीटर लंबा), 15 नए छोटे पुल, 05 नए फ्लाईओवर, 09 नए वीयूपी, 05 नए एलवीयूपी और 17 पीयूपी और 138 पुलिया को चौड़ा करने का कार्य शामिल है। यह परियोजना दिनांक 20 जनवरी, 2021 को पूरी हो गई है। हम 28 मई, 2021 को पर्याप्त रूप से पूर्ण किए गए हिस्से के लिए अंतिम वाणिज्यिक संचालन तिथि (पीसीओडी) प्राप्त करने में सक्षम हैं।
3. **पूर्वोत्तर रेलवे के लिए 433 करोड़ रुपये की लागत पर सिग्नलिंग के साथ मथुरा–कासगंज–कल्याणपुर रेलवे विद्युतीकरण परियोजन।** पूर्वोत्तर रेलवे पर इज्जतनगर मंडल के मथुरा–कासगंज–कल्याणपुर खंड का रेलवे विद्युतीकरण का कार्य 432 करोड़ रूपए की स्वीकृत लागत (लागत जमा परियोजना 8.5 प्रतिशत की दर से संविदा संवर्धन सहित) पर दिनांक 24 फरवरी, 2017 को प्रदान किया गया था। इस परियोजना में 442 टीकेएम के ओवर हेड उपकरणों (ओएचई) का कार्य, ट्रांसमिशन लाइनों के साथ पांच 132/25 केवी ट्रैक्शन सबस्टेशन, 06 सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट (एसपी), 19 सब–सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट (एसएसपी) का निमार्ण, एससीएडीए प्रणाली का क्रियान्वयन और टीआरडी विभाग के कार्यालय भवन के साथ इज्जतनगर डिवीजन में ट्रैक्शन कंट्रोल रूम की स्थापना, 04 ओएचई सह पीएसआई डिपो, 72 स्टाफ क्वार्टर का निर्माण और एसी ट्रैक्शन के अनुकूल सिग्नलिंग प्रणाली के संशोधन का कार्य पूरा कर लिया गया है। यह परियोजना दिनांक 30 सितंबर, 2020 को पूरी हो गई थी।
4. **जम्मू–कश्मीर बिजली विकास विभाग के लिए जम्मू प्रांत (क्लस्टर– I, जम्मू लेफ्ट), (क्लस्टर– II, जम्मू राइट) और (क्लस्टर–IV) अखनूर, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह में 420 करोड़ रूप की लागत पर आरएपीडीआरपी–भाग ख परियोजना।** 24 महीने की समापन अवधि के साथ अखनूर, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह के लिए क्लस्टर– जम्मू लेफ्ट और क्लस्टर– II। जम्मू राइट और 04 मार्च, 2014 को क्लस्टर–IV के लिए प्रतिस्पर्धी बोली (खुली निविदा) के माध्यम से आरएपीडीआरपी जम्मू परियोजना का कार्य दिनांक 24 फरवरी, 2014 को प्रदान किया गया था। इस कार्य में 33केवी/11केवी सब स्टेशन, 33केवी ओवरहर्ड लाइन, 11केवी ओवरहेड लाइन, केबलिंग, सड़कों में 400/250/100/25केवी के ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से बिजली वितरण, कैपेसिटर बैंकों, सबस्टेशनों का आधुनिकीकरण, ऊर्जा मीटरिंग आदि शामिल थे। कार्य क्षेत्र में कमी के कारण निष्पादित कार्य के कुल मूल्य की राशि 390.10 करोड़ है, हालांकि विवाद दावा राशि 390 करोड़ रूपए है।
5. **पश्चिम मध्य रेलवे के लिए कटनी–सिंगरौली हेतु 282 करोड रूपए की लागत से रेलवे विद्युतीकरण कार्य।** भीड़–भाड़ और घने वन क्षेत्र के कारण आवाजाही में कठिनाई के बावजूद इस परियोजना में कुल 246.91 मार्ग किलोमीटर और 298.28

टीकेएम के कार्य को बहुत ही कम समय में पूरा किया गया। कुल 04 टीएसएस और 18 स्विचिंग स्टेशन भी चालू किए गए हैं। इस परियोजना में विभिन्न स्थानों पर ओएचई सह पीएसआई डिपो, टॉवर वैगन शेड, केबल हट और ईएसएम ड्यूटी रूम आदि का भी निर्माण किया गया है। टीएसएस और स्विचिंग स्टेशनों सहित कटनी–सिंगरौली मौजूदा लाइन ओएचई को रेलवे को सौंप दिया गया है और रेलवे अधिकारियों के अधीन उसका अनुरक्षण किया जा रहा है। यह परियोजना दिनांक 16 सितंबर, 2020 को पूरी हुई।

### नई परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी को अपनी ऑर्डर बुक में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कुल 4157.08 करोड़ रूपए के मूल्य पर निम्नलिखित परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं:

1. 475.31 करोड़ के कुल मूल्य पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के एनजेपी–न्यू माल जंक्शन–अलीपुरद्वार–समुक्ताला रोड और अलीपुरद्वार–न्यू कूचबिहार के लिए रेलवे विद्युतीकरण कार्य, जिसमें न्यू माल जंक्शन–चंगराबंध, न्यू चंगराबंध–न्यू कूचबिहार, न्यू कूचबिहार–फकीराग्राम–धुबरी (पैकेज संख्या 7) शामिल हैं।
2. 313 करोड़ रूपए के कुल मूल्य पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के यलुमडिंग–डिब्रूगढ़ के लिए तिनसुकाई और सिमलुगुरी–डिब्रुगढ़ के लिए रेलवे विद्युतीकरण कार्य (पैकेज संख्या 6)।
3. 236.73 करोड़ रूपए के कुल मूल्य पर उत्तर पूर्व रेलवे के लालकुआ–काशीपुर और भोजीपुरा–लालकुआ (पैकेज नंबर 5) सहित मुरादाबाद–रामनगर, रामपुर–लालकुआ–काठगोदाम सहित रेलवे विद्युतीकरण कार्य।
4. 447.55 करोड रूपए के कुल मूल्य पर उत्तर पश्चिम रेलवे के पिपर–बिलारा, मकराना–परबतसर और मेड़ता रोड–मेर्टा सिटी, मेड़ता–जोधपुर और मेड़ता–फुलेरा (पैकेज संख्या 3) सहित यदसुआ–गंगापुर शहर, थाय्यात हमीरा–सानू सहित रेलवे विद्युतीकरण कार्य।
5. 413.33 करोड़ के कुल मूल्य पर उत्तर पश्चिम रेलवे के सरूपसर–अनूपगढ़, मदार–पुष्कर और डेगना–रतनगढ़, हिसार–सूरतपुरा (पैकेज नंबर 1) सहित हनुमानगढ़–श्रीगंगानगर–सरुपसर–सूरतगढ़ सहित रेलवे विद्युतीकरण कार्य।
6. रेल भूमि विकास प्राधिकरण के लिए 59.79 करोड़ रूपए के कुल मूल्य पर 5 भारतीय रेलवे स्टेशनों यथा मुंबई सेंट्रल, दिल्ली कैंट, मिराज, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल और हावड़ा के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य।
7. पश्चिम रेलवे के लिए पैकेज आरओबी 9 और 10 के तहत मौजूदा समपारों के स्थान पर आरओबी का निर्माण कार्य जिसका कुल मूल्य 400.81 करोड़ है।
8. दो परियोजनाएं अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के लिए दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर (लॉट–पी19 एल1 और लॉट–पी19 एल2) के लिए दुहाई (ईपीई) से मोदीपुरम [मोदीपुरम डिपो सहित] तक सहायक सब स्टेशन, और संबंधित कार्य है रिसीविंग सब स्टेशनों की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग [25केवी एसी ट्रैक्शन सह 33 केवी सहायक मुख्य उप स्टेशनों सहित] अतिरिक्त उच्च वोल्टेज और उच्च वोल्टेज केबलिंग, 25 केवी ओवरहेड उपकरण (एफओसीएस/आरओसीएस), सहायक बिजली आपूर्ति सहित सहायक कार्य जिनका कुल मूल्य मूल्य क्रमशः 317.81 करोड़ रूपए और 404.95 करोड़ रूपए है।
9. 900 करोड़ रुपये के कुल मूल्य पर एनएचएआई के लिए हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर हरियाणा राज्य में रा.रा–35 डब्ल्यू के गुड़गांव–पटौदी–रेवाड़ी खंड को फीडर के रूप में अपग्रेड करना।
10. उत्तर रेलवे के लिए कुल 187.8 करोड़ रुपय के मूल्य पर भजोई, धनारी, बबराला, राजघाट नरौरा, दलबई, अतरौली रोड, बसिकरतपुर, बिजनौर, हल्दौर, चांदपुरसियाउ, मंदीधनौराय माधोगहज, सफीपुर, माखी, बेनीगंज, नैमिषारण्य, मिश्रीरथ, रामकोट, बांगरमऊ, मल्लावां पर पैकेज–3 के यांत्रिकी सिग्नलिंग कार्यों का प्रतिस्थापन।

## चालू परियोजनाएं:

भारत में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की सूची **परिशिष्ट–क** में दी गई है।

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, चल रही परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

1. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) द्वारा वैतरणा–सचिन खंड के बीच इरकॉन द्वारा आयातित न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन का उपयोग करके इरकॉन को सौंपे गए 372 किमी में से 100 किमी ट्रैक का काम पूरा किया गया। इरकॉन पहला पीएसयू है, जिसके पास एनटीसी मशीन है, जिसे इस परियोजना के उद्देश्य से इरकॉन द्वारा यूएसए से आयात किया गया था।
2. वलसाड, दक्षिण गुजरात में 20 दिनों के पावर ब्लॉक के रिकॉर्ड समय में 16 x 10 मीटर के खंड आकार के साथ प्रीकास्ट डबल शेल बॉक्स की स्थापना और कार्य समापन।
3. दिनांक 21.06.2021 को खरसिया से धरम जयगढ़ तक 74 किमी खंड को अपने एसपीवी – छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमिटेड (सीईआरएल) के माध्यम से आरंभ करना। इस प्रकार, सीईआरएल पीपीपी मोड के माध्यम से रेलवे लाइन के खंड को आरंभ करने वाला एकमात्र एसपीवी है।

### भावी परियोजनाएं

आने वाले समय में, इरकॉन रेलवे, राजमार्ग और सुरंग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घरेलू परियोजनाएँ शुरू करने के लिए तत्पर है। इनमें मुंबई – अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कार्यान्वयन

शामिल है जो जापान से निधियन के साथ किया जाना है, बीओटी, ईपीसी और एचओसी आधार पर राजमार्ग परियोजनाएं, परामर्शी कार्य, सुरंग परियोजनाएं और प्रतिस्पर्धी बोली पर रेलवे कार्य शामिल हैं।

### वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रदान की गई नई परियोजनाएं

उत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर), रेल मंत्रालय की ओर से 658.64 करोड़ रूपए के मूल्य पर ईपीसी मोड पर रेलवे विद्युतीकरण कार्य निष्पादित किया जाना है।

### अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएंः

कुल राजस्व में अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं का योगदान वित्तीय वर्ष 2020 में लगभग 6.34 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में लगभग 8.52 प्रतिशत हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना से आय में वृद्धि मुख्य रूप से भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत महो से ओमानथाई तक रेलवे लाइन के उन्नयन और श्रीलंकाई रेलवे द्वारा प्रदान किए गए ट्रैक पुनर्वास और सहायक कार्य के निष्पादन के कारण है। कंपनी विदेशों में नई परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रही है, और बांग्लादेश, अल्जीरिया और श्रीलंका में प्रत्येक राष्ट्र में एक परियोजना चल रही है। अपने व्यवसाय और भौगोलिक कार्यक्षेत्र में विविधता लाने के लिए, कंपनी व्यवसाय की मात्रा और लाभ मार्जिन को अधिकतम करने हेतु परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को प्राप्त करने का प्रयास करती है।

### चालू परियोजनाएंः

कंपनी विदेश में निम्नलिखित तीन परियोजनाओं को निष्पादित कर रही हैः

1. **बांग्लादेश**

   911 करोड़ रूपए (147.78 मिलियन अमरीकी डालर) के मूल्य पर बांग्लादेश रेलवे के लिए खुलना–मोंगला पोर्ट रेल लाइन के निर्माण परियोजना के अंतर्गत पैकेज डब्ल्यूडी–1 के प्रति इम्बाक्रमेंट, रेलपथ, सभी सिविल कार्य, प्रमुख और गौंण पुल (रूपशा को छोड़कर) तथा पुलिया के निर्माण और ईएमपी के क्रियान्वयन कार्य। मार्च 2019 तक भौतिक प्रगति 49.50 प्रतिशत है। यह कार्य मार्च 2016 में आरंभ हुआ और इस कार्य के सितंबर 2020 तक पूरा होने की संभावना है।

   हालांकि, यह वर्तमान स्वास्थ्य महामारी के कारण और आगे बढ़ सकता है।

   प्रारंभिक चरण में, संबंधित इंजीनियर बांग्लादेश रेलवे द्वारा पुलों और इमारतों के संरेखण (एल–सेक्शन और एक्स–सेक्शन) के लिए चित्र जारी करने, एन्कम्ब्रेंस फ्री लैंड को सौंपने में देरी के कारण परियोजना धीरे–धीरे आगे बढ़ी। हालाँकि, कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर से पूर्व यह परियोजना हर क्षेत्र में तीव्र गति से चल रही थी किन्तु दूसरी लहर क बाद पूरे बांग्लादेश में लॉकडाउन लगा दिया गया था।

2. **अल्जीरिया**

   अल्जीरिया में, कंपनी ने 93 किमी की डबल–ट्रैक लाइन स्थापित करने के लिए एक परियोजना प्राप्त की है। परियोजना एएनईएसआरआईएफ, रेलवे निवेश की योजना और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय एजेंसी, परिवहन मंत्रालय, अल्जीरिया सरकार, अल्जीरियाई द्वारा दिनार 1,628 करोड़ (1,003 करोड़ रूपए परिवर्तित) के मूल्य पर प्रदान की गई थी। इस परियोजना में दूसरी लाइन का निर्माण और मौजूदा लाइन का उन्नयन शामिल है, जिसमें अल्जीरियाई रेलवे के अल्जीयर्स–ओरान खंड में ओएड स्ली से येलल तक 10 किमी की दूरी तय की गई है। डबल लाइन की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त कार्यों सहित अनुबंध का मूल्य अल्जीरियाई दिनार 3,268 करोड़ (2,248 करोड़ रूपए समकक्ष) में संशोधित किया गया है।

   इस परियोजना के दिसंबर, 2023 में पूरा होने की संभावना है। कार्य में विलंब के मुख्य कारण हैं कार्य क्षेत्र में वृद्धि, परियोजना के लिए निधियों के गैर आवंटन के कारण भुगतान में विलंब, संशोधनों के अनुमोदन में अतिरिक्त विलंब, आरेखणों के अनुमोदन और अवरोधों के समाधान में विलंब और भुगतानों के माध्यम में विसंगति के समाधान में विलंब आदि।

   रोकड़ प्रवाह समस्याओं, जिसके कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है, विशेष रूप से उप–ठेकेदारों को प्रदान किए गए संरचनात्मक कार्यों के बावजूद ग्राहकों को 72 किमी नए रेलपथ का कार्य सौंप दिया गया है। मौजूदा लाइन के 77 किमी में से 13 किमी के प्रथम भाग में मौजूदा लाइन का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है और 7 स्टेशन भवनों में से 6 भवन सौंपे जाने के लिए तैयार हैं और समय पर भुगतान किए जाने के आश्वासन के साथ पुल निर्माण के कार्य में तेजी आई है। ग्राहकों ने निर्बाध भुगतान का आश्वासन दिया है, जिससे कार्य की प्रगति में सुधार होगा और इसके दिसंबर 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

3. **श्रीलंकाः**

   श्रीलंका में कंपनी ने एक परियोजना प्राप्त की है यथा 91. 27 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 637.22 करोड़ रूपए के समतुल्य) की मूल्य पर परिवहन एवं नागर विमानन मंत्रालय, श्रीलंका सरकार के अंतर्गत श्रीलंका रेलवे द्वारा प्रदान की गई भारतीय ऋण रेल, के अंतर्गत माहो से ओमांथई तक रेल लाइन के स्तरोन्नयन के लिए रेलपथ पुनर्स्थापन और अनुषंगी कार्य। इस परियोजना के अंतर्गत, इरकॉन संबद्ध अवसंरचनात्मक कार्यों सहित लगभग 128 किमी लंबे माहो– ओमनथई तक एकल लाइन गेज रेलपथ का स्तरोन्नयन करेगी। यह कार्य अप्रैल 2019 के अंत में प्रदान किया गया था और यह 36 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना को भारतीय ऋण तर्ज पर भारतीय एक्जिम बैंक के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है! निविदा के अनुसार परियोजना की समापन तिथि 28 नवंबर 2022 है।

   परियोजना की गतिविधियां अग्रिम भुगतान की प्राप्ति पर शुरू हुईं, और वर्तमान में, सर्वेक्षण और डिजाइन पूरा हो चुका है, रेल की आपूर्ति पूरी हो चुकी है, जबकि पीएससी स्लीपरों की आपूर्ति जारी

है। ट्रैक गिट्टी का उत्पादन, समग्र बेस कोर्स सामग्री और पी–वे सामग्री का उत्पादन जैसे कई अन्य कार्य प्रगति पर हैं। हालांकि कोविड–19 महामारी से प्रगति बुरी तरह प्रभावित हुई है, फिर भी परियोजना की कुल प्रगति लगभग 30 प्रतिशत लगभग है।

4. **नेपाल:**

नेपाल में, कंपनी निम्नलिखित दो परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है:

**(क) भारत–नेपाल सीमा पर जोगबनी (भारत)–विराटनगर (नेपाल) के बीच बीजी लाइन का निर्माण।**

इस परियोजना में बथनाहा (भारत) सीएच 0.00 किमी से बिराटनगर (नेपाल), सीएच किमी 18.60 से नई बीजी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। भारतीय भाग (5.45 किमी) में प्रस्तावित संरेखण उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के कटिहार डिवीजन के अंतर्गत बिहार राज्य के अररिया जिले में और नेपाल की ओर मोरंग जिले में (13.15 किमी) पर पड़ता है। परियोजना को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा अवार्ड किया गया था।

रेल मंत्रालय ने जनवरी 2011 में ₹238.83 करोड़ के मूल्य पर समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 02 वर्ष की अवधि पूरी होने पर या भारमुक्त भूमि को सौंपने की तिथि, जो भी बाद में हो, की समापन अवधि के लिए प्राप्त् की है। ₹401.65 करोड़ का संशोधित मूल्य रेल मंत्रालय के अनुमोदन के अध्यधीन है। कार्य के दायरे में जोगबनी से विराटनगर तक नई बीजी रेल लाइन के निर्माण के संबंध में सभी संरचनाओं, मिट्टी के काम, छोटे पुलों, प्रमुख पुलों, सुरंगों और इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग और दूरसंचार और कोई अन्य कार्य (परियोजना के सफल समापन के लिए आवश्यक) सहित सभी संबद्ध कार्यों का डिजाइन और निर्माण योजना आदि शामिल है।

परियोजना की समग्र प्रगति लगभग 79.29 प्रतिशत है।

**(ख) गेज परिवर्तन द्वारा बीजी लाइन का निर्माण – जयनगर (भारत)–बिजलपुरा (नेपाल) भारत–नेपाल सीमा पर बर्दीबास तक विस्तार सहित**

इस परियोजना में जयनगर (भारत), बरदीबास तक विस्तार के साथ सीएच 0.00 किमी से सीएच किमी 68.72 तक नई बीजी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। भारतीय भाग (2.975 किमी) में प्रस्तावित संरेखण बिहार राज्य के मधुबनी जिले में और नेपाल की आर (65.745 किमी) महोतारी जिले में पड़ता है।

परियोजना को अक्टूबर 2011 में मध्य पूर्व रेलवे द्वारा ₹48 करोड़ के मूल्य पर प्रदान किया गया था, जिसकी समापन तारीख समझौते पर हस्ताक्षर या भार मुक्त भूमि को सौंपने, जो भी बाद में हो, की तारीख से 3 वर्ष थी। ₹783.81 करोड़ का संशोधित अनुमान रेल मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन है।

कार्य के दायरे में बरदीबास (नेपाल) के लिए बी जी लाइन के विस्तार सहित जयनगर (भारत) से बिजलपुरा (नेपाल) के बीच आमान परिवर्तन के काम के लिए भू–तकनीकी जांच, यदि कोई हो, के साथ पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पहले से ही अंतिम रूप दिए गए संरेखण के लिए विस्तृत निर्माण सर्वेक्षणय बरदीबास (नेपाल) तक सीमा लाइन विस्तार तक जयनगर (भारत) से बिजलपुरा (नेपाल) के बीच बरदीबास (नेपाल) तक ब्रांड गेज लाइन विस्तार के साथ गेज परिवर्तन और बरदीबास (नेपाल) तक बीजी लाइन के विस्तार के साथ जयनगर से बिजलपुरा के बीच गेज परिवर्तन के काम के संबंध में सभी संरचनाओं, मिट्टी के काम, छोटे पुलों, प्रमुख पुलों, सुरंगों और बिजली, एस एंड टी और किसी भी अन्य कार्यों (परियोजना के सफल समापन के लिए आवश्यक) सहित सभी संबद्ध कार्यों की योजना, डिजाइन और निर्माण।

परियोजना का खंड–1 अर्थात 0.00 किमी से 2.975 किमी से 34.900 किमी, जयनगर–कुरथा तक पूरा हो गया है, खंड –2 के तहत किमी 34.900 से किमी 52. 34, कुर्था–बिजलपुरा में, सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्य प्रगति पर है, और खंड–3 में किमी 52.34 से किमी 68.72 बिजलपुरा–बरदीबास, बिजलपुरा–बरदीबास के बीच की भूमि अभी तक नेपाल सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई है। परियोजना की समग्र प्रगति लगभग 66% है।

## भावी परियोजनाएं

कंपनी का प्रयास है कि उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने की अपनी रणनीति को जारी रखा जाए और घरेलू परियोजनाओं की तुलना में इन परियोजनाओं द्वारा प्राप्त बेहतर लाभ मार्जिन पर कब्जा करने के लिए विदेशों से ऑर्डर बढ़ाए जाएं। बांग्लादेश, घाना, श्रीलंका, यूएई, मलेशिया, ओमान मालदीव्स और फिलिपीन्स में सुरक्षित ठेके प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

### स्थावर सम्पदा क्षेत्र

कॉर्पोरेट योजना के संदर्भ में, इरकॉन ने चुनिंदा विविधीकरण के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र की पहचान की है, इस क्षेत्र में व्यापक क्षमता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2014 में, इरकॉन ने उत्तर प्रदेश राज्य में नोएडा में 90 वर्षों के लिए लीजहोल्ड आधार पर और हरियाणा राज्य में गुरुग्राम में भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 500 करोड़ रूपए की राशि का निवेश किया। इरकॉन को नोएडा में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 8 भूखंड आवंटित किए गए थे और इन भूखंडों पर निर्माण गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है और नोएडा प्राधिकरणों द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं।

कोविड–19 की स्थिति सामान्य होने के पश्चात नोएडा में सेक्टर –1 वाणिज्यिक परिसर को आंशिक रूप से पट्टे पर दिया जाएगा, क्योंकि पांच मंजिलों में से तीन मंजिलों का उपयोग इरकॉन के क्षेत्रीय कार्यालय आदि के रूप में किया जा रहा है। सेक्टर 48, नोएडा में वाणिज्यिक

भवन को पट्टे पर देने की बोली प्रक्रिया प्रगति पर है, हालांकि, महामारी के कारण कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है और पट्टे / बेचने की एक नई रणनीति की समीक्षा की जा रही है। सेक्टर–43 में रिटेल मॉल के पट्टे को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन महामारी की स्थिति के कारण सम्पन्न नहीं किया जा सका और नई निविदा आमंत्रित की गई है और यह प्रक्रियाधीन है।

कंपनी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) से सेक्टर–32, गुरुग्राम, हरियाणा में खरीदे गए एक भूखंड पर भी संपत्ति विकसित कर रही है, जो पूरा होने के अंतिम चरण में है और जल्द ही हुडा से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने की आशा है। 23,000 वर्ग मीटर की संपत्ति 'इरकॉन इंटरनेशनल टॉवर' के रूप में पंजीकृत है। इसमें 250 सीटों वाले सभागार के साथ जी–13 और जी–5 के दो टावर शामिल हैं और इसे लगभग 99 करोड़ की लागत के साथ प्रशिक्षण केंद्र और छात्रावास के रूप में विकसित किया जा रहा है (लगभग 2.23 करोड़ रूपए की भूमि की लागत सहित)। संपत्ति को पट्टे पर देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, हालांकि, महामारी के कारण रणनीति को संशोधित करने की आवश्यकता है। भवन को बेचने की संभावना का भी पता लगाया जा रहा है।

कंपनी ने 26 मार्च, 2018 को रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के साथ अपफ्रंट लीज प्रीमियम के भुगतान पर 99 वर्षों के लिए बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र में 4.3 (चार बिंदु तीन) हेक्टेयर भूमि पार्सल पर वाणिज्यिक विकास के लिए इरकॉन को लीजहोल्ड अधिकारों के हस्तांतरण के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया था। अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, इरकॉन आरएलडीए से अग्रिम लीज प्रीमियम के कुल 3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) के बराबर राशि के लिए शुल्क और 3200 करोड़ रूपए के वित्तपोषण को प्राप्त करने का हकदार है, जिसके लिए एक त्रिपक्षीय इरकॉन, आरएलडीए और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी) के बीच ऋण समझौते को निष्पादित किया गया था और ब्याज के साथ ऋण का पुनर्भुगतान आरएलडीए द्वारा गारंटीकृत है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने मुख्य यातायात में प्रवेश के लिए प्रवेश और निकास मार्ग प्रदान करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और प्लॉट को अब पट्टे पर दिया जा सकता है। दिनांक 26 मार्च, 2018 को दर्ज किया गया समझौता ज्ञापन समाप्त हो गया है और इरकॉन इसे और आगे नहीं बढ़ा सकता है।

## सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियां, और संबद्ध कंपनियां

अपनी वित्तीय और प्रदर्शन के साथ–साथ सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि परिशिष्ट–ख में दी गई है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, एक नई कंपनी अर्थात इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाइवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल) को दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। इरकॉनजीआरएचएल का गठन 'गुड़गांव–पटौदी के उन्नयन' परियोजना की शर्तों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा 900 करोड़ रूपए के मूल्य पर हरियाणा राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर एक फीडर मार्ग के रूप में एनएच–352डब्ल्यू के किमी 0.00 से किमी 43.87 (डिजाइन लंबाई 46.11 किमी) तक के रेवाड़ी खंड (डिजाइन लंबाई 46.11 किमी) के निष्पादन हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ''महत्वपूर्ण सहायक कंपनी'' के निर्धारण पर कंपनी की नीति और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियम, 2015) के विनियम 24ए के अनुसार, इरकॉन वीकेईएल को महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसकी कुल आय तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में इरकॉन की समेकित आय के 10 प्रतिशत से अधिक है। दिनांक 31 मार्च, 2020 को कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के भागे के रूप में महत्वपूर्ण सहायक कंपनी संबंधी प्रकटीकरण का विवरण प्रदान किया गया है।

### राष्ट्रपति के निदेशों का अनुपालन

आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए समय–समय पर जारी किए गए अध्यक्षीय निर्देश जैसे कि आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति, रोजगार में अ.जा./अ.ज.जा. रोस्टर, वेतनमान 2017 में संशोधन आदि का अनुपालन किया गया है।

### राजभाषा

कंपनी कार्यालय में हिंदी के व्यापक उपयोग के लिए विभिन्न उपाय और उत्साहजनक पहल कर रही है। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया हैः

क. सभी कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को पूरी तरह से हिंदी में काम करने की शपथ।

ख. कॉर्पोरेट कार्यालय में तिमाही आधार पर राजभाषा संगोष्ठि का संचालन किया जा रहा है।

ग. विभिन्न विभागों द्वारा रोटेशनल आधार पर योगदान के रूप में एक विचार और एक शब्द, जन्मदिन की शुभकामनाएं, प्रसिद्ध कवियों की कविता आदि को स्वागत कक्ष में हिंदी में प्रदर्शित किया जा रहा है।

घ. रिसप्शन क्षेत्र में हिन्दी भाषा में दिन का विचार और एक शब्द को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे रोटेशन आधार पर रोजाना विभागों द्वारा प्रदान किया जाता है।

हिंदी में काम करने में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए हर तीसरे महीने में कॉर्पोरेट विभाग में किसी एक विभाग के साथ हिंदी विभाग द्वारा एक बैठक आयोजित की जाती है। इसके अलावा, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित त्रैमासिक बैठकें और यूनिकोड प्रणाली और कार्यालयीन भाषा के प्रभावी उपयोग के लिए त्रैमासिक कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कंपनी

के अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फोन के लिए द्विभाषी सुविधा शुरू की गई है। कर्मचारियों द्वारा उपयोग के लिए द्विभाषी प्रारूप को इरकॉन की आंतरिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन–सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा राज्य स्तरीय जन सूचना अधिकारियों के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय–सीमा के भीतर दिया जाता है। शिकायतें मुख्य रूप से सेवा संबंधी विषयों/भर्ती, वित्त, संविदा और परियोजनाओं से संबंधित होती हैं। आरटीआई मामलों का ब्यौरा तिमाही आधार पर तथा वार्षिक आधार पर केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाता है और इसकी प्रति सूचनार्थ रेल मंत्रालय को अग्रेषित की जाती है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, 181 आवेदन तथा 24 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई थीं और वर्ष के आरंभ में 09 आवेदन और 02 अपील (यथा वर्ष के दौरान कुल 190 आवेदन और 26 अपील) निर्धारित अनुमत समयसीमा में निपटान हेतु प्रक्रियाधीन थीं। इसमें से 184 आवेदन (9 आवेदनों के आरंभिक शेष सहित) तथा 24 प्रथम अपीलों (2 अपीलों के आरंभिक शेष सहित) पर कार्यवाही की गई/उन्हें निपटाए गया था। 31 मार्च 2021 को 06 आवेदनों और 02 अपीलों पर निर्धारित समयसीमा के भीतर निपटान हेतु कार्रवाई की गई थी।

### प्रापण वरियता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन:

आपकी कंपनी में जून 2021 से वृहत क्रय वरियता नीति विद्यमान है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड–11 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म और लघु उद्यम हेतु लोक प्रापण नीति (एमएसई) आदेश, 2012 के तर्ज पर है। इरकॉन अपनी खरीद के लिए सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) और गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल का उपयोग करता है, जो एसएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी वैधानिक निकाय के साथ पंजीकृत एमएसई फर्मों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है और निविदा शुल्क और बयाना राशि की लागत के भुगतान से छूट का लाभ प्राप्त करके ई–निविदा में भाग लेता है। सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 के अनुपालन में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली का उपयोग करते हुए 200 करोड़ रूपए मूल्य तक की सभी निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने सामग्री और भंडारण के प्रति 380.15 करोड़ रूपए के मूल्य के व्यय के प्रति एमएसई वेंडर से 163.08 करोड़ रूपए मूल्य की वस्तुओं का प्रापण किया है। एमएसई वेंडरों के कार्यक्षेत्र /क्षमता से परे की वस्तुओं का मूल्य 84.30 करोड़ रूपए है। इसलिए, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्रापण नीति के अनुपालन में एमएसई के कार्यक्षेत्र/क्षमता से परे की वस्तुओं के मूल्य को छोड़ने के पश्चात एमएसई से 295.85 करोड रूपए मूल्य निवल प्रापण के 55 प्रतिशत प्रापण प्राप्त किया है। आपकी कंपनी ने 06 जनवरी, 2021 को अ.जा/अ.ज.जा के उद्यमियों सहित एमएसई के लिए निगमित कार्यालय में विशेष राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम आयोजित किया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के खंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने अनुदेश जारी किए कि 500 करोड़ रूपए से अधिक के टर्नओवर सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनियां और सभी सीपीएसई के लिए यह अपेक्षित है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक का अधिसूचना के अनुसार स्थापित व्यापार प्राप्य रियायत प्रणाली (टीआरईडीएस) के अंतर्गत स्वयं को लाए। प्रत्येक राज्य में कंपनी के रजिस्ट्रार (आरओसी) सीपीएसई द्वारा ऐसे अनुदेशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और भारत सरकार को लोक उपक्रम विभाग सीपीएसई द्वारा ऐसे अनुदेशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा। उपर्युक्त अनुदेश के अनुपालन में, एमएसई के व्यापार प्राप्यों के वित्तपोषण को सुलभ बनाने के लिए दिनांक 25 जनवरी 2018 से टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर आ गया है ताकि देय तिथि से पूर्व एमएसई को उनका भुगतान प्राप्त हो सके।

## मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन प्रारंभ से ही इरकॉन का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। कंपनी भविष्य के लिए वितरित करने के लिए एक व्यस्त और सक्षम कार्यबल के लिए एक आदर्श कार्य संस्कृति बनाने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे पास मजबूत मूल्य, अग्रणी प्रथाओं, प्रबंधन के बीच संयुक्त परामर्श के माध्यम से एक साथ काम करने की संस्कृति और सामुदायिक विकास के लिए बहुत मजबूत प्रतिबद्धता है। हमारे लोगों का व्यवहार सदैव कर्मचारी कल्याण और कल्याण के आसपास केंद्रित रहा है, जिससे सहयोग और संबंध का माहौल बना है।

इरकॉन के मानव संसाधन प्रबंधन मुख्य रूप से संगठन के भीतर लोगों के प्रबंधन, नीतियों और प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने से संबंधित है। रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए एचआरएम इन इरकॉन को डिजाइन किया गया है। संगठन के लिए आवश्यक व्यावसायिक उद्देश्यों और क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने अपनी मानव संसाधन रणनीति एवं साथ ही सिस्टम और प्रक्रियाओं को अपनाया और संरेखित किया है। मानव संसाधन कार्यनीति उन कर्मचारियों के लिए एक प्रेरक कारक के रूप में कार्य करती है जो कंपनी की भविष्य की जरूरतों और व्यक्तिगत कर्मचारियों की आकांक्षाओं के बीच एक मैच बनाने के लिए संगठन की मुख्य क्षमता में योगदान करते हैं।

इरकॉन के मानव संसाधन दर्शन को उनकी क्षमता को साकार करने, नवोन्मेषी विचारों और पुरस्कारों के उचित वितरण को प्रोत्साहित करके कर्मचारियों के सशक्तिकरण, विकास और विकास को प्रोत्साहित करने में निहित है। इसकी कार्य संस्कृति खुली और गतिशील है, कर्मचारियों को शीर्ष प्रबंधन के सक्रिय समर्थन के साथ नौकरियों में पहल करने

में सक्षम बनाती है। यह पसंद का नियोक्ता है और संगठन के विकास और विकास के लिए आवश्यक कौशल सेट के साथ सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा को आकर्षित करता है।

कर्मचारियों का सही प्लेसमेंट और परिशोधन, इंडक्शन के बाद का प्राथमिक कार्य है, जिसके द्वारा कंपनी व्यक्तिगत प्रदर्शन और लक्ष्यों को संरेखित लक्ष्य के साथ बनाए रखती है। कर्मचारियों को उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए पर्याप्त देखभाल की जाती है।

कंपनी में कार्य निष्पादन व्यवस्था विद्यमान है, जिसके अंतर्गत संगठन के लिए प्रत्येक कर्मचारी के योगदान का अवलोकन किया जाता है और उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जाता है। इरकॉन में एक ध्वनि और परिणाम–उन्मुख है

कंपनी में कार्यनिष्पादन व्यवस्था विद्यमान है, जिसके अंतर्गत संगठन में प्रत्येक कर्मचारी के योगदान का अवलोकन किया जाता है और उचित रूप से पुरस्कृत किया जाता है। इरकॉन में एक सुदृढ़ और परिणामोन्मुखी निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) है। यह प्रणाली सभी स्तरों पर योग्यता को पुरस्कृत करने और उन्हें पहचान प्रदान करने के कंपनी के दर्शन को संवर्धन प्रदान करती है और कंपनी के मूल्यांकन में एक संरचित दृष्टिकोण के माध्यम से अधिकारियों के विकास का समर्थन करती है।

### जनशक्ति बल

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार इरकॉन की कुल जनशक्ति संख्या 1,298 थी, (पिछले वर्ष 1369) जिनमें 1,018 नियमित कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पर 26 कर्मचारी, अनुबंध पर 250 (सेवा अनुबंध सहित) और निश्चित कार्यकाल के आधार पर 04 शामिल थे। कंपनी के कुल 1,298 कर्मचारियों में से 1,249 भारतीय परियोजनाओं पर और 49 अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर तैनात किए गए हैं। 1298 कर्मचारियों में, 948 तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से योग्य हैं। वर्ष के अंत में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 62 थी। पिछले वर्ष की तुलना में कुल श्रमशक्ति कम हो गई है, क्योंकि कंपनी द्वारा लागतों को इष्टतम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान, कुल नए नियोजित कार्यरत कर्मचारी 104 थे, जिसमें 11 नियमित कर्मचारी शामिल थे, प्रतिनियुक्ति पर 04 कर्मचारी, और अनुबंध (सेवा अनुबंध सहित) पर 89 कर्मचारी है ।

### रोजगार में आरक्षण

कंपनी अनुसूचित जाति(अ.जा)/अनुसूचित जनजाति(अ.ज.जा)/अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व) तथा दिव्यांग जनों की श्रेणियों के उम्मीदवारों को रोजगार में आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार की नीतियों और निदेशों के क्रियान्वयन से संबंधित विषय में भारत सरकार की नीतियों और निदेशों के क्रियान्वयन को सर्वाधिक महत्व देती है। दिनांक 31 मार्च 2021 को कंपनी में कुल 512 अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व तथा दिव्यांगजनों कर्मचारी हैं।

इसके अतिरिक्ता, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, 11 कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त किया गया था, जिनमें से 06 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अलग–अलग श्रेणियों के हैं। इसी प्रकार संविदा पदों पर 78 कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिनमें से 44 अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व और दिव्यांग वर्ग के हैं।

वर्ष 2020–21 में 611 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से 211 कर्मचारी इन श्रेणियों से हैं। इन श्रेणी के कर्मचारियों के कल्याण के लिए, कंपनी ने अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व तथा दिव्यांगजनों कर्मचारियों के लिए सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की है।

कंपनी की अवसंरचना दिव्यांगजन कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार सुनिर्मित है।

### प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

इरकॉन कर्मचारियों के विकास और केरियर प्रोग्रेशन पर व्यापक बल देता है। वर्षभर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। प्रतिष्ठित तथा विख्यात संस्थानों/ एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेशेवर कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का इरकॉन की व्यावसायिक आवश्यकता की तर्ज पर ध्यानपूर्वक पहचान की गई और ऐसे कार्यक्रमों में उपयुक्त अधिकारियों को नामित किया गया था।

आपकी कंपनी कार्यात्मक तथा सामान्य प्रबंधन क्षेत्रों, संविदा एवं मध्यस्थता, नेतृत्व, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुगम कौशलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। जहां कहीं आवश्यक हुआ, बाहरी फैकल्टी को आमंत्रित किया जाता है और कार्मिकों को कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों आदि में भेजा जाता है। कर्मचारी विकास सदैव कम्पनी की प्राथमिकता रही है और समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण और विकास योजनाओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान, कुल 1084 श्रम दिवस के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों आदि के माध्यम से इरकॉन के कार्मिकों को बाहरी संस्थानों तथा इन–हाऊस प्रशिक्षण, आदि प्रदान किया गया है।

### कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों के कल्याण के लिए कंपनी के पास पर्याप्त और मजबूत योजनाएँ हैं। इनमें छूट सुविधा से युक्त कैंटीन सुविधा, स्वास्थ्य कवर, चिकित्सा योजना, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना, सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन योजना, नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य जांच, भत्ते, आवासीय आवास के लिए स्व–पट्टे, कर्मचारियों के वार्डों को शैक्षिक छात्रवृत्ति, आदि शामिल हैं। व्यावसायिक डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमुश्त शैक्षिक अनुदान, कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को शैक्षिक पुरस्कार, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को शैक्षिक सहायता, बेटियों की शादी के लिए सहायता और गैर–कार्यकारी श्रेणियों में कर्मचारियों की आश्रित बहनें, सुविधा कॉरपोरेट कार्यालय में मुफ्त होम्योपैथी और एलोपैथी परामर्श, और डालमिया और स्टर्लिंग रिसॉर्ट्स के माध्यम से कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए रियायती दरों पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

### कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के रूप में अस्वीकरण (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013

कंपनी का लक्ष्य महिला कर्मचारियों के लिए एक सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। कंपनी के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक व्यापक नीति है, जिसमें सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है (प्रतिनियुक्ति, अस्थायी, तदर्थ, अनुबंध / सेवा अनुबंध या दैनिक मजदूरी के आधार पर या तो सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से कंपनी के ठेकेदार, सह–कार्यकर्ता, एक ठेका श्रमिक, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु, प्रशिक्षु आदि) और यह कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कंपनी के चार अधिकारियों और एनजीओ के एक बाहरी सदस्य के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कंपनी की पांच सदस्यीय शिकायत समिति है। इसके अतिरिक्त, यौन उत्पीड़न के निषेध से संबंधित प्रावधान को भी नियमन, अनुशासन और अपील नियमों में शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान या पिछले वर्ष से लंबित कंपनी द्वारा यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

## कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और संवहनीयता

इस विश्वास से उपजा कि समाज से जो आता है वह समाज को वापस जाना चाहिए, संगठन की संस्कृति में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता का भाव अत्यंत गहरा हैं।

इरकॉन ने लंबे समय से सामाजिक जिम्मेदारी को अपनी समग्र व्यावसायिक कार्यनीति के एक एकीकृत भाग के रूप में मान्यता दी है। हमारा मानना है कि एक मजबूत व्यवसाय और एक स्वस्थ समुदाय के बीच एक निश्चित संबंध है। वे पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं, और आज, यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम सभी को यह पता चलता है और समावेशी अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों को आकार देने और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए एक साथ आते हैं।

हमारी कार्यनीति हमारे समुदायों को काफी हद तक प्रभावित करने के लिए ठोस और विचारशील पहल विकसित करना है। हम अपने व्यापार के संचालन और हमारे हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान से एकीकृत करते हैं। हमारी सीएसआर गतिविधियां शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्रों में विस्तार करती हैं 'पर्यावरण संवहनीयता' स्वच्छ पानी और स्वच्छता, खेल घरों और आश्रय, संस्कृति और विरासत, ग्रामीण परिवर्तन, और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पीएम केयर फंड में योगदान शामिल है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर 10.42 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 10 दिसंबर, 2018, और 1 जून, 2020 के कार्यालय ज्ञापन के तहत, सीएसआर व्यय के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों को अंतर–विषयक सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए एक विषय–आधारित दृष्टिकोण अपनाने, विषयगत कार्यक्रमों के लिए वार्षिक सीएसआर आवंटन का 60 प्रतिशत खर्च करने और वरीयता देने को अंगीकार करने के लिए कहा गया है। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण को 2020–21 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए एक सामान्य विषय के रूप में रखा गया है। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए इरकॉन सीएसआर बजट 10.42 करोड़ रुपये था, और प्रधानमंत्री केयर निधि में किया गया योगदान कुल 15.50 करोड़ रुपये है। पीएम केयर निधि में अधिकतम राशि दान किए जाने के कारण इरकॉन डीपीई थीम के प्रति केवल 0.71 करोड रूपए ही खर्च कर पाया है।

कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने वाली सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और दिनांक 22 जनवरी, 2021 के कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप संलग्न है और इस रिपोर्ट का भाग है।

### गुणवत्ता पर्यावरण, तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन

इरकॉन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन को स्वीकार करने वाला प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। वर्ष 1996 से जब टीयूवी एसयूडी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कम्पनी को समग्र रूप से पहली बार आइएसओ 9002 के लिए प्रमाणित किया गया था, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस) को सफलतापूर्वक चलाया तथा निरंतर उन्नत किया गया है। आपकी कंपनी ने अद्यतन संशोधित कोड आईएसओ 9001:2015 (तीन वर्ष के समापन के पश्चात आवधिक पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा द्वारा) के अनुसार प्रमाणन जारी रखा है। अद्यतन पुनः प्रमाणन लेखापरीक्षा जनवरी, 2020 में की गई है, जिसके द्व ारा कंपनी को मार्च, 2023 तक अगले तीन वर्षों के लिए टीयूवी एसयूडी द्वारा पुनःप्रमाणित किया गया है।

### सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन (एसएचई)

कंपनी ने एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) की स्थापना की और इसे अक्टूबर 2011 में आईएसओः 14001–2004 के लिए प्रमाणित किया गया था। आईएसओ 14001–2015 के लिए नवीनतम पुनः प्रमाणन संपरीक्षा जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था, जिसके तहत कंपनी को अगले तीन वर्ष, अर्थात फरवरी 2023 तक के लिए पुनः प्रमाणित किया गया था। इरकॉन के पास आईएसओ:45001–2018 भी है, और आईएसओ:45001–2018 का पुनः प्रमाणीकरण दिनांक 27 दिसंबर, 2021 को होने वाला है।

### पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी ने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) स्थापित की है और इसे अक्तूबर, 2011 में आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणि त किया गया है। आईएसओ 14001:2015 के लिए अद्यतन पुनःप्रमाण न लेखापरीक्षा जनवरी, 2020 में किया गया है, जिसके द्वारा अगले तीन वर्षों यथा फरवरी, 2023 तक कंपनी को पुनःप्रमाणित किया गया है।

# निदेशक मंडल की रिपोर्ट

## ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं उन्नयन

### ऊर्जा का संरक्षण

**ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव के प्रति किए गए उपायः**

कंपनी ने रेल कोच फैक्टरी, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में 22.49 करोड़ रूपए मूल्य के साथ 3 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र ग्रिड संबंधी डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का काम एवं संबंधित उपकरणों सहित सिविल वर्क्स का कार्य पूरा कर लिया है। संयंत्र पूरी तरह से चालू है और कारखाने के लिए लगभग 36 प्रतिशत विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर रहा है।

इसके अलावा, इरकॉन द्वारा प्रौद्योगिकी भवन, नई मेहरौली रोड, नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की छत पर इलैक्ट्रिक्ल एवं सम्बद्ध उपकरणों के साथ संरचना कार्यों सहित 218केडब्ल्यूपी क्षमता ग्रिड–इंटरेक्टिव रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन संयंत्र डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण के लिए 1.53 करोड़ रूपए मूल्य का ऑर्डर जारी किया गया है।

इसके अलावा, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए कॉरपोरेट ऑफिस की इमारतों में अतिरिक्त कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं, जो लगभग 12–15 प्रतिशत विद्युत ऊर्जा खपत को कम कर देंगे।

(क) कॉर्पोरेट ऑफिस में अतिरिक्त 10 किलोवाट रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ऊर्जा संरक्षण का उपाय है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र 80 किलोवाट की मौजूदा क्षमता के अतिरिक्त है और इसे हरित ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण में योगदान देने वाले ऊर्जा ऑडिट के बाद लागू किया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित कुल ऊर्जा केडब्ल्यूएच की 44,853 इकाइयाँ हैं जो कि बीएसईएस से प्राप्त की जा रही ऊर्जा का 3.1 प्रतिशत है, यानी 14,27,380 यूनिट या केडब्ल्यूएच और इसलिए, प्रति वर्ष कुल ऊर्जा संरक्षण 3.1 प्रतिशत है।

(ख) पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय भवन में कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं, जो विद्युत ऊर्जा की खपत को और कम करता है। कैपेसिटर बैंकों द्वारा बचाई गई कुल ऊर्जा प्रतिवर्ष 2,20,903 यूनिट अथवा केडब्ल्यूएच है।

(ग) ऊर्जा–कुशल एलईडी लैंप द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय भवन की आंतरिक प्रकाश व्यवस्था भी लगभग 3,00,000 यूनिट या केडब्ल्यूएच प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत की जा रही है। ।

**ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत बढ़ाने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपाय :**

कंपनी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का निम्नलिखित उपयोग कर रही हैः

(क) डीजल जेनरेटर सेट – न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नया अत्याधुनिक भवन – 1500 केवीए x 2 सेट।

(ख) यूपीएस – न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नया अत्याधुनिक भवन – 100 केवीए x 1 x 60 केवीए और 1 x 15 केवीए।

**ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेशः**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर कोई पूंजी निवेश नहीं किया है।

### प्रौद्योगिकी आमेलन और उन्नयन

**प्रौद्योगिकी के आमेलन के लिए किए गए उपायः**

प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए, कंपनी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, सीटीपी–12 (डीएफसी परियोजना) के लिए एक नई ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन खरीदी है, जिसे डीएफसी परियोजना में ट्रैक करने में उत्पादकता, सुरक्षा, दक्षता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सफलतापूर्वक कमीशन किया गया है। वर्तमान में, केवल दो कंपनियों के पास यह मशीन है। संयंत्र एवं मशीनरी में किया गया यह संवर्धन डीएफसी परियोजना में से 102.67 करोड़ रुपये की राशि के उपयोग से किया गया है, जिसमें पूंजी कार्य प्रगति पर से संबंधित पिछले वर्ष के 46.89 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता, जवाबदेही, डेटा सत्यनिष्ठा में संवर्धन एवं कार्यस्थल में अधिक सहयोग और प्रभावी ज्ञान प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ई–ऑफिस का उपयोग कॉर्पोरेट कार्यालय, और अन्य परियोजना कार्यालयों में जनवरी 2020 से शुरू किया गया है।

**उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात विकल्प के उपयोग से प्राप्त लाभ :**

एनटीसी मशीन के उपयोग 260 मीटर लंबे रेल पैनल को यूनिफार्म स्लीपर के साथ और न्यूनतम मैनुअल इंटरफेस के साथ रखा जा सकता है। यह प्रति दिन 1.5 किमी ट्रैक बिछाने की बेहतर गुणवत्ता और ट्रैक बिछाने की तीव्र प्रगति सुनिश्चित करता है।

**यदि प्रौद्योगिकी आयात की गई है (पिछले तीन वर्षों में किए आयात का वर्ष के प्रारंभ से विवरण दें) :**

क. आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण

मशीन द्वारा 260 मीटर लंबाई में लंबे रेल पैनल बिछाने की तकनीक का उपयोग भारतीय रेल के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड [रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का केन्द्रीय उपक्रम] द्वारा किया जा रहा है। इरकॉन ने भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक ठेकेदार होने के कारण इस नई ट्रेक मशीन (एनटीसी) की खरीद मैसर्स हरस्को, यूएसए से इसके सुपरवीजन के साथ की है, जिससे लंबे समय में प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कुशल बनाने के लिए परियोजना में तैनात हमारी भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया जा सके।

ख. आयात का वर्ष 2019

ग. क्या तकनीक का पूरी तरह से दोहन कर लिया गया है।

अब तक, 8.5 ट्रैक किलोमीटर लंबे पैनल (स्कोप 372 किलोमीटर)

बिछाए गए हैं।

घ. यदि पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है, तो ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जहां दोहन नहीं हुआ, और इसके कारण क्या हैं,

विभिन्न साइट बाधाओं के कारण एनटीसी का उपयोग करते हुए लंबे रेल पैनलों के बिछाने में 1–1/ 2 से 2 वर्ष का समय लग सकता है और तदनुसार इस तकनीक का दोहन एक धीमी प्रक्रिया होगी।

## अनुसंधान और विकास

कंपनी किसी भी शुद्ध अनुसंधान परियोजना का केवल कार्य ही नहीं करती है, अपितु तकनीकी क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के लिए आवश्यक गुणवत्ता के साथ, लागत प्रभावी तरीके से परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए नए तरीके विकसित करने के लिए सलाहकारों और फर्मों की मदद भी लेती है।

## सूचना प्रौद्योगिकी एवं ईआरपी

कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी न केवल सेवा प्रदाता है बल्कि इसका प्रयोग उत्पादकता संवर्धन के लिए भी किया जाता है। आपकी कंपनी ने सूचना की उपलब्धता, पारदर्शिता और नीति निर्धारण में सुधार लाने के लिए वित्तीय नियंत्रणों और मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में सेप ईसीसी आधारित उपक्रम संसाधन नियोजन (ईआरपी) ऐप्लिकेशन को क्रियान्वित किया है। संगठन की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को स्वचालित बनाने के लिए सेप बिजनेस ऑब्जेक्ट (सेप बीओ) को भी क्रियान्वित किया गया है। ये रिपोर्टिंग टूल सेप ईसीसी से रियल–टाइम डाटा एकत्र करता है और तुलनपत्र, लाभ हानि विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण को मांग आधार पर तैयार करने में मदद करता है। इस स्वचालित प्रणाली से तिमाही/वर्ष के अंत में लेखा बहियों को तैयार करने और अंतिम रूप प्रदान करने में समय और प्रयास में व्यापक कमी हुई है। इरकॉन वर्तमान में संगठन की एंड–टू–एंड व्यावसायिक प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए एसएपी एस/4 एचएएनए को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है। सेप उच्च उपलब्ध सुरक्षा और क्षमता संवर्धन हेतु लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए क्लाउड पर होस्ट करता है।

कागज रहित कार्यालय की दिशा में एक कदम के रूप में, फाइलों और नोट शीटों के अनुमोदन के लिए एनआईसी से ई–ऑफिस प्रणाली को ऑनलाइन पद्धति को लागू किया गया है और भौतिक फाइल प्रणाली को बदल दिया है। ई–ऑफिस प्रणाली को पहले से ही इरकॉन की सभी घरेलू और विदेशी परियोजनाओं के लिए लागू किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का व्यापक रूप से प्रशिक्षण, पदोन्नति साक्षात्कार आदि के साथ–साथ परियोजना प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से कोविड–19 के इस काल में, इसे परियोजनाओं के प्रभावी और कुशल समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक माना जा रहा है और बोर्ड और उसकी समिति की बैठकों सहित अन्य बैठकों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट एप्लिकेशन को कर्मचारियों की सूचना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पुनर्निधारित किया गया है, जिसमें कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) कार्यक्षमता शामिल है और इसमें अवकाश और उपस्थिति, वेतन पर्ची और भविष्य निधि (पीएफ) स्लिप आदि का ऑनलाइन अवलोकन शामिल है।

कंपनी ने कर्मचारियों के मोबाइलों और ब्रिंग योर ओन डिवाइज (बीवाईओडी) को कंपनी के नेटवर्क से सम्पर्कता उपलब्ध कराने के लिए निगमित कार्यालय में उचित सुरक्षा सुविधाओं के साथ वाई–फाई को आरंभ किया है। संगठन में खरीद प्रक्रिया में कार्यकुशलता में सुधार लाने और पारदर्शिता लाने के लिए, ई–प्रोक्योरमेंट प्लेटफार्म को जीईपीएनआईसी में लागू कर दिया गया है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है।

कंपनी ने डिजिटल संव्यवहारों और परियोजना सम्पर्कता के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निगमित कार्यालय में अपने नेटवर्क अवसंरचना को अद्यतन किया है। सूचना और साइबर सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साइबर–अटैक या डाटा की चोरी के निवारण के लिए अद्यतन थ्रेट प्रबंधन टूल्स को प्रयोग किया जा रहा है।

## कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशा–निर्देशों का पूरी तरह से विकास और पालन करने का सुनिश्चय मात्र सुनिश्चित लंबी अवधि के शेयरधारक मूल्य को बढ़ावा देने के लिए बल्कि अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान करने के लिए भी करती है। कंपनी के संचालन, प्रदर्शन, नेतृत्व और गवर्नेंस की सामयिक और सही जानकारी का प्रकटीकरण करना कंपनी की अंतर्निहित जिम्मेदारी है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सूचीकरण विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के विनियम–34 के अनुसार, सेबी विनियम, 2015 के तहत कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुपालन प्रमाण पत्र और मई 2010 में जारी किए गए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट संलग्न हैं और इस रिपोर्ट का भाग है।

### निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पांच निदेशक हैं, जिनमें से चार पूर्णकालिक निदेशक हैं [अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजनाएं) और निदेशक (निर्माण)], एक सरकारी नामित निदेशक हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–203 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने सभी पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है, और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशक (वित्त) को क्रमशः सीईओ और सीएफओ के रूप में नामित किया गया है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक थे – डॉ. एस.के. चौधरी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मुकेश कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय

अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्य), श्री श्याम लाल गुप्ता, निदेशक (परियोजना) और सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव।

दिनांक 28 दिसंबर, 2018 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की निर्धारित संख्या नहीं है और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी में कोई महिला निदेशक भी नहीं थी। तदनुसार, कंपनी ने वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए रेल मंत्रालय से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है।

### वर्ष के दौरान नियुक्त निदेशक

श्री धनंजय सिंह (डीआईएनः 08955500), कार्यकारी निदेशक (कार्य), रेलवे बोर्ड को 10 नवंबर, 2020 से कंपनी का अंशकालिक (सरकारी) निदेशक नियुक्त किया गया था। आगामी एजीएम में निदेशक के रूप में नियमित किए जाने वाले श्री धनंजय सिंह का विवरण कंपनी के आगामी एजीएम के नोटिस में समाविष्ट है।

### वर्ष के दौरान नियुक्त किये गए और कार्यकाल समाप्त होने वाले निदेशक

श्री सुधीर कुमार (डीआईएनः 01429832), अपर सदस्य (योजना), रेलवे बोर्ड को कंपनी के अंशकालिक (सरकारी) निदेशक के रूप में दिनांक 12 मई, 2020 से नियुक्त किया गया था। रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य (योजना) के पद से उनकी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, वे दिनांक 30 जून, 2020 को इरकॉन के निदेशक पद से पदमुक्त हो गए हैं।

श्री आशुतोष गंगल (डीआईएनः 07057313), सलाहकार (योजना), रेलवे बोर्ड को 27 अगस्त, 2020 से कंपनी का अंशकालिक (सरकारी) निदेशक नियुक्त किया गया था और उन्हें दिनांक 29 सितंबर, 2020 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशक के रूप में नियमित किया गया है। महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप वे 27 अक्टूबर 2020 से अंशकालीन सरकारी निदेशक के पद से पदमुक्त हो गए हैं।

### वर्ष के दौरान कार्यकाल समाप्त होने वाले अन्य निदेशक

i. श्री बालसत्य वेंकटरमण चिट्टा (डीआईएनः 03179171), स्वतंत्र निदेशक, 19 सितंबर, 2020 को (कार्यकाल समाप्त होने के कारण),

ii. डॉ. नरेंद्र सिंह रैना (डीआईएनः07968391), स्वतंत्र निदेशक, 19 सितंबर, 2020 को (कार्यकाल समाप्त होने के कारण),

iii. श्री हरि मोहन गुप्ता (डीआईएनः 08453476), अंशकालीन (सरकारी) निदेशक, आमेलन आधार पर डीएफसीसीआईएल के निदेशक (अवसंरचना) के रूप में उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को रेलवे बोर्ड से कार्यमुक्त हो गए हैं।

### वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशक और केएमपी पद से पदमुक्त निदेशक

दिनांक 30 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, डॉ. एस.के. चौधरी, इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए, इसलिए, वे इरकॉन के सीईओ, निदेशक और केएमपी नहीं रहे।

### वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशकों और केएमपी पद पर नियुक्ति

वित्त वर्ष 2020–21 की समाप्ति के पश्चात, 01 मई, 2021 से श्री एम. के. सिंह, निदेशक (वित्त) ने अपने स्वयं के कार्यभार के अतिरिक्त, 01 मई, 2021 से तीन महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया। डॉ. एस.के. चौधरी की अधिवर्षिता के कारण पद के रिक्त होने के परिणामस्वरूप श्री एम.के. सिंह को दिनांक 11 जून 2021 से सीईओ के रूप में नामित किया गया था। श्री एम.के. सिंह, कंपनी के सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के कारण वे दिनांक 11 जून, 2021 से सीएफओ के पद से पदमुक्त हुए।

श्री सुरजीत दत्ता, सीजीएम (वित्त–मुख्यालय) को 11 जून, 2021 से श्री एम.के. सिंह के स्थान पर कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और केएमपी के रूप में नामित किया गया है। .

श्री राजेश अरगल (डीआईएनः 09171980), को कंपनी के बोर्ड में 13 मई, 2021 से अंशकालिक (सरकारी) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि तक इस पद पर रहेंगे।

श्री राजेश अरगल और श्री धनंजय सिंह अंशकालिक (सरकारी) निदेशकों का विवरण निदेशक के रूप में आगामी एजीएम में विनियमित किया जाएगा, जो कंपनी के आगामी एजीएम के नोटिस में समाविष्ट है।

### स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सूचीकरण विनियमों के विनियम 16 और 25 (8) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 149 (7) के अुसार सभी स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा प्राप्त हुई है कि वे कम्पनी अधिनियम की धारा 149(6) एवं सूचीकरण विनियमों के विनियम 16 (1) (ख) और 25 (8)के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। निदेशक मंडल द्वारा घोषणाओं को नोट कर लिया गया है।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में कुछ अधिसूचनाएँ जारी की हैं, जो मानेसर, हरियाणा (आईआईसीए) में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के लिए डेटा बैंक के निर्माण और रखरखाव से संबंधित हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150(1) के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा ऑनलाइन प्रवीणता स्व–मूल्यांकन किया जाएगा। आईआईसीए कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 6(1) का अनुपालन करते हुए इस स्वतंत्र निदेशक के डेटाबैंक के माध्यम से यह टेस्ट आयोजित करेगा। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने आईआईसीए के डेटा बैंक में अपने नाम पंजीकृत

किए थे।

### निदेशकों की रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत रोटेशन पर निदेशकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में किए गए प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों पर लागू नहीं होंगे। इसे देखते हुए, किसी भी स्वतंत्र निदेशक को रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं माना जाता है। तथापि, अन्य सभी निर्देशकों को रोटेशन से सेवानिवृत्त माना जाता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, अन्य सभी निदेशकों के बीच एक तिहाई (अतिरिक्त निदेशकों को छोड़कर जिनका कार्यकाल वार्षिक आम सभा में समाप्त होगा) अर्थात् श्री योगेश कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्य) (डीआईएनः 07654014) रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त किए जाने हैं तथा पात्र होने के नाते वे पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर सकते हैं।

आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति/पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का ब्योरा कंपनी के वार्षिक आम सभा को नियुक्त करने वाले नोटिस में निहित है।

### निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल, 2020, 10 जुलाई, 2020, 15 जुलाई, 2020, 25 अगस्त, 2020, 28 अक्टूबर, 2020, 11 नवंबर 2020, 17 दिसंबर, 2020, 13 फरवरी, 2021 और 15 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान नौ बैठकें की थी। बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों और सूचीबद्ध विनियमों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की 10 बार बैठक हुई, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की 5 बार बैठक हुई, और हितधारकों की संबंध समिति, सीएसआर और संधारणीयता समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, प्रत्येक की एक–एक बैठक हुई।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की समिति की कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि 19 सितंबर, 2020 को दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, 20 सितंबर, 2020 से 07 मार्च, 2021 तक कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक थे।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, बोर्ड की सभी बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की गईं। इस मामले पर डीपीई के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, कोविड–19 महामारी के कारण पर्यटन स्थलों पर निदेशक मंडल की बैठकें नहीं हो सकीं।

### नए निदेशकों का चयन और बोर्ड सदस्यता मानदंड

इरकॉन एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इरकॉन के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय, रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। निदेशकों की प्रमुख योग्यता, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषताओं को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

### मूल्यांकन

इरकॉन रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सरकारी कंपनी है। सभी निदेशकों के चयन की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और सभी निदेशकों की नियुक्ति इस प्रक्रिया द्वारा ही की जाती है। क्रियात्मक निदेशकों सहित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक उपक्रम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा किया जाता है और लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा क्रियात्मक निदेशकों सहित सीएमडी के मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित है। क्रियात्मक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के आकलन हेतु मूल्यांकन फ्रेमवर्क के प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

क. रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कंपनी का कार्यनिष्पादन।

ख. संबंधित निदेशक के लिए निर्धारित लक्ष्य के संबंध में कार्यनिष्पादन।

ग. संबंधित क्रियात्मक निदेशकों द्वारा स्वःमूल्यांकन सहित मूल्यांकन और तत्पश्चात सीएमडी द्वारा आकलन, और इसके पश्चात रेलवे बोर्ड (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा अंतिम मूल्यांकन।

घ. सीएमडी के संबंध में मूल्यांकन में स्वःमूल्यांकन और रेल मंत्रालय द्वारा अंतिम मूल्यांकन शामिल है।

सरकारी नामिति निदेशकों के संबंध में, उनका मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए उनका मूल्यांकन भी रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

### बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु पारिश्रमिक नीति

इरकॉन के सरकारी कंपनी होने के कारण, इसके क्रियात्मक निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों और अन्य सभी कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड–178(4) की शर्तों में अपेक्षित अनुसार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की मुख्य विशेषताएं कंपनी की वेबसाईट पर वेब पता www.ircon.org (एचआरएम एवं केरियर खंड) पर प्रस्तुत है। कंपनी की पारिश्रमिक नीति और वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति की प्रक्रिया और नीति की समीक्षा की जाती है अैर निदेशक मंडल द्वारा इसकी स्वीकृति से पूर्व नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम–5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड–197 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक की रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक आदि के ब्यौरे को प्रकट करे। तथापि, निगमित कार्य मंत्रालय, द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं.जीएसआर 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड–197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है।

तदनुसार, चूंकि इरकॉन एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इस प्रकार के विवरणों को निदेशक की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का प्रकटन निगमित शासन रिपोर्ट में किया गया है।

### आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था और आंतरिक लेखा परीक्षा

कंपनी में कंपनी अधिनियम,2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से चल रहे थे। नियंत्रणों को उचित लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कंपनी की नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने और वित्तीय एवं परिचालन सूचनाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने सहित अपने व्यवसाय का क्रमबद्ध संचालन सुनिश्चित करता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सहित) की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है, और बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

### इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोकथाम सहिंता

आपकी कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए उचित प्रकटीकरण के लिए एक आचार संहिता को अपनाया है, ताकि नामित व्यक्तियों और उनके तत्काल रिश्तेदारों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित, मॉनीटर और रिपोर्ट किया जा सके, तथा सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के उचित प्रकटन के लिए पद्वतियों और प्रक्रियाओं हेतु संचिता निर्धारित की जा सके। बोर्ड द्वारा अनुमोदित इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए उचित प्रकटीकरण हेतु आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर निवेशक खंड में कोड और नीतियों के तहत अपलोड की गई है।

### जोखिम प्रबंधन

कंपनी में विस्तृत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) संरचना है, जिसमें जोखिम की पहचान और उसके शमन के लिए जोखिम प्रबंधन नीति की व्यवस्था शामिल है।

सूचीकरण विनियमों के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति की अपेक्षा दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से लागू है। हालांकि, कंपनी के पास पहले से ही निदेशक (वित्त), अध्यक्ष और निदेशक (परियोजना) और निदेशक (कार्य) सदस्य के रूप में बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति में शामिल है।

वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक दिनांक 27 मई 2020 को आयोजित की गई है।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में प्रदान किया जाता है और जोखिम प्रबंधन समिति की रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दी जाती है।

### व्हीसल ब्लोअर नीति/सतर्क तंत्रव्यवस्था एवं सतर्कता क्रियाकलाप

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के पास अलग–अलग सतर्कता विभाग है जो कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाता या कंपनी के साथ व्यापार करने वाले किसी अन्य दल के कर्मचारियों / प्रतिनिधियों के साथ धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी के मामले देखते है। सचेतक एवं जालसाजियों से रोकथाम एवं निवारण नीतियां निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी के पास कर्मचारियों और निदेशकों के लिए आवश्यक सतर्कता तंत्र है, जो अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति का उल्लंघन, अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी के दुरूपयोग करने के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए हैं। यदि कोई इस नीति के तहत कोई सूचना देता है तो शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से प्रतिशोध या उत्पीड़न (भेदभाव, प्रतिशोध, उत्पीड़न या प्रतिशोध सहित) के किसी भी रूप में पीड़ित होने का जोखिम नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इरकॉन या लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

सतर्कता से संबंधित मामलों में सतर्कता विभाग शीर्ष प्रबंधन के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में है।

विभाग निविदाओं और अनुबंधों की निवारक जाँच, कार्यों के निष्पादन, और अन्य कार्यों के साथ–साथ शिकायतों की जाँच करने के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, उच्च–मूल्य वाली परियोजनाओं में 04 औचक निरीक्षण किए। आवधिक निरीक्षण के अतिरिक्त विभाग ने कॉर्पोरेट कार्यालय से मंगाई गई उच्च–मूल्य निविदाओं पर 09 निवारक निरीक्षण किए गए हैं।

विभिन्न प्राधिकरणों (जैसे सीवीसी / रेलवे बोर्ड सतर्कता, सीबीआई और प्रधान मंत्री कार्यालय) द्वारा अधिकारियों और प्रक्रियाओं के खिलाफ की गई शिकायतों और अन्य स्रोतों से प्राप्त उनकी ताक्रिक निष्कर्ष पर जांच की गई। 2020–21 के दौरान, विभाग को कुल 15 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 11 शिकायतों का निपटारा किया गया। शिकायतें केवल टेंडर देने से जुड़ी हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति रिटर्नों की संवीक्षा, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, डिबेट और प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से नियमों/प्रक्रियाओं/निष्पादन में सामान्य अनियमितताओं पर जागरूकता का प्रचार इस विभाग की प्रमुख गतिविधियां हैं।

बेहतर पारदर्शिता के लिए 'प्रौद्योगिकी का उत्थान' की दिशा में एक कदम के रूप में, अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना 2012–13 के दौरान शुरू किया गया था, और यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक चल रही है। सतर्कता क्लियरेंस, सतर्कता शिकायतों को भरने का कार्य वर्षों से ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा

है। सभी मूल्यों के कार्यों के लिए पारदर्शिता के लिए व्यापक रूप से ई–प्रापण को 1 जुलाई, 2013 से संगठन में शुरू कर दिया गया है।

"इरकॉन कैरियर" एप्लिकेशन सार्वजनिक डोमेन में सुनिश्चित करती है कि बड़े पैमाने पर जनता इरकॉन में भर्ती गतिविधियों के बारे में मोबाइल फोन पर अलर्ट और अपडेट प्राप्त कर सकती है।

इरकॉन ने 24 जून, 2014 से केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सुझाए गए कार्यों और आपूर्ति के लिए निविदाओं / अनुबंधों के लिए 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की भारतीय परियोजनाओं पर अनुमानित मूल्य के साथ सत्यनिष्ठा संधि को अपनाया है। सत्यनिष्ठा संधि को सभी कार्यों के लिए मॉडल ई–प्रापण दस्तावेजों की शर्तों में एक अनिवार्य दस्तावेज बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, इरकॉन ने सत्यनिष्ठा संधि लागू किया है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा विकसित एक उपकरण है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी कंपनी या सरकारी विभागों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच सभी गतिविधियों और लेनदेन को निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार–मुक्त तरीके से नियंत्रित किया जाए।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के सत्यनिष्ठा करार और प्रासंगिक दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, डॉ. टी.एम. भसीन को 27 नवंबर, 2020 को बोलीदाता से शिकायतें प्राप्त करने और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया गया है।

अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए कदम उठाकर संगठन के कामकाज में निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सतर्कता का प्रयास किया जाता है।

## संबंधित पक्षकार संव्यवहार

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ सभी संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए लेखापरीक्षा समिति का पूर्व सर्वव्यापी अनुमोदन वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है, जो एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रूपए मूल्य तक के अनुमानित और पुनरावृत्ति प्रकृति के होते हैं। प्रदान किए गए सर्वव्यापक अनुमोदन के अनुसरण में किए गए लेन–देन, यदि कोई हों, को त्रैमासिक आधार पर लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार फॉर्म एओसी –2 में ''संबंधित पक्षकार संव्यवहार का प्रकटीकरण'' पृष्ठ संख्या 157 पर दिया गया है। इसके अलावा, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण दायित्व) विनियम 2015 के विनियम 53 (एफ) के संदर्भ में किया गया प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों का भाग है।

निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित कंपनी की संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति को कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर निवेश खंड में अंतर्गत अपलोड किया गया है।

## निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:–

i. वित्तीय लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक वित्तीय लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।

ii. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तक्रसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वित्त वर्ष 2020–21 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके

iii. परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

iv. वित्तीय लेखे–सुनाम–प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया गया है।

v. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्वीकार किया गया था और वे कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, तथा

vi. सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गईं थीं और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त थीं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहीं थीं।

## व्यवसाय उत्तरदेयता रिपोर्ट

सेबी के दिनांक 4 नवम्बर, 2015 के परिपत्र संख्या संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/10/2015 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में सेबी सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण दायित्व) विनियम 2015 के विनियम 34 के प्रावधानों के अनुपालन में ''व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट'' पृष्ठ संख्या 115 पर प्रस्तुत की गई है। यह रिपोर्ट पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से इरकॉन द्वारा की गई पहल का वर्णन किया गया है।

## समझौता ज्ञापन रेटिंग / पुरस्कार

लोक उद्यम विभाग दिशानिर्देशों के संदर्भ में रेल मंत्रालय और इरकॉन के बीच समझौता ज्ञान किया जाता है

जिसके अंतर्गत चयनित मापदंडों पर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले तय किए गए लक्ष्य और परिणाम को मापने के लिए वर्ष के अंत के बाद मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 2019–20 के समझौता ज्ञापन मापदंडों और निष्पादन के आधार पर, कंपनी को उत्कृष्ट वर्ग प्रदान किया गया है। वर्ष 2020–21 के लिए समझौता ज्ञापन निष्पादन मूल्यांकन के अधीन है।

# निदेशक मंडल की रिपोर्ट

कंपनी को वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

| क्र.सं. | अवार्ड प्राप्ति की तिथि | अवार्ड का नाम | वर्ग / परियोजना |
|---|---|---|---|
| 1. | 25.09.2020 | एलीट्स मेगजीन/ईजीओवी द्वारा 5वां राष्ट्रीय पीएसयू समिट पुरस्कार | भारतीय रेल के लिए स्मार्ट अवसंरचना |
| 2. | | | संधारणीय अवसंरचना का निर्माण और विकास |
| 3. | | | कोविड के दौरान डिजिटल परिवर्तन |
| 4. | 14.10.2020 | वर्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा पीएसयू में उत्कृष्ट हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार | सृजनात्मक सामाजिक मीडिया पहुंच |
| 5. | | | जियो–स्ट्रेटजिक पहुंच में वृद्वि |
| 6. | 15.10.2020 | एफआईसीसीआई द्वारा 8वां फिकी गुणवत्ता प्रणाली उत्कृष्टता पुरस्कार | गुणवत्ता प्रणालियों के सु–पद्वतियों |
| 7. | 17.12.2020 | भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा 13वां डी.एल. शाह गुणवत्ता पुरस्कार | जम्मू और कश्मीर राज्य में उद्मपुर श्रीनगर बारामुला रेल परियाजना पर सुरंग निर्माण में योगदान हेतु |
| 8. | 16.02.2021 | ईटी नाव द्वारा कार्य निष्पादन वाली ड्रीम कंपनियों हेतु पुरस्कार : वर्ड एचआरडी कांग्रेस अवार्ड | कार्य किए जाने हेतु ड्रीम कंपनियां (पीएसयू सेक्टर) |
| 9. | | | कार्य किए जाने हेतु ड्रीम कंपनियां (समग्र रैंक 20) |
| 10. | 18.02.2021 | वर्ड सीएसआर कांग्रेस द्वारा कार्यबल प्रबंधन हेतु सर्वोत्तम कोविड–19 समाधान पुरस्कार | कार्यबल प्रबंध हेतु सर्वोत्तम कोविड–19 समाधान |
| 11. | | वर्ड सीएसआर कांग्रस द्वारा सर्वोत्तम निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पति पुरस्कार | सर्वोत्तम निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पद्वतियां |
| 12. | 07.03.2021 | निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) द्वारा सर्वोत्तम पेशेवर प्रबंधित कंपनी हेतु 12वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार | 1000 करोड़ रूपए के टर्नओवर से अधिक की श्रेणी में |
| 13. | | सीआईडीसी द्वारा सर्वोत्तम निर्माण परियोजना हेतु 12वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार | मथुरा – कासगंज परियोजना हेतु |
| 14. | | सीआईडीसी द्वारा कोरोना वॉरियर हेतु 12वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार | कोरोना वारियर श्रेणी हेतु |
| 15. | | सीआईडीसी द्वारा सीआईडीसी विश्वकर्मा साझेदार प्रगति ट्राफी 2021 | विविध कार्य वातावरण के सृजन हेतु इष्टतम प्रतिबद्वता और निष्पादन के प्रदर्शन हेतु |

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त पुरस्कारों के अलावा, डॉ. एस.के. चौधरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरकॉन को विश्व एचआरडी कांग्रेस द्वारा वर्ष के अनुकरणीय नेता, होनोरिस कौसा डी.लिट (डॉक्टरीन डी लिटरेचर होनोरिस कौसा) द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व और महान योगदान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टैकनोलाजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालय द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, निर्माण उद्योग विकास परिषद आदि द्वारा उद्योग उत्कृष्टता के लिए 12 वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार।

## लेखापरीक्षक

### सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) ने विदेशी परियोजनाओं को छोड़कर कंपनी के एकल सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया, जिसके लिए सीएंडएजी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए निम्नलिखित को वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है:

| अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक | |
|---|---|
| मैसर्स कर्बल अहमाने | अल्जीरिया परियोजना |
| मैसर्स जयसिंहे एंड कम्पनी | श्रीलंका परियोजना |
| मैसर्स तोहा खान जमान एंड कं. | बांग्लादेश परियोजना |

** मोजाम्बिक, अफगानिस्तान, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया तथा भूटान में पूर्ण की गई विदेशी परियोजनाओं की लेखापरीक्षण कार्पोरेट कार्यालय के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किया गया था।*

## लागत लेखापरीक्षक

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 000022) की सेवाएं वित्तीय 2020–21 के लिए कम्पनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में कम्पनी द्वारा अनुरक्षित लागत रिकार्ड का लेखापरीक्षण लागू नियमों /दिशानिर्देश नोटों इत्यादि के अनुसार करने के लिए प्राप्त की गई हैं।

### सचिवीय लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25ए के अनुसार निदेशक मंडल द्व ारा मैसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव की सेवाएं कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2020–21 का सचिवीय लेखापरीक्षण करने के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में प्राप्त की गई हैं।

# निदेशक मंडल की रिपोर्ट

## आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की सेवाएं निम्नलिखित से प्राप्त की गई हैं और विदेशी परियोजनाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आंतरिक रूप से की गई है:–

| भारतीय परियोजनाओं का आंतरिक लेखापरीक्षण | |
|---|---|
| मैसर्स रवि रंजन एंड कम्पनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली | कार्पोरेट कार्यालय |
| मैसर्स एसपीएमआर एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली | उत्तरी क्षेत्र |
| मैसर्स केशरी एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, कोलकाता | पूर्वी क्षेत्र |
| मैसर्स दिनेश के यादव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, पटना | पटना क्षेत्र |
| मैसर्स एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुम्बई | मुम्बई क्षेत्र |
| मैसर्स हेम संदीप एंड कं., सनदी लेखाकार, जम्मू | जम्मू व कश्मीर क्षेत्र |

## ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

इरकॉन द्वारा अवसंरचना निर्माण के कार्य किए जाते हैं तथा इसे कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 6 के साथ पठनीय धारा 186(11)(क) के संबंध में धारा 186 {धारा 186 की उप–धारा (1) के अलावा} के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है।

कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के संबंध में वर्ष 2020–21 के दौरान किए गए निवेश, दिए गए ऋण एवं दी गई गारंटियों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट का भाग है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, निदेशक मंडल ने अपनी निम्नलिखित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक (डब्ल्यूओएस) और इरकॉन की संयुक्त उद्यम कंपनियों को कॉर्पोरेट गारंटी / प्रायोजक सहायता को मंजूरी दी है:

(क) इरकॉनडीएचएचएल को 502.76 करोड़ रूपए का सावधि ऋण प्रदान करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को कॉर्पोरेट गारंटी, और पीएनबी द्वारा इरकॉनडीएचएचएल को ऋण के वितरण के पश्चात, इरकॉनडीएचएचएल द्वारा इरकॉन को 326.72 करोड़ रूपए के ऋण का पुनर्भुगतान किया गया।

(ख) इरकॉन के भाग के रूप में प्रमोटरों के 26 प्रतिशत योगदान के दायित्वों को पूरा करने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक और बैंकों के संघ द्वारा सीईडब्ल्यूआरएल को 1033.76 करोड रूपए से अधिक की राशि के लिए स्वीकृत ऋण के लिए एक प्रायोजक सहायता समझौता निष्पादित किया गया है।

वर्ष की समाप्ति के बाद, निदेशक मंडल के अनुमोदन से, इरकॉन की निम्नलिखित एसपीवी और डब्ल्यूओएस के लिए कंपनी ने कॉर्पोरेट गारंटी प्रस्तुत की है जो एनएचएआई से पहली वार्षिकी की प्राप्ति तक वैध है [वाणिज्यिक संचालन तिथि से 180 दिन (सीओडी)] :

(क) इरकॉनजीआरएचएल को 309.68 करोड़ रूपए का सावधि ऋण प्रदान करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) को कॉर्पोरेट गारंटी,

(ख) इरकॉनवीकेईएल को 724.12 करोड़ रूपए का सावधि ऋण प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) को कॉर्पोरेट गारंटी। बीओबी द्वारा इरकॉन वीकेईएल को ऋण के वितरण के पश्चात, इरकॉन का मौजूदा ऋण 589.50 करोड़ करोड़ रूपए इरकॉनवीकेईएल द्वारा चुकाये जाएंगे, और सहायक कंपनी में इरकॉन का वित्तीय निवेश कम हो जाएगा।

## जमा

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं।

## वार्षिक विवरणों से उद्धृत अन्य प्रकटीकरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के साथ पठनीय धारा 134(3)(क) के अनुसरण में कम्पनी की वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति निवेशक खंड के अंतर्गत कम्पनी की वेबसाइट www.ircon.org पर उपलब्ध है।

## निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ)

कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत निर्मित्त नियमों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है। आईईपीएफ प्राधिकरण से संव्यवहार तथा उससे संबंधित अनुपालन के लिए कम्पनी सचिव नोडल अधिकारी हैं।

आईईपीएफ में स्थानांतरण के लिए कोई राशि देय नहीं है, और 31 मार्च 2021 को अदावित लाभांश का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हे, और इसे कॉर्पोरेट प्रशासन की रिपोर्ट में भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, डीमैट सस्पेंस अकाउंट / दावा न किए गए सस्पेंस अकाउंट /दावा न किए गए लाभांश का विवरण लागू नहीं है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में इसका प्रकटीकरण कर दिया गया है।

## सचिवीय मानक

वर्ष के दौरान, कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन कम्पनी द्वारा किया गया है।

## विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा टिब्यूनलों द्वारा पारित ऐसे आदेश जिनसे कम्पनी की गोइंग कंसर्न तथा कम्पनी के परिचालनों को भविष्य में प्रभावित हो सकती है

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के भविष्य की गोइंग कंसर्न स्थिति और इसके परिचालनों को प्रभावित करने वाले कोई आदेश विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित नहीं किए गए हैं।

## वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति के साथ–साथ वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या लंबित किसी भी कार्रवाई का विवरण।

# निदेशक मंडल की रिपोर्ट

आपकी कंपनी के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कोई कार्रवाई शुरू/लंबित नहीं है, जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

### व्यवसाय की प्रकृति में बदलाव

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ।

### लाभांश वितरण नीति

सूचीकरण विनियमों के विनियम 43ए के उपबंधों और ''केन्द्रीय लोक उद्यमों की पूंजी पुन–संरचना'' के संबंध में निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लाभांश वितरण नीति का निर्माण एवं अंगीकरण किया गया है। उक्त नीति इस रिपोर्ट में संलग्न है (पृष्ठ सं 146 पर) और कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर भी उपलब्ध है।

### सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन का उत्तर

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अंतर्गत फार्म एमआर–3 में अपेक्षित सचिवीय लेखापरीक्षक की ''सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट'' पृष्ठ सं 139 पर प्रस्तुत की गई है।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हता पर प्रबंधन का उत्तर और निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को पृष्ठ सं 142 पर प्रस्तुत किया गया है।

### सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण दोनों) वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग–अलग संलग्न हैं। दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए मैसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई अर्हता, और प्रतिकूल टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई है।

आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अभी प्राप्त होनी हैं।

### आभार अभिव्यक्ति

कंपनी के निदेशक रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, विदेश मंत्रालय, वित्त, वाणिज्य, शहरी विकास और अन्य मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के मंत्रालयों से प्राप्त सहायता और सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, सांविधिक, शाखा, सचिवीय और आंतरिक लेखा परीक्षकों, कंपनी के बैंकरों, भारतीय दूतावासों और विदेश मिशनों और भारत में विदेशी मिशनों और दूतावासों, एक्जिम बैंक, निर्यात ऋण और गारंटी निगम के कार्यालय अप्रवास संरक्षक, पासपोर्ट प्राधिकरण, और भारत और विदेश, दोनों, में हमारे सम्मानित ग्राहक सक्रिय समर्थन के बिना समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की उपलब्धियों का प्राप्त होना संभव नहीं था, के प्रति आभार अभिव्यक्त करते हैं ।

हम कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए उनके अथक प्रयासों, समर्पण, और कंपनी के प्रदर्शन और लाभप्रदता में सुधार के उद्देश्य से सभी स्तरों पर अपनाई गई सत्यनिष्ठा की सराहना करते हैं।

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

ह0/–
**(मुकेश कुमार सिंह)**
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
सीईओ और निदेशक वित्त
(डीआईएनः 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2021

# निदेशक मंडल की रिपोर्ट

## परिशिष्ट–क

### भारत में प्रमुख चालू परियोजनाएं

| क्र.सं. | श्रेणी | परियोजना का नाम | संशोधित परियोजना मूल्य |
|---|---|---|---|
| 1. | रेलवे | उत्तरी रेलवे के लिए कटरा–काजीगुंड खंड (इरकॉन भाग) एवं उद्यमपुर:श्रीनगर:बारामूला रेल लिंक परियोजना। | 13,359 |
| 2. | रेलवे | उत्तर फ्रंटियर रेलवे के लिए सिवोक रंगपो नई रेल लाइन परियोजना | 8,215 |
| 3. | रेलवे | छत्तीसगढ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में गेवरा रोड से पेन्ड्रा रोड के बीच ईस्ट–वेस्ट गलियारे के व्यवहार्यता अध्ययन के परिणामस्वरूप लगभग 135 किमी गेवरा रोड से पेन्ड्रा रोड के बीच पूर्वी–पश्चिम गलियारे के कॉरिडार–।।। का निर्माण कार्य। | 3,198 |
| 4. | रेलवे | डेडिकेटिड फंटियर कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के लिए समर्पित मालशड़ा गलियारा परियोजना, सीटीपी–12 के वैतरणा–सचिन खंड का अभिकल्प तथा सिविल निर्माण, भवन तथा रेलपथ निर्माण कार्य। | 2,762 |
| 5. | रेलवे | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के लिए छत्तीसगढ राज्य में खरसिया से धरमजयगढ के बीच पूर्वी गलियारे के कॉरीडोर–1 तथा स्पर लाइन का निर्माण<br>सीईआरएल (सीईआरएल–।।) के लिए धरमजयगढ से कोरबा (उरगा) के बीच नई बीजी विद्युतीकृत रेल लाइन का निर्माण। | 1,958<br>1,138 |
| 6. | रेलवे | मध्य ईस्ट रेलवे के लिए कटनी–सिंगरौली परियोजना के लिए दोहरीकरण परियोजना। | 1,763 |
| 7. | रेलवे | मध्य पूर्व रेलवे के लिए आरडीयूएम–टीएएल–आरजेओ (गंगा बराज सहित रामपुर दुमरा – ताल – राजेन्द्रपाल दोहरीकरण) दोहरीकरण परियोजनाएं | 1,491 |
| 8. | रेलवे | बस्तर रेल प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) द्वारा रेल सम्पर्कता परियोजनाओं का निष्पादन | 1,466 |
| 9. | सड़क | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल) के लिए एनएचडीपी चरण–VI हाइब्राइड एन्युटी मोड (चरण–।, –पैकेज–।।) के अंतर्गत गुजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए सनपा से पाद्रा खंड तक) आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रेसवे का निर्माण | 1,378 |
| 10. | रेलवे | पश्चिम मध्य रेलवे के लिए कटनी ग्रेड सेपरेटर/बायपास लाइन (21.50 किमी) परियोजना। | 1,248 |
| 11. | रेलवे | मध्य पूर्व रेलवे हेतु क्योल–गया दोहरीकरण परियोजनाएं | 1,200 |
| 12. | रेलवे | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल संपर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य। | 1,192 |
| 13. | रेलवे | झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल कोयला सम्पर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य। | 1,149 |
| 14. | रेलवे | मध्य पूर्व रेलवे के लिए हाजीपुर – बछवाड़ा दोहरीकरण परियोजनाएं | 930 |
| 15. | रेलवे | मध्य पूर्व रेल के लिए भारत–नेपाल सीमा पर बर्दीबस तक विस्तार सहित जयनगर (भारत)–बीजलपुरा (नेपाल) (आमान परिवर्तन) के बीच रेल संपर्क का निर्माण। | 819 |
| 16. | रेलवे | उत्तर फ्रंटियर रेलवे के लिए अकोरा– अगरतला रेल सम्पर्क परियोजना (भारतीय भाग का निर्माण)। | 570 |

## परिशिष्ट –ख

## क. सहायक कंपनियां:

**1. इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लि. (इरकॉन आईएसएल)**

इरकॉन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) का गठन 30 सितम्बर, 2009 को किया गया था और इसने 10 नवम्बर, 2009 को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इरकॉन आईएसएल के मुख्य उद्देश्य हैं, भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख–सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य परिसरों हेतु अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में तथा रियल इस्टेट तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी कामों का निष्पादन करना है तथा हायर पर्चेस, सभी प्रकार की चल तथा अचल परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने तथा सामाजिक कल्याण आदि उपायों सहित सभी प्रकार की सेवाएं व अनुरक्षण व सहायता सहित सभी प्रकार की इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श उपलब्ध कराना।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, इरकॉनआईएसएल ने दो नई परियोजनाएं प्राप्त की हैं। (i) अहमदाबाद (आर एंड बी) डिवीजन के लिए गुजरात राज्य में अहमदाबाद बोताड रेलवे लाइन पर एलसी संख्या–114 बी के स्थान पर आरओबी के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण परामर्श, (ii) महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए मध्य रेलवे के तहत महाराष्ट्र क्षेत्र में एलसी गेटों के स्थान पर रेलवे भाग के भीतर असेंबली के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कार्यों के लिए निरीक्षण एजेंसी की नियुक्ति और विभिन्न स्थानों पर ''सड़क उपरी पुलों (आरओबी) के निर्माण के लिए बियरिंगों के निर्माण और स्थापना सहित स्टील सुपरस्ट्रक्चर का कार्य।''

वर्ष 2020–21 के दौरान, उपर्युक्त नई परियोजनाओं के साथ–साथ निम्नलिखित मौजूदा परियोजाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

i. दुधोला, पलवल हरियाणा में हरियाणा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसवी) के निर्माण हेतु पीएमसी।

ii. प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड़, नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी भवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अत्याधुनिक भवन के लिए पीएमसी।

iii. भारतीय भू–पोत (एलपीएआई) प्राधिकरण चार (4) भू–पोतों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरेक आवास (1. अटारी–पंजाब, 2. जोगबनी–बिहार, 3.पेट्रापोले–वेस्ट बंगाल, 4.दवके–मेघालय) के निर्माण हेतु पीएमसी।

iv. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) के लिए (क) कडाकोला, मैसूरु डिला, कर्नाटक (ख) पारादीप (औडीशा), (ग) भावपुर, कानपुर (उ.प्र.) तथा (घ) दहेज (गुजरात) में मल्टीमॉडल लॉजेस्टिक्स पाक्र (एमएमएलपी) के निर्माण हेतु पीएमसी।

v. दो स्थलों पर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) का निर्माण, एक साबरकंठा (गुजरात) तथा दूसरा अगर माल्वा (मध्य प्रदेश) हेतु पीएमसी।

vi. राष्ट्रीय ताप उर्जा निगम, उच्चाहार, उ.प्र में स्टेज –1 के एमजीआर प्रणाली (2x210 मे.वा) के पीआरसी स्लीपर्स को सीएसटी–9 स्लीपर्स से प्रतिस्थापन करने के लिए पीएमसी।

vii. नागपुर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकादमी में अवसंरचना के निर्माण के लिए पीएमसी।

viii. एमएमएलपी पारादीप पोर्ट, उड़ीसा में इफको के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण हेतु सलाहकार के रूप में नियुक्ति और इस कार्य को कॉनकॉर द्वारा प्रदान किया गया है।

ix. छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड के लिए नवनिर्मित बीजी खंड खरसिया–कोरिछापर के ट्रैक, सिविल इंजीनियरिंग, ओएचई और एस7टी परिसंपत्तियों का अनुरक्षण कार्य।

x. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड के लिए 7 स्थानों (अर्थात गाजीबाद रेलवे स्टेशन, यशवंतपुर, वर्कला, जालना, सतना, करनाल और बक्सर) पर रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए पीएमसी।

xi. विदेश मंत्रालय के लिए म्यांमार के चिन राज्य में पलेतवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक 0.00 किमी से किमी 109.2 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन की सड़क के निर्माण के लिए परामर्श परियोजना कार्य।

xii. म्यांमार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमू–काइगोन–कलेवा खंड में 69 पुलों के निर्माण के लिए पीएमसी, जिसमें विदेश मंत्रालय (एमईए) ने मेसर्स एनसीएसएल–एमटीडीसीएल (जेवी) के अनुबंध को समाप्त कर दिया है, जिसे इन 69 पुलों के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ( ईपीसी) के रूप में नियुक्त किया गया था। माननीय मणिपुर उच्च न्यायालय में ठेकेदार द्वारा दायर रिट याचिका और अपील को खारिज करने और इरकॉनआईएसएल द्वारा परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात, परियोजना क्रियान्वयन की कार्यविधि पर विदेश मंत्रालय के साथ चर्चा चल रही है।

इरकॉनआईएसएल ने भारत में 23 चिन्हित रेलवे स्टेशनों पर सभी 24 एमएफसी को सफलतापूर्वक विकसित और तीसरे पक्ष को उप–पट्टे पर देने का कार्य किया है। जिनमें से तीन एमएफसी (तारापीठ, राजगीर और तिरुवल्ला) को रेल और भूमि विकास प्राधिकरण को सौंपने का प्रस्ताव है क्योंकि वे आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो गए थे और उन्हें उप पट्टे पर नहीं दिया जा सकता था।

**2. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)**

इरकॉन पीबीटीएल इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका निगमन 30 सितंबर 2014 को स्पेशल परपज

व्हीकल के रूप में हुआ है और इसने दिनांक 14 नवंबर 2014 को व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। इरकॉन पीबीटीएल का मुख्य लक्ष्य 7 नवंबर 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग – 15 पर मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड में 4.200 किमी से 55. 250 किमी को चार लेन का बनाना तथा 55.250 किमी से 163. 500 किमी तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन करने के लिए उसका चौड़ीकरण व सुदृढीकरण कार्य निष्पादित करना है। इसकी कुल परियोजना लागत 844.08 करोड़ रूपए है और ईपीसी लागत को संशोधित करके 767.48 करोड़ रूपए किया गया है।

निर्मित सड़क की कुल लंबाई 159.17 किमी और समानान्तर 2 लेन में 210.22 किमी (चार लेनिंगः 51.05 किमी तथा दो लेनिंग 108.12 किमी) है। बीकानेर जिले के सालासर और नोखरा और जोधपुर जिले के खीरवा, राजस्थान में तीनों टोल प्लाजा पर टोल संचालन शुरू करने के लिए 159.17 किलोमीटर में से 15 फरवरी, 2019 को एनएचएआई द्वारा 156.650 किलोमीटर (एलसी–06 (एनएएल) और एलसी–57 (फलौदी) पर दो रोड उपरिपुलों (आरओबी) को डीलिंक करने का कार्य पूरा होने का अंतिम प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस परियोजना ने वाणिज्यिक प्रचालन खंड में प्रवेश कर लिया है और सभी तीन टोल प्लाजा पर टोल आय अर्जित करना शुरू कर दिया है। एलसी–06 और एलसी–57 पर आरओबी क्रमशः 12 मार्च, 2019 और 25 मार्च, 2020 को पूरे हो गए हैं। सम्पन्न खंड के लिए दिनांक 11 नवंबर 2020 को अनन्तिम समापन प्रमाणपत्र–2 (पीसीसी–2) जारी किया गया है। इरकॉनपीबीटीएल ने टोल एकत्रण हेतु दोनो आरओबी की 10 गुणा संरचनात्मक लंबाई को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है जो एनएचएआई के विचाराधीन है।

वर्ष के दौरान, कोविड–19 के महामारी के कारण, टोल एकत्रण प्रभावित हुआ है क्योंकि इन सेवाओं को दिनांक 27 मार्च, 2020 से 19 अप्रैल, 2020 तक निलंबित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, जनवरी–फरवरी 2021 के दौरान 20 दिनों के लिए किसान आंदोलन के कारण टोल संग्रह भी प्रभावित हुआ था। इसलिए, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान प्रति दिन औसत राजस्व संग्रह घटकर 11.87 लाख रूपए रह गया, जबकि यह पिछले वर्ष के दौरान 12.33 लाख रूपए था।

### 3. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)

इरकॉन एसजीटीएल दिनांक 12 मई 2015 को विशेष कार्य व्यवस्था के रूप में निगमित इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसने दिनांक 27 मई 2015 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। इरकॉन एसजीटीएल का मुख्य उद्देश्य दिनांक 15 जून 2015 को एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में एनएचपीडी के चरण–iv के अंतर्गत अभिकल्प, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी ) आधार पर निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) (टाले) पैटर्न पर किमी 236.00 से किमी 332.1 तक राष्ट्रीय राजमार्ग–3 के शिवपुरी–गुना खंड को चार लेन का बनाना तथा इससे संबंधित अन्य अनुषंगी कार्यों को पूरा करना है। नियुक्ति तिथि से परियोजना की रियायत अवधि 20 वर्ष है और शिवपुरी गुना परियोजना को निष्पादित करने की कुल परियोजना लागत 872. 11 करोड़ रूपए है। यह परियोजना दो चरणों यथा चरण–। तथा चरण –।। पर निष्पादित की जा रही है।

रियायत करार की शर्तों के अनुसार, इरकॉन एसजीटीएल ने 23 नवंबर 2015 यथा निष्पादन की तिथि को वित्तीय समापन प्राप्त किया है और 722.11 करोड़ रूपए के लिए इरकॉन के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनएचएआई ने 25 जनवरी, 2016 को निर्माण आरंभ करने के लिए नियुक्ति तिथि निर्धारित की है जिसमें निर्माण अवधि 910 दिन की होगी, जिसके लिए इरकॉन को ईपीसी कांट्रैक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रचालन आरंभ (सीओडी) होने की अनुसूचित तिथि 23 जुलाई, 2018 थी। सीओडी डेढ महीने पहले यथा 6 जून, 2018 को ही प्राप्त कर ली गई थी। इस प्रकार टोल प्लाजा का प्रचालन तथा राजस्व एकत्रण दिनांक 7 जून 2018 से परियोजना में आरंभ हो गया है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान प्रति दिन एकत्र औसत राजस्व में लगभग 17.25 प्रतिशत की वृद्वि हुई है जो पिछले वर्ष के दौरान 25.80 लाख रूपए से बढकर 30.25 लाख रूपए हो गया है।

एनएचएआई के साथ रियायत समझौते के अनुसार, परियोजना के चरण–।। (अर्थात 12.4 किमी लंबाई) के लिए निर्माण कार्य एनएचएआई द्वारा स्थल को सौंपे जाने के पश्चात आरंभ किया गया है। इरकॉन को ईपीसी संविदाकार के रूप में नियुक्त किया गया है, हालांकि यह कार्य वर्तमान वैश्विक महामारी और राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने के कारण बाधित हुआ है।

### 4. इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)

दिनांक 11 मई 2017 को ''इरकॉन दावणगिरि हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)'' नामक इरकॉन की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमित कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–4) के दावणगिरि–हवेरी खंड पर किमी 260.00 से किमी 338.923 (लगभग 78.923 किमी) खंड सहित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–4) को छह लेन का बनाने और रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचडीपी, चरण–V के अंतर्गत इसके अभिकल्प, निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन और अंतरण आधार पर विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन का कार्य करने के लिए किया गया था, जिसके लिए दिनांक 19 जून 2017 को एनएचएआई के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एचएएम के तहत निष्पादित परियोजनाओं में, लागू मूल्य वृद्धि के साथ बोली परियोजना लागत का 40 प्रतिशत एनएचएआई द्वारा निर्माण अवधि के दौरान प्रत्येक 8 प्रतिशत की 5 किस्तों में (100 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त करने पर) प्रतिपूर्ति की जाएगी और शेष 60 प्रतिशत बोली परियोजना लागत का भुगतान पूरा होने की

तारीख तक लागू मूल्य वृद्धि के साथ वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी)/अनंतिम सीओडी के 180 वें दिन से शुरू होने वाली 30 द्वि–वार्षिक किश्तों के रूप में किया जाएगा।

रियायत समझौते के संदर्भ में, कुल परियोजना बोली लागत 1177 करोड़ रूपए जमा वृद्धि है और प्रथम वर्ष के प्रचालन और अनुरक्षण की लागत 10 करोड़ रूपए है। इरकॉनडीएचएचएल ने दिनांक 10 नवंबर, 2017 को 503 करोड़ रूपए की राशि के लिए इरकॉन के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

परियोजना की रियायत अवधि 15 वर्ष है, जिसमें नियत तिथि अर्थात दिनांक 24 जनवरी, 2018 से शुरू होने वाले 912 दिनों (30 महीने) की निर्माण अवधि को छोड़कर उपलब्ध कार्य मोर्चों पर काम व्यापक स्तर तक पूरा हो चुका है। दिनांक 24 जुलाई, 2020 को पूरा करने की निर्धारित तिथि को दिनांक 23 जनवरी, 2021 (कोविड–19 की पहली लहर के कारण 6 महीने तक) तक बढ़ा दिया गया था।

कोविड–19 की दूसरी लहर के कारण स्वतंत्र अभियंता (आईई), सुरक्षा सलाहकारों और एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा परीक्षण और निरीक्षण कार्य प्रभावित हुआ था और इसलिए, दिनांक 28 मई, 2021 तक और विस्तार के लिए अनुरोध (सुरक्षा निरीक्षण टिप्पणियों के लिए अनुपालन जमा करने की तिथि) को एनएचएआई के स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार प्रस्तुत और आईई द्वारा अनुशंसित किया गया था और उसके बाद पीडी और आरओ/एनएचएआई ने किसी भी पक्ष पर किसी भी अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव के बिना इसकी सिफारिश की थी।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 502.76 करोड़ रूपए की राशि के लिए प्रतिस्थापन ऋण सुविधा का लाभ उठाया था और पीएनबी द्वारा इरकॉनडीएचएचएल को ऋण के संवितरण के पश्चात, इरकॉन को 326.72 करोड़ रूपए के ऋण का पुनर्भुगतान किया गया था। इरकॉन ने उक्त ऋण के लिए पीएनबी को कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है।

**5. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल)**

एनएचएआई द्वारा गुजरात राज्य में वडोदरा किम एक्सप्रेसवे परियोजना प्रदान करने की शर्तों के अनुसरण में दिनांक 16 मई, 2018 को इरकॉन इरकॉनवीकेईएल नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का सृजन एक विशेष कार्य प्रयोजन के रूप में किया था। इरकॉन वीकेईएल का प्रमुख उद्देश्य अभिकल्प, निर्माण, वित्त, प्रचालन तथा अंतरण आधार पर एनएचडीपी चरण–VI हाइब्राइड वार्षिकी माध्यम (चरण। ए–पैकेज–।।) के अंतर्गत गुजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का सनपा से पाद्रा खंड तक) आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रेस वे के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के व्यवसाय को निष्पादित करना है। इरकॉनवीकेईएल को एनएचएआई द्वारा यह कार्य 1865 करोड रूपए की बोली परियोजना लागत पर प्रदान किया गया है।

इरकॉन वीकेईएल ने दिनांक 25 मई, 2018 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। वित्तीय समापन दिनांक 25 सितंबर, 2018 को प्राप्त किया गया है। एनएचएआई द्वारा निर्धारित नियत तिथि 31 जनवरी, 2019 है और पूर्णता अवधि नियत तिथि से 730 दिन है। एनएचएआई से दो किश्तों में 186. 50 करोड़ रूपए का मोबिलाइजेशन अग्रिम प्राप्त किया गया है। पहली परियोजना की लक्ष्य तिथि 27 सितंबर, 2019 को प्राप्त किया गया था और दूसरा परियोजना लक्ष्य तिथि 25 जनवरी, 2020 को भी प्राप्त किया गया था। तीसरे लक्ष्य तिथि 30 मार्च, 2021 की उपलब्धि के संबंध में स्वतंत्र अभियंता (आईई) को अधिसूचित की गई है। तीसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित भौतिक और वित्तीय प्रगति के समर्थन में सभी दस्तावेजों को आईई को प्रस्तुत किया गया है जो उनके समीक्षाधीन हैं और और तीसरे लक्ष्य की उपलब्धि की घोषणा करने वाला प्रमाण पत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

दिनांक 30 जून, 2021 तक कार्य की यह प्रगति 80.1% थी। हालाँकि, कोविड–19 के कारण हुई देरी के कारण, आईई ने 236 दिनों के अंतरिम विस्तार (ईओटी) की सिफारिश की है, जिसमें से एनएचएआई ने पहले ही 180 दिनों के अंतरिम ईओटी को मंजूरी प्रदान की है और शेष 56 दिनों के ईओटी के लिए मंजूरी एनएचएआई से प्रतीक्षाधीन है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के विस्तारित समय के भीतर पूरा होने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2020–21 की समाप्ति के पश्चात, इरकॉन वीकेईएल ने बिना रणनीतिक प्रीमियम (एसपी)/विस्तार के मासिक एमसीएलआर पर सावधि ऋण के पुनःवित्तीयन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से 724.12 करोड़ रूपए की राशि के प्राप्त किया है हैं, अर्थात वर्तमान में 7.00 प्रतिशत प्रति वर्ष दर पर मासिक आधार पर भुगतान हेतु देय, 12 वर्षों के लिए, जो इरकॉन से 769.38 करोड़ रूपए की मौजूदा सावधि ऋण सुविधा के स्थान पर होगा। सावधि ऋण इरकॉन की कॉर्पोरेट गारंटी द्वारा समर्थित है जो एनएचएआई से पहली वार्षिकी प्राप्त होने तक अर्थात सीओडी से 180 दिनों तक वैध है। बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण राशि की पहली किश्त प्राप्त होने पर, इरकॉन के 589.50 करोड़ रूपए के मौजूदा ऋण को दिनांक 19 जुलाई, 2021 को इरकॉन को वापस कर दिया गया है।

**6. इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल)**

इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉनजीआरएचएल को एनएचएआई द्वारा हरियाणा राज्य में गुड़गांव रेवाड़ी परियोजना प्रदान किए जाने की शर्तों के अनुसार दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 900 करोड़ रुपये की बोली परियोजना लागत पर एनएचएआई के साथ रियायत करार की शर्तों के अनुसार ''हरियाणा राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर एक फीडर रूट के रूप में रा.रा–352डब्ल्यू के गुड़गांव–पटौदी–रेवाड़ी खंड को 0.00 किमी से 43.87 किमी (डिजाइन लंबाई 46.11 किमी) तक अपग्रेड करना है।

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड ने मार्च 2021 में इस कार्य के निर्धारित कार्यक्षेत्र के लिए 606.05 करोड़ जमा 12

प्रतिशत की दर से जीएसटी की कुल लागत पर पांच वर्ष हेतु ओ एंड एम–सह दोष देयता अवधि सहित एनएचएआई और इरकॉनजीआरएचएल के बीच रियायत समझौते में निर्धारित अनुसूची के अनुसार सम्पूर्ण कार्य के निष्पादन के लिए इरकॉन को उपरोक्त कार्य प्रदान किया है।

एनएचएआई द्वारा नियत तिथि की घोषणा और शर्त की पूर्ति के संबंध में दिनांक 15 जून, 2021 को एक महीने का विस्तार (अर्थात 19 जुलाई, 2021 तक) दिया गया है। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात दिनांक 25.06.2021 को वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया गया है। एनएचएआई से कोविड–19 की दूसरी लहर के कारण की विलंब से नियुक्ति तिथि को दो माह आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, जो एनएचएआई के विचाराधीन है।

## ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां (जेवीसी)

### 7. इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)

आईएसटीपीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और एक निजी क्षेत्र की कंपनी यथा सोमा एंटरप्राइज लिमिटेड (सोमा) द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी को दिनांक 19 अप्रैल, 2005 को 6,38,70,000 शेयरों की समान इक्विटी भागीदारी के साथ निगमित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र राज्य में निर्माण, प्रचालन और अंतरण आधार पर किमी 272+720 से किमी 379 +878 तक मौजूदा दो लेन की सड़क के सुधार, प्रचालन और अनुरक्षण, जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण करने और राष्ट्रीय राजमार्ग–3 पर चार लेन विभाजित कैरिजवे को चौड़ा करने के लिए का कार्य शामिल किया गया था।। तत्पश्चात, वर्ष 2017–18 में, सोमा एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने 6,38,69,999 शेयर अपनी सहयोगी कंपनी, सोमा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) को हस्तांतरित कर दिए है और सोमा एंटरप्राइज लिमिटेड के पास केवल 1 (एक) शेयर रखा है।

इस परियोजना को 2010–11 में पूरा किया गया था और अप्रैल 2010 से कंपनी 118.58 किमी के सम्पूर्ण परियोजना खंड से टोल एकत्रित कर रही है।

### 8. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएलडीए)

इरकॉन की संयुक्त उद्यम कंपनी और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की संयुक्त उद्यम कंपनी, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन 12 अप्रैल, 2012 को किया गया था और इसने 9 मई, 2012 को अपना व्यवसाय आरंभ प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। आईआरएसडीसी का मुख्य उद्देश्य भारत में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर मानक स्थापित करने हेतु मौजूदा स्टेशन भवनों, प्लेटफार्म स्थलों, परिपत्रण क्षेत्रों आदि के पुनर्विकास सहित नए निर्माण/नवीकरण कार्यों द्वारा यात्री सुविधाओं के स्तर में स्तरोन्नयन करना है ताकि उनके मानकों में सुधार और बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त किया जा सके। आईआरएसडीसी को रेलवे की भूमि/वायुक्षेत्र के वाणिज्यिक विकास की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

31 मार्च 2021 को आईआरएसडीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 250 करोड़ रूपए है। वर्ष के दौरान प्रदत्त पूंजी प्रापत की गई और राइट्स लिमिटेड (राइट्स) को आईआरएसडीसी में 24 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ तीसरे नीतिगत भागीदार/शेयरधारक के रूप में शामिल किया गया था। तदनुसार, 21 मई, 2020 को संशोधित शेयरधारक समझौता शेयरधारकों के बीच निष्पादित किया गया था। दिनांक 31 मार्च 2021 को आरएलडीए की प्रदत्त पूंजी 199.99 करोड रूपए हो जो आरएलडीए, इरकॉन और राइट्स के पास क्रमशः के 50:26:24 के अनुपात में धारित है।

दिनांक 17 अक्तूबर, 2018 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आईआरएसडीसी को सम्पूर्ण रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम और प्रमुख परियोजना एजेंसी (प्रमुख पीडीए) के रूप में अनुमोदित किया है। पीडीए के रूप में इरकॉन आईआरएसडीसी को 99 वर्ष की पट्टा अवधि की अनुमति प्रदान की गई है तथा सभी प्रकार के विकास कार्यों यथा वाणिज्यिक, संस्थागत और आवासीय विकास कार्यों सहित बहुल उपपट्टों में प्रवेश का अधिकार प्रदान किया गया है। आईआरएसडीसी को रेल अधिनियम, 1989 के खंड–11 के अंतर्गत अपनी स्वयं की योजनाएं तैयार करने की अनुमति प्रदान की गई है। आईआरएसडीसी के बोर्ड में आर्थिक कार्य विभाग/वित्त मंत्रालय तथा नीति आयोग और रेल मंत्रालय से एक एक प्रतिनिधि को शामिल करके इसे सुदृढ़ बनाया गया है।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 01 नवंबर, 2018 के पत्र के तहत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनों और पुनःविकास के लिए भारतीय रेल के भी स्टेशनों (अन्य एजेंसियों को सौंपे गए 12 स्टेशनों को छोड़कर) को सौंपा गया है वर्तमान आईआरएसडीसी अखिल भारत स्तर पर 63 स्टेशनों पर कार्य कर रहा है।

आईआरएसडीसी वर्तमान में कई परियोजनाएं निष्पादित कर रहा है जैसे हबीबगंज स्टेशन पुनर्विकास परियोजना, गांधीनगर स्टेशन पुनर्विकास और गांधीनगर में 318 कमरों के 5–सितारा होटल के निर्माण, ईपीसी मोड पर तीन स्टेशन अर्थात चंडीगढ़, आनंद विहार और बिजवासन, 58 स्टेशन जो योजना और निविदा के विभिन्न चरणों पर हैं, आईआरएसडीसी एकीकृत सुविधा प्रबंधन मॉडल पर पांच स्टेशनों पर कार्य कर रहा है यथा बैंगलोर, पुणे, आनंद विहार, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद। परियोजनाओं का विवरण कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.irsdc.in पर उपलब्ध कराया गया है।

पीपीपी मॉडल पर स्टैंडअलोन सुविधा प्रबंधन के लिए 90 स्टेशनों को लेने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को सौंपा गया है। इस पहल के लिए चिन्हित स्टेशन वे हैं, जहां रेल मंत्रालय द्वारा तत्काल पुनर्विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है और नियम और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा नामित एक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया है।

### 9. छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)

छत्तीसगढ राज्य में कोयला संपर्कता गलियारे यथा पूर्वी गलियारे (180 किमी) के विकास के लिए क्रमशः 64:26:10 के अनुपात मे साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन और छत्तीसगढ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (छत्तीसगढ सरकार की नामिति) द्वारा इक्विटी भागीदारी से 12 मार्च 2013 को ''छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड'' (सीईआरएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवसी) का गठन किया गया था। सीईआरएल ने 7 मई 2013 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। सीईआरएल के शेयरधारक करार में दिनांक 11 सितंबर 2014 को प्रवेश किया गया है।

सीईआरएल ने छत्तीसगढ राज्य में रेल मंत्रालय के साथ दिनांक 12 जून 2015 को रियायत करार पर हस्ताक्षर किया है। पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजना का क्रियान्वयन निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन तथा हस्तांतरण (बीओटी) मॉडल पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ पूर्वी रेल गलियारा परियोजना को आगे दो चरणों में विभाजित किया गया है यथा सीईआरएल–। (खरसिया से धरमजयगढ जिसमें घरघोदा से डोंगा महुआ तक स्पर लाइन शामिल है) तथा सीईआरएल–। (धरमजयगढ से कोरबा)।

सीईआरएल–। का वित्तीय समापन दिनांक 24 नवंबर 2017 को प्राप्त किया गया है। सीईआरएली–। के खरसिया से कोरिच्चपर (एकल लाइन–44 किमी ) के खंड पर 12 अक्तूबर 2019 तक प्रचालन आरंभ कर दिया गया है। इस खंड के दोहरीकरण के कार्य के लिए जुलाई 2021 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी तरह, कोरिछापर से धर्मजयगढ़ (30 किलोमीटर) को 31 दिसंबर, 2020 को खोल दिया गया है। घरघोड़ा से भालुमुडा के बीच स्पर लाइन को दिसंबर 2021 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है और छल, बड़ौद और दुर्गापुर खदानों के लिए फीडर मार्ग के लिए जून 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है।

सीईआरएल–।। के जीएसटी क्रियान्वयनों के साथ संशोधित (डीपीआर) को दिनांक 12 जून 2018 को रेल मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित पांच वर्ष के लिए 62 किमी की प्रभारीय दूरी पर 60 प्रतिशत की संवर्धित माइलेज के साथ क्षेत्रीय रेल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और वन संस्तुति अग्रिम स्तर पर है। वन संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात और रियायत करार पर हस्ताक्षार होने के पश्चात वित्तीय समापन किया जाएगा।

### 10. छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)

छत्तीसगढ राज्य में कोयला संपर्कता गलियारे यथा ईस्ट वेस्ट गलियारे (135 किमी) के विकास के लिए क्रमशः 62:26:10 के अनुपात में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन और छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडी) (छत्तीसगढ सरकार की नामिति) द्वारा इक्विटी भागीदारी से 25 मार्च 2013 को ''छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)'' नाम संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का गठन किया गया था। सीईडब्ल्यूआरएल ने 7 मई 2013 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। परियोजना की रियायत अवधि नियक्ति तिथि से 30 वर्ष है, जिसमें निर्माण अवधि के तीन वर्ष एवं 6 माह शामिल हैं। वर्ष के समापन के पश्चात दिनांक 09 अप्रैल 2021 को सीईडब्ल्यूआरएल के शेयरधारक करार में प्रवेश किया गया था।

क्षेत्रीय रेल यथा दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे ने रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुसार पांच वर्ष के लिए 135 किमी की प्रभारीय दूरी पर 40 प्रतिशत के संवर्धित माइलेज सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को दिनांक 15 जून 2017 को अनुमोदित किया है। दिनांक 1 जुलाई 2018 को सीईडब्ल्यूआरएल तथा रेल मंत्रालय के बीच रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में बैंक समूह के साथ जुलाई 2020 में 3976 करोड़ रूपए की राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और वित्तीय समापन भी 04 सितंबर, 2020 को प्राप्त किया गया है और इरकॉन ने कुल इक्विटी आवश्यकता के 26 प्रतिशत के लिए प्रायोजक सहायता शपत दी है।

मुख्य लाइन के लिए पूर्ण भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और लगभग 1400 करोड रूपए मूल्य के सिविल कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

### 11. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)

ओडीशा राज्य में खदानों से कोयले के खनन के लिए महत्वपूर्ण चयनित रेल गलियारा परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ 64:26:10 के अनुपात में क्रमशः महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएली), इरकॉन तथा ओडीशा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (ओडीशा सरकार की नामिती) द्वारा इक्विटी भागीदारी के साथ 31 अगस्त 2015 को महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी का निगमन चिह्नित रेल कॉरीडोर परियोजनाओं की संरचना, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के उद्देश्य से किया गया था, जो कि ओडीशा राज्य में खदानों से कोयले को निकालने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एमसीआरएल ने 19 अप्रैल 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन करार में हस्ताक्षर किए हैं। क्रियान्वयन के लिए कंपनी द्वारा अंगुल–बलराम–झारपाडा नामक नए रेल गलियारे को चयनित किया गया है। जनवरी 2018 में रेलवे द्वारा इस परियोजना की डीपीआर को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। रेल संशोधन अधिनियम, 2008 के अनुसार एमसीएल द्वारा पूर्व में अधिग्रहित भूमि को अभी ईसीओआर के नाम पर अंतरित कराया जाना है। रेल मंत्रालय ने दिनांक 11 जून, 2018 को परियोजना के लिए 60 प्रतिशत संवर्धित माइलेज को अनुमोदित किया है। इस परियोजना को दिनांक 23 अक्तूबर 2018 को रेल मंत्रालय द्वारा विशेष रेल परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया है। शीघ्र ही एमसीआरएल और रेल मंत्रालय के बीच रियायत समझौता होने की संभावना है और परियोजना के वित्तीय समापन की शीघ्र संभावना है।

अंगुल–बलराम खंड (14 किमी) के लिए एमसीएल द्वारा पहले अधिग्रहित भूमि रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 के अनुसार ईस्ट कोस्ट रेलवे को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16 मई, 2020 को पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। शेष खंड के लिए भूमि अधिग्रहण और वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया चल रही है। परियोजना के अंगुल–बलराम खंड में 14 किमी निर्माण कार्य मार्च 2022 तक शुरू होने की संभावना है। बालाराम–पुतागढिया–तेंतुलोई खंड (54 किमी) में भूमि अधिग्रहण और वन भूमि मार्ग परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है।

### 12. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

झारखंड राज्य में खदानों से कोयले के खनन के लिए महत्वपूर्ण चयनित रेल गलियारा परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन तथा झारखंड सरकार द्वारा क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के लिए 31 अगस्त 2015 को झारखंड सेंट्रर रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी का निगमन किया गया था।

जेसीआरएल ने 28 मार्च 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन करार में हस्ताक्षर किए हैं। रेलवे बोर्ड ने संयुक्त उपक्रम जेसीआरएल को शिवपुरी–कथौटिया नई लाईन अंतणि के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। चेनेज कथौटिया (0.00) से शिवपुरी (49.085) तक है जिसकी कुल लंबाई 49.85 किमी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 जून 2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 49.085 किमी की प्रभारीय दूरी पर 60 प्रतिशत की संवर्धित माइलेज को स्वीकृति प्रदान की गई है। जेसीआरएल तथा पूर्व मध्य रेलवे के बीच दिनांक 4 दिसंबर 2018 को रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए तथा वित्तीय समापन के अगस्त 2021 तक पूरा होने की संभावना है। परियोजना का निर्माण नवंबर 2021 तक शुरू होने की उम्मीद है (वन भूमि की उपलब्धता और जेसीआरएल के वित्तीय समापन के अध्यधीन)। जून 2019 में वन भूमि की स्टेज–। स्वीकृति मिल गई है। एनपीवी (शुद्ध वर्तमान मूल्य), प्रतिपूरक वनरोपण और वन्यजीव योजना (70.84 करोड रूपए) की लागत सहित चरण–I वन संस्तुति का अनुपालन प्रस्तुत किया गया है। वन भूमि में मई 2021 के अंत तक काम करने की अनुमति मिलने की संभावना है। हजारीबाग जिले में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है और चतरा जिला में भूमि के वर्तमान अनुमानित मूल्य का 80 प्रतिशत से अधिक का मुआवजा वितरित कर दिया गया है। तत्पश्चात अधिसूचित तीन में से दो अतिरिक्त गांवों (लगभग 98.88 एकड़) के लिए अनुमान तैयार किया गया है। तीन गांवों के आवेदन अतिरिक्त भूमि की अपेक्षा के कारण बाद में जमा किए गए (उपमुख्य अभियंता/निर्माण/हजारीबाग के दिनांक 08 जनवरी, 2016 के पत्र के तहत रेलवे के अनुरोध के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण रोक दिया गया था और तत्पश्चात यह समाप्त हो गया था। तीसरे गांव का अनुमान, मई 2021 में होने की संभावना है क्योंकि पहले भूमि अधिग्रहण में डुप्लिकेट भुगतान शामिल है। सभी सात ईएसपी (इंजीनियरिंग स्केल प्लान), एल–सेक्शन (लांगीट्यूडनल खंड) और 101 जीएडी में से 41 जीएडी (सामान्य व्यवस्था ड्राइंग) को रेलवे द्वारा अनुमोदित किया गया है।

### 13. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)

छत्तीसगढ राज्य में रोउघाट से जगदलपुर (नरायणपुर, कोंडागांव के रास्ते) नई रेल लाइन के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ एनडीएमसी लिमिटेड (एनडीएमसी), इरकॉन, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल) तथा छत्तीसगढ माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (छत्तीसगढ सरकार की नामिति) द्वारा क्रमशः 52:26:12:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ 05 मई 2016 को बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) नामक संयुक्त उपक्रम को निगमित किया गया था। बीआरपीएल के लिए शेयरधारक करार पर 20 जनवरी 2016 को हस्ताक्षर किए गए हैं और दिनांक 25 मई 2018 को संशोधित शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें एनएमडीसी, इरकॉन, सेल और सीएमडीसी की शेयरधारिता को संशोधित किया गया है।

इरकॉन इस परियोजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है और परियोजना निष्पादन समझौते पर दिनांक 19 जुलाई, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे। अक्टूबर, 2017 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को क्षेत्रीय रेलवे यथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) द्वारा अनुमोदित किया गया है। रेल मंत्रालय ने दिनांक 12 जून, 2018 को परियोजना की पूरी लंबाई के लिए 50 प्रतिशत के संवर्धित माइलेज को स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना का वित्तीय समापन प्रक्रियाधीन है। वन भूमि सहित भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

**कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सहायक कंपनी और संयुक्त उपक्रम के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को वित्तीय विवरण में संलग्नक फॉर्म एओसी–। में प्रकट किया गया है।**

*****

# निगमित शासन रिपोर्ट

इस रिपोर्ट को सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की निगमित शासन प्रणालियों का प्रक्रियाओं का ब्यौरा समाविष्ट है।:

इरकॉन एक मिन रत्न श्रेणी–1 कंपनी है, जिसे 28 सितंबर 2018 को सूचीबद्व किया गया है और इसने निगमित शासन का एक सुदृढ फ्रेमवर्क स्थापित किया है।

निगमित शासन संवर्धिक स्टेकधारक के मूल्यों के कंपनी के उद्देश्य और सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाहन को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों, नियमों के अनुपालन और नैतिक मानकों के अनुपालन का अनुप्रयोग है।

हम मानते हैं कि निगमित शासन अपने स्टेकधारकों को सर्वाधिक मूल्य की प्रतिबद्धता सहित सभी स्टेकधारकों के साथ मूल्यवान संबंधों तथा विश्वास को स्थापित करने के संबंध में है, चाहे वह स्टेकधारक हों, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, निवेश समुदाय या नीति निर्माता हों। अच्छे निगमित शासन पद्धतियों का अनुसरण करने की इसकी प्रतिबद्धता पारदर्शिता, न्याय, सहमति, दल कार्य, व्यावसायिकता तथा जवाबदेही पर आधारित है जो सर्वोत्तम पद्धतियों का अनुसरण करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं और सभी स्टेकधारकों के बीच आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं जो कि कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।

## 1. निगमित शासन के कोड पर कंपनी के दर्शन संबंधी विवरण

इरकॉन निगमित शासन के सिद्धांतों के संवर्धन में विश्वास रखता है और इसकी मूल्य संरचना का निर्माण उच्च मानकों, विश्वास व अखंडता, कार्यनिष्पादन, जिम्मेदारी, जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक उत्तरदायितव और नैतिक व्यवसाय व्यवस्थाओं के आधार पर हुआ है। यह संगठन में सर्वोत्तम नीतियों, पद्धतियों, संरचनाओं और मूल्यों के सृजन पर विश्वास करती हैं। निगमित शासन हमारे द्वारा कई वर्षों से किए गए व्यवसाय का आधार स्तंभ है। इरकॉन दल नियमित रूप से अपने आचरण में निगमित मूल्यों को धारण करता है।

कंपनी का कार्पोरेट शासन कोड है ''व्यावसायिक, लाभकारी, पारदर्शी एंव उत्तरदायी रहते हुए कंपनी की प्रत्येक गतिविधि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना''

निदेशक मंडल द्वारा ग्रहण किए गए कम्पनी के आधारभूत मूल्य हैं:–

क. रचनात्मक दृष्टिकोण

ख. एक टीम के रूप में कार्यरत

ग. कार्य में उत्कृष्टता

घ. कार्य और लेन–देन में सत्यनिष्ठा

ड. जिम्मेदार और उत्तरदायी होना

## 2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल इरकॉन का उच्चतम शासन निकाय है। निदेशक मंडल में कंपनी को नीतिगत मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करने के लिए इस उद्योग तथा संबंधित क्षेत्रों में प्रबुद्ध ज्ञान और अनुभव प्राप्त विविध क्षेत्रों के पेशेवर शामिल हैं। इरकॉन में, हम मानते हैं कि कंपनी का बोर्ड सुव्यवस्थित नेतृत्व की संस्कृति का निर्माण करता है ताकि कंपनी को शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीर्घकालिक दृष्टि और नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। बोर्ड के कार्य कंपनी के सर्वोत्तम हितों के साथ संरेखित हैं। कंपनी ने बोर्ड और समितियों की बैठकों के लिए दिशा–निर्देशों और एक स्थापित रूपरेखा को परिभाषित किया है। ये दिशानिर्देश बोर्ड और समितियों की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुचारू और कुशल कार्यविधि से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–2(45) के अनुसरण में, इरकॉन एक सरकारी कंपनी है और कंपनी की 73.18 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति महोदय के माध्मम से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है तथा निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय (यथा रेल मंत्रालय) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को हमारे बोर्ड में पांच निदेशक हैं जिनमें चार पूर्णकालीन निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक परियोजना तथा निदेशक कार्य) और एक सरकारी नामिति निदेशक शामिल हैं।

अध्यक्ष कंपनी का कार्यकारी निदेशक है, इसलिए, आधे बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए। चूंकि इरकॉन के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है,

कंपनी समय–समय पर रेल मंत्रालय से अनुरोध करती रही है कि बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित), और सरकारी नामिति निदेशक भी अपेक्षित संख्या में नियुक्ति की जाएं।

दिनांक 01 अप्रैल 2020 को तीन स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) के पद पर रिक्तियां थीं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.4.2015 से दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल समाप्त होने पर दिनांक 20 सितंबर 2020 को पदमुक्त होने के परिणामस्वरूप, कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था, जिसका कार्यकाल भी दिनांक 07 मार्च 2021 को समाप्त हो गया था। इसलिए, दिनांक 08 मार्च 2021 से, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी में 31 मार्च 2021 को कार्यकारी/कार्यात्मक निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं था और स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) और एक सरकारी नामित निदेशक के पद पर छह रिक्तियां हैं, जिसके लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार को पहले ही अनुरोध किया जा चुका है।

### 2.1 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पद सहित निदेशकों की श्रेणी और नाम

| श्रेणी, नाम और पदनाम | डीआईएन | नियुक्ति या पदमुक्त (वर्ष के दौरान, यदि कोई हो) |
|---|---|---|
| **पूर्णकालीन ( क्रियात्मक) निदेशक–कार्यपालक** | | |
| श्री सुनिल कुमार चौधरी<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) | 00515672 | |
| श्री मुकेश कुमार सिंह<br>निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी (सीईओ) | 06607392 | |
| श्री योगेश कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्य) | 07654014 | |
| श्री श्याल लाल गुप्ता<br>निदेशक (परियोजना) | 07598920 | |
| **सरकारी नामिति (अंशकालीन) निदेशक– गैर कार्यपालक** | | |
| श्री हरि मोहन गुप्ता | 08453476 | 12.10.2020 को निदेशक पद से पदमुक्त |
| श्री सुधीर कुमार | 01429832 | 12.05.2020 को निदेशक के पद पद नियुक्त और 30.06.2020 को निदेशक पद से पदमुक्त |
| श्री आशुतोष गंगल | 07057313 | 27.08.2020 को निदेशक के पद पद नियुक्त और 27.10.2020 को निदेशक पद से पदमुक्त |
| श्री धनन्जय सिंह | 08955500 | 10.11.2020 को निदेशक के पद पद नियुक्त |
| **स्वतंत्र निदेशक (अंशकालीन–गैर सरकारी) निदेशक– गैर कार्यपालक** | | |
| डॉ बालसत्य वैंकटरमण चित्ता | 03179171 | 19.09.2020 को निदेशक पद से पदमुक्त |
| श्री नरेन्द्र सिंह रैना | 07968391 | 19.09.2020 को निदेशक पद से पदमुक्त |
| श्री अशोक कुमार गंजू | 07014589 | 07.03.2021 को निदेशक पद से पदमुक्त |

## 2.2 दिनांक 31 मार्च 2020 को बोर्ड की संरचना, निदेशकों की श्रेणी, अन्य कंपनियों में निदेशक पद का ब्यौरा और बोर्ड समिति (समितियों) में सदस्यता/ अध्यक्ष पद का ब्यौरा

| क्र. सं | डिन सहित निदेशकों का नाम व श्रेणी | अन्य कंपनियों में निदेशक पद की संख्या | बोर्ड समिति (समितियों) की संख्या जिनमें वह सदस्य/ अध्यक्ष हैं | धारित शेयरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| **पूर्णकालीन निदेशक (क्रियात्मक) निदेशक–कार्यकारी** | | | | |
| 1 | श्री एस के चौधरी | – | – | – |
| 2 | श्री मुकेश कुमार सिंह | 1. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड<br>2. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड<br>3. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड<br>4. छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड<br>5. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड<br>6. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड<br>7. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड<br>8. इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | 1. (एक)<br>लेखापरीक्षा समितिः<br>आईआरएसडीसी (सदस्य) | 849 |
| 3 | श्री योगेश कुमार मिश्र | 1. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड | – | 1500 |
| 4 | श्री श्याल लाल गुप्ता | 1. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड<br>2. छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड<br>3. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड<br>4. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड<br>5. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड<br>6. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड<br>7. इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड<br>8. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस–वे लिमिटेड<br>9. इरकॉन गुड़गाँव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड | – | 5300 |
| **सरकारी नामिति ( अंशकालीन (सरकारी) निदेशक– गैर कार्यपालक** | | | | |
| 5 | श्री धनन्जय सिंह | 1. पीपावाव रेलवे निगम लिमिटेड<br>2. रेल विकास निगम लिमिटेड–सूचीबद्व निकाय (सरकारी नामिति निदेशक के रूप में)<br>3. केरल रेल विकास निगम लिमिटेड | – | – |

**फुटनोटः**

1. धारित निदेशकों की संख्या में विदेश की कंपनियां और अनुच्छेद–8 कंपनियां, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।
2. केवल लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य पर ही विचार किया गया है। कंपनी का कोई भी सदस्य दस से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या उन सभी कंपनियों में पांच (5) से अधिक समितियों में अध्यक्ष के पद पर कार्य नहीं कर रहा है, जिनमें वह निदेशक है।
3. कोई भी निदेशक एक समय पर बीस (20) से अधिक कंपनियों में निदेशक के पद पर नहीं है।
4. कोई भी निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्व निकाय में निदेशक के पद पर नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्व निकायों में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नहीं है।
5. कोई भी पूर्णकालीन निदेशक/प्रबंध निदेशक किसी सूचीबद्व कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नहीं है।
6. निदेशकों के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है। श्री धनन्जय सिंह, नामिति निदेशक (अंशकालीन सरकारी), रेल मंत्रालय के अधिकारी हैं, और इस प्रकार प्रमोटर से संबंधित है किन्तु उनके बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है।

## 2.3 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकें और वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की नौ बैठकें आयोजित हुईः

दिनांक 30 अप्रैल 2020, 10 जुलाई 2020, 15 जुलाई 2020, 25 अगस्त 2020, 28 अक्तूबर 2020, 11 नवंबर, 2020, 17 दिसंबर 2020 और 13 फरवरी 2021. कोई भी बोर्ड बैठक 120 दिन से अधिक के अंतराल पर नहीं हुई है।

| बैठक की तिथि | बोर्ड की संख्या | उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|
| 30 अप्रैल 2020 | 8 | 6 |
| 10 जुलाई 2020 | 8 | 8 |
| 15 जुलाई 2020 | 8 | 7 |
| 25 अगस्त 2020 | 8 | 7 |
| 28 अक्तूबर 2020 | 5 | 5 |
| 11 नवंबर, 2020 | 6 | 6 |
| 17 दिसंबर 2020 | 6 | 6 |
| 13 फरवरी 2021 | 6 | 6 |
| 15 फरवरी 2021 | 6 | 6 |

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति संबंधी ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत हैः

| निदेशक का नाम | बैठक की तिथि | | | | | | | | | क्या 29.09.2020 को आयोजित पिछली एजीएम में उपस्थिति रहे | कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थिति हुए | उपस्थिति का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.04.2020 | 10.07.2020 | 15.07.2020 | 25.08.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 17.12.2020 | 13.02.2021 | 15.02.2021 | | | | |
| श्री सुनिल कुमार चौधरी | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | हाँ | 9 | 9 | 100 |
| श्री मुकेश कुमार सिंह | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | हाँ | 9 | 9 | 100 |
| श्री योगेश कुमार मिश्राा | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | हाँ | 9 | 9 | 100 |
| श्री श्याम लाल गुप्ता | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | हाँ | 9 | 9 | 100 |
| श्री हरि मोहन गुप्ता | × | ✓ | × | × | – | – | – | – | – | हाँ | 4 | 1 | 25 |
| श्री सुधीर कुमार | – | – | – | – | – | – | – | – | – | लागू नहीं | – | – | – |
| श्री आशुतोष गंगल | – | – | – | – | – | – | – | – | – | हाँ | – | – | – |
| श्री धनन्जय सिंह | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | लागू नहीं | 4 | 4 | 100 |
| डॉ बालसत्य वैंकटारमण चित्ता | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | लागू नहीं | 4 | 4 | 100 |
| डॉ नरेन्द्र सिंह रैना | × | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | लागू नहीं | 4 | 3 | 75 |
| श्री अशोक कुमार गंजू | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | हाँ | 9 | 9 | 100 |

## 2.4. बोर्ड के सदस्य का मानदंड

इरकॉन एक इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है, और बोर्ड द्वारा आवश्यक प्रमुख योग्यता सिविल इंजीनियरिंग, वित्त, प्रौद्योगिकी, विपणन और वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में हैं। रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के अधीन, इरकॉन के निदेशकों की प्रमुख योग्यता, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषताओं को सारबद्ध करते हुए, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के अपेक्षित कौशल/विशेषज्ञता / क्षमता रखने वाले निदेशकों के नाम भी तालिका में शामिल हैंः

| क्र. सं | निदेशक का प्रकार | अपेक्षित विशेषज्ञता/कौशल |
|---|---|---|
| 1. | **पूर्णकालीन (कार्यात्मक) निदेशक –कार्यपालक** | |
| | i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक<br>डॉ. सुनिल कुमार चौधरी | **अनिवार्यः**<br>मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ कम से कम स्नातक की डिग्री और प्रतिष्ठित बड़े संगठन में वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन का पर्याप्त अनुभव।<br>वांछनीय<br>सिविल इंजीनियरिंग/तकनीकी/एमबीए में डिग्री अर्हता तथा वित्त/ विपणन/परियोजनाओं का ज्ञान।<br>अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का अनुभव, विशेष रूप से रेल उद्योग में रेल परियोजनाओं, संगठनात्मक नियोजन की तकनीकों तथा श्रमशक्ति विकास का अनुभव। |
| | ii) निदेशक (परियोजना)<br>श्री श्याम लाल गुप्ता | **अनिवार्य**<br>मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक।<br>रेलवे के क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी/प्रचालनक/परियोजना प्रबंधन अनुभव।<br>वांछनीयः<br>एमबीए/तकनीकी अर्हता प्राप्त। |
| | iii) निदेशक (कार्य)<br>श्री योगेश कुमार मिश्र | **अनिवार्य**<br>मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक।<br>सड़क/राजमार्ग सहित अवसंरचना परियोजनाओं के क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी/प्रचालनक/परियोजना प्रबंधन अनुभव।<br>**वांछनीयः**<br>एमबीए/तकनीकी अर्हता प्राप्त को प्राथमिकता। |
| | iv) निदेशक (वित्त)<br>श्री मुकेश कुमार सिंह | **अनिवार्यः**<br>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट या कॉस्ट एकाउंटेंट या पूर्णकालीन एमबीए/पीजीडीएम (वित्त में विशेषज्ञता सहित) पाठ्यक्रम के साथ प्रतिष्ठित संगठन में वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव<br>(ii) उपयुक्त स्तर पर संगठित समूह के लेखा सेवा के अधिकारी को उपर्युक्त क्रम. (i) में प्रस्तुत न्यूनतम अर्हता से छूट प्राप्त होगी।<br>(ii) पर्याप्त एंव संगत अनुभव वाले केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सशक्त बल/अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को उपर्युक्त क्रम. (i) में प्रस्तुत न्यूनतम अर्हता से छूट प्राप्त होगी। निगमित वित्त प्रबंधन तथा लेखांकन सहित लागत लेखांकन, बजट नियंत्रण, संस्थागत वित्त, कार्यशील पूंजी प्रबंधन आदि क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर का पर्याप्त अनुभव |
| 2. | **सरकारी नामिति (अंशकालीन सरकारी निदेशक)–गैर कार्यपालक**<br>– श्री हरि मोहन गुप्ता<br>– श्री सुधीर कुमार<br>– श्री आशुदोष गंगल<br>– श्री धनन्जय सिंह | जैसा कि भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा निर्धारित किया गया है। |
| 3. | **स्वतंत्र निदेशक (अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक)–गैर कार्यपालक**<br>– डॉ बालसत्य वैंकटरमण चित्ता<br>– श्री नरेन्द्र सिंह रैना<br>– श्री अशोक कुमार गंजू | जैसा कि भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा निर्धारित किया गया है। |

*निदेशकों के अनुभव और कौशल कंपनी के वेबसाइट यथा www.ircon.org.पर उपलब्ध हैं।*

**2.5 निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं:**

प्रबंधन द्वारा बोर्ड को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना की मात्र और गुणवत्ता समय–समय पर यथा संशोधित सेबी (एल.ओ.डी. आर) विनियम, 2015 में निर्धारित अपेक्षा से अधिक है। निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

क. कंपनी के तिमाही और अर्धवार्षिक तथा वार्षिक वित्तीय परिणाम।

ख. लेखापरीक्षा समिति तथा अन्य बोर्ड समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

ग कंपनी की सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त।

घ पूंजीगत और राजस्व बजट तथा कोई अन्य अद्यतन।

ड. संबंधित पक्ष संव्यवहार।

च बट्टे खाते और अशोध्य ऋण।

छ. निवेश, सहायक कंपनियों और परिसंपत्तियों की सामग्रीगत प्रकृति की बिक्री।

ज. प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उपक्रमों का गठन, नीतिगत गठबंधन आदि।

झ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन।

ट. कंपनी द्वारा विभिन्न कानूनों का अनुपालन।

ठ. प्राप्त प्रमुख आर्डर तथा अप्राप्त बोलियां।

ड. कंपनी में निदेशकों द्वारा हितलाभों का प्रकटन।

ढ. बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई।

ण. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत अनुपालन/रिपोर्टें।

त. सूचनार्थ, अनुमोदनार्थ और समीक्षा हेतु बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली अन्य सभी सूचनाएं।

**2.6 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान नियुक्त /पुनर्नियुक्त नए निदेशक:**

**क. श्री सुधीर कुमार [डीआईएन 01429832]– [12.05.2020 से 30.06.2020]:**

श्री सुधीर कुमार, अपर सदस्य (नियोजन), रेलवे बोर्ड को इरकॉन के बोर्ड में सरकारी नामिति (अंशकालीन सरकारी), निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है। श्री कुमार ने जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वाविद्यालय, पंतनगर, नैनीताल से बी.टैक (इलैक्ट्रिकल) की डिग्री प्राप्त की है। वे भारतीय रेल इलैक्ट्रिकल इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसईई)–1981 के अधिकारी हैं और इन्हें रेलवे में 36 वर्षों का प्रबुद्ध और व्यापक अनुभव प्राप्त है। इनके पूर्ववर्ती कायभारों में मंडल रेल प्रबंधक, धनबाद, जो भारतीय रेल का सबसे बड़ा मंडल है, कार्यपालक निदेशक (विकास) रेलवे बोर्ड, कार्यपालक निदेशक (ऊर्जा प्रबंधन) रेलवे बोर्ड, प्रधान कार्यपालक निदेशक (ट्रांस्फॉर्मेशन) रेलवे बोर्ड, सलाहकार (चल स्टॉक) रेलवे बोर्ड और अपर सदस्य (रेल विद्युतीकरण) एवं ट्रांस्फॉर्मेशन रेलवे बोर्ड शामिल हैं। अपर सदस्य (नियोजन), रेलवे बोर्ड के रूप में इन्होंने रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निवेश और निष्पादन के प्राथमीकरण सहित इन परियोजनाओं के नियोजन और बजट निर्धारण का कार्य किया है। वे नबीनगर, बिहार में 1,000 मे.वा. ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु रेलवे और एनटीपीसी (भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड) के संयुक्त उपक्रम, तथा बिहार में नए इंजन कारखाने की स्थापना, जो कि सबसे बड़ी मेक–इन–इंडिया पहल है, जिसने रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का मार्ग प्रशस्त किया और रेलवे (मधेपुरा इलैक्ट्रिक लोको कंपनी लिमिटेड, मधेपुरा) के संयुक्त उपक्रमों के निदेशक मंडल में संस्थानपक निदेशक और रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि थे।

**ख. श्री आशुतोष गंगाल [डीआईएनः 07057313] – [27.08.2020 से 27.10.2020]:**

श्री आशुतोष गंगल, सलाहकार (नियोजन), रेलवे बोर्ड को इरकॉन के बोर्ड में सरकारी नामिति (अंशकालीन सरकारी), निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है। श्री गंगल ने वर्ष 1985 में ''इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जमालपुर'' (आईआरआईएमईई) से इंजीनियरिंग की स्नाइतक डिग्री प्राप्त की, जहां उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया में सेक्शन–ए तथा सेक्शन–बी में स्वर्णपदक प्राप्त किया। उन्हें रेलवे में कार्य का 35 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव प्राप्तज है। उनके तत्काल पूर्ववर्ती कार्यों में पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के प्रधान मुख्य मकैनिकल इंजीनियर, मध्य रेलवे, मुंबई में वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक और वडोदरा में मंडल रेल प्रबंधक शामिल हैं। उनके अन्य पूर्ववर्ती कार्यों में शामिल हैं, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड में लगभग चार वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहे और एकीकृत डिब्बा कारखाना, चेन्नई के फर्निशिंग डिविजन में मुख्य वर्कशॉप इंजीनियर प्रभारी के पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने आरडीएसओ, लखनऊ में वाहन डायनामिक्स समूह और अनुसंधान निदेशालय में भी काम किया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी (आईएसीए), ऑस्ट्रियाय कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय, पिट्सबर्ग, यूएसएय एसडीए – बोकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मिलान, इटली और सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आदि जैसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में

प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न कार्यों हेतु जर्मनी, इजराइल और स्वीडन का भी दौरा किया है। सलाहकार (योजना), रेलवे बोर्ड के रूप में इनके कार्य में निवेश में प्राथमिकता और इसके निष्पादन सहित रेलवे अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए बजट निर्धारण शामिल है। वह रेलवे बोर्ड में भावी राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वयक भी थे।

ग. **श्री धनन्जय सिंह [डीआईएनः 08955500] – [10.11.2020 से]:**

श्री धनंजय सिंह, कार्यपालक निदेशक (कार्य), रेलवे बोर्ड, को इरकॉन के बोर्ड में सरकारी नामित (अंशकालिक (सरकारी) निदेशक, के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री सिंह के पास लखनऊ विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। अपने वर्तमान कार्यभार से पूर्व, उन्होंने निदेशक (कार्य) (रेलवे बोर्ड), वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (उत्तर रेलवे) सहित विभिन्न पदों पर रेलवे बोर्ड में कार्य किया है। वे प्रतिनियुक्ति पर मुंबई रेल विकास निगम (एमआरवीसी) में उप मुख्य परियोजना प्रबंधक के रूप में थे।

सभी मौजूदा निदेशकों के विस्तृत प्रोफाइल को वेबसाइट www.ircon.org पर देखा जा सकता है।

### 2.7 स्वतंत्र निदेशकों के त्यागपत्र, यदि कोई हो के कारणों का ब्यौराः

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने त्यागपत्र या कार्यकाल समापन से पूर्व पद को रिक्त नहीं किया है।

### 2.8 बोर्ड की स्वतंत्रता

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशक घोषणा करते हैं कि वे समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के मापदंड को पूरा करते हैं।

### 2.9 बोर्ड सदस्यों के लिए परिचय कार्यक्रम/प्रशिक्षण

कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका उद्देश्य निदेशकों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करना तथा निदेशकों द्वारा प्राप्त ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है। उन्हें कंपनी से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें कंपनी का प्रोफाइल, समझौता ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, समझौता ज्ञापन लक्ष्य तथा उपलब्धियां, सीवीसी द्वारा नैतिकता और शासान–परिदृश्य पर लेख, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, निगमित शासन तथा सीएसआर और धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देश, बोर्ड की सभी समितियों के संदर्भ शर्तें, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 आदि के अंतर्गत निदेशकों के कार्यों तथा दायित्वों, और अनर्हता आदि के प्रावधान शामिल हैं।

कंपनी स्वतंत्र निदेशकों को विभिन्न कार्यक्रमों और प्रस्तुतीकरणों के माध्यम से कंपनी की गतिविधियों तथा कार्यप्रणाली तथा कंपनी में उनकी भूमिका, अधिकारों और उत्तरदायित्वों, उद्योग की प्रकृति जिसमें आपकी कंपनी प्रचालन कर रही है, कंपनी का व्यवसाय मॉडल आदि। ऐसे परिचय कार्यक्रमों का ब्यौरा इरकॉन की वेबसाइट पर वेबलिंकः

:https://www.ircon.org/images/Details%20of%20Familiarisation%20Programme%20to%20Ircon's%20Directors.pdf पर उपलब्ध है।

## 3 बोर्ड समितियां

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों और अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन में निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया हैः

(i) लेखापरीक्षा समिति

(ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

(iii) जोखिम प्रबंधन समिति

(iv) शेयरधारक संबंध समिति

(v) निगमित सामाजिक उत्तदायित्व और धारणीयता समिति

(vi) स्वतंत्र निदेशक समिति

कंपनी सचिव और इन समितियों के संबंधित अध्यक्षों के परामर्श से बोर्ड के अध्यक्ष इन समितियों की बैठकों की आवृत्ति का निर्धारण करते हैं। समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

### 3.1 लेखापरीक्षा समिति

**1. संरचना, बैठक और उपस्थिति**

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, गणपूर्ति, संदर्भ शर्तें, कार्यक्षेत्र आदि कंपनी (बोर्ड की बैठकों और उनकी शक्ति) नियम, 2014 के नियम 6 तथा 7, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 तथा 24(2) और डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों, 2010 समय समय पर यथा संशोधित, के अध्याय 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। तथापि, दिनांक 20 सितंबर 2020 को इसके बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा समिति की संरचना और गणपूर्ति से अनुपालन में नहीं है।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार थीः

| 01.04.2020 से 19.09.2020 तक | 20.09.2020 से 27.10.2020 तक | 28.10.2020 से 25.03.2021 तक | 26.03.2021 से 31.03.2021 तक |
|---|---|---|---|
| **अध्यक्ष** | | | |
| डॉ बालसत्य वेंकटरमण चित्ता, स्वतंत्र निदेशक | श्री अशोक कुमार गंजू स्वतंत्र निदेशक | श्री अशोक कुमार गंजू* स्वतंत्र निदेशक | श्री धनंजय सिंह सरकारी नामिती निदेशक |
| **सदस्य** | | | |
| श्री अशोक कुमार गंजू स्वतंत्र निदेशक | श्री आशुतोष गंगाल सरकारी नामिती निदेशक | श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य) | श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य) |
| श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य) | श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं) | श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं) | श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं) |

* दिनांक 07.03.2021 को निदेशक पद से पदमुक्त हुए।

*सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं।*

*वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की दिनांक 30 अप्रैल 2020, 9 जुलाई 2020, 10 जुलाई 2020, 30 जुलाई 2020, 14 अगस्त 2020, 25 अगस्त 2020, 11 नवंबर 2020, 17 दिसंबर 2020, 12 फरवरी 2021 और 15 फरवरी 2021 को 10 बार बैठक हुईं। समिति की संरचना, आयोजित बैठकों की संख्या और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए उपस्थिति विवरण नीचे दिए गए हैं:*

| सदस्यों का नाम | बैठक की तिथि | | | | | | | | | | कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें | बैठकों में उपस्थिति की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30ᵗʰ04ᵗʰ2020 | 09ᵗʰ07ᵗʰ2020 | 10ᵗʰ07ᵗʰ2020 | 30ᵗʰ07ᵗʰ2020 | 14ᵗʰ08ᵗʰ2020 | 25ᵗʰ08ᵗʰ2020 | 11ᵗʰ11ᵗʰ2020 | 17ᵗʰ12ᵗʰ2020 | 12ᵗʰ02ᵗʰ2021 | 15ᵗʰ02ᵗʰ2021 | | |
| डॉ बालसत्य वेंकटरमण चित्ता | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 6 | 6 |
| श्री अशोक कुमार गंजू | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | 10 |
| श्री योगेश कुमार मिश्रा | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | 10 |
| श्री आशुतोष गंगाली | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| श्री श्याम लाल गुप्ता | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | × | 4 | 3 |
| श्री धनंजय सिंह | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

*शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनांक 29 सितंबर 2020 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गंजू उपस्थित थे।*

**2. संदर्भ शर्तें :**

बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट बोर्ड स्तरीय समय–समय पर यथासंशोधित लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 तथा 24(2) तथा सेबी (आंतरिम व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 9क(4) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों, 2010 के अध्याय 4 की अपेक्षिओं के अनुरूप हैं। प्रमुख संदर्भ शर्तें निम्नानुसार हैं:

**क. वित्तीय विवरण**

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना और इसकी वित्तीय सूचना को प्रकट करना ताकि सुनिश्चित

किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, तथा विश्वसनीय हैं।

2. निम्नलिखित विशिष्ट संदर्भ सहित बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा उनकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षाः
   (i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(सी) की शर्तों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित विषय।
   (ii) लेखांकन नीतियों और विधियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इन परिवर्तनों के कारण।
   (iii) प्रबंधन द्वारा विवेक का प्रयोग करके अनुमानों के निर्माण में शामिल होने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
   (iv) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   (v) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।
   (vi) पक्ष संबंधी किसी लेनदेन का प्रकटन; और
   (vii) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं/आशोधित विकल्प।
   (viii) प्रबंधन विचारविमर्श का समीक्षा और वित्तीय परिस्थितियों व प्रचालनों के परिणामों का विश्लेषण।
3. तिमाही वित्तीय परिणामों और उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ इसकी समीक्षा।
4. सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियम 32(1) तथा (7) की शर्तों के अनुसार इश्यु (पब्लिक इश्यु, राइट्स इश्यु, प्रेफरेंशियल इश्यु आदि) के माध्यम से एकत्र निधियों के प्रयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/नोटिस में उल्लिखित प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए निधियों के उपयोग का विवरण तथा परिवर्तन (परिवर्तनों) के विवरणों की समीक्षा करने के लिए पब्लिक इश्यु या राइट इश्यु से एकत्र निधि के उपयोग की मानीटरिंग करने वाली मॉनीटरिंग एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रबंधन के साथ समीक्षा तथा इस मुद्दे पर कदम उठाने के लिए बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें करना।

**ख. लेखापरीक्षा और आंतरिम नियंत्रणः**

5. कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए बोर्ड की सिफारिश।
6. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए उन्हें भुगतान का अनुमोदन।
7. आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, निरसन तथा पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा।
8. सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रबंधन, निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता, लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता की समीक्षा और मॉनीटरिंग तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निष्पादन और प्रभावपूर्णता की समीक्षा।
9. लेखापरीक्षा आरंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा तथा किसी चिंता के विषय को निर्धारित करने के लिए लेखापरीक्षा पूर्व चर्चा।
10. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों/आंतरिम नियंत्रण खामियों के पत्रों की समीक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के संबंध में आवधिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों/आंतरित लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
11. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कार्मिकों की व्यवस्था तथा विभाग के प्रमुख की वरियता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज तथा आंतरिम लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा।
12. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
13. आंतरिम वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
14. आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों द्वारा ऐसे मामलों पर किसी आंतरिक अन्वेषण के निष्कर्षों की समीक्षा जिसमें, सामग्रीगत प्रकृति का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में जालसाजी या अनियमितता या विफलता की आशंका हो।

**ग. संबंधित पक्ष संव्यवहारः**

15. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के संव्यवहारों का अनुमोदन या उनमें किसी प्रकार के अनुवर्ती आशोधनों, तथा कंपनी की संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति के अनुसार यथापेक्षित अन्य अनुमोदन।

**घ. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा/सीओपीयूः**

16. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा तथा संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

**ड. सहायक कंपनियांः**

17. 100 करोड़ रूपए से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति आकार के 10 प्रतिशत, मौजूदा ऋणों/अग्रिमों/निवेशों सहित जो काई भी कम हो, की राजसहायता में धारक कंपनी द्वारा ऋणों तथा/या अग्रिमों /निवेश की समीक्षा।

18. वित्तीय विवरणों की समीक्षा और विशेष रूप से गैरसूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश में।

च. अन्य:

19. अंतर निगमित ऋणों और निवेशों की संवीक्षा, तथा

20. उपक्रमों या कंपनियों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहांकहीं आवश्यक हो।

21. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न किए जाने के मामले में), ऋणदाताओं को भुगतान में व्यापक चूक के कारणों की जांच करना।

22. व्हीसल ब्लोवर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना तथा व्हीसल ब्लोवरों का संरक्षण।

23. यह सत्यापित करने के लिए कि आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, सेबी पीआईटी विनियमों के प्रावधानों के संबंध में अनुपालन की समीक्षा वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात।

24. लेखापरीक्षा समिति को अपनी संदर्भ शर्तों के भीतर किसी भी गतिविधि की जांच करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए किसी कर्मचारी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, बाहरी विधि या किसी पेशेवर की सलाह (निदेशक मंडल के अनुमोदन के मद्देनजर) ले सकते हैं और कंपनी के रिकार्डों में समाविष्ट सूचना पर पूरा पहुंच होगा तथा संगत विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति प्राप्त कर सकते हैं।

25. समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार, तथा कंपनी अधिनियम, या डीपीई दिशानिर्देशों या सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 या किसी अन्य सेबी नियम तथा विनियम के अंतर्गत यथापेक्षित कोई अन्य कार्य।

## 3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

### 1. संरचना, बैठक और उपस्थिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना, संदर्भ शर्तें, गणपूर्ति, कार्यक्षेत्र आदि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों की तर्ज पर है। तथापि, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन दिनांक 20 सितंबर 2020 से अनुपालन में नहीं है क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों की पर्याप्त संख्या उपस्थित नहीं है।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान, अंशकालिक (सरकारी) निदेशकों और / या स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, एनआरसी को दो बार यथा दिनांक 28 अक्तूबर 2020 से 9 दिसंबर 2020 तथा दिनांक 8 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक निलंबित कर दिया गया था। वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की संरचना इस प्रकार थी:

| 01.04.2020 से 19.09.2020 तक | 20.09.2020 से 27.10.2020 तक | 10.12..2020 से 07.03.2021 तक |
|---|---|---|
| **अध्यक्ष** | | |
| श्री अशोक कुमार गंजू<br>स्वतंत्र निदेशक | श्री अशोक कुमार गंजू<br>स्वतंत्र निदेशक | श्री अशोक कुमार गंजू*<br>स्वतंत्र निदेशक |
| **सदस्य** | | |
| डॉ नरेन्द्र सिंह रैना<br>स्वतंत्र निदेशक | श्री हरि मोहन गुप्ता<br>सरकारी नामिति निदेशक | श्री धनन्जय सिंह<br>सरकार नामिती निदेशक |
| डॉ बालसत्य वेंकटरमण चित्ता,<br>स्वतंत्र निदेशक | श्री आशुतोष गंगल<br>सरकारी नामिति निदेशक | श्री मुकेश कुमार सिंह<br>निदेशक (वित्त) |

** 07.03.2021 को निदेशक नहीं रहे।*

*सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।*

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, एनआरसी की पांच बैठकें दिनांक 16 अप्रैल 2020, 29 मई 2020, 13 अगस्त 2020, 17 सितंबर 2020 और 17 दिसंबर 2020 को आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एनआरसी की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

| सदस्यों का नाम | बैठक की तिथि | | | | | कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें | बैठकों में उपस्थिति की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16ण्04ण्2020 | 29ण्05ण्2020 | 13ण्08ण्2020 | 17ण्09ण्2020 | 17ण्12ण्2020 | | |
| श्री अशोक कुमार गंजू | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 5 |
| डॉ बालसत्य वेंकटरमण चित्ता | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 4 | 4 |
| डॉ नरेन्द्र सिंह रैना | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 4 | 4 |
| श्री हरि मोहन गुप्ता | – | – | – | – | – | – | – |
| श्री आशुतोष गंगल | – | – | – | – | – | – | – |
| श्री धनन्जय सिंह | – | – | – | – | ✓ | 1 | 1 |
| श्री मुकेश कुमार सिंह | – | – | – | – | ✓ | 1 | 1 |

**2. संदर्भ शर्तें :**

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संदर्भ शर्तों में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–178 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों शामिल हैं जिन्हें समय–समय पर संशोधित किया जाता है (निदेशकों से संबंधित मामलों को छोड़कर क्योंकि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत तथा इरकॉन के संबोधित दिनांक 2 अप्रैल 2018 के सेबी के पत्र के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को इससे छूट प्राप्त है)।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्यक्षेत्र/संदर्भ शर्तों संक्षिप्त में इस प्रकार हैं:

क. डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित सीमा के भीतर कार्यपालकों और गैर–यूनियनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल/निष्पादन संबंधी वेतन तथा इसके संवितरण की नीत्किा निर्धारण व अनुमोदन करना।

ख. डीपीई तथा अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के चयन और उन्हें हटाने की नीति की समीक्षा करना और मंडल के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।

ग. निर्धारित मापदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों को चिह्नित करना और उनकी नियुक्ति या हटाए जाने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

घ. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक, किसी भी रूप में, से संबंधित नीति के संबंध में निदेशक मंडल को सिफारिश देना।

ड. कोई अन्य कार्य जिसे कंपनी अधिनियम, या डीपीई दिशानिर्देशों या सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 द्वारा शामिल किया जाए।

स्पष्टीकरण: वरिष्ठ प्रबंधन से तात्पर्य कंपनी के उन अधिकारियों/कार्मिकों से है, जो इसके प्रमुख प्रबंधन के सदस्य है और इसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालीन निदेशक/प्रबंधक (सीईओ/प्रबंधक सहित यदि वह बोर्ड का भाग नहीं है) से एक स्तर नीचे के सभी सदस्य शामिल नहीं हैं और विशिष्ट रूप से इसमें कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)(बोर्ड स्तर से नीचे) और कार्यकारी प्रमुख शामिल हैं।

**3. बोर्ड सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन :**

निगमित कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से सरकारी कंपनी को छूट प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को अधिसूचित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रावधान है कि औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण के संबंध में खंड–134(3)(पी) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, यदि निदेशकों का मूल्यांकन अपनी स्वयं की विधि प्रक्रिया द्वारा कंपनी के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त छूटों की तर्ज पर नियुक्ति, निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में खंड 178 के उपखंड–(2), (3) तथा (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पद लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की अनुसूची–IV में दिनांक 5 जुलाई 2017 की एमसीए की अधिसूचना के तहत संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा गैर–स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष की स्वतंत्र निदेशकों द्वारा निष्पादन मूल्यांकन की अपेक्षा और बोर्ड द्वारा स्वंतत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन, यदि संबंधित विभाग या मंत्रालयों ने इन अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट किया हो, की अपेक्षा के अनुपालन से सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है।

इस संबंध में, लोक उपक्रम विभाग (डीपीई), ने पहले ही सभी क्रियात्मक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु तंत्र निर्धारित किया है। क्रियात्मक निदेशकों तथा कंपनी का निष्पादन रेल मंत्रालय मूल्यांकन वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की प्रणाली तथा रेल मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया जाता है और उक्त मूल्यांकन को प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से लोक उपक्रम विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। इरकॉन प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करता है, जिसमें कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन मापदंड निर्धारित होते हैं। एमओयू लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है और यह व्यक्तिगत निष्पादन मूल्यांकन का अभिन्न अंग होते हैं। आंतरिक एमओयू में सभी प्रचालनिक और निष्पादन मापदंड जैसे संयंत्र निष्पादन और कुशलता, वित्तीय लक्ष्य, लागत कटौती लक्ष्य, पर्यावरण, कल्याण, सामुदायिक विकास और कोई अन्य संगत कारक शामिल हैं।

सरकारी नामिति निदेशकों के मामले में, उनका मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चूंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, इनका मूल्यांकन रेल मंत्रालय द्वारा और अंतत् डीपीई द्वारा किया जाता है।

### 3.3 स्टेकधारक संबंध समिति

स्टेकधारक समिति की संरचना, संदर्भ शर्तें, गणपूर्ति, कार्यक्षेत्र आदि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों की तर्ज पर है। हालांकि, दिनांक 8 मार्च 2021, बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20 (2ए) के अनुसार स्टेकधारक संबंध समिति की संरचना अनुपालन में नहीं है।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान स्टेकधारक संबंध समिति की संरचना इस प्रकार थी:

| 01.04.2020 से 19.09.2020 तक | 20.09.2020 से 27.10.2020 तक | 28.10.2020 से 10.12.2020 तक | 26.03.2021 से 31.03.2021 तक |
|---|---|---|---|
| **अध्यक्ष** | | | |
| डॉ बालसत्य वेंकटरमण चित्ता, स्वतंत्र निदेशक | श्री अशोक कुमार गंजू स्वतंत्र निदेशक | श्री अशोक कुमार गंजू** स्वतंत्र निदेशक | श्री धनंजय सिंह सरकारी नामिती निदेशक |
| **सदस्य** | | | |
| श्री हरि मोहन गुप्ता सरकारी नामिती निदेशक | श्री हरि मोहन गुप्ता सरकारी नामिती निदेशक | श्री मुकेश कुमार सिंह निदेशक (वित्त) | श्री मुकेश कुमार सिंह निदेशक (वित्त) |
| श्री मुकेश कुमार सिंह निदेशक (वित्त) | श्री मुकेश कुमार सिंह निदेशक (वित्त) | श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं) | श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं) |

*12.10.2020 तक निदेशक।

**07.03.2021 तक निदेशक।

*सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।*

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, समिति की एक बैठक दिनांक 12 फरवरी 2021 को आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बैठक और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

| सदस्यों का नाम | बैठक की तिथि | कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें | बैठकों में उपस्थिति की संख्या |
|---|---|---|---|
| | 12.02.2021 | | |
| डॉ बालसत्य वेंकटरमण चित्ता | – | – | – |
| श्री अशोक कुमार गंजू | ✓ | 1 | 1 |
| श्री हरि मोहन गुप्ता | – | – | – |
| श्री मुकेश कुमार सिंह | ✓ | 1 | 1 |
| श्री श्याम लाल गुप्ता | ✓ | 1 | 1 |
| श्री धनंजय सिंह | – | – | – |

# निगमित शासन रिपोर्ट

**1. संदर्भ शर्तें :**

स्टेकधारक संबंध समिति की संदर्भ शर्तों में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, के विनियम 20 सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 में विनिर्दिष्ट निम्नानुसार क्षेत्र शामिल हैं:

(क) शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं को देखना।

(ख) शेयरों के अंतरण/प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने तथा घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लिकेट प्रमाण पत्रों के जारी किए जाने तथा साधारण बैठक आदि संबंधी शिकायतों सहित कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करना तथा उनका निवारण करना।

(ग) शेयरधारकों द्वारा वोटिंग अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

(घ) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा।

(ड.) अदावित लाभांशों की मात्रा को कम करने और शेयरधारकों द्वारा लाभांष वारंटों/वार्षिक रिपोर्टों/सांविधिक नोटिसों की समय पर प्राप्ति को सुनिश्चित करना।

(च) कोई अन्य कार्य जिसे कंपनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों या सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 द्व ारा यथापेक्षित हो या अन्य मुद्दे जो समय–समय पर स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा यथा आवश्यक हों।

**2. अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनामः**

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार कंपनी की अनुपालन अधिकारी सुश्री रितु अरोड़ा कंपनी सचिव हैं।

**3. शेयरधारकों की शिकायतों का ब्यौरा**

कंपनी ने निवेशकों की शिकायतों का त्वरित निवारण किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान शेयरधारकों से कुल 141 पूछताछ/शिकायतें प्राप्त हुई थीं और वर्ष के अंत में 12 शिकायतें लंबित हैं। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

| शिकायतों की प्रकृति | प्राप्त | समाधान | लंबित |
|---|---|---|---|
| पब्लिक इश्यू/शेयरों का विखंडन/शेयरों संबंधी स्पष्टीकरण के लिए दायर आवेदनों की स्थिति | 8 | 7 | 1 |
| रीफंड आदेश की गैर–प्राप्ति | – | – | – |
| लाभांश वारंट की गैर प्राप्ति (पूछताछ सहित) | 115 | 105 | 10 |
| इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट की गैर पावति | 13 | 13 | – |
| सेबी शिकायतें (लाभांश प्राप्त न होने के संबंध में) | 2 | 2 | – |
| स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें | – | – | – |
| उपभोक्ता फोरम/न्यायालय मामले | – | – | – |
| एडवोकेट नोटिस | – | – | – |
| विविध | 3 | 2 | 1 |
| **कुल** | **141** | **129** | **12** |

## 3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी में वृहत उपक्रम जोखम प्रबंधन (ईआरएम) फ्रेमवर्क विद्यमान है। जोखिम प्रबंधन समिति का गठन पूर्ववर्ती सूचीकरण करार (अब सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015) की अपेक्षाओं की तर्ज पर किया गया है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी पर दिनांक 01.04.2019 से जोखिम प्रबंधन समिति की अपेक्षा लागू हो गई है, तथापि, कंपनी में पहले ही बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति वर्ष 2012 से विद्यमान है जिसमें तीन कार्यात्मक निदेशक शाामिल हैं।

**1. संरचनाः**

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति में पूर्णकालीन निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (बोर्ड स्तर से नीचे) स्तर/मुख्य महाप्रबंधक स्तर पर त्वरित कार्य समूह शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना और दिनांक 27.05.2020 को आयोजित बैठक का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| सदस्यों का नाम | बैठक की तिथि | कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें | बैठकों में उपस्थिति की संख्या |
|---|---|---|---|
| | 27.05.2020 | | |
| श्री मुकेश कुमार सिंह*, निदेशक (वित्त) – अध्यक्ष | ✓ | 1 | 1 |
| श्री योगेश कुमार मिश्र निदेशक (कार्य) – सदस्य | ✓ | 1 | 1 |
| श्री श्याल लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना) – सदस्य | ✓ | 1 | 1 |

* दिनांक 15.02.2021 को अध्यक्ष के रूप में नामित।

समिति को सबंधित कार्यपालक निदेशक (बोर्ड से नीचे) स्तर/मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

**2. संदर्भ शर्तें :**

जोखिम प्रबंधन समिति की संदर्भ शर्तें हैं – जोखिम की पहचान करना, मूल्यांकन करना और चिह्नित जोखिमों को न्यूनतम करना। इसमें समग्र व्यवसाय वातावरण और कंपनी के उद्देश्यों की तर्ज पर कंपनी के जोखिम संभावना का आकलन करना, संभावित जोखिमों की पहचान करना तथा चालू और भावी परियोजनों में इनके प्रभाव का आकलन करना, आकलित जोखिमों के लिए प्रतिक्रिया नीति विकसित करना, इसके क्रियान्वयन स्तर पर प्रतिक्रिया नीति का प्रसार करना, जोखिम प्रबंधन प्रभावपूण ाता पर इसका क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग और फीडबैक प्राप्त करना शामिल हैं।

## 3.5 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीयता समिति (सीएसआर समिति)

सीएसआर तथा धारणीयता समिति की संदर्भ शर्तें, गणपूर्ति, अन्य मुद्दे कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 तथा इसक अंतर्गत लागू नियमों तथा सीएसआर तथा धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देश, 2014 की तर्ज पर तैयार किए गए है।

**1. संरचना, बैठक और उपस्थिति**

जब कभी निदेशकों में परिवर्तन होता है तो समिति का पुनर्गठन किया जाता है। वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार है

| 01.04.2020 से 19.09.2020 तक | 20.09.2020 से 27.10.2020 तक | 28.10.2020 से 25.03.2021 तक | 26.03.2021 से 31.03.2021 तक |
|---|---|---|---|
| **अध्यक्ष** | | | |
| श्री अशोक कुमार गंजू स्वतंत्र निदेशक | श्री अशोक कुमार गंजू स्वतंत्र निदेशक | श्री अशोक कुमार गंजू स्वतंत्र निदेशक** | श्री मुकेश कुमार सिंह निदेशक (वित्त) |
| **सदस्य** | | | |
| डॉ नरेन्द्र सिंह रैना स्वतंत्र निदेशक | श्री हरि मोहन गुप्ता* सरकारी अंशकालीन निदेशक | श्री मुकेश कुमार सिंह निदेशक (वित्त) | श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य) |
| श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं) | श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य) | श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य) | श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं) |

* 12.10.2020 तक निदेशक।

** 07.03.2021 तक निदेशक।

*सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।*

*सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों का ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है और कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत है।*

**2. बैठक और उपस्थितिः**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान समिति की एक बैठक का आयोजन दिनांक 24 अगस्त 2020 को किया गया था! बैठक में उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

| सदस्यों का नाम | बैठक की तिथि | कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें | बैठकों में उपस्थिति की संख्या |
|---|---|---|---|
| | 24.08.2020 | | |
| श्री अशोक कुमार गंजू | ✓ | 1 | 1 |
| डॉ नरेन्द्र सिंह रैना | ✓ | 1 | 1 |
| श्री श्याल लाल गुप्ता | ✓ | 1 | 1 |
| श्री मुकेश कुमार सिंह | - | - | - |
| श्री योगेश कुमार मिश्रा | - | - | - |

**3. संदर्भ शर्तें :**

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता समिति की शर्तों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं:

क. कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता कार्यसूची को वांछित दिशा प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीतियों और ऋणनीतियों को तैयार करने में बोर्ड को सहयोग प्रदान करना।

ख.. महाप्रबंधक स्तर या ऊपर के स्तर के नोडल अधिकारियों और अधिकारियों के दल की नियुक्ति करना जो दिशानिर्देशों की शर्तों में उपयुक्त समझे जाएं।

ग. बोर्ड द्वारा अनुमोदित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति के अंतर्गत तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता गतिविधियों की सिफारिश करना, तथा इसे बोर्ड के अनुमोदन/संशोधन के लिए प्रस्तुत करना; और

घ. चिह्नित गतिविधियों को निष्पादित करने और सुव्यवस्थित रूप में निर्धारित समय में ना केवल निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के त्वरित चिह्नन के लिए बल्कि उपयुक्त स्तर और बोर्ड स्तर, जहां कहीं आवश्यक हो, पर क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए कार्यविधि का निर्धारण करना।

## 3.6 स्वतंत्र निदेशकों की समिति

स्वतंत्र निदेशकों की समिति के संदर्भ शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV सेवी (एलओडीआर) विनिमय–2015 के लागू स्तर तक तथा दिनांक 28 दिसंबर 2012 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन (यथासंशोधित दिनांक 20 जून 2013 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन) के अनुसार हैं।

दिनांक 19 सितंबर 2020 को दो स्वतंत्र निदेशकों के पदमुक्त होने के पश्चात, दिनांक 20 सितंबर 2020 से कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक थे, जिनका कार्यकाल भी दिनांक 7 मार्च 2021 को समाप्त हो गया। इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

मंत्रालय द्वारा और अंतत् डीपीई द्वारा किया जाता है।

## 3.7. निदेशकों का पारिश्रमिकः

सरकारी कंपनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा पूर्व–निर्धारित औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों तथा सरकार द्वारा जारी की गई उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

निदेशक मंडल में नामित अंशकालिक सरकारी निदेशक को निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों के रूप में सरकार से केन्द्रीय मंहगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों के अधीन पारिश्रमिक मिलता है।

स्वतंत्र निदेशकों (गैर कार्यपालक) को निदेशक मंडल और इसकी समिति बैठकों के लिए शुल्क का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए 30,000 रूपए तथा बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थिति होने के लिए 20,000 रूपए का भुगतान किया जा रहा है।

क. 2020–21 के लिए पूर्णकालीन निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज पर प्रकटन

(₹ में )

| क्र.सं | पारिश्रमिक का विवरण | निदेशक का नाम एवं पदनाम | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | श्री एस.के. चौधरी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | श्री एम. के. सिंह, निदेशक (वित्त) | श्री योगेश कुमार मिश्र, निदेशक (कार्य) | श्री श्याम लाल गुप्ता, निदेशक (परियोजना) |
| 1 | **सकल वेतन** | | | | |
| क) | आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन | 43,49,478 | 42,09,084 | 31,30,130 | 42,17,817 |
| ख) | आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 17(2) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य | 10,18,590 | 9,00,202 | 8,14,466 | 8,66,487 |
| ग) | आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ | | | | |
| 2 | स्टॉक ऑप्शन | | | | |
| 3 | स्वेट इक्विटी | | | | |
| 4 | कमिशन | | | | |
| 5 | अंन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें | | | | |
| | –निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन | 25,07,721 | 18,82,060 | 12,98,894 | 10,94,425 |
| | –सेवानिवृत्ति लाभ | 6,92,420 | 6,69,773 | 6,23,676 | 6,68,940 |
| | **कुल** | **85,68,209** | **76,61,118** | **66,87,677** | **69,04,937** |

ख. वर्ष 2020–21 के दौरान स्वतंत्र निदेशक (अंशकालीन गैरसरकारी) निदेशकों को किए गए भुगतान का ब्यौराः

(₹ में )

| स्वतंत्र निदेशकों/अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों के नाम | बैठक शुल्क | | कुल (रूपए में) |
|---|---|---|---|
| | बोर्ड बैठकें | समिति बैठकें | |
| डॉ. बालसत्य वंकटरमण चित्ता (दिनांक 19.09.2020 तक) | 1,20,000 | 1,80,000 | 3,00,000 |
| डॉ नरेन्द्र सिंह रैना (दिनांक 19.09.2020 तक) | 90,000 | 20,000 | 1,10,000 |
| श्री अशोक कुमार गंजू (दिनांक 07.03.2021 तक) | 2,70,000 | 2,80,000 | 5,50,000 |

## 4. वार्षिक साधारण बैठक

**4.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक तथा असाधारण आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:**

| वित्तीय वर्ष | बैठक की तिथि | समय | स्थल/स्थान |
|---|---|---|---|
| 2019-20 (44वीं एजीएम) | 29 सितंबर 2020 | 1130 बजे | वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से (पंजीकृत कार्यालय को बैठक स्थल माना गया) |
| 2018-19 (43वीं एजीएम) | 3 सितंबर 2019 | 1000 बजे | एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली–110010 |
| 2017-18 (42वीं एजीएम) | 14 सितंबर 2018 | 1600 बजे | रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली |
| 2017-18 (8वीं ईजीएम) | 21 दिसंबर 2017 | 1330 बजे | रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली |
| 2017-18 (7वीं ईजीएम) | 22 मई 2017 | 1200 बजे | तीसरा तल, सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 |

**पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों में पारित विशेष संकल्पों का ब्यौराः**

| सामान्य बैठक की तिथि | पारित विशेष संकल्पों का ब्यौरा |
|---|---|
| 14 सितंबर 2018 (एजीएम) | कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 180 (1)(ग) के अंतर्गत ऋण शक्तियों में संधोधन और कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 180 (1)(क) के अंतर्गत ऋण के संबंध में संरक्षा प्रदान करना। |
| 21 दिसंबर 2017 (ईजीएम) | कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी के संगम अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। |
| 22 मई 2017 (ईजीएम) | 1. कंपनी के समझौता ज्ञापन में संशोधन।<br>2. कंपनी के संगम अनुच्छेदों में संशोधन ताकि कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करके इसे 100 करोड़ रूपए से 400 करोड़ रूपए किया जा सके! |

### 4.2 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित विशेष संकल्प

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प परित नहीं किया गया है।

### 4.3 पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प प्रस्तावित नहीं है।

## 5. सम्प्रेषण के माध्यम

कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, साधारण बैठकों तथा वेबसाइट के माध्यम से अपने प्रकटनों द्वारा सम्पेषण करती है। कंपनी के संबंध में सूचना, नवीनतम अद्यतन तथा घोषणाओं को इरकॉन की वेबसाइट www.ircon.org पर देखा जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं शामिल हैं:

- तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- तिमाही शेयरधारक पैटर्न।
- तिमाही निगमित शासन रिपोर्ट।
- विश्लेषकों द्वारा सम्मेलनों का ट्रांसक्रिप्ट।
- समय–समय पर स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सूचनाएं।
- कंपनी के आधिकारिक समाचार, अन्य प्रेस कवरेज, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के लिए प्रस्तुतीकरण।
- कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी तथा आरटीए का ई–मेल आईडी वेबसाइट में ''इन्वेस्टर रिलेशन'' → इन्वेस्टर कॉन्टेक्ट शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है, जिसे विशिष्ट रूप से निवेशकों को अपनी शिकायतें पंजीकृत करने के लिए बनाया गया है।

कंपनी विश्लेषकों की ब्रिफिंग के संयोजन के माध्यम से तथा व्यक्तिगत चर्चाओं के द्वारा संस्थागत शेयरधारकों के साथ सम्प्रेषण करती है और समय–समय पर निवेशक सम्मेलनों में भी भाग लेती है। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात कॉन्फरेंस कॉलों के माध्यम से वित्तीय परिणामों पर चर्चा की जाती है।

**वर्ष 2020–21 के दौरान, तिमाही, अर्ध वार्षिक तथा वार्षिक परिणाम प्रकाशित किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:**

| तिमाही | समाचारपत्र |
|---|---|
| दिनांक 30.06.2020 को समाप्त पहली तिमाही | फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी) |
| दिनांक 30.09.2020 को समाप्त दूसरी तिमाही और अर्धवार्षिक | फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी) |
| दिनांक 31.12.2020 को समाप्त तीसरी तिमाही और नवां महीना | फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी) |
| दिनांक 31.03.2021 को समाप्त चौथी तिमाही और समाप्त वर्ष | फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी) |

## 6. सामान्य शेयरधारक सूचना

### 6.1 चालू वर्ष की वार्षिक साधारण बैठक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

**दिन तथा तिथि** : शुक्रवार 24 सितम्बर 2021

**समय** : 12:30 बजे

**स्थान** : कंपनी का पंजीकृत कार्यालीय, सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017

### 6.2. वित्तीय वर्ष

कंपनी का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च है।

### 6.3 बुक क्लोजर

कंपनी के सदस्यों और शेयर अंतरण बहियों का रजिस्टर शनिवार, 18 सितंबर 2021 से शुक्रवार, 24 सितंबर 2021 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेगा।

### 6.4. लाभांश का भुगतान

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 159.89 करोड़ रूपए की राशि के प्रति 2 रूपए फेस मूल्य के प्रति शेयर 1.70 रूपए (188.10 करोड़ रूपए के प्रदत्त शेयर पूंजी का 85 प्रतिशत) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो क्रमशः फरवरी और मार्च 2021 में घोषित और भुगतान किए गए प्रति 10 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 1.30 रूपए के अंतरिम लाभांश (94.50 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 65 प्रतिशत), जो कि 61.13 करोड रूपए है, के अतिरिक्त है।

इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान भौतिक शेयरों के संबंध में कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित नामों वाले सदस्यों को लाभार्थी स्वामी के रूप में भुगतान किया जाएगा और डीमेटिरियलाइस्ड शेयरों के मामले में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी स्वामित्व विवरण में प्रदर्शित होने वाले नामों को इसका भुगतान 12.10.2021 को व्यवसाय समय के समापन पर किया जाएगा।

### 6.5. लाभांश इतिहास

पिछले आठ वर्षों के दौरान इरकॉन द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का ब्यौरा निम्नानुसार सारबद्ध है:

| वर्ष | कुल प्रदत्त पूंजी (रु. करोड़ में) | प्रदत्त लाभांश की कुल राशि (रु. करोड़ में) | बोर्ड बैठक'/एजीएम की तिथि जिसमें लाभांश की घोषणा की गई थी | अंतरित/अंतिम | लाभांश का भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 19.796 | 148.47<br>(₹ 75 प्रति शेयर) | 30.01.2013*<br>03.09.2013 | अंतरिम<br>अंतिम | 25.02.2013<br>27.09.2013 |
| 2013-2014 | 19.796 | 182.12<br>(₹ 92 प्रति शेयर) | 31.01.2014*<br>25.09.2014 | अंतरिम<br>अंतिम | 25.02.2014<br>17.10.2014 |
| 2014-2015 | 19.796 | 182.12<br>(₹ 92 प्रति शेयर) | 28.01.2015*<br>22.12.2015 | अंतरिम<br>अंतिम | 24.02.2015<br>18.01.2016 |
| 2015-2016 | 19.796 | 168.26<br>(₹ 85 प्रति शेयर) | 19.02.2016*<br>28.09.2016 | अंतरिम<br>अंतिम | 14.03.2016<br>21.10.2016 |
| 2016-2017 | 19.796+79.184#<br>19.796+79.184#<br><br>19.796+79.184# | 79.05<br>16.10<br><br>97.25 | 20.01.2017*<br>23.03.2017*<br><br>28.09.2017 | अंतरिम<br>अतिरिक्त अंतरिम<br>अंतिम | 14.02.2017<br>27.03.2017<br><br>24.10.2017 |
| 2017-2018 | 94.05 | 192.40<br>(₹ 20.46 प्रति शेयर) | 20.03.2018*<br>14.09.2018 | अंतरिम<br>अंतिम | 28.03.2018<br>10.10.2018 |
| 2018-2019 | 94.05 | 202.64<br>(₹ 21.54 प्रति शेयर) | 07.02.2019*<br>28.05.2019 | अंतरिम<br>अंतिम | 26.02.2019<br>18.09.2019 |
| 2019-2020 | 94.05 | 223.48<br>(प्रति शेयर)$ | 11.02.2020*<br>10.07.2020 | अंतरिम<br>अंतिम | 03.03.2020<br>14.10.2020 |
| 2020-2021 | 94.05 | 61.13<br>(₹ 1.30 प्रति शेयर**) | 15.02.2021 | अंतरिम | 03.03.2021 |
| | 188.10*** | 159.89<br>(₹ 1.70 प्रति शेयर**) | 12.08.2021 | अंतिम | 12.10.2021 |

** बोर्ड बैठक की तिथि जिसमें अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई थी।*

***2 रूपए के फेसमूल्य पर।*

**** 1:1 के अनुपात में बोनस जारी करने के पश्चात, दिनांक 23.05.2021 से प्रदत्त पूंजी 94.05 करोड़ रूपए से बदलकर 188.10 करोड़ रूपए हो गई है।*

*#अंतरिम, अतिरिक्त अंतरिम तथा अंतिम लाभांश का भुगतान 79.184 करोड़ रूपए के बोनस शेयर पूंजी (दिनांक 05.01.2017 को आवंटित बोनस शेयरों पर आनुपातिक रूप से 70 दिनों के लिए) पर किया गया था।*

*$अंतरिम लाभांश प्रति 10 रूपए के फेस मूल्य पर 13.45 रूपए प्रतिशेयर की दर से भुगतान किया गया था और अंतिम लाभांश प्रति 2 रूपए के फेस मूल्य पर 2.06 रूपए प्रति शेयर की दर से भुगतान किया गया था।*

### 6.6 लाभांश वितरण नीति:

कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लाभांश वितरण निति विद्यमान है। इस नीति का उद्देश्य व्यापक स्तर पर उन मापदंडों (बाहरी और आंतरिम कारक) को निर्धारित करना है, जिन पर लाभांश की घोषणा के समय विचार किया जाएगा और परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर/नहीं कर सकते हैं और प्रतिधारित आमदनी का उपयोग किस प्रकार किया जाए। इस नीति को बोर्ड रिपोर्ट की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

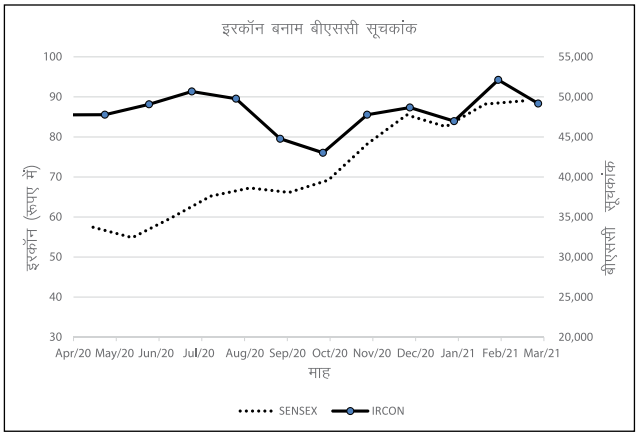
### 6.7 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण:

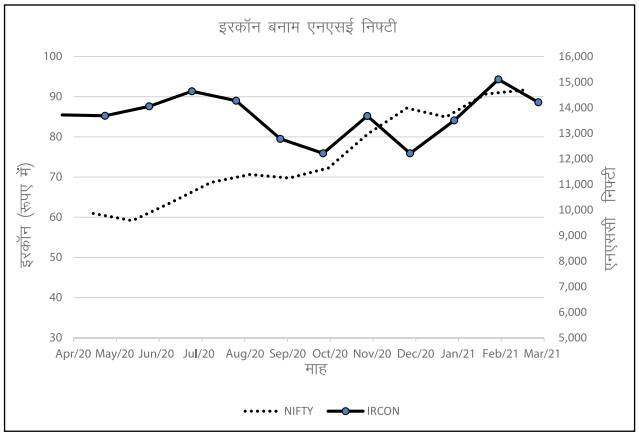
कंपनी दिनांक 28.09.2018 को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड को किया गया है। कंपनी का आईएसआईएन INE962Y01021 है।

| नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड | बीएसई लिमिटेड |
|---|---|
| एक्सचेंज प्लाजा, प्लाट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला काम्पलैक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई– 400 051 | फिरोज जीजीभोए टावर्स |
| स्क्रिप्ट कोड :IRCON | स्क्रिप्ट कोड: 541956 |

### 6.8 वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए इरकॉन के शेयरों का बाजार मूल्य के आंकडे

| माह | एनएसई | | | | बीएसई | | | | सूचकांक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उच्चतम | निम्नतम | समापन | मात्रा | उच्चतम | निम्नतम | समापन | मात्रा | एनएसई निफ्टी | बीएसई सेंसेक्स |
| | (रूपए में) | | | (करोड़ रूपए में शेयरों की संख्या ) | (रूपए में) | | | (करोड़ रूपए में शेयरों की संख्या ) | | |
| अप्रैल-20 | 399.00 | 79.10 | 85.45 | 21,169,784 | 398.25 | 79.45 | 85.50 | 1,446,260 | 9,859.90 | 33,717.62 |
| मई-20 | 92.00 | 81.75 | 85.25 | 13,965,792 | 91.80 | 81.95 | 85.55 | 1,024,632 | 9,580.30 | 32,424.10 |
| जून-20 | 98.30 | 83.70 | 87.60 | 23,913,867 | 98.25 | 84.00 | 88.15 | 1,691,113 | 10,302.10 | 34,915.80 |
| जुलाई-20 | 105.45 | 85.00 | 91.35 | 54,436,682 | 105.45 | 85.05 | 91.35 | 3,366,997 | 11,073.45 | 37,606.89 |
| अगस्त-20 | 100.70 | 88.60 | 89.00 | 30,994,947 | 100.70 | 88.75 | 89.55 | 2,420,073 | 11,387.50 | 38,628.29 |
| सितंबर-20 | 90.90 | 77.45 | 79.50 | 18,241,001 | 91.00 | 77.45 | 79.55 | 1,626,404 | 11,247.55 | 38,067.93 |
| अक्तूबर-20 | 82.50 | 72.75 | 75.90 | 11,383,195 | 82.50 | 72.80 | 76.05 | 1,085,063 | 11,642.40 | 39,614.07 |
| नवंबर-20 | 86.95 | 74.00 | 85.20 | 11,298,769 | 86.80 | 74.10 | 85.55 | 1,210,127 | 12,968.95 | 44,149.72 |
| दिसंबर-20 | 82.50 | 72.75 | 75.90 | 11,383,195 | 96.05 | 80.00 | 87.35 | 2,243,258 | 13,981.75 | 47,751.33 |
| जनवरी-21 | 94.15 | 82.55 | 84.10 | 35,350,145 | 94.20 | 82.75 | 83.95 | 2,643,959 | 13,634.60 | 46,285.77 |
| फरवरी-21 | 108.50 | 83.20 | 94.30 | 90,540,202 | 108.40 | 83.50 | 94.25 | 7,272,479 | 14,529.15 | 49,099.99 |
| मार्च-21 | 100.65 | 79.35 | 88.60 | 168,217,393 | 100.70 | 79.40 | 88.35 | 12,706,005 | 14,690.70 | 49,509.15 |



**6.9 कंपनी की प्रतिभूतियां वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ट्रेडिंग से निलंबित नहीं की गई हैं।**

**6.10 शेयरों का रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट**

**केफिन टैक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड**
**(पूर्व में कर्वी फिनटैक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)**
**कार्पोरेट रजिस्ट्री, कार्वी सेलेनियम, टावर–बी,**
**प्लॉट सं. 31 व 32, फाइनाशियल डिस्ट्रिक्ट,**
**नानकरंगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,**
**हैदराबाद–500032, भारत**
**टोलफोन नं 18003454001**
**ईमेल :** einward.ris@karvy.com

**6.11 शेयरों का अंतरण**

कार्वी फिनटैक प्राइवेट लिमिटेड भौतिक और डीमेट शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट है और नेशनल सिक्योरिटी प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों के लिए कंपनी का डिपाजिटरी इंटरफेस भी है। निदेशक मंडल ने शेयरों के रिमेटिरियलाइजेशन/विभाजन/दोहरीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर शेयर प्रमाणपत्र जारी करने और इन प्रमाणपत्रों पर अध्याक्षर/फेसिमिल हस्ताक्षर करने और सामान्य मोहर लगाने के लिए किसी एक पूर्णकालीन निदेशक तथा कंपनी सचिव (या कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में कोई दो पूर्णकालीन निदेशक) को प्राधिकृत किया है।

दिनांक 8 जून 2018 के सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2018/24 की तर्ज पर, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि दिनांक 01.04.2019 से प्रतिभूतियों/शेयरों के अंतरण को प्रभावी बनाने के अनुरोध पर तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी, जबतक वे प्रतिभूतिया डीमेट रूप में न हों, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां प्रतिभूतियों/शेयरों का ट्रांसमिशन या ट्रांस्पोजिशन शामिल हो। इस संदर्भ में, दिनांक 01.04.2019 से केवल डीमेट रूप में शेयरों के धारण के संबंध में शेयरधारकों को सूचित करने के लिए कंपनी की वेबसाइट में एक नोटिस डाला गया है।

भौतिक सेगमेंट के शेयर अंतरण की सम्पूर्ण गतिविधियों को आरटीए द्वारा निष्पादित किया जाता है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 7(3) के अंतर्गत यथापेक्षित अर्धवार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र, अनुपालन अधिकारी तथा शेयर अंतरण एजेंट द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित रूप में स्टाक एक्सचेंज में प्रस्तुत किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 40(9) के अनुसरण में, अर्धवार्षिक आधार पर इस पुष्टि पर प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र कि सभी प्रमाणपत्रों को अंतरणों, उप–डिविजन, समेकन, नवीकरण विनिमय या पृष्ठांकन के कॉलों/आवंटन राशियों के लिए लॉजमेंट की तिथि से तीस दिन के भीतर जारी कर दिए गए हैं और इन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत कर दिया गया है। हालांकि वर्ष 2020–21 के दौरान शेयर के अंतरण, सब–डिविजन, समेकन, नवीकरण, कॉलों/आवंटन राशियों के विनिमय या पृष्ठांकन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

**31 मार्च 2021 को शेयरधारण का संवितरण**

**क. 31 मार्च 2021 को होल्डिंग के आकार के अनुसार शेयरों का संवितरण**

| धारित इक्विटी शेयर/शेयरों की संख्या | | | शेयरधारकों की संख्या | शेयरधारकों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | शेयरधारण का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 500 | 163182 | 88.15 | 2,18,60,794 | 4.65 |
| 501 | – | 1000 | 10950 | 5.91 | 90,37,898 | 1.92 |
| 1001 | – | 2000 | 5369 | 2.90 | 82,79,260 | 1.76 |
| 2001 | – | 3000 | 2802 | 1.51 | 68,50,577 | 1.46 |
| 3001 | – | 4000 | 667 | 0.36 | 23,97,008 | 0.51 |
| 4001 | – | 5000 | 663 | 0.36 | 31,71,641 | 0.67 |
| 5001 | – | 10000 | 848 | 0.46 | 63,20,262 | 1.34 |
| 10001 | – | 20000 | 312 | 0.17 | 44,15,372 | 0.94 |
| 20001 | – | 30000 | 114 | 0.06 | 28,24,241 | 0.60 |
| 30001 | – | 40000 | 45 | 0.02 | 15,79,142 | 0.34 |
| 40001 | – | 50000 | 34 | 0.02 | 15,94,256 | 0.34 |
| 50001 | – | 100000 | 53 | 0.03 | 37,37,957 | 0.79 |
| 100001 and above | | | 85 | 0.05 | 39,81,89,462 | 84.67 |
| **कुल** | | | **185124** | **100.00** | **470257870** | **100.00** |

**ख. 31 मार्च 2021 को शेयरधारण पैटर्न**

| श्रेणी | धारित शेयरों की संख्या | कुल शेयरों का प्रतिशत |
|---|---|---|
| **प्रमोटर शेयरधारित** | | |
| भारत के राष्ट्रपति | 34,41,50,825 | 73.18 |
| **उपकुल (1)** | **34,41,50,825** | **73.18** |
| **गैर प्रमोटर शेयरधारित** | | |
| म्युचुवल फंड | 6,80,173 | 0.15 |
| वित्तीय संस्थान/बैंक | 8,79,450 | 0.18 |
| विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक | 74,97,106 | 1.60 |
| निगमित निकाय | 2,71,42,987 | 5.77 |
| रेसिडेंट व्यक्ति | 7,20,46,856 | 15.31 |
| अन्य | 1,78,60,473 | 3.80 |
| **उपकुल (2)** | **12,61,07,045** | **26.82** |
| **कुल (1+2)** | **47,02,57,870** | **100.00** |

**ग. कंपनी के शेयरों की 1 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारक:**

| श्रेणी और शेयरधारकों का नाम | 31 मार्च 2021 | |
|---|---|---|
| | वोटिंग प्रतिशत | धारित शेयरों की संख्या |
| **प्रमोटर और प्रमोटर समूह** | | |
| भारत के राष्ट्रपति | 73.18 | 34,41,50,825 |
| **गैर प्रमोटर – निकाय निगम** | | |
| राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीस प्राइवेट लिमिटेड | 1.38 | 65,00,000 |

**घ. भारत सरकार द्वारा शेयरों का विनिवेश**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर) ने रेल मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से 3 मार्च 2021 और 4 मार्च 2021 को कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 16 प्रतिशत (यथा, 7,52,41,260 इक्विटी शेयर) बिक्री हेतु ऑफर के माध्यम से विनिवेश किया है।

## 6.12 शेयरों और लिक्विडिटी का डीमेटीरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमेटिरियलाइज रूप में हैं और दोनों ही डिपोजिटिरीस यथा नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटिरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) में स्वीकृत हैं।

पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त कंपनी की शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का विनियोजन निर्धारित समयसीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों में जमा करा दिया गया है।

दिनांक 31.03.2021 को डीमेटिरियलाइस्ड तथा भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

| श्रेणी | शेयरों की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| भौतिक | 586 | नगण्य |
| **डीमेट** | | |
| एनएसडीएल के साथ | 42,19,39,308 | 89.73 |
| सीडीएसएल के साथ | 4,83,17,976 | 10.27 |
| **कुल** | **47,02,57,870** | **100** |

## 6.13 बकायां जीडीआर/एडीआर:

दिनांक 31 मार्च 2021 को कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट/परिवर्तनीय अभिलेख बकाया नहीं है।

## 6.14 कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी विनिमय जोखिम या हैजिंग गतिविधियां:

विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने से विदेशी विनिमय जोखिम बना रहता है और मुद्रा के विनिमय से पूर्व विनिमय दर में प्रतिकूल रूप से परिवर्तन होने का जोखिम रहता है। विदेशी विनिमय जोखिम को न्यूनतम करने या समाप्त करने के लिए, इन विनिमय दर उच्चावचनों की निरंतर निगरानी की जाती है और उपयुक्त समय में सरप्लस निधि को विनिमयित/भारत में वापस लाया जाता है। तथापि, यहां कोई विनिमय उच्चावचन जोखिम शामिल नहीं हैं क्योंकि आवक और जावक दोनों एक ही विदेशी मुद्रा में हैं। इससे चालू विदेशी उच्चावचन जोखिम के प्रति स्वतः हैजिंग उपलब्ध हो जाती है।

## 6.15 संयंत्र अवस्थिति/प्रचालनिक इकाइयां

कंपनी का मुख्यालय साकेत, नई दिल्ली में है और भारतवर्ष में अपने व्यवसायिक प्रचालनों को सहयोग प्रदान करने और इनके प्रबंधन के लिए 43 परियोजना कार्यालय तथा 04 क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा विदेश में श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और अल्जीरिया में 04 परियोजना कार्यालय हैं।

प्रचालन इकाइयों/कार्यालयों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## 6.16 पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्राचार का पता निम्न है

(इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल निगमित शासन मामलों के संबंध में) :

सुश्री रितु अरोड़ा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110007
टेलीफोन : 91-11-26530456,
फैक्स: 91.11.26522000 / 26854000
ई–मेल : investors@ircon.org,
वेबसाईट: Website: www.ircon.org.

### 6.17 कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंगों की सूची

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न ऋण माध्यमों के लिए प्रदान की गई क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार है:

**माध्यम:** दीर्घकालीन / अल्पकालन बैंक सुविधाएं

**रेटिंग एजेंसी:** केयर

**रेटिंग** : केयर एएए, स्टेबल / केयर ए1+ (ट्रिपल ए; आउटलुक; स्थिर / ए वन प्लस)

**आउटलुक** : स्थिर

## 7. प्रकटन

### 7.1. संबंधित पक्ष संव्यवहार

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में प्रकटनों को छोड़कर महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहार, विशिष्ट संव्यवहारों या कंपनी व निदेशकों, प्रबंधन, सहायक कंपनियों या संबंधितयों के बीच संबंध नहीं है, और यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–134 के अंतर्गत अपेक्षित शर्तों में बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अनुसार है।

व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में संबंधित पक्ष के साथ संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर है और इससे संबंधित प्रकटन कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा फॉर्म एओसी–2), सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तथा संगत लेखांकन मानकों (कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट में) की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

कंपनी ने अधिनियम और सूचीकरण विनियमों के आधार पर संबंधित पक्ष संव्यवहारों के लिए सामग्रीगत रुकावटों से निपटने और कंपनी व इसके संबंधित पक्षों के बीच संव्यवहारों से निपटने की विधि हेतु संबंधित पक्ष संव्यवहार (आरपीटी) नीति निर्धारित की है।

यह आरटीपी नीति लिंक:

http://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Ite mid=606&lang=en पर उपलब्ध है।

### 7.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश से संबंधित किसी विषय पर किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए गैर अनुपालन / दंड या प्रतिबंध।

यहां किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन का कोई मामला नहीं है और ना ही सरकार द्वारा जारी पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या दिशानिर्देश के संबंध में कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

### 7.3 आचार सहिंता

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तथा कम्पनी के लिए समग्र रूप से आधारभूत मूल्य विद्यमान हैं। ये संहिता और आधारभूत मूल्य 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी हैं तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org में शामिल किया गया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा संलग्नक ''ड.–1'' पर उपलब्ध है।

### 7.4 आंतरिक ट्रेडिंग के निवारण के लिए उचित प्रकटन हेतु आचार सहिंत

सेबी (आंतरिक ट्रेडिंग निवारण) अधिनियम, 2015 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में, इरकॉन के बोर्ड ने इरकॉन की प्रतिभूतियों के साथ संव्यवहार में आंतरिक ट्रेडिंग के निवारण के लिए आचार संहिता को अनुमोदित किया हो ताकि कंपनी के आंतरिक लोग कंपनी के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार वह आंतरिक सूचना बन जाती है, पर पहुंच प्राप्त करके किसी प्रकार का लाभ प्राप्त न कर सकें या किसी अन्य को किसी प्रकार का लाभ प्रदान न करा सकें।

### 7.5. विसल ब्लोवर नीति

कंपनी व्यावसाय, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानक को स्वीकार करके नैतिकतापूर्ण और विधिक रूप से कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और स्टेकधारकों सहित अपने सभी स्टेकधारकों के साथ अपना व्यवसाय और कार्य के संचालन में विश्वास रखती है।

कंपनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति वाली विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के लिए ऐसा तंत्र विद्यमान है जिसके द्वारा वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या आशंकित जालसाजी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना को लीक करने की घटनाओं से संबंधित मामलों को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस नीति में उन कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान विद्यमान हैं, जिन्होंने इस तंत्र को अपनाया है। इस नीति के अंतर्गत शिकायतें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को संबोधित की जाएंगी या आपवादिक मामलों

में यथा ई–9 ग्रेड के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें, या जहां शिकायतकर्ता को उत्पीड़न का डर हो, वहां लेखापरीक्षा समिति को शिकायत भेजी जा सकती है। बोर्ड स्तर के कार्यपालक के विरुद्ध शिकायतों को आगे की कार्रवाई हेतु रेल मंत्रालय के सतर्कता निदेशालय, भारत सरकार को भेजी जाएगी।

### 7.6. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने यथा संशोधित सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। कंपनी निदेशकों के रिक्त पदों के कारण बोर्ड की संरचना के संबंध में गैर अनुपालित है क्योंकि नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय (यथा रेल मंत्रालय) द्वारा की जाती है। इसमें कंपनी की कोई भूमिका नहीं है। और कंपनी ने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशकों सहित) और सरकारी नामित निदेशक की अपेक्षित संख्या के लिए रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया है।

### 7. वेब लिंक जहां सामग्रीगत सहायक कंपनियों के प्रकटन का निर्धारण होता है:

https://www.ircon.org/images/file/cosecy/Policy%20on%20Material%20Subsidiaries.pdf

वर्तमान में कंपनी की निम्नलिखित पांच पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां है।

(क) इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)

(ख) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

(ग) इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)

(घ) इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)

(ड.) इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल)

(च) इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन जीआरएचएल)

**महत्वपूर्ण सहायक कंपनी:** वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल) कंपनी एम महत्वपूण सहायक कंपनी है। यह कंपनी सूचीकरण विनियमों के विनियमन–24क के अनुपालन में है। कंपनी की गैर–सूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी यथा इरकॉनवीकेईएल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए इरकॉन वीकेईएल की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति, रिपोर्ट के अवलोकन हेतु प्रबंधन के उत्तर के साथ अनुलग्नक ई–2 के रूप में संलग्न है।

### 7.8 वर्ष के दौरान, प्रेफरेशिंयल एलोटमेंट या अर्हक संस्थान प्लेसमेंट के माध्यम से कोई निधि एकत्र नहीं की गई है।

### 7.9 सांविधिक लेखापरीक्षक शुल्क:

उसमें सांविधिक लेखापरीक्षक को समेकित आधार पर कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रदत्त समग्र सेवा हेतु कुल शुल्क शामिल है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को समेकित आधार पर किए गए भुगतानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में )

| क्र.सं | शुल्क का विवरण | रूपए |
|---|---|---|
| 1 | लेखापरीक्षा शुल्क | 0.30 |
| 2 | कर लेखापरीक्षा शुल्क | 0.09 |
| 3 | तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क | 0.17 |
| 4 | प्रमाणपत्र शुल्क | 0.03 |
| 5 | यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट व्यय:<br>क) यात्रा व्यय<br>ख) आउट ऑफ पॉकेट व्यय | <br><br>0.01<br>0.01 |
| | **सकल राशि** | **0.61** |

### 7.10 निदेशकों की अनर्हता के लिए प्रमाणपत्र

प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्ति होने या बने रहने के लिए बोर्ड/कंपनी कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित या अनर्हक नहीं किया गया है, अनुबंध–ड.3 पर संलग्न है।

### 7.11 वर्ष 2020–21 के लिए महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन:

| वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या | वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|
| – | – | – |

### 7.12 डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के साथ अनुपालन का ब्यौरा

वर्ष 2019–20 के दौरान डीपीए निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई ने इरकॉन को ''उत्कृष्टता'' ग्रेड प्रदान किया है।

डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व–मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन ने वर्ष 2020–21 के लिए 100 में से 100 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

### 7.13 पिछले तीन वर्षों के लिए राष्ट्रपति के निदेशः

रेल मंत्रालय ने आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से कंपनी में अपनी शेयरधारिता के विनिवेश के अपने निर्णय की सूचना दी है। तदनुसार, भारत सरकार ने आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से कंपनी में अपनी शेयरधारिता के 10.53 प्रतिशत (99,05,157 इक्विटी शेयरों) का विनिवेश किया है और दिनांक 28 सितंबर 2018 को कंपनी बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हुई थी।

इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 और दिनांक 03.08.2018 के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसरण में, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्रक कंपनी, जिसके पास 25 प्रतिशत से कम की सार्वजनिक धारिता है, वह दो वर्ष की अवधि के भीतर यथा अगस्त 2020 तक अपनी सार्वजनिक धारिता को कम से कम 25 प्रतिशत तक बढाएगा (ब्यौरे के लिए कृपया निदेशक की रिपोर्ट के पृष्ठ 95 का संदर्भ लें)। तदनुसार, भारत सरकार ने 3 मार्च 2021 और 4 मार्च 2021 को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से बिक्री के प्रस्ताव द्वारा कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (यथा 7,52,41,260 इक्विटी शेयर) के 16 प्रतिशत का विनिवेश किया है।

### 7.14 लेखा बहियों के नामे किए गए व्यय की मदें, व्यवसाय के प्रयोजन में नहीं हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसायिक प्रयोजनों से इतर व्यय की किसी भी मद को लेखों की लेखा बहियों में नामे नहीं किया गया है।

### 7.15 व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और निदेशक मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (इस रिपोर्ट के पैरा–3.2.4 में दिए गए विवरण तथा वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट सं 33(ख) में भी प्रकटित) के अनुसार पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

### 7.16 वित्तीय व्ययों की तुलना में कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय का ब्यौरा तथा वृद्धि के कारण।

वित्तीय व्यय तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अन्य व्यय एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2020–21 | 2019–20 | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|
| अन्य व्यय (प्रशासनिक) (करोड़ रूपए में) | 42.71 | 41.88 | – |
| बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार (करोड़ रूपए में)* | 13.50 | 25.90 | |
| कुल व्यय (करोड़ रूपए में) | 4626.29 | 4769.15 | |
| प्रशासनिक व्यय/कुल व्यय(प्रतिशत में) | 0.92 | 0.88 | |
| बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में) | 0.29 | 0.54 | |

**वित्तीय साधनों के शोधन पर ब्याज, वित्तीय साधनों के परिशोधन तथा प्रावधानों के शोधन पर छूट को छोड़कर।*

**7.17** सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46 के उप विनियम(2) के खंड (ख) से (ट) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

**7.18** डिमेट औचक अदावा औचक खाता के संबंध में प्रकटनः वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी के पास डीमेट उचंत खाते या अदावित उचंत खाते में कोई शेयर नहीं हैं।

### 7.19 अदावित लाभांश

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण के लिए कोई राशि देय नहीं है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31 मार्च 2021 को दावा न किए गए लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट की इस लिंक पर उपलब्ध हैः निवेशक संबंध>> नोटिस और अन्य घोषणाएं>> लाभांश।

### 7.20 समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना

बोर्ड की समितियों की सिफारिशों पर मुद्दों पर निर्णय लेते समय बोर्ड द्वारा विचार किया गया है।

## 8. लेखापरीक्षा अर्हताएं

लेखापरीक्षा अर्हताओं के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर सनदी लेखाकार मैसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ लें। लेखापरीक्षा रिपोर्ट गैर–आशोधित है।

## 9. विभेदकारी अपेक्षाएं:

9.1. बोर्डः कंपनी के प्रमुख एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं।

9.2. शेयरधारक अधिकारः 30 सितंबर 2020 को समाप्त अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को दिनांक 12 नवंबर 2020 को फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस तथा जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित किया गया था और इन्हें कंपनी की वेबसाई पर भी डाला गया था। तथापि, शेयरधारकों को पृथक अर्धवार्षिक रिपोर्ट

नहीं भेजी गई है। महत्वपूर्ण घटनाओं और स्टाक एक्सचेंजों की सूचनाओं को कंपनी की वेबसाईट में प्रकट किया गया है।

9.3. आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंगः आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

## 10 सीईओ/सीएफओ प्रमाणन द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र 30.06.2021 को आयोजित बोर्ड की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इसे इस रिपोर्ट के अनुबंध–ड.4 में संलग्न किया गया है।

## 11. अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2020–21 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में उजगार किए गए आंकड़ों के सबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के संलग्नक ड.–5 पर उपलब्ध है।

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

ह0/–

**(मुकेश कुमार सिंह)**
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
सीईओ एवं निदेशक (वित्त)
(डीआईएनः 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2021

---

**अनुबंध–ड 1**

## वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, मुकेश कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक(एल/ए), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबन्धन दल द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी की आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अभिपुष्टि की गई है।

ह0/–

**(मुकेश कुमार सिंह)**
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
सीईओ एवं निदेशक (वित्त)
(डीआईएनः 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.06.2021

# फार्म सं. एमआर–3

## सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2013 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

**सेवामें,**
**सदस्य,**
**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड,**
**सीआईएनः यू74999डीएल2018जीओआई334028**
**प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,**
**नई दिल्ली–110017**

मैं, शोभित वशिष्ठ, प्रोप्राइटर, वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स ने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड** (जिसे यहां आगे **''कंपनी''** कहा जाएगा), जिसका पंजीकृत कार्यालय **प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017** में है, द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः **(कंपनी पर लागू नहीं)**

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1966 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप–नियमः **(कंपनी पर लागू नहीं)**

(iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम (लागू स्तर तक) : **(कंपनी पर लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम (''सेबी अधिनियम'') 1992 के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011 : **(कंपनी पर लागू नहीं)**

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 : **(कंपनी पर लागू नहीं)**

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 : **(कंपनी पर लागू नहीं)**

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 : **(कंपनी पर लागू नहीं)**

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 : **(कंपनी पर लागू नहीं)**

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2008 : **(कंपनी पर लागू नहीं)।**

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 व इसमें किए गए संशोधन और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है : (**कंपनी पर लागू नहीं**)।

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009 : **(कंपनी पर लागू नहीं)**।

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018 : **(कंपनी पर लागू नहीं)**।

(vi) मैं आगे सूचित करता हूं कि कंपनी में विद्यमान अनुपालन प्रणाली के संबंध में, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच पर ज्ञात होता है कि कंपनी ने उसपर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:–

(क) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) केंद्रीय नियम, 1998

(ख) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

(ग) पर्यावरण कानून, जैसा लागू हो

(घ) समीक्षाधीन अवधि के लिए श्रम कानूनों जैसे भविष्य निधि, ईएसआई/ईपीएफ, उपदान भुगतान अधिनियम आदि सहित अन्य लागू कानून।

मैने निम्नलिखित के अनुपालन की भी जांच की है।

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. दिनांक 14 मई 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18(8)/2005–जीएम के तहत (लोक उपक्रम विभाग) द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन दिशानिर्देश।

(हालांकि, यह ज्ञात है कि चूंकि कंपनी को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित किया गया है, इसलिए इसे का.ज्ञा. दिनांक 11 जुलाई 2019 और 8 जुलाई 2014 के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों की त्रैमासिक रिपोर्ट और अन्य अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु छूट प्राप्त है।)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित स्तर को छोड़कर उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है –

***कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के तहत कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।***

*नोटः कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए ई–फॉर्म एमजीटी –14 दाखिल नहीं किया है। हालाँकि, आज की तारीख कों, कंपनी द्वारा इस तरह की चूक को ठीक कर दिया गया है क्योंकि कंपनी ने ई–फॉर्म सीजी –1 को भेजकर देरी के लिए केंद्र सरकार को एक आवेदन दिया है और सीजी से प्राप्त आदेश की प्रति आरओसी को भी दाखिल की है।*

**मैं आगे यह सूचित करता हूँ कि –**

महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत उपरोक्त अनुपालन के अध्यधीन, कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। हालांकि, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार धारक कंपनी (''इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड'') द्वारा किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है और कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट पर्याप्त अग्रिम रूप से भेजे गए थे और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। प्रबंधन द्वारा निर्धारित अनुसार, बोर्ड की बैठकों में निर्णय, सर्वसम्मति से लिए गए थे।

असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के रूप में शामिल करने और रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण नहीं था।

मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और मेरे द्वारा विश्वास किए जाने के अनुसार, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश विद्यमान हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, जैसा कि प्रबंधन द्वारा उल्लेख और प्रस्तुत किया गया था, कंपनी के मामलों पर एक प्रमुख प्रभाव रखने वाले उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई थी।

**कृते वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव
ह0/–
**सीएस शोभित वशिष्ठ**
**यूडीआईएनः** A045412C000426727
**समीक्षा सं.** 844/2020
**सदस्यता सं.** 45412
**सीपी सं.:** 21476
**यूडीआईएनः** A045412C000426727

दिनांकः 07 जून, 2021
स्थानः नई दिल्ली

इस रिपोर्ट को अनुबंध–क के रूप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध–क

**सेवामें,**
**सदस्य,**
**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड,**
**सीआईएनः यू74999डीएल2018जीओआई334028**
**प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,**
**नई दिल्ली–110017**

हमारी समतिथिक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। औचक जांच आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रिकार्डो में सही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं की है।
4. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
5. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूणता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।

**कृते वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स**
(कंपनी सचिव)
ह0/–
**सीएस शोभित वशिष्ट**
**यूडीआईएनः** A045412C000426727
**समीक्षा संख्याः 844/2020 सदस्यता सं.:**45412
**सीपी नं. :** 21476

दिनांकः 07 जून, 2021
स्थानः नई दिल्ली

---

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अवलोकन पर प्रबंधन का उत्तर।

1. **सचिवीय लेखापरीक्षा अवलोकन**
   कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम–3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–149(1) के तहत कंपनी ने महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।
2. **प्रबंधन उत्तरः**
   इरकॉन वीकेईएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इरकॉन वीकेईएल के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद–54 के अनुसार, इरकॉन के पास कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति है। कंपनी के बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति का अनुरोध इरकॉन को पहले ही किया जा चुका है। दिनांक 13.05.2021 से अनुपालन किया गया है क्योंकि इरकॉन ने इरकॉन वीकेईएल के बोर्ड में एक महिला निदेशक को नियुक्त किया है।

**कृते वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव
ह0/–
**सीएस शोभित वशिष्ठ**
**यूडीआईएनः** A045412C000426727
**समीक्षा सं.** 844/2020
**सदस्यता सं.** 45412
**सीपी सं.:** 21476

दिनांकः 07 जून, 2021
स्थानः नई दिल्ली

**अनुबंध–ड 3**

# निदेशकों के गैर–अनर्हता का प्रमाणपत्र

(भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के
विनियसम 34(3) तथा अनुसूची–ट पैरा ग खंड (10)(प) के अनुसारण में

**सेवामें,**
**सदस्य,**
**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिनका सीआईएन L45203DL1976GOI008171 है और पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 (जिसे यहां आगे कंपनी कहा जाएगा) में है, के निदेशकों से प्राप्त संगत रजिस्टरों, रिकार्डों, फॉर्मों, रिटर्नों तथा प्रकटनों की जांच की है, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसूची–ट, पैरा–ग, खंड (10)(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी किए जाने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है।

हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और आवश्यक समझे गए सत्यापनों (पोर्टल www.mca.gov.in) में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन), के अनुसार तथा कंपनी व इनके अधिकारियों द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं हम 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे वर्णित अनुसार कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, निगमित कार्य मंत्रालय, या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा विवर्जित या अनर्हक नहीं किया गया हैं।

| क्र.सं | निदेशक का नाम | डिन | कंपनी में नियुक्ति की तिथि | कार्युक्ति की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री सुनिल कुमार चौधरी | 00515672 | 29/10/2016 | – |
| 2 | श्री मुकेश कुंमार सिंह | 06607392 | 01/05/2016 | – |
| 3 | श्री योगेश कुमार मिश्रा | 07654014 | 28/12/2018 | – |
| 4 | श्री श्याम लाल गुप्ता | 07598920 | 01/11/2019 | – |
| 5 | श्री धनन्जय सिंह | 08955500 | 10/11/2020 | – |
| 6 | डॉ बालसत्य वेंकटरमण चित्ता | 03179171 | 28/09/2017 | 19/09/2020 |
| 7 | डॉ नरेन्द्र सिंह रैना | 07968391 | 17/10/2017 | 19/09/2020 |
| 8 | श्री अशोक कुमार गंजू | 07014589 | 08/03/2018 | 07/03/2021 |
| 9 | श्री हरि मोहन गुप्ता | 08453476 | 15/05/2019 | 12/10/2020 |
| 10 | श्री सुधीर कुमार | 01429832 | 12/05/2020 | 30/06/2020 |
| 11 | श्री आशुतोष गंगल | 07057313 | 27/08/2020 | 27/10/2020 |

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे इस सत्यापन के आधार पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही उसे कुशलता या प्रभावपूणता का आश्वासन है कि जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।

**कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स**
(कंपनी सचिव )
ह0/–(डिजिटल )
**सीएस नरेश कुमार सिन्हा**
(प्रोप्राइटर )
**एफसीएसः** 1807 सीपी सं.: 14984
**यूडीआईएनः** F001807C000460892

स्थानः नोएडा
दिनांकः 14.06.2021

अनुलग्नक–ड 4

# सीईओ तथा सीएफओ प्रमाणन

सेवामें,

निदेशक मंडल,
**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,**
सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली–110017

**विषयः दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र**

हमने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के साथ की हैः–

(क) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक तथ्य को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं है।

(ख) ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमनों के अनुपालन में है।

(ग) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

(घ) हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आतंरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के सबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(ड.) हमने लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है,

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में परिवर्तन,

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और

(च) हमारी जानकारी में किसी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह0/–

**(मुकेश कुमार सिंह)**
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
सीईओ एवं निदेशक (वित्त)
(डीआईएनः 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.06.2021

**अनुबंध–ड 5**

# वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र

(सेवी) सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनिमय, 2015 के विनिमय 34(9) और अनुसूची वी पैरा–ग खंड (10) (i) में अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्य,

**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,**

1. हमने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (ख) से (V) तथा अनुसूची–V, पैरा–ग खंड में निर्धारित अनुसार तथा मई 2010 में केन्द्रीय लोक उपक्रमों के लिए जारी निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई ) के दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालनल की जांच की है।
2. निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायितव प्रबंधन का है। इस उत्तरदायित्व में शामिल है आंतरिक नियंत्रण का अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण तथा सूचीबद्धता विनियमों और निगमित शासान पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
3. हमारा उत्तरदायित्व सूचीबद्धता विनियमों और निगमित शासान पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा स्वीकार की गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन की जांच तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की ना तो संपरीक्षा है ओर ना ही मत अभिव्यक्ति है।
4. संगत रिकार्डो की हमारी जांच के आधार पर तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सूचीबद्धता विनियम के विनियम विनियसम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (ग) तथा (ट) तथा अनुसूची V पैरा ग तथा घ के खंड में निर्धारित अनुसार तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान निगमित शासन पर लाके उपक्रम विभाग (डीपीई ) के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित के मद्देनजर हैः

   **कंपनी के पास निम्नलिखित नहीं हैः**

   1. निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) तथा निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश का पैरा 3.1.4 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार इसके बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक।
   2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 149(1) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2019 विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार इसके बोर्ड में अपेक्षित संख्या में महिला निदेशक।
   3. दिनांक 30 सितंबर, 2020 (20–09–2020 से 30–09–2020), 31 दिसंबर 2020 और 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाहियों के लिए विनियमन–18 के तहत आवश्यक लेखापरीक्षा समिति की संरचना और विनियमन–19 के तहत आवश्यक नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना, और
   4. दिनांक 31 मार्च, 2021 (8.03.2021 से 31.03.2021) को समाप्त तिमाहियों के लिए विनियम–20 के तहत अपेक्षित हितधारक संबंध समिति की संरचना।
   5. दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25(3) के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम एक बैठक।
5. हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही उसे कुशलता या प्रभावपूर्णता का आश्वासन है कि जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।
6. कोविड–19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत, हम 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के भौतिक दस्तावेजों, रिकार्डों और अन्य कागजातों आदि की भौतिक जांच नहीं कर पाए हैं ओर हमारे द्वारा अपेक्षित दस्तावेज/सूचना हमें इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
ह0/–
**सीएस नरेश कुमार सिन्हा**
एफसीएसः 1807, सीपी सं.: 14984
पीआरः 610/2019
यूडीआईएनः F001807C000592386

स्थानः नोएडा
दिनांकः 07.07.2021

# व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट (बीआरआर)

## प्रस्तावना

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की वित्त वर्ष 2020–21 की व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (एमसीए) द्वारा सामाजिक, पर्यावरण एवं व्यापार के आर्थिक उत्तरदायित्वों के संबंध में जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) के अनुरूप है।

इरकॉन, कॉरपोरेट गवर्नेंस की नीतियों और आचार संहिता को अपनाकर कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों और सर्वोत्तम व्यवहारों के उच्चतम मानकों का पालन करता है। इन नीतियों में पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुपालन, प्रकटीकरण, नैतिक आचरण और सभी स्टेकधारकों के हितों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी के मूल सिद्धांतों द्वारा संचालित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के एक समूह की अनुशंसा की गई हैं। हमारे स्टेकधारकों की आवश्यकताओं के लिए उनकी प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीतियों और संहिता का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

हमारी व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट में सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं), विनियम 2015 के विनियम 34 (2) (एफ) द्वारा परिभाषित हमारे व्यवहारों और प्रस्तुति के सिद्धांतों के साथ साथ गवर्नेंस, पर्यावरण, एवं स्टेकधारक सम्बद्धों के विषय के प्रश्नों के प्रति प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है।

## राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश एवं सेबी विनियमों के अनुसार सिद्धांत

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एनवीजी सिद्धांत, भारत के सामाजिक–आर्थिक संदर्भ और प्राथमिकताओं के साथ–साथ वैश्विक आर्थिक व्यवहारों के अनुसार निर्मित्त किए गए हैं। एनवीजी में नौ परस्पर संबंधित और परस्पर सिद्धांत और संबंधित मूल तत्व शामिल हैं और व्यापारिक जिम्मेदारी के लिए ये एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

**नीति 1: नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदेयता**
व्यापार का संचलन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए

**नीति 2: उत्पाद उपयोज्यता चक्र संवहनीयता**
व्यापार में वे माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और अपने पूरे उपयोज्यता चक्र में संवहनीयता में योगदान करती हैं

**नीति 3: कर्मचारियों की सुख सुविधा**
व्यापार में सभी कर्मचारियों की सुख सुविधा प्रोत्साहित करनी चाहिए।

**नीति 4: स्टेकधारक सम्बद्धता**
व्यापार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक स्टेकधारक, विशेषतः वे जो सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए।

**नीति 5: मानवाधिकार**
व्यापार में मानवाधिकारों का सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए

**नीति 6: पर्यावरण**
व्यापार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुनः बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए।

**नीति 7: नीतिगत समर्थन**
व्यापार के अंतर्गत जन सम्पर्क कार्य एवं विनियामक का निर्वाह उत्तरदायी स्वरूप में किया जाना चाहिए।

**नीति 8: समावेशी विकास**
व्यापार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास का समर्थन होना चाहिए।

**नीति 9: ग्राहक मूल्य**
व्यापार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।

# व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट

## खंड कः कंपनी के संबंध में सामान्य सूचना

| 1. | कंपनी का निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) | एल45203बीएल1976जीओ008171 |
|---|---|---|
| 2. | कंपनी का नाम | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) |
| 3. | पंजीकृत कार्यालय | सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली– 110017 |
| 4. | वेबसाइट | www.ircon.org |
| 5. | ई–मेल आईडी | cosecy@ircon.org |
| 6. | रिपोर्टिंग का वित्तीय वर्ष | 2020.21 |
| 7. | क्षेत्र जिनमें कंपनी कार्य कर रही है (कोडवार औद्योगिक गतिविधियां) | सड़कों और रेलों का निर्माण (एनआईसी कोड – 4210) |
| 8. | तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका कंपनी द्वारा विनिर्माण/उपलब्ध कराई जाती हैं (तुलन पत्र के अनुसार) | इरकॉन एक एकीकृत भारतीय इंजीनियरिंग एवं निर्माण कंपनी है। इसे अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में विशेषज्ञता प्राप्त है। कंपनी द्वारा सेवित प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैः<br>क. रेलवे, राजमार्ग, सुरंग एवं पुल<br>ख. विद्युतीय एवं यांत्रिकी<br>ग. सिग्नलिंग और दूरसंचार (एस एंड टी)<br>घ. वर्कशॉप एवं अन्य भवन |
| 9. | स्थलों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां निष्पादित की गई हैं:<br>(क) अंतरराष्ट्रीय स्थलों की संख्या (प्रमुख 5 का ब्यौरा उपलब्ध कराएं)<br>(ख) राष्ट्रीय स्थलों की संख्या | (क) अंतरराष्ट्रीय स्थलों की संख्या<br>इरकॉन पांच प्रमुख विदेशी स्थलों (यथा श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, साउथ अफ्रीका तथा अल्जीरिया) से अपनी व्यवसायिक गतिविधियां निष्पादित कर रहा है।<br>(ख) राष्ट्रीय स्थलों की संख्या<br>इरकॉन का मुख्यालय साकेत, नई दिल्ली, भारत में है और सम्पूर्ण भारत में व्यवसायिक प्रचालनों के प्रबंधन के लिए इनके 43 परियोजना कार्यालय और चार क्षेत्रीय कार्यालय है। |
| 10. | कंपनी द्वारा सेवित बाजार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय | इरकॉन स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बाजार को सेवित करता है। |

## खंड खः कंपनी के वित्तीय विवरण (2020–21)

| 1. | प्रदत्त पूंजी (रूपए करोड़ में) | ₹ 94.05 करोड़ रूपए |
|---|---|---|
| 2. | कुल टर्नओवर | ₹ 5,200.31 करोड़ |
| 3. | कर पश्चात कुल लाभ | ₹ 404.56 करोड़ |
| 4. | कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%) | 2.57% (सीएसआर पर ₹10.42 करोड का कुल व्यय) |
| 5. | गतिविधियों की सूची जिनमें उपर्युक्त 4 के व्यय किए गए हैं | निदेशक की रिपोर्ट में संलग्न सीएसआर और धारणीयत रिपोर्ट का संदर्भ लें। |

## खंड गः अन्य जानकारी

1. **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां है।**

जी हाँ, दिनांक 31.03.2021 को इरकॉन की छह सहायक कंपनियाँ हैं, यथा

(1) इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)
(2) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)
(3) इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)
(4) इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)
(5) इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटड (इरकॉन वीकेईएल)
(6) इरकॉन गुड़गाँव रेवाड़ी हाइवे लि. (इरकॉन जीआरएचसल)

2. **क्या सहायक कंपनी/कंपनियां पेरेंट कंपनी के बीआर पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनी (स्पेशल कंपनियों) की संख्या बताएं:**

छह सहायक कंपनियों में से पांच कंपनियां यथा इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल, इरकॉन वीकेईएल तथा इरकॉन जीआरएचएल स्पेशल परपस व्हीकल हैं, जिनका गठन एनएलएआई द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया गया है, इसलिए ये स्पेशल परपस व्हीकल अप्रत्यक्ष रूप से इरकॉन के बीआर पहलों के भाग लेती हैं। एक सहायक कंपनी यथा इरकॉन आईएसएल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) है और इसे समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

3. **क्या कोई अन्य निकाय (उदाहरण के लिए आपूर्तिकर्ता, डिस्ट्रिब्यूटर आदि), जिनके साथ कंपनी व्यवसाय कर रही है, कंपनी के बीआर पहलों के भाग ले रहे हैं, यदि हां, तो ऐसे निकाय/निकायों के प्रतिशत को दर्शाए। (30 प्रतिशक से कम, 30 से 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)।**

अधिकतर मामलों में बीआर पहल सीधे इरकॉन द्वारा की जाती है। कंपनी के सभी स्टेकधारक, जिनका कंपनी के साथ औपचारिक व्यवसाय व्यवस्था है जैसे सरकार, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार तथा अन्य अप्रत्यक्ष रूप से बीआर पहलों में भाग लेते हैं। तथापि, बीआर पहलों में उनके सहयोग के स्तर का निर्धारण करना कठिन है।

## खंड– घ बीआर सूचना

1. **बीआर हेतु उत्तरदायित्व निदेशक/निदेशकों का विवरण**

(क) निदेशक/निदेशक पद का ब्यौरा और बीआर नीति/नीतियों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायित्व

| क्र.सं | विवरण | ब्यौरा |
|---|---|---|
| 1. | डिन नम्बर | 07654014 |
| 2. | नाम | श्री योगेश कुमार मिश्रा |
| 3. | पदनाम | निदेशक (कार्य) |

(ख) बीआर प्रमुख का ब्यौरा

| क्र.सं | विवरण | ब्यौरा |
|---|---|---|
| 1. | डिन नम्बर | लागू नहीं |
| 2. | नाम | डॉ सुभाष चंद |
| 3. | पदनाम | कार्यपालक निदेशक (इलैक्ट्रिकल्स) |
| 4. | दूरभाष सं. | 011-26530245 |
| 5. | ई–मेल आईडी | subhash.chand@ircon.org |

1. **व्यावसायिक उत्तरदायित्व से संबंधित शासन**

**(क) निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कंपनी के बीआर निष्पादन के आकलीन की आवृत्ति दर्शाएं। 3 महीने में, 3–6 महीने, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से अधिक।**

बीआर निष्पादन के विभिन्न सिद्धांत कंपनी के दिन–प्रति–दिन के प्रचालनों का अभिन्न अंग हैं और बोर्ड/बोर्ड स्तरीय समिति (समितियों) द्वारा संबंधित व्यवसाय के अभिन्न मद के रूप में समीक्षा की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान, इरकॉन में सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की एक बैठकें हुईं, जबकि निदेशक मंडल की आठ बैठकें हुईं।

**(ख) क्या कंपनी बीआर या धारणीयता रिपोर्ट को प्रकाशितें करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की आवृत्ति क्या है?**

इरकॉन दिनांक 28 सितंबर 2018 को सूचीबद्ध हुआ है और दिनांक 31 मार्च 2021 को बाजार पूंजीकरण के आधार पर, इरकॉन शीर्ष 500 कंपनियों की सूची में है। इसलिए, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट पहली बार अनिवार्य हुई है। इस लिए कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में पहली बार अपनी बीआर रिपोर्ट को प्रकाशित कर रही है। आगे से इसे वार्षिक आधार पर किया जाएगा। वर्ष 2020–21 की बीआर रिपोर्ट को कंपनी की वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अपलोड किया जाएगा और यह निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध होगी:

http://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=430&lang=en

कंपनी की स्थिरता रिपोर्टें वार्षिक रूप से प्रकाशित होती हैं और यह निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: http://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=424&lang=en

# व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट

## एनबीजी द्वारा सिद्धान्तों के अनुसार अनुपालन का ब्यौरा

| सं. | प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | क्या आपके पास इस संबंध में नीति/नीतियां हैं. | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 2. | क्या नीति को संगत हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | – | हां | हां |
| 3. | क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां तो स्पष्ट करें? (50 शब्द) | हां | हां | हां | हां | हां | हां | – | हां | हां |
| | | कंपनी की सारी नीतियां भारत सरकार द्वारा जारी लागू सांविधियों/दिशानिर्देशों/नियमों/नीतियों आदि के अनुरूप हैं। इन नीतियों को उद्योग की पद्धतियों और मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। | | | | | | | | |
| 4. | क्या इस नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां तो क्या इसे एमडी/ओनर/सीईओ/उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। | हां | हां | हां | हां | हां | हां | – | हां | हां |
| | | कंपनी की नीतियों को बोर्ड की प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार बोर्ड/सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। | | | | | | | | |
| 5. | क्या कंपनी में इस नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशक/कार्मिक की विशिष्ट समिति है। | हां | हां | हां | हां | हां | हां | – | हां | हां |
| 6. | इन नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं। | कंपनी की नीतियां नीचे उल्लिखित कंपनी की वेबसाइट में उपलब्ध लिंक पर है: http://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=606&lang=en | | | | | | | | |
| 7. | क्या इस नीति को औपचारिक रूप से सभी संगत आंतरिक और बाहरी हितधारकों को भेजा गया है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | – | हां | हां |
| 8. | क्या कंपनी में इस नीति/नीतियों के क्रियान्वयन के लिए इन–हाउस संरचना है। | हां | हां | हां | हां | हां | हां | – | हां | हां |
| 9. | क्या कंपनी में इस नीति/नीतियों से संबंधित स्टेकधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए इन नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | – | हां | हां |
| 10. | क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र संपरीक्षा/मूल्यांकन कराया है? | स्वतंत्र लेखापरीक्षा के माध्यम से विनियामक/व्यवसाय /पर्यावरणीय अपेक्षाओं के अनुसार समय–समय पर नीतियों में संशोधन किया जाता है/इन नीतियों का मूल्यांकन आंतरिक या बाहरी एजेंसियों से नहीं कराया जाता है। | | | | | | | | |

**यदि किसी सिद्धांत में क्रम संख्या 1 पर प्रश्न का उत्तर ''नहीं '' है तो, वर्णन करें क्यों :–**

नीति एडवोकेसी से संबंधित सिद्धांत–7 के संबंध में, इस विषय पर कंपनी में कोई विशिष्ट नीति नहीं है क्योंकि यह कंपनी पर लागू नहीं है।

# व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट

## खंड ड.: सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

### सिद्धांत 1: व्यवसायों को नैतिकता, पारदर्शी तथा जवाबदेह रूप से संचालित तथा शासित किया जाएगा।

**1. क्या नैतिकता, घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार से संबंधित यह नीति केवल कंपनी को कवर करती है? हां/नहीं। क्या यह समूह/संयुक्त उपक्रमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों पर भी लागू है?**

इरकॉन सूचीबद्ध (लिस्टिड) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, सेबी विनियमों, कंपनी अधिनियम तथा लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों और समय–समय पर लागू भारत सरकार की अन्य नीतियों के अनुसार नैतिकतापूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेही रूप में आचरण और शासन करती है। कंपनी में सुनिर्धारित सतर्कता विभाग है जो संगठन की कार्यप्रणाली में पारदर्शी, कुशलता, सत्यनिष्ठा और सर्वोत्तम निगमित पद्धतियों को प्रेरित करती है। कंपनी में कर्मचारियों के लिए व्हीसल ब्लोवर नीति विद्यमान है ताकि संगठन के भीतर नैतिकता के मुद्दे को उठाया जा सके। इरकॉन के कर्मचारियों और वेंडरों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं और इरकॉन के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाली किसी अन्य बाहरी एजेंसी (एजेंसियों) के प्रतिनिधियों की संलिप्तता वाली किसी जालसाजी या संभावित जालसाजी के लिए जालसाजी निवारण एवं संसूचन नीति विद्यमान है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी में सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन एवं पूर्णकालीन निदेशकों के लिए आचार सहिंता भी स्वीकार की है।

ये सभी नीतियां कंपनी और इसके सभी कर्मचारियों को शामिल करती है तथा यह प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से इसके सहायक कंपनियों पर भी लागू होती हैं, जबकि संयुक्त उपक्रम कंपनियों के अपने स्वयं के सिद्धांत और प्रक्रियाएं हैं जो व्यापक रूप से कंपनी की नीतियों की तर्ज पर हैं।

**2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों को संतोषजनक रूप से निपटाया गया है? यदि हां तो 50 या अधिक शब्दों में इसका विवरण प्रस्तुत करें।**

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं और कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 178 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में हितधारक संबंध समिति विद्यमान है जो विशेष रूप से शेयरधारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं को देखती है। जैसा कि केफिन टैक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कारवी फिनटैक प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी का रजिस्ट्रार और ट्रांस्फर एजेंट) द्वारा रिपोर्ट किया गया है, वर्ष 2020–21 के दौरान शेयरधारकों से 141 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, दिनांक 31 मार्च 2021 को 12 शिकायतें लंबित थीं, जिनका उत्तर अप्रैल 2021 को दे दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग योजना के अंतर्गत जनसाधारण से कुल 35 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और दिनांक 31 मार्च 2021 तक 08 शिकायतें लंबित हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान, सतर्कता विभाग को कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 11 शिकायतों का निपटान कर लिया गया था और 31 मार्च 2021 को 04 शिकायतें शेष हैं।

इस वर्ष के दौरान व्हीसल ब्लोवर और यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

वर्ष 2020–21 के दौरान एमएसई द्वारा दायर किए गए 08 मामले एमएसएमई समाधान –विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली से संबंधित हैं, जिनमें से दिनांक 31 मार्च 2021 तक 04 मामले लंबित हैं

### सिद्धांत 2: व्यवसायों द्वारा ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हैं और अपने सम्पूर्ण जीवन काल के दौरान संधारणीयता में अंशदान करे।

**1. अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रस्तुत करें, जिन्हें सामाजिक, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, जोखिम तथा/या अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।**

इरकॉन उन परियोजाओं का निष्पादन करता है जो मुख्य रूप से सामाजिक अवसंरचना के विकास से संबंधित हैं जैसे सड़क, हाइवे, रेल आदि। इन परियोजनाओं को ग्राहकों की विशिष्टताओं के अनुसार डिजाइन किया जाता है और इन परियोजनाओं में धारणीयता विशेषताओं को शामिल करने का विकल्प इरकॉन के पास नहीं होता है, तथापि कंपनी ऐसी गतिविधियों का ध्यान रखती है जब वह स्वयं परियोजनाओं का डिजाइन तैयार करती है।

सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण, अवसरों से संबंधित प्रमुख सेवाएं निम्नानुसार हैं:

(क) प्रमुख पर्यावरण संरक्षण पहल के लिए, मथुरा – पूर्वोत्तर रेलवे में इज्जत नगर डिवीजन के कासगंज – कल्याणपुर सेक्शन में 338 मार्ग किमी के लिए डीजल ट्रैक्शन के साथ डीजल ट्रैक्शन का निष्क्रिय किया गया है और पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर डिवीजन में कटनी – सिंगरौली सेक्शन के लिए 248 मार्ग किमी को निष्क्रिय किया गया है। ऊर्जा प्रबंधन के लिए, ट्रैक्शन सब–स्टेशन में कैपेसिटर बैंक प्रदान किए गए हैं और पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली (एससीएडीए) भी स्थापित किए गए हैं।

(ख) इरकॉन ने छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक और कोयला खदान क्षेत्र में 44 किलोमीटर की विद्युतीकृत नई लाइन चालू की है। यह रेलवे लिंक अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के

माध्यम से कोयला रेक की आवाजाही को पूरा कर रहा है और बड़ी संख्या में भारी डीजल इंजन वाले ट्रकों के माध्यम से कोयले की आवाजाही की जगह ले रहा है। इससे भारी प्रदूषित क्षेत्रों में कुशल और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित हुई है। यह कार्बन फुटप्रिंट को भी बचाएगा और तेल की आयात निर्भरता को सुरक्षित करेगा।

(ग) कंपनी राउरकेला में इलेक्ट्रिक कुशल एलईडी लाइट्स और बिजली के संरक्षण के लिए शेड रूफ टॉप के लिए पारदर्शी शीट्स के साथ इलेक्ट्रिक लोको शेड का निर्माण कर रही है।

(घ) कंपनी ने प्रयागराज में 13 स्कूलों के क्लास रूम में सोलर आरओ सहित पेयजल की सुविधा और सोलर पैनल्स प्रदान करने के काम पूरा किया है।

(ड.) कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश किया है अर्थात सौर फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन संयंत्र।

(च) इरकॉन ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रेलवे परियोजना के संगलदान कार्यालय भवन में 110 किलोवाट के एक ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को पर्यावरण के अनुकूल हरित ऊर्जा के प्रमुख के रूप में कमीशन किया है।

(छ) कंपनी उर्जा प्रबंधन के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम (एससीएडीए) को सुनिश्चित किया गया है, जिसे रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली में प्रचालनिक बनाया गया है। कंपनी नवीनतम ऊर्जा–कुशल और पर्यावरण के अनुकूल दिशानिर्देशों के साथ निर्माण करना जारी रखती है, जिसमें एलईडी लाइट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल शामिल हैं। बिजली और पानी के संरक्षण के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में एलईडी लाइट्स, सेंसर लाइट्स और सेंसर नल का उपयोग किया जा रहा है। अपशिष्ट जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यालय में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, और इसका उपयोग बागवानी कार्यों के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी भारतीय और विदेशी परियोजनाओं में सुरक्षा और धारणीयता संबंधी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सांविधिक नियमों का अनुपालन किया जाता है।

**2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए संसाधन प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें (ऊर्जा, जल, कच्चा सामान आदि) उत्पादन की प्रति इकाई (वैकल्पिक):**

**(क) सम्पूर्ण वेल्यू चेन के दौरान पिछले वर्ष में सोर्सिंग/उत्पादन/संवितदण के दौरान इसमें कमी की गई है?**

**(ख) पिछले वर्ष से इसके उपशेग (ऊर्जा, जल) में कमी हुई है?**

वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी में सम्पूर्ण भारत में निष्पादित की जा रही अपनी सभी परियोजनाओं में जल, ऊर्जा और कच्चे माल के प्रयोग को मापा नहीं है, क्योंकि इरकॉन सेवाओं को उपलब्ध कराने के व्यवसाय में है और वह किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। तथापि, कंपनी प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा बचत के वैकल्पिक संसाधनों के प्रयोग के प्रसार के लिए अपने परियोजना स्थलों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

**3. क्या कंपनी के पास धारणीय सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान हैं?**

**(क) यदि हां, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत धारणीय रूप से सोर्स किया जाता है? इसका ब्यौरा भी 50 या अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।**

सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन को सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम (एमएसई) के माध्यम से स्रोतों के प्रापण की अपेक्षा का अनुपालन करना होताा है। कंपनी में एक वृहत क्रय अधिमान नीति विद्यमान है जो सुक्ष्म लधु एवं मध्यम उपक्रम विकस अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत सूक्ष्म लधु तथा मध्यम उपक्रम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म और लघु (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी की तर्ज पर है। ई–प्रापण पोर्टल यथा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल (https://etenders.gov.in/eprocure/app) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट सांविधिक निकायों के साथ पंजीकृत एमएसई फर्मो के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराता है और वे निविदा शुल्क और बयाना राशि के भुगतान से छूट का लाभ प्राप्त करके ई–निविदा में भाग ले सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने सामग्री और दुकानों के लिए 380.15 करोड़ के मूल्य के व्यय के प्रति एमएसई विक्रेता से 163.08 करोड़ की मदें खरीदी हैं, जिसमें से एमएसई विक्रेताओं की मात्रा और क्षमता से परे वस्तुओं का मूल्य 84.30 करोड़ रूपए है। इसलिए, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अनुपालन में एमएसई के दायरे और क्षमता से परे वस्तुओं के मूल्य को छोड़कर एमएसई से 295.85 करोड़ का शुद्ध खरीद मूल्य जो 55 प्रतिशत है, को प्राप्त किया है।

कंपनी सुरक्षित और धारणीय रूप से अपने व्यवसाय की गतिविधियों को निष्पादित करता है। सभी कार्य प्रक्रियाएं, पद्धतियां और उत्पादन सरकार तथा संगत निकायों द्वारा निर्धारित औद्योगिक मापदंडों के अनुसार सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मानकों का अनुपालन करता है। कंपनी संगठन के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (1996 से), पर्यावरण प्रणाली प्रबंधन (2011 से), तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (2012 से प्रमाणित) हेतु आईएसओ प्रमाणित कंपनी है। कंपनी ने

अब व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के निए मानकों को स्वीकार कर लिया है यथा आईएसओ 45001:2018.

वर्तमान में, कंपनी में इस विशिष्ट मापदंड को प्रतिशत में नापने की प्रक्रिया विद्यमान नही है।

4. **क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के लिए कोई कदम उठाए हैं:**

**(क) यदि हां तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमताओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।**

जी हां, सीपीएसई होने के कारण कंपनी की प्रापण नीति और पद्धतियां सीवीसी के दिशानिर्देशों सहित सरकार की नीतियों और पद्धतियों द्वारा निर्धारित होती हैं। ये पारदर्शी प्रापण तंत्र के आधार पर हैं और वह भी स्थानीय तथा लघु उत्पादकों तथा आपूर्तिकर्ताओं को प्रमोट करता है।

इरकॉन जन प्रापण नीति, 2012 के अनसार एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं का प्रापण कर रहा है। तदनुसार, क्रय वरियता कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य बैंड के भीतर अपना मूल्य कोट करने वाले छोटे उत्पादकों की दी जाती है। भारतीय बोलीदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उचित, न्यायसंगत तथा पारदर्शी निविदा प्रक्रियाओं को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, एमएसई के मध्यि अधिक जागरूकता उत्पन्न करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कंपनी द्वारा एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। कोविड–19 महामारी की स्थिति के बावजूद, वर्ष 2020–21 के दौरान, 6 जनवरी 2021 को कंपनी ने अधिक जागरूकता बढ़ाने और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बढ़ाने के लिए अ.जा/अ.ज.जा उद्यमियों सहित एमएसई के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में एक विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया है।

इरकॉन, विदेशों में अवसंरचना परियोजनाओं के व्यवसाय में भी है। हालांकि इन परियोजनाओं में प्रापण की संभावना सीमित होती है किन्तु कंपनी भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में 65 प्रतिशत से 75 प्रतिशत वस्तुएं और सेवाएं भारती कंपनी से प्राप्त करती है।

वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के लिए, सामान्य रूप से, खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमताओं में सुधार करने के लिए, इरकॉन द्वारा कतिपय कदम उठाए गए हैं जैसे व्यवसाय करने में परिवहन की लागत को कम करने के लिए छोटे और स्थानीय वेंडरों को रियायतें/लाभ प्रदान किए जाते हैं, बयाना राशि के भुगतान से छूट तथा पारदर्शिता लाने के लिए ई–प्रापण को अपनाना आदि। इसके अतिरिक्त, एमएसई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 25 जनवरी 2018 को हमने टीआरआईडी प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है।

कुशल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निर्माण व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त करने व बनाए रखने के लिए तथा गुणवत्ता के साथ और निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को सौंपकर ग्राहक संतोष प्राप्त करने हेतु गुणवत्ता नीति अपनाई गई है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने उपर्युक्त नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और इस दिशा में कंपनी के निरंतर प्रयासों के कारण छोटे और स्थानीय पक्षों की भागीदारी में सुधार तथा प्रचालन के स्थलों के आसपास के समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार हुआ है।

5. **क्या कंपनी में उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल करने का काई मकैनिजम विद्यमान है? यदि हां तो उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल का क्या प्रतिशत है (<5%, 5–10:, 10: पृथक रूप से)। इसके अतिरिक्त इसके संबंध में 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें।**

इरकॉन एक विशेषज्ञता प्राप्त निर्माण संगठन है, जिसमें अवसंरचना क्षेत्र की निर्माण गतिविधियों और सेवाओं का सम्पर्ण आयाम शामिल है और इसकी कोई निर्माण इकाई नहीं है। तथापि, कंपनी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों और कुछ परियोजनाओं जैसे रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली में अपशिष्ट के रीसाइकल हेतु कतिपय पद्धतियों का अनुसरण किया जा रहा है, जैसे नोएडा, गुरुग्राम तथा एमएफसी भवनों में सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल का उपचार किया जा रहा है। बिजली और पानी के संरक्षण के लिए निगमित कार्यालय (कॉर्पोरेट ऑफिस) में एलईडी प्रकाश, सेंसर प्रकाश और सेंसर नलों का प्रयोग किया जा रहा है।

## सिद्धांत 3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन करना चाहिए (दिनांक 31.03.2021 के अनुसार विवरण)।

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**

31 मार्च 2021 को कर्मचारियों की कुल संख्या – 1298

2. **कृपया अस्थायी/संविदागत/अनियमित आधार पर लगाए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**

वर्ष 2020–21 के दौरान, इरकॉन ने संविदागत आधार पर 89 कर्मचारियों (सेवा संविदा सहित) को लगाया है। कंपनी अस्थायी/अनियमित आधार पर कर्मचारियों को हायर नहीं करती है। तथापि, कंपनी परियोजना याकार्य की आवश्यकता के अनुसार अपनी विभिन्न परियोजनाओं में ठेकेदारों को जॉब और कार्य

संबंधी ठेके प्रदान करती है। ठेकेदारों के कर्मचारियों की संख्या समय–समय पर बदलती रहती है।

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

दिनांक 31 मार्च 2021 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या – 62 है।

4. **कृपया दिव्यांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

दिनांक 31 मार्च 2021 को दिव्यांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या – 07 है।

5. **क्या आपके यहां कर्मचारी संघ है, जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।**

हमारे यहां कर्मचारी संघ नहीं है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

6. **स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत माध्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं।**

लागू नहीं।

7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, बलित श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों की संख्या बताएं और वित्तीय वर्ष के अंत तक कितनी शिकायते लंबित हैं।**

| क्र.सं | श्रेणी | वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या | वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | बाल मजदूरी, बलित श्रम, अनैच्छिक श्रम | – | – |
| 2. | यौन शोषण | – | – |
| 3. | भेदभावपूर्ण रोजगार | – | – |

8. **नीचे उल्लिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था?**

कंपनी में सभी स्तरों के कर्मचारियों (निगमित कार्यालय और परियोजना स्थल) के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत वार्षिक योजना विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता के अनुसार संगत क्षेत्र के लिए विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है।

कोविड–19 महामारी के बीच किए जा रहे सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों के कारण वर्ष 2020–21 के दौरान केवल वर्चुवल प्रशिक्षण आयोजित किए गए। पिछले वर्ष के दौरान सुरक्षा और कौशल उन्नयन पर दिए गए प्रशिक्षणों का विवरण इस प्रकार है:

**स्थायी कर्मचारी : 60 प्रतिशत**

**स्थायी महिला कर्मचारी : 35.5 प्रतिशत**

**नेमेतिक/अस्थायी/संविदागत कर्मचारी : शून्य**

**दिव्यांग कर्मचारी : 71 प्रतिशत**

## सिद्धांत 4: व्यवसायों को सभी स्टेकधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेष रूप से उनके प्रति सुविधाहीन, असहाय और सीमांत हैं।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी स्टेकधारकों का निर्धारण किया है? हां/नहीं।**

जी हां। कंपनी ने अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, वेंडरों/ठेकेदारों और समाज को स्टेकधारक के रूप में समाज का चिन्हन किया है और वह अपने विभिन्न स्टेकधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझती है।

2. उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर तथा सीमांत स्टेकधारकों को चिन्हित किया है।

कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर तथा सीमांत स्टेकधारकों के रूप में पीडब्ल्यूडी, अ.जा, अ.ज.जा, अ.पि.व, महिलाओं और स्टार्ट अप को चिह्नित किया है और समय–समय पर लागू सरकारी नीतियों के अनुसार इनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है।

कंपनी नियमित रूप से वेंडरों के लिए बैठकों का आयोजन करते हैं ताकि अजा/अजजा तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई वेंडरों सहित एमएसई वेंडरों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। कंपनी ने लोक प्रापण नीति, आदेश 2012 की शर्तों के अनुसार प्रापण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और कंपनी में भारत में स्टार्टअप के लिए सकारात्मक वातावरण के निर्माण के लिए भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत स्टार्टअप से पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी विद्यमान है। अवसंरचना परियोजनाओं को विकसित करते समय, कंपनी शारीरिक रूप से दिव्यांग जनों के लिए सहिष्णु संरचनाओं को सुनिश्चित करती है।

कंपनी में सुसंरचित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति (सीएसआर नीति) विद्यमान है, जो विभिन्न स्टेकधारकों की धारणीयता आवश्यकताओं को शामिल करती है जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास सहित समुदायों की क्षमता निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा कुशल तकनीकों का संवर्धन, पिछड़े वर्गों का विकास तथा समाज के सीमांत और साधनविहीन, का उत्थान, विरक्त और कमजोर वर्गों का विकास जिसमें अजा, अजजा, अपिव, अल्पसंख्यक, बीपीएल परिवार वयोवृद्ध, शिशु, महिलाएं/कन्याएं दिव्यांग जन आदि शामिल हैं।

3. **क्या सुविधाहीन, कमजोर तथा सीमांत स्टेकधारकों के साथ कार्य करने के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष उपाय किए गए हैं। यदि हां तो 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें।**

इरकॉन सदैव ही सुविधाहीन, कमजोर तथा सीमांत स्टेकधारकों की आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील रहता है। भर्ती नियमों के अनुसार, कंपनी समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अ.ज/अ.ज.ज/अ.पि.व, पूर्व सेनानियों तथा दिव्यांग जनों के लिए पदों में आरक्षण को सुनिश्चित करती है।

कंपनी ने सीएसआर नीति स्वीकार की है जिसका उद्देश्य समाज के सुविधाहीन, कमजोर तथा सीमांत वर्ग के विकास करना भी है। इस क्षेत्र में किए गए उपायों में शामिल हैं – ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रकार, स्वः सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार तथा सेनेटरी नेपकिन डिस्पोसल मशीनों का प्रावधान, समाज के बेरोजगार युवाओं/अ.जा/अ.ज.ज/अ.पि.व, महिलाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन।

कंपनी एमएसई से जन प्रापण नीति, 2012 के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का प्रापण कर रही है और यह एमएसई में अधिक जागरुकता उत्पन्न करने के लिए स्थानीय वेंडरों सहित वेंडर विकास कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है ताकि उनकी भागीदारी को बढाया जा सके।

इसके अतिरिक्त कंपनी में कार्यस्थल पर यौन शोषण के निवारण, निषेध और समाधान की नीति विद्यमान है ताकि महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल व सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

## सिद्धांत 5: व्यवसायों द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान एवं संवर्धन करना चाहिए।

1. **क्या कंपनी की मानवाधिकार की नीति केवल कंपनी को ही कवर करती है या यह समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों पर भी लागू है।**

इरकॉन की एचआर नीतियां व्यवसाय की मानक पद्धतियों और मानवाधिकार के अनुरूप हैं तथा कंपनी के विभिन्न स्टेशनों, परियोजनाओं, कार्यालयों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहायक कंपनियों में तैनात सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। मानवाधिकार के प्रावधान हमारे आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों सहित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आधार पर ठेकों/कार्यों के लिए के लिए बोली दस्तावेजों में भी प्रावधान किया गया है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेकधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का निवारण संतोषजनक रूप से किया गया है?**

वर्ष 2020–21 के दौरान मानवाधिकार के उल्लंघनों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

## सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा करनी चाहिए और इसके संरक्षण के प्रयास करने चाहिए।

1. **क्या सिद्धांत 6: से संबंधित नीति केवल कंपनी को ही कवर करती है या इसमें समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्य पर भी लागू होती है।**

कंपनी में सीएसआर तथा धारणीयता नीति विद्यमान है जो हर समय सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय धारणीयता के रूप में कार्य करती है तथा कंपनी में पर्यावरणीय नियमावली विद्यमान है जिसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय नीति (एसएचई नीति) शामिल है ताकि गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के कार्मिकों, कार्यों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।

कंपनी के पास सुरक्षा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए क्रमशः आईएसओ 14001–2015 तथा आईएसओ:45001–2018 प्रमाणन प्राप्त किया है।

इरकॉन की एसएचई नीति में कंपनी, सामान्य रूप से इसकी सहायक कंपनियां और संविदा शर्तों के माध्यम से वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से संबंधित संबद्ध पहलू शामिल हैं।

2. **क्या कंपनी में वैश्विक पर्यावरणीय विषय जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि के समाधान के लिए नीतियां/पहल किए हैं। यदि हां तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक प्रस्तुत करें।**

इरकॉन एक जिम्मेदार निगमित कंपनी है जो प्रदूषण निवारण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण द्वारा पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने स्थलों और कार्यालयों में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को क्रियान्वित कर रही है। वैश्विक स्तर पर उत्पादन की तुलना में ऊर्जा की मांग बढ रही है इसलिए ऊर्जा कुशलता, जलवायु परिवर्तन, मानव जीवन में गुणवत्ता के संरक्षण और सरकारी पहलों को पूरा करने के लिए धारणीय पद्धतियों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है।

इरकॉन निगमित कार्यालय तथा अपने परियोजना कार्यालयों में हरित भवन निर्माण की समान विशेषताओं को उपलब्ध करा रहा है, और इस प्रकार जल, सामग्री, अपशिष्ट, ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरणीय प्रभावों को कम कर रही है और समाज के लिए गुणवत्तापूर्ण व आरामदायक जीवन सुनिश्चित कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण सहिष्णु उपकरण जैसे सौर पैनलों को भी विभिन्न कार्यालयों/परियोनाओं में संस्थापित किया जा

रहा है। निगमित कार्यालय में सीवेज उपचार संयंत्र के माध्यम से अपशिष्ट जल का रीसाइकल किया जा रहा है और बागवानी के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। एसटीपी का नोएडा, गुरुग्राम, तथा एमएफसी भवनों में भी निर्माण किया जा रहा है। बिजली और जल के संरक्षण के लिए निगमित कार्यालय में एलईडी प्रकाश, सेंसर प्रकाश और सेंसर नलों का प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न पर्यावरणीय सहिष्णु कदम उठाए हैं जैसे मिट्टी की ईंटों के स्थान पर फ्लाइ ऐश की ईंटें, वर्षा जल संरक्षण व्यवस्थाएं, सेंसर नियंत्रित क्रामियम प्लेट फिटिंग, भवन को धारणीय बनाने के लिए फेसिड ग्लास के अद्यतन वर्जन का प्रयोग आदि को कंपनी के विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न निर्माण स्थलों पर जल के प्रयोग अपशिष्ट जल, वायु गुणवतता और ध्वनी गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जा रही है। कंपनी निगमित कार्यालय भवन में बाहरी वायु गुणवत्ता की मॉनीटरिंग द्वारा स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने पर बल दे रही है। निगमित कार्यालय और परियोजना कार्यालयों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया है।

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आंकलन कर रही है? हां/नहीं।**

जी हां। कंपनी में निर्माण कार्य के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध है, जो इसके स्थलों और परियोजना कार्यालयों में निर्माण गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय विषयों का आंकलन करता है। परियोजनाओं से पर्यावरण पर होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आंकलन में प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू शामिल हैं। यह निर्माण गतिविधियों का पर्यावरण पर होने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों की पहचान करता है। इसके पश्चात, पर्यावरण पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों को कम करने के लिए कंपनी द्वारा नियंत्रण उपाय अपनाए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी परियोजना स्थलों पर निर्माण गतिविधियों को आरंभ करने से पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय क्लियरेंस सहित सभी अनिवार्य क्लियरेंस प्राप्त करती है। विभिन्न प्रकार के संयंत्रों जैसे क्रशर संयंत्र, कंक्रीट मिक्स संयंत्र, हॉट मिक्स संयंत्र आदि के लिए संबंधित प्राधिकरणों से स्थापना और प्रचालन की अनुमति प्राप्त की गई है।

4. **क्या कंपनी में कोई परियोजना संबंधित स्वच्छ विकास तंत्र विद्यमान है? यदि हां, तो 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें। यदि हां तो क्या पर्यावरण क्लियरेंस रिपोर्ट दायर की गई है।**

नहीं

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, ऊर्जा कुशलता अक्षय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहली की है। हां/नहीं। यदि हां तो कृपया वेब पेज के लिए हाइपरलिंक प्रस्तुत करें।**

इरकॉन वर्ष 1996, 2011 तथा 2012 से क्रमशः क्यूएमएस, ईएमएस तथा ओएचएसएएस के लिए आईएसओ प्रमाणित संगठन है। कंपनी निगमित कार्यालय/अन्य कार्यालय में सौरा ऊजा, सीवेज संयंत्रों के संस्थापन, एलईडी प्रकाशन के प्रयोग, भवन कॉरीडोरों में सेंसर फिटिड लाइटों के प्रयोग द्वारा स्वच्छ वातावरण के प्रति योगदान कर रहा है।

6. **क्या कंपनी द्वारा सृजित किया जा रहा उत्सर्जन/अपशिष्ट इस उक्त वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर है?**

जी हां, कंपनी द्वारा उत्सर्जन मापदंडों सहित सभी विधि मापदंडों का अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन और अपशिष्ट अनुमेय सीमा के भीतर है। वार्षिक पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट संबंधित कार्य इकाइयों द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को प्रस्तुत की जाती है। सभी भवन/कार्यालय पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं। खतरनाक रसायनों और कचरे के भंडारण, हैंडलिंग और निपटान के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं। निर्माण अपशिष्ट, विद्युत और ई–कचरे का वैज्ञानिक रूप से और लाइसेंस प्राप्त रीसाइकलिंग के माध्यम से निपटान किया जाता है।

7. **वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीएसबी/एसपीसीबी बोर्ड से प्राप्त कितने कारण बताओ नोटिस/विधिक नोटिस लंबित हैं (यथा संतोषजनक स्तर पर समाधान नहीं हो पाया)।**

वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीएसबी/एसपीसीबी बोर्ड से प्राप्त कोई भी कारण बताओ नोटिस/विधिक नोटिस लंबित नहीं हैं।

## सिद्धांत 7: व्यवसाय जब जनसाधारण तथा विनियामक नीति को प्रभावित करने का कार्य करें तथा इसे उत्तरदायी रूप से किया जाना चाहिए।

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड तथा चैंबर या संघ की सदस्य है, यदि हां तो केवल उन प्रमुख के नाम बताएं जिनके साथ आपके व्यावसायिक संबंध हैं।**

जी हां। कंपनी अनेक ट्रेड चेम्बरों और संघों से संबद्ध है जैसे –

- स्टेंडिंग कान्फरेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइसिसि (स्कोप),
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई),
- कनफिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीस (सीआईआई),
- इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी),
- प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (पीईपीसी),
- फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (एफआईईओ),
- पीएचडी चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई),
- नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल

(एनएआरईडीसीओ),

- इंस्टीट्यूट ऑफ पी वे इंजीनियर्स इंडिया (आईपीडब्ल्यूएवाईईआई),
- एशियन (अरबन) इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट (एआईटीडी),
- इंडिया हेबिटेट सेंटर (आईएचसी)।
- निर्माण उधोग विकास परिषद (सीआईडीसी)
- इंडियन इंटरनेशनल सेंटर (आईसीसी)

2. **क्या आपने कभी सार्वजनिक कल्याण की प्रगति और सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से चर्चा /सहयोग प्राप्त किया है। हां/ना। यदि हां तो व्यापक स्तर पर क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बॉक्स : शासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समेकित विकास नीतियां, ऊर्जा संरक्षण, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)**

कंपनी के हितों का प्रकटन सरकारी प्रश्नों, ज्ञान साझेदारी, औद्योगिक आवश्यकताओं पर सर्वेक्षणों, प्रतिक्रियाओं, सरकारी नीति के सृजन जैसे जीएसटी, कंपनी नियम, औद्योगिक नीति, प्रापण नीति आदि के आधार पर होता है। कंपनी सरकारी निकायों जैसे रेल मंत्रालय, डीपीई, नीति आयोग के साथ संव्यवहार करती है और विभिन्न नीति निर्माण प्रक्रियाओं जैसे सीपीएसई के विकास के लिए रोड मैप, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि में भाग लेती है। कंपनी देश में अवसंरचना के विकास के लिए संगत मंचों पर जिम्मेदार रूप से निष्पक्ष पद प्रस्तुत करती है और सामान्य रूप से समाज हित प्रक्रिया में सुधार के लिए धारणीय विकास और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपना मत प्रस्तुत करती है।

## सिद्धांत 8: व्यवसायों को समेकित विकास और न्यायोचित विकास का समर्थन करना चाहिए।

1. **क्या कंपनी का सिद्धांत–8 सं संबंधित नीति के अनुसरण में कोई विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।**

कंपनी की सकारात्मक नीतियां जो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन में है, विविधता, समानता का संवर्धन करती है और लोगों की जाति, वर्ग, धर्म, रंग, पैत्रिक परम्परा, वैवाहिक स्थिति, लिंग, आयु और राष्ट्रीयता को ध्यान में रखे बिना उनके गुणों और कौशलों के आधार पर मान्यता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी में एक सुसंरचित सीएसआर तथा धारणीयता नीति विद्यमान है। इसके दृष्टिगत कंपनी में सामाजिक विकास की विभिन्न परियोजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य संवर्धन, स्वच्छता प्रदान करना, तथा लोगों के लिए जीविका का सृजन करना है विशेष रूप से समाज के सुविधाविहीन वर्ग के लिए। सीएसआर व्यय डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा अनिवार्य वार्षिक थीम के आधार पर किया जाता है, जैसे वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर बजट का 60 प्रतिशत स्वास्थ्य और पोषण पर खर्च किया जाना था और इरकॉन की सीएसआर नीति के अनुसार, बजट का 75 प्रतिशत इरकॉन के स्थानीय क्षेत्रों पर और गैर–स्थानीय क्षेत्रों पर 25 प्रतिशत खर्च किया जाए। वार्षिक थीम के तहत परियोजनाओं में मासिक धर्म स्वच्छता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, वृद्धावस्था के लिए सुविधाएं, चिकित्सा शिविर, कृत्रिम अंग, कोविड–19 आदि जैसी गतिविधियाँ शामिल थीं।

वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए सीएसआर बजट की अधिकतम राशि पीएम केयर्स फंड में दी गई है। तथापि, सीएसआर गतिविधियों के रूप में वर्ष के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की सूची निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल सीएसआर एवं संधारणीयता रिपोर्ट में संलग्न है।

कंपनी के पास अपनी परियोजनाओं के स्थल के संबंध में सीमित विकल्प होता है, क्योंकि वह सरकार तथा अन्य एजेंसियों के लिए संविदाकार के रूप मे कार्य करती है। तथापि, कंपनी एमएसई की अपनी नीति के अनुसार परियोजनाओं को प्राप्त करने में समान विकास के प्रति अग्रसर रहती है।

2. **क्या कार्यक्रमों/परियोजनाओं को इन–हाउस दलों/स्वयं के आधार/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से निष्पादित किया जाता है?**

कंपनी की सीएसआर नीति के क्रियान्वयन के लिए एक पृथक सीएसआर विभाग विद्यमान है और जहां कंपनी के पास इन–हाउस विशेषज्ञता नहीं होती है, वहां विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों की सेवाएं ली जाती हैं जैसे एनजीओ, संस्थान/शैक्षिक संगठन, सरकारी, अर्ध–सरकारी, स्वायत्त निकाय, निर्माण कार्य हेतु संविदागत एजेंसियां, पेशेवर परामर्शदाता संगठन पंजीकृत ट्रस्ट या सोसाइटी, इरकॉन की सहायक कंपनियो।

3. **क्या आपने अपने प्रयासों का कोई प्रभाव आंकलन कराया है?**

इरकॉन पूरे किए गए सीएसआर कार्यों के लिए प्रतिवर्ष तीसरा पक्ष आंकलन कराता है।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यश अंशदान क्या है – राशि रूपए में और परियोजनाओं का विवरण।**

सीएसआर परियोजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास परियोजनाओं के प्रति अंशदान का ब्यौरा निदेशक रिपोर्ट में संलग्न सीएसआर तथा धारणीयता रिपोर्ट में प्रस्तुत है।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समाज ने सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है? कृपया 50 या अधिक शब्दों में स्पष्ट करें।**

इरकॉन किसी सीएसआर गतिविधि को निष्पादित करने से पूर्व समग्र रूप से इसकी धारणीयता और इसके लाभार्थियों और समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की पुष्टि के लिए कदम उठाता है। इसमें क्रियान्वयन एजेंसियों की विश्वसनीयता और साफ ट्रैक रिकार्ड का सत्यापन, सीएसआर नीति की तर्ज पर परियोजना की पहुंच और उद्देश्यों तथा परियोजना स्थल के स्थानीय प्रशासन से इसकी आवश्यकता, फील्ड सत्यापन और अनुपालन जांच, धारणीय कारकों आदि पर ध्यान दिया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीएसआर विभाग और परियोजना कार्यालयों में सामुदायिक भागीदारी और इसकी स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर विभाग और परियोजना कार्यालय में इन–हाउस मॉनीटरिंग तंत्र विद्यमान है, जिसमें शामिल हैं:–

**मोनीटरिंग तंत्रः** प्रत्येक परियोजना में परियोजना क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए परियोजना स्तरीय समितियों की स्थापना की गई है। प्रत्येक सीएसआर परियोजना के लिए स्थानीय प्रशासन और समुदाय आदि से आवधिक परियोजना रिपोर्ट, फील्ड दौरा रिपोर्ट, भौतिक प्रगति रिपोर्ट, सामुदायिक संव्यवहार रिपोर्ट, प्रतिक्रिया रिपोर्ट नोडल अधिकारी को भेजी जाती है, जो इन रिपोर्टों को समेकित करता हैं और इसकी प्रगति रिपोर्ट समीक्षा के लिए सीएसआर समिति/निदेशक मंडल को भेजता है।

**स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकनः** सीएसआर परियोजना के पूरा होने पर, क्रियान्वयन के प्रभाव और सफलता का आंकलन करने के लिए स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है।

**रिपोर्टिंगः** स्टेकधारकों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सीएसआर नीति, सीएसआर गतिविधियों और नियमित अद्यतनों को इरकॉन की वेबसाइट पर डाला जाता है। प्रमुख गतिविधियों के क्रियान्वयन को समय–समय पर मीडिया में भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, सीएआर के संबंध में एक पृथक खंड को वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है।

## सिद्धांत 9 : व्यवसायों को अपने ग्राहकों को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करनी चाहिए तथा ग्राहकों के साथ उत्तरदायी रूप से व्यवहार करना चाहिए।

**1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ग्राहकों की शिकायतों/उपभोक्ता मामलों के कितने प्रतिशत मामले लंबित हैं।**

इरकॉन के सम्पूर्ण व्यवसाय में रेलवे और राजमार्ग का अंशदान 99.71 प्रतिशत है। घरेलू क्षेत्रों में इरकॉन को अधिकतर परियोजनाएं/कार्य रेलवे, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

परियोजना के निष्पादन में उनके समक्ष उपस्थित उनकी समस्याओं/मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए परियोजना स्थलों/कार्यालयों में वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमित रूप से बठकों का आयोजन किया जाता है।

**2. क्या कंपनी अपने उत्पादों के लेबल में उत्पादों की सूचना प्रदर्शित करते हैं जो कि स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य हैं? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)।**

लागू नहीं।

**3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनैतिक व्यापार पद्धति, अनियमित विज्ञापन तथा/या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है। यदि हां तो इसका ब्यौरा 50 या अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।**

जी नहीं।

**4. क्या आपकी कंपनी ने कोई ग्राहक सर्वेक्षण/ ग्राहक संतोष रुझानों का सर्वेक्षण किया है?**

घरेलू क्षेत्र में इरकॉन के अधिकतर परियोजनाएं/ कार्य रेलवे, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इसलिए, हम प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्तिगत ग्राहकों से संबंधित नहीं हैं।

कंपनी अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार में सक्रिय है। परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान, समस्याओं और कठिनाइयों के समाधान के लिए प्रायः नियमित और निर्धारित बैठकों, प्रगति समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है ताकि, तत्काल इनका समाधान किया जा सके और इनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। निर्माण के दौरान किसी प्रकार की कमी/खामी को तत्काल देखा व उसका समाधान किया जाता है। इस परिदृश्य से ग्राहक/क्लाइंट संतोष का स्तर बढा है, जो प्रायः पुनः आर्डरों के रूप में प्रदर्शित होता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी को ग्राहकों/ठेकेदारों से कोई असंतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

ह0/–
**(मुकेश कुमार सिंह)**
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
सीईओ एवं निदेशक (वित्त)
(डीआईएनः 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2021



*****

# निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता पर वार्षिक रिपोर्ट

## 1. कंपनी की सीएसआर और संधारणीयता नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अपने हितधारकों के लिए एक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से व्यापार करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्ध ता है जो पारदर्शी और नैतिक अवधारणा के रूप में हैं, जिससे संगठन अपनी गतिविधियों के प्रभाव की जिम्मेदारी लेते हुए समाज के हितों की रक्षा करते हैं, और इसमें संधारणीयता शामिल है। सीएसआर नीति को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व सह संधारणीय विकास नीति के रूप में माना जाता है क्योंकि सीएसआर में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार संधारणीयता के मामले शामिल हैं। यह सीएसआर और संधारण ीयता पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों की आवश्यकता को भी पूरा करता है और इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में सीएसआर और स्थिरता नीति (सीएसआर नीति) के रूप में माना जा सकता है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) ने यह कार्य एक परोपकारी गतिविधि के रूप में आरंभ किया, जहां कंपनी ने अपने प्रचालन के क्षेत्रों में कई सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इरकॉन भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में अग्रणी रहा है। हमारे सीएसआर प्रयास सामाजिक दायित्व से परिधीय विकास तक विकसित हुए हैं, जिससे एक सुव्यवस्थित सीएसआर कार्यक्रम का निर्माण हुआ है। इरकॉन का निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है। कंपनी की सामाजिक दृष्टिकोण सामाजिक रूप से उत्तरदायी और संधारणीय रूप से व्यवसाय करने की अपनी नीति के अनुरूप अपनी सीएसआर पहल का संचालन करना है।

सीएसआर कार्यक्रम में क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास और सीमांत और वंचित और सुविधा विहीन तथा कमजोर वर्गों के उत्थान पर बलप दिया गया है। वह समाज, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, वृद्ध और दुर्बल, महिलाएं/ बालिकाएं, शारीरिक रूप से विकलांग आदि शामिल हैं।

सीएसआर व्यय डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा अनिवार्य वार्षिक थीम के आधार पर किया जाता है, जैसे वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर बजट का 60 प्रतिशत स्वास्थ्य और पोषण पर और इरकॉन सीएसआर नीति के अनुसार, बजट का 75 प्रतिशत इरकॉन परियोजनाओं के स्थानीय क्षेत्रों पर और 25 प्रतिशत गैर स्थानीय क्षेत्रों पर खर्च किया जाना है।

सीएसआर नीति के अनुसार, सीएसआर परियोजनाओं का चयन कंपनी की परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्र में किया जाता है। परियोजना अधिकारी स्थानीय प्रशासन/ग्राम प्रतिनिधियों/ग्राम पंचायत के साथ आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण के लिए चर्चा करते हैं और सीएसआर समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजते हैं। सीएसआर और संधारणीयता समिति के माध्यम से बोर्ड के अनुमोदन के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में इन प्रस्तावों की जांच की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तीसरे पक्ष द्वारा इरकॉन में सीएसआर कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं को तीन स्तरीय जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, अर्थात चालू कार्यक्रमों का आवश्यकता आकलन से लेकर, निगरानी और मूल्यांकन और परियोजना के प्रभाव आकलन तक।

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–VII में सूचीबद्ध गतिविधियों से सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं का आवंटन करते समय, उन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा में सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे सभी के लिए सुरक्षित पेयजल, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालयों का प्रावधान, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा आदि।

हालांकि निर्माण कंपनी बहु–वर्षीय सीएसआर परियोजनाओं की देखभाल कर रही है, लेकिन इस वर्ष कोविड–19 से लड़ने के लिए राहत उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जैसा कि अधिकांश निगमों के मामले में था। वर्ष 2020–21 के दौरान, इरकॉन ने महामारी के विरूद्व राहत उपायों के लिए पीएम केयर्स फंड में 15–50 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, कंपनी ने देश के लाखों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

## 2. सीएसआर समिति की संरचनाः

जबकभी निदेशों में परिवर्तन होता है तो समिति की पुनःसंरचना की जाती हैा वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार थी–

| 01.04.2020 से 19.09.2020 तक | 20.09.2020 से 27.10.2020 तक | 28.10.2020 से 25.03.2021 तक | 08.03.2021 से 31.03.2021 तक |
|---|---|---|---|
| **अध्यक्ष** | | | |
| श्री अशोक कुमार गंजू<br>स्वतंत्र निदेशक | श्री अशोक कुमार गंजू<br>स्वतंत्र निदेशक | श्री अशोक कुमार गंजू<br>स्वतंत्र निदेशक | श्री मुकेश कुमार सिंह<br>निदेशक (वित्त) |
| **सदस्य** | | | |
| डॉ नरेन्द्र सिंह रैना<br>स्वतंत्र निदेशक<br>श्री श्याम लाल गुप्ता<br>निदेशक (परियोजनाएं) | श्री हरि मोहन गुप्ता<br>अंशकालीन सरकारी नामिती निदेशक<br>श्री योगेश कुमार मिश्रा<br>निदेशक (कार्य) | श्री मुकेश कुमार सिंह<br>निदेशक (वित्त)<br>श्री योगेश कुमार मिश्रा<br>निदेशक (कार्य) | श्री योगेश कुमार मिश्रा<br>निदेशक (कार्य)<br>श्री श्याम लाल गुप्ता<br>निदेशक (परियोजनाएं) |

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, समिति की एक बैठक का आयोजन दिनांक 24 अगस्त 2020 को किया गया था। उक्त बैठक की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

| सदस्यों का नाम | बैठक की तिथि<br>24.08.2020 | कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें | बैठकों में उपस्थिति की संख्या |
|---|---|---|---|
| श्री अशोक कुमार गंजू<br>स्वतंत्र निदेशक | ✓ | 1 | 1 |
| डॉ नरेन्द्र सिंह रैना<br>स्वतंत्र निदेशक | ✓ | 1 | 1 |
| श्री श्याम लाल गुप्ता<br>निदेशक (परियोजनाएं) | ✓ | 1 | 1 |

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है।

वेबलिंग निम्नानुसार हैं:

| | |
|---|---|
| क) सीएसआर समिति : | https://ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=604&lang=en |
| ख) सीएसआर नीति : | https://ircon.org/images/file/cosecy/2019-20/CSR-Policy-Jan-2020-min.pdf |
| ग) सीएसआर परियोजनाएं : | https://ircon.org/images/file/cosecy/Q-3_CSR_Expenditiure_Oct_2020-Dec_2020.pdf |

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (इसमें रिपोर्ट संलग्न करें)।

**इस वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान की गई कोई भी सीएसआर गतिविधि 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक नहीं थी जिसके लिए प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता है।**

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के उप–नियम (3) के उप–नियम (3) के अनुसरण में उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो, के लिए आवश्यक राशि का विवरण

| क्र.सं | वित्तीय वर्ष | पिछले वित्तीय वर्षों से उपलब्ध राशि (रूपए करोड में) | वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो, (रूपए करोड में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017-18 | - | - |
| 2 | 2018-19 | - | - |
| 3 | 2019-20 | - | - |
| | **कुल** | **-** | **-** |

6. कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 135(5) : **513.29 करोड़ रुपये।**

7. (क) कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत 135(5) : **10.26 करोड़ रुपये**
   (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से अधिशेष: रु.0.16 करोड़
   (ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो: **शून्य**
   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क +7ख –7सी) : **10.42 करोड़ रुपये**

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च किए गए सीएसआर राशि:

(राशि रु.करोड़ में )

| वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि | खंड 135(6) के अनुसार अव्यय सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि | | खंउ 135(5) के दूसरे प्रावधान के रूप में अनुसूची –7 के अंतर्गत किसी विशिष्ट निधि में अंतरित राशि | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | अंतरण की तिथि | निधि का नाम | राशि | अंतरण की तिथि |
| 10.42 | – | – | – | – | – |

(राशि रु.करोड़ में )

| | |
|---|---|
| (क) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: **विवरण अनुबंध – 1 के रूप में संलग्न है** | 1.64 |
| (ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: **विवरण अनुबंध – 2 के रूप में संलग्न है** | 8.66 |
| (ग) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि: | 0.09 |
| (घ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो। : | 0.03 |
| (ड.) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि ( 8b+8c+8d+8e ): | 10.42 |

ड. निर्धारित अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो (राशि ₹ करोड़ में )

| क्र.सं | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| (i) | खंड 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत | 10.26 |
| (ii) | वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि | 10.42 |
| (iii) | वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)] | 0.16 |
| (iv) | सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों या गतिविधियों से अधिक लाभ | 0.16 |
| (v) | अगले वित्तीय वर्षों के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)] | 0 |

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण (राशि ₹ करोड़ में )

| क्र.सं | पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष | खंड 135(6) के अनुसार अव्यय सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि | रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि | खंड 135(6) के अनुसार अनुसूची–7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि | | | आगामी वित्तीय वर्षों के व्यय किए जाने हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निधि का नाम | राशि | अंतरण की तिथि | |
| 1.<br>2.<br>3. | 2017–18<br>2018–19<br>2019–20 | | | – | | | |
| | **कुल** | | | – | | | |

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : **रु. 1.64 करोड़ रूपए विवरण अनुलग्नक 3** के रूप में संलग्न हैं

10. पूंजी संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें **(परिसंपत्ति–वार विवरण)** :

| | |
|---|---|
| पूंजी संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : | सीएसआर संपत्तियां सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से बनाई जाती हैं। हालांकि कंपनी के नाम पर कोई सीएसआर संपत्ति नहीं है। |
| पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि। | पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए 60.73 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। |
| इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि। | अनुबंध के रूप में संलग्न – 4 |
| (घ) सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। | अनुबंध के रूप में संलग्न – 4 |

11. कारण बताएं कि कंपनी खंड 135 (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है : **लागू नहीं**

| | | |
|---|---|---|
| ह0/– | ह0/– | ह0/– |
| श्याम लाल गुप्ता | योगेश कुमार मिश्रा | मुकेश कुमार सिंह |
| निदेशक (परियोजनाएं) और | निदेशक (कार्य) और | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं |
| सदस्य, सीएसआर और संधारणीयता समिति | सदस्य, सीएसआर और संधारणीयता समिति | अध्यक्ष, सीएसआर और संधारणीयता समिति |
| (डीआईएन 07598920) | (डीआईएन 07654014) | (डीआईएन 06607392) |

दिनांक : 24.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

## वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा

| क्र. सं | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद | अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद | परियोजना का स्थल | | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपए लाख में) | चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपए लाख में) | खंड 136(6)के अनुसार परियोजना के लिए अव्यय सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपए लाख में ) | क्रियान्वयन का माध्यम – प्रत्यक्ष (हां/ नहीं ) | क्रियान्वयन का माध्यम – क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं ) | राज्य | जिला | | | | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| 1 | विशाखापट्टनम में मैसर्स लाया द्वारा आदिवासी समुदायों में स्कूल रसोई के लिए अपशिष्ट–से–ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देना (2 वर्ष ) | पर्यावरण {क्र.सं. 4 अनुसूची 7} | हां | आंध्रप्रदेश | विशाखापट्टनम | 2 Years | 35.20 | 1.70 | – | नहीं | मैसर्स लाया द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 2 | रियासी, जम्मू और कश्मीर (5 साल ) में वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संवहनीयता | पर्यावरण {क्र.सं. 4 अनुसूची 7} | हां | जम्मू | रायसी | 5 वर्ष | 43.70 | 1.42 | – | हां | वन विभाग द्वारा रियासी | उपयुक्त नहीं |
| 3 | गाजीपुर में गांवों के विकास के लिए 50 हैंड पंपों का प्रावधान | पेय जल {क्र.सं. 7 की सं.(1)} | नहीं | उत्तर प्रदेश | गाजीपुर | 1 वर्ष | 21.80 | 2.18 | – | नहीं | जल निगम गाजीपुर द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 4 | नुरूल अमीन स्टेडियम, नौगांव, नौगांव स्पोर्ट्स एसोसिएशन, असम में अवसंरचना विकास के लिए योगदान के माध्यम से खेल को बढ़ावा देना | खेल {क्र.सं. 7 की सं.(5)} | नहीं | असम | नौंगाव | 2 वर्ष | 77.00 | 19.25 | – | नहीं | नौंगाव स्पोर्टस एसोसिएशन द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 5 | 60 वंचित महिलाओं को मैसर्स लक्ष्यम द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना (एसएचजी के लिए लड़कियों और महिलाओं के लिए सिलाई और सिलाई में व्यावसायिक प्रशिक्षण) | कौशल विकास {क्र.सं. 7 की सं.(2)} | हां | मध्यप्रदेश | शिवपुरी– गुना | 1 वर्ष | 12.66 | 2.50 | – | नहीं | मैसर्स लक्ष्यम द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 6 | खोरा, जिला गाजियाबाद में मैसर्स बीएसजीएसएस द्वारा कौशल विकास केन्द्र के विस्तार का अनुरोध | कौशल विकास {अनुसूची 7 का क्र.सं. (2)} | हां | उत्तर प्रदेश | गाजियावाद –खोड़ा | 1 वर्ष | 21.42 | 13.05 | – | नहीं | मैसर्स बिस्नोली सर्वोदय ग्राम सेवा सस्था द्वारा | अभी उपलबध नहीं |

| क्र. सं | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद | अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद | परियोजना का स्थल | | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपए लाख में) | चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपए लाख में) | खंड 136(6)के अनुसार परियोजना के लिए अव्यय सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपए लाख में ) | क्रियान्वयन का माध्यम – प्रत्यक्ष (हां / नहीं ) | क्रियान्वयन का माध्यम – क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं ) | राज्य | जिला | | | | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| 7 | कलिमपॉंग, पश्चिम बंगाल के स्थानीय निवासियों के लिए पेय जल सुविधा (जुरेलीखोला से भालुखोला के लिए पेय जल योजना) | पेय जल { अनुसूची 7 की क्र.सं. (1)} | हां | पश्चिम बंगाल | कलिम्पोंग | 1 वर्ष | 37.65 | 10.07 | – | हां | प्रत्यक्ष | लागू नहीं |
| 8 | छत्तीसगढ़ में मोबाइल कम्प्यूटर लैब के माध्यम से एकल विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता उपलब्ध करवाना | शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)} | हां | छत्तीसगढ | रायगढ | 1 वर्ष | 26.62 | 1.66 | – | नहीं | मैसर्स एकल ग्रामात्थान फाउंडेशन द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 9 | नौगांव, छत्तीसगढ़ में कम्प्यूटर लैब का निर्माण तथा कम्प्यूटरों का प्रावधान | शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)} | हां | छत्तीसगढ | नवगांव | 1 वर्ष | 18.15 | 6.72 | – | हां | प्रत्यक्ष | लागू नहीं |
| 10 | मैसर्स एसएनडीटी महिला विश्वविद्याालय द्वारा रोजगार सम्बद्ध कौशल के लिए अंग्रेजी साक्षरता हेतु इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया | शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)} | हां | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 वर्ष | 25.00 | 3.75 | – | नहीं | मैसर्स एसएनडीटी महिला विश्वविधालय द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 11 | मैसर्स वात्सल्य फाउंडेशन और मैसर्स सेवा समर्पण संस्थान द्वारा गाजीपुर उ.प्र. में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए माहवारी स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम | स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)} | नहीं | उत्तर प्रदेश | गाजीपुर | 1 वर्ष | 17.14 | – | – | नहीं | मैसर्स वात्सल्य फाउंडेशन और मैसर्स सेवा समर्पण संस्थान द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 12 | मैसर्स अनाडी सेवा प्रकल्प द्वारा वृद्धाश्रम में रहने वाले 23 वृद्ध व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति | स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)} | हां | हरियाणा | फरीदाबाद | 1 वर्ष | 3.00 | 0.30 | – | नहीं | मैसर्स अनादि सेवा प्रकल्प द्वारा | अभी उपलबध नहीं |

| क्र. सं | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद | अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद | परियोजना का स्थल | | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपए लाख में) | चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपए लाख में) | खंड 136(6)के अनुसार परियोजना के लिए अव्यय सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपए लाख में ) | क्रियान्वयन का माध्यम – प्रत्यक्ष (हां / नहीं ) | क्रियान्वयन का माध्यम – क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं ) | राज्य | जिला | | | | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| 13 | वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिल्ली में गलियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन हेतु गोधुली में योगदान | शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)} | हां | दिल्ली | दिल्ली | 1 वर्ष | 6.00 | 0.60 | शून्य | नहीं | मैसर्स गौधुलि द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 14 | मैसर्स संथीग्राम आश्रम द्वारा बीपीएल उम्मीदवारों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण (कार्य उन्मुख कौशल विकास 20 बीपीएल को पंचकर्मा प्रशिक्षण) | शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)} | हां | दिल्ली | दिल्ली | 1 वर्ष | 18.60 | 4.01 | शून्य | नहीं | मैसर्स संथीगिरी आश्रम द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 15 | मैसर्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस द्वारा भुवनेश्वर में विद्यार्थियों के लिए गुणवत्ता सम्पन्न शिक्षा के लिए योगदान (आवासीय विद्यालयों में रहने वाले 5वीं कक्षा के 100 आदिवासी बच्चों का प्रायोजन) | शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)} | हां | ओडीशा | भुवनेश्वर | 1 वर्ष | 30.00 | 3.00 | शून्य | नहीं | मैसर्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 16 | मैसर्स वात्सल्य फाउंडेशन द्वारा धोलपुर में किफायती स्वच्छ नैपकिन मशीनों की व्यवस्था करके ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के साधन (एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार उत्पति हेतु सैनेटरी नेपकिन निर्माण यूनिट की स्थापना तथा स्कूल /कॉलेजों में कन्यायों को वितरण) | स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)} | हां | राजस्थान | धौलपुर | 1 वर्ष | 4.65 | 0.93 | शून्य | नहीं | मैसर्स वात्सल्य फाउंडेशन द्वारा | अभी उपलबध नहीं |

| क्र. सं | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद | अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद | परियोजना का स्थल | | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपए लाख में) | चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपए लाख में) | खंड 136(6)के अनुसार परियोजना के लिए अव्यय सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपए लाख में ) | क्रियान्वयन का माध्यम – प्रत्यक्ष (हां / नहीं ) | क्रियान्वयन का माध्यम – क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं ) | राज्य | जिला | | | | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| 17 | जम्मू कश्मीर में युद्ध विधवाओं की आजीविका सुरक्षा एवं सशक्तीकरण पर समुदाय आधारित प्रस्ताव (80 आरोग्य चिकित्सा कैम्प तथा दवाओं के साथ मुफ्त चिकित्सा सेवा) | स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)} | हां | जम्मू व कश्मीर – कार्गिल व लेह लद्दाख | जम्मू व कश्मीर – कार्गिल व लेह लद्दाख | 1 वर्ष | 27.00 | 13.50 | शून्य | नहीं | मैसर्स आरोग्य फांउंडेशन द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 18 | एलिम्को द्वारा कृत्रिम अंग निर्माण के सहयोग से वित्तीय वर्ष 19–20 के दौरान दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग | स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)} | हां | मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश | मुजफ्फरनगर और कटनी | 1 वर्ष | 40.00 | 10.00 | शून्य | नहीं | मैसर्स एएलआईएमसी द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 19 | झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में प्रत्येक 50 एकल विद्यालयों के लिए योगदान का विस्तार | शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)} | हां | झारखंड, छत्तीसगढ | रायगढ व पश्चिम सिंहभूम | 1 वर्ष | 20.00 | 1.00 | शून्य | नहीं | मैसर्स भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 20 | नुपाडा, उड़ीसा में किफायती स्वच्छ नैपकिन मशीनों की व्यवस्था करके ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के साधन | स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)} | हां | ओडीशा | नुपदा | 1 वर्ष | 6.77 | 1.35 | शून्य | नहीं | मैसर्स वात्सल्य फांउंडेशन द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 21 | रांची, झारखंड में किफायती स्वच्छ नैपकिन मशीनों की व्यवस्था करके ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के साधन | स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)} | हां | झारखंड | रांची | 1 वर्ष | 6.77 | 1.35 | शून्य | नहीं | मैसर्स वात्सल्य फांउंडेशन द्वारा | अभी उपलबध नहीं |

| क्र. सं | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद | अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद | परियोजना का स्थल | | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपए लाख में) | चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपए लाख में) | खंड 136(6)के अनुसार परियोजना के लिए अव्यय सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपए लाख में ) | क्रियान्वयन का माध्यम – प्रत्यक्ष (हां / नहीं ) | क्रियान्वयन का माध्यम – क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं ) | राज्य | जिला | | | | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| 22 | मैसर्स दीपांजली ट्रस्ट द्वारा बारामुला, जम्मू व कश्मीर के रेलवे क्षेत्रों में बॉयोग्रेइ योग्य सैनेटरी नैपकिन की निर्माण यूनिट की स्थापना से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन | स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)} | हां | कश्मीर | बारामुला | 1 वर्ष | 29.44 | 21.16 | शून्य | नहीं | मैसर्स दीपंजन ट्रस्ट द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 23 | वंचित विद्यार्थियों के लिए मिनी साइंग सेंटर खोलने का प्रस्ताव | शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)} | हां | छत्तीसगढ | रायगढ | 1 वर्ष | 9.43 | 2.36 | शून्य | नहीं | मैसर्स संभव द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 24 | ''नोलेज आन व्हील्स'' कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा का प्रोत्साहन | शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)} | हां | महाराश्ट्र | पालघर जिला | 1 वर्ष | 32.84 | 6.57 | शून्य | नहीं | मैसर्स केशव श्रष्टि द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 25 | त्रिपुरा में बहुउद्देशीय हाल का निर्माण (300 क्षमता) | घरों और शेल्टरों की स्थापना | हाँ | त्रिपुरा | अगरतला | 1 वर्ष | 78.00 | 34.69 | – | हाँ | सीधे | उपयुक्त नहीं |
| 26 | जम्मू और कश्मीर परियोजना द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत उधमपुर में शौचालयों का निर्माण | स्वच्छता | हाँ | जम्मू एवं कश्मीर | उधमपुर | 1 वर्ष | 52.00 | 0.50 | – | हाँ | सीधे | उपयुक्त नहीं |
| **कुल** | | | | | | | **700.84** | **163.62** | | | | |

## वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं से अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा

| क्र. सं | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद | परियोजना का स्थल | | | चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपए लाख में ) | क्रियान्वयन का माध्यम –प्रत्यक्ष (हां/नहीं) | क्रियान्वयन का माध्यम –क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं) | राज्य | जिला | | | नामं | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| 1 | वित्तीय वर्ष 20–21 में पीएम निधि में | निधि अंशदान | लागू | लागू | - | 838.24 | हां | प्रत्यक्ष | उपयुक्त नहीं |
| 2 | नांगलोई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 140 झुगीबस्ती बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का संवर्धन | शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)} | हां | नई दिल्ली | नई दिल्ली | 5.50 | नहीं | मैसर्स गोधुली द्वारा | अभी उपलबध नहीं |
| 3 | बनिहाल में चिकित्सा इकाई का संचालन | स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)} | हां | जम्मू व कश्मीर | जम्मू व कश्मीर | 3.03 | हां | प्रत्यक्ष | उपयुक्त नहीं |
| 4 | दिल्ली में 44 डीप फ्रीजियर और 1 वॉक–इन फ्रीजियर का प्रावधान | स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)} | हां | नई दिल्ली | नई दिल्ली | 19.32 | नहीं | प्रत्यक्ष | उपयुक्त नहीं |
| कुल | | | | | | **866.09** | | | |

## पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा

| क्र. सं. | परियोजना आईडी | परियोजना का नाम | वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ की गई | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपए लाख में) | चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (रूपए लाख में) | रिपोर्टिंग वित्तरय वर्ष के अंत में खर्च कीगई संचयी राशि (रूपए लाख मे) | परियोजना की स्थिति पूर्ण/चालू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लागू नहीं | विशाखापट्टनम में मैसर्स लाया द्वारा आदिवासी समुदायों में स्कूल रसोई के लिए अपशिष्ट–से–ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देना (2 वर्ष ) | 2018–19 | 2 साल | 35.20 | 1.70 | 18.60 | अभी उपलबध नहीं |
| 2 | लागू नहीं | रियासी, जम्मू और कश्मीर (5 साल ) में वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संवहनीयता | 2017–18 | 5 साल | 43.70 | 1.42 | 33.67 | उपयुक्त नहीं |
| 3 | लागू नहीं | गाजीपुर में गांवों के विकास के लिए 50 हैंड पंपों का प्रावधान | 2018–19 | 1 साल | 21.80 | 2.18 | 21.80 | अभी उपलबध नहीं |

| क्र. सं. | परियोजना आईडी | परियोजना का नाम | वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ की गई | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपए लाख में) | चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (रूपए लाख में) | रिपोर्टिंग वित्तरय वर्ष के अंत में खर्च कीगई संचयी राशि (रूपए लाख मे) | परियोजना की स्थिति पूर्ण/चालू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | लागू नहीं | नुरूल अमीन स्टेडियम, नौगांव, नौगांव स्पोर्ट्स एसोसिएशन, असम में अवसंरचना विकास के लिए योगदान के माध्यम से खेल को बढ़ावा देना | 2018-19 | 2 साल | 77.00 | 19.25 | 38.50 | अभी उपलबध नहीं |
| 5 | लागू नहीं | 60 वंचित महिलाओं को मैसर्स लक्ष्यम द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना (एसएचजी के लिए लड़कियों और महिलाओं के लिए सिलाई और सिलाई में व्यावसायिक प्रशिक्षण) | 2019-20 | 1 वर्ष होना चाहिए | 12.66 | 2.50 | 12.66 | अभी उपलबध नहीं |
| 6 | लागू नहीं | खोरा, जिला गाजियाबाद में मैसर्स बीएसजीएसएस द्वारा कौशल विकास केन्द्र के विस्तार का अनुरोध | 2019-20 | 1 साल | 21.42 | 13.05 | 21.42 | अभी उपलबध नहीं |
| 7 | लागू नहीं | कलिमपॉंग, पश्चिम बंगाल के स्थानीय निवासियों के लिए पेय जल सुविधा (जुरेलीखोला से भालुखोला के लिए पेय जल योजना) | 2019-20 | 1 साल | 37.65 | 10.07 | 22.81 | उपयुक्त नहीं |
| 8 | लागू नहीं | छत्तीसगढ़ में मोबाइल कम्प्यूटर लैब के माध्यम से एकल विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता उपलब्ध करवाना | 2017-18 | 1 साल | 26.62 | 1.66 | 26.63 | अभी उपलबध नहीं |
| 9 | लागू नहीं | नौगांव, छत्तीसगढ़ में कम्प्यूटर लैब का निर्माण तथा कम्प्यूटरों का प्रावधान | 2017-18 | 1 साल | 18.15 | 6.72 | 17.12 | उपयुक्त नहीं |
| 10 | लागू नहीं | मैसर्स एसएनडीटी महिला विश्वविधालय द्वारा रोजगार सम्बद्ध कौशल के लिए अंग्रेजी साक्षरता हेतु इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया | 2017-18 | 1 साल | 25.00 | 3.75 | 25.00 | अभी उपलबध नहीं |
| 11 | लागू नहीं | मैसर्स वात्सल्य फाउंडेशन और मैसर्स सेवा समर्पण संस्थान द्वारा गाजीपुर उ.प्र. में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए माहवारी स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम | 2018-19 | 1 साल | 17.14 | - | 16.58 | अभी उपलबध नहीं |
| 12 | लागू नहीं | मैसर्स अनाडी सेवा प्रकल्प द्वारा वृद्धाश्रम में रहने वाले 23 वृद्ध व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति | 2019-20 | 1 साल | 3.00 | 0.30 | 3.00 | अभी उपलबध नहीं |
| 13 | लागू नहीं | वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिल्ली में गलियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन हेतु गोधुली में योगदान | 2019-20 | 1 साल | 6.00 | 0.60 | 6.00 | अभी उपलबध नहीं |

| क्र. सं. | परियोजना आईडी | परियोजना का नाम | वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ की गई | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपए लाख में) | चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (रूपए लाख में) | रिपोर्टिंग वित्तरय वर्ष के अंत में खर्च कीगई संचयी राशि (रूपए लाख मे) | परियोजना की स्थिति पूर्ण/चालू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | लागू नहीं | मैसर्स संथीगिरी आश्रम द्वारा बीपीएल उम्मीदवारों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण (कार्य उन्मुख कौशल विकास 20 बीपीएल को पंचकर्मा प्रशिक्षण) | 2019-20 | 1 साल | 18.60 | 4.01 | 18.60 | अभी उपलबध नहीं |
| 15 | लागू नहीं | मैसर्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस द्वारा भुवनेश्वर में विद्यार्थियों के लिए गुणवत्ता सम्पन्न शिक्षा के लिए योगदान (आवासीय विद्यालयों में रहने वाले 5वीं कक्षा के 100 आदिवासी बच्चों का प्रायोजन) | 2019-20 | 1 साल | 30.00 | 3.00 | 30.00 | अभी उपलबध नहीं |
| 16 | लागू नहीं | मैसर्स वात्सल्य फाउंडेशन द्वारा धोलपुर में किफायती स्वच्छ नैपकिन मशीनों की व्यवस्था करके ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के साधन (एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार उत्पति हेतु सैनेटरी नेपकिन निर्माण यूनिट की स्थापना तथा स्कूल /कॉलेजों में कन्यायों को वितरण) | 2017-18 | 1 साल | 4.65 | 0.93 | 4.65 | अभी उपलबध नहीं |
| 17 | लागू नहीं | जम्मू कश्मीर में युद्ध विधवाओं की आजीविका सुरक्षा एवं सशक्तीकरण पर समुदाय आधारित प्रस्ताव (80 आरोग्य चिकित्सा कैम्प तथा दवाओं के साथ मुफ्त चिकित्सा सेवा) | 2019-20 | 1 साल | 27.00 | 13.50 | 27.00 | अभी उपलबध नहीं |
| 18 | लागू नहीं | एलिमको द्वारा कृत्रिम अंग निर्माण के सहयोग से वित्तीय वर्ष 19–20 के दौरान दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग | 2019-20 | 6 माह | 40.00 | 10.00 | 20.00 | अभी उपलबध नहीं |
| 19 | लागू नहीं | झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में प्रत्येक 50 एकल विद्यालयों के लिए योगदान का विस्तार | 2019-20 | 1 साल | 20.00 | 1.00 | 20.00 | अभी उपलबध नहीं |
| 20 | लागू नहीं | नुपाडा, उड़ीसा में किफायती स्वच्छ नैपकिन मशीनों की व्यवस्था करके ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के साधन | 2019-20 | 1 साल | 6.77 | 1.35 | 6.77 | अभी उपलबध नहीं |
| 21 | लागू नहीं | रांची, झारखंड में किफायती स्वच्छ नैपकिन मशीनों की व्यवस्था करके ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के साधन | 2019-20 | 1 साल | 6.77 | 1.35 | 6.77 | अभी उपलबध नहीं |
| 22 | लागू नहीं | मैसर्स दीपांजन ट्रस्ट द्वारा बारामुला, जम्मू व कश्मीर के रेलवे क्षेत्रों में बॉयोडिग्रेडेबल योग्य सैनेटरी नैपकिन की निर्माण यूनिट की स्थापना से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन | 2019-20 | 1 साल | 29.44 | 21.16 | 29.44 | अभी उपलबध नहीं |

| क्र. सं. | परियोजना आईडी | परियोजना का नाम | वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ की गई | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपए लाख में) | चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (रूपए लाख में) | रिपोर्टिंग वित्तरय वर्ष के अंत में खर्च कीगई संचयी राशि (रूपए लाख मे) | परियोजना की स्थिति पूर्ण/चालू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | लागू नहीं | वंचित विद्यार्थियों के लिए मिनी साइंग सेंटर खोलने का प्रस्ताव | 2019-20 | 1 साल | 9.43 | 2.36 | 7.08 | अभी उपलबध नहीं |
| 24 | लागू नहीं | ''नोलेज आन व्हील्स'' कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा का प्रोत्साहन | 2019-20 | 1 साल | 32.84 | 6.57 | 26.27 | अभी उपलबध नहीं |
| 25 | लागू नहीं | त्रिपुरा में बहुउद्देशीय हाल (300 क्षमता) का निर्माण | 2019-20 | 1 साल | 78.00 | 34.69 | 34.69 | उपयुक्त नहीं |
| 26 | लागू नहीं | जम्मू और कश्मीर परियोजना द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उधमपुर में शौचालयों का निर्माण | 2019-20 | 1 साल | 52.00 | 0.50 | 0.50 | उपयुक्त नहीं |
| **कुल** | | | | | **570.84** | **163.62** | **512.16** | |

**अनुबंध–4**

## सीएसआर परिसंपत्तियों का ब्यौरा

| क्र. सं | परियोजना का नाम | परिसंपत्ति का ब्यौरा | चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपए लाख में) | लाभार्थियों/एजेंसियों हेतु सृजित परिसंपत्तियां | पता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | त्रिपुरा में बहुउद्देशीय हाल (300 क्षमता) का निर्माण | 300 की क्षमता वाले बहु उद्देशीय हॉल का निर्माण | 34.69 | मैसर्स हेजवेर स्मारक समिति | हेजवेर स्मारक समिति, सेवाधाम, वेस्ट त्रिपुरा |
| 2 | नौगांव, छत्तीसगढ़ में कम्प्यूटर लैब का निर्माण तथा कम्प्यूटरों का प्रावधान | कम्प्यूटर लैब का निर्माण औरा कम्प्यूटरों और बैंचों का प्रावधान | 6.72 | राजकीय उच्चतम माध्यमिक स्कूल | राजकीय उच्चतम माध्यमिक स्कूल, नवगांव छत्तीसगढ |
| 3 | दिल्ली में 44 डीप फ्रीजियर और 1 वॉक–इन फ्रीजियर का प्रावधान | 44 डीप फ्रीजरों का प्रावधान | 19.32 | परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय | परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली |
| | **कुल** | | **60.73** | | |

**फार्म सं. एमआर–3**

## सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

## 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,

**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,**
**सीआईएनः एल45203डीएल1976जीओआई008171**
**प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,**
**नई दिल्ली–110017**

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड** (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा), जिसका पंजीकृत कार्यालय **प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017** में है, द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने **31 मार्च 2021** को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार **31 मार्च 2021** को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1966 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप–नियम

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम **(लागू स्तर तक)**

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम (''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 2015

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 **(कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी कर्मचारी लाभ योजना के अनुसरण में कोई शेयर या कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है)।**

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2008 **(कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी ऋण प्रतिभूति को जारी या सूचीबद्ध नहीं किया है)।**

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है।

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009 **(कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी स्टॉक एक्सचेंज से अपने किसी इक्विटी शेयर को गैर–सूचीबद्ध नहीं/किए जाने का प्रस्ताव नहीं है)**, और

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018 (कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी प्रतिभूति को वापस नहीं लिया/लेने का प्रस्ताव नहीं है)।

(vi) कंपनी के प्रबंधन द्वारा सूचित और प्रमाणित अनुसार, अन्य कानून विशिष्ट रूप से उनके क्षेत्र/उद्योग के आधार पर लागू हैं:

(क) भवन और अन्य निमार्ण कर्मचारी (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियम) केन्द्रीय नियम, 1998

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003

श्रम कानूनों और अन्य सामान्य कानूनों का अनुपालन करने के लिए, हमारी जांच और रिपोर्ट कंपनी के अधिकारियों और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत और दिखाए गए अभिलेखों, रिकार्डों तथा फाइलों तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और कंपनी पर लागू विभिन्न विधानों के लागू होने

के संबंध में हमारे सर्वोत्तम विवेक और समझ के आधार पर है। हमारे मतानुसार, कंपनी में लागू सामान्य कानूनों और श्रम कानूनों की मॉनीटरिंग और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

लागू वित्तीय नियमों, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों के संबंध में कंपनी द्वारा अनुपालन की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि इसकी सांविधिक लेखांकन लेखापरीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा की गई है।

**हमने निम्नलिखित के अनुपालन की भी जांच की है।**

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।
ii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायितव एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015.
iii. दिनांक 14 मई 2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18(8)/2005–जीएम के तहत लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन दिशानिर्देश।
iv. निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 27 मई 2016 के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 5/2/2016–नीति में निर्धारित अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम की पूंजीगत पुनर्संरचना पर दिशानिर्देश।

*समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित स्तर को छोड़कर उपर्युक्त अधिनिम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है –*

**कंपनी के पास निम्नलिखित नहीं हैं:**

1. **निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के प्रावधानों तथा निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या**
2. **कंपनी अधिनियम (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 तथा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149(1) के अंगर्तत यथापेक्षित अपने बोर्ड में महिला निदेशक।**
3. **30 सितम्बर 2020 (20–09–2020 से 30–09–2020), 31 दिसम्बर 2020 तथा 31 मार्च 2021 को समस्त तिमाही के लिए विनियम 18 के अंतर्गत यथापेक्षित लेखापरीक्षा समिति की संरचना और विनियम 19 के अंतर्गत यथापेक्षित नामांकन और परिश्रमिक समिति की संरचना।**
4. **दिनांक 31 मार्च 2021 (08.03.2021 से 31.03.2021) को समाप्त तिमाहियों के लिए विनियम–20 के तहत अपेक्षित हितधारक संबंध समिति की संरचना, तथा**
5. **दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25(3) के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम एक बैठक।**

**हम आगे यह सूचित करते हैं कि –**

- कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे, सिवाय इसके कि कंपनी अपेक्षित रूप से स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति नहीं कर पाई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के प्रावधान उपर्युक्त हैं। बीएसई और एनएसई ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) के गैर अनुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना (जुर्माने) लगाया था। इरकॉन ने स्टॉक एक्सचेंजों को स्पष्ट किया है कि उन्हें जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए और इस तथ्य के कारण यह प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है कि एक सरकारी कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। सूचीबद्ध संस्था की स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है जब तक कि सरकार द्वारा नामित न किया जाए। सूचीबद्ध इकाई ने पहले ही समय–समय पर प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात रेल मंत्रालय) से अनुरोध किया है कि वह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इरकॉन के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति करें।
- बोर्ड बैठकों की अनुसूची के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिऐ जाते हैं, बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट सभी निदेशकों को बैठक से कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठके से पूर्व कार्यसूची मदों पर और अधिक सूचना या स्पष्टीकरणों को प्राप्त करने और बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी को संभव बनाने के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।
- अधिकतर निर्णय सदस्यों के विचारों को प्राप्त करके लिए जाते हैं, यदि कोई हो, को कार्यवृत्त के भाग के रूप में रखा और रिकार्ड किया जाता है।

**हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि** कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग करने और इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान

i. कंपनी के प्रमोटर अर्थात ''रेल मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति'' ने स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री (ओएफएस) के तहत 89.75 रूपए प्रति शेयर की दर से 675.29 करोड़ रूपए (5,26,68,882 इक्विटी शेयरों को 3 मार्च 2021 को गैर–खुदरा निवेशकों को और 2,25,72,378 इक्विटी शेयरों को 4 मार्च 2021 को खुदरा निवेशकों को बेच दिया गया) के कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 16% अर्थात 7,52,41,260 इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया गया।

ii. कंपनी ने 2 रूपए प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य पर 1.30 रूपए प्रति इक्विटी शेयर पर अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।

iii. कंपनी ने 2 रूपए प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य पर 1.32 रूपए प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित किया है।

**कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव
ह0/–
**सीएस नरेश कुमार सिन्हा**
(प्रोप्राइटर)
एफसीएस:1807 सीपी सं.: 14984
पीआर: 610/2019
यूडीआईएन:F001807C0004592364

स्थान : नोएडा
दिनांक : 07.07.2021

*इस रिपोर्ट को अनुबंध–क के रूप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।*

**अनुबंध–क**

सेवामें,
सदस्य,
**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,**
**सीआईएनः एल45203डीएल1976जीओआई008171**
**प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,**
**नई दिल्ली–110017**

हमारी 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समतिथिक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। औचक जांच आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रिकार्डो में सही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं की है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूर्णता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।
7. कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत, हम 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के भौतिक अभिलेखों, रिकार्डों एवं अन्य दस्तावेजों आदि की जांच नहीं कर पाए हैं और हमें अपेक्षित सभी दस्तावेज/सूचना इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं।

**कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव
ह0/–
**सीएस नरेश कुमार सिन्हा**
(प्रोप्राइटर)
एफसीएस:1807 सीपी सं.:14984
पीआर: 610/2019
यूडीआईएन:F001807C0004592364

स्थान : नोएडा
दिनांक : 07.07.2021

## वर्ष 2020–21 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा में समाविष्ट अवलोकनों के उत्तर और निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन

| वित्तीय वर्ष 2020–21 की रिपोर्ट में समाविष्ट अवलोकन | प्रबंधकीय उत्तर |
|---|---|
| **कंपनी के पास यह नही है:**<br>निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या। | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–2(45) के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को इरकॉन के बोर्ड में निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है। इरकॉन में सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा उसके प्रशासनिक मंत्रालय, रेल मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं और स्वतंत्र निदेशकों / महिला निदेशक सहित किसी भी निदेशक की नियुक्ति के लिए इरकॉन की कोई भूमिका नहीं होती है। |
| कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) के तहत इसके बोर्ड में महिला निदेशक। | कंपनी ने कई बार, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इरकॉन के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) और सरकारी नामित (गैर–कार्यकारी) निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है और यह प्रक्रियाधीन है। निदेशकों के रिक्त पद की शीघ्र नियुक्ति के लिए कंपनी नियमित रूप से मामले की जांच कर रही है। |
| दिनांक 30 सितंबर, 2020 (20–09–2020 से 30–09–2020), 31 दिसंबर 2020 और 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाहियों के लिए विनियमन–18 के तहत आवश्यक लेखापरीक्षा समिति की संरचना और विनियमन–19 के तहत आवश्यक नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना। | लेखापरीक्षा समिति की संरचना 19.09.2020 तक अनुपालन में थी। 19.09.2020 को इरकॉन के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप, 20.09.2020 से, लेखापरीक्षा समिति की संरचना गैर–अनुपालन में है अर्थात दो स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष 07.03.2021 तक स्वतंत्र निदेशक थे, हालांकि, 07.03.2021 को शेष एक स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप, बोर्ड ने एक गैर–स्वतंत्र निदेशक को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।<br>नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की संरचना 19.09.2020 तक अनुपालन में थी। दिनांक 19.09.2020 को इरकॉन के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप दिनांक 20.09.2020 से एनआरसी की संरचना अनुपालन में नहीं है अर्थात स्वतंत्र निदेशक के रूप में इसके सदस्य का कम से कम 50 प्रतिशत नहीं हैं।<br>दिनांक 30.09.2020 से, एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अध्यक्ष और एक स्वतंत्र निदेशक, एक गैर–कार्यकारी निदेशक और एक कार्यकारी निदेशक के साथ एनआरसी का पुनर्गठन किया गया था। हालांकि, 07.03.2021 को शेष एक स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति और किसी भी अतिरिक्त गैर–कार्यकारी निदेशक की अनुपलब्धता के कारण, निदेशक मंडल ने ऐसे समय तक एनआरसी को निलंबित कर दिया, जबतक रेल मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशक और/या अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक बोर्ड में नियुक्त किए जाते हैं। |
| 31 मार्च, 2021 (08–03–2021 से 31–03–2021) को समाप्त तिमाहियों के लिए विनियम–20 के तहत अपेक्षित हितधारक संबंध समिति की संरचना, तथा | स्टेकधारक संबंध समिति (आरएमसी) की संरचना 07.03.2021 तक अनुपालन में थी। शेष एक स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप, स्टेकधारक संबंध समिति की संरचना दिनांक 08.03.2021 से अनुपालन में नहीं किया जा रहा है। |
| 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम–25(3) के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम एक बैठक। | दिनांक 19.09.2020 को दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, दिनांक 20.09.2020 से 07.03.2021 तक कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक शेष थे, इसलिए, वर्ष 2020–21 के दौरान स्वतंत्र निदेशक समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। |

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**
ह0/–
**(मुकेश कुमार सिंह)**
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
सीईओ एवं निदेशक (वित्त)
(डीआईएनः 06607392)

दिनांक : 24.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

## फार्म सं– एओसी–2

**चौथे पक्ष के प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म–लैंथ संव्यवहारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म सं. एओसी – 2**

**कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम–2013 के खंड 134(3)(एच) के अनुसरण में**

संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं — शून्य

सामग्री संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं (सभी महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण करार और संव्यवहार) — निम्नानुसार

| क्र. सं | संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति | संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रकृति | संविदाओं/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की अवधि | मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं | बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो | अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो (रूपए करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी | (क) खरसिया और कोरीचपर नई बीजी खंड के बीच रेलपथ का अनुरक्षण | **तिथि:** अभी करार किया जाना है। **अवधि:** दिनांक 12.01.2019 से 6 महीने | इरकॉर द्वारा नियुक्त उपठेकेदारों के बिल पर इरकॉन का 9 प्रतिशत का मार्जिन। | लागू नहीं | शून्य |
| | | (ख) रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास | **तिथि:** 30.12.2019 का करार। **अवधि:** समझौता ज्ञापन त्रुटि देयता अवधि या सेवाओं के समापन/समयपूर्व समापन, जो भी पहले हो सहित सभी आवंटित परियोजना (परियोजनाओं) के समाप्त होने तक लागू रहेगा। | इरकॉन को परियोजना लागत के 5.22 प्रतिशत जमा जीएसटी की दर से शुल्कों हेतु रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य प्रदान किया गया है। | लागू नहीं | शून्य |
| 2. | **इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी | (क) इरकॉनएसजीटीएल द्वारा इरकॉन को मध्यप्रदेश राज्य में स्टेज–।। पर किमी 236. 000 से किमी 332.100 तक एनएच–3 के शिवपुरी–गुना, बी–पास खंड को चार लेन के निष्पादन के लिए ईपीसी समझौता प्रदान करना। | **तिथि:** दिनांक 01.01.2021 का कार्य प्रदान पत्र और दिनांक 20.01.2021 का ईपीसी करार। **अवधि:** कार्य अवार्ड पत्र या स्थल सौंपे जाने, जो भी बाद में हो, से 12 महीने। | **राशि:** वास्तविक लागत जमा 5 प्रतिशत आधार पर। | लागू नहीं | शून्य |
| 3. | **इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल))** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी | (क) इरकॉन डीएचएचएल के लिए दावणगिरि हवेरी राजमार्ग परियोजना की इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण (एचपीसी) संविदा : इरकॉन को कर्नाटक राज्य में एनएच–48 के किमी 260000 तक और 338923 तक | **तिथि:** ईपीसी करार तिथि 04.01.2018 **अवधि:** समापन अवधि नियुक्ति तिथि या इरकॉन डीएचएचएल द्वारा भूमि सौंपे जाने की तिथि से 30 वर्ष है। | **राशि:** 916.93 करोड रूपए जमा 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी | लागू नहीं | 13.82 करोड़ रु. के अग्रिम का पुनर्भुगतान |
| 4. | **इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी | (क) इरकॉन को गुजरात राज्य में 323 किमी से 355 किमी तक आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रैसवे के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण (ईपीसी) संविदा प्रदान किया गया। | **तिथि:** ईपीसी पट्टा करार तिथि 09.11.2018 यथा आशोधित दिनांक 10.08.2019 को प्रविष्ट शुद्धिपत्र–1 और दिनांक 03.01.2020 को प्रविष्ट शुद्धिपत्र–2 **अवधि :** नियुक्ति तिथि से परिकलित समापन अवधि 730 दिन है। | **राशि:** 1377.73 करोड रूपए जमा 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी | लागू नहीं | 70.28 करोड़ रु. के अग्रिम का पुनर्भुगतान |

| क्र. सं | संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति | संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति | संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि | मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं | बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो | अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो (रूपए करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | **इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉन जीआरएचएल)** एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। | इरकॉन को हरियाणा राज्य में फीडर मार्ग के रूप में एनएच–352डब्ल्यू (डिजाइन लंबाई 46.110 किमी) के गुड़गांव–पटौदी–रेवाड़ी खंड के उन्नयन के कार्य के लिए इरकॉन जीआरएचएल द्वारा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध प्रदान करना। | **तिथिः** दिनांक 16.03.2021 का कार्य प्रदान पत्र और दिनांक 30.06.2021 का ईपीसी करार।<br><br>**अवधिः** नियुक्ति तिथि समापन अवधि 730 दिन है। | **राशिः** 606.54 करोड रूपए जमा 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी | लागू नहीं | शून्य |
| 6. | **इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआर एसडीसी)** संयुक्त उद्यम कंपनी | (ख) विशिष्ट रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु इरकॉन और आईआरएसडीसी के बीच समझौता ज्ञापन | **तिथिः** दिनांक 30.08.2019 का समझौता ज्ञापन<br><br>**अवधिः** समझौता ज्ञापन त्रुटि देयता अवधि या सेवाओं के समापन / समयपूर्व समापन, जो भी पहले हो तक सभी आवंटित परियोजना (परियोजनाओं) के समापन तक लागू रहेगा। | इरकॉन का परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) का कार्य प्रदान किया गया है और वह 5.8 प्रतिशत शुल्क जमा परियोजना लागत (लागतों) के जीएसटी की दर से शुल्क के लिए पात्र है।<br>यदि परियोजना पीपीपी फ्रेमवर्क पर की जाती है तो आईआरएसडीसी प्रति परियोजना 3 करोड रूपए के अधिकतम के मद्देनजर अनिवार्य कार्य की लागत को घटाने के पश्चात प्राप्त पट्टा प्रीमियम के 0.2 प्रतिशत की दर से सहमत शुल्क के अतिरिक्त बोनस (चयनित बोलीकर्ता / विकासकर्ता को देय) का प्रस्ताव करेगा। | लागू नही | शून्य |
| 7. | **छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)** संयुक्त उद्यम कंपनी | इरकॉन को सीईआरएल के लिए छत्तीसगढ में पूर्वी गलियारा रेल परियोजना का निष्पादन कार्य प्रदान किया गया। | **तिथिः** परियोजना निष्पादन करार दिनांक 18.01.2014<br><br>**अवधिः** रियायत करार की तर्ज पर रेल गलियारे के प्रचालनिक होने तक। | इरकॉन को शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति कार्य की वास्तविक लागत जमा संविदा के विशिष्ट प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा। | लागू नही | 3.07 करोड़ रु. का अग्रिम रुप में प्राप्त हुए।<br><br>15.19 करोड़ रु. काअग्रिम का पुनर्भुगतान |
| 8. | **छत्तीसगढ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यू आरएल)** संयुक्त उद्यम कंपनी | इरकॉन को सीईडब्ल्यूआरएल के लिए छत्तीसगढ में पूर्वी गलियारा रेल परियोजना का निष्पादन कार्य प्रदान किया गया। | **तिथिः** परियोजना निष्पादन करार दिनांक 05.04.2014<br><br>**अवधिः** रियायत करार की तर्ज पर रेल गलियारे के प्रचालनिक होने तक। | इरकॉन को शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति कार्य की वास्तविक लागत जमा संविदा का विशिष्ट प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा। | लागू नही | 36.39 करोड़ रु. का अग्रिम रुप में प्राप्त हुए।<br><br>9.34 करोड़ रु. का अग्रिम का पुनर्भुगतान |

| क्र. सं | संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति | संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति | संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि | मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं | बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो | अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो (रूपए करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | **महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल),** संयुक्त उद्यम कंपनी | इरकॉन को एमसीआरएल द्वारा चिह्नित परियोजना लाइनों व साइडिंगों की व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन व निर्माण का कार्य प्रदान किया गया। | **तिथि** : परियोजना निष्पादन करार दिनांक 19.04..2016<br><br>**अवधि:** सभी चयनित परियोजनाओं कें प्रचालन आरंभ तक। | इरकॉन निर्माण के शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति एफआर व डीपीआर के लिए परियोजना लागत और संविदा के विशिष्ट प्रतिशत जमा वास्तविक परियोजना लागत के प्रतिशत का भुगतान करेगा। | लागू नही | शून्य<br><br>0.98 करोड़ रु. का अग्रिम पुनर्भुगतान |
| 10. | **झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)** संयुक्त उद्यम कंपनी | इरकॉन को जेसीआरएल द्वारा चिन्हित परियोजना लाइनों व साइडिंगों की व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन व निर्माण का कार्य प्रदान किया गया। | **तिथि:** परियोजना निष्पादन करार दिनांक 28.03.2016<br><br>**अवधि:** सभी चयनित परियोजनाओं कें प्रचालन आरंभ तकं। | इरकॉन निर्माण के शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति एफआर व डीपीआर के लिए परियोजना लागत और संविदा के विशिष्ट प्रतिशत जमा वास्तविक परियोजना लागत के प्रतिशत का भुगतान करेगा। | लागू नही | शून्य |
| 11. | **बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)**<br><br>संयुक्त उद्यम कंपनी | इरकॉन को बीआरपीएल द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, अभिकल्प तैयार करने और चिह्नित परियोजना लाइनों और साइडिंगों के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया। | **तिथि:** परियोजना निष्पादन करार दिनांक 19.07.2017<br><br>**अवधि:** सभी चिह्नित परियोजना को आरंभ करने तक | इरकॉन को एफआर तथा डीपीआर के लिए परियोजना की लागत के प्रतिशत तथा कार्य की वास्तविक लागत जमा शिरोपरि कार्यों के प्रति संविदा संवर्धन का विशिष्ट प्रतिशत और निर्माण के लिए लाभ का भुगतान किया जाएगा। | लागू नहीं | शून्य<br><br>0.26 करोड़ रु. का अग्रिम पुनर्भुगतान |

**ध्यान दें:**

1. उपर्युक्त लेनदेन के अतिरिक्त, संबंधित पक्षों के साथ दर्ज किए गए अन्य लेनदेन आदि निम्नानुसार हैं:
   i) सेवाएं प्रदान करना या प्राप्त करना – बाजार दरों पर मशीनरी, जनशक्ति और अन्य संसाधन आर्म लैंथ आधार पर आर्म लैंथ आधार पर कार्यालय स्थल को पट्टे पर देना और सहायक / सहयोगी कंपनी को और उससे लागत के आधार पर जनशक्ति, प्रशासनिक सेवाओं आदि की प्रतिनियुक्ति जैसी सेवाओं का प्रतिपादन या लाभ प्राप्तं करना।
   ii) उपरोक्त लेनदेनों के संबंध में, जिनका मूल्य 1 करोड़ रूपए प्रति लेनदेन से कम है, लेखापरीक्षा समिति की सर्वव्यापक स्वीकृति प्रदान की गई थी।
2. उपरोक्त सभी लेन–देन इरकॉन की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें लेखापरीक्षा समिति द्वारा प्रदान किए गए सर्वव्यापी अनुमोदन के तहत शामिल लेनदेन शामिल हैं।
3. उपरोक्त लेनदेन के अतिरिक्त, मध्यस्थता दावों के लिए आईएसटीपीएल से प्राप्त अग्रिम के प्रति रु. 45 करोड़ की राशि शेष है।
4. सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों आदि के लिए निवेश, ऋण और गारंटी आदि के विवरण हेतु, सदस्य वित्तीय विवरणों का उल्लेख कर सकते हैं, जो भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण और वर्ष के दौरान लेनदेन को भी निर्धारित करते हैं।

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**
ह0 / –
**(मुकेश कुमार सिंह)**
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
एल / ए एवं निदेशक (वित्त)
(डीआईएनः 06607392)

दिनांक : 24.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

# लाभांश संवितरण नीति

## 1. पृष्ठभूमि

1.1 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने (सेबी) (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के (दूसरा संशोधन) में दिनांक 8 जुलाई 2016 की अधिसूचना के तहत विनियम 43ए शामिल किया है, जिसमें बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्तीय पर्ष के 31 मार्च के अनुसार परिकलित) के आधार पर पांच सौ शीर्ष सूचीबद्ध निकायों के लिए अपेक्षित है कि वह एक लाभांश संवितरण नीति तैयार करे और उसे वार्षिक रिपोर्ट और अपनी वेबसाईट पर प्रकट करे।

1.2 इस नीति का उद्देश्य निम्नलिखित मापदंडों (बाहरी और आंतरिक कारकों) को व्यापक स्तर पर विनिर्दिष्ट करना है जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय और उन परिस्थितियों में विचार किया जाएगा, जिनमें कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश की उम्मीद है/नहीं है और प्रतिधारित आमदनी का प्रयोग किस प्रकार किया जाए।

कंपनी शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए प्रयासरत है और विश्वास करती है कि इसे निरंतर विकास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह नीति यह प्रयास करती है कि लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को पुरस्कृत करने और कंपनी के विकास तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त लाभों को प्रतिधारित रखे जाने के बीच इष्टतम संतुलन बनाए रखा जाए।

यह नीति लाभांश की सिफारिश करने के लिए बोर्ड के निर्णय, जो कि कंपनी के ब्याज तथा नीति में वर्णित परिस्थितियों तथा अन्य कारकों जो बोर्ड द्वारा संगत निर्धारित किए जाएं, को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, का विकल्प नहीं है।

## 2. नीति फ्रेमवर्क

यह नीति व्यापक स्तर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की तर्ज पर तथा निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उपक्रम विभाग, द्वारा जारी ''सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के रीस्ट्रक्चरिंग'' और सेबी विनियमों और लागू स्तर तक अन्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

## 3. लाभांश की घोषणा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक

### 3.1 लाभांश की घोषणा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले वित्तीय कारक

इरकॉन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम होने के कारण दिनांक 27.05.2016 को डीआईपीएएम द्वारा जारी केपिटल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइसेज की पूंजीगत पुनर्संरचना पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

### 3.2 लाभांश की घोषणा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले आंतरिक और बाह्य कारक

#### 3.2.1 आंतरिक कारक

बोर्ड द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा पर विचार करते समय कम्पनी के संचालन की प्रकृति और अन्य पैमानों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकता है:

क. तिमाही तक/वित्तीय वर्ष के लिए लाभ।

ख. कंपनी की मुक्त आरक्षित निधि में उपलब्ध शेष।

ग. कंपनी और उद्योग का लाभांश भुगतान का रुझान।

घ. भावी व्यवसाय अनुमान और प्रचालनिक आवश्यकताएं

ड. आमदनियों की धारणीयता और भावी लाभों का अनुमान।

च. प्रचालनिक रोकड़ प्रवाह, कोषीय स्थिति और प्रचालनिक आवश्यकताएं।

छ. ऋण सीमा और ऋण प्राप्त करने की क्षमता।

ज. कंपनी की वर्तमान और भावी पूंजी व्यय योजना।

झ. कंपनी की सहायक/संयुक्त उपक्रम तथा संबद्ध कंपनियों में अतिरिक्त निवेश।

ट. अप्रत्याशित घटनाओं और आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान, जिनका आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है।

ढ. कोई अन्य कारक, जो बोर्ड द्वारा उपयुक्त माना जाए।

#### 3.2.2 बाहरी कारक

- (क) आर्थिक वातावरण और व्यावसायिक वातावरण: लाभांश की घोषणा करते समय सूक्ष्म आर्थिक परिस्थितियों सहित वर्तमान और भावी व्यवसायों के परिदृश्य पर विचार किया जाएगा।
- (ख) उद्योग की स्थिति: लाभांश की घोषणा के संबंध में निर्णय लेते समय उस उद्योग की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा, जिस उद्योग में कंपनी प्रचालन कर रही है।
- (ग) सांविधिक प्रावधान तथा दिशानिर्देश: कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम तथा सेबी और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों के विनियमों

के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी भारत सरकार द्वारा तथा अन्य किसी सांविधिक निकायों द्वारा समय–समय पर जारी लाभांष घोषणा संबंधी लागू दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी।

- (घ) लाभांश पर कर सहित लागू करः लाभांश पर कर सहित कंपनी में लागू करों पर विचार किया जाएगा जो समग्र रोकड़ बहिर्गमन को प्रभावित करते हैं।

**3.3 वे परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।**

लाभांश के रूप में लाभ का संवितरण तथा व्यवसायों में अन्य उद्देश्यों के लिए कुछ अनुमात में लाभ का प्रतिधारण प्रत्येक कंपनी का मूलभूत निर्णय है। इस निर्णय के लिए लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत करने तथा व्यवसाय के प्रचालनिक आवश्यकताओं और विकास योजनाओं के लिए लाभों के प्रतिधारण के बीच उपयुक्त संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। हालांकि, कंपनी नियमित रूप से अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान कर रही है और वह युक्तिसंगत रूप से भविष्य में भी लाभांश की उम्मीद करते हैं, जब तक कि निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत लाभांशों की घोषणा न करने के लिए कंपनी की कोई समस्या न होः

(क) लाभों का अभाव या अपर्याप्तता – यदि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभ नहीं हुआ है अथवा यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी का लाभ पर्याप्त नहीं है तो बोर्ड उस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा न करने का निर्णय ले सकता है।

(ख) अन्य समस्याएं – वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित न करने का निर्णय लेते समय बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण कारकों जैसे रोकड़ संसाधनों की सीमित/गैर–उपलब्धता, भावी रोकड़ प्रवाह अनुमानों के कारण सीमितता, आपातकालीन आवश्यकताएं जिसके लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता हो, अस्थिर व्यवसाय तथा लाभ अनुमान आदि और कोई अन्य सांविधिक कारकों पर भी विचार किया जा सकता है।

## 4. प्रतिधारण आमदनियों का उपयोग

कंपनी की प्रतिधारण आमदनियों का प्रयोग अवसंरचना के सृजन तथा कंपनी के व्यवसाय के विस्तार के लिए किया जाता रहा है। कंपनी की प्रतिधारण आमदनियों के उपयोग का निर्णय कई कारकों पर आधारित होता है जैसे कंपनी की नीति और दीर्घकालीन योजनाएं, विविधिकरण, बोनस जारी करने, बाय–बैक के संबंध में सरकारी दिशानिर्देश तथा कोई अन्य कारण जो सरकार द्वारा उपयुक्त समझा जाए। इसलिए, प्रतिधारण आमदनियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे इसके सभी शेयरधारकों का धारणीय रूप से मूल्य संवर्धन हो सके।

## 5. शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मापदंड

वर्तमान में कंपनी के केवल एक श्रेणी के शेयर हैं यथा इक्विटी शेयर और रिकार्ड तिथि को कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर घोषित लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के पात्र हैं। जब कभी कंपनी शेयरों की किसी अन्य श्रेणी को जारी करने का प्रस्ताव करेगी, शेयरों में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

## 6. यह नीति निम्नलिखित पर लागू नहीं होगीः

- किसी अन्य रूप में लाभांश का संवितरण जैसे बोनस शेयरों या प्रतिभूतियों को जारी करके, लागू कानूनों के मद्देनजर।
- इक्विटी शेयरों के बायबैक के रूप में लाभांश भुगतान के विकल्प के रूप में रोकड़ का संवितरण।

## 7. संशोधन

निदेशक मंडल उपयुक्त समझे जाने पर या सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार समग्र रूप से या भाग में, इस नीति की समीक्षा या संशोधन कर सकते हैं।

तथापि, इस नीति में किसी प्रकार का संशोधन सूचीबद्धता विनियमों या किसी अन्य सांविधि के अनुपालन में किया जाना अपेक्षित है और कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक ऐसे संशोधन को अनुमोदित करने के लिए शक्तिप्रदत्त है।

## 8. प्रकटनः

इस नीति के तत्वों के अतिरिक्त मापदंडों या इस नीति के तत्वों में संशोधन के परिणामस्वरूप लाभांश की घोषणा को वार्षिक रिपोर्ट तथा कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा।

तथापि, इस नीति में परिवर्तन को इसके औचित्य के साथ लागू विनियामक प्रावधानों के अनुसार कंपनी की वेबसाइट तथा कंपनी की आगामी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

ऐसी स्थिति में जहां यह नीति किसी अन्य विनियामक प्रावधान के अनुरूप नहीं है, ऐसे विनियामक प्रावधान इस नीति के समवर्ती प्रावधान के स्थान पर विद्यमान रहेंगे और नीति को ऐसे प्रावधान की प्रभावी तिथि से तद्नुसार संशोधित किया जाएगा।

# नोट

# स्टेंडएलोन
# वित्तीय विवरण
# 2020-21

# इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
## के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

### स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट

#### मत

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं, जिसमें अल्जीरिया, बांग्लादेश और श्रीलंका क्षेत्र में कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा तिथि को समान वर्ष के लिए रिटर्न में शामिल किया गया है।

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और श्रीलंका (भारतीय भाग) में स्थित 3 (तीन) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। तथापि, हमने शाखाओं का दौरा नहीं किया है और लेखापरीक्षा के प्रयोजन से संगत सूचना हमें निगमित कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं जो 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कम्पनी कार्यों के संदर्भ में कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, (''इंड एस'') के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद–133 तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संगत हैं तथा अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे इस तिथि को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं।

#### मत का आधार

हमने अधिनियम के अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरण ों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हम यह मानना है कि स्टेंडएलोन

अन्य विषय में संदर्भित इस वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखा परीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

#### विषय पर बल

हम कंपन की वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की वसूलनीयता सहित वित्तीय परिणामों को तैयार करने में वैश्विक महामारी कोविड–19 के प्रभाव का उल्लेख करने वाले स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 45 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

उक्त मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट अर्हक नहीं है।

#### प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख मामले वो होते हैं जिनके प्रति चालू अवधि के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में हमारा व्यावसायिक निर्णय निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामले स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संदर्भ में पूर्ण रूप से विचार में लिया गया हैं तथा ऐसे मामलों के बारे में हम अपना मत अलग–अलग नहीं दे पा रहे हें। नीचे दी गई प्रस्तुति के अनुसार कुछ प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का हमने रिपोर्ट के माध्यम से सम्प्रेषण किए जाने के लिए निर्धारण किया है।

| प्रमुख लेखापरीक्षा मामले | हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई |
|---|---|
| **(क) इंड एएस–115 ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' के संदर्भ में राजस्व मान्यता।**<br>राजस्व पर लेखा मानक जो पांच चरणों के राजस्व मान्यता मॉडल को निर्धारित करता है।<br>कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन करने के बाद समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करती है। राजस्व की मान्यता के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट | हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी की राजस्व मान्यता लेखा नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखा मानकों के अनुसार नीतियों के अनुपालन का आकलन करना शामिल था।<br>पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित जानकारी की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है।<br>अनुबंधों के एक नमूने का चयन किया और विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान और निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है। |

| प्रमुख लेखापरीक्षा मामले | हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई |
|---|---|
| आदि) और अन्य भुगतानों पर निष्पादन दायित्व के संतुष्टपूर्ण होने पर मूल्यांकन और निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी इनपुट पद्धति को लागू करके निष्पादन दायित्व का आकलन करती है। अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति से नहीं मापा जा सकता है, वहां आउटपुट पद्धति लागू होती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के निष्पादन को सदाशयी रूप से प्रदर्शित करती है।<br>आर्डर को पूर्ण करते समय, संविदात्मक दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन आदेश या रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, कुल अनुमानित परियोजना लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो सकती है और इसलिए, अपेक्षित हानि की तत्काल पहचान की आवश्यकता होती है।<br>इंड एएस–115 में संस्थाओं को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।<br>विवरण के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट–39 को देखें। | हमने नमूना आधार पर प्रगतिरत कार्यों के शेष में शामिल लागतों की भी जांच की गई और अनुमानित लागत के साथ अनुबंधों के अनुसार शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों की तुलना करके उनकी वसूली का परीक्षण किया गया है। हमने इस बात पर विशेष ध्यान देने के साथ कि क्या अनुबंध में एकल निष्पादन दायित्व या एकाधिक निष्पादन दायित्व हैं और क्या निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या किसी समय पर संतुष्ट किया जा रहा है, राजस्व मान्यता पर वास्तविक प्रक्रियाओं का पालन किया है:<br>• इन अनुबंधों में अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को पढ़ा गया, विश्लेषण किया गया और उनकी पहचान की गई।<br>• इन निष्पादन दायित्वों की तुलना कंपनी द्वारा पहचानी गई और दर्ज की गई दायित्वों से की गई।<br>• अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को आवंटित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने हेतु अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया गया।<br>• जाँच की गई कि प्रदर्शन दायित्व समय की अवधि में या एक समय पर संतुष्ट हो रहा है या नहीं।<br>• प्रकट किए गए राजस्व के औचित्य के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं। |
| **ख. सिस्टम परिवेश एवं आंतरिक नियंत्रण**<br>कम्पनी में एसएपी सिस्टम स्थापित है परन्तु विदेशी परियोजनाओं के वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से टैली सिस्टम का उपयोग किया जाता है।<br>एफआई–सीओ माड्यूल वर्ष 2012–13 से सीमित उपयोज्यताओं तथा वेतनसूची, मालसूची इत्यादि जैसे किसी अन्य सिस्टम के साथ किसी प्रकार की एकीकरण सहायता के बिना उपयोग में लाया जा रहा है। इसके अलावा, एकीकरण सहायता के साथ एसएपी परियोजना सिस्टम माड्यूल (पीएस) की आवश्यकता परियोजना बीजकों को तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित है।<br>कम्पनी का सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम पूर्णतः स्वचालित नहीं है तथा इसमें वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा रिपोर्टिंग के लिए मैनुअल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। | हमारे द्वारा अन्य अनेक प्रक्रियाओं के साथ साथ निम्नलिखित प्रक्रियाएं उपयोग में लाई गई हैं:–<br>• प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश एवं प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर यह ज्ञात करने के लिए विचार विमर्श कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया गया है अथवा नहीं।<br>• कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था से सम्बद्ध प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों के डिजाइन का परीक्षण।<br>• हमारे द्वारा सिस्टम इंटरफेस पर कम्पनी के नियंत्रणों तथा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा अंतरण का परीक्षण भी किया गया है।<br>• हमारे द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में संज्ञात्मक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग इस सुनिश्चय के लिए किया गया है कि क्या मैनुअल नियंत्रणों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा रहा है अथवा नहीं। |

## स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से अलग अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, निगमित संचलन एवं शेयरधारकों की सूचना सहित प्रबंधन चर्चा, एवं विश्लेषणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल सूचना का समावेश किया जाता है परन्तु इसमें स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है।

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें दी गई सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रूप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आशय होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है।

## स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन एवं संचलन करने वाले प्रभारियों के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद–133, समय–समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह विवरणों के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अनुच्छेद–134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ाों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और स्टेंडएलोन एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है।

## स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विववरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन नीति (एसए) के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों,जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरण, अलग–अलग अथवा सामुच्य, की वस्तुपरक जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इन वित्तीय विवरणों का औचित्य ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के कार्य क्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन; तथा (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए दुर्विववरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक मात्रा एवं गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षो और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखा परीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

## अन्य मामले

- हमने कंपनी के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल उन 3 (तीन) शाखाओं के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में विचारानुसार उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021 को 411.85 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 410.00 करोड़ रूपए) की कुल परिसंपत्तियों तथा कुल राजस्व 518.97 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 377.47 करोड़ रूपए) और कर पूर्व लाभ 36.64 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 63.92 करोड़ रूपए) को प्रदर्शित करता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में चार एकीकृत संयुक्त प्रचालनों (गैर–निगमित) खातों में कम्पनी के अंशभाग के 17.99 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.18 करोड़ रूपए) के लाभ (निवल) को शामिल किया गया जिनका प्रमाणन सनदी लेखाकारों की अन्य फर्मों ने किया है और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित 1 संयुक्त प्रचालन में कंपनी के भाग का निवल लाभ 0.51 करोड रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए) है।
- दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी में शामिल हैं, पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए पहले जारी किए गए वैधानिक वित्तीय विवरण पर आधारित हैं, जिनकी 10 जूलाई 2020 की तारीख की दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण पर एक असंशोधित राय व्यक्त की गई है।

अन्य मुद्दों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

## अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143( की उपधारा 11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा–3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम **संलग्नक–क** के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है और हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जहां हमने दौरा नहीं किया है।

   (ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनच्छेद–143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

   (घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ–हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (ड.) हमारे मतानुसार, उपयुक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

   (च) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर–463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा–164(2)के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख **''अनुबंध–ख''** में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है।

   (ज) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ई) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के कारण अधिनियम के अनुच्छेद–197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

   (झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है –स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 37 का संदर्भ लें;
- कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है– स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 19.2 में 'दीर्घकालीन संविदाएं' का संदर्भ लें। कंपनी में काई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।
- ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

3. अधिनियम के अनुच्छेद–143(5) के अनुसार तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

| क्र.सं | विवरण | लेखापरीक्षा के उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है। यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें। | कंपनी अपनी सभी भारतीय परियोजनाओं के लिए एसएपी प्रणाली और/ सभी अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए टैली प्रणाली का उपयोग सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कर रही है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय बिलिंग को छोड़कर कोई भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई वित्तीय प्रभाव नहीं देखा गया था। |
| 2. | क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।<br>(यदि, देनदार सरकारी कंपनी है, तो ये निदेश देनदार कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होगी) | जी, नहीं। कम्पनी के सम्मुख किसी विद्यमान ऋण अथवा उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/ बट्टा किए जाने की प्रक्रिया किए जाने का कोई मामला नहीं है।<br>कंपनी ने अपनी एक सहायक कंपनी, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) को ऋण दिया है। सहायक कंपनी ने चालू वर्ष के लिए ऋण की पुनर्संरचना और ब्याज की माफी के लिए अनुरोध किया है, जिसकी राशि 29.19 करोड़ रुपए है और इसे कंपनी द्वारा आय के रूप में नहीं लिया गया है क्योंकि उपरोक्त छूट का अनुरोध प्रबंधन के विचाराधीन है। |
| 3. | क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/ नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें। | हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्र/ राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है/प्राप्य नहीं है। |

**कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 002871एन

ह./–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 084072
यूडीआईएनः 21084072एएएएडीसी5053

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून, 2021

## 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''क''।

i. (क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है। तथापि कुछ परियोजनाओं में, स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में टैगिंग/नंबरिंग के संबंध में परिसंपत्ति रजिस्टर को अद्तन किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित हैं। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अचल संपत्तियों के शीर्षक/पट्टा विलेख कंपनी के नाम पर हैं, केवल नीचे दिए गए मामलों को छोड़करः

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | पट्टाधारक भवन का स्थल | 31 मार्च 2021 को सकल वहन मूल्य | निवल बही मूल्य (31.3.2021 को) |
|---|---|---|---|
| 1 | सेन मार्टिन मार्ग, नई दिल्ली | 2.26 | 1.57 |
| 2 | पाली हिल, मुंबई | 0.21 | 0.15 |
| 3 | मेट्रो स्टेशन सेंट्रल स्टेशन भवन, कोलकाता | 0.75 | 0.49 |

ii. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन उचित रूप से किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है। बही रिकार्डों के भौतिक सत्यापन परिणामों की तुलना के दौरान पाई गई विसंगतियां तथ्यात्मक नहीं हैं और लेखा बहियों में इनकी उचित व्यवस्था कर दी गई है। दिनांक 31.03.2021 को तथापि लेखा बहियों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व ही दिनांक 31.03.2021 के पश्चात इसे निष्पादित किया गया है।

iii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा–3(iii) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।

iv. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड– 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है।

v. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि प्राप्त नहीं की है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड–73 से 76 तक के प्रावधानों और किसी अन्य संगत प्रावधान तथा इनके अंतर्गत निर्मित नियम लागू नहीं हैं।

vi. कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। तथापि, हमने ना ही ऐसे लेखों और रिकार्डो की किसी विस्तृत जांच को करने की आवश्यकता पड़ी है और ना ही हमने ऐसा किया है।

vii. क. कंपनी द्वारा सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय की राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास वर्ष के दौरान ही नियमित रूप से जमा कराया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इसके देय होनी की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए 31.03.2021 को कोई बकाया देय राशि नहीं है, बकाया शेष को छोड़कर।

ख. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, सेवाकर, प्रवेश कर, व्यापार कर, आयकर सीमाशुल्क, रायल्टी, भविष्य निधि, संपदाकर तथा उपकर के संबध में ऐसी कोई देय राशियों नहीं हैं जिन्हें 31.03.2021 को विवादों के कारण उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा न कराया गया हो:

| क्र. सं. | अधिनियम का नाम | विवादित देय राशियों का नाम | बकाया राशि (करोड़ रूपए में) | अवधि (कर निर्धारण वर्ष) | न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बिक्री कर | बिक्री कर –एजीआरपी | 2.64 | 2007–08 से 2012–13 | अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद |
| 2 | बिक्री कर | प्रवेश कर –एजीआरपी | 0.01 | 2008–09 से 2013–14 | अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद |
| 3 | बिक्री कर | यूपी व्यापार कर – नाएडा एक्सप्रेसवे | 0.33 | 2003–04 | अपर आयुक्त अपील, नोएडा |
| 4 | बिक्री कर | उ.प्र.व्यापार कर –यूपी01 | 3.89 | 2004–05 से 2007–08 | आकलन प्राधिकारी |
| 5 | बिक्री कर | उ.प्र.व्यापार कर –यूपी01 | 0.16 | 2007–08 | आकलन प्राधिकारी |
| 6 | बिक्री कर | उ.प्र.व्यापार कर –यूपी01 | 3.41 | 2007–08 – 2008–09 | आकलन प्राधिकारी |
| 7 | बिक्री कर | उ.प्र.व्यापार कर –यूपी01 | 0.15 | 2007–08 से 2009–10 | आकलन प्राधिकारी |
| 8 | बिक्री कर | उ.प्र.वेट अधिनियम –यूपी01 | 0.01 | 2010–11 | उपायुक्त |
| 9 | बिक्री कर | बिक्री कर–बीई.08 | 0.26 | 2007–08 से 2009–10 | अपर आयुक्त अपील नोएडा |
| 10 | बिक्री कर | बिक्री कर–बीई–08 प्रवेश कर | 0.003 | 2014.15 | अपर आयुक्त अपील नोएडा |
| 11 | बिक्री कर | यूपीटीटी–यूपी –05 | 1.31 | 2006–07 से 2007–08 | अधिकरण झांसी शाखा |
| 12 | बिक्री कर | यूटीपीपी:यूपी–05 | 0.01 | 2005–06 | उच्च न्यायालय इलाहाबाद |
| 13 | बिक्री कर | यूपी वेट–यूपी–05 | 3.27 | 2007–08 से 2009–10 | अधिकरण झांसी शाखा |
| 14 | बिक्री कर | बिक्री कर 2005–06 गोधरा | 1.90 | 2005–06 | उपायुक्त बिक्री कर प्राधिकरण वडोदरा |
| 15 | बिक्री कर | बिक्रीकर जीईडी, गोवा | 0.05 | 2010–11 | सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मडगांव |
| 16 | उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008 | बिक्री कर के लिए उत्पन्न मांग | 0.08 | 1982–83 और 1989–90 | अपील प्राधिकारी, झांसी |
| 17 | रेवाड़ी–अजमेर परियोजना | कार्य संविदा कर | 1.84 | 2006–07 से 2010–11 | उच्च न्यायालय राजस्थान |
| 18 | बिक्री कर | बिक्रीकर 2010 जीईडी | 0.50 | 2011–12 से 2014–15 | सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मडगांव |
| 19 | वेट | प्रस्तुत मांग | 0.64 | 2011–12 से 2015–16 | उपायुक्त लखनऊ |
| 20 | बिक्री कर | प्रस्तुत मांग | 1.19 | 2006–07 | वेट अधिकरण, चंडीगढ |
| 21 | सेवा कर | सेवा कर मांग | 0.55 | 2015–16 से 2017–18 | सीईएसटीएटी इलाहबाद |
| 22 | सेवा कर | सेवा कर मांग | 0.19 | 2015–16 | उप/सहायक आयुक्त जयपुर |
| 23 | जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962 | बिक्री कर | 19.33 | 1999–00 से 2005–06 | जम्मू और कश्मीर न्यायालय, जम्मू तथा उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील) श्रीनगर |
| 24 | आयकर | डीसीटी द्वारा आकलन मांग | 8.04 | वित्तीय वर्ष 2016–17 | सीआईटी(क) में दायर अपील |
| 25 | बिक्री कर | बिक्री कर –एमआरओ | 3.51 | 1995–96,1996–97 | बम्बई उच्च न्यायालय |
| 26 | बिक्री कर एमआरओ | बिक्री कर –एमआरओ | 3.97 | 2010–11, 2011–12 | बिक्री कर कार्यालय, मुंबई |
| 27 | केरल वेट | केरल– वेट | 0.84 | 2013–14, 2014–15 | सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर |
| 28 | बिक्री कर | बिक्री कर महाराष्ट्र | 42.53 | 2007–08 | बिक्री कर कार्यालय, मुंबई |
| 29 | बिहार राज्य बिक्री कर, 1981 | बिक्री कर | 1.75 | 1987–88 और 1994–95 | बिहार बिक्री कर अधिकरण – खलगांव |

| क्र. सं. | अधिनियम का नाम | विवादित देय राशियों का नाम | बकाया राशि (करोड़ रूपए में) | अवधि (कर निर्धारण वर्ष) | न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | वेस्ट बंगाल राज्य बिक्री कर अधिनियम | बिक्री कर | 0.26 | 1998–99 | वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (अपील) बिक्री कर, वेस्ट बंगाल |
| 31 | वेस्ट बंगाल वेट अधिनियम, 2003 | वेट | 1.80 | 2004–05, 2016–17 और 2017–18 | सहायक आयुक्त, बिक्री कर, कॉलेज सेंट चार्ज कोलकाता |
| 32 | सेवाकर | सेवाकर (बेहाला) | 0.87 | 2015–16से 2016–17 | संयुक्त/अपर आयुक्त कोलकाता |
| 33 | सेवाकर | एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर | 12.91 | 2010–11से 2014–15 | सीईएसटीएटी |
| 34 | सेवाकर | एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर | 5.60 | 2009–10 से 2013–15 | सीईएसटीएटी |
| 35 | सेवाकर | एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर | 2.06 | 2016–17से 2017–18 | सीईएसटीएटी |
| 36 | बिहार वेट अधिनियम | वेट टीडीएस | 5.98 | 2005–06 और 2006–07 | बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सक्रिल पटना |
| 37 | बिहार वेट अधिनियम | वेट | 0.003 | 2010–11 | बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सक्रिल पटना |
| 38 | बिहार वेट अधिनियम | वेट | 29.02 | 2012–13 | बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सक्रिल पटना |
| 39 | सेवाकर | सेवाकर जगदलपुर | 2.84 | 2016–17 से 2017–18 | केन्द्रीय आयुक्त और सीमाशुल्क अपील, छत्तीसगढ के समक्ष अपील दायर |
| 40 | बिहार वेट अधिनियम | बिहार वेट | 33.46 | 2013–14 | उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर |
| 41 | बिहार वेट अधिनियम | बिहार वेट | 25.54 | 2014–15 | उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर |
| 42 | सेवाकर | सेवाकर | 2.16 | 2015–16 | सीईएसटीएटी, कोलकाता |
| 43 | सीमाशुल्क अधिनियम, 1944 | ब्रेकेट/केंटिलीवर एसेंबली पर सीमाशुल्क | 0.66 | 1998–99 | सीईएसटीएटी, (अपील विभाग) |
| 44 | यूपी वेट अधिनियम | बिक्री कर हेतु मांग | 0.37 | 2010–11 | डीसी/बिक्रीकर/आरबीएल को उपयुक्त मामले के पुनआकलन हेतु दिनांक 01.03.19 को मामले पर अपर आयुक्त गेड–2 ने रिमांड किया है |
| 45 | यूपी वेट अधिनियम | बिक्री कर हेतु मांग | 0.14 | 2011–12 | डीसी/बिक्रीकर/आरबीएल को उपयुक्त मामले के पुनआकलन हेतु दिनांक 28.03.20 को मामले पर अपर आयुक्त गेड–2 ने रिमांड किया है |
| 46 | यूपी वेट अधिनियम | बिक्री कर हेतु मांग | 38.41 | 2012–13 से 2016–17 | अपर आयुक्त गेड–2(अपील) लखनउ |
| 47 | आयकर | धारा 115क्यूए के अतर्गत आयकर मांग | 56.73 | 2018–19 | सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर |
| 48 | आयकर | धारा 143(1)(क) के अतर्गत आयकर मांग | 7.64 | 2018–19 | सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर |

* जैसा कि प्रबंधन द्वारा समेकित किया गया है और इसके द्वारा विश्वास किया गया है।

viii. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार को देय ऋणों या उधारों की राशि के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।

ix. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आरंभिक पब्लिपक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर (कर्ज माध्यमों सहित) से कोई धन एकत्र नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, हमें दी गई सूचना के अनुसार, सावधि कर्ज का प्रयोग उन प्रयोजनों हेतु किया गया है जिनके लिए उन्हें लिया गया था। तथापि, वर्ष के दौरान कोई नया कर्ज नहीं लिया गया है। तदनसुार, आदेश का पैरा 3(ix) कंपनी पर लागू नहीं है।

x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर या उसके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी की सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

xi. दिनांक 5 जून 2015 की सरकारी अधिसचूना सं. जीएसआर–463(ई) के दृष्टिगत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 197 के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त है। तदनुसार इस आदेश का खंड 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xii. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार इस आदेश का खंड 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xiii. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड–177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो और उसका ब्यौरा लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों का पूर्ण या आंशिक रूप से निजी प्लेसमेट का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन नहीं किया है।

xv हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 192 के प्रावधानों के भीतर निदेशकों या उनके संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–रोकड़ संव्यसवहार नहीं किया है।

xvi कंपनी गैर–बैंकिगं वित्तीय कंपनी नहीं है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–1क के अंतर्गत पंजीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

**कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 002871एन

ह./–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 084072
यूडीआईएनः 21084072एएएएडीसी5053

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून, 2021

# 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुबंध-ख''।

### कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड–143 के उप खंड–3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2021 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

### लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड–143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्ति, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

### मत

हमारे मतानुसार, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपस्थित है और दिनांक 31 मार्च 2021 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियिंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की

लपेखपरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मपदंड का आधारित है। तथापि, आंतरिक नियंत्रण का हमारी लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.03.2021 को चिह्नित निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में और अधिक सुदृढ बनाने की आवश्यकता है:

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2021 को सामग्रीगत खामियां चिह्नित की गई हैं:

क. कंपनी में कंपनी के पास एकीकृत ईआरपी प्रणाली विद्यमान है जो अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रही है। कंपनी में विदेशी परियोजनों में, एकीकृत ईआरपी प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और वहां टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रही है। इसके अतिरिक्त, ऐप परियोजना प्रणाली मॉड्युल (पीएस) का प्रयोग एकीकृत सहायता सहित परियोजना बीजकों के सृजन के लिए किया जा रहा है।

ख. कुछ इकाइयों में इन्वेटरी रिकार्डों का अनुरक्षण मानवीय रूप में किया जा रहा है और सेप में इन्वेटरी नियमावली पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अतिरेक/अनावश्यक/खराब परिसंपत्तियों और सामग्री/स्टोरों के निरंतर चिह्नन की प्रणाली अनुपयुक्त है और इसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

ग. लेखा बहियों के साथ जीएसटीआर 2क के रूप में जीएसटी आईटीसी के समायोजन की प्रणाली को कुछ परियोजनाओं में और सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी द्वारा अपने संबंधित आपूर्तिकर्ताओं/सेवाप्रदाताओं को की गई सभी भुगतान राशि उनके द्वारा विधिवत रूप से सरकारी खाते में जमा कराई जाए।

उपर्युक्त विषयों पर हमारा मत शोधनीय नहीं हे।

## अन्य मुद्दे

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो शाखाओं/क्षेत्र से संबंधित है, की पर्याप्तता और प्रचालन कुशलता पर अधिनियम के खंड–143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट हमारे लेखापरीक्षकों की अनुवर्ती रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और यह सामग्रीगत खामी कंपनी के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे मद को प्रभावित नहीं करती है।

**कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002871एन

ह./–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
(साझेदार)
सदस्यता संख्या: 084072
यूडीआईएन: 21084072एएएएडीसी5053

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 जून, 2021

# स्टेंडएलोन तुलन पत्र

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में )

| विवरण | | नोट सं. | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **परिसंपत्तियां** | | | |
| **1** | **गैर चालू परिसंपत्तियां** | | | |
| | (क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण | 3 | 254.63 | 270.64 |
| | (ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य | 4 | 0.27 | 0.66 |
| | (ग) निवेश संपत्ति | 5 | 511.01 | 489.02 |
| | (घ अमूर्त परिसंपत्तियां | 6 | 0.25 | 0.40 |
| | (ड.) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | 6 | 9.79 | 9.79 |
| | (च) प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां | 7 | 4.80 | 5.17 |
| | (छ) वित्तीय परिसंपत्तियां | 8 | | |
| | (i) निवेश | 8.1 | 1,505.58 | 1,468.52 |
| | (ii) ऋण | 8.2 | 1,385.18 | 1,409.68 |
| | (iii) अन्य | 8.3 | 74.03 | 140.67 |
| | (ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियां/निवल | 9 | 82.56 | 93.68 |
| | (झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां | 10 | 47.64 | 129.60 |
| | **कुल गैर चालू परिसंपत्तियां** | | **3,875.74** | **4,017.83** |
| **2** | **चालू परिसंपत्तियां** | | | |
| | (क) दरसूचियां | 11 | 117.60 | 320.67 |
| | (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां | 12 | | |
| | (i) व्यापार प्राप्य | 12.1 | 504.64 | 559.34 |
| | (ii) रोकड और रोकड समतुल्य | 12.2 | 322.27 | 388.80 |
| | (iii) अन्य बैंक शेष | 12.3 | 2,928.19 | 2,112.06 |
| | (iv) ऋण | 12.4 | 94.04 | 62.80 |
| | (v) अन्य | 12.5 | 1,009.67 | 871.37 |
| | (ग) चालू कर परिसंपत्तियां /निवल | 13 | 9.08 | 7.02 |
| | (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां | 14 | 1,802.81 | 1,605.65 |
| | | | **6,788.30** | **5,927.71** |
| | बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां | 15 | 0.45 | 0.93 |
| | **कुल चालू परिसंपत्तियां** | | **6,788.75** | **5,928.64** |
| | **कुल परिसंपत्तियां** | | **10,664.49** | **9,946.47** |
| **II.** | **इक्विटी और देयताएं** | | | |
| **1** | **इक्विटी** | | | |
| | (क) इक्विटी शेयर पूंजी | 16 | 94.05 | 94.05 |
| | (ख) अन्य इक्विटी | 17 | 4,312.43 | 4,067.08 |
| | **कुल इक्विटी** | | **4,406.48** | **4,161.13** |

| विवरण | | | नोट सं. | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **देयताएं** | | | | |
| **(i)** | **गैर चालू देयताएं** | | | | |
| | (क) | वित्तीय देयताएं | 18 | | |
| | | (i) ऋण | 18.1 | - | - |
| | | (ii) व्यापार प्राप्य | 18.2 | | |
| | | – सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों के कुल बकाया देय राशियां | | - | - |
| | | – सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय राशियां | | - | - |
| | | (iii) अन्य वित्तीय देयताएं | 18.3 | 266.41 | 380.16 |
| | (ख) | प्रावधान | 19 | 79.11 | 78.66 |
| | (ग) | अन्य गैर चालू देयताएं | 20 | 333.50 | 267.88 |
| | **कुल गैर चालू देयताएं** | | | **679.02** | **726.70** |
| **(ii)** | **चालू देयताएं** | | | | |
| | (क) | वित्तीय देयताएं | 21 | | |
| | | (i) व्यापार प्राप्य | 21.1 | | |
| | | - सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों के कुल बकाया देय राशियां | | 6.11 | 4.28 |
| | | - सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय राशियां | | 731.79 | 572.57 |
| | | (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | 21.2 | 2,383.90 | 2,097.10 |
| | (ख) | अन्य चालू देयताएं | 22 | 2,173.03 | 2,128.59 |
| | (ग) | प्रावधान | 19 | 202.18 | 224.07 |
| | (घ) | चालू कर देयताएं (निवल) | 23 | 81.98 | 32.03 |
| | **कुल चालू देयताएं** | | | **5,578.99** | **5,058.64** |
| | **कुल इक्विटी और देयताएं** | | | **10,664.49** | **9,946.47** |
| III. | महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार | | 2 | | |
| IV. | वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट | | 1 - 47 | | |

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
साझेदार
स.सं 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून 2021

**निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

ह0/–
**योगेश कुमार मिश्रा**
निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
**एम.के.सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीईओ, निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06607392

ह0/–
**सुरजीत दत्ता**
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
**रितु अरोड़ा**
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

# स्टेंडएलोन लाभ और हानि विवरण

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में )

| विवरण | | नोट सं. | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **राजस्वः** | | | |
| | प्रचालनों से राजस्व | 24 | 4,947.77 | 5,202.06 |
| II. | अन्य आय | 25 | 252.54 | 239.66 |
| **III.** | **कुल आय (I + II)** | | **5,200.31** | **5,441.72** |
| **IV.** | **व्ययः** | | | |
| | प्रयुक्त सामग्री और भंडारण | 26 (i) | 366.63 | 349.71 |
| | डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि)/कमी | 26 (ii) | 211.77 | 15.89 |
| | परियोजना व्यय | 26 (iii) | 3,736.28 | 4,057.06 |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 27 | 229.33 | 261.37 |
| | वित्त लागतें | 28 | 14.73 | 27.31 |
| | मूल्यह्रास परिशोधन एवं घाटा | 29 | 24.84 | 15.93 |
| | अन्य व्यय | 26 (iii) | 42.71 | 41.88 |
| | **कुल आय (IV)** | | **4,626.29** | **4,769.15** |
| V. | आपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ(III-IV) | | 574.02 | 672.57 |
| VI. | आपवादिक मदें | | – | – |
| VII. | कर पूर्व लाभ (v+vi) | | 574.02 | 672.57 |
| VIII. | कर व्यय : | | | |
| | (1) चालू कर | 9 | | |
| | – अवधि हेतु | | 144.47 | 158.43 |
| | – पूर्ववती वर्षों हेतु (निवल) | | 13.86 | (26.58) |
| | (2) आस्थगित कर (निवल) | | 11.13 | 50.94 |
| | **कुल कर व्यय** | | **169.46** | **182.79** |
| IX | निरंतर प्रचालनों से वर्ष हेतु लाभ (VII-VIII) | | 404.56 | 489.78 |
| **X** | **अन्य वृहत आय** | 30 | | |
| | **क.** (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुर्नवर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | (0.40) | 1.20 |
| | (ii) मदों संबंधी आयकर, जिन्हें लाभ या हानि में पुर्नवर्गीकृत नही किया जाएगा | | 0.10 | (0.30) |
| | **ख.** (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुर्नवर्गीकृत किया जाएगा | | (1.21) | (5.15) |
| | (ii) लाभ या हानि में पुर्नवर्गीकृत किए जाने वाले मदों संबंधी आय कर | | 0.30 | 1.30 |
| | | | **(1.21)** | **(2.95)** |
| **XI** | **वर्ष के लिए कुल वृहत आय (IX+X) (वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और अन्य वृहत आय, कर का निवल)** | | **403.35** | **486.83** |
| XII | प्रति इक्विटी शेयर आमदनीः (निरंतर प्रचालन हेतु) | | | |
| | (1) मूल | 35 | 4.30 | 5.21 |
| | (2) विलयित | | 4.30 | 5.21 |
| | प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य | | 2.00 | 2.00 |
| XIII | महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार | 2 | | |
| XIV | वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट | 1 - 47 | | |

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

**कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
साझेदार
स.सं 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून 2021

ह0/–
**योगेश कुमार मिश्रा**
निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
**सुरजीत दत्ता**
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
**एम.के.सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीईओ, निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06607392

ह0/–
**रितु अरोड़ा**
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

# स्टेंडएलोन रोकड प्रवाह विवरण

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में )

| विवरण | | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|
| **प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | | |
| **कर पूर्व निवल लाभ** | | **574.02** | **672.57** |
| **समायोजनः** | | | |
| वित्तीय लिखत के निष्पादन पर ब्याज (निवल) | | – | (0.14) |
| वित्तीय लिखत का परिशोधन (निवल) | | (0.11) | 0.14 |
| मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति | | 24.84 | 15.93 |
| परिसंपतियों (निवल) की बिक्री पर लाभ | | (3.76) | (28.45) |
| म्यूचुवल फंड की बिक्री पर लाभ | | (2.01) | (0.96) |
| ब्याज आय | | (156.13) | (175.23) |
| लाभांश आय | | – | (4.00) |
| संयुक्त उपक्रम कंपनी से प्राप्त लाभांश | | (17.00) | – |
| विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समतुल्य के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव | | 7.84 | 0.21 |
| **चालू व गैर चालू परिसिंपत्तियों व देयताओं से पूर्व प्रचालन लाभ** | **(1)** | **427.69** | **480.07** |
| **समायोजनः** | | | |
| व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि) | | 54.70 | (54.20) |
| दरसूची में कमी/(वृद्धि) | | 203.06 | 11.28 |
| कर्ज व अन्य संपत्तियों व वित्तीय संपत्तियों में कमी/(वृद्धि) | | (189.54) | (131.51) |
| व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि) | | 161.04 | 28.26 |
| अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में कमी/(वृद्धि) | | 185.63 | 52.39 |
| | **(2)** | **414.89** | **(93.78)** |
| **प्रचालन से सृजित नकद** | **(1+2)** | **842.58** | **386.29** |
| **प्रदत्त आय कर** | | (37.68) | (44.37) |
| **प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़** | **(क)** | **804.90** | **341.92** |
| **निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | | |
| पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों की खरीद | | (3.52) | (58.16) |
| अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | | (0.02) | (9.82) |
| निवेश परिसंपत्तियों का क्रय/धनराशि | | (30.49) | (68.92) |
| परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपरकणों और अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद | | 5.60 | 30.28 |
| म्यूचुल फंडों की खरीद | | 799.81 | 919.86 |
| म्यूचुल फंडों की बिक्री | | (797.80) | (819.17) |
| सहायक कंपनियों को कर्ज | | (492.46) | (475.11) |
| सहायक कंपनियों से कर्ज का पुनर्भुगतान | | 485.09 | 72.96 |
| प्राप्त ब्याज | | 159.02 | 186.46 |
| प्राप्त लाभांश | | – | 4.00 |
| संयुक्त उपक्रम कंपनियों से प्राप्त लाभांश | | 17.00 | – |
| सहायक कंपनियों व जे वी में निवेश | | (32.05) | (253.97) |
| रोकड एवं रोकड समतुलय से इतर बैंक शेष | | (815.75) | 333.72 |
| **निवेश गतिविधियों से निवल नकद** | **(ख)** | **(705.57)** | **(137.87)** |
| **वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | | |
| भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण | | – | – |
| पट्टा देयताओं का भगतान | | (0.02) | (0.04) |
| प्रदत्त अंतिम लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) | | (96.87) | (122.74) |
| प्रदत्त अंतरित लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) | | (61.13) | (152.50) |

## स्टेंडएलोन रोकड प्रवाह विवरण

### 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| विवरण | | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|
| **वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी** | (ग) | **(158.02)** | **(275.28)** |
| विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव | (घ) | **(7.84)** | **(0.21)** |
| **नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध कमी** | (क+ख +ग+घ) | **(66.53)** | **(71.44)** |
| **नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक) (संदर्भ नोट 2, 3 और 4)** | (ड.) | **388.80** | **460.24** |
| **नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) (संदर्भ नोट 2, 3 और 4)** | (च) | **322.27** | **388.80** |
| **निवल वृद्धि (कमी) नगदी एवं नगदी समतुल्य में** | (च–ड.) | **(66.53)** | **(71.44)** |

नोट :

1. उपर्युक्त रोकड़ प्रवाह को रोकड़ प्रवाह विवरण पर इंड–एएस 7 के भारतीय लेखांकन मानका में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।
2. रोकड और रोकड समतुल्यों का समायोजन तथा रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों के घटाकों को उपर्युक्त स्टेंडएलोन रोकड व्रवाह विवरण में शामिल किया गया है:

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| उपलब्ध रोकड | 0.05 | 0.08 |
| उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट | - | 7.65 |
| बैंकों में शेष | | |
| –चालू खाता | 154.17 | 182.12 |
| –फ्लैक्सी खाता | 128.23 | 95.30 |
| – 3 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां | 39.82 | 103.65 |
| **तुलन पत्र और स्टेंडएलोन रोकड प्रवाह विवरण के अनुसार कुल रोकड और रोकड समतुल्य** | **322.27** | **388.80** |

3. पूर्व वर्षों के आंकडों को पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत और पुनःवर्णित किया गया है, जहां लागू हुआ।
4. निर्धारित और प्रतिबंधित शेषों को नोट सं. 12.2 तथा 12.3 में दर्शाया गया है।
5. प्रकोष्ठ के आंकडे रोकड़ के आउटफ्लों को दर्शाते हैं।

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

**कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
साझेदार
स.सं 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून 2021

ह0/–
**योगेश कुमार मिश्रा**
निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
**सुरजीत दत्ता**
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
**एम.के.सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीईओ, निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06607392

ह0/–
**रितु अरोड़ा**
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

# स्टेंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### क. इक्विटी शेयर पूंजी

**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु** (₹ करोड़ में )

| विवरण | राशि |
|---|---|
| **01 अप्रैल 2019 को शेष** | **94.05** |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | – |
| **31 मार्च 2020 को शेष** | **94.05** |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | – |
| **31 मार्च 2021 को शेष** | **94.05** |

### ख. अन्य इक्विटी

**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु** (₹ करोड़ में )

| विवरण | आरक्षित निधि और अतिरेक | | | अन्य वृहत आय की मदें | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य आरक्षित निधि | प्रतिधारित आमदनियां | पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि | विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर | |
| **01 अप्रैल 2019 को शेष** | **3,333.71** | **517.17** | **4.93** | **(0.32)** | **3,855.49** |
| वर्ष के लिए लाभ | – | 489.78 | – | – | 489.78 |
| **अन्य वृहत आय** | | | | | – |
| निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन | – | 0.90 | – | – | 0.90 |
| विदेशी मद्रा अंतरण अंतर | – | – | – | (3.85) | (3.85) |
| **अवधि के लिए कुल वृहत आय** | **–** | **490.68** | **–** | **(3.85)** | **486.83** |
| प्रदत्त लाभांश | – | (228.31) | – | – | (228.31) |
| लाभांश वितरण कर | – | (46.93) | – | – | (46.93) |
| **31 मार्च 2020 को शेष** | **3,333.71** | **732.61** | **4.93** | **(4.17)** | **4,067.08** |

**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु** (₹ करोड़ में )

| विवरण | आरक्षित निधि और अतिरेक | | | अन्य वृहत आय की मदें | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य आरक्षित निधि | प्रतिधारित आमदनियां | पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि | विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर | |
| **01 अप्रैल 2020 को शेष** | **3,333.71** | **732.61** | **4.93** | **(4.17)** | **4,067.08** |
| वर्ष के लिए लाभ | – | 404.56 | – | – | 404.56 |
| **अन्य वृहत आय** | | | | | **–** |
| निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन | – | (0.30) | – | – | (0.30) |
| विदेशी मद्रा अंतरण अंतर | – | | – | (0.91) | (0.91) |
| **अवधि के लिए कुल वृहत आय** | **–** | **404.26** | **–** | **(0.91)** | **403.35** |
| प्रदत्त लाभांश | – | (158.00) | – | – | (158.00) |
| **लाभांश वितरण कर** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **31 मार्च 2021 को शेष** | **3,333.71** | **978.87** | **4.93** | **(5.08)** | **4,312.43** |

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

**कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
साझेदार
स.सं 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून 2021

ह0/–
**योगेश कुमार मिश्रा**
निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
**सुरजीत दत्ता**
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
**एम.के.सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीईओ, निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06607392

ह0/–
**रितु अरोड़ा**
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**

## 1. निगमित सूचना

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड टर्नकी आधार एवं अन्य आधार पर रेल परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त, मुख्यतः अवसंरचना परियोजनाओं पर कार्य करने वाली भारतीय मूल (सीआईएन : एल45203:डीएल1976जीओआई008171) की सार्वजनिक क्षेत्र की एक निर्माण कम्पनी है तथा इसका निगमन भारत में लागू कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है। रेल निर्माण कंपनी के रूप में अपना व्यवसाय आरंभ करने के पश्चात, इसने सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन तथा संवितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मैट्रो रेल के क्षेत्रों में धीरे–धीरे अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। यह कंपनी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित; अनुसूची ''क'' की सार्वजनिक क्षेत्र की एक मिनि रत्न श्रेणी–। कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है तथा इसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बीएसई में सूचीबद्ध हैं।

कम्पनी द्वारा प्रतिपादन की जाने वाली एवं कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़ों की प्रस्तुति, प्रति शेयर डेटा एवं किए गए अन्यथा उल्लेख के अलावा, दो दशमलव तक राउंड ऑफ करके करोड़ में की गई है।

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 30 जून 2021 को आयोजित अपनी बैठक में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

## 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

### 2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची 3) की अनुसूची III के भाग II, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

### 2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप :

वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप नीचे प्रस्तुत किया गया है। इन लेखांकन नीतियों का उपयोग लेखांकन विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधि के लिए समान रूप से किया गया है।

#### 2.2.1 चालू एवं गैर–चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर बेची जानी संभावित हो
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो।
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो।
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

परिचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

#### 2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

***स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन***

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का कापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल होता है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल
ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं
ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।
घ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

*अनुवर्ती मापन*

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

*मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल*

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

| उपयोज्यता काल का विवरण | वर्ष |
|---|---|
| भवन/फ्लैट आवासीय/ गैर–आवासीय | 60 |
| संयंत्र एवं मशीनरी | 8–15 |
| सर्वेक्षण उपकरण | 10 |
| कम्प्यूटर्स | 3–6 |
| कार्यालय उपकरण | 5 – 10 |
| फर्नीचर एवं जुड़नार | 10 |
| कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड | 3–5 |
| वाहन | 8–10 |

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

*स्वीकृति समाप्ति*

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

### 2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

### 2.2.4 निवेश परिसम्पतियां

*स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन*

निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है। निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

*अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास*

निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है। अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्यह्रास क्रय / निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

कम्पनी अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

*स्वीकृति समाप्ति*

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

### 2.2.5 अमूर्त परिसम्पतियां

*स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन*

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

*अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन*

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों,यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन / घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से / निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

*स्वीकृति समाप्ति*

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

### 2.2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राषि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व–कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को

अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन रशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

### 2.2.7 सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों के उपकरणों में निवेश

सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों के इक्विटी उपकरणों में किया गया निवेश इंड एएस 27 ''अलग वित्तीय विवरण'' में किया गया है। जब किसी निवेश की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूलीयोग्य राशि से अधिक होती है तो उसके अनुमान वसूलीयोग्यता के अनुसार लगाए जाते हैं तथा स्थाई होने के मामले में लाभ एवं हानि विवरण में ह्रास के प्रावधान किए जाते हैं। ऐसे निवेश का निपटान करने पर निवल निपटान प्राप्ति एवं वहन राशि के मध्य के अंतर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

#### संयुक्त परिचालनों में हित

संयुक्त परिचालक के रूप में कम्पनी द्वारा संयुक्त परिचालनों, संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत अन्य पक्षकारों के साथ संयुक्त रूप से धारित / वहन की गई परिसम्पतियों / देयताओं के अंशभाग के हितों को संज्ञान में लिया जाता है। ऐसे संयुक्त परिचालनों में किए गए कार्यों की बिक्री से प्राप्त राजस्व अंश भाग की स्वीकृति की जाती है। व्ययों की स्वीकृति संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत अन्य पक्षकारों के साथ संयुक्त रूप से किए गए व्ययों के अंशभाग के अनुसार की जाती है।

### 2.2.8 मालसूचियां

क) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ख) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

ग) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

घ) लागत जमा संविदा, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

ङ) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

### 2.2.9 राजस्व स्वीकृति

कम्पनी अपने परिचालन निर्माण उद्योग में करती है तथा इसके द्वारा अर्जित किया जाने वाला राजस्व मुख्यतः इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति एवं निर्माण कार्यों से प्राप्त होता है। ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदा में रेलवे के निर्माण कार्य, सड़क एवं राजमार्ग के निर्माण, वाणिज्यिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण, विद्युतिकरण कार्य एवं अन्य कार्य हैं। ऐसे संविदा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में जियोटैक्निकल जांच, टोपोग्राफिक्ल सर्वेक्षण, संसाधन योजना, विस्तृत योजना रिपोर्ट का निर्माण, निर्माण, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, सामग्रियों की आपूर्ति, सिस्टम पुनर्विकास, संस्थापन, परियोजना प्रबंधन, परिचालन एवं प्रबंधन इत्यादि (''जिसे एक साथ निर्माण संबंधी सेवाएं'' कहा जाता है) कार्य हैं। कम्पनी द्वारा ये निर्माण सेवाएं नियत दर, टर्नकी आधार एवं कास्ट प्लस आधार पर प्रदान की जाती हैं।

ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदा से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब माल एवं सेवाओं का अंतरण को उस राशि के प्रति प्राप्त हो जाता है जिसकी प्राप्ति की प्रत्याशा कम्पनी द्वारा ऐसे माल एवं सेवाओं के विनिमय के प्रति की गई है।

#### क) ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व

राजस्व का संव्यवहार के उस उचित मूल्य पर मापन करके किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के रूप में निर्धारित है तथा जिसमें तृतीय पक्षकारों की ओर से संग्रह की गई राशियां शामिल नहीं हैं तथा जिसका समायोजन परिवर्तनीय प्रतिफल के निमित्त किया जाता है। कम्पनी के संविदा की प्रकृति में मूल्यवर्धन एवं निर्णित हर्जाने सहित अनेक प्रकार के परिवर्तनीय प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। संव्यवहार मूल्य में किसी प्रकार के अनुवर्ती परिवर्तन को तदनुसार संविदा के प्रारंभ से समान आधार पर

निष्पादन दायित्वों से संबद्ध कर लिया जाता है। कम्पनी द्वारा परिवर्तनीय प्रतिफल को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ऐसी संभावना हो कि स्वीकृत की गई संचित राशि के राजस्व में व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कम्पनी यथोचित लेखा विधि के उपयोग से परिवर्तनीय प्रतिफल के प्रति स्वीकृत की जाने वाली राजस्व की राशि के अनुमान निर्धारित करती है। इसके परिणामस्वरूप संव्यवहार मूल्य परिवर्तन की अवधि के संबंध में किसी संतोषजनक निष्पादन के लिए निर्धारित राशियों की पुनःस्वीकृति राजस्व के रूप के रूप की जाती है अथवा राजस्व में कमी की जाती है।

संविदा संशोधनों का लेखांकन तब किया जाता है जब आवर्धन, विलोपन अथवा परिवर्तन के संबंध में संविदा के कार्यक्षेत्र अथवा संविदा मूल्य में अनुमोदन प्रदान किए गए हों। संविदा ों में संशोधनों का लेखांकन करने की क्रिया में यह मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या इसमें जोड़ी गई सेवाएं पृथक हैं अथवा नहीं हैं तथा क्या मूल्यन स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य पर किया गया है अथवा नहीं किया गया है। जोड़ी गई वे सेवाएं, जो पृथक नहीं हैं,का लेखांकन संचयी कैच अप आधार पर किया जाता है जबकि जो पृथक होती हैं, उनका लेखांकन उत्तरव्यापी प्रभाव से या तो संविदा के अंतर्गत किया जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्यन स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य के अनुसार है, अथवा यदि मूल्यन स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य के अनुसार नहीं है तो विद्यमान संविदा को समाप्त करके तथा नया संविदा करके किया जाता है।

निम्नलिखित मापदंड पूर्ण होने की स्थिति में ही कम्पनी द्वारा किसी निष्पादन दायित्व को पूर्ण कर लिया माना जाता है तथा समयानुकूल राजस्व स्वीकृति की जाती है:

- इकाई की निष्पादन क्रिया में प्रदान किए गए इकाई के निष्पादन ग्राहक को साथ साथ प्राप्त हुए हैं तथा उनके लाभों का उपयोग कर लिया गया है।
- इकाई द्वारा किए गए निष्पादन से किसी परिसम्पति (उदाहरणतः, कार्य प्रगति पर) का सृजन अथवा संवर्धन हुआ है तथा परिसम्पति के सृजन अथवा संवर्धन के साथ साथ ग्राहक को नियंत्रण प्राप्त हो गया है अथवा
- इकाई के निष्पादन से इकाई द्वारा किसी वैकल्पिक उपयोग के लिए किसी परिसम्पति का सृजन नहीं हुआ है तथा इकाई के पास निष्पादन पूरा किए जाने की तिथि तक के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

कम्पनी द्वारा समान प्रकार के निष्पादन दायित्वों के संबंध में निरंतर उपयोग में लाई जाने वाली राजस्व की स्वीकृति की विधि के लिए अनेक मापदंड स्थापित किए गए हैं। जहां परिणामों के अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाए जा सकते हैं वहां कम्पनी द्वारा इनपुट विधि के उपयोग से कार्य की प्रगति का मापन किया जाता है। इनपुट विधि के अंतर्गत राजस्व की स्वीकृति रिपोर्टिंग अवधि को पूर्णता के चरण के संदर्भ में की जाती है। पूर्णता के चरण का मापन निष्पादन दायित्व से संबद्ध अनुमानित लागत के योग पर तिथि के अनुसार किए गए वास्तविक लागत व्यय के आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

ऐसी संविदाओं के मामले में जहां निष्पादन दायित्व का मापन इनपुट विधि से नहीं हो सकता है वहां आउटपुट विधि का उपयोग किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के संबंध में कम्पनी द्वारा किए कार्य निष्पादन की उचित छवि प्रस्तुत करती है।

**ख) संविदा शेष**

- **संविदा परिसम्पतियां** : किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।
- **व्यापार प्राप्य** : प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।
- **संविदागत दायित्व** : संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताों की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

**ग) अन्य प्रचालन आय**

- प्रचालन पट्टे के अंतर्गत किराए पर दी गई मशीनरी से उत्पन्न किराया आय का लेखांकन पट्टा अवधियों में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है।
- अन्य प्रचालन आय में व्यापार की आनुषंगिक गतिविधियों से अर्जित आय की प्रस्तुति की गई है तथा इसकी स्वीकृति तब की गई है जब निष्पादन पूर्ण कर लिया गया है तथा संविदा शर्त के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो गया है।

**घ) अन्य आय**

- लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर की गई है।
- ब्याज आय की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से की गई है।
- विविध आय की स्वीकृति निष्पादन दायित्व पूरे कर

लिए जाने तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होने पर की गई है।

**2.2.10 ऋण लागत**

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

**2.2.11 कर**

**क) चालू आय कर**

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

**ख) आस्थगित कर**

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

**2.2.12 विदेशी मुद्राएं**

- **कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा**

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'') करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

- **संव्यवहार एवं शेष**

विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

- **विदेश परिचालन**

शाखाओं से संबंधित उन विदेश परिचालनों, जिनमें उपयोग की मुद्रा के प्रति कार्यात्मक मुद्रा में भिन्नता है, के संबंध में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के उद्देश्य से उपयोग की मुद्रा का प्रयोग किया गया है। कम्पनी की विदेश स्थित शाखाओं की परिसम्पतियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर–मौद्रिक दोनों) को रिपोर्टिंग तिथि के अंत में लागू विनिमय दर के उपयोग से परिवर्तित किया गया है। यदि विनिमय दरों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं तो आय एवं व्यय की मदों को अवधि के दौरान औसत विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है अन्यथा मामलों के लिए संव्यवहार की तिथि को प्रयुक्त विनिमय दर उपयोग में लाई गई है। उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं, यदि कोई हैं, की स्वीकृति अन्य व्यापक आय एवं इक्विटी इसका संचय विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व के रूप में किया गया है।

विदेशी परिचालनों का निपटान (परियोजना की बहियां बंद करने पर) होने पर परिचालन के संबंध में इक्विटी में संचित विनिमय भिन्नताओं का पुनःवर्गीकरण लाभ एवं हानि विवरण में किया गया है।

### 2.2.13 कर्मचारी लाभ

#### क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

#### ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

**परिभाषित अंशदायी योजना** : परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत कम्पनी नियत राशि का अंशदान एक अलग इकाई में करती है तथा इससे इसके प्रति आगे किसी राशि का भुगतान करने का कोई विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व नहीं होता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान करने से संबंधित योजनाओं के संबंध में, जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, लाभ एवं हानि विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

कम्पनी की एक परिभाषित अंशदायी कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना है, जिसका व्यवस्थापन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन डिफाइन्ड कन्ट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन पेंशन स्कीम,2009) के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रस्ट के लिए किए जाने वाले अंशदान की स्वीकृति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरणों में की गई है जिस अवधि में ट्रस्ट के प्रति अंशदान देय होते हैं।

**परिभाषित लाभ योजना** : परिभाषित लाभ योजना एक सेवानिवृत्ति के पश्चात की लाभ योजना है जो कि परिभाषित अंशदायी योजनाओ से भिन्न है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसी लाभ के प्रति दायित्व कम्पनी के ही होते हैं। उपदान, भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए कम्पनी की देयताओं की रूपरेखा परिभाषित लाभ योजनाओं में दर्शाई गई है।

कम्पनी द्वारा उपदान का निधियन किया जाता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन एम्प्लाइज ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट) करती है। व्यय के रूप में स्वीकृत की गई अवधियों के लिए उपदान ट्रस्ट में किया जाने वाले अंशदान को लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन कंट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) को करती है जो निधियों का निवेश अनुमत्त सिक्योरिटिज में करता है। व्यय के रूप में स्वीकृत अवधियों के लिए निधि के अंशदान के व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी का दायित्व ऐसे नियत अंशदान करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि इसके सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर लाभ की प्राप्ति हो सके। कम्पनी की एक सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा सुविधा योजना (पीआरएमएफ) भी है जिसका निधियन भी कम्पनी करती है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट) द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा ट्रस्ट में अवधियों के संबंध में स्वीकृत किया जाने वाले अंशदान को व्यय के रूप में लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कम्पनी के निवल दायित्वों का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में सरकारी सिक्योरिटिज की परिपक्वता अवधि, जो परिभाषित लाभ दायित्वों के भारित औसत परिपक्वता प्रोफाइल के समान है, में बाजार प्राप्ति पर आधारित डिस्काउंट दर के उपयोग से अनुमानित भावी नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य पर अलग से किया जाता है। निवल आधार पर दायित्वों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत सकल दायित्वों में से योजनागत परिसम्पतियों के उचित मूल्य को कम कर दिया जाता है।

आकलन का निष्पादन एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट के उपयोग से किया जाता है तथा सरकार की अधिसूचित ब्याज दरों पर पर्याप्त लाभ की उत्पति में ट्रस्ट के सक्षम न होने की स्थितियों के संबंध में संकेत दिए जाते हैं।

बीमांकक लाभ एवं हानियों सहित योजनागत परिसम्पतियों के प्राप्यों का पुनःमापन (परिभाषित लाभ देयता अथवा परिसम्पति के निवल पर निवल ब्याज की राशियों के अलावा) करके अन्य व्यापक आय में स्वीकृति की जाती है तथा इसे धारित आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा यह लाभ एवं हानि विवरण में पुनःवर्गीकृत किए जाने के योग्य नहीं होती है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त परिभाषित लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है। परिभाषित लाभ योजना के किसी निपटान पर लाभ अथवा हानियों की स्वीकृति तब की जाती है जब निपटान किया जाता है। पूर्व सेवा लागत को व्यय के रूप में, योजनागत संशोधन अथवा संक्षेपण से पूर्व तथा जब कम्पनी धारित संबंधित अवसरंचना लागतों अथवा सेवा समाप्ति लाभों को स्वीकृति देती है, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ**

कम्पनी द्वारा बारह माह के पश्चात अग्रेषित किए जाने वाले छुट्टी नकदीकरण एवं छुट्टी यात्रा रियायत को मापन के उद्देश्य से दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ माना गया है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में दायित्व की स्वीकृति का मापन अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से बीमांकन पर आधारित दायित्वों के वर्तमान मूल्य पर किया गया है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है।

**2.2.14 नकद एवं नकद समतुल्य**

नकद एवं नकद समतुल्य में नकदी, बैंकों में जमा नकदी एवं अल्पकालिक जमा जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो नकदी की ज्ञात राशियों के लिए तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम के अध्याधीन हैं।

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुल्यों में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार अप्रबंधित नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्हें कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

**2.2.15 लाभांश**

कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने वाले वार्षिक लाभ वितरण की देयता के रूप में स्वीकृति शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए की गई है। अंतरिम लाभांश के प्रति देयता के रूप में स्वीकृति निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त होने पर की जाती है। देय लाभांश एवं लाभांश वितरण के अनुवर्ती कर की स्वीकृति सीधे इक्विटी में की गई है।

**2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं**

**क) प्रावधान**

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है, जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली,जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

कम्पनी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रावधानों में अनुरक्षण, विघटन, डिजाइन गारंटी, विधिक मामले, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदा एवं अन्य शामिल हैं।

**ख) दुर्वह संविदाएं**

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

**ग) आकस्मिक देयताएं**

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू

उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

**घ) आकस्मिक परिसम्पतियां**

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

**2.2.17 पट्टे**

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

**क) पट्टेदार के रूप में कम्पनी**

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

**1) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां**

कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता क राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

**2) पट्टा दायित्व**

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

**3) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे**

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

कम्पनी द्वारा पट्टा लेखांकन में किए समायोजन इंड एएस 116 के अनुसार किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन इंड एएस–116 की अपेक्षाओं के प्रभाव से किया गया है।

**ख) पट्टाकार के रूप में कम्पनी**

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

**2.2.18 वित्तीय उपकरण**

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

**क) वित्तीय परिसम्पतियां**

*प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन*

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

*अनुवर्ती मापन*

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- **परिशोधन लागत पर नामे उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैं:

  क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

  ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकायों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

**अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण (एफवीटीओसीआई)**

निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण**

  एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

  एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **इक्विटी उपकरण**

  इंड एएस–109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए

कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण – वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा, उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

***वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता***

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल एप्रोच' का अनुसरण किया गया है:

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों

से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

*वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्ति*

किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पतियों का भाग अथवा समान प्रकार की वित्तीय परिसम्पतियों के समूह का भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पतियों से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब वित्तीय परिसम्पतियां एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।

वहन राशि एवं प्रतिफल के रूप में प्राप्त / प्राप्य राशि के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

### ख) वित्तीय देयताएं

*प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन*

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयताों में व्यापार एवं अन्य देयताएं,ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

*अनुवर्ती मापन*

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

*ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं*

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

*वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति*

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

### ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

### घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज

की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ङ) **वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग**

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

### 2.2.19 उचित मूल्य मापन

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैः–

- **स्तर 1** – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- **स्तर 2** – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- **स्तर 3** – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

### 2.2.20 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है, तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है, जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस 105 "बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां" के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए

धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन (1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता है जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

**2.2.21 पूर्वावधि समायोजन**

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक / अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

**2.2.22 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण**

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

**संग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए गुंजाइश**

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

**परिभाषित लाभ योजनाएं**

सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों की लागतों का निर्धारण बीमांकन मूल्यांकनों के उपयोग से किया जाता है। बीमांकक अनुमानों में विभिन्न अनुमान लगाए जाने की आवश्यकता होती है जो भविष्य में वास्तविक अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे निर्धारण में छूट दर, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर एवं भावी पेंशन वृद्धि शामिल होती है। मूल्यांकन की जटिलताओं में बढ़ोतरी तथा इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व ऐसे अनुमानों में परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदी हैं। सभी अनुमानों की समीक्षा रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

**आकस्मिताएं**

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी के फसाव वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

**वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता**

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

**कर**

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर

हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

**गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता**

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

**बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां**

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो।

**पट्टे – आवर्धित ऋण दर के अनुमान**

कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

**राजस्व स्वीकृति**

कम्पनी की एक राजस्व मान्यता नीति है जिसके उपयोग से कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए कम्पनी द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदत्ता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

## 3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | फ्रीहोल्ड भूमि | पट्टे वाले भवन | फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट–आवासीय | फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट–गैर आवासीय | संयंत्र और मशीनरी | सर्वेक्षण उपकरण | कम्प्यूटर | कार्यालय उपकरण | फर्नीचर | कारवां, केम्प और अस्थायी शेड | वाहन | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फुट नोट | | (i) | | | | | | | (ii) | | | |
| **सकल वहन मूल्य (लागत पर)** | | | | | | | | | | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **42.69** | **–** | **6.36** | **40.66** | **77.40** | **1.84** | **6.02** | **4.04** | **3.42** | **8.31** | **3.56** | **194.30** |
| संवर्धन | – | 36.89 | – | 20.73 | 102.65 | 0.09 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.08 | – | 161.97 |
| निपटान /समायोजन | – | – | – | – | (6.56) | (0.02) | (0.25) | (0.03) | (0.08) | (5.56) | (0.85) | (13.35) |
| बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण | – | – | – | – | (0.22) | – | – | (0.03) | (0.01) | – | – | (0.26) |
| विनिमय (लाभ)/हानि | – | – | – | 0.28 | 2.87 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.21 | 3.57 |
| **31 मार्च 2020 को** | **42.69** | **36.89** | **6.36** | **61.67** | **176.14** | **1.95** | **6.34** | **4.53** | **3.88** | **2.86** | **2.92** | **346.23** |
| संवर्धन | – | – | – | 1.43 | 0.32 | 0.01 | 0.78 | 0.30 | 1.02 | 0.03 | – | 3.89 |
| निपटान /समायोजन | – | – | – | (0.14) | (5.21) | (0.21) | (0.30) | (0.33) | (0.12) | – | (0.01) | (6.32) |
| बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण | – | – | – | – | (0.01) | – | – | – | – | – | – | (0.01) |
| विनिमय (लाभ) /हानि | – | – | – | 0.06 | (2.04) | (0.01) | (0.01) | (0.02) | (0.03) | (0.03) | (0.08) | (2.16 ) |
| **31 मार्च 2021 को** | **42.69** | **36.89** | **6.36** | **63.02** | **169.20** | **1.74** | **6.81** | **4.48** | **4.75** | **2.86** | **2.83** | **341.63** |
| **मूल्यह्रास एवं हानि** | | | | | | | | | | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **–** | **(0.01)** | **3.35** | **13.07** | **40.97** | **0.36** | **2.78** | **1.89** | **1.16** | **6.95** | **0.88** | **71.40** |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार | – | – | 0.19 | 2.29 | 8.32 | 0.18 | 1.09 | 0.64 | 0.32 | 0.50 | 0.41 | 13.95 |
| हानि | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| निपटान /समायोजन | – | – | – | – | (6.05) | (0.02) | (0.15) | (0.03) | (0.03) | (5.28) | (0.19) | (11.75) |
| विनिमय (लाभ)/हानि | – | – | – | – | – | – | – | (0.02) | – | – | – | (0.02) |
| बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण | – | – | – | 0.11 | 1.76 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 2.01 |
| **31 मार्च 2020 को** | **–** | **(0.01)** | **3.54** | **15.47** | **45.00** | **0.53** | **3.73** | **2.50** | **1.48** | **2.18** | **1.17** | **75.59** |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार | – | – | 0.10 | 3.20 | 11.23 | 0.19 | 1.00 | 0.59 | 0.37 | 0.38 | 0.30 | 17.37 |
| हानि | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| निपटान /समायोजन | – | 0.01 | – | – | (3.77) | (0.10) | (0.27) | (0.26) | (0.07) | – | – | (4.48) |
| बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| विनिमय (लाभ) /हानि | – | – | – | 0.02 | (1.39) | – | (0.01) | (0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.04) | (1.48) |
| **31 मार्च 2021 को** | **–** | **–** | **3.64** | **18.69** | **51.07** | **0.62** | **4.45** | **2.81** | **1.76** | **2.54** | **1.43** | **87.00** |
| **निवल बही मूल्य** | | | | | | | | | | | | |
| **31 मार्च 2021 को** | **42.69** | **36.89** | **2.72** | **44.33** | **118.13** | **1.12** | **2.36** | **1.67** | **2.99** | **0.32** | **1.40** | **254.63** |
| **31 मार्च 2020 को** | **42.69** | **36.90** | **2.82** | **46.20** | **131.14** | **1.42** | **2.61** | **2.03** | **2.40** | **0.68** | **1.75** | **270.64** |

**फुटनोट:**

i) फरनीचर और फिक्सचर में फर्निशिंग भी शामिल

ii) वहन राशि में क्रियात्मक मुद्रा से प्रस्तुतिकरण मुद्रा में पी.पी.ई. अंतरण के कारण विदेशी विनियम घाटा/लाभ शामिल है।

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 4. पूंजीगत चालू कार्य

(₹ करोड़ में)

| विवरण | राशि |
|---|---|
| **1 अप्रैल 2019 को** | **48.06** |
| जमा (परिणामी व्यय) | 2.04 |
| वर्ष के दौरान पूंजीकृत | (49.44) |
| **31 मार्च 2020 को** | **0.66** |
| जमा (परिणामी व्यय) | 0.01 |
| वर्ष के दौरान पूंजीकृत | (0.40) |
| **31 मार्च 2021 को** | **0.27** |
| **निवल बही मूल्य** | |
| **31 मार्च 2021 को** | **0.27** |
| **31 मार्च 2020 को** | **0.66** |

### 5. निवेश परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में )

| विवरण | नोएडा | | | गुरुग्राम | | बंगलुरु | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भूमि | प्रगतिरत पूंजी कार्य | भवन | भूमि | प्रगतिरत पूंजी कार्य | भवन | |
| **1 अप्रैल 2019 को अंतशेष** | **327.20** | **99.19** | **–** | **2.23** | **46.18** | **3.04** | **477.84** |
| जमा (परिणामी व्यय)* | – | 49.28 | – | – | 19.64 | – | 68.92 |
| वर्ष के दौरान पूंजीगरण | | (128.38) | 128.38 | - | – | – | **–** |
| परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में भूमि व भवन का अंतरण (संदर्भ नोट–3) | (36.89) | (19.52) | – | - | – | – | **(56.41)** |
| **31 मार्च 2020** | **290.31** | **0.57** | **128.38** | **2.23** | **65.82** | **3.04** | **490.35** |
| जमा परिणामी व्यय* | – | – | – | | 30.49 | – | **30.49** |
| वर्ष के दौरान गैर–स्वीकृति | | | (1.57) | - | – | – | **(1.57)** |
| वर्ष के दौरान पूंजीगरण | 290.31 | 0.57 | 126.81 | 2.23 | 96.31 | 3.04 | **519.27** |
| **31 मार्च 2021** | **290.31** | **0.57** | **126.81** | **2.23** | **96.31** | **3.04** | **519.27** |
| **मूल्यह्रास और हानि** | | | | | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **0.23** | **0.23** |
| वर्ष के दौरान मूल्यह्रास | – | – | 1.06 | – | – | 0.04 | **1.10** |
| **31 मार्च 2020 को** | **–** | **–** | **1.06** | **–** | **–** | **0.27** | **1.33** |
| वर्ष के दौरान मूल्यह्रास | – | – | 6.89 | – | – | 0.04 | **6.93** |
| **31 मार्च 2021 को** | **–** | **–** | **7.95** | **–** | **–** | **0.31** | **8.26** |
| **निवल ब्लॉक** | | | | | | | |
| **31 मार्च 2021 को** | **290.31** | **0.57** | **118.86** | **2.23** | **96.31** | **2.73** | **511.01** |
| **31 मार्च 2020 को** | **290.31** | **0.57** | **127.32** | **2.23** | **65.82** | **2.77** | **489.02** |

**निवेश संपत्ति की आय और व्यय संबंधी सूचना**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त किराया आय | 0.41 | 0.39 |
| वर्ष के दौरान किराया आय को सृजित करने वाली निवेश परिसंपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित) | 0.01 | - |
| वर्ष के दौरान किराया आय को सृजित न करने वाली निवेश परिसंपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित) | - | - |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### उचित मूल्य पुर्नमिलान

(₹ करोड़ में )

| विवरण | नोएडा | | | गुरुग्राम | | बंगलुरु | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भूमि | प्रगतिरत पूंजी कार्य | भवन | भूमि | प्रगतिरत पूंजी कार्य | भवन | |
| **1 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष** | **212.12** | **102.05** | **–** | **136.84** | **58.40** | **7.14** | **516.55** |
| वर्ष के दौरान पूंजीकरण | – | (102.05) | 102.05 | – | – | – | **–** |
| **उचित मूल्य अंतर** | **16.35** | **0.57** | **25.97** | **(11.68)** | **7.79** | **(0.05)** | **38.95** |
| **31 मार्च 2020 को अंतशेष** | **228.47** | **0.57** | **128.02** | | **66.19** | **7.09** | **555.50** |
| संवर्धन | – | – | – | – | 30.49 | – | **30.49** |
| गैर स्वीकृति | – | – | (1.57) | – | – | – | **(1.57)** |
| **वर्ष हेतु उचित मूल्य अंतर** | (11.15) | (0.57) | (9.66) | (6.68) | (9.31) | 0.78 | **(36.60)** |
| **31 मार्च 2021 को अंतशेष** | **217.32** | **–** | **116.79** | **118.48** | **87.37** | **7.87** | **547.83** |
| नोटः– | | | | | | | |
| वर्ष हेतु उचित मूल्य अंतर | (11.15) | (0.57) | (9.66) | (6.68) | (9.31) | 0.78 | **(36.60)** |
| स्व निर्मित निवेश परिसंपत्ति | 217.32 | – | 116.79 | 118.48 | 87.37 | 7.87 | **547.83** |
| | **217.32** | **–** | **116.79** | **118.48** | **87.37** | **7.87** | **547.83** |

(i) यह मूल्यांकन मान्यता प्राप्त स्वतंत्र मूल्य द्वारा निष्पादित किया यगा है। उचित मूल्य लागत और आय/लागत/बाजार मूल्य परिदृश्य पर आधारित है।

(ii) उचित मूल्य मापन को उचित मूल्य क्रम के तीन स्तरों में श्रेणीबद्ध किया गया है।

(iii) नोएडा में निवेश सम्पत्ति चार स्थानों में है, जिसकी पट्टा अवधि 90 वर्ष है, गुरुग्राम और बंगलुरु में परिसंपत्ति केवल एक स्थल पर है जो फ्रीहोल्ड है।

| * संवर्धनों का ब्यौरा (अनुवती व्यय) | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| | प्रगतिरत पूंजीगत कार्य | प्रगतिरत पूंजीगत कार्य |
| प्रदत्त पट्टा किराया | – | – |
| – कार्य व्यय | 26.84 | 47.09 |
| – परामर्श प्रभार | 0.34 | 0.67 |
| – वेतन एवं पारिश्रमिक | 0.70 | 1.56 |
| – दरें एवं कर | 0.01 | 2.14 |
| – वाहन प्रचालन और अनुरक्षण | 0.05 | 0.08 |
| – ऊर्जा, बिजली और जल प्रभार | 2.38 | 1.41 |
| – विज्ञापन और प्रकाशन | 0.01 | 0.09 |
| – बैंक प्रभार | – | 0.02 |
| – दौरा और यात्रा | 0.01 | 0.02 |
| – विविध प्रचालन व्यय | 0.15 | 15.84 |
| **कुल** | **30.49** | **68.92** |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 6. अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में )

| विवरण | विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां (साफ्टवेयर) | अन्य अमूर्त संपत्तियां (साफ्टवेयर) |
|---|---|---|
| **सकल ब्लॉक** | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **–** | **2.09** |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | 9.79 | 0.03 |
| वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन | – | (0.01) |
| **31 मार्च 2020 को** | **9.79** | **2.11** |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | – | 0.02 |
| वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन | – | – |
| **31 मार्च 2021 को** | **9.79** | **2.13** |
| **परिशोधन और हानि** | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **–** | **1.19** |
| वर्ष के दौरान परिशोधन | – | 0.54 |
| वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन | – | (0.02) |
| **31 मार्च 2020 को** | **–** | **1.71** |
| वर्ष के दौरान परिशोधन | – | 0.17 |
| वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन | – | – |
| **31 मार्च 2021 को अंतशेष** | **–** | **1.88** |
| **निवल बही मूल्य** | | |
| **31 मार्च 2021 को** | **9.79** | **0.25** |
| **31 मार्च 2020 को** | **9.79** | **0.40** |

नोट :

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के अंतर्गत एसएपी एस–4/एचएएनए ईआरपी साफ्टवेयर अधिग्रहण हेतु पूंजीगत व्यय को दर्शाता है।

### 7. प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में )

| विवरण | भूमि | भवन (i) | वाहन | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **सकल ब्लॉक** | | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **1.25** | **5.21** | **0.04** | **6.50** |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | – | – | – | – |
| वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | – | – | – | – |
| **31 मार्च 2020 को** | **1.25** | **5.21** | **0.04** | **6.50** |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | – | – | – | – |
| वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | – | – | – | – |
| **31 मार्च 2021 को** | **1.25** | **5.21** | **0.04** | **6.50** |
| **मूल्यह्रास एवं हानि** | | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **0.05** | **0.95** | **–** | **1.00** |
| वर्ष के दौरान मूल्यहास | 0.02 | 0.29 | 0.02 | **0.33** |
| हानि | – | – | – | **–** |
| वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | – | – | – | – |
| **31 मार्च 2020 को अंतशेष** | **0.07** | **1.24** | **0.02** | **1.33** |
| वर्ष के दौरान मूल्यहास | 0.04 | 0.31 | 0.02 | **0.37** |
| हानि | – | – | – | **–** |
| वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | – | – | – | – |
| **31 मार्च 2021 को अंतशेष** | 0.11 | 1.55 | 0.04 | 1.70 |
| **निवल बही मूल्य** | | | | |
| **31 मार्च 2021 को** | **1.14** | **3.66** | **0.00** | **4.80** |
| **31 मार्च 2020 को** | **1.18** | **3.97** | **0.02** | **5.17** |

फुटनोट :

i) इसमें सेन मार्टिन मार्ग, दिल्ली, पाली हिल, मुंबई और मेट्रो रेलवे सेवा भवन, कोलकाता 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

ii) कंपनी द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.76 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

## 8. गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

### 8.1 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **1 इक्विटी माध्यमों पर निवेश (पूर्णत प्रदत्त कोट न किए गए–लागत पर)** | | |
| **क. सहायक कपनियां** | | |
| इरकॉन इफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर ( 31 मार्च 2020 : 6,50,00,000) | 65.00 | 65.00 |
| इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड – प्रत्येक 10 रुपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर ( 31 मार्च 2020 : 16,50,00,000) | 165.00 | 165.00 |
| इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड – प्रत्येक 10 रुपए के 15,00,00,000 ( 31 मार्च 2020 : 15,00,00,000) | 150.00 | 150.00 |
| इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड – 1,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रति 10 रुपए ( 31 मार्च 2020 : 1,00,00,000 इक्विटी शेयर (संदर्भ नोट (i) (क) | 135.77 | 135.77 |
| इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड – प्रत्येक 10 रुपए के 16,40,50,000 ( 31 मार्च 2020: 16,40,50,000) इक्विटी शेयर (संदर्भ नोट (i) (ग) | 169.05 | 164.05 |
| इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड – 50,000 इक्विटी शेयर, प्रति 10 रुपए ( 31 मार्च 2020 : शून्य इक्विटी शेयर) | 0.05 | - |
| **कुल (क) – सहायक कपनियों में निवेश** | **684.87** | **679.82** |
| **ख. निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियां** | | |
| इरकॉन–सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल) प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 : 6,38,70,000 (संदर्भ नोट (ii) क और ख) | 64.15 | 64.15 |
| भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड 5,19,99,699 प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 : 3,99,99,699 ) (संदर्भ नोट (iii) | 52.00 | 40.00 |
| बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 7,63,37,300 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 :7,63,37,300) | 76.34 | 76.34 |
| झारखंड सेंट्रल रेलवे प्रत्येक 10 रुपए के 1,30,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 : 1,30,00,000) (संदर्भ नोट (i) ख) | 63.00 | 63.00 |
| महानदी कोल रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 13,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 : 13,000) | 0.01 | 0.01 |
| छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 14,25,75,700 इक्विटी शेयर ( 31 मार्च 2020 : 12,25,75,700) | 142.58 | 122.58 |
| छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 13,11,70,000 इक्विटी शेयर( 31 मार्च 2020: 13,11,70,000) | 131.17 | 131.17 |
| **कुल (ख) – संयुक्त उपक्रमों में निवेश** | **529.25** | **497.25** |
| **2. बांडों में निवेश (कोट किए गए, परिशोधित लागत पर )** | | |
| 8.00 प्रतिशत इंडियन रेल फाइनांस निगम लिमिटेड के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 163,131 बांड ( 31 मार्च 2020 : 163,131 इकाइयां) | 16.31 | 16.31 |
| 7.21 प्रतिशत इंडियन रेल फाइनांस निगम लिमिटेड के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड ( 31 मार्च 2020 : 500) | 49.99 | 50.01 |
| 8.23 प्रतिशत इंडियन रेल फाइनांस निगम लिमिटेड के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 5,00,000 बांड ( 31 मार्च 2020: 5,00,000 इकाइयां) | 50.00 | 50.00 |
| 8.35 प्रतिशत इंडियन रेल फाइनांस निगम लिमिटेड के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड ( 31 मार्च 2020 : 500 इकाइयां) | 49.97 | 49.96 |
| 7.15 प्रतिशत इंडियन रेल फाइनांस निगम लिमिटेड के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 250 बांड ( 31 मार्च 2019 : 250 इकाइयां) | 25.00 | 24.99 |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| 7.07 प्रतिशत इंडियन रेल फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 3,02,000 बांड ( 31 मार्च 2020 : 3,02,000 इकाइयां ) | 30.20 | 30.20 |
| 7.14 प्रतिशत एनएचएआई के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 1,99,989 बांड (31 मार्च 2020 : 1,99,989 इकाइयां) | 20.00 | 20.00 |
| 7.02 प्रतिशत एनएचएआई के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2020 : 500 इकाइयां) | 49.99 | 49.98 |
| **कुल 2–बांडों में निवेश (कोट किया गया )** | **291.46** | **291.45** |
| **कुल गैर–चालू निवेश (1+2)** | **1,505.58** | **1,468.52** |
| **कोट किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य** | **291.46** | **291.45** |
| **कोट किए गए निवेशों का सकल बाजार मूल्य** | **343.48** | **322.13** |
| **कोट न किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य 1(क)+ख(2)** | **1,214.12** | **1,177.07** |
| **निवेशों के मूल्य में हानि की सकल राशि** | **–** | **–** |

(i) क. निदेशक मंडल ने डब्ल्यूओएस, इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे में 10.00 करोड़ रूपए तक सीमित इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने डब्ल्यूओएस, इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे में 125.77 करोड़ रूपए तक सीमित परिवर्ती प्रतिभूतियों (ब्याज मुक्त अग्रिम) को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) निदेशक मंडल ने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के पक्ष में 50 करोड़ रूपए के परिवर्ती प्रतिभूतियों (ब्याज मुक्त अग्रिम) को अनुमोदन प्रदान किया है। ऋण का भुगतान परियोजना के समाप्त होने या रियायत अवधि के समाप्त होने जो भी बाद में हो, पर किया जाएगा

ग) आईडीएचएचएल द्वारा ली गई सावधि ऋण सुविधा के संबंध में और पंजाब नेशनल बैंक को इरकॉन द्वारा जारी किए गए 5.00 करोड़ रुपये के लिए वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है। दिनांक 31.03.2021 को बकाया ऋण रु. 330.93 करोड़ (31.03.2020 को शून्य रूपए)।

(ii) (क) आई.एस.टी.पी.एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद–5) के अनुसार एन.एच.ए.आई के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई.एस.टी.पी.एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51 प्रतिशत से आधक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के अध्यधीन शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.2010 को आरम्भ हुआ था। उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन अधिकार के अध्यधीन तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

(ख) इसमें आईएसटीपीएल द्वारा प्राप्त सावधि ऋण सुविधा की ओर से तथा के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक को इरकॉन द्वारा जारी 0.28 करोड़ रुपए की वित्तीय गारंटी के उचित मूल्य शामिल है। 31.03.2021 को बकाया ऋण शून्य रुपए (31.03.2020 को शून्य रूपए) है।

(iii) भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 29 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में आरएलडीए, इरकॉन और के बीच शेयरधारिता पैटर्न में परिणामी संशोधन के साथ तीसरे रणनीतिक भागीदार / शेयरधारक के रूप में राइट्स लिमिटेड की भागीदारी को मंजूरी दी है। राइट्स क्रमशः 50:26:24 के अनुपात में है।

### 8.2 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **क. वसूली योग्य : रक्षित** | | |
| स्टाफ ऋण व अग्रिम | 0.13 | 0.12 |
| **ख. वसूली योग्य : अरक्षित** | | |
| (i) संबंधित पक्षों से ऋणः | | |
| संयुक्त उद्यम | | |
| – छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | – | 39.00 |
| सहायक कपनियां | | |
| – इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटड | 490.07 | 540.87 |
| – इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड | 297.04 | 379.29 |
| – इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस्स वे लिमिटेड | 571.18 | 181.00 |
| – इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | 26.46 | 269.22 |
| (ii) अन्यः | | |
| स्टाफ ऋण और अग्रिम* | 0.30 | 0.18 |
| कुल | **1,385.18** | **1,409.68** |

*** निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| स्टाफ ऋण और अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि | – | – |
| कुल | – | – |

## 8.3 गैर–चालू परिसंपत्तिया – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| **वसूली योग्य : अरक्षित** | | | | |
| **प्रतिभूति जमा राशि** | | | | |
| – सरकारी विभाग | | 0.01 | | 0.01 |
| – अन्य | | 0.20 | | 0.20 |
| **संविदा परिसंपत्तिः** | | | | |
| –ग्राहकों से प्रतिधारण राशि | 57.27 | | 112.13 | |
| –ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि | 1.22 | 58.49 | 3.47 | 115.60 |
| 12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि {संदर्भ फुट नोट (i)} | | 0.01 | | 0.01 |
| स्टॉफ को ऋण पर संचित ब्याज | | 0.32 | | 0.21 |
| – आरएलडीए से वसूली योग्य {संदर्भ फुटनोट (iii)} | | | | |
| | 1,245.61 | | 1,870.56 | |
| घटाः भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण {संदर्भ फुट नोट (18.1)} | (1,230.61) | 15.00 | (1,845.92) | 24.64 |
| **कुल** | | **74.03** | | **140.67** |

**निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| स्टाफ ऋण और अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि | – | 0.0004 |
| **कुल** | **–** | **0.0004** |

**फुट नोट :**

(i) 0.01 करोड रूपए (31 मार्च 2020 : 0.01 करोड़ रुपए) के लिए एफडीआर सहित।

(ii) (क) कंपनी ने भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण प्राप्त किया है (संदर्भ नोट 18.1) और पट्टा करार की शर्तों के अनुसार आगे जिसका भुगतान रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को किया गया है। आरएलडीए तथा कंपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार ऋण से संबंधित मूल राशि तथा ब्याज की सभी किश्तें तथा किसी प्रकार की त्रुटि या आतरिक्त ब्याज, तथा अन्य लागतें, व्यय तथा प्रभार (या अन्यथा ऋण करार के अंतर्गत या अनुसरण में देय ) का भुगतान आरएलडीए द्वारा कंपनी को ऋण करार के अंतर्गत उनकी संबंधित देय तिथि से कम से कम पांच (5) दिन पूर्व ऐसे खाते में किया जाएगा जो कि आईआरएफसी द्वारा निर्धारित किया गया हो। रेल मंत्रालय से आरएलडीए को निधियों का समवर्ती संवितरण करने के लिए आरएलडीए और रेल मंत्रालय को वापसी सहमति से उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी। इस वसूलीयोग्य राशि की निबंधन और शर्तें वहीं होंगी जैसी कि उक्त ऋण के मामले में हैं। कंपनी परियोजना स्थल के वाणिज्यिक विकास कार्य को करने के प्रयोजन के लिए तथा कंपनी द्वारा चिह्नित विकासकर्ताओं को परियोजना स्थल को आगे उप–ठेके पर देने (सभी संबद्ध विकास अधिकारों सहित) के प्रयोजनों से मुक्त, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बोली प्रकियाओं के माध्यम से उपयुक्त विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) को नियुक्त करने के लिए पात्र है।

# 9. आस्थिगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

**(क) 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु आयकर व्यय के प्रमुख घटक :**

(₹ करोड़ में )

| क्र. सं. | विवरण | को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| 1 | **लाभ और हानि विवरण खंड** | | |
| | **चालू आयकरः** | | |
| | चालू आयकर प्रकार | 144.47 | 158.43 |
| | पिछले वर्ष के चालू कर संबंधी समायोजन | 13.86 | (26.58) |
| | **आस्थगित करः** | | |
| | अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिक्रम से संबंधित | 11.13 | 50.94 |
| | **लाभ एवं हानि खंड विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय** | **169.46** | **182.79** |
| **2** | **अन्य वृहत आय खंड** | | |
| | वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकरः | | |
| | निर्धारित लाभें योजनाओं के पुनर्निर्धारण पर निवल हानि/(लाभ) | (0.10) | 0.30 |
| | विनिमय लाभ लाभ/हानि पर निवल हानि/(लाभ) | (0.30) | (1.30) |
| | **ओसीआई खंड में रिपोर्टिड आयकर व्यय** | **(0.40)** | **(1.00)** |

(ख) 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 के लिए कर व्ययों का पुनर्विनियोजन तथा लेखांकन लाभ गुणा भारतीय घरेल कर दरः

(₹ करोड़ में )

| क्र. सं. | विवरण | को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| 1 | आयकर पूर्व लेखांकन लाभ | 572.41 | 668.62 |
| 2 | लेखांकन लाभ पर कर | 144.06 | 168.28 |
| 3 | कर समायोजन पर प्रभाव | | |
| (i) | पिछले वर्ष के चालू आय कर संबंधी समायोजन | (4.40) | (26.58) |
| (ii) | पूर्ववर्ती अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग | – | – |
| (iii) | कर अंतर का प्रभाव | – | 40.46 |
| (iv) | कर से छूटप्राप्त आय पर कर | (5.93) | (12.22) |
| (v) | कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौतीयोग्य व्यय | | |
| | – अन्य राष्ट्र अतिरिक्त कर | 32.08 | 9.82 |
| | – अन्य गैर कटौतीयोग्य व्यय | 3.24 | 4.94 |
| (vi) | विभिन्न अन्य पदों पर कर प्रभाव | – | (2.91) |
| | | 169.05 | 181.79 |
| 4 | लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय | 169.05 | 181.79 |
| 5 | प्रभावी कर दर | 29.53% | 27.19% |

(ग) तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देयताओं) के घटक (₹ करोड़ में )

| क्र. सं. | विवरण | तुलनपत्र | | लाभ एवं हानि विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| 1 | परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर | (14.73) | (11.60) | 3.14 | 8.77 |
| 2 | प्रावधान | 70.95 | 75.34 | 4.39 | 35.84 |
| 3 | चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान | 26.34 | 29.94 | 3.60 | 6.33 |
| | **निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)** | **82.56** | **93.68** | **11.13** | **50.94** |

(घ) तुलन पत्र में निम्नानुसार प्रदर्शित :

(₹ करोड़ में )

| क्र.सं | विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | आस्थगित कर परिसंपत्तियां | 97.29 | 105.28 |
| 2 | आस्थगित कर देयताएं | (14.73) | (11.60) |
| | **आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)** | **82.56** | **93.68** |

(ड.) निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) का समायोजन

**31 मार्च, 2021** **(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | विवरण | 1 अप्रैल 2020 को शेष / निवल | लाभ हानि विवरण में स्वीकृत | Recognised in OCI | 31 मार्च 2021 को शेष / निवल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर | (11.60) | (3.14) | – | (14.73) |
| 2 | प्रावधान | 75.34 | (4.39) | – | 70.95 |
| 3 | चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि ववरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान | 29.94 | (3.60) | – | 26.34 |
| | **निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)** | **93.68** | **(11.13)** | **–** | **82.56** |

31 मार्च, 2021 (₹ करोड़ में)

| क्र.सं | विवरण | 1 अप्रैल 2019 को शेष/निवल | लाभ हानि विवरण में स्वीकृत | Recognised in OCI | 31 मार्च 2020 को शेष/निवल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर | (2.83) | (8.77) | – | (11.60) |
| 2 | प्रावधान | 111.18 | (35.84) | – | 75.34 |
| 3 | चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि ववरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान | 36.27 | (6.33) | – | 29.94 |
| | **निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)** | **144.62** | **(50.94)** | – | **93.68** |

## 10. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **वसूलीयोग्य : अरक्षित** | | |
| **पूंजीगत अग्रिम से इतर अग्रिम** | | |
| सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों का अग्रिम | 28.50 | 113.87 |
| ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम | – | 0.07 |
| कर विभागों में जमा राशि | – | 0.17 |
| पर संचित ब्याज | | |
| –ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम | 19.14 | 15.49 |
| **कुल** | **47.64** | **129.60** |

## 11. दरसूचियां

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| कच्चा माल (लागत या एनआरपी पर मूल्यित, जो भी कम हो, या अन्यथा उल्लिखित हो) | | |
| – हाथ में | 22.06 | 30.94 |
| – तीसरे पक्षों के पास | 44.22 | 26.05 |
| – पारगमन में | 0.47 | – |
| अन्य (स्क्रैप) | 0.81 | 0.29 |
| प्रगतिरत निर्माण कार्य/लागत पर मूल्यित | 50.04 | 263.39 |
| **कुल** | **117.60** | **320.67** |

## 12. चालू परिसंपत्तियां – वित्तीय परिसंपत्तियां

### 12.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| वसूली योग्य : अरक्षित* | 504.64 | 559.34 |
| संदिग्ध समझे गए : अरक्षित | 20.48 | 27.18 |
| घटा: संदिग्ध ऋणों हेतु हानि प्रावधान | (20.48) | (27.18) |
| **कुल** | **504.64** | **559.34** |

* अन्य संबंधित पक्षों से प्राप्य राशि 313.66 करोड़ रूपए सहित ( 31 मार्च 2020 को: 411.35 करोड़ रूपए) और प्रकटन नोट : 33 (ग) (x) 4.4.1

### 12.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(₹ करोड़ में )

| विवरण | फुट नोट | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|
| उपलब्ध रोकड़ | | 0.05 | 0.08 |
| उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट | (i) | – | 7.65 |
| बैंक में शेष : | | | |
| –चालू खातों में | | 154.17 | 182.12 |
| –फलैक्सी खातों में | (ii) &(iii) | 128.23 | 95.30 |
| –तीन महीनों से कमी की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि | (ii) &(iii) | 39.82 | 103.65 |
| **कुल** | | **322.27** | **388.80** |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 12.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में )

| विवरण | फुट नोट | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|
| **अन्य बैंक शेष** | | | |
| 3 महीनों से अधिक किन्तु 13 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशिया | (ii) & (iii) | 2,928.05 | 2,111.99 |
| लाभांश संवितरण खाता | | 0.14 | 0.07 |
| **कुल** | | **2,928.19** | **2,112.06** |

**फुट नोट : नोट 12.2 व 12.3 हेतु**

(i) शून्य रूपए के चैक/उपलब्ध ड्राफ्ट (31 मार्च 2020 को 7.65 करोड रूपए), जिन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा नकदीकृत किया जा सकता है।

(ii) ग्राहक निधि 2018.35 करोड रूपए ( 31 मार्च 2020 को 1825.89 करोड रूपए) जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाएगा।

(iii) इसमें 737.90 करोड रूपए (31 मार्च 2020 को 576.85 करोड रूपए) के व्यापार देय राशियों के प्रति परियोजना निधि शामिल है।

### 12.4 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **क. वसूलीयोग्य : रक्षित** | | |
| स्टाफ ऋण व अग्रिम | 0.16 | 0.40 |
| **ख. वसूलीयोग्य : अरक्षित** | | |
| **(i) संबंधित पक्षों से ऋणः** | | |
| संयुक्त उद्यम | | |
| – इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस वे लिमिटेड | 18.32 | – |
| – इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटड | 35.93 | 23.28 |
| – इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड | 38.96 | 37.93 |
| **(पप) अन्यः** | | |
| स्टाफ ऋण व अग्रिम* | 0.67 | 1.19 |
| **कुल** | **94.04** | **62.80** |

*** निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा**

**(₹ करोड़ में )**

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| स्टाफ ऋण और अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि | – | 0.0020 |
| **कुल** | **–** | **0.0020** |

### 12.5 चालू परिसंपत्तियां – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में )

| विवरण | फुटनोट | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|
| **वसूली योग्य : रक्षित** | | | | | |
| प्रतिभूति जमा राशि | | | | | |
| – सरकारी विभाग | | | 12.63 | | 17.46 |
| – अन्य | | | 132.20 | | 133.20 |
| बयाना जमा राशि | | | 2.17 | | 0.17 |
| 12 महीनों से कम की मूल परिपक्वता किन्तु 13 महीनों से शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा राशियाँ | | | 8.18 | | 8.57 |
| संचित ब्याज | | | | | |
| – स्टाफ को अग्रिम | (i) | | 0.25 | | 0.51 |
| – संबंधित पक्षों को ऋण | | | 9.35 | | 8.15 |
| – रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम | | 160.72 | | 212.85 | |
| घाटा : भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण पर संचित ब्याज | (iv) | (156.56) | 4.16 | (210.00) | 2.85 |
| – बैंकों में जमा राशि | | | 28.08 | | 32.14 |
| – बांड | | | 17.82 | | 17.86 |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| विवरण | फुटनोट | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|
| संविदा परिसंपत्तिः | | | | | |
| – बिलयोग्य राजस्व/प्राप्य किन्तु अदेय | (ii) (क) व (ख) | 180.34 | | 212.12 | |
| – प्रगतिरत निर्माण कार्य (वास्तविक मूल्य पर) | (ii) (ख) | 153.06 | | 161.57 | |
| – ग्राहकों द्वारा आहरित राशि | (iii) | 97.85 | | 14.55 | |
| – ग्राहकों द्वारा आहरित धन | (iii) | 293.52 | 724.77 | 191.19 | 579.43 |
| शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटनः | | | | | |
| ''भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि. | | | – | | – |
| 301 इक्विटी शेयर–10 रुपए ( 31 मार्च 2020 : 301) (नोट सं 8.1)'' | | | | | |
| अन्य वसूली योग्य | | | | | |
| (क) संबंधित वर्षों से (संयुक्त उपक्रम)) | | | | | |
| – इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर | | | 3.70 | | 3.66 |
| – मेट्रो टनलिंग ग्रुप | | | 4.64 | | 4.37 |
| – इरकॉन सोमा टोलवे प्रा लि | | | 0.02 | | 0.02 |
| – भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड | | | 0.96 | | 0.99 |
| – इरकॉन – एफकॉन जे वी | | | 0.68 | | 29.43 |
| – छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड | | | 0.20 | | 0.60 |
| – बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | | | 0.83 | | 0.56 |
| – महानदी कोयला रेल लिमिटेड | | | 1.83 | | 1.40 |
| – एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम | | | 0.51 | | – |
| (ख) संबंधित पक्ष (सहायक कंपनियां) | | | | | |
| – इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड | | | 0.17 | | 0.57 |
| – इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड | | | 2.06 | | 1.33 |
| – इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड | | | 0.70 | | 0.32 |
| – इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस लिमिटेड | | | 0.05 | | 0.10 |
| – दावणगिरि हवेरी राजमार्ग लिमिटेड | | | 0.03 | | 0.02 |
| – इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड | | | 0.13 | | – |
| (ग) रेली भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलीडीए) से वसूलीयोग्य | | 639.95 | | 615.31 | |
| घटाः भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड से ऋण | (iv) | (615.31) | 24.64 | (615.31) | – |
| (घ) ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावे | | | 20.64 | | 18.72 |
| (ड) अग्रिम पट्टा किराया | | | 0.19 | | 0.19 |
| (च) अन्य) | | | 8.07 | | 8.75 |
| **संदिग्ध समझे गए : अरक्षित** | | | | | |
| प्रतिभूति जमा राशियां | | | | | |
| – सरकारी विभाग | | | 0.12 | | 0.12 |
| – अन्य | | | 0.17 | | 0.26 |
| बयाना जमा राशि | | | 0.16 | | 0.16 |
| संविदा परिसंपत्ति | | | | | |
| – ग्राहकों के पास प्रतिधरण राशि | | | 6.00 | | 6.00 |
| – ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि | | | 3.16 | | 5.68 |
| इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटे से प्राप्य | | | 0.05 | | 0.05 |
| रेल भूमि विकास प्राधिकरण से प्राप्य | | | 5.81 | | 5.81 |
| घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि व्यवस्था | | | (15.46) | | (18.08) |
| **कुल** | | | **1,009.67** | | **871.37** |

**फुट नोट**

i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य आधकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए (31 मार्च 2020 को शून्य रुपए) है।

*** निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| स्टाफ ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि पर ब्याज | - | 0.0028 |
| **कुल** | **-** | **0.0028** |

ii) (क) इसमें ग्राहकों द्वारा प्रमाणित 20.19 करोड रूपए (32.78 करोड रूपए) के कार्य शामिल हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को बिलयोग्य नहीं किया गया है।
(ख) इसमें 157.34 करोड रूपए के संबंधित पक्षों से प्राप्य राशियां शामिल हैं (31 मार्च 2020 को 189.65 करोड रूपए) और इसे नोट रू 33 (ग) 4.2 (क) में प्रकट किया गया है।

(iii) इसमें 87.93 करोड रूपए के संबंधित पक्षों से प्राप्य राशियां शामिल हैं (31 मार्च 2020 को 35.13 करोड रूपए) और इसे नोट रू 33 (ग) 4.2 (ख) में प्रकट किया गया है।

(iv) संदर्भ नोट सं. 21.2 और 18.1(घ)।

## 13. चालू परिसंपत्तिया : चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| टीडीएस और अग्रिम कंर सहित प्रदत्त कर (कर हेतु प्रावधान का निवलें) | 9.08 | 7.02 |
| **चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)** | **9.08** | **7.02** |

## 14. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31मार्च 2021 को | 31मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **वसूलीयोग्यः अरक्षित** | | |
| **पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम** | | |
| सामग्री और मशीन के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम | 384.06 | 279.63 |
| ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को अग्रिम | 701.31 | 680.39 |
| निम्नलिखित से वसूलीयोग्य अग्रिम | | |
| – बिक्री कर (टीडीएस सहित) | 321.17 | 340.14 |
| घटा : संरक्षणाधीन जमा राशि | (217.05) | (218.65) |
| – मूल्य संवर्धित कर | 87.75 | 86.94 |
| – वस्तु एवं सेवा कर | 404.56 | 326.19 |
| – सेवा कर इनपुट क्रेडिट | 0.01 | 0.01 |
| **प्रतिभूति जमा** | 28.72 | 28.72 |
| **संचित ब्याज** | | |
| ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास जमाराशि | 78.10 | 79.67 |
| पूर्व प्रदत्त व्यय | 7.05 | 2.60 |
| आस्थगित सीएसआर व्यय | 7.12 | - |
| उचित मूल्य समायोजन | 0.01 | 0.01 |
| **संदिग्ध समझे गए : अरक्षित** | | |
| ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को ऋण | 16.99 | 16.93 |
| बिक्री कर (टीडीएस सहित) | 35.04 | 36.05 |
| अन्य | - | - |
| मूल्य संवर्धित कर | 7.18 | 7.18 |
| घटाः संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि व्यवस्था | (59.21) | (60.16) |
| **कुल** | **1,802.81** | **1,605.65** |

## 15. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31मार्च 2021 को | 31मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति | 0.45 | 0.93 |
| **कुल : बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति** | **0.45** | **0.93** |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

**(i) आर्थिक दृष्टि से मरम्मत के परे और/या निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (वसूलीयोग्य मूल्य और बही मूल्य के निम्नतर पर ):–**

(₹ करोड़ में )

| परिसंपत्तियों का ब्लॉक | परिसंपत्तियों का विवरण | निपटान की विधि एवं संभावित समय | गैर चालू परिसंपत्तियों पर संभावित (हानि) / लाभ | सेगमेंट | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सकल ब्लाक | निवल ब्लॉक | सकल ब्लाक | निवल ब्लॉक |
| **संयंत्र और मशीनरी** | | | | | | | | |
| उत्तरी क्षेत्र | ''संयंत्र और मशीनरी (नोएडा वर्कशाप)'' | एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समया वर्ष 2022 के अंत तक | – | घरेलू : पीएमडी प्रभाग | 0.78 | 0.05 | 0.78 | 0.05 |
| उत्तरी क्षेत्र | संयंत्र और मशीनरी (डीएमआरसी सीई 6) | एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समया वर्ष 2021 के अंत तक | – | घरेलू | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0.01 |
| मलेशिया क्षेत्र | इंजन 04 संख्या (15 संख्या) –05 | खुली निविदा | – | अंतरराष्ट्रीय | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| | रेलपथ मशीन–2(–) होपर वैगन– 10 (09), फ्लैट वेगर, –(02 संख्या) चौड़े बेस वाला ट्रैक्टर–2 संख्या (शून्य) कोच | सीमित निविदा | – | अंतरराष्ट्रीय | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 |
| | इलैक्ट्रिक केबिन होस प्रणाली | सीमित निविदा | – | अंतरराष्ट्रीय | 0.01 | 0.01 | | |
| मोजांबीक परियोजना | संयंत्र और मशीनरी | | – | अंतरराष्ट्रीय | – | – | 5.90 | 0.29 |
| **कार्यालय उपकरण** | | | | | | | | |
| मलेशिया क्षेत्र | कार्यालय उपकरण : 28 मदें (–), वातानुकूलन % 17 (–) और इलैक्ट्रिकल उपकरण : 68 (–) | सीमित निविदा | – | अंतरराष्ट्रीय | 0.03 | – | 0.03 | – |
| **फर्नीचर और फिक्सचर** | | | | | | | | |
| मलेशिया क्षेत्र | 79 फर्नीचर मदें | सीमित निविदा | – | अंतरराष्ट्रीय | 0.01 | – | 0.01 | – |
| **फ्रीहोल्ड भवन – आवासीय** | | | | | | | | |
| दक्षिणी क्षेत्र | फ्रीहोल भवन – आवासीय – चेन्नई | खुली निविदा | – | घरेलू | 0.38 | 0.28 | 0.38 | 0.28 |
| **कुल** | | | | | **1.50** | **0.45** | **7.59** | **0.93** |

**नोट :**

नोटः परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे उसके वहन राशि और पुन वर्गीकरण पर बिक्री की लागत घटा उचित मूल्य पर मापा गया है। तदनुसार, 0.003 करोड रूपए (मार्च 2020 को 0.01 करोड रूपए) के लिए हानि का प्रावधान किया गया है।

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 16. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को |
|---|---|---|
| **प्राधिकृत शेयर पूंजी** | | |
| 200,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रुपए/ संदर्भ नोट सं 16(ड.) | | |
| (40,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येंक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2020 को) | 400.00 | 400.00 |
| | **400.00** | **400.00** |
| **जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी** | | |
| **प्राधिकृत शेयर पूंजी** | | |
| 47,02,57,870 इक्विटी शेयर प्रति 10 रुपए/ संदर्भ नोट सं 16(ड.) | | |
| (9,40,51,574 इक्विटी शेयर प्रत्येंक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2020 को) | 94.05 | 94.05 |
| | **94.05** | **94.05** |

**(क) 5 प्रतिशत से आधक के प्रदत्त इक्विटी शेयर के कंपनी के शेयर धारकों का ब्यौरा**

| शेयरधारक का नाम | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | श्रेणी में धारण प्रतिशत | शेयरों की संख्या | श्रेणी में धारण प्रतिशत |
| भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को – संदर्भ नोट सं 16(ड.) | 344,150,825 | 73.18% | 83,878,417 | 89.17% |

**(ख) रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए बोनस के रुप में जारी इक्विटी शेयर, रोकड से इतर समझे जाने के लिए जारी शेयर और वापस लाए गए शेयरों का ब्यौरा :**

| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्यां | शेयरों की संख्यां | शेयरों की संख्यां | शेयरों की संख्यां | शेयरों की संख्यां | शेयरों की संख्यां |
| रोकड़ से इतर जारी इक्विटी शेयर | – | – | – | – | – | – |
| बोनस शेयर के रुप में जारी इक्विटी शेयर | – | – | – | – | 79,184,000 | – |
| इक्विटी शेयर बाय बैक | – | – | – | 4,928,426 | – | – |
| **कुल** | **–** | **–** | **–** | **4,928,426** | **79,184,000** | **–** |

वर्ष 2017–18 निवेश एवं जन सम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) ने इरकॉन को निदेश दिया है कि वे समग्र प्रदत्त इक्विटी के 5 प्रतिशत तक शेयरों के बायबैक करे। कुल 49,41,818 शेयरों को बायबैक करने का प्रस्ताव है, जो कि इन शेयरों की बुक वैल्यु पर होगा। निदेशक मंडल ने 21.09.2017 की अपनी 236वीं बैठक में प्रति 10 रुपए के अपने पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बायबैक को अनुमोदन प्रदान किया है, जो कि मौजूदा शेयरधाराकों से 49,41,818 शेयरों से आधक नहीं होंगे। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की समापन तिथि यथा 04.12.2017 को भारत सरकार द्वारा धारित 49,28,426 शेयरों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

**(ग) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/अधिकार :**

**(i) वोटिंग**

कंपनी में केवल 2 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

**(ii) दिवालियापन**

कंपनी के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी।

**(iii) लाभांश**

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के मद्देनजर है।

(घ) वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | रूपए करोड़ में | शेयरों की संख्या | रूपए करोड़ में |
| वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर | 94,051,574 | 94.05 | 94,051,574 | 94.05 |
| जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर | – | – | – | – |
| जमाः शेयरों के विघटन के कारण शेयरों की संख्या में वृद्धि (संदर्भ नोट सं. ड.) | 376,206,296 | – | – | – |
| वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर | 470,257,870 | 94.05 | 94,051,574 | 94.05 |

(ड.) ''22 मार्च, 2020 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों ने मंजूरी दी हैः

(i) 10/– रुपये के अंकित मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर को 2/– रूपए के अंकित मूल्य वाले पांच इक्विटी शेयरों में विघटन जो स्टॉक एक्सचेंजों में दिनांक 3 अप्रैल, 2020 से परिलक्षित हो चुका है।

(ii) कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में संशोधन किया।

(च) ''इरकॉन के निदेशक मंडल ने 5 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी 268वीं बैठक में 1:1 के अनुपात में 2/– रुपये के 47,02,57,870 पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। (अर्थात शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में 21 मई, 2021 के साथ प्रत्येक मौजूदा 1 (एक) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर जारी करना। एनएसई और बीएसई से अंतिम लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमोदन किया गया 31 मई, 2021 को प्राप्त हुआ। बोनस के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 188,10,31,480 रुपये है जो 94,05,15,740 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

## 17. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में )

| | विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|
| | **प्रतिधारित आमदनी** | 978.87 | 732.61 |
| | आरक्षित निधि | 3,333.71 | 3,333.71 |
| | पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि | 4.93 | 4.93 |
| | अन्य वृहत आय | (5.08) | (4.17) |
| | **कुल** | **4,312.43** | **4,067.08** |
| i) | **निम्नानुसार संचलन** | | |
| | **क. प्रतिधारित आमदनी** | | |
| | **आरंभिक शेष** | **732.61** | **517.17** |
| | लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक का अंतरण | 404.56 | 489.78 |
| | लाभांश कर सहित वर्ष के दौरान घोषित और प्रदत्त लाभांश | (96.87) | (122.74) |
| | अंतरिम लाभांश और उस पर कर | (61.13) | (152.50) |
| | निर्धारित लाभ योजना का पुनःमापन (कर का निवल) | (0.30) | 0.90 |
| | प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि हेतु कर का भुगतान | – | – |
| | शेयरों के बायबैक हेतु भुगतान | – | – |
| | **समापन शेष** | **978.87** | **732.61** |
| | **(ख) सामान्य आरक्षित निधि** | | |
| | **आरंभिक शेष और अंतिम शेष** | **3,333.71** | **3,333.71** |
| | **(ग) पूंजी रिडम्पशन आरक्षित निधि** | | |
| | **आरंभिक शेष और अंतिम शेष** | **4.93** | **4.93** |
| | **(घ) अन्य वृहत आय की मदें** | | |
| | **आरंभिक शेष** | **(4.17)** | **(0.32)** |
| | वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल) | (0.91) | (3.85) |
| | **अंतिम शेष** | **(5.08)** | **(4.17)** |
| | **सकल योग (क+ख+ग+घ)** | **4,312.43** | **4,067.08** |

### ii) आरक्षित निधि की प्रकृति और प्रयोजन

**(क) प्रतिधारित आमदनियां**

प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के आवतरित लाभों को प्रस्तुत करती हैं।

**(ख) सामान्य आरक्षित निधि**

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधियों को प्रदर्शित करता है, यह निगमित नियमों के अनुसार है, जहां लाभ के एक भाग को सामान्या आरक्षित निधि में नियोजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सामान्य आरक्षित निधि में किसी राशि को अंतरित करने का विशेषाधिकार कंपनी का है।

**(ग) पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि**

कंपनी ने दिनांक 26 दिसंबर 2017 को शेयरों के बायबैक क पश्चात लाभों में से पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि का सृजन किया है।

**(घ) अन्य वृहत आय की मदें**

अन्य वृहत आय में विदेशी प्रचालनों पर अंतरित विनिमय अंतर के कारण शेष राशि का प्रदर्शित करता है।

### iii) लाभांश संवितरण

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **घोषित / प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश :** | | |
| वित्तीय वर्ष 2019–20 को अंतिम लाभांश जिसे वर्ष 2020–21 में भुगतान किया गया 2.06 प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रदत्त 2.165 प्रति शेयर) संदर्भ नोट 16–ड. | 96.87 | 101.81 |
| अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर | – | 20.93 |
| 2020–21 के दौरान अंतरिम लाभांश : 1.30 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2019–20: 2.69 रुपए प्रति शेयर) संदर्भ नोट 16–ड. | 61.13 | 126.50 |
| **अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर** | – | 26.00 |
| **कुल** | **158.00** | **275.24** |

### iv) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वीकार न किया गया लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है:

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **घोषित / प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर रोकड़ लाभांश :** | | |
| 31 मार्च 2021 के लिए लाभांश: 1.32 रूपए प्रति शेयर (31 मार्च 2020: 1.03 रूपए प्रति शेयर) बोनस इश्यू रेफरी के आधार पर पुनर्गठित। नोट 16 (ड.) और 16 (च) | 124.15* | 96.87 |
| **कुल** | **124.15** | **96.87** |

*अपनी आगामी बैठकों में, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अंतिम लाभांश को संशोधित करके 2 रुपए प्रति शेयर की फेरु वेल्यु पर 1.70 प्रति इक्विटी शेयर और इस प्रकार कुल देय लाभांश 159.89 करोड़ रुपए है।

## 18. गैर चालू देयताएं – वित्तीय देयताएं

### 18.1 गैर चालू वित्तीय देयताएं – कर्ज

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| **अरक्षित** | | | | |
| भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण (नीचे नोट का संदर्भ लें) | 1,230.61 | | 1,845.92 | |
| घटा: रेल भूमि विकास प्राधिकरण से वसूली (आरएलडीए) {संदर्भ नोट सं. 8.3} | (1,230.61) | – | (1,845.92) | – |
| कुल | | - | | - |

नोट :

**(क) अरक्षित ऋण की निबंधन और शर्तें:**

कंपनी ने भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण प्राप्त किया है, जो कि पट्टा करार की शर्तों के अनुसार रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को भुगतान किया गया है। आरएलडीए और कंपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, मूल राशि और ब्याज की सभी किश्तों और किसी प्रकार की चूक या आतरिक्त ब्याज, तथा अन्य लागतें, व्यय और ऋण से संबंधित प्रभारों (या ऋण करार के अनुसरण में अन्यथा देय) का भुगतान कंपनी को आरएलीडीए द्वारा किया जाएगा। ऋण की मूल राशि का पुनर्भुगतान 15 सितंबर 2019 को आरंभ होगा जिसे पांच किश्तों में दिया जाएगा (नोट सं. 8.3 (फुट नोट–ii )।

**(ख) ब्याज दर :**

(i) कंपनी प्रतिवर्ष 8.77 प्रतिशत की दर पर समय समय पर ऋण अग्रिम और बकाया की मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करेगी (लागू ब्याज दर) (विशिष्ट रुप से ब्याज कर, सेवाकर तथा/या ऐसा कोई अन्य कर/उपकर/ड्यूटी )। लागू ऐसे कर/उपकर/ड्यूटी, यदि कोई हो, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों के आतरिक्त ऋणधारक द्वारा ऋणदाता को देय होगा (उसी रुप व समय में जैसा कि मूल तथा ब्याज के लिए है)।

(ii) लागू कर दर दीर्घकालीन मुद्रा के लिए निर्धारित की जागी।

**(ग) समझौता ज्ञापन का समाप्त होना :**

कतिपय निर्धारित घटनाओं के होने पर, समझौता ज्ञापन समाप्त हो जाएगा, तत्पश्चात इरकॉन को ऐसी निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जैसा कि आईआरएफसी, इरकॉन, आरएलडीए तथा रेल मंत्रालय के बीच सहमति हो। रेल मंत्रालय इस करार के समाप्त होने पर ऋण करार के अंतर्गत सम्पूर्ण बकाया राशि का पूर्व भुगतान के लिए पात्र होगा।

**(घ) आईआरएफसी से ऋण की भरपाई और आरएलडीए से वसूली योग्य**

आरएलडीए और कंपनी के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (''एमओयू'') के पैरा 2.4 के अनुसार, मूलधन और ब्याज की सभी किश्तें, साथ ही कोई चूक या अतिरिक्त ब्याज, और ऋण से जुड़ी अन्य लागतें, खर्च और शुल्क (या अन्यथा ऋण समझौते के तहत या उसके अनुसार देय), कंपनी को आरएलडीए द्वारा भुगतान किया जाएगा। कंपनी के पास आईआरएफसी के संबंध में ऋण देयता को निर्धारित करने और एमओयू के अनुसार आरएलडीए से वसूल करने का कानूनी रूप से लागू योग्य अधिकार है और साथ ही साथ आरएलडीए से प्राप्त आय के साथ आईआरएफसी से ऋण का निपटान करने की वित्तीय व्यवस्था है। तदनुसार, इंड एएस–32 के प्रावधान के अनुसार आरउलडीए से वसूली योग्य राशि और आईआरएफसी से ऋण की भरपाई की गई है और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है।

### 18.2 गैर चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31मार्च 2021 को | 31मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | – | – |
| (ख) अन्य सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से इतर | | |
| (i) संविदा और आपूर्तिकर्ता | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |

नोटः

(क) कंपनी अधिनियम 2013/सूच्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) में अपेक्षित प्रकटन को नोट 43 में उपलब्ध कराया गया है।

(ख) निबंधन और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के साथ अन्य शेषों का प्रकटन नोट 33 में किया गया है।

### 18.3 गैर चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31मार्च 2021 को | 31मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| जमा राशि व प्रतिधारण राशि | 261.59 | 379.78 |
| वित्तीय गारंटी संविदा | 4.44 | – |
| ग्राहकों को देय राशि | 0.23 | 0.24 |
| ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज | – | – |
| पट्टा देयताएं | 0.15 | 0.14 |
| **कुल** | **266.41** | **380.16** |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 19. प्रावधान

(₹ करोड़ में )

| विवरण | फुट नोट | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान | 19.1 | 94.66 | 108.93 |
| अन्य प्रावधान | 19.2 | 186.63 | 193.80 |
| **कुल** | | **281.29** | **302.73** |
| चालू | | 202.18 | 224.07 |
| गैर चालू | | 79.11 | 78.66 |

### 19.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानः

(क) अवकाश नकदीकरण, निपटान भत्ते, सेवानिवृत्तिपूर्व लाभ, निष्पादन संबंधी वेतन एवं अवकाश यात्रा रियायत के प्रयोजन हेतु प्रावधान किए गए हैं।

(ख) इंड एएस–19 'कर्मचारी लाभों' के अनुसार प्रकटन।

(ग) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान के के वहन मूल्य में संचल के लिए प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में )

| विवरण | *अवकाश वेतन | सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | निष्पादन संबंधी वेतन | अवकाश यात्रा रियायत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31 मार्च 2020 को** | **68.30** | **1.28** | **10.45** | **28.78** | **0.12** | **108.93** |
| चालू | 8.51 | 0.18 | 10.45 | 28.78 | 0.01 | 47.93 |
| गैर चालू | 59.79 | 1.10 | – | – | 0.11 | 61.00 |
| वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 8.09 | 0.16 | 4.72 | 11.70 | 0.01 | 24.68 |
| घटाः वर्ष के दौरान उपयोग | (6.53) | (0.03) | (10.45) | (19.51) | (0.01) | (36.53) |
| घटाः वर्ष के दौरान बट्टा खाता | – | – | – | (2.15 ) | (0.01) | (2.16) |
| वास्तविक लाभ/हानि | (0.12) | (0.14) | – | – | – | ( 0.26) |
| **31 मार्च 2021 को** | **69.74** | **1.27** | **4.72** | **18.82** | **0.11** | **94.66** |
| चालू | 8.31 | 0.16 | 4.72 | 18.82 | 0.02 | 32.03 |
| गैर चालू | 61.43 | 1.11 | – | – | 0.09 | 62.63 |

*विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों के लिए 1.38 करोड रूपए शामिल हैं, जिसमें अवकाश वेतन प्रावधान वास्तविक आधार पर किया गया है।

### 19.1 अन्य प्रावधान

प्रावधानों और संचलनों की प्रकृति के संबंध में इंड एएस 37 के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:

**(क) डिमोबिलाइजेशन प्रावधान**

कंपनी ने विदेशी परियोजनाओं के संबंध में श्रमशक्ति और संयत्र एवं उपकरण के डिमोबिलाइजेशन के प्रति व्ययों के पूरा करने के लिए डिमोबिलाइजेशन प्रावधान किए हैं।

**(ख) अनुरक्षण प्रावधान**

लागत जमा संविदा में, अनुरक्षण के लिए प्रावधान किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य है।

मद दर तथा एकमुश्त टर्नकी संविदाओं में संविदागत दायित्वों, उपठेकेदार के दायित्वों, प्रचालनिक टर्नओवर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के दायित्व को कवर किया जाता है।

**(ग) विधिक मामले**

विधि मामलों के लिए प्रावधान दायित्व को प्रस्तुत करते हैं, जिनकी नयालयों, मध्यस्थता और अपील संबंधी मामलों के संबंध में सफल होने की संभावना होती है।

**(घ) अन्य व्यय के लिए प्रावधान**

अन्य व्यय हेतु प्रावधान अप्रत्यक्ष करों और अन्यों के संबंध में संभावित कर देयताओं को प्रदर्शित करते हैं।

(₹ करोड़ में )

| विवरण | डीमोबिलाइजेशन | अनुरक्षण | विधिक मामले | अन्य व्यय | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| **31 मार्च 2020 को** | **14.01** | **42.48** | **45.18** | **92.13** | **193.80** |
| चालू | 12.76 | 26.07 | 45.18 | 92.13 | 176.14 |
| गैर चालू | 1.25 | 16.41 | – | – | 17.66 |
| वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 0.04 | 3.42 | 16.88 | 4.08 | 24.42 |
| घटा: वर्ष के दौरान उपयोग | (0.01) | (3.62) | (2.56) | (12.43) | (18.62) |
| घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता | (0.13) | (1.95) | (1.41) | (9.92) | (13.41) |
| (विनिमय लाभ)/हानि | (0.39) | (0.95) | – | 0.56 | (0.78) |
| बट्टा खाता | 0.02 | 1.20 | – | – | 1.22 |
| **31 मार्च 2021 को** | **13.54** | **40.58** | **58.09** | **74.42** | **186.63** |
| चालू | 12.46 | 25.18 | 58.09 | 74.42 | 170.15 |
| गैर चालू | 1.08 | 15.40 | – | – | 16.48 |

## 20. अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| क) संविदागत देयताएं | | |
| ग्राहकों से आग्रिम | 333.50 | 267.88 |
| **कुल** | **333.50** | **267.88** |

**नोट:**

निबंधन और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के अन्य शेषों को नोट 33 में प्रकट किया गया है।

## 21. चालू देयताएं – वित्तीय देयताएं

### 21.1 चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार देय राशियां

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को |
|---|---|---|
| (क) सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम | 6.11 | 4.28 |
| (ख) सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम से इतर | | |
| (i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता | 731.56 | 571.67 |
| (ii) संबंधित पक्ष | 0.23 | 0.90 |
| **कुल** | **737.90** | **576.85** |

**नोट :**

क) कंपनी अधिनियम, 2013/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिरियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नोट 43 में किया गया है।

ख) निबंधन और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के अन्य शेषों को नोट 33 में प्रकट किया गया है।

### 21.2 चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में )

| विवरण | | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|
| दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वता: भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण | | 615.31 | | 615.31 | |
| घटा: रेल भूमि विकास प्राधिकरण से वसूली | | (615.31) | – | (615.31) | – |
| भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण पर संचित ब्याज | | 156.56 | | 210.00 | – |
| घटा : रेल भूमि विकास प्राधिकरण से अग्रिम | (i) | (156.56) | – | (210.00) | – |
| देय उपदान | | | 4.72 | | 3.32 |
| जमाराशि, प्रतिधारण राशिऔर रोकी गई राशि | | | 1,101.65 | | 944.81 |
| वित्तीय गारंटी संविदा | | | 0.44 | | – |
| ग्राहकों को देय राशि | | | 793.55 | | 671.46 |
| ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज | | | 278.22 | | 251.28 |
| अन्य देय (कर्मचारी देय राशियों सहित) | | | 205.30 | | 226.20 |
| पट्टा देयता | | | 0.01 | | 0.03 |
| **कुल** | | | **2,383.90** | | **2,097.10** |

(i) संदर्भ नोट 12.5 (ग) और 18.1 (घ)

## 22. वित्तीय चालू देयताएं

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **क) संविदागत देयता** | | |
| ग्राहकों से अग्रिम | 1,943.75 | 1,927.63 |
| – घटा: संरक्षणाधीन जमा राशियां | (217.05) | (218.65) |
| अग्रिम संविदा प्राप्तियां | 243.38 | 263.78 |
| **ख) अन्य** | | |
| सांविधिक देय राशियां : | 202.95 | 155.83 |
| **कुल** | **2,173.03** | **2,128.59** |

नोट :

क) सांविधिक देयों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सांविधिक देय राशियों के लिए देयताएं शामिल हैं।

## 23. चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| कर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर का निवल) (संदर्भ नोट सं.47 (क)) | 81.98 | 32.03 |
| **कुल** | **81.98** | **32.03** |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 24. प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| संविदा राजस्व | 4,931.44 | 5,170.94 |
| एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में कंपनी काभाग (गैरनिगमित) | 0.51 | – |
| मशीनरी किराया प्रभार | 3.75 | 16.66 |
| अन्य प्रचालनिक राजस्व | 12.07 | 14.46 |
| **कुल** | **4,947.77** | **5,202.06** |

### 25. अन्य आय

(₹ करोड़ में )

| | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|---|
| **ब्याज आयः** | | | | |
| कर मुक्त बांड पर ब्याज | | 22.04 | | 22.10 |
| स्टॉफ अग्रिम पर ब्याज | | 0.11 | | 0.10 |
| संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज * | | 79.74 | | 100.17 |
| अन्य अग्रिम/दावों पर ब्याज | 72.39 | | 26.33 | |
| घटा : ग्राहकों को अंतरित अन्य ब्याज | (21.89) | 50.50 | (9.35) | 16.98 |
| वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज आय | | – | | 0.14 |
| सकल बैंक ब्याज | 109.50 | | 163.74 | |
| घटा : ग्राहकों को अंतरित ब्याज | (55.15) | 54.35 | (110.78) | 52.96 |
| वित्तीय माध्यमों का परिशोधन | | 0.11 | | – |
| **अन्य :** | | | | |
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ | | 3.83 | | 29.00 |
| म्युचुवल फंड की बिक्री से लाभ | 2.36 | | 0.96 | |
| घटा – ग्राहकों को प्रदान म्युचुवल भंड की बिक्री पर लाभ | (0.35) | 2.01 | – | 0.96 |
| विविध आय : | 24.12 | | 13.25 | |
| घटा– पारित बीमा दावा | (1.27) | 22.85 | – | 13.25 |
| लाभांश आय | – | | 6.15 | |
| घटा : ग्राहकों को अंतरित लाभांश | – | – | (2.15) | 4.00 |
| संयुक्त उपक्रमों से लाभांश | | 17.00 | | – |
| **कुल** | | **252.54** | | **239.66** |

**# जसीई की अन्य आय में कंपनी के शेयरों सहित 0.43 करोड रूपए (31.03.2020 को 0.39 करोड रूपए)**

***संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याजः**

| संबंधित पक्षों का विवरण | 2020–21 | 2019–20 |
|---|---|---|
| – छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | 1.81 | 3.61 |
| – इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड | 41.51 | 52.81 |
| – इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | 18.70 | 17.51 |
| – इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड | 17.73 | 6.30 |
| – इरकान पीबी टोलवे लिमिटेड | – | 19.94 |
| | **79.75** | **100.17** |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 26 (i). प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में )

| विवरण | फुटनोट | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|
| आरंभिक शेष | | 57.28 | | 54.77 | |
| जमाः वर्ष के दौरान खरीद | (i) | 376.45 | | 352.22 | |
| | | 433.45 | | 406.99 | |
| घटाः अंतिम शेष | | (67.10) | 366.63 | (57.28) | 349.71 |
| **कुल** | | | **366.63** | | **349.71** |

(i) (0.38 करोड रुपए) (दिनांक 31 मार्च 2020 : 1.70 करोड़ रुपए) के इंड एएस विनिमय लाभ /हानि सहित

### 26 (ii). प्रगतिरत कार्य में (वृद्ध)/कमी

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| आरंभिक शेष | 263.38 | | 277.17 | |
| जमाः विनिमय लाभ/(हानि) हेतु वर्ष के दौरान समायोजन | (1.57) | | 2.10 | |
| | 261.81 | | 279.27 | |
| घटाः अंतिम शेष | (50.04) | 211.77 | (263.38) | 15.89 |
| **कुल** | | **211.77** | | **15.89** |

### 26 (iii). परियोजना और अन्य व्यय

(₹ करोड़ में )

| विवरण | फुट नोट | परियोजना व्यय | | अन्य व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए |
| कार्यगत व्यय | (i) | 3,637.25 | 3,942.13 | - | - |
| अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार | | 5.77 | 3.62 | - | - |
| निरीक्षण, भू–तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि | | 7.09 | 4.77 | - | - |
| मशीनरी का किराया प्रभार | | 8.49 | 9.04 | - | - |
| विनिमय उच्चावचन हानि | | - | - | 12.13 | 17.75 |
| घटा : विनिमय उच्चावचन लाभ | | - | - | (4.29) | (17.54) |
| निवल विनिमय उच्चावचन हानि | | - | - | 7.84 | 0.21 |
| किराया–गैर आवासीय | | 4.22 | 5.44 | 0.76 | 1.36 |
| दर एवं कर | | 25.13 | 32.13 | 1.61 | 0.98 |
| वाहन प्रचालन व अनुरक्षण | | 8.72 | 12.84 | 1.49 | 1.47 |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| विवरण | फुट नोट | परियोजना व्यय | | अन्य व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए |
| मरम्मत और रखरखाव | | | | | |
| – भवन | | 0.18 | 0.04 | 0.73 | 0.91 |
| – कार्यालय तथा अन्य | | 2.52 | 3.22 | 4.65 | 5.03 |
| बिजली, विद्युत व जल प्रसार | | 3.75 | 2.65 | 1.48 | 1.76 |
| बीमा | | 5.19 | 3.92 | 0.41 | 0.45 |
| यात्रा और वाहन | | 2.91 | 12.12 | 0.66 | 2.00 |
| मुद्रण एवं लेखन सामग्री | | 0.79 | 1.11 | 0.50 | 0.80 |
| डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स | | 1.12 | 1.44 | 0.36 | 0.52 |
| विधिक और व्यावसायिक प्रसार | | 14.76 | 20.62 | 6.19 | 5.82 |
| सुरक्षा सेवाएं | | 1.60 | 1.61 | 0.77 | 0.68 |
| सूचीकरण व्यय | | – | – | 0.14 | 0.23 |
| व्यवसाय संवर्धन | | 0.08 | 1.19 | 0.27 | 0.97 |
| बट्टा खाता: | | | | | |
| – ऋण | | – | – | – | – |
| – अग्रिम | | 0.06 | – | – | – |
| – अन्य परिसंपत्तियां | | 0.47 | 0.04 | – | – |
| परिसंपत्ति/भंडार की बिक्री से हानि | | – | – | 0.08 | 0.55 |
| निदेशकों की फीस | | – | – | 0.10 | 0.21 |
| चंदा | | – | – | – | 0.02 |
| लेखापरीक्षकों की फीस | (iv) | – | – | 0.60 | 0.70 |
| विज्ञापन और प्रसार | | – | – | 2.36 | 4.03 |
| प्रशिक्षण और भर्ती | | – | – | 0.07 | 1.22 |
| निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट–44 का संदर्भ लें) | | – | – | 10.27 | 10.04 |
| विविध व्यय | | 2.92 | 5.96 | 1.37 | 1.92 |
| एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में कंपनी के व्यय का आनुपातिक भाग (गैरनिगमित) | | 0.03 | 0.22 | – | |
| प्रावधान जमा –बट्टा खाता (नोट–19 का संदर्भ लें) व फुटनोट 2 | | 0.98 | 16.27 | – | – |
| उपयोग किया गया प्रावधान (नोट–19 का संदर्भ लें) व फुटनोट 2 | | (18.85) | (39.09) | – | – |
| **कुल** | | **3,736.28** | **4,057.06** | **42.71** | **41.88** |

**फुट नोट:**

(i) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एजेंसी कमीशन के पट्टेखाते/रिवर्सल सहित, जो 84.13 करोड रूपए की राशि हेतु विदेशी परियोजनाओं को देय है।

(ii) संदिग्ध अग्रिम और ऋणों के प्रति अतिरिक्त बट्टा खाता प्राधानान (10.03) करोड रूपए. (वित्तीय वर्ष 2019–20–10.46 करोड रूपए)

(iii) संदिग्ध अग्रिमों के प्रति 0.23 करोड रूपए (वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 0.01 करोड रूपए)

(iv) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| (क) लेखापरीक्षा फीस – चालू वर्ष | 0.30 | 0.30 |
| (ख) कर लेखापरीक्षा फीस–चालू वर्ष | 0.09 | 0.09 |
| (ग) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क | 0.17 | 0.17 |
| (घ) प्रमाणन शुल्क | 0.03 | 0.07 |
| (ड.) यात्रा और तुरन्त देय व्यय | | |
| – यात्रा व्यय | 0.01 | 0.02 |
| – आउट ऑफ पॉकेट व्यय | 0.01 | 0.05 |
| **कुल** | **0.61** | **0.70** |

## 27. कर्मचारी पारिश्रमिक व लाभ

(₹ करोड़ में )

| विवरण | फुट नोट | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | | | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परियोजना व्यय | अन्य व्यय | कुल | परि | अन्य व्यय | कुल |
| वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस | (i) | 137.99 | 51.24 | 189.23 | 145.28 | 69.30 | 214.58 |
| भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान | | 8.10 | 5.04 | 13.14 | 8.46 | 3.90 | 12.36 |
| विदेशी सेवा अंशदान | | 0.82 | 0.79 | 1.61 | 0.97 | 0.92 | 1.89 |
| सेवानिवृत्ति लाभ | | 17.15 | 6.83 | 23.98 | 17.29 | 13.58 | 30.87 |
| कर्मचारी कल्याण | | 1.14 | 0.23 | 1.37 | 1.30 | 0.37 | 1.67 |
| **कुल** | | **165.20** | **64.13** | **229.33** | **173.30** | **88.07** | **261.37** |

**फुट नोट :**

(i) 0.50 करोड़ रुपए के गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर आयकर शामिल हैं (31 मार्च 2020 को : 0.51 करोड़ रुपए)

## 28. वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में )

| विवरण | फुट नोट | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज व्यय | (i) | 170.34 | | 238.75 | |
| घटा: रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम पर ब्याज | | (164.81) | 5.53 | (220.35) | 18.40 |
| अन्य ऋण लागत | | | | | |
| – बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार | | | 7.97 | | 7.50 |
| पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत | | | 0.01 | | – |
| वित्तीय माध्यमों का परिशोधन | | | – | | 0.14 |
| प्रावधानों पर छूटों का अप्रयोग | | | 1.22 | | 1.27 |
| **कुल** | | | **14.73** | | **27.31** |

**फुट नोट :**

(i) 1.21 करोड़ रुपए के आयकर पर ब्याज शामिल हैं (31 मार्च 2020 को : 6.66 करोड़ रुपए)।

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 29. मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| संपत्ति संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास | 17.37 | 13.95 |
| प्रयोग अधिकार –पट्टा परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास | 0.37 | 0.33 |
| अमूर्त परिसंपत्तियां का परिशोधन | 0.17 | 0.54 |
| निवेश परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास | 6.93 | 1.10 |
| परिसंपत्तियों की हानि | – | 0.01 |
| **कुल** | **24.84** | **15.93** |

### 30. अन्य वृहत आय (ओसीई) के घटक

इक्विटी में आरक्षित निधि के प्रत्येक प्रकार द्वारा ओसीआई में परिवर्तन से असहमति को निम्नानुसार दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| परिभाषित लाभ योजनाओं का लाभ/(हानि) का पुनःमापन | (0.40) | 1.20 |
| उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवगीकृत नहीं किया गया है। | 0.10 | (0.30) |
| **कुल** | **(0.30)** | **0.90** |

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| विदेशी विनिमय अंतरण अंतर | (1.21) | (5.15) |
| उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवगीकृत किया गया | 0.30 | 1.30 |
| **कुल** | **(0.91)** | **(3.85)** |
| **सकल योग** | **(1.21)** | **(2.95)** |

**नोट : 31**

**क. उचित मूल्य मापन**

**(i) वित्तीय माध्यम द्वारा श्रीणवार वर्गीकरण**

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं को इन वित्तीय विवरण में उचित मूल्य पर मापा जाता है और इन्हें उचित मूल्य क्रम में तीन स्तरों पर समूहित किया जाता है।। इन तीन स्तरों को मापन के महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोकनयोग्यता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो निम्नानुसार हैः

**स्तर 1** – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजार में कोट किए गए मूल्य (असमायोजित)।

**स्तर 2** – स्तर–1 के भीतर शामिल किए गए कोट किए गए मूल्यों के आतरिक्त इनपुट, जिनका परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के अनुसार) या अप्रत्यक्ष रुप से (यथा मूल्यों से निर्धारित)।

**स्तर 3** – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए गैर अवलोकनीय इनपुट

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

क) 31 मार्च 2021 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में )

| विवरण | उचित मूल्य | | | |
|---|---|---|---|---|
| | वहन मूल्य | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| **लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)** | | | | |
| म्युचुवल फंड में निवेश | – | – | – | – |
| **कुल** | – | – | – | – |
| **परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| (i) निवेश | | | | |
| कर मुक्त बांड़ में निवेश | 291.46 | – | – | 291.46 |
| (ii) ऋण | 1,479.22 | – | – | 1,479.22 |
| (iii) अन्य – वित्तीय परिसंपत्तियां | 1,083.70 | – | – | 1,083.70 |
| **कुल** | **2,854.38** | **–** | **–** | **2,854.38** |

(₹ करोड़ में )

| विवरण | उचित मूल्य | | | |
|---|---|---|---|---|
| | वहन मूल्य | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| **परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं** | | | | |
| (i) उधार | – | – | – | – |
| (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | 2,650.31 | – | – | 2,650.31 |
| **कुल** | **2,650.31** | **–** | **–** | **2,650.31** |

ख) दिनांक 31 मार्च 2020 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय मध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में )

| विवरण | उचित मूल्य | | | |
|---|---|---|---|---|
| | वहन मूल्य | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| **लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)** | | | | |
| म्युचुवल फंड में निवेश | – | – | – | – |
| **कुल** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| (i) निवेश | | | | |
| कर मुक्त बांड़ में निवेश | 291.45 | – | – | 291.45 |
| (ii) ऋण | 1,472.48 | – | – | 1,472.48 |
| (iii) अन्य – वित्तीय परिसंपत्तियां | 1,012.04 | – | – | 1,012.04 |
| **कुल** | **2,775.97** | **–** | **–** | **2,775.97** |

(₹ करोड़ में )

| विवरण | उचित मूल्य | | | |
|---|---|---|---|---|
| | वहन मूल्य | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| **परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं** | | | | |
| (i) उधार | – | – | – | – |
| (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | 2,477.26 | – | – | 2,477.26 |
| **कुल** | **2,477.26** | **–** | **–** | **2,477.26** |

प्रबंधन मूल्यांकन करता है कि रोकड और रोकड समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू वित्तीय देयताएं इन माध्यमों की अल्पकालीन परिपक्वताओं केकारण अपने वहन मूल्यों के समीप बनी रहीं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य को उस मूल्य पर शामिल किया गया है जिस पर माध्यम को इच्छुक पक्षों के बीच चालू संव्यवहार में विनिमय किया जा सकता है। उचित मूल्यों को अनुमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विधियों और अनुमानों का प्रयोग किया गया था।

i) म्युचवल फंड इकाइयों में निवेशों का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित है जैसा कि तुलनपत्र तिथि को प्रकाशित विवरणों में इन म्युचवल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है। उनएवी उस मूल्य को दर्शाता है जिस पर जारीकर्ता म्युचवल फंड की भावी इकाइयों को जारी करेगा और मूल्य जिसपर निवेशकों से ऐसी इकाइयों को जारीकरर्ता रिडीम करेगा।

ii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों मे निवेश को इक्विटी निवेशों के रूप में वर्गीकृत कियाजाता है जिन्हें एतिहासिक लागत पर लेखांकित किया जाता है। चूंकि इनका कार्यक्षेत्र निरीक्षण के प्रयोजन हेतु इंड एएस 109 से बाहर है, इसलिए इन्हें उपर्युक्त तालिका में प्रकट नहीं किया गया है।

* वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा 2019–20 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 उचित मूल्य मापनों के बीच कोई अंतरण नहीं था।

### ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयता व्यापार और अन्य देय राशियां हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल हैं संबंधित पक्षों को ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियों जो प्रत्यक्ष रुप से इसके प्रचालनों से प्राप्त हुई हैं। कम्पनी म्युचुवल फंड और कर मुक्त बांड़ों में भी निवेश करती है। कम्पनी की गतिविधियों के कारण उसे कुछ वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम भी हो सकते हैं।

### ग. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिमों से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यम हैं व्यापार प्राप्य, बाजार देय तथा अन्य गैर–डैरिवेटिव वित्तीय माध्यम।

#### (i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करतीं है और उसे व्यापक विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा रहता है (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान सामान्यत समान होते हैं) जो अमरीकी डॉलर, यूरो, येन, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, एमजेडएन, बीटीएन, जेडएआर, एनपीआर तथा एमवाईआर में विदेशी मुद्रा संव्यवहार होते हैं। कंपनी को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिमों का स्वतः बचाव हो जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2020 को संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 5 प्रतिशत की वृद्धि या कमी हमारे कर पूर लाभ पर क्रमशः 16.88 करोड़ रुपए तथा 16.27 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति समूह का महत्वपूर्ण जोखिम निम्नानुसार हैः

**31 मार्च 2021 को**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | यूएसडी | यूरो | डीजेडडी | बीडीटी | बीटीएन | एलकेआर | एमवाईआर | जेडएआर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 36.47 | 0.07 | 47.27 | – | – | – | 1.23 | – | 85.04 |
| रोक़ड़ तथा रोक़ड़ समतुल्य रोकड़ | 22.01 | 48.11 | 14.37 | 5.71 | – | 4.20 | 4.48 | 0.07 | 98.95 |
| ठेकेदारों का अग्रिम | 3.30 | 0.39 | – | 5.84 | – | – | – | – | 9.53 |
| अन्य परिसंपत्तियां | 155.86 | – | 143.33 | 70.38 | – | 3.51 | 20.46 | 18.37 | 411.91 |
| **कुल** | **217.64** | **48.57** | **204.97** | **81.93** | **–** | **7.71** | **26.17** | **18.44** | **605.43** |
| **देयताएं** | | | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 2.08 | 0.22 | 23.22 | 3.78 | – | 9.35 | 0.06 | – | 38.71 |
| ग्राहकों का अग्रिम | 31.21 | 7.48 | – | – | – | – | 0.57 | – | 39.26 |
| अन्य परिसंपत्तियां | 12.55 | – | 110.39 | 24.13 | – | 8.78 | 0.93 | 33.04 | 189.82 |
| **कुल** | **45.84** | **7.70** | **133.61** | **27.91** | **–** | **18.13** | **1.56** | **33.04** | **267.79** |

**31 मार्च 2020 को**

| विवरण | यूएसडी | यूरो | डीजेडडी | बीडीटी | बीटीएन | एलकेआर | एमवाईआर | जेडएआर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 27.34 | 0.32 | 21.37 | - | – | – | 1.68 | – | 50.71 |
| रोक़ड़ तथा रोक़ड़ समतुल्य रोकड़ | 44.23 | 60.42 | 74.19 | - | – | 13.30 | 24.64 | 15.70 | 232.48 |
| ठेकेदारों का अग्रिम | 1.51 | – | 0.70 | 24.42 | – | – | – | – | 26.63 |
| अन्य परिसंपत्तियां | 109.21 | – | 71.24 | 112.63 | – | 0.93 | 0.61 | 15.81 | 310.43 |
| **कुल** | **182.29** | **60.74** | **167.50** | **137.05** | **–** | **14.23** | **26.93** | **31.51** | **620.25** |
| **देयताएं** | | | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 43.84 | 8.43 | 35.47 | 7.94 | – | 9.45 | 0.99 | – | 106.12 |
| ग्राहकों का अग्रिम | 78.48 | – | – | - | – | – | 0.26 | – | 78.74 |
| अन्य परिसंपत्तियां | 10.40 | 1.45 | 49.71 | - | – | 0.96 | 1.96 | 45.53 | 110.01 |
| **कुल** | **132.72** | **9.88** | **85.18** | **7.94** | **–** | **10.41** | **3.21** | **45.53** | **294.87** |

### (ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज जोखिम बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। कंपनी अपने ब्याज जोखिमों की व्यवस्था कंपनी की नीतियों और जोखिम प्रयोजनों के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यमों में शामिल हैं कर मुक्त बांड तथा बैंक में जमा राशि। इन वित्तीय माध्यमों में ब्याज दर जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि वित्तीय माध्यमों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित होता है। इसक आतरिक्त, कंपनी को ऋणों/कर्ज पर किसी प्रकार के ब्याज का जोखम नही है, क्योंकि इनके ब्याज की दर नियत है।

### ख) ऋण जोखिम

कंपनी के ग्राहक प्रोफाइल में भारत तथा विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य स्वामित्व वाली कपनियां शामिल हैं। तदनुसार, समूह का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान तथा परियोजना के अंत में कतिपय प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। कुछ मामलों में प्रतिधारण को बैंक/निगमित गारंटियों के प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह के पास वसूली पर उचित ध्यान केन्द्रित करने के लिए संगठन के भीतर ही विभिन्न स्तरों पर ओवरड्यू ग्राहक प्राप्यों के लिए विस्तृत समीक्षा तंत्र विद्यमान है।

### व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां

कंपनी के ऋण जोखिम का खतरा मुख्य रुप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। व्यक्ति या देश जहां ग्राहक प्रचालन कर रहा है, वहां त्रुटि जोखिम सहित ग्राहक की जनसांख्यिकीय भी ऋण जोखिम को प्रभावित करती है।

### ऋण जोखिम की संभावना

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्ति जिसक लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलएफसीएल ) परिदृश्य का प्रयोग किया गया है** | | |
| गैर चालू निवेश | 1,505.58 | 1,468.52 |
| गैर चालू ऋण | 1,385.18 | 1,409.68 |
| अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां | 15.54 | 25.07 |
| चालू निवेश | – | – |
| रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य | 322.27 | 388.80 |
| अन्य बैंक शेष | 2,928.19 | 2,112.06 |
| चलू ऋण | 94.04 | 62.80 |
| अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां | 291.21 | 298.34 |
| **वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा भत्ते का मापन किया गया है** | | |
| व्यापार प्राप्य | 525.12 | 586.52 |
| संविदा परिसंपतियां | 792.42 | 706.71 |

### साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा घाटे में परिवर्तन का सार

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| आरंभिक भत्ते | 38.86 | 39.01 |
| वर्ष के दौरान प्रावधान | – | – |
| वर्ष के दौरान प्रयुक्त | – | – |
| राशि बट्टा खाता | (9.23) | (0.15) |
| **समापन भत्ते** | **29.63** | **38.86** |

वर्ष के दौरान कंपनी में शून्य (31 मार्च, 2020: शून्य रुपए) के घाटा भत्ता है।

### जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलीईसीएली ) परिदृश्य के प्रयोग द्वारा आंकलित घाटे में परिवर्तन का सार

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| आरंभिक भत्ते | 6.40 | 0.46 |
| वर्ष के दौरान प्रावधान | – | 5.94 |
| वर्ष के दौरान प्रयुक्त | – | (0.01) |
| राशि बट्टा खाता | (0.09) | – |
| (विनिमय लाभ)/हानि | – | 0.01 |
| **समापन भत्ते** | **6.31** | **6.40** |

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राक्कलन तकनीकों या अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान कंपनी में शून्य रुपए (31 मार्च, 2019 : 5.94 करोड़ रुपए) के घाटा भत्ता है।

### ग) चल निधि जोखिम

कंपनी पर्याप्त रोकड़ और बाजारयोग्य प्रतिभुतियों के अनुरक्षण और प्रतिबद्ध ऋण क्रमों की पर्याप्त राशि के माध्यम से निधियों पर पहुंच बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। कोष विभाग नियमित रुप से अनुमानों की तुलना में रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों की स्थिति की मॉनीटरिंग करते हैं। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता स्थितियों का आकलन और तुलन पत्र चल निधि अनुपात के अनुरक्षण पर विचार किया जाता है।

कंपनी की निवेश नीति और नीति तथा कार्ययोजना का मुख्य ध्यान पूंजी का संरक्षण और कंपनी की चल निधि आवश्यकताओं को सहयोग प्रदान करना है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की निवेश नीति और इसके निवेश उद्देश्यों की उपलब्धि की निगरानी करती है। कंपनी विशिष्ट रुप से भारत सरकार के ऋण बांडों और म्युचुवल फंडों में ही निवेश करती है। नीति सामान्य रुप से निवेश ग्रेड की अपेक्षा करती है जिसका प्रमुख उद्देश्य मूल राशि घाटे के संभावित जोखिम को न्यूनतम करना है।

एनएचएआई बांड के ब्याज की दर नियत होती है इसप्रकार इनको बांड उत्पादन दरों में परिवर्तन द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा म्युचुवल फंड उच्च तरलता परिसंपत्तियां हैं, जिसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है तथा इसमें पुनर्निवेश होता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 को महत्वपूर्ण वित्तीस देयतओं के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराती है:

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | | |
|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2 वर्ष और अधिक |
| उधार | – | – | – |
| व्यापार प्राप्य | 737.90 | – | – |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 2,383.90 | 266.41 | – |

| विवरण | 31 मार्च 2020 को | | |
|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2 वर्ष और अधिक |
| उधार | – | – | – |
| व्यापार प्राप्य | 576.85 | – | – |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 2,097.10 | 380.16 | – |

### घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

जोखिम संकेन्द्रण तब उत्पन्न होते हैं जब जब अनेक प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों या समान भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएं ऐसी होती हैं जो आर्थिक, राजनैतिक या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा उनके संविदागत दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। संकेन्द्रण एक विशिष्ट उद्योग को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल किए जाते हैं ताकि विविध पोर्टफोलियो को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित कर सके। ऋण जोखिमों के चिह्नित संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्व के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में )

| विवरण | को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2021 | 31 मार्च, 2020 |
| शीर्ष पांच परियोजनाओं से राजस्व | 2,785.48 | 2,781.59 |
| **कुल** | 2,785.48 | 2,781.59 |

### ग. पूंजी प्रबंधन

अपनी पूंजी के प्रबंधन का कंपनी का उद्देश्य निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित और सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को जारी रखना है, ताकि कंपनी अपने शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य स्टेकधारकों का लाभ दे सके। वर्तमान में कम्पनी के पास कोई कर्ज नहीं है। कंपनी ने निवेश के जन परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग/(डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार लाभांश का भुगतान किया है।

(₹ करोड़ में )

| विवरण | को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2021 | 31 मार्च, 2020 |
| प्रदत्त लाभांश | 158.00 | 228.31 |
| **कुल** | **158.00** | **228.31** |

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 2 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 1.32 रूपए के अंतिम लांभांश की संस्तुति की है, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। यह प्रति इक्विटी शेयर 2 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 1.30 रूपए की दर पर प्रदत्त अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

अपनी आगामी बैठक में निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अंतिम लाभांश को संशोधित करके प्रति 2/– रु. के फेस वैल्यू पर प्रति शेयर 1.70 रु. कर दिया है और इस प्रकार कुल देय लाभांश 159.89 करोड़ रु. है।

इसके आतरिक्त, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय संविदाओं की अपेक्षाओं के आलाक में समायोजनों के करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है।

कंपनी के 99,05,157 शेयरों के विनिवेश के भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरुप कंपनी के शेयर दिनांक 28 सितंबर 2018 को एनएसई तथा बीएसई में सूचीबद्ध हो गए हैं और इससे प्राप्त धनराशि भारत सरकार को जाएगी।

## 32. कर्मचारी लाभ

इंड एएस 19 ''कर्मचारी लाभ'' के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है :

### (i) निर्धारित अंशदान योजना : सामान्य ब्यौरा

**पेंशन**

कंपनी ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक कंपनी में 15 वर्ष की सेवा (अन्य सीपीएसई मे सेवा सहित) पूरी करने वाले आईडीए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2009 से इरकॉन सुनिश्चित अंशदायी अधिवर्षिता पेशन योजना, 2009 क्रियान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए 9.02 करोड रूपए (8.97 करोड़ रूपए) कंपनी के अंशदान भाग का भुगतान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2020–21 के दौरान लेखांकित किया गया है।

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### (i) निर्धारित लाभ योजना : सामान्य ब्यौरा

**भविष्य निधि**

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट में 13.14 करोड़ रूपए (12.36 करोड़ रूपए) का अंशदान किया है।

**उपदान**

कंपनी ने अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण अपने रोजगार को समाप्त करने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में कंपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इरकॉन ने कर्मचारी सामूहिक भविष्य निधि योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया। ट्रस्ट का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च 2021 को 4.72 करोड़ रूपए (3.32 करोड़ रूपए) की परिसंपत्तियों को बीमांकन आधार पर लेखा बहियों में बुक किया गया है।

**सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)**

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000–01 के दौरान 12 करोड़ रूपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 4.72 करोड़ रूपए (10.45 करोड़ रूपए) का भी प्रावधान किया है।

**अन्य सेवानिवृत्ति लाभ. सामान्य वर्णन**

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल हैं– गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

31 मार्च 2021 को लाभ हानि विवरण और तुलनपत्र में स्वीकृत विभिन्न कर्मचारी लाभों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:–

**i) निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य परिवर्तन**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | भविष्य निधि | | उपदान | | सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ | | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
| **अवधि के आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व** | **380.23** | **341.76** | **85.71** | **83.69** | **110.96** | **101.20** | **1.28** | **1.28** |
| चालू सेवा लागत | 43.56 | 43.39 | 3.96 | 4.13 | 3.98 | 3.57 | 0.07 | 0.07 |
| पूर्व सेवा लागत | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ब्याज लागत | 31.97 | 29.60 | 5.93 | 6.28 | 7.68 | 7.59 | 0.09 | 0.10 |
| प्रदत्त लाभ | (46.92) | (36.32) | (15.90) | (7.31) | (3.05) | (2.95) | (0.03) | (0.07) |
| दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि | 0.40 | 1.80 | 0.42 | (1.09) | 9.16 | 1.56 | (0.13) | (0.09) |
| **अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व** | **409.24** | **380.23** | **80.11** | **85.71** | **128.73** | **110.96** | **1.27** | **1.28** |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### ii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में )

| विवरण | भविष्य निधि | | उपदान | | सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ | | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
| **अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य** | **380.47** | **345.51** | **82.39** | **79.69** | **91.07** | **83.52** | **–** | **–** |
| नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान | 43.56 | 43.39 | 3.32 | 4.01 | 10.45 | 4.49 | – | – |
| प्रदत्त लाभ | (46.92) | (36.32) | (15.90) | (7.31) | (3.05) | (2.95) | – | – |
| ब्याज लागत | 33.51 | 27.89 | 5.94 | 6.35 | 6.00 | 6.01 | – | – |
| ब्याज आय सहित योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल | – | – | – | – | – | – | – | – |
| एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार | – | – | – | (0.36) | – | – | – | – |
| **अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य** | **410.62** | **380.47** | **75.39** | **82.39** | **104.47** | **91.07** | **–** | **–** |

### iii) योजना परिसंपत्तियों और निर्धारित लाभ दायित्वों का उचित मूल्य समायोजन

(₹ करोड़ में )

| विवरण | भविष्य निधि | | उपदान | | सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ | | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
| योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 410.62 | 380.47 | 75.39 | 82.39 | 104.47 | 91.07 | – | – |
| निर्धारित लाभ दायित्व | 409.24 | 380.23 | 80.11 | 85.71 | 128.73 | 110.96 | 1.27 | 1.28 |
| **तुलनपत्र में स्वीकृत राशि** | **1.38** | **0.24** | **(4.72)** | **(3.32)** | **(24.26)** | **(19.90)** | **(1.27)** | **(1.28)** |

### iv) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि

(₹ करोड़ में )

| विवरण | भविष्य निधि | | उपदान | | सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ | | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
| चालू सेवा लागत | 13.12 | 12.43 | 3.96 | 4.13 | 3.98 | 3.57 | 0.07 | 0.07 |
| पूर्व सेवा लागत | – | – | – | – | – | – | – | – |
| निवल ब्याज व्यय | – | – | 0.23 | 0.30 | 1.38 | 1.33 | 0.09 | 0.10 |
| **लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि** | **13.12** | **12.43** | **4.19** | **4.43** | **5.36** | **4.89** | **0.16** | **0.16** |

**v) अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | भविष्य निधि | | उपदान | | सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ | | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
| भौगोलिक अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन | – | – | – | 0.03 | – | 0.06 | – | – |
| वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन | (0.02) | (0.03) | (1.83) | (1.74) | (4.11) | (5.33) | (0.04) | (0.02) |
| संभावित समायोजन | (0.38) | (1.77) | 1.42 | 2.80 | (5.05) | 3.72 | 0.18 | 0.11 |
| ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियो पर प्रतिफल | 1.54 | (1.71) | (0.12) | 0.02 | (0.29) | (0.26) | – | – |
| **अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि** | **1.14** | **(3.51)** | **(0.53)** | **1.11** | **(9.45)**** | **(1.81)** | **0.13**** | 0.09 |

** (9.45 करोड़ रूपए) (1.81 करोड़ रूपए) के गैर स्वीकार्य बीमांकक लाभ/घाटे (ओआईसी) में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) के प्रति है। चूंकि पीआरएमबी के संबंध में देयता को बीमांकक मूल्यांकन के रूप में प्रावधान नहीं किया गया है और इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए, बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार पीआरएमबी के संबंध में ओसीआई पर विचार नहीं किया गया है।

**vi) कुल योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य की योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं :**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | भविष्य निधि | | उपदान | | सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ | | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
| भारत सरकार की प्रतिभूतियां | 59.67% | 60.17% | – | – | 9.52% | 9.52% | – | – |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियां | – | – | – | – | 30.86% | 30.86% | – | – |
| केन्द्र राज्य गारंटित बांड | – | – | – | – | 18.73% | 18.73% | – | – |
| उच्च गुणवत्ता निगमित बांड | 38.04% | 36.17% | – | – | 23.40% | 23.40% | – | – |
| पीएसयू बांड | – | – | – | – | 7.35% | 7.35% | – | – |
| पीएसयू आधारित ।।। टीयर । बांड | – | – | – | – | 8.25% | 8.25% | – | – |
| ऋण म्युचुवल फंड | 0.77% | 0.29% | – | – | – | – | – | – |
| आईटीएफ/इंडैक्स/इक्विटी म्युचवल फंड | 1.52% | 3.37% | – | – | 1.89% | 1.89% | – | – |
| बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि | – | – | 100.00% | 100.00% | – | – | – | – |
| **कुल** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **0.00%** | **0.00%** |

**vii) कंपनी की योजना के लिए पीएफ/उपदान/पीआरएमबी/सेवानिवृत्ति भत्ता देयता के निर्धारण में प्रयुक्त प्रधान अनुमान निम्नानुसार है:**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | भविष्य निधि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | भविष्य निधि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | उपदान 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | उपदान 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | पीआरएमबी 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | पीआरएमबी 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | सेवानिवृत्ति भत्ते 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | सेवानिवृत्ति भत्ते 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रियायत दर | 6.54% | 6.92% | 6.54% | 6.92% | 6.54% | 6.92% | 6.54% | 6.92% |
| भावी वेतन वृद्धि | 8.50% | 8.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| मृत्यु दर | 100% आईएएलएम (2012-14) | 100% आईएएलएम (2012-14) | 100% आईएएलएम (2012-14) | 100% आईएएलएम (2012-14) | 100% आईएएलएम (2012-14) | 100% आईएएलएम (2012-14) | 100% आईएएलएम (2012-14) | 100% आईएएलएम (2012-14) |

**viii) 31 मार्च के अनुसार उपर दर्शाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों हेतु मात्रात्मक संवेदी विश्लेषण निम्नानसुार :** (₹ करोड़ में )

| उपदान योजना | पीएफ योजना (डीबीओ पर प्रभाव) | | उपदान योजना (डीबीओ पर प्रभाव) | | पीआरएमबी (डीबीओ पर प्रभाव) | | सेवानिवृत्ति भत्ते (डीबीओ पर प्रभाव) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| **अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य** | **409.24** | **380.23** | **80.11** | **85.71** | **128.73** | **110.96** | **1.27** | **1.28** |
| रियायत दयर | 6.54% | 6.92% | 6.54% | 6.92% | 6.54% | 6.92% | 6.54% | 6.92% |
| 0-50% की वृद्धि | (0.02) | (0.03) | (2.40) | (2.40) | (4.86) | (4.19) | (0.05) | (0.05) |
| 0-50% की कमी | 0.03 | 0.03 | 2.57 | 2.56 | 5.24 | 4.51 | 0.05 | 0.05 |
| **भावी वेतन वृद्धि** | 8.50% | 8.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| 0-50% की वृद्धि | - | - | 1.11 | 1.10 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 0-50% की कमी | - | - | (1.14) | (1.13) | - | - | (0.05) | (0.05) |

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण का निर्धारण उस विधि से किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न उपर्युक्त प्रमुख अनुमानों में युक्तिसंगत परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभदायित्वों पर प्रभाव को दर्शाते हैं।

मृत्यु और आहरण के कारण संवेदनशीलता सामग्रीगत नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया जाता है।

मुद्रा स्फीति की दर, भुगतान में पेंशनों की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर तथा जीवन संभाव्यता के प्रति संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति के एकमुश्त लाभ के रूप में लागू नहीं है।

**ix) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान**

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए निर्धारित लाभ योजना के संभावित अंशदान **26.72 करोड़ रूपए** है।

**x) निर्धारित लाभ दायित्वों की परिक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है:** (₹ करोड़ में )

| निर्धारित लाभ दायित्वों की अवधि: वर्ष | भविष्य निधि | उपदान | सेवानिवृत्ति पूर्व | सेवानिवृत्ति भत्ते |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.60 | 12.00 | 3.62 | 0.16 |
| 2 | 122.12 | 10.60 | 16.59 | 0.16 |
| 3 | | 8.60 | 6.92 | 0.14 |
| 4 | | 7.82 | 6.99 | 0.13 |
| 5 | | 7.69 | 6.40 | 0.13 |
| 6 | 183.52 | 4.35 | 3.72 | 0.07 |
| 6 से आगे | | 29.05 | 60.72 | 0.48 |
| **कुल** | **409.24** | **80.11** | **104.97** | **1.27** |

**जोखिम विश्लेषण**

कंपनी को अनेक निर्धारित लाभ योजना के जोखिमों की संभावना हैं। निर्धारित लाभ योजनाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिम और इन जोखिमों

के प्रभावों के सबंध में प्रबंधन का अनुमान निम्नानुसार है:

### क) ब्याज जोखिम

योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज दर में कमी योजना दायित्व में वृद्धि करती है।

### ख) दीर्घायु जोखिम/जीवनकाल संभाव्यता

निर्धारित लाभ योजना दायित्वों का वर्तमान मूल्य का परिकलन नियोजना के दौरान और अंत दोनों में योजना भागीदारों की मृत्युदर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ द्वारा किया जाता है। योजना भागीदारों जीवनकाल संभाव्यता में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

### ग) वेतन वृद्धि जोखिम

निर्धारित लाभ योजना दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन योजना भागीदारों के भावी वेतनों के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

## 33. संबंधित पक्षों सव्यवहार

इंड एएस 24 ''संबंधित पक्ष प्रकटन'' के अनुपालन में प्रकटन निम्नानुसार है:

**क) संबंधित पक्षों की सूची**

**(ii) सहायक कंपनी**

इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.
इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड, 24 दिसंबर, 2020 को निगमित

**(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियां**

इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

**(iii) गैर निगमित संयुक्त उपक्रम (संयक्त प्रचालन)**

**संयुक्त प्रचालन**
एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसोर्टियम
एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम

**समाप्त संयुक्त प्रचालन**
इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर
मेट्रो टनलिंग समूह
इरकॉन एफकॉन

**वित्तीय रूप से बंद संयुक्त प्रचालन**
इरकॉन–कोब्रा–ईएलआईओपी
इरकॉन–श्री भवानी बिल्डर
इरकॉन–एसएमजी प्रोजेक्ट जेवी
इरकॉन–गन्नन डंक्ले
इरकॉन–आरसीएस:पिलफिडरर
इरकॉन–एसपीएससीपीएल
रिकॉन

**(iv) (क) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक (केएमपी)**
**पूर्णकालीन निदेशक**

| नाम | पदनाम |
|---|---|
| श्री एस.के.चौधरी* | सीएमडी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) |
| श्री एम.के.सिंह** | निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) |
| योगेश कुमार मिश्रा | निदेशक (कार्य) |
| श्री एस.एल.गुप्ता | निदेशक (परियोजना) |

* दिनांक 30.4.2021 से सीएमडी के पद से पदमुक्त हुए।

** दिनांक 01.05.2021 से सीएमडी और दिनांक 11.06.2021 से सीईओ के पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण और श्री सुरजीत दत्ता, सीजीएम/वित्त/

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

मुख्यालय दिनांक 11.06.2021 से सीएफओं को अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं।

### कंपनी सचिव

| नाम | पदनाम |
|---|---|
| सुश्री रितु अरोड़ा | कंपनी सचिव |

### (ख) अन्य निदेशक

### सरकारी नामिति अंशकालीन (सरकारी) निदेशक

| नाम | पदनाम |
|---|---|
| श्री धनन्जय सिंह | अंशकालीन (कार्य) निदेशक |

**(v) सरकारी नामिति अंशकालीन (सरकारी) निदेशक**

इरकॉन उपदान ट्रस्ट
इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
इरकॉन चिकित्सा न्यास
इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास

**(vi) सरकार संबंधी न्यास**

कंपनी रेल मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) है। कंपनी भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है जिसके पास दिनांक 31 मार्च 2021 को भारत के राष्ट्रपति के नाम 73.18 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का धारिता है। इंड एएस 24 के पैरा 25 तथा 26 के अनुसरण में निकाय जिन पर समान सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग निकाय और अन्यस निकाय संबंधित पक्ष माने जाते हैं। इन पक्षों के साथ संव्यवहारों को आर्म लैंथ आधार पर बाजार शर्तों पर निष्पादित किया जाता है। कंपनी ने सरकार संबंधी निकायों के लिए उपलब्ध छूट हेतु आवेदन किया है और इस संबंध में वित्तीयस विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

कंपनी के निम्नलिखित सरकार संबंधी न्यासों के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार हैं:

| निकाय का नाम | संबंध |
|---|---|
| रेल मंत्रालय | नियंत्रण निकाय |
| रेल भूमि विकास प्राधिकरण | रेल मंत्रालयस के अधीन सांवधिक निकाय |
| भारतीय रेल वित्त निगम | रेल पीएसयू |

**ख. कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)/ निदेशकों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:**

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|
| 1 | अल्पकालीन नियोजन लाभ (i) | 3.00 | 3.27 |
| 2 | अन्य दीर्घकालीन नियोजन लाभ | 0.30 | 0.58 |
| 3 | बैठक शुल्क | 0.10 | 0.20 |
| | **कुल** | **3.40** | **4.05** |

नोटः

(i) वित्तीय वर्ष 2020–21 के आंकड़ों में अनन्तिम आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वर्ष के दौरान 0.73 करोड़ रूपए के पीआरपी प्रावधान ( वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 1.02 करोड़ रूपए के पीआरपी प्रावधान सहित जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2017–18 में किया गया) शामिल हैं।

(ii) यथा अनुमेय निदेशकों से वसूली की गई है जिन्हे कंपनी के आवास और कार प्रदान की गई है।

| क्र.सं. | संव्यवहार की प्रकृति | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध की प्रकृति | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री** | | | | |
| 1.1 | **संविदा राजस्व** | इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 2.63 | 1.32 |

## स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

### 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| क्र.सं. | संव्यवहार की प्रकृति | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध की प्रकृति | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| | | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 11.85 | 107.29 |
| | | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 132.33 | 415.06 |
| | | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | 514.87 | 403.55 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 215.68 | 332.19 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 23.73 | 21.70 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 40.28 | 21.75 |
| | | झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 4.06 | 9.49 |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 1.75 | 21.19 |
| | | एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 564.19 | 355.86 |
| | | एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 5.81 | 2.34 |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 2,766.46 | 3,072.95 |
| **1.2** | **किराया आय** | इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.18 | 0.18 |
| | | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.02 | 0.02 |
| | | इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.02 | 0.02 |
| | | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.02 | 0.02 |
| | | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | 0.02 | 0.02 |
| | | इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.01 | – |
| | | इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.03 | 0.03 |
| | | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 0.04 | – |
| **2** | **वस्तुओं और सेवाओं की खरीद** | इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 3.21 | 2.15 |
| **3** | **प्रतिनियुक्ति कर्मचारी व्यय, किराय एवं अन्य विविध व्यय (आय) की प्रतिपूर्ति** | इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 3.42 | 3.35 |
| | | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.81 | 5.41 |
| | | इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.63 | 0.58 |
| | | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.18 | 0.14 |
| | | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | 0.72 | 4.12 |
| | | इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.12 | – |
| | | इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | – | 0.02 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.67 | 0.59 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.43 | 0.35 |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.27 | – |
| | | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.22 | 0.84 |
| **4** | **ब्याज आय** | | | | |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| क्र.सं. | संव्यवहार की प्रकृति | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध की प्रकृति | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | ऋण पर ब्याज आय | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | – | 19.94 |
| | | इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 41.51 | 52.81 |
| | | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 18.70 | 17.51 |
| | | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | 17.73 | 6.30 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 1.81 | 3.61 |
| 4.2 | अग्रिम पर ब्याज आय | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 72.19 | 114.12 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.06 | 0.26 |
| | | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 165.32 | 220.97 |
| 4.3 | बांड पर ब्याज आय | भारतीय रेल वित्त निगम | सरकार संबंधी निकाय | 17.11 | 22.10 |
| 4.4 | लाभांश आय | इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 17.00 | – |
| 5 | लाभांश | | | | |
| 5.1 | लाभांश संवितरण | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 140.89 | 203.61 |
| 5.2 | प्रेषित लाभांश आय | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | – | 2.15 |
| 5.3 | प्रेषित निवेश की बिक्री पर लाभ | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 0.21 | – |
| 6 | ब्याज व्यय | | | | |
| 6.1 | अग्रिम ब्याज व्यय | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.61 | 4.16 |
| | | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | 3.42 | 6.90 |
| 6.2 | अग्रिम पर ब्याज व्यय | भारतीय रेल वित्त निगम | सरकार संबंधी निकाय | 164.81 | 220.35 |
| 7 | इक्विटी शेयरों में निवेश | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | – | 60.00 |
| | | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | – | 4.00 |
| | | इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.05 | – |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 20.00 | – |
| | | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 12.00 | 14.20 |
| 8 | ऋण मुक्त ब्याज (इक्विटी माने गए) | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | – | 125.77 |
| | | झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | – | 50.00 |
| 9 | वित्तीय गारंटी संविदा | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 5.00 | – |
| 10 | प्रदान ऋण | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | – | 136.89 |
| | | इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | – | 18.00 |
| | | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 83.96 | 139.22 |
| | | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | 408.50 | 181.00 |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| क्र.सं. | संव्यवहार की प्रकृति | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध की प्रकृति | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ऋणों की वसूली | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 81.22 | 57.52 |
| | | इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 38.15 | 15.44 |
| | | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 326.72 | – |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 39.00 | – |
| 12 | अग्रिम की वसूली | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 615.31 | 615.30 |
| 13 | ऋणों का पुनर्भुगतान | भारतीय रेल वित्त निगम | सरकार संबंधी निकाय | 615.31 | 615.30 |
| 14 | प्राप्त अग्रिम | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | – | 153.56 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 3.07 | 3.67 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 36.39 | 9.17 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | – | 0.98 |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | – | 0.26 |
| | | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 2,700.26 | 1,538.70 |
| 15 | अग्रिमों का पुनर्भुगतान | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 13.82 | 58.86 |
| | | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | 70.28 | 62.07 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 15.19 | – |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 9.34 | – |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.98 | – |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.26 | – |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 2,496.10 | 1,523.58 |
| 16 | नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं | | | | |
| 16.1 | वर्ष के दौरान अंशदान | इरकॉन उपदान ट्रस्ट | नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं | 3.30 | 4.01 |
| | | इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास | नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं | 40.12 | 43.39 |
| | | इरकॉन चिकित्सा न्यास | नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं | 10.45 | 4.49 |
| | | इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास | नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं | 9.02 | 8.97 |
| 16.2 | वर्ष के दौरान प्रतिपूर्तियां | इरकॉन उपदान ट्रस्ट | नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं | 13.57 | 5.79 |

नोट :

(i) सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम कंपनियों तथा संयुक्त प्रचालनों के साथ गारंटियों और अन्य प्रतिबद्धताओं हेतु नोट 37 का संदर्भ लें।

(ii) रेल मंत्रालय से खरीद प्रक1ति में काल्पनिक है अतः गैर–तथ्यात्मक है। इस लिए प्रकट नहीं किया गया।

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

**c) संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष निम्नानुसार:**

(₹ करोड़ में )

| क्र. सं. | संव्यवहार की प्रकृति | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध की प्रकृति | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इक्विटी निवेश (संभावित इक्विटी सहित) | इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 65.00 | 65.00 |
| | | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 165.00 | 165.00 |
| | | इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 150.00 | 150.00 |
| | | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 169.05 | 164.05 |
| | | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | 135.77 | 135.77 |
| | | इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.05 | – |
| | | इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 64.15 | 64.15 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 142.58 | 122.58 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 131.17 | 131.17 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.01 | 0.01 |
| | | झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 63.00 | 63.00 |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 76.34 | 76.34 |
| | | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 52.00 | 40.00 |
| 2 | बांडों में निवेश | भारतीय रेल वित्त निगम | सरकार संबंधी निकाय | 221.47 | 221.47 |
| 3 | प्रदान ऋणों के प्रति वसूलीयोग्य राशि | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 336.00 | 417.22 |
| | | इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 526.00 | 564.15 |
| | | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 26.46 | 269.22 |
| | | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | 589.50 | 181.00 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | – | 39.00 |
| 4 | ऋणों से इतर वसूलीयोग्य राशि | | | | |
| 4.1 | व्यापार प्राप्य | इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 1.52 | 1.53 |
| | | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 14.22 | 4.71 |
| | | इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | – | 0.52 |
| | | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 37.11 | 25.33 |
| | | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | 2.03 | 164.50 |
| | | इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.06 | 0.06 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 46.94 | 34.40 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 23.37 | 8.23 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 4.75 | – |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 6.65 | 16.64 |
| | | एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 137.82 | 134.72 |
| | | एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 4.42 | 1.42 |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 34.77 | 19.29 |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| क्र. सं. | संव्यवहार की प्रकृति | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध की प्रकृति | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.2** | **संविदा परिसंपत्तियां** | | | | |
| **(क)** | **बिलयोग्य राजस्व / प्राप्य जो देय हैं और वसूलीयोग्य मूल्य पर सीडब्ल्यूआईपी** | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | – | 2.98 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 19.53 | 26.68 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 4.80 | 21.41 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.38 | – |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 22.94 | 21.19 |
| | | एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 91.04 | 91.43 |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 18.65 | 25.95 |
| **(ख)** | **प्रतिधारण राशि एवं आहरित राशि** | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 19.42 | – |
| | | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | 0.73 | – |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 2.16 | – |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 4.32 | 2.28 |
| | | एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 59.40 | 32.04 |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 1.90 | 0.81 |
| **4.3** | **वसूलीयोग्य अग्रिम और दावे** | इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 2.06 | 1.33 |
| | | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.70 | 0.32 |
| | | इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.17 | 0.57 |
| | | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.03 | 0.02 |
| | | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | 0.05 | 0.10 |
| | | इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.13 | – |
| | | इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.02 | 0.02 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.20 | 0.60 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 1.83 | 1.40 |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.83 | 0.56 |
| | | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 0.96 | 0.99 |
| | | इरकॉन एफकॉन | संयुक्त प्रचालन | 0.68 | 29.43 |
| | | एक्सप्रेस फ्रेंट कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 0.51 | – |
| | | इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर | संयुक्त प्रचालन | 3.70 | 3.66 |
| | | मेट्रो टनलिंग समूह | संयुक्त प्रचालन | 4.64 | 4.37 |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 8.04 | – |
| | | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 1,885.56 | 2,485.87 |
| **4.4** | **ऋणों पर संचित ब्याज** | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 9.35 | 8.15 |
| **4.5** | **अग्रिमों पर संचित ब्याज** | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 160.72 | 212.85 |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| क्र. सं. | संव्यवहार की प्रकृति | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध की प्रकृति | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | बांडों पर संचित ब्याज | भारतीय रेल वित्त निगम | सरकार संबंधी निकाय | 12.91 | 17.86 |
| 4.7 | न्यासों से वसूलीयोग्य | इरकॉन उपदान ट्रस्ट | नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं | 3.65 | 5.80 |
| 5 | ऋणों | भारतीय रेल वित्त निगम | सरकार संबंधी निकाय | 1,845.92 | 2,461.23 |
| 6 | के प्रति देय राशि | | | | |
| 6.1 | व्यापार प्राप्य | इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 0.22 | 0.80 |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | - | 0.10 |
| 6.2 | संविदागत दायित्व (अग्रिम एवं अग्रिम संविदा प्राप्तियां) | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 1,499.52 | 1,303.94 |
| | | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | सहायक कंपनियां | 32.48 | 29.00 |
| | | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | 177.24 | 296.87 |
| | | इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 44.55 | 44.55 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 44.98 | 57.11 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 57.35 | 30.35 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | - | 0.98 |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | - | 0.26 |
| | | एक्सप्रेस फ्रेंट कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 48.33 | 148.61 |
| | | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 10.00 | - |
| 6.3 | ग्राहकों को अन्य देय | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 779.59 | 651.36 |
| 6.4 | ऋणों पर देय ब्याज | भारतीय रेल वित्त निगम | सरकार संबंधी निकाय | 156.56 | 210.00 |
| 6.5 | अग्रिमों पर देय ब्याज | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | सहायक कंपनियां | 1.14 | 3.59 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | - | 0.26 |
| | | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 1.76 | - |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 234.16 | 204.81 |
| 6.6 | न्यासों को देय | इरकॉन उपदान ट्रस्ट | नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं | 4.72 | 3.32 |

### घ) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार की शर्तें एवं निबंधन

(i) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों को आर्म लैंड संव्यवहारा में प्रचलित समतुल्य शर्तों के अनुसार किया गया है।

(ii) वर्ष के अंत में संबंधित वक्षों के बकाया शेष अरक्षित हैं और इन्हें बैंक संव्यवहारों के माध्यम से निपटाया गया है। ऋणों से इतर अन्य शेष और ब्याज धारित अग्रिम ब्याज मुक्त हैं।

(iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को ऋण सभी अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों और निबंधनों के आधार पर हैं।

## 34. सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और संयुक्त प्रचालनों में हित

**क. इंड एएस 27 ''पृथक वित्तीय विवरणों'' के अनुपालन संबंधी यप्रकटन निम्नानुसार है:**

निम्नलिखित सहायक कंपननियों, संयुक्त उपक्रमों और संयुक्त प्रचालनों में निवश लागत पर लेखांकित है:

**सहायक कंपनियों में निवेश**

| क्र.सं | सहायक कंपनी का नाम | व्यवसाय का प्रमुख स्थान एवं निगमन का देश | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात | वोटिंग अधिकार का अनुपात | प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात | वोटिंग अधिकार का अनुपात |
| 1 | इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड | भारत | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | भारत | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | भारत | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | भारत | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | भारत | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड | भारत | 100.00 | 100.00 | – | – |

**संयुक्त उपक्रम कंपनियों में निवेश**

| क्र.सं | सहायक कंपनी का नाम | व्यवसाय का प्रमुख स्थान एवं निगमन का देश | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात | वोटिंग अधिकार का अनुपात | प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात | वोटिंग अधिकार का अनुपात |
| 1 | इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड | महाराष्ट्र, भारत | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | छत्तीसगढ, भारत | 21.23 | 26.00 | 25.91 | 26.00 |
| 3 | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | छत्तीसगढ, भारत | 26.02 | 26.00 | 26.02 | 26.00 |
| 4 | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | ओडीशा, भारत | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| 5 | झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड | झारखंड, भारत | 14.82 | 26.00 | 23.59 | 26.00 |
| 6 | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | छत्तीसगढ, भारत | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| 7 | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | दिल्ली एनसीआर, भारत | 26.00 | 26.00 | 50.00 | 50.00 |

**संयुक्त प्रचालन में निवेश**

| क्र.स | संयुक्त प्रचालन का नाम | व्यवसाय का प्रमुख स्थान एवं निगमन का देश | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात | वोटिंग अधिकार का अनुपात | प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात | वोटिंग अधिकार का अनुपात |
| i) | **प्रचालन में परियोजना हेतु:** | | | | | |
| | एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम | गुजरात एवं महाराष्ट्र, भारत | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम | महाराष्ट्र, भारत | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| ii) | **समाप्त संयुक्त प्रचालन** | | | | | |
| | इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर | दिल्ली एनसीआर, भारत | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| | मेट्रो टनलिंग समूह | दिल्ली एनसीआर, भारत | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| | इरकॉन:एफकॉन | बांग्लादेश | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
| iii) | **अंतत बंद संयुक्त प्रचालन** | | | | | |
| | इरकॉन–कोब्रा– ईएलआईओपी | दिल्ली एनसीआर, भारत | 61.22 | 61.22 | 61.22 | 61.22 |
| | इरकॉन:श्री भवानी बिल्डर | चेन्नई, भारत | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 |
| | इरकॉन:एसएमजी प्रोजेक्ट जेवी | तमिलनाडु, भारत | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| | इरकॉन गन्नन डंक्ले | उत्तर प्रदेश, भारत | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
| | इरकॉन:आरसीएस:पिलफिडरर | जम्मू और कश्मीर, भारत | 65.08 | 65.08 | 65.08 | 65.08 |
| | इरकॉन:एसपीएससीपीएल | जम्मू और कश्मीर, भारत | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| | रिकॉन | दिल्ली एनसीआर, भारत | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |

## ख. संयुक्त प्रचालनों में वित्तीय हित (कंपनी के शेयर के स्तर तक)

| क्र.स | विवरण | समाप्त संयुक्त प्रचालन के नाम | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | इरकॉन–एफकॉन | | एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम | | इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर | | मेट्रो टनलिंग समूह | | कुल | |
| | | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 |
| | **वर्ष के अंत में:** | | | | | | | | | | |
| 1 | **परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | |
| | पीपीई | – | – | – | – | – | – | – | – | **–** | **–** |
| | प्रगतिरत पूंजीगत कार्य | – | – | – | – | – | – | – | – | **–** | **–** |
| | अन्य परिसंपत्तियां | 0.68 | 29.43 | – | – | 4.64 | 4.61 | 4.86 | 4.81 | **10.18** | **38.85** |
| 2 | देयताएं | | | | | | | | | | |
| | प्रावधान | – | 0.18 | – | – | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.37 | **0.17** | **0.59** |
| | अन्य देयताएं | – | – | – | – | 0.91 | 0.91 | 0.07 | 0.07 | **0.98** | **0.98** |
| | **वर्ष के अंत में:** | | | | | | | | | | |
| 3 | कुल आय | 0.10 | – | 2.75 | – | 0.07 | 0.09 | 0.24 | 0.31 | **3.16** | **0.39** |
| 4 | कुल व्यय | – | 0.04 | 1.64 | – | – | – | 0.03 | 0.01 | **1.67** | **0.05** |
| 5 | कुल कर | 18.40 | – | 0.60 | – | 0.03 | 0.04 | (0.06) | 0.13 | **18.97** | **0.17** |
| 6 | कर पूर्व लाभ | (18.30) | (0.04) | 0.51 | – | 0.04 | 0.05 | 0.27 | 0.17 | **(17.48)** | **0.18** |
| 7 | अन्य वृहत आय | – | – | – | – | – | – | – | – | **–** | **–** |
| 8 | कुल वृहत आय | (18.30) | (0.04) | 0.51 | – | 0.04 | 0.05 | 0.27 | 0.17 | **(17.48)** | **0.18** |

**नोट:** संयुक्त प्रचालनों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 37 में प्रकट किया गया है।

## 35. प्रति शेयर आमदनी

इंड एएस 33 ''प्रति शेयर आमदनी'' के अनुसार प्रकटन

मूल ईपीएस की राशि का परिकलन मूल इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के वेटेज द्वारा भाग करके किया जाता है।

विलयित ईपीएस का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के वेटेज औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों के वेटेड औसत संख्या जो सभी विललियत संभावित इक्विटी शेयरों के इकिवटी शेयरों में परिवर्तन पर जारी किया जाएगा, के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात इक्विटी धारकों के प्रति वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके किया जाता है।

### (i) मूल एवं विलयित आमदनी प्रति शेयर (रूपए में)

| विवरण | नोट | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|
| इक्विटी धारकों के प्रति लाभ (रूपए करोड में) | (ii) | 404.56 | 489.78 |
| मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या (संख्या में)* | (iii) | 94,05,15,740.00 | 94,05,15,740.00 |
| प्रति शेयर आमदनियां (मूल) | | 4.30 | 5.21 |
| प्रति शेयर आमदनियां (विलयित) | | 4.30 | 5.21 |
| प्रति शेयर फेस मूल्य | | 2.00 | 2.00 |

*इरकॉन के निदेशक मंडल ने दिनांक 5 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी 268वीं बैठक में 1:1 के अनुपात में 2/– रुपये के 47,02,57,870 पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। (अर्थात शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में दिनांक 21 मई, 2021 के साथ प्रत्येक मौजूदा 1 (एक) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर जारी किया गया। एनएसई और बीएसई से अंतिम लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमोदन दिनांक 31 मई, 2021 को प्राप्त हुआ। बोनस के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी रु.188,10,31,480 है, जिसे प्रत्येक 2/– रुपये के 94,05,15,740 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

### (ii) इक्विटी शेयरों के प्रति लाभ (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (रूपए करोड में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ | 404.56 | 489.78 |
| ईपीएस के परिकलन हेतु प्रयुक्त कंपनी के शेयरधारकों के प्रति लाभरू | 404.56 | 489.78 |

### (iii) इक्विटी शेयरों के वेटिड औसत संख्या (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष | 9,40,51,574.00 | 9,40,51,574.00 |
| वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर | – | – |
| शेयरों के विघटन के कारण शेयरों की संख्या में वृद्वि | 37,62,06,296.00 | 37,62,06,296.00 |
| वित्तीय विवरण के जारी किए जाने से पूर्व रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात जारी बोनस शेयर | 47,02,57,870.00 | 47,02,57,870.00 |
| **मूल ईपीएस के परिकलन के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या** | **94,05,15,740.00** | **94,05,15,740.00** |
| **विलयित प्रभावः** | | |
| जमाः वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या | – | – |
| **विलयित ईपीएस परिकलन हेतु इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या** | **94,05,15,740.00** | **94,05,15,740.00** |

## 36. परिसंपत्तियों की हानि

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) के नियम 3 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), संशोधन नियम 2016 के साथ पठित कंपनी अधियिम 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस 36 ''परिसंपत्तियों की हानि'' की शर्तों के अनुसार निवल वसूली योग्य मूल्य और वहन लागत के निम्नतर के आधार पर वसूलीयोग्य राशि का परिकलन द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि का मूल्यांकन किया है। तदनुसार शून्य (शून्य) की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।



## 37. प्रावधान, आकस्मिकताएं और प्रतिबंद्वताएं

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

**(i) प्रावधान**

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकसमिक परिसंपत्तियों के अनुसार वर्ष के दौरान प्रावधानों में संचलन और प्रावधानों की प्रकृति का प्रकटन नोट 19 में किया गया है।

**(ii) आकस्मिक देयताएं**

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में )

| | विवरण | फुट नोट | 31 मार्च 2021 को | वर्ष के दौरान संवर्धन | वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे | | | 31 मार्च 2021 को |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आरंभिक शेष में से | वर्ष के दौरान संवर्धन में से | वर्ष के दौरान निपटाए कुल दावे | |
| क) | **कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया रू** | | | | | | | |
| | विवादित प्रत्यक्ष कर मांग | | | | | | | |
| | (i) कंपनी के संबंध में | 1 | 303.47 | 6.94 | (2.35) | – | (2.35) | **308.06** |
| | (ii) संयुक्त प्रचालनों में | 2 | 0.24 | | | – | – | **0.24** |
| | विवादित अप्रत्यक्ष मांग | | | | | | | |
| | (i) कंपनी के संबंध में | 3 | 396.94 | 66.01 | (206.36) | – | (206.36) | **256.59** |
| | (ii) संयुक्त प्रचालनों में | 4 | 4.25 | | | – | – | **4.25** |
| | विधिक मामले | | | | | | | |
| | (i) कंपनी के संबंध में | 5 | 510.32 | 67.40 | (103.00) | – | (103.00) | **474.72** |
| | (ii) संयुक्त प्रचालनों में | 6 | 0.02 | – | – | – | – | **0.02** |
| | कर्मचारियों द्वारा दावे | 7 | – | – | – | – | – | **–** |
| ख) | **की ओर से कंपनी द्वारा जारी गारंटी (वित्तीय गारंटियों को छोडकर)** | | | | | | | |
| | सहायक कंपनियां | 8 (i) & (ii) | 10.00 | 326.27 | – | – | – | **336.27** |
| | संयुक्त प्रचालन | 9 | 1.40 | – | (1.40) | – | (1.40) | **–** |
| ग) | **अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है** | | | | | | | |
| | ग्राहक द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदन के निपटान के लिए लंबित तरलीकृत क्षति | | 9.27 | – | – | – | – | **9.27** |
| | **कुल** | | **1,235.91** | **466.62** | **(313.11)** | **–** | **(313.11)** | **1,389.42** |

**फुट नोट :**

1 आयकर प्राधिकरण ने विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के संबंध में विभिन्न आपत्तियों के लिए मांग उत्पन्न की है। इनमें से कई मामले कंपनी के पक्ष में न्यायाधीन हुए हैं कि किन्तु संबंधित विभिन्नों ने उच्चतर प्राधिकरणों में इन मुद्दों को उठाया है। कंपनी इन मांगों को विरोध कर रही है, जो विभिन्न अपील स्तरों पर लंबित हैं। स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर और इन अपीलों की गतिविधियों के आधार पर, प्रबंधन को विश्वास है कि अपील प्रक्रिया के पूरा होने पर मांग किए गए अतिरिक्त कर को निरस्तर कर दिया जाएगा और तदनुसार, अपील प्राधिकारियों द्वारा लंबित निर्णय लिया जाएगा, एवं इन वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2 इंटरनेशनल मेट्रो टनलिंग ग्रुप, कंपनी के संयुक्त प्रचालन के मामले में, आयकर प्राधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2010–11, 2012–13 तथा 2013–14 के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए उत्पाद शुल्क के संबंध में आय खाते में **0.24 करोड रूपए** (0.24 करोड रूपए) की मांग उत्पन्न की है जिसे बाद में वर्षों में घोषित किया गया था। संयुक्त प्रचालन ने उक्त वित्तीय वर्षों के लिए इन मांगों के विरूद्ध उपयुक्त अपील प्राधिकरणों के समक्ष अपीलें दायर की हैं। कंपनी संयुक्त प्रचालन में हित के भाग के अनुसार उक्त मांग के लिए संयुक्त रूप से दायी है। यह निर्णय अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3 उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवाकर, वेट आदि के संबंध में प्राधिकारियों के समक्ष विभिन्न विवाद लंबित हैं। कंपनी संबंधित प्राधिकारियों

द्वारा उठाई गई इन मांगों का विरोध कर रही है और ये मामले विभिन्न अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। उपर्युक्त मामलों के अंतिम निर्णय के लिए लंबित होने पर, वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किए गए हैं. उपर्युक्त विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगों, में **169.18 करोड रूपए** शामिल हैं जिनकी प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है।

4 इंटरनेशनल मेट्रो टनलिंग ग्रुप, कंपनी के संयुक्त प्रचालन के मामले में, श्रम व्ययों के गैर प्रावधान के कारण **4.25 करोड रूपए** (4.25 करोड रूपए) की राशि के बिक्री कर प्राधिकारियों के समक्ष विवादित मांग लंबित हैं। संयुक्त प्रचालन ने इन मांगों के विरूद्ध उपयुक्त अपील प्राधिकरणों के समक्ष अपीलें दायर की हैं। यह निर्णय अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

5 कंपनी निर्माण संविदा शर्तों संबंधी विभिन्न विवादों में विभिन्न विधिक मुकदमों में एक पक्ष है जो भारत और विदेश में विभिन्न न्यायालयों और मध्यस्थता प्रक्रियाओं के समक्ष लंबित है। कुछ ठेकेदारों ने संविदा मूल्यों में संवर्धन, मूल्य संवर्धन सहित संशोधित कार्य अनुसूची, कार्य के विस्तारित अवधि, निष्क्रिय प्रभर आदि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु कंपनी पर दावों प्रस्तुत किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार अनुमेय नहीं हैं। **567.26 करोड रूपए** (613.84 करोड रूपए) के कुल दावों में से **82.54 करोड रूपए** (103.52 करोड रूपए) के प्रावधान किए गए हैं और शेष **474.72 करोड रूपए** (51..32 करोड रूपए) के शेष दावों को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी ने **134.94 करोड रूपए** (137.11 करोड रूपए) की राशि के लिए संविदा की शर्तों के अनुसार अनुमेय ठेकेदारों पर प्रति दावे दायर किए हैं। इन दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि ये अनिश्चित हैं।

6 कंपनी ने ग्राहाकों को निष्पादन गारंटी के लिए **0.02 करोड रूपए** (0.02 करोड रूपए) की राशि हेतु अपनी सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड की ओर से बैंक गारंटी दी है।

7 कंपनी के विरूद्ध न्यायालयों में कर्मचारियों/अन्यों के संबंध में कुछ मामले लंबित हैं, जिनके संबंध में देयताओं को निर्धारित नहीं किया गया है।

8(i) कंपनी ने ग्राहाकों को निष्पादन गारंटी के लिए **10.00 करोड रूपए** (10.00 करोड रूपए) की राशि हेतु अपनी सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड की ओर से बैंक गारंटी दी है।

(ii) कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक की ओर से और उसकी सहायक कंपनी इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाईवे लिमिटेड द्वारा प्राप्त सावधि ऋण सुविधा के संबंध में 502.76 करोड़ रुपये (शून्य) की राशि के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी है, जिसमें से सहायक कंपनी वर्ष के दौरान **326.27 करोड़** (शून्य) रूपए का सावधि ऋण प्राप्त किया है।

9 कंपनी ने उद्मपुर : कटरा खंड पर ब्राड गेज बेलेस्टलेस रेलपथ के अभिकल्प और निमार्ण के निष्पादन हेतु शून्य (1.40 करोड रूपए) की राशि के लिए इरकॉन–आरसीएस–पिलफिडरर, संयुक्त प्रचालन की ओर से बैंक गारंटी दी है।

**iii. आकस्मिक परिसंपत्तियां**

इंड एएस 37–प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटन निम्नानुसार है:

क) कंपनी द्वारा अपने कुछ ग्राहकों पर दावे प्रस्तुत किए गए हैं और मध्यस्थताओं द्वारा इन्हें कंपनी के पक्ष में प्रदान किया गया है, जिसके प्रति ग्राहक न्यायालय में चले गए हैं और इन्हें प्राप्य के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **395.43 करोड रूपए** (419.46 करोड रूपए) जिसमें प्रदान मध्यस्थता के अनुसार 31.03.2021 तक परिकलित ब्याज शामिल है।

ख) कंपनी द्वारा उप ठेकेदार पर प्रति दावा दायर किया गया और इसे मध्यस्थता द्वारा कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया गया, जिसके विरूद्ध वे न्यायालय में गए और इसे प्राप्यों के रूप में लेखांकिन नहीं किया गया है यथा **24.12 करोड रूपए** (22.81 करोड रूपए)।

ग). कंपनी के पक्ष में इथोपिया के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 31.03.2021 तक परिकलित ब्याज सहित 0.89 अमरीकी डालर (0.87 एमएन अमरीकी डॉलर) तथा इथोपियन बिरर 1.16 एमएन (1.10 एमएन बिरर) समतुल्य 674 करोड रूपए (6.80 करोड रूपए) के बीमा दावे का निर्णय कंपनी के पक्ष में दिया है, जो इथोपिया के उच्च न्यायालय द्वारा आदेश निष्पादन स्तर पर लंबित है।

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### (iv) प्रतिबद्धता

(₹ करोड़ में )

| | विवरण | फुट नोट | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|---|
| क) | **पूंजी प्रतिबद्धताएं** | | | |
| | संविदाओं का अनुमानित मूल्य, जिन्हें पूंजी खाते में निष्पादित किया जाना है ( अग्रिम का निवल) और प्रावधान नहीं किया गया है: | 1 | 18.37 | 43.12 |
| ख) | अन्य प्रतिबद्धताएं | | | |
| (i) | सहायक कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से निधियत प्रतिबद्धता | 2 | 699.27 | 1,108.31 |
| (ii) | संयुक्त उपक्रम कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से निधियत प्रतिबद्धता | 3 | 80.41 | 61.70 |
| (iii) | सहायक कंपनियों के लिए काउंटर बैंक गारंटी | 4 | 408.08 | 158.75 |
| (iv) | सहायक कंपनियों के लिए निगमित कारंटी | 5 | 1,210.29 | – |
| | **कुल** | | **2,416.42** | **1,371.88** |

फुट नोट

(₹ करोड़ में )

| क्र.सं | पूंजी प्रतिबद्धता | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|
| 1 | परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि | – | 2.01 |
| 2 | निवेश परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि | 2.00 | 24.74 |
| 3 | विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि | 16.37 | 16.37 |
| | **कुल** | **18.37** | **43.12** |

(₹ करोड़ में )

| क्र.सं | सहायक कंपनियों का नाम | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | इक्विटी | ऋण | इक्विटी | ऋण |
| 1 | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | – | 138.74 | – | 57.52 |
| 2 | इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | – | 196.11 | – | 157.96 |
| 3 | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | 53.00 | 13.86 | 53.00 | 233.78 |
| 4 | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | – | 204.11 | – | 606.05 |
| 5 | इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड | – | 93.45 | – | – |
| | **कुल** | **53.00** | **646.27** | **53.00** | **1,055.31** |

| क्र.सं | संयुक्त उपक्रम का नाम | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | इक्विटी | ऋण | इक्विटी | ऋण |
| 1 | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | 16.28 | – | 36.28 | – |
| 2 | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | 62.83 | – | 0.13 | – |
| 3 | इरकॉन सोमा टोलवे प्रा.लि. | – | – | – | – |
| 4 | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | 1.29 | – | 1.29 | – |
| 5 | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | 0.01 | – | 0.01 | – |
| 6 | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | – | – | 24.00 | – |
| | **कुल** | **80.41** | **–** | **61.70** | **–** |

4 **500 करोड रूपए** (500 करोड रूपए) की राशि के लिए सहायक कंपनियों को बैंक गारंटी जारी करने के लिए इंडयन ओवरसीस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को काउंटर गाकरंटी। 500.00 करोड रूपए की कुल सीमा में से, इंडियन ओवरसीस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने **93.92 करोड रूपए** (341.25 करोड रूपए) के स्तर तक बैंक गारंटियां जारी की हैं। इसलिए, बैंक गारंटियों को जारी करने की शेष सीमा **408.08 करोड रूपए** (158.75 करोड रूपए) है।

5 कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से और उसकी सहायक कंपनियों के लिए सावधि ऋण सुविधा के संबंध में **1,536.56 करोड़ रुपये** (शून्य) की कॉर्पोरेट गारंटी दी है। सहायक कंपनियों ने वर्ष के दौरान प्रदान की गई गारंटी के प्रति **326.27 करोड़ रुपये** (शून्य) का सावधि ऋण लिया है।

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 38. खण्ड रिपोर्टिंग

इंड एएस–108 ''प्रचालन सेगमेंट के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार हैः

#### क. सामान्य सूचना

प्रचालन सेगमेंटों को उपक्रम के उस घटक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे लिए विशिष्ट वित्तीय सूचना उपलब्ध है जिसकी मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, यह निर्णय लेने के लिए कि संसाधनों का आवंटन और निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाए। कंपनी की निदेशक मंडल मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक है। प्रचालन क्षेत्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वे मुख्य प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप हो। कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय प्रचालन क्षेत्र का निर्धारण किया है।

#### ख. रिपोर्टेबल क्षेत्रों तथा वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित राशि के समाधान के संबंध में सूचनाः

(₹ करोड़ में )

| विवरण | अंतरराष्ट्रीय | | घरेलू | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
| **सेगमेंट राजस्व** | | | | | | |
| बाहरी ग्राहकों से राजस्व | 582.13 | 443.35 | 4,365.64 | 4,758.71 | **4,947.77** | **5,202.06** |
| **कुल प्रचालन राजस्व** | **582.13** | **443.35** | **4,365.64** | **4,758.71** | **4,947.77** | **5,202.06** |
| ब्याज आय | 2.92 | 5.34 | 203.93 | 187.11 | **206.85** | **192.45** |
| अन्य आय | 5.07 | 27.62 | 40.62 | 19.59 | **45.69** | **47.21** |
| अंतरःसेगमेंट | – | – | – | – | **–** | **–** |
| **कुल राजस्व** | **590.12** | **476.31** | **4,610.19** | **4,965.41** | **5,200.31** | **5,441.72** |
| **सेगमेंट परिणाम** | | | | | | |
| प्रावधान, मूल्यह्रास, ब्याज, आपवादिक मद और कर से पूर्व लाभ | 41.53 | 201.37 | 563.85 | 521.80 | **605.38** | **723.17** |
| घटाः प्रावधान और बट्टा खाता | 4.39 | (7.02) | (5.37) | (9.25) | **(0.98)** | **(16.27)** |
| घटाः मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि | (3.18) | (3.78) | (21.66) | (12.15) | **(24.84)** | **(15.93)** |
| घटाः प्रावधान | – | – | (5.54) | (18.40) | **(5.54)** | (18.40) |
| **कर पूर्व लाभ** | **42.74** | **190.57** | **531.28** | **482.00** | **574.02** | **672.57** |
| घटाः कर व्यय | (32.08) | (27.61) | (137.38) | (155.18) | **(169.46)** | (182.79) |
| **कर पश्चात लाभ** | **10.66** | **162.96** | **393.90** | **326.82** | **404.56** | **489.78** |

#### ग. अन्य सूचना

(₹ करोड़ में )

| विवरण | अंतरराष्ट्रीय | | घरेलू | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
| कुल परिसंपत्तियां | 577.43 | 647.03 | 10,087.06 | 9,299.44 | **10,664.49** | **9,946.47** |
| कुल देयताएं | 501.43 | 576.57 | 5,756.58 | 5,208.77 | **6,258.01** | **5,785.34** |
| इक्विटी विधि द्वारा संयुक्त उद्यमों में निवेश | – | – | – | – | **–** | **–** |
| वित्तीय माध्यमों, आस्थगित कर परिसंपत्तियां, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर गैर–चालू परिसंपत्तियां. | 25.15 | 29.39 | 803.24 | 875.89 | **828.39** | **905.28** |

| विवरण | अंतरराष्ट्रीय | | घरेलू | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
| पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्युआईपी, निवेश परिसंपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां तथा विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां) | 0.06 | 0.21 | 33.95 | 136.90 | **34.01** | **137.11** |

### घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचनाः

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, घरेलू क्षेत्र में एकल बाहरी ग्राहक से लगभग **56.16 प्रतिशत** (57.53 प्रतिशत) प्रचालन राजस्व अर्जित किया गया है।

## 39. राजस्व

### क. राजस्व का विचलन

प्रचालन सेगमेंट और उत्पादन या सेवा के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का विचलन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में )

| उत्पादों और सेवाओं का प्रकार | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व | | | निष्पादन दायित्व मापन की विधि | | अन्य राजस्व | लाभ हानि विवरण/सेगमेंट रिर्पोटिंग के अनुसार कुल |
| | घरेलू | विदेशी | कुल | इनपुट विधि | आउटपुट विधि | | |
| रेलवे | 3,634.84 | 578.02 | **4,212.86** | 4,207.40 | 5.46 | 2.35 | **4,215.21** |
| राजमार्ग | 718.56 | – | **718.56** | 718.56 | – | – | **718.56** |
| इलैक्ट्रिकल | 0.02 | – | **0.02** | 0.02 | – | – | **0.02** |
| भवन | – | – | **–** | – | – | 1.66 | **1.66** |
| अन्य | – | – | **–** | – | – | 12.32 | **12.32** |
| **कुल** | **4,353.42** | **578.02** | **4,931.44** | **4,925.98** | **5.46** | **16.33** | **4,947.77** |

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से **4925.98 करोड रूपए** को समयावधि में स्वीकार किया गया और **5.46 करोड रूपए** को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

(₹ करोड़ में )

| उत्पादों और सेवाओं का प्रकार | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व | | | निष्पादन दायित्व मापन की विधि | | अन्य राजस्व | लाभ हानि विवरण/सेगमेंट रिर्पोटिंग के अनुसार कुल |
| | घरेलू | विदेशी | कुल | इनपुट विधि | आउटपुट विधि | | |
| रेलवे | 3,700.83 | 420.76 | **4,121.59** | 4,121.59 | – | 6.62 | **4,128.21** |
| राजमार्ग | 947.72 | – | **947.72** | 947.72 | – | 5.45 | **953.17** |
| इलैक्ट्रिकल | 17.69 | 7.37 | **25.06** | 25.06 | – | – | **25.06** |
| भवन | 1.08 | – | **1.08** | 1.08 | – | – | **1.08** |
| अन्य | 75.49 | – | **75.49** | 75.49 | – | 19.05 | **94.54** |
| **कुल** | **4,742.81** | **428.13** | **5,170.94** | **5,170.94** | **–** | **31.12** | **5,202.06** |

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से **5170.94 करोड रूपए** को समयावधि में स्वीकार किया गया और शून्य को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

### ख. संविदा शेष

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य (नोट 12.1) | 504.64 | 559.34 |
| संविदा परिसंपत्तियां (नोट 8.3, 12.5) | 783.26 | 695.03 |
| संविदा दायित्व (नोट 20 और 22) | 2,303.58 | 2,240.64 |

(i) व्यापार प्राप्य गैर–ब्याज धारणीय है और ग्राहक प्रोफाइल में शामिल हैं – रेल मंत्रालय, भारत तथा विदेश में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, राज्य स्वामित्व कंपनियां। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिन की ऋण अवधि सीमा के साथ मासिक प्रगति भुगतान शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय विचार करने के लिए कंपनी के अधिकार को प्रकट करने के लिए सेवाएं निष्पादित की जाती हैं। इसमें निर्माण संविदाओं के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष राशियां शामिल हैं, जो उस समय उत्पन्न होती हैं, जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। पूर्व में संविदा परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार की गई किसी राशि को संलग्न शर्तें के संतोष के स्तर पर व्यापार प्राप्यों के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है, जो कि बिलिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

#### वर्ष के दौरान संविदा शेषों में संचलन

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां | 695.03 | 580.94 |
| वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्तियां | 783.26 | 695.03 |
| **निवल वृद्धि / कमी** | **88.23** | **114.09** |

इनपुट आधार पर राजस्व को स्वीकार करने के कारण पिछले वर्ष की तलुना में वर्ष 2020–21 व 2019–20 के लिए इसमें 88.23 करोड रूपए और 114.09 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई है, जबकि किए गए कार्यों के लिए बिलों को संविदा शर्तों पर प्रमाणित किया गया है।

(iii) निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदा देयताएं ग्राहकों से शेष राशियों के कारण हैं, यह तब उत्पन्न होती हैं जब विशिष्ट माइलस्टोन भुगतान इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त तिथि का स्वीकार राजस्व से अधिक हो जाता है और अग्रिम दीर्घकालीन निर्माण संविदाओं में प्राप्त होता है। प्राप्त अग्रिम की राशि को उस समय समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इनवाइस प्राप्त हो जाता है।

#### वर्ष के दौरान अनुबंध शेष में संचलन

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं | 2,240.64 | 2,747.36 |
| वर्ष के अंत में संविदा देयताएं | 2,303.58 | 2,240.64 |
| **निवल वृद्धि / कमी** | **62.94** | **(506.72)** |

वर्ष 2020–21 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 62.94 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से ग्राहक से प्राप्त अग्रिम के कारण और वर्ष 2019–20 के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में 506.72 करोड़ रुपये की शुद्ध कमी हुई है जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान निष्पादित कार्यों के प्रति ग्राहक से प्राप्त अग्रिम भुगतान के समायोजन के कारण है।

### ग. निम्नलिखित से स्वीकृत राजस्व की राशि का ब्यौराः

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में संविदा दायित्वों में शामिल राशि | 1,334.43 | 1,812.63 |
| पिछले वर्षों में संतुष्ट निष्पादन दायित्व | - | - |

### घ. संविदा प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च 2021 को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि **शून्य** (दिनांक 31 मार्च 2020 को शून्य) है।

वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत परिशोधन की राशि **शून्य** (वित्तीय वर्ष 2019–20 को शून्य) है।

### ड. निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दायित्वों संबंधीसूचना नीचे सारबद्ध है:

दिनांक 31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों को आवंटित संव्यवहार मूल्य (असंतुष्ट या आंशिक असंतुष्ट, निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| एक वर्ष के भीतर | 6,000.00 | 3,500.00 |
| एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष के भीतर | 7,000.00 | 6,000.00 |
| दो वर्ष से अधिक | 21,689.00 | 21,213.00 |
| **कुल** | **34,689.00** | **30,713.00** |

## 40. पट्टे

### क) पट्टाधारी के रूप में कंपनी

पट्टाधारी के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टा संविदाओं में प्रवेश किया है, जिसमें भूमि, कार्यालय स्थान, गेस्ट हाउस तथा वाहनों के पट्टे शामिल हैं।

कंपनी के पास 12 महीनों या कमी की अवधि के पट्टों सहित कतिपय कार्यालयों और गेस्टा हाउस के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पकालीन पट्टा' स्वीकृत छूटों के लिए आवेदन करती है।

**प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति**

वर्ष के दौरान प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों की वहन राशियों की स्वीकृति औरसंचलना को नोट 7 में प्रकट किया गया है।

**पट्टा देयताएं**

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की स्वीकृति और संचलनों के वहन मूल्य को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है।

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को |
|---|---|
| **1 अप्रैल 2020 को आरंभिक शेष** | 0.17 |
| इंड एएस 116 की स्वीकृति पर पारगमन प्रभाव | - |
| ब्याज को मान्यता | 0.01 |
| भुगतान | (0.02) |
| **31 मार्च 2021 को शेष** | **0.16** |
| **चालू** | **0.01** |
| **गैर चालू** | **0.15** |

पट्टा देयता की परिवक्वता विश्लेषण को नोट–31 में शामिल किया गया है। वित्तीय देयताओं की परिवक्वताओं के अंतर्गत वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां।

**लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु |
|---|---|
| प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यहास व्यय (संदर्भ नोट 29) | 0.37 |
| पट्टा दायित्वों पर ब्याज व्यय (संदर्भ नोट 28) | 0.01 |
| अल्पकालीन पट्टों संबंधी व्यय (संदर्भ नोट 26 (iii)) | 4.98 |
| | **5.36** |

कंपनी के पास अनेक पट्टा संविदाएं हैं जिनमें विस्तार और समापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं। ये विकल्प प्रबंधन द्वारा वार्तायोग्य हैं और कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। प्रबंधन यह निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण विवेकाधिकार का प्रयोग करता है कि क्या ये विस्तार और समापन विकल्प प्रयोग हेतु युक्तिसंगत हैं।

विस्तार और समापन की प्रयोग तिथि के अनुसरण पर अवधि से संबंधित अरियायती संभावित भावी किराया भुगतान निम्नानुसार हैं, जिन्हें पट्टा अवधि में शामिल नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में )

| विवरण | पांच वर्षों के भीतर | पांच वर्षों से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|
| विस्तार विकल्प जिनका प्रयोग नहीं किया जाना है | – | – | – |
| समापन विकल्प जिनका प्रयोग कियाजाता है | – | – | – |
| | **-** | **-** | **-** |

**ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी**

(i) कंपनी ने प्रचालन पट्टों के अंतर्गत भवनों को दिया है। पट्टा किराया (किराया और सेवा प्रभार) समग्र रूप से 8.15 करोड रूपए हैं (7.58 करोड़ रूपए) जिन्हें पट्टा व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

(ii) कंपनी ने प्रचालन पट्टों के अंतर्गत मशीनरीं को दिया है। पट्टा आय (किराया और सेवा प्रभार) समग्र रूप से 3.75 करोड रूपए हैं (16.66 करोड़ रूपए) जिन्हें पट्टा व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

**गैर–रद्दकरणीय प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भावी न्यूनतम किराये निम्नानुसार हैं:**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को |
|---|---|
| एक वर्ष के भीतर | – |
| एक वर्ष के पश्चात किन्तु पांच वर्षों से अधिक नहीं | – |
| पांच वर्षों से अधिक | – |
| | **-** |

## 41. सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 की अनुसूची–5 द्वारा अपेक्षित प्रकटन

विनियम 34(3), सेबी (एलओडीआर) विनियमए 2015 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:

| | कंपनी का नाम | को बकाया राशि | | को समाप्त वर्ष के दौरान न्यूनतम अपेक्षित राशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| **क** | **ऋणों की प्रकृति के ऋण एवं अग्रिम** | | | | |
| | **सहायक कंपनियों हेतु** | | | | |
| | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | 336.00 | 417.22 | 417.22 | 474.74 |
| | इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | 526.00 | 564.15 | 564.15 | 568.35 |
| | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | 26.46 | 269.22 | 353.18 | 269.22 |
| | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | 589.50 | 181.00 | 589.50 | 181.00 |
| | **संयुक्त उद्यम कंपनियों हेतु** | | | | |
| | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | – | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| **ख** | **कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के शयरों में ऋणी द्वारा निवेश (उपर्युक्त ब्यौरे अनुसार)** | **-** | **-** | **-** | **-** |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 42. कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 186 के अनुसरण में प्रकटनः

| क्र.सं | संव्यवहारों की प्रकृति (प्रदान किया गया ऋण/किया गया निवेश/दी गई गारंटी) | प्रयोजन जिसके लिए प्राप्त करता द्वारा ऋण/गारंटी/प्रतिभूति का उपयोग करने का प्रस्ताव है | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|---|---|
| (क) | **ऋण और अग्रिम** | | | |
| | **सहायक कंपनी** | | | |
| | इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | परियोजना वित्तपोषण | 526.00 | 564.15 |
| | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | परियोजना वित्तपोषण | 336.00 | 417.22 |
| | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | परियोजना वित्तपोषण | 589.50 | 181.00 |
| | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | परियोजना वित्तपोषण | 26.46 | 269.22 |
| | **संयुक्त उद्यम कंपनी** | | | |
| | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | परियोजना वित्तपोषण | - | 39.00 |
| | **कुल** | | **1,477.96** | **1,470.59** |
| (ख) | **गारंटी** | | **संदर्भ नोट 37** | |
| (ग) | **पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों में निवेश** | | **संदर्भ नोट 8.1** | |

### 43. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित ब्यौरा निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में )

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को आदेश शेष मूल राशि और उस पर ब्याजः | | |
| | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देश मूल राशि | 5.87 | 4.28 |
| | उपर्युक्त पर देय ब्याज | 0.24 | – |
| 2 | प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 16 की शर्तों में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि। | – | – |
| 3 | प्रदत्त भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है किन्तु वर्ष की निर्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार ब्याज को शामिल किए बिना। | – | – |
| 4 | प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में संचित ब्याज की राशि जो भुगतान के लिए शेष है। | – | – |
| 5 | अगले वर्ष भी देय और भुगतान योग्य राशि पर और ब्याज की राशि, जबतक कि लघु उपक्रम को वास्तव में किए गए भुगतान की तिथि पर ब्याज देय है, जो कि सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की गैर–अनुमति के प्रयोजन हेतु है। | – | – |

### 44. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

लोक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार कंपनी का अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तीन तत्काल पूर्व वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को हुए निवल औसत लाभों के कम से कम 2 प्रतिशत की दर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करना अपेक्षित है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### क) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय किए जांने हेतु अपेक्षित सकल राशि | 10.27 | 9.88 |
| पूर्ववर्ती वर्षों में जमा व दावित अब प्रतिपूर्ति * | 0.15 | - |
| **कुल** | **10.42** | **9.88** |

* धनवापसी के नेटिंग के पश्चात 10.27 करोड रूपए का सीएसआर व्यय (नोट 26(iii)).

### ख) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | | | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नकद में प्रदत्त | भुगतान किया जाना है | कुल | नकद में प्रदत्त | भुगतान किया जाना है | कुल |
| परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर* | 0.61 | - | 0.61 | 2.34 | - | 2.34 |
| उपर्युक्त से इतर प्रयोजनों हेतु | 9.81 | - | 9.81 | 7.70 | - | 7.70 |
| **कुल** | **10.42** | **-** | **10.42** | **10.04** | **-** | **10.04** |

* खरीदी और संबंधित संगठनों को सुपुर्द की गई परिसंपत्तियां कंपनी द्वारा धारित नहीं हैं

### ग) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली शेष राशि

(₹ in crore)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशि (उपर्युक्त (क) के अनुसार) | 10.42 | 9.88 |
| वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की गई सकल राशि (उपर्युक्त (ख) के अनुसार) | 10.42 | 10.04 |
| **कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली शेष राशि** | **-** | **-** |

### घ) प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत सीएसआर व्ययों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ in crore)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| कोविड–19 के विरूद्ध लड़ाई के लिए प्रधान मंत्री केयर्स निधि में अंशदान | 8.54 | 4.50 |
| भूख, गरीबी व कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता का संवर्धन तथा सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना | 0.84 | 1.72 |
| विशेष रूप से बच्चों में व्यावसायिक कौशल संवर्धन सहित विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा का संवर्धन | 0.35 | 2.97 |
| पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना | 0.02 | 0.33 |
| महिलाओं और अनाथों के लिए होम और होस्टल की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम डे–केयर केन्द्रों और ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना | 0.35 | 0.18 |
| खेलकूद | 0.19 | - |
| अन्य /अन्य प्रशासनिक लागत सहित | 0.13 | 0.34 |
| **कुल** | **10.42** | **10.04** |

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 45. कोविड–19 प्रकटन

''कोरोनावायरस (कोविड –19) ने दुनियाभर में विश्वभर में स्वास्थ्य प्रणालियों, अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों के लिए सबसे बड़ा वैश्विक संकट उत्पन्न किया है। इसने उन सभी प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को प्रभावित किया है जिनमें हम प्रचालन करते हैं और लगभग सभी देश दूसरी लहरों की चपेट में हैं। विभिन्न सरकारों द्वारा महामारी को रोकने के लिए की गई कार्रवाइयों, जैसे सीमाओं को बंद करना और लॉकडाउन प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप, परियोजना निष्पादन में रुकावट, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण कंपनी के सामान्य संचालन में व्यापक अवरोध उत्पन्न हुआ है।

**वित्तीय निष्पादन**

वर्ष की पहली तिमाही के दौरान लॉकडाउन के प्रभाव और दूसरी तिमाही में आपूर्ति श्रृंखला पर कुछ हद तक दबाव के कारण, राजस्व और लाभप्रदता लक्ष्य को वर्ष की दूसरी छमाही में संशोधित किया गया था। वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान, कंपनी ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और इस अवधि के दौरान अपने पिछले वर्ष के निष्पादन को पार कर लिया और अंततः चालू वर्ष के लिए अपने संशोधित बजट टर्नओवर और लाभप्रदता के लक्ष्य को पार कर सकती है। हालांकि, समाप्त वर्ष के परिणाम उस सीमा तक, पिछली अवधियों के परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

**तलनता**

कंपनी के पास अपने संचालन के लिए पर्याप्त तरलता है और 34,600 करोड़ रुपये से अधिक की इसकी मजबूत ऑर्डर बुक पर्याप्त नकदी प्रवाह दृश्यता प्रदान करती है।

**सुचारू संचालन के लिए उठाए गए कदम**

कंपनी ने सभी कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने, परिसर और वाहनों को नियमित रूप से साफ करने, सभी कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने को सुनिश्चित करने के लिए कोविड–19 के लिए कड़ी निगरानी प्रक्रियाओं को जारी रखा है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की मदद करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें कोविड देखभाल केंद्र, टीकाकरण केंद्र स्थापित करना और उन्हें चिकित्सा देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना शामिल है।

**कोविड–19 के भावी प्रभाव का आकलन**

कंपनी ने वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली सहित अपने वित्तीय परिणामों की तैयारी में कोविड –19 के परिणामस्वरूप होने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है। कोविड–19 के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करते हुए, कंपनी ने सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और आशा है कि परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की जाएगी। इस वैश्विक स्वास्थ्य महामारी की दूसरी और संभावित तीसरी लहर का वास्तविक प्रभाव लगाए गए अनुमानों से भिन्न हो सकता है, क्योंकि भारत और विश्व स्तर पर कोविड –19 की स्थिति विकसित हो रही है। हालांकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की गहनता से निगरानी कर रही है।''

### 46. हाल की घोषणा

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') नए लेखा मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित कर रहा है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू होती। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन I, II और III में संशोधन करने के लिए दिनांक 24 मार्च, 2021 को अधिसूचना जारी की है ताकि इसके द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में आवश्यक प्रकटीकरण प्रस्तुत कर सके। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी पर लागू होते हैं। संशोधन व्यापक हैं और कंपनी कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी।

### 47. अन्य प्रकटन

क) कंपनी ने आयकर अधिरियम, 1961 के अनुच्छेद–115खकक के अंतर्गत अनुमत विकल्प का प्रयोग करने का चयन किया है, जैसा कि कर नियम (संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा आरंभ किया गया है। तदनुसार, आयकर कर परिवर्तित होकर 34.944 प्रतिशत से 25.168 प्रतिशत हो गई है।

वर्ष 2019–20 तक, कंपनी अनुच्छेद 80–Aक के अनंतर्गत कटौती को ध्यान में रखे बिना आयकर हेतु प्रावधान कर रही थी। वर्ष 200–01 से 2019–20 से आरंभ अवधि के लिए, आर्थ विभिन्न वर्षों के लिए सीआईटी(क) द्वारा कंपनी को 80–Aक के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है (वर्ष 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 और 2016–17) और वर्ष 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05 और 2005–06 और इसकी अनुमति आईटीएटी द्वारा दी गई थी। इन वर्षों में से कंपनी अभी भी वर्ष 2007–08, 2012–13 तथा 2013–14 के लिए 80–Aक के अंतर्गत कटौती हेतु प्रावधान कर रही है जो इन वर्षों के लिए कंपनी के प्रति विभाग द्वारा दायर अपीलों पर विचार करते हुए परम्परागत परिदृश्य में किया गया है। तथापि, वर्ष 2014–15 से आगे, सीआईटी(क) द्वारा 80–Aक के अंतर्गत कटौती की अनुमति के पश्चात कंपनी 80–।क के अंतर्गत कटौती के प्रति बठ्टा खाता प्रावधान कर रही है।

# स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

वर्ष 2019–20 तक कंपनी कंपनी डीटीएए करारों के अनुसार, जहां कर निर्धारण हेतु प्रस्तावित वैश्विक आय से विदेशों में अर्जित आय को अगल रखा जा रहा था, के पश्चात भारर में कर हेतु वैश्विक आय प्रस्तावित किया जा रहा था। कंपनी को वर्ष 2005–06 तक एक्सक्लूजन विधि की अनुमति थी, तत्पश्चात विदशों में प्रदत्त करों के प्रति ऋण को विभिग द्वारा वैश्विक आय पर परिकलित करों की अनुमति दी गई है। देय कर का भुगतान करने के पश्चात, आईटीएटी के समक्ष निपटान हेतु लंबित अपीलों को दायर करने इस मुद्दे का निवारण किया गया है।

ख) लागत जमा परियोजनाओं में कुछ संविदाकारों द्वारा किए गए दावों के कारण विभिन्न न्यायालयों और अपील प्राधिकरणों के समक्ष कंपनी के विरूद्ध कुछ अन्य मामले लंबित है। ऐसे मामलों में, कंपनी संविदा के शर्तों के अनुसार ग्राहकों से पूर्ण प्रतिपूर्ति पर बल देती है और किसी प्रकार से संसाधनों के आर्थिक आउटफ्लों की आशा करती है। इस संबंध में न्यायाधीन कुल दावे 2134.49 करोड़ रूपए (2190.76 करोड़ रूपए) के हैं, जिनमें से 6.19 करोड़ रूपए (5.58 करोड़ रूपए) के लिए प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है। कंपनी ने 1048.42 करोड़ रूपए (1128.25 करोड़ रूपए) के लिए ठेकेदारोां के प्रति दावा भी किया है। इन दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि यह अनिश्चित हैं।

ग) माननीय उच्च न्यायालय ने समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के प्रति ओरी राजमार्ग परियोजना यूपी–05 हेतु एनएचएआई के प्रति 97.96 करोड़ रूपए की राशि के लिए मध्यस्थता निर्णय प्रदान करने की अनुमति दी है। कंपनी ने न्यायालय के अंतिम निर्णय तक समतुल्य राशि की देयता प्रदान की है।

घ) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षों से शेषों की आवधि पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली उपस्थित है। अभी तक, व्यापार/अन्य देय राशियों तथा ऋण और अग्रिमों के संबंध में, शेष पुष्टि पत्र पक्षों के भेंजे गए थे। कुछ व्यापार प्राप्यों, अन्य परिसंपत्तियों और अन्य देयों के शेष पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजनों,यदि कोई हो, के अध्याधीन हैं। समायोजन नियमित आधार पर किए जाते हैं। तथापि, प्रबंधन ऐसे लंबित पुष्टियों/समायोजनों के किसी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव की आशा नहीं करती है।

ड.) चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनीयता के संवर्धन के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कतिपय पुनःवर्गीकरण तथा पुनःनिर्धारण किए गए हैं।

च) चालू वर्ष के आंकड़ों से अंतर करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े ब्रैकेट ( ) के तहत दिखाए गए हैं।

छ) प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और गैर–चालू निवेश के अतिरिक्त संपत्ति का मूल्य, व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर ये तुलनपत्र में दशाए गए हैं।

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

**कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
साझेदार
स.सं 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून 2021

ह0/–
**योगेश कुमार मिश्रा**
निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
**सुरजीत दत्ता**
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
**एम.के.सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीईओ, निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06607392

ह0/–
**रितु अरोड़ा**
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

,,,,,

# समेकित
# वित्तीय विवरण
# 2020-21

# फार्म एओसी-1

दिनांक 31.03.2021 को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता विवरण (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम–5 के साथ पठित खंड–129 के उपखंड–(3) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में)

## भाग– ''क'' : सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में )

| क्र. सं. | सहायक कंपनी का नाम | शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएस जीटीएल) | इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपी बीटीएल) | इरकॉन दावणगिरि हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (आईडीडी एचएल) | भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआर एसडीसीएल) | इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (आईआई एसएल) | इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाईवे लिमिटेड (आईजीआर एचएल) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि | 01.04.2020 to 31.03.2021 | 01.04.2020 to 31.03.2021 | 01.04.2020 to 31.03.2021 | 01.04.2020 to 31.03.2021 | 01.04.2020 to 31.03.2021 | 01.04.2020 to 31.03.2021 |
| 2 | रिपोर्टिंग मुद्रा | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| 3 | शेयर पूंजी (शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन) | 150.00 | 165.00 | 164.05 | 65.00 | 10.00 | 0.05 |
| 4 | अन्य इक्विटी/आरक्षित निधि व अतिरेक (जैसा कि लागू हो) | (76.25) | (36.76) | 4.20 | 94.64 | 126.34 | 0.01 |
| 5 | देयताएं | 542.54 | 381.10 | 432.20 | 180.34 | 653.01 | 0.13 |
| 6 | कुल इक्विटी और देयताएं | 616.29 | 509.34 | 600.45 | 339.98 | 789.35 | 0.19 |
| 7 | कुल परिसंपत्तियां | 616.29 | 509.34 | 600.45 | 339.98 | 789.35 | 0.19 |
| 8 | निवेश | – | – | – | – | – | – |
| 9 | टर्नओवर | 110.78 | 54.86 | 193.06 | 194.39 | 487.62 | 0.13 |
| 10 | कर पश्चात लाभ | (14.06) | (13.09) | 0.87 | 14.14 | 0.42 | – |
| 11 | कर के लिए प्रावधान | – | 8.29 | 0.22 | 8.36 | 0.15 | (0.01) |
| 12 | कर पश्चात लाभ | (14.06) | (21.38) | 0.65 | 5.78 | 0.28 | 0.01 |
| 13 | अंतरिम लाभांश–इक्विटी | – | – | – | – | – | – |
| 14 | अंतरिम लाभांश– प्रेफरेंस | – | – | – | – | – | – |
| 15 | प्रस्तावित लाभांश–इक्विटी | – | – | – | – | – | – |
| 16 | प्रस्तावित लाभांश – प्रेफरेंस | – | – | – | – | – | – |
| 17 | शेयरधारिता का प्रतिशत | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
साझेदार
स.सं 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून 2021

**निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

ह0/–
**योगेश कुमार मिश्रा**
निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
**एम.के.सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीईओ, निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06607392

ह0/–
**सुरजीत दत्ता**
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
**रितु अरोड़ा**
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

## भाग–ख : संयुक्त उपक्रम

(₹ करोड़ में )

| क्र. सं. | संयुक्त उद्यम के नाम | बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआर पीएल) | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीई आरएल) | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे (सीईडब्ल्यू आरएल) | इरकॉन–सोमा टोलवे प्रा.लि. | झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड (जेसी आरएल) | महानदी कोल रेल लिमिटेड (एमसी आरएल) | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि | 31 मार्च 21 | 31 मार्च 21 | 31 मार्च 21 | 31 मार्च 21 | 31 मार्च 21 | 31 मार्च 21 | 31 मार्च 21 |
| 2 | वर्ष के अंत मे कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर | 26% | 26% | 26% | 50% | 26% | 26% | 26% |
| | धारित शेयरो की संख्या | 7,63,37,300 | 14,25,75,700 | 13,11,70,000 | 6,38,70,000 | 1,30,00,000 | 13,000 | 5,19,99,699 |
| | संयुक्त उद्यम मे निवेश की राशि (नीचे प्रस्तुत नोट–2) (रूपए में ) | 76,33,73,000 | 1,42,57,57,000 | 1,31,17,00,000 | 63,87,00,000 | 63,00,00,000 | 1,30,000 | 51,99,96,990 |
| | कुल शेयरों की संख्या | 29,36,05,000 | 67,14,68,800 | 50,40,55,000 | 12,77,40,000 | 8,77,29,862 | 50,000 | 19,99,99,398 |
| | धारिता प्रतिशत का स्तर | 26.00% | 21.23% | 26.02% | 50% | 14.82% | 26.00% | 26.00% |
| 3 | वर्णन करें कि महत्वपूर्ण प्रभाव किस प्रकार है | संदर्भ नोट–1 | | | | | | |
| 4 | कारण के संयुक्त उद्यम को समेकित नही किया गया | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 5 | अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के प्रति निवल संपत्ति (रुपए करोड़ में) | 294.60 | 656.03 | 503.09 | 174.00 | 90.86 | (0.87) | 302.67 |
| 6 | वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (रुपए करोड़ मे) | 0.54 | 7.76 | (0.27) | 54.96 | 1.28 | (0.06) | 4.53 |
| | (i) समेकिन मे विचारार्थ (रुपए करोड़ में) | 0.14 | 1.65 | (0.07) | 27.48 | 0.19 | 0.00 | 2.47 |
| | (ii) समेकन मे गैर विचारार्थ (रुपए करोड़ में) | 0.40 | 6.11 | (0.20) | 27.48 | 1.09 | (0.06) | 2.06 |

**नोट**

1 निवेशिती के वोटिंग अधिकार की 20 प्रतिशत या अधिक की धारिता द्वारा प्रदर्शित महत्वपूर्ण प्रभाव

2 संयुक्त उपक्रम में निवेश की राशि
वांछित इकिवटी–जेसीआरएल : 50 करोड रूपए

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
साझेदार
स.सं 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून 2021

**निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

ह0/–
**योगेश कुमार मिश्रा**
निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
**एम.के.सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीईओ, निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06607392

ह0/–
**सुरजीत दत्ता**
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
**रितु अरोड़ा**
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

# इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
## के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

### समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट

#### मत

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''धारक कंपनी'' कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियां (धारक कंपनी और सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं (जिसे यहां आगे समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कहा जाएगा)।

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और श्रीलंका (भारत का भाग) में स्थित 3 (तीन) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। तथापि, हमने शाखाओं का दौरा नहीं किया है और लेखापरीक्षा के प्रयोजन से संगत सूचना हमें निगमित कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं जो 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समूह के कार्यों के संदर्भ में कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, (''इंड एस'') के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संगत हैं तथा अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे इस तिथि को समाप्त वर्ष के अनुसार समेकित लाभ और समेकित हानि तथा समेकित कुल वृहत आय, समेकित इक्विटी परिवर्तन तथा समेकित रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं।

#### मत का आधार

हमने अधिनियम के अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में समसेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हम यह मानना है कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखा परीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

#### विषय पर बल

हम कंपनी के प्रचालनों और वित्तीय मामलों पर वैश्विक महामारी कोविड–19 के प्रभाव का उल्लेख करने वाले समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 47 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

उक्त मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट अर्हक नहीं है।

#### प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख मामले वो होते हैं जिनके प्रति चालू अवधि के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में हमारा व्यावसायिक निर्णय निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामले समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संदर्भ में पूर्ण रूप से विचार में लिया गया हैं तथा ऐसे मामलों के बारे में हम अपना मत अलग–अलग नहीं दे पा रहे हें। नीचे दी गई प्रस्तुति के अनुसार कुछ प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का हमने रिपोर्ट के माध्यम से सम्प्रेषण किए जाने के लिए निर्धारण किया है।

| प्रमुख लेखापरीक्षा मामले | हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई |
|---|---|
| **(क) इंड एएस–115 ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' के संदर्भ में राजस्व मान्यता।**<br><br>राजस्व पर लेखा मानक जो पांच चरणों के राजस्व मान्यता मॉडल को निर्धारित करता है।<br><br>समूह निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन करने के बाद समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करती है। | हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में समूह की राजस्व मान्यता लेखा नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखा मानकों के अनुसार नीतियों के अनुपालन का आकलन करना शामिल था।<br><br>पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित जानकारी की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है।<br><br>अनुबंधों के एक नमूने का चयन किया और विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान और निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है। हमने राजस्व की |

| प्रमुख लेखापरीक्षा मामले | हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई |
|---|---|
| राजस्व की मान्यता के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) और अन्य भुगतानों पर निष्पादन दायित्व के संतुष्टपूर्ण होने पर मूल्यांकन और निर्णय की आवश्यकता होती है।<br><br>समूह इनपुट पद्धति को लागू करके निष्पादन दायित्व का आकलन करती है। अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति से नहीं मापा जा सकता है, वहां आउटपुट पद्ध ति लागू होती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के निष्पादन को सदाशयी रूप से प्रदर्शित करती है।<br><br>आर्डर को पूर्ण करते समय, संविदात्मक दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन आदेश या रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, कुल अनुमानित परियोजना लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो सकती है और इसलिए, अपेक्षित हानि की तत्काल पहचान की आवश्यकता होती है।<br><br>इंड एएस–115 में संस्थाओं को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।<br><br>विवरण के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट–43 को देखें। | मान्यता के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) नमूना आधार पर प्रगतिरत कार्यों के शेष में शामिल लागतों की भी जांच की गई और अनुमानित लागत के साथ अनुबंधों के अनुसार शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों की तुलना करके उनकी वसूली का परीक्षण किया गया है। हमने इस बात पर विशेष ध्यान देने के साथ कि क्या अनुबंध में एकल निष्पादन दायित्व या एकाधिक निष्पादन दायित्व हैं और क्या निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या किसी समय पर संतुष्ट किया जा रहा है, राजस्व मान्यता पर वास्तविक प्रक्रियाओं का पालन किया है:<br><br>• इन अनुबंधों में अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को पढ़ा गया, विश्लेषण किया गया और उनकी पहचान की गई।<br><br>• इन निष्पादन दायित्वों की तुलना कंपनी द्वारा पहचानी गई और दर्ज की गई दायित्वों से की गई।<br><br>• अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को आवंटित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने हेतु अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया गया।<br><br>• जाँच की गई कि प्रदर्शन दायित्व समय की अवधि में या एक समय पर संतुष्ट हो रहा है या नहीं।<br><br>• प्रकट किए गए राजस्व के औचित्य के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं |
| **ख. सिस्टम परिवेश एवं आंतरिक नियंत्रण**<br><br>धारक कम्पनी में एसएपी सिस्टम स्थापित है परन्तु विदेशी परियोजनाओं के वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से टैली सिस्टम का उपयोग किया जाता है।<br><br>एफआई–सीओ माड्यूल वर्ष 2012–13 से सीमित उपयोज्यताओं तथा वेतनसूची, मालसूची इत्यादि जैसे किसी अन्य सिस्टम के साथ किसी प्रकार की एकीकरण सहायता के बिना उपयोग में लाया जा रहा है। इसके अलावा, एकीकरण सहायता के साथ एसएपी परियोजना सिस्टम माड्यूल (पीएस) की आवश्यकता परियोजना बीजकों को तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित है।<br><br>धारक कम्पनी का सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम पूर्णतः स्वचालित नहीं है तथा इसमें वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा रिपोर्टिंग के लिए मैनुअल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता पड़ती है।<br><br>इसके अतिरिक्त, सहायक कंपनियां भी वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए टैली प्रणाली का प्रयोग कर रही हैं। | हमारे द्वारा अन्य अनेक प्रक्रियाओं के साथ साथ निम्नलिखित प्रक्रियाएं उपयोग में लाई गई हैं:–<br><br>• प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश एवं प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर यह ज्ञात करने के लिए विचार विमर्श कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया गया है अथवा नहीं।<br><br>• कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था से सम्बद्ध प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों के डिजाइन का परीक्षण।<br><br>• हमारे द्वारा सिस्टम इंटरफेस पर कम्पनी के नियंत्रणों तथा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा अंतरण का परीक्षण भी किया गया है।<br><br>• हमारे द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में संज्ञात्मक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग इस सुनिश्चय के लिए किया गया है कि क्या मैनुअल नियंत्रणों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा रहा है अथवा नहीं। |

## समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से अलग अन्य सूचना

धारक कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, निगमित संचलन एवं शेयरधारकों की सूचना सहित प्रबंधन चर्चा, एवं विश्लेषणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल सूचना का समावेश किया जाता है परन्तु इसमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें दी गई सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री समेकित वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रूप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आशय होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है।

## समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन एवं संचलन करने वाले प्रभारियों के दायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद–133, समय–समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह विवरणों के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में धारक कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और समेकित एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन समूह की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा समूह को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

धारक कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व समूह के निदेशक मंडल का भी है और समूह और इसकी संयुक्त नियंत्रित निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का उत्तरदायित्व भी इनका है।

## समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विववरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन नीति (एसए) के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण के साथव्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों,जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम के अनुच्छेद 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या समूह में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या

ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए समूह की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम समूह की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरण, अलग–अलग अथवा सामुच्य, की वस्तुपरक जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इन वित्तीय विवरणों का औचित्य ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के कार्य क्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन; तथा (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए दुर्विववरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक मात्रा एवं गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षो और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है। चालू अवधि के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखा परीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

## अन्य मामले

- हमने कंपनी के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल उन 3 (तीन) शाखाओं के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में विचारानुसार उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021 को 411.85 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 410.00 करोड़ रूपए) की कुल परिसंपत्तियों तथा कुल राजस्व 518.97 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 377.47 करोड़ रूपए) और कर पूर्व लाभ 36.64 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 63.92 करोड़ रूपए) को प्रदर्शित करता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में चार एकीकृत संयुक्त प्रचालनों (गैर–निगमित) खातों में कम्पनी के अंशभाग के 17.99 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.18 करोड़ रूपए) के लाभ (निवल) को शामिल किया गया जिनका प्रमाणन सनदी लेखाकारों की अन्य फर्मों ने किया है और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित 1 संयुक्त प्रचालन में कंपनी के भाग का निवल लाभ 0.51 करोड रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए) है।
- हमने छह सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2021 को 2,855.60 करोड रूपए (पिछले वर्ष 2,664.44 करोड रूपए) की कुल परिसंपत्ति, कुल राजस्व 323.14 करोड रूपए (पिछले वर्ष 97.96 करोड रूपए) और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 32.15 करोड रूपए (पिछले वर्ष 107.19 करोड रूपए) के रोकड प्रवाह में निवल वृद्धि/(कमी) को दर्शाता है, जैसा कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी विधि के प्रयोग द्वारा 31.87 करोड रूपए (पिछले वर्ष 30. 44 करोड रूपए) के समहू के भाग को भी शामिल किया गया है, जैसा कि सात संयुक्त नियंत्रित निकायों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, जिनके वित्तीय विवरण ों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है।
- इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचवना की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना को प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराया गा है और जहां

तक अधिरियम के खंड 143 के उपखंड (3) तथा (11) की शर्तों के अनुसार इन सहायक कंपनियों, संयुक्त नियंत्रित निकायों के संबंध में राशियों और प्रकटनों एवं हमारी रिपेर्ट का संबंध हैं, जब तक कि यह उक्त सहायक कंपनि और संयुक्त नियंत्रित निकायों से संबंधित है, यह पूर्ण रूपए से सामग्रीगतता सहित अन्य लेखापरीक्षकों के कार्य के प्रयोग पर लेखपरीक्षा मानक (एसए 600) पर मानकों की अपेक्षाओं पर विचार करने के पश्ताच अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर है।

- दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समूह की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी में शामिल हैं, पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए पहले जारी किए गए वैधानिक वित्तीय विवरण पर आधारित हैं, जिनकी 10 जूलाई 2020 की तारीख की दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण पर एक असंशोधित राय व्यक्त की गई है।
- समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमार मत, और अन्य विधि और संविधिक अपेक्षाओं पर नीचे प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे विश्वास के संबंध में उपर्युक्त मुद्दें पर कोई आशोधन नहीं है।

**अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

1. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं

   (ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है और हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जहां हमने दौरा नहीं किया है।

   (ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनच्छेद–143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित धारक कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

   (घ) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ–हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (ड.) हमारे मतानुसार, उपयुक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

   (च) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर–463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा–164(2)के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   (छ) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख ''अनुबंध–ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है।

   (ज) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ई) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के कारण अधिनियम के अनुच्छेद–197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

   (झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

      (i) धारक कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च 2021 को अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है –समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 40 का संदर्भ लें;

      (ii) धारक कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है– समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 21.2 में 'अपरिहार्य घाटों' का संदर्भ लें। कंपनी में काई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

      (iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें धारक कंपनी और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त नियंत्रक कंपनियों के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

2. अधिनियम के अनुच्छेद–143(5) के अनुसार तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

| क्र.सं | विवरण | लेखापरीक्षा के उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या धारक कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है। यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें। | समूह में प्रत्येक प्रकार लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए एसएपी / टैली सिस्टम स्थापित किया गया है। इससे संबंधित जानकारी के लिए कृपया ''सिस्टम परिवेश एवं आंतरिक नियंत्रण'' में प्रमुख परीक्षा मामलों में प्रस्तुत विवरण तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक ख के अनुसार आंतरिक नियंत्रणों से सम्बद्ध हमारा मत देखें। |
| 2. | क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा समूह को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में समूह द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई हैध् यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें। | जी, नहीं। समूह के सम्मुख किसी विद्यमान ऋण अथवा उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में समूह द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया किए जाने का कोई मामला नहीं ह, केवल इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) को छोडकर, जिसने अपने पट्टादाता धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास ऋण की पुनर्संरचना के लिए आवेदन किया है औरा वर्ष 2020–21 के लिए 29. 19 करोड रूपए रूपए की ब्याज राशि की छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। |
| 3. | क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया हैध् व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें। | हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्र/ राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है/प्राप्य नहीं है, केवल पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल) को छोडकर जिसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्तयोग्य परियोजना हेतु इक्विटी सहायता के रूप में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) को रिकार्ड किया है। आईपीबीटीएल ने आंशिक रूप से एनएचएआई से वीजीएफ प्राप्त किया है और इसे करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकित और प्रयुक्त किया गया है। |

**कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 002871एन

ह./–
**हरबीर सिंह गुलाटी** (साझेदार)
सदस्यता संख्याः 084072
यूडीआईएनः 21084072एएएएडीडी6534

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून, 2021

# समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुबंध-क''।

### कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड–143 के उप खंड–3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2021 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां आकं धारक कंपनी कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियां (जिसे यहां आगे धारक कंपनी और सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ाों की लेखापरीक्षा की है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जो भारत में निगमित हुई हैं के संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

### लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड–143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं–वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्ध ांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि धारक कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) धारक कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण

सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्ति, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

## मत

हमारे मतानुसार, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, धारक कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपस्थित है और दिनांक 31 मार्च 2021 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं जो भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मापदंड का आधारित है। तथापि, आंतरिक नियंत्रण का हमारी लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.03.2021 को चिह्नित निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में और अधिक सुदृढ बनाने की आवश्यकता है, जैसा कि धारक कंपनी की बहियों और रिकार्डों की हमारी जांच से और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित निकायों की रिपोर्ट और निकायों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदनों से स्पष्ट हाता है:

क. कंपनी में कंपनी के पास एकीकृत ईआरपी प्रणाली विद्यमान है जो अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर रही है। कंपनी में विदेशी परियोजनों में, एकीकृत ईआरपी प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और वहां टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रही है। इसके अतिरिक्त, ऐप परियोजना प्रणाली मॉड्युल (पीएस) का प्रयोग एकीकृत सहायता सहित परियोजना बीजकों के सृजन के लिए किया जा रहा है।

ख. कुछ इकाइयों में इन्वेटरी रिकार्डों का अनुरक्षण मानवीय रूप में किया जा रहा है और सेप में इन्वेटरी नियमावली पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अतिरेक/अनावश्यक/खराब परिसंपत्तियों और सामग्री/स्टोरों के निरंतर चिह्नन की प्रणाली अनुपयुक्त है और इसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

ग. लेखा बहियों के साथ जीएसटीआर 2क के रूप में जीएसटी आईटीसी के समायोजन की प्रणाली को कुछ परियोजनाओं में और सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी द्वारा अपने संबंधित आपूर्तिकर्ताओं/सेवाप्रदाताओं को की गई सभी भुगतान राशि उनके द्वारा विधिवत रूप से सरकारी खाते में जमा कराई जाए।

''सामग्रीगत खामी'' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकेगा।

उपर्युक्त विषयों के संबंध में हमारा मत परिवर्तनीय नहीं है।

## अन्य मुद्दे

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो शाखाओं/क्षेत्र से संबंधित है, की पर्याप्तता और प्रचालन कुशलता पर अधिनियम के खंड–143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट हमारे लेखापरीक्षकों की अनुवर्ती रिपोर्ट पर आधारित है (समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अन्य मुद्दों पर पैरा का भी संदर्भ लें)।

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और यह सामग्रीगत खामी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मद को प्रभावित नहीं करती है।

**कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 002871एन

ह./–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 084072
यूडीआईएनः 21084072एएएएडीडी6534

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून, 2021

# समेकित तुलन पत्र

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में )

| विवरण | | नोट सं. | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **परिसंपत्तियां** | | | |
| **1** | **गैर चालू परिसंपत्तियां** | | | |
| | (क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण | 3 | 259.98 | 275.83 |
| | (ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य | 4 | 3.17 | 2.97 |
| | (ग) निवेश संपत्ति | 5 | 511.01 | 489.02 |
| | (घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां | 6 | 1,146.39 | 1,211.63 |
| | (च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | 7 | 9.79 | 26.73 |
| | (छ) प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां | 8 | 4.80 | 5.17 |
| | (ज) इक्विटी विधि के प्रयोग हेतु लेखांकित निवेश | 9 | 558.89 | 512.02 |
| | (झ) वित्तीय परिसंपत्तियां | 10 | | |
| | (i) निवेश | 10.1 | 291.46 | 291.45 |
| | (ii) ऋण | 10.2 | 0.48 | 39.33 |
| | (iii) अन्य | 10.3 | 868.20 | 458.71 |
| | (ट) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) | 11 | 70.49 | 90.14 |
| | (ठ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां | 12 | 47.64 | 129.61 |
| | **कुल गैर चालू परिसंपत्तियां** | | **3,772.30** | **3,532.61** |
| **2** | **चालू परिसंपत्तियां** | | | |
| | (क) दरसूचियां | 13 | 120.65 | 320.67 |
| | (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां | 14 | | |
| | (i) व्यापार प्राप्य | 14.1 | 630.77 | 551.19 |
| | (ii) नकद और नकद समतुल्य | 14.2 | 414.20 | 512.87 |
| | (iii) अन्य बैंक शेष | 14.3 | 3,032.24 | 2,159.74 |
| | (iv) ऋण | 14.4 | 0.95 | 1.62 |
| | (v) अन्य | 14.5 | 1,306.40 | 1,358.65 |
| | (ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) | 15 | 31.28 | 30.16 |
| | (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां | 16 | 1,944.74 | 1,712.24 |
| | | | 7,481.23 | 6,647.14 |
| | **बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां** | 17 | 0.45 | 0.93 |
| | **कुल चालू परिसंपत्तियां** | | **7,481.68** | **6,648.07** |
| | **कुल परिसंपत्तियां** | | **11,253.98** | **10,180.68** |
| **II.** | **इक्विटी और देयताएं** | | | |
| **1** | **इक्विटी** | | | |
| | (क) इक्विटी शेयर पूंजी | 18 | 94.05 | 94.05 |
| | (ख) अन्य इक्विटी | 19 | 4,309.08 | 4,077.23 |
| | **मूल के स्वामी की इक्विटी** | | **4,403.13** | **4,171.28** |
| | **गैर नियंत्रण हित** | | – | – |
| | **कुल इक्विटी** | | **4,403.13** | **4,171.28** |

# समेकित तुलन पत्र

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| विवरण | | नोट सं. | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|---|
| 2 | देयताएं | | | |
| (i) | गैर चालू देयताएं | | | |
| | (क) वित्तीय देयताएं | 20 | | |
| | (i) ऋण | 20.1 | 312.09 | - |
| | (ii) व्यापार प्राप्य | 20.2 | | |
| | – सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों के कुल बकाया देय राशियां | | - | - |
| | – सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय राशियां | | - | - |
| | (iii) अन्य वित्तीय देयताएं | 20.3 | 283.10 | 400.75 |
| | (ख) प्रावधान | 21 | 107.58 | 78.90 |
| | (ग) अन्य गैर चालू देयताएं | 22 | 364.96 | 298.16 |
| | **कुल गैर चालू देयताएं** | | **1,067.73** | **777.81** |
| (ii) | चालू देयताएं | | | |
| | (क) वित्तीय देयताएं | 23 | | |
| | (i) व्यापार प्राप्य | 23.1 | | |
| | – सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों के कुल बकाया देय राशियां | | 14.77 | 8.08 |
| | – सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय राशियां | | 743.25 | 581.11 |
| | (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | 23.2 | 2,443.33 | 2,114.24 |
| | (ख) अन्य चालू देयताएं | 24 | 2,292.27 | 2,256.30 |
| | (ख) अन्य चालू देयताएं | 21 | 202.29 | 239.83 |
| | (ख) प्रावधान | 25 | 87.21 | 32.03 |
| | **कुल चालू देयताएं** | | **5,783.12** | **5,231.59** |
| | **कुल इक्विटी और देयताएं** | | **11,253.98** | **10,180.68** |
| III. | महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार | 2 | | |
| IV. | वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट | 1 - 50 | | |

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
साझेदार
स.सं 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून 2021

**निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

ह0/–
**योगेश कुमार मिश्रा**
निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
**एम.के.सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीईओ, निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06607392

ह0/–
**सुरजीत दत्ता**
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
**रितु अरोड़ा**
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

# समेकित लाभ और हानि विवरण

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में )

| | विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **राजस्वः** | | | |
| | प्रचालनों से राजस्व | 26 | 5,341.96 | 5,391.11 |
| II. | अन्य आय | 27 | 181.49 | 148.57 |
| **III.** | **कुल आय (I + II)** | | **5,523.45** | **5,539.68** |
| **IV.** | **व्यय** | | | |
| | प्रयुक्त सामग्री और भंडारण | 28 (i) | 366.63 | 349.71 |
| | डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि)/कमी | 28 (ii) | 211.77 | 15.89 |
| | परियोजना व्यय | 28 (iii) | 3,973.96 | 4,097.48 |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 29 | 247.39 | 279.34 |
| | वित्त लागतें | 30 | 23.30 | 27.84 |
| | मूल्यह्रास परिशोधन एवं घाटा | 31 | 92.09 | 82.94 |
| | अन्य व्यय | 28 (iii) | 45.65 | 44.93 |
| | **कुल व्यय (IV)** | | **4,960.79** | **4,898.13** |
| V. | आपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ(III-IV) | | 562.66 | 641.55 |
| VI. | आपवादिक मदें | | – | – |
| VII. | इक्विटी विधि का प्रयोग करके संयुक्त उपक्रम में लाभ/(हानि) का भाग | | 14.86 | 30.40 |
| VIII. | कर पूर्व लाभ (V + VI + VII) | | 577.52 | 671.95 |
| **IX** | **कर व्यय :** | | | |
| | (1) चालू कर | 11 | | |
| | – अवधि हेतु | | 148.94 | 163.16 |
| | – पूर्ववती वर्षों हेतु (निवल) | | 17.87 | (14.76) |
| | (2) आस्थगित कर (निवल) | | 19.65 | 38.28 |
| | **कुल कर व्यय** | | **186.46** | **186.68** |
| **X** | वर्ष हेतु लाभ (VIII – IX) | | **391.06** | **485.27** |
| **XI** | **अन्य वृहत आय** | 32 | | |
| | **क.** (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा | | (0.40) | 1.19 |
| | (ii) मदों संबंधी आयकर, जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकत नही किया जाएगा | | 0.10 | (0.30) |
| | **ख.** (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवगीकृत किया जाएगा | | (1.21) | (5.15) |
| | (ii) लाभ या हानि में पुनःवगीकृत किए जाने वाले मदों संबंधी आय कर | | 0.30 | 1.30 |
| | वर्ष के लिए अन्यस वृहत आय/व्यय, आयकार का निवल | | **(1.21)** | **(2.96)** |
| **XII** | **वर्ष के लिए कुल वृहत आय (X+XI) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य वृहत आय, कर का निवल)** | | **389.85** | **482.31** |
| XIII | कुल वृहत आय के प्रति– | | | |
| | मूल के स्वामी | | 391.06 | 485.27 |
| | गैर नियंत्रण हित | | – | – |
| XIV | निम्न के प्रति अन्य वृहत आय | | | |
| | मूल का स्वामी | | (1.21) | (2.96) |
| | गैर–नियंत्रण हित | | – | – |
| XV | निम्न के प्रति कुल वृहत आय | | | |
| | मूल के स्वामी | | 389.85 | 482.31 |
| | गैरा नियंत्रण ब्याज | | – | – |
| **XVI** | **मूल के स्वामियों के प्रति इक्विटी शेयर आमदनीः** | | | |
| | (1) मूल (रूपए में) | 38 | 4.16 | 5.16 |
| | (2) विलयित (रूपए में) | | 4.16 | 5.16 |
| | प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य | | 2.00 | 2.00 |
| XVII | महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार | 2 | | |
| XVIII | वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट | 1 – 50 | | |

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
साझेदार
स.सं 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून 2021

**निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

ह0/–
**योगेश कुमार मिश्रा**
निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
**एम.के.सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीईओ, निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06607392

ह0/–
**सुरजीत दत्ता**
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
**रितु अरोड़ा**
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

# समेकित रोकड प्रवाह विवरण

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में )

| विवरण | | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|
| **प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | | |
| **कर पूर्व निवल लाभ** | | 577.52 | 671.95 |
| **समायोजनः** | | | |
| वित्तीय लिखत के निष्पादन पर ब्याज (निवल) | | – | (0.14) |
| वित्तीय लिखत के निष्पादन का परिशोधन (निवल) | | – | 0.14 |
| ऋण पर ब्याज व्यय | | 6.58 | – |
| मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति | | 92.09 | 82.94 |
| परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री पर लाभ | | (3.75) | (28.53) |
| म्युचुवल फंडों की बिक्री पर लाभ | | (2.01) | (0.96) |
| संयुक्त उपक्रमों के लाभ (हानि) का भाग | | (14.86) | (30.40) |
| ब्याज आय | | (82.83) | (83.19) |
| अन्य निवेशों पर लाभांश आय | | – | (4.00) |
| संयुक्त उपक्रमों से प्राप्त लाभांश | | (17.00) | – |
| विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समतुल्य के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव | | 7.97 | (0.12) |
| **कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ** | **(1)** | **563.71** | **607.69** |
| **समायोजनः** | | | |
| व्यापार प्राप्यों में कमी / (वृद्धि) | | (79.58) | 114.85 |
| दरसूची में कमी / (वृद्धि) | | 200.02 | 11.28 |
| ऋण, अन्य संपत्तियों व वित्तीय संपत्तियों में कमी / (वृद्धि) | | (507.99) | (773.23) |
| व्यापार प्राप्यों में (कमी) / वृद्धि | | 168.83 | 23.70 |
| अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि | | 215.65 | (48.98) |
| | **(2)** | **(3.07)** | **(672.38)** |
| **प्रचालन से सृजित नकद** | **(1+2)** | **560.64** | **(64.69)** |
| प्रदत्त आय कर | | (42.52) | (71.05) |
| **प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़** | **(क)** | **518.12** | **(135.74)** |
| **निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | | |
| पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों की खरीद | | (4.53) | (58.55) |
| अमूर्त परिसम्पत्तिया और विकासाधान अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद | | (0.03) | (35.02) |
| निवेश परिसंपत्ति की खरीद / प्रक्रिया | | (30.49) | (68.92) |
| परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री | | 20.66 | 43.85 |
| म्युचुवल फंड की बिक्री / (निवेश) | | 799.81 | 919.86 |
| म्युचुवल फंड में निवेश | | (797.80) | (819.17) |
| जेवी कंपनियों को ऋण का पुनःभुगतान | | 39.00 | – |
| प्राप्त ब्याज | | 83.12 | 95.49 |
| जेवी कंपनियों से प्राप्त लाभांश | | 17.00 | – |
| अन्य निवेशों पर प्राप्त लाभांश | | – | 4.00 |
| जेवी कंपनियों में निवेश | | (32.00) | (64.20) |
| रोकड एवं रोकड समतुल्यों से इतर बैंक शेष | | (872.12) | 429.32 |
| **निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी** | **(ख)** | **(777.38)** | **446.66** |
| **वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | | |
| पंजाब नेशनल बैंक से ऋण | | 330.93 | – |
| पट्टा दायित्वों का भुगतान | | (0.02) | (0.04) |
| प्रदत्त अंतिम लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) | | (96.87) | (122.74) |
| प्रदत्त अंतरिम लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) | | (61.13) | (152.50) |
| प्रदत्त ब्याज | | (4.35) | – |
| **वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी** | **(ग)** | **168.56** | **(275.28)** |
| विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव | (घ) | (7.97) | 0.12 |
| **नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि** | **(क+ख+ ग+घ)** | **(98.67)** | **35.76** |
| **नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक) (नीचे नोट 2, 4 और 5)** | **(ड.)** | **512.87** | **477.11** |
| **नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)' (नीचे नोट 2, 4 और 5)** | **(च)** | **414.20** | **512.87** |
| **नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी)** | **(च – ड.)** | **(98.67)** | **35.76** |

## स्टेंडएलोन रोकड प्रवाह विवरण

### 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

नोटः

1. उपर्युक्त रोकड़ प्रवाह को रोकड़ प्रवाह विवरण पर इंड–एएस 7 के भारतीय लेखांकन मानका में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।
2. उपर्युक्त समेकित रोकड प्रवाह विवरण में शामिल रोकड और रोकड समतुल्य तथा रोकड औरा रोकड समतुल्य के घटकों का समायोजनः

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेत | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| उपलब्ध रोकड | 0.08 | 0.08 |
| उपलबध चैक/ड्राफ्ट | – | 7.65 |
| पारगमन में प्रेषण | – | 0.19 |
| बैंकों में शेष | | |
| –चालू खातों में | 170.82 | 183.74 |
| –फ्लैक्सी खाते | 203.48 | 147.15 |
| – 3 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां | 39.82 | 174.06 |
| **तुलन पत्र और समेकित रोकड प्रवाह विवरण के अनुसार कुल रोकड एव रोकड समतुल्य** | **414.20** | **512.87** |

3. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं के लिए तुलन पत्र के आरंभिक और समापन शेष के बीच समायोजनः

(₹ करोड़ में )

| विवरण | ऋण* |
|---|---|
| **1 अप्रैल 2019 को** | – |
| (क) वर्ष के दौरान रोकड प्रवाह | – |
| (ख) निम्न के कारण गर रोकड परिवर्तन | |
| संचित ब्याज (प्रदत्त ब्याज का निवल) | – |
| 31 मार्च 2020 के | – |
| (क) वर्ष के दौरान रोकड प्रवाह | 330.93 |
| (ख) निम्न के कारण गर रोकड परिवर्तन | |
| संचित ब्याज (प्रदत्त ब्याज का निवल) | 2.23 |
| **31 मार्च 2021 के** | **333.16** |

* गैर चालू ऋणों अैर उन पर संचित ब्याज की चालू परिपक्वता सहित, संदर्भ नोट 20.1 और 23.2

4. जहां कहीं आवश्यकता हुई है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहित/पुनःनिर्धारित किया गया है।
5. 14.2 और 14.3 में उल्लिखित निर्धारित और प्रतिबंधित शेष।
6. कोष्ठक में आंकड़े रोकड़ को आउटफ्लो को दर्शाते हैं।

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
साझेदार
स.सं 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून 2021

**निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

ह0/–
**योगेश कुमार मिश्रा**
निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
**एम.के.सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीईओ, निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06607392

ह0/–
**सुरजीत दत्ता**
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
**रितु अरोड़ा**
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

# समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में )

| विवरण | राशि |
|---|---|
| **01 अप्रैल 2019 को शेष** | **94.05** |
| वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | – |
| **31 मार्च 2020 को शेष** | **94.05** |
| वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | – |
| **31 मार्च 2021 को शेष** | **94.05** |

### ख. अन्य इक्विटी

**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | आरक्षित निधि और अतिरेक | | | अन्य वृहत आय की मदें | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य आरक्षित निधि | प्रतिधारित आमदनियां | पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि | विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर | |
| **01 अप्रैल 2019 को शेष** | **3,284.64** | **580.93** | **4.93** | **(0.33)** | **3,870.17** |
| वर्ष के लिए लाभ (पुनर्वर्णित) | – | 485.27 | – | – | **485.27** |
| **अन्य वृहत आय** | | | | | |
| निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन | – | 0.89 | – | – | **0.89** |
| विदेशी मद्रा अंतरण अंतर | – | – | – | (3.86) | **(3.86)** |
| **अवधि के लिए कुल वृहत आय** | **–** | **486.16** | **–** | **(3.86)** | **482.30** |
| प्रदत्त लाभांश | – | (228.31) | – | – | **(228.31)** |
| लाभांश वितरण कर | – | (46.93) | – | – | **(46.93)** |
| **31 मार्च 2020 को शेष** | **3,284.64** | **791.85** | **4.93** | **(4.19)** | **4,077.23** |

**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | आरक्षित निधि और अतिरेक | | | अन्य वृहत आय की मदें | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य आरक्षित निधि | प्रतिधारित आमदनियां | पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि | विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर | |
| **01 अप्रैल 2020 को शेष (पुनर्वर्णित)** | **3,284.64** | **791.85** | **4.93** | **(4.19)** | **4,077.23** |
| वर्ष के लिए लाभ | – | 391.06 | – | – | **391.06** |
| **अन्य वृहत आय** | | | | | |
| निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन | – | (0.30) | – | – | **(0.30)** |
| विदेशी मद्रा अंतरण अंतर | – | – | – | (0.91) | **(0.91)** |
| **अवधि के लिए कुल वृहत आय** | **–** | **390.76** | **–** | **(0.91)** | **389.85** |
| प्रदत्त लाभांश | – | (158.00) | – | – | **(158.00)** |
| **31 मार्च 2021 को शेष** | **3,284.64** | **1,024.61** | **4.93** | **(5.10)** | **4,309.08** |

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
साझेदार
स.सं 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून 2021

**निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

ह0/–
**योगेश कुमार मिश्रा**
निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
**एम.के.सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीईओ, निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06607392

ह0/–
**सुरजीत दत्ता**
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
**रितु अरोड़ा**
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

## 1. समूह सूचना

समेकित वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (''कंपनी'') तथा इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों (जिन्हें संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) के वित्तीय विवरण शामिल हैं। धारक कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की एक निर्माण समूह है तथा इसका निगमन भारत में लागू कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है। धारक कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वस्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ प्रमाणित समूह तथा अनुसूची क की सार्वजनिक क्षेत्रक कंपनी है एवं मिनी रत्न–श्रेणी–1 कंपनी है। रेल निर्माण समूह ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों (समूह) के रूप में अपना व्यवसाय आरंभ करने के पश्चात, इसने सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन तथा संवितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मैट्रो रेल के क्षेत्रों में शनैः शनैः अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। यह समूह घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सेवाएं प्रदान करती है। समूह का पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है तथा इसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बीएसई में सूचीबद्ध हैं।

समूह द्वारा प्रतिपादन की जाने वाली एवं कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़ों की प्रस्तुति, प्रति शेयर डेटा एवं किए गए अन्यथा उल्लेख के अलावा, दो दशमलव तक राउंड ऑफ करके करोड़ में की गई है।

धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 30 जून 2021 को आयोजित अपनी बैठक में समेकित वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

## 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

### 2.1 तैयार करने का आधार

समूह के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची–।।।) की अनुसूची–।।। के भाग–।।, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। समूह ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

**समेकन का आधार**

क) समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च 2021 तक समूह के वित्तीय विवरण शामिल हैं। समूह द्वारा इन्हें प्रस्तुत किए जाने पर नियंत्रण हासिल किया जाता है, या अधिकार होता है, कि निवेश करने वाले के साथ अपनी भागीदारी से प्रतिफल और उन प्रतिफल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। निवेशकर्ता पर इसकी शक्ति, विशेष रूप से, समूह एक निवेशी को नियंत्रित करता है यदि और केवल यदि समूह के पासः

- निवेशक पर अधिकार (अर्थात मौजूदा अधिकार जो इसे निवेश की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की वर्तमान क्षमता देते हैं)
- प्रकटन, या अधिकार, निवेश करने वाले के साथ अपनी भागीदारी से प्रतिफल हेतु, और निवेशी पर अपनी शक्ति का उपयोग करने की क्षमता उसके प्रतिफल को प्रभावित करती है

सामान्यत, अनुमान है कि मतदान के अधिकांश अधिकार समूह के नियंत्रण में होते हैं। इस अनुमान का समर्थन करने के लिए और जब समूह के पास वोटिंग के लिए बहुमत या किसी निवेशकर्ता के समान अधिकार हैं, तो समूह यह आकलन करने के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है कि क्या किसी निवेशकर्ता पर उसका अधिकार है, जिसमें शामिल हैंः

- निवेशी के अन्य वोट धारकों के साथ अनुबंध की व्यवस्था।
- अन्य संविदात्मक व्यवस्था से उत्पन्न अधिकार।
- समूह के मतदान अधिकार और संभावित मतदान अधिकार।
- समूह का आकार मतदान के अधिकार के सापेक्ष और अन्य मतदान अधिकार धारकों की धारिता के फैलाव के सापेक्ष।

ख) समूह पुनः मूल्यांकन करता है कि क्या वह किसी निवेशक को नियंत्रित करता है या नहीं यदि तथ्य और परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि नियंत्रण के तीन तत्वों में से एक या अधिक परिवर्तनशील हैं। सहायक कंपनी का एकीकरण तब आरंभ होता है जब समूह सहायक कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त करता है और जब समूह सहायक कंपनी का नियंत्रण खो देता है। वर्ष के दौरान अधिगृहीत या निपटाए गए किसी सहायक कंपनी की परिसंपत्तियां, देयताएं, आय और व्यय, समूह द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने की तारीख से समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल होते हैं, जब तक कि समूह सहायक कंपनी को नियंत्रित करने के लिए समाप्त नहीं हो जाता है।

ग) समान परिस्थितियों में लेन–देन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। यदि समूह का सदस्य समान परिस्थितियों में लेन–देन और घटनाओं के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में नीतियों के अतिरिक्त लेखांकन नीतियों का उपयोग करता है, तो समूह के लेखांकन के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में उस समूह के सदस्यों के वित्तीय विवरणों के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

घ) समेकन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सभी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को मूल कंपनी के रूप में एक ही रिपोर्टिंग तिथि अर्थात, 31 मार्च को समाप्त तक लेखांकित किए जाते हैं।

ड.) समकन प्रक्रियाः

**i) सहायक कंपनियां**

- अपनी सहायक कंपनियों के साथ अभिभावक संपत्ति, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह की मदों का समायोजन किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए, सहायक कंपनी की आय और व्यय अधिग्रहण की तारीख में समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा पर आधारित हैं।
- प्रत्येक सहायक कंपनी में अभिभावक के निवेश की वहन राशि (अंतिम) और प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी का मूल भाग।
- समूह की संस्थाओं के बीच लेन–देन से संबंधित पूर्ण इंट्रा–समूह परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, खर्चों और नकदी प्रवाह को समाप्त करें (इन्ट्रा–समूह लेनदेन से उत्पन्न लाभ या हानि जो कि परिसंपत्तियों में पहचानी जाती हैं, जैसे दरसूची और अचल संपत्तियां, पूर्ण का रूप से समाप्त होना)। इंट्रा–समूह हानि का संकेत दे सकता है जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। इंड एएस 12 के रूप में आयकर अस्थायी अंतर पर लागू होता है, जो इंट्रा–समूह लेनदेन से होने वाले लाभ और हानि के उन्मूलन से उत्पन्न होता है।
- लाभ या हानि और अन्य वृहत आय (ओसीआई) के प्रत्येक घटक को समूह के प्रमुख और गैर–नियंत्रित हितों के इक्विटी धारकों के लिए उत्तरदायी माना जाता है, भले ही यह गैर–नियंत्रित हितों में घाटे का संतुलन हो। जब आवश्यक हो, तो अपनी लेखा नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप लाने के लिए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है। समूह के सदस्यों के बीच लेन–देन से संबंधित सभी इंट्रा–समूह परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को समेकन के साथ पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है।
- नियंत्रण की हानि के बिना, एक सहायक के स्वामित्व हित में परिवर्तन इक्विटी लेनदेन के रूप में उत्तरदायी है। यदि समूह किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तोः
  - परिसंपत्तियों (सद्भावना सहित) और सहायक कंपनियों की देनदारियों
  - किसी भी गैर–नियंत्रण वाले हितों की वहन राशि का प्रकटन करता है
  - इक्विटी में स्वीकृत की गई संचयी अंतरण विभेद
  - प्राप्त मत का उचित मूल्य का निर्धारण
  - किसी भी निवेश को बनाए रखने के उचित मूल्य का निर्धारण
  - लाभ या हानि में किसी भी अधिशेष या घाटे का निर्धारण
  - पहले से लाभ या हानि के लिए ओसीआई में मान्यता प्राप्त की मूल कंपनी के शेयर या प्रतिधारित आय, उचित रूप में, जैसे कि समूह सीधे संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं का निपटान किया जाए।

**ii) संयुक्त व्यवस्था**

इंड एएस–111 संयुक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत, संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश को संयुक्त प्रचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की विधि संरचना के स्थान पर प्रत्येक निवेशक के संविदागत अधिकार या दायित्व पर निर्भर करता है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के संयुक्त प्रचालन और संयुक्त उद्यम दोनों हैं।

- **संयुक्त प्रचालन** : समूह संयुक्त प्रचालनों की परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्वों और व्ययों तथा उसके द्वारा धारित या की गई कोई परिसंपत्ति, देयता, राजस्व या व्यय को स्वीकार करता है। इन्हें उपयुक्त शीर्षों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।
- **संयुक्त उद्यम** : संयुक्त उद्यमों में हितों को इक्विटी विधि का प्रयोग करके लेखांकित किया जाता है, ऐसा आरंभिक स्तर पर समेकित तुलन पत्र में लागत पर स्वीकार करने के पश्चात किया जाता है।

(च) इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी विधि के अंतर्गत, निवेशों को आरंभिक रूप में लागत पर स्वीकार किया जाता है और तत्पश्चात समायोजित किया जाता है ताकि लाभ और हानि में निवेशित के अधिग्रहण पूर्व लाभों या हानियों के समूह के भाग को तथा अन्य वृहत आय में निवेशित की अन्य वृहत आय के समूह के भाग को स्वीकार किया जा सके। संबद्ध और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त और प्राप्य लाभांशों को निवेश की प्रतिधारण राशि में कमी के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

जब इक्विटी–लेखांकित निवेश में समूही की हानियों का भाग किसी अन्य अरक्षित दीर्घकालीन प्राप्यों सहित इक्विटी में इसके हित के समान या अधिक है तो समूह और अधिक हानियों को स्वीकार नहीं करता है बशर्ते इसने अन्य निकायों की ओर से दायित्वों को वहन किया हो या भुगतान किए हों।

समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के बीच संव्यवहारों पर अप्राप्त लाभों को इन निकायों में समूह के हित के स्तर तक समाप्त किया जाता है। अप्राप्त घाटों को भी समाप्त किया जाता है बशर्ते संव्यवहार में अंतरित परिसंपत्ति की हानि के साक्ष्य उपलब्ध हों। समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुरूप बनाए रखने के लिए यथा आवश्यकता इक्विटी लेखांकित निवेशितियों की लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया गया है।

## 2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप :

वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप नीचे प्रस्तुत किया गया है। इन लेखांकन नीतियों का उपयोग लेखांकन विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधि के लिए समान रूप से किया गया है।

### 2.2.1 चालू एवं गैर–चालू वर्गीकरण

समूह द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

समूह ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

समूह ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

परिचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। समूह ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

### 2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

*स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन*

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में शामिल है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुशंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुशंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

*अनुवर्ती मापन*

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

*मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल*

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

| विवरण | उपयोगी जीवनकाल (वर्ष) |
|---|---|
| भवन / फ्लैट आवासीय / गैर–आवासीय | 60 |
| संयंत्र एवं मशीनरी | 8–15 |
| सर्वेक्षण उपकरण | 10 |
| कम्प्यूटर्स | 3–6 |
| कार्यालय उपकरण | 5 – 10 |
| फर्नीचर एवं जुड़नार | 10 |
| कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड | 3–5 |
| वाहन | 8–10 |

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

*स्वीकृति समाप्ति*

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

### 2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

### 2.2.4 निवेश परिसम्पतियां

*स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन*

निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति समूह को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है। निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

*अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास*

निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है। अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। समूह निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्य ह्रास क्रय / निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

समूह अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

*स्वीकृति समाप्ति*

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

### 2.2.5 अमूर्त परिसम्पतियां

*स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन*

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

*अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन*

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन / घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से / निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

*स्वीकृति समाप्ति*

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

### 2.2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समूह द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व–कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो समूह परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

### 2.2.7 मालसूचियां

क) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है।

लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ख) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

ग) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

घ) नो कास्ट प्लस संविदा, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

ङ) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

### 2.2.8 सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, जहां युक्ति संगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सहायक कंपनियां सभी संबद्ध शर्तों का अनुपालन करेंगी। आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को उस अवधि पर लाभ या हानि में आस्थगित और स्वीकार किया जाएगा, जो उन्हें लागतों के साथ समायोजित करने के लिए आवश्यक हो, जो संपर्क राजस्व के भीतर क्षतिपूर्ति व प्रस्तुत करने के लिए है।

### 2.2.9 राजस्व स्वीकृति

समूह अपने परिचालन निर्माण उद्योग में करती है तथा इसके द्वारा अर्जित किया जाने वाला राजस्व मुख्यतः इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति एवं निर्माण कार्यों से प्राप्त होता है। ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदा में रेलवे के निर्माण कार्य, सड़क एवं

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

राजमार्ग के निर्माण, वाणिज्यिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण, विद्युतिकरण कार्य एवं अन्य कार्य हैं। ऐसे संविदा ों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में जियोटैक्निकल जांच, टोपोग्राफिक्ल सर्वेक्षण, संसाधन योजना, विस्तृत योजना रिपोर्ट का निर्माण, निर्माण, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, सामग्रियों की आपूर्ति, सिस्टम पुनर्विकास, संस्थापन, परियोजना प्रबंधन, परिचालन एवं प्रबंधन इत्यादि (''जिसे एक साथ निर्माण संबंधी सेवाएं'' कहा जाता है) कार्य हैं। समूह द्वारा ये निर्माण सेवाएं नियत दर, टर्नकी आधार एवं कास्ट प्लस आधार पर प्रदान की जाती हैं।

ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदा से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब माल एवं सेवाओं का अंतरण को उस राशि के प्रति प्राप्त हो जाता है जिसकी प्राप्ति की प्रत्याशी समूह द्वारा ऐसे माल एवं सेवाओं के विनिमय के प्रति की गई है।

### क) ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व

राजस्व का संव्यवहार के उस उचित मूल्य पर मापन करके किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के रूप में निर्धारित है तथा जिसमें तृतीय पक्षकारों की ओर से संग्रह की गई राशियां शामिल नहीं हैं तथा जिसका समायोजन परिवर्तनीय प्रतिफल के निमित्त किया जाता है। समूह के संविदा की प्रकृति में मूल्यवर्धन एवं निर्णित हर्जाने सहित अनेक प्रकार के परिवर्तनीय प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। संव्यवहार मूल्य में किसी प्रकार के अनुवर्ती परिवर्तन को तदनुसार संविदा के प्रारंभ से समान आधार पर निष्पादन दायित्वों से संबद्ध कर लिया जाता है। समूह द्वारा परिवर्तनीय प्रतिफल को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ऐसी संभावना हो कि स्वीकृत की गई संचित राशि के राजस्व में व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। समूह यथोचित लेखा विधि के उपयोग से परिवर्तनीय प्रतिफल के प्रति स्वीकृत की जाने वाली राजस्व की राशि के अनुमान निर्धारित करती है। इसके परिणामस्वरूप संव्यवहार मूल्य परिवर्तन की अवधि के संबंध में किसी संतोषजनक निष्पादन के लिए निर्धारित राशियों की पुनःस्वीकृति राजस्व के रूप के रूप की जाती है अथवा राजस्व में कमी की जाती है।

संविदा संशोधनों का लेखांकन तब किया जाता है जब आवर्धन, विलोपन अथवा परिवर्तन के संबंध में संविदा के कार्यक्षेत्र अथवा संविदा मूल्य में अनुमोदन प्रदान किए गए हों। संविदा में संशोधनों का लेखांकन करने की क्रिया में यह मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या इसमें जोड़ी गई सेवाएं पृथक हैं अथवा नहीं हैं तथा क्या मूल्यन समेकित बिक्री मूल्य पर किया गया है अथवा नहीं किया गया है। जोड़ी गई वे सेवाएं, जो पृथक नहीं हैं,का लेखांकन संचयी कैच अप आधार पर किया जाता है जबकि जो पृथक होती हैं, उनका लेखांकन उत्तरव्यापी प्रभाव से या तो संविदा के अंतर्गत किया जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्यन समेकित बिक्री मूल्य के अनुसार है, अथवा यदि मूल्यन समेकित बिक्री मूल्य के अनुसार नहीं है तो विद्यमान संविदा को समाप्त करके तथा नया संविदा करके किया जाता है।

निम्नलिखित मापदंड पूर्ण होने की स्थिति में ही समूह द्वारा किसी निष्पादन दायित्व को पूर्ण कर लिया माना जाता है तथा समयानुकूल राजस्व स्वीकृति की जाती है:

इकाई की निष्पादन क्रिया में प्रदान किए गए इकाई के निष्पादन ग्राहक को साथ साथ प्राप्त हुए हैं तथा उनके लाभों का उपयोग कर लिया गया है।

- इकाई द्वारा किए गए निष्पादन से किसी परिसम्पति (उदाहरणतः, कार्य प्रगति पर) का सृजन अथवा संवर्धन हुआ है तथा परिसम्पति के सृजन अथवा संवर्धन के साथ साथ ग्राहक को नियंत्रण प्राप्त हो गया है अथवा
- इकाई के निष्पादन से इकाई द्वारा किसी वैकल्पिक उपयोग के लिए किसी परिसम्पति का सृजन नहीं हुआ है तथा इकाई के पास निष्पादन पूरा किए जाने की तिथि तक के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

समूह द्वारा समान प्रकार के निष्पादन दायित्वों के संबंध में निरंतर उपयोग में लाई जाने वाली राजस्व की स्वीकृति की विधि के लिए अनेक मापदंड स्थापित किए गए हैं। जहां परिणामों के अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाए जा सकते हैं वहां समूह द्वारा इनपुट विधि के उपयोग से कार्य की प्रगति का मापन किया जाता है। इनपुट विधि के अंतर्गत राजस्व की स्वीकृति रिपोर्टिंग अवधि को पूर्णता के चरण के संदर्भ में की जाती है। पूर्णता के चरण का मापन निष्पादन दायित्व से संबद्ध अनुमानित लागत के योग पर तिथि के अनुसार किए गए वास्तविक लागत व्यय के आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

ऐसी संविदाओं के मामले में जहां निष्पादन दायित्व का मापन इनपुट विधि से नहीं हो सकता है वहां आउटपुट विधि का उपयोग किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के संबंध में समूह द्वारा किए कार्य निष्पादन की उचित छवि प्रस्तुत करती है।

### ख) संविदा शेष

- संविदा परिसम्पतियां : किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि समूह द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।
- व्यापार प्राप्य : प्राप्य से समूह का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।
- संविदागत दायित्व : संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो समूह को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक समूह द्वारा माल

एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताों की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि समूह द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

**ग) टोल–फ्री**

सहायक कंपनी टोल राजस्व को उस समय स्वीकार करती है जब उसे संव्यसहार मूल्य यथा प्रयोग शुल्क पर एक; किया जाता है, जिसमें तीसरे पक्षों की ओर से एकत्र राशि शामिल नहीं होती।

**घ) अन्य प्रचालन आय**

- प्रचालन पट्टे के अंतर्गत किराए पर दी गई मशीनरी से उत्पन्न किराया आय का लेखांकन पट्टा अवधियों में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है।
- अन्य प्रचालन आय में व्यापार की आनुशंगिक गतिविधियों से अर्जित आय की प्रस्तुति की गई है तथा इसकी स्वीकृति तब की गई है जब निष्पादन पूर्ण कर लिया गया है तथा संविदा शर्त के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो गया है।

**ड.) अन्य आय**

- लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर की गई है।
- ब्याज आय की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से की गई है।
- विविध आय की स्वीकृति निष्पादन दायित्व पूरे कर लिए जाने तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होने पर की गई है।

**2.2.10 ऋण लागत**

ऋण लागत में ब्याज एवं समूह द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

**2.2.11 कर**

**क) चालू आय कर**

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में समूह के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में समूह की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

**ख) आस्थगित कर**

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक

यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

### 2.2.12 विदेशी मुद्राएं

- **कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा**

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'') करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो समूह की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

- **संव्यवहार एवं शेष**

विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

- **विदेश परिचालन**

शाखाओं से संबंधित उन विदेश परिचालनों, जिनमें उपयोग की मुद्रा के प्रति कार्यात्मक मुद्रा में भिन्नता है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के उद्देश्य से उपयोग की मुद्रा का प्रयोग किया गया है। समूह की विदेश स्थित शाखाओं की परिसम्पतियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर–मौद्रिक दोनों) को रिपोर्टिंग तिथि के अंत में लागू विनिमय दर के उपयोग से परिवर्तित किया गया है। यदि विनिमय दरों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं तो आय एवं व्यय की मदों को अवधि के दौरान औसत विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है अन्यथा मामलों के लिए संव्यवहार की तिथि को प्रयुक्त विनिमय दर उपयोग में लाई गई है। उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं, यदि कोई हैं, की स्वीकृति अन्य व्यापक आय एवं इक्विटी इसका संचय विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व के रूप में किया गया है।

विदेशी परिचालनों का निपटान (परियोजना की बहियां बंद करने पर) होने पर परिचालन के संबंध में इक्विटी में संचित विनिमय भिन्नताओं का पुनःवर्गीकरण लाभ एवं हानि विवरण में किया गया है।

### 2.2.13 कर्मचारी लाभ

**क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

**ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ**

**परिभाषित अंशदायी योजना** : परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत समूह नियत राशि का अंशदान एक अलग इकाई में करती है तथा इससे इसके प्रति आगे किसी राशि का भुगतान करने का कोई विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व नहीं होता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान करने से संबंधित योजनाओं के संबंध में, जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, लाभ एवं हानि विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

समूह की एक परिभाषित अंशदायी कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना है जिसका व्यवस्थापन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन डिफाइन्ड कन्ट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन पेंशन स्कीम, 2009) के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रस्ट के लिए किए जाने वाले अंशदान की स्वीकृति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरणों में की गई है जिस अवधि में ट्रस्ट के प्रति अंशदान देय होते हैं।

- **परिभाषित लाभ योजना** : परिभाषित लाभ योजना एक सेवानिवृत्ति के पश्चात की लाभ योजना है जो कि परिभाषित अंशदायी योजनाओ से भिन्न है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसी लाभ के प्रति दायित्व समूह के ही होते हैं। उपदान, भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए समूह की देयताओं की रूपरेखा परिभाषित लाभ योजनाओं में दर्शाई गई है।

समूह द्वारा उपदान का निधियन किया जाता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन एम्प्लाइज ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट) करती है। व्यय के रूप में स्वीकृत की गई अवधियों के लिए उपदान ट्रस्ट में किया जाने वाले अंशदान को लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है। समूह मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन कंट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) को करती है जो निधियों का निवेश अनुमत्त सिक्योरिटिज में करता है। व्यय के रूप में स्वीकृत अवधियों के लिए निधि के अंशदान के व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। समूह का दायित्व ऐसे नियत अंशदान करना तथा यह सुनिश्चित

करना है कि इसके सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर लाभ की प्राप्ति हो सके। समूह की एक सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा सुविधा योजना (पीआरएमएफ) भी है जिसका निधियन भी समूह करती है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट) द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा ट्रस्ट में अवधियों के संबंध में स्वीकृत किया जाने वाले अंशदान को व्यय के रूप में लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के संबंध में समूह के निवल दायित्वों का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में सरकारी सिक्योरिटिज की परिपक्वता अवधि, जो परिभाषित लाभ दायित्वों के भारित औसत परिपक्वता प्रोफाइल के समान है, में बाजार प्राप्ति पर आधारित डिस्काउंट दर के उपयोग से अनुमानित भावी नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य पर अलग से किया जाता है। निवल आधार पर दायित्वों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत सकल दायित्वों में से योजनागत परिसम्पतियों के उचित मूल्य को कम कर दिया जाता है।

आकलन का निष्पादन एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट के उपयोग से किया जाता है तथा सरकार की अधिसूचित ब्याज दरों पर पर्याप्त लाभ की उत्पति में ट्रस्ट के सक्षम न होने की स्थितियों के संबंध में संकेत दिए जाते हैं।

बीमांकक लाभ एवं हानियों सहित योजनागत परिसम्पतियों के प्राप्यों का पुनःमापन (परिभाषित लाभ देयता अथवा परिसम्पति के निवल पर निवल ब्याज की राशियों के अलावा) करके अन्य व्यापक आय में स्वीकृति की जाती है तथा इसे धारित आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा यह लाभ एवं हानि विवरण में पुनःवर्गीकृत किए जाने के योग्य नहीं होती है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त परिभाषित लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है। परिभाषित लाभ योजना के किसी निपटान पर लाभ अथवा हानियों की स्वीकृति तब की जाती है जब निपटान किया जाता है। पूर्व सेवा लागत को व्यय के रूप में, योजनागत संशोधन अथवा संक्षेपण से पूर्व तथा जब समूह धारित संबंधित अवसरंचना लागतों अथवा सेवा समाप्ति लाभों को स्वीकृति देती है, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ**

समूह द्वारा बारह माह के पश्चात अग्रेषित किए जाने वाले छुट्टी नकदीकरण एवं छुट्टी यात्रा रियायत को मापन के उद्देश्य से दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ माना गया है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में दायित्व की स्वीकृति का मापन अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से बीमांकन पर आधारित दायित्वों के वर्तमान मूल्य पर किया गया है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है।

**2.2.14 नकद एवं नकद समतुल्य**

नकद एवं नकद समतुल्य में नकदी, बैंकों में जमा नकदी एवं अल्पकालिक जमा जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो नकदी की ज्ञात राशियों के लिए तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम के अध्याधीन हैं।

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुल्यों में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार अप्रबंधित नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्हें समूह के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

**2.2.15 लाभांश**

समूह के इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने वाले वार्षिक लाभ वितरण की देयता के रूप में स्वीकृति शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए की गई है। अंतरिम लाभांश के प्रति देयता के रूप में स्वीकृति निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त होने पर की जाती है। देय लाभांश एवं लाभांश वितरण के अनुवर्ती कर की स्वीकृति सीधे इक्विटी में की गई है।

**2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं**

**क) प्रावधान**

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप समूह का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली,जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

समूह द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रावधानों में अनुरक्षण, विघटन, डिजाइन गारंटी, विधिक मामले, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदा एवं अन्य शामिल हैं।

**ख) दुर्वह संविदाएं**

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण समूह अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित

आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि समूह की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व समूह किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

**ग) आकस्मिक देयताएं**

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

**घ) आकस्मिक परिसम्पतियां**

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

**2.2.17 सेवा रियायत व्यवस्था**

**क) सेवा रियायत व्यवस्था के तहत वित्तीय संपत्ति (परिशिष्ट–ग इंड एएस–115 – ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व)**

समूह उस स्तर तक वित्तीय परिसंपत्तियों को स्वीकार करता है जिस स्तर तक निर्माण सेवाओं और प्रचालन व अनुरक्षण सेवाओं के लिए प्रदाता (एनएचएआई) के निदेशक से या पर रोकड या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने का अशर्त संविदागत अधिकार प्राप्त हो। इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभ में उचित मूल्य अर्थात वर्तमान मूल्य और तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। इस पद्धति के तहत, वित्तपोषण तत्व के लिए वित्तीय परिसंपत्ति में वृद्धि की जाती है और अनुदान के रूप में धन प्राप्त किया जाता है। समूह दो या अधिक संविदाओं को एक ही ग्राहक के साथ या एक ही समय में या एक ही संविदा के रूप में संविदाओं के लिए खाते में संयोजित करता है, यदि संविदाओं को एकल वाणिज्यिक उद्देश्य या एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि के पैकेज के रूप में स्वीकार किया जाता है औरै संविदा में दिए गए अन्य अनुबंध या वस्तुओं या सेवाओं की कीमत या प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है जो एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

**ख) सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति (परिशिष्ट–ग के रूप में इंड एएस 115 – ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व)**

सार्वजनिक से निजी व्यवस्था (पीपीए) के संबंध में, निर्माण–प्रचालन–अंतरण (बीओटी) आधार पर, अमूर्त संपत्ति अर्थात टोल/टैरिफ एकत्रण करने का अधिकार तब स्वीकार्य है जब समूह को उपयोगकर्ताओं से टोल या टैरिफ शुल्क वसूलने के अधिकार दिए गए हैं। ऐसी सार्वजनिक सेवाओं और इस तरह के अधिकारों को नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए समूह पर बिना शर्त अधिकार नहीं दिया जाता है और जब यह संभावित हो कि कि अधिकारों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे और संपत्ति की लागत को सुदृढता से मापा जा सकता है।

समूह एक सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे (निर्माण या उन्नयन सेवाओं) का निर्माण करता है और उस बुनियादी ढांचे (प्रचालन सेवाओं) को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रचालन और अनुरक्षण करता है। इन व्यवस्थाओं में सार्वजनिक–से–निजी सेवा रियायत व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को अपने संपूर्ण उपयोगी जीवन के लिए शामिल किया जा सकता है।

रियायत समझौतों के तहत, जहां समूह को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभारित करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसे अधिकारों को इंड एएस 115 – सेवा रियायत व्यवस्था के रूप में परिशिष्ट–ग के अनुसार ''अमूर्त परिसंपत्तियों'' के रूप में स्वीकृत और वर्गीकृत किया जाता है।

इस प्रकार का अधिकार मत प्राप्त करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है क्योंकि यह राशि उस स्तर तक आकस्मिक है कि जनता सेवा का उपयोग करती है और इस तरह से इसे अमूर्त संपत्ति के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति को लागत पर समूह द्वारा स्वीकृत किया जाता है (जो प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य का उचित मूल्य है) और पूंजीकृत है जब परियोजना सभी मामलों में पूर्ण होती है और जब समूह पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है।

रियायत व्यवस्था के तहत ली गई संपत्ति के निपटान पर या उसके भविष्य के उपयोग या निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है।

सेवा रियायत व्यवस्था जो एक अमूर्त संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है, उसे संचयी निर्माण लागत पर मान्यता दी

जाती है। परियोजना के निर्माण के पूरा होने तक, इस तरह की व्यवस्था को ''विकास के तहत अमूर्त संपत्ति'' के रूप में स्वीकृति प्राप्त है और संचयी निर्माण लागत पर मान्यता प्राप्त है।

सेवा रियायत व्यवस्था में अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल वह अवधि है, जहां से समूह रियायत अवधि के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए जनता को प्रभारित करने में सक्षम है।

एकत्रण अधिकार समयावधि की समाप्ति के बाद या उस तारीख से प्रो–राटा आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधन किया जाता है, जब अधिकार रियायत अवधि की समाप्ति के लिए सेवा में लाया जाता है।

परिशोधन की कार्यविधि और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख में की जाती है, जिसमें अनुमानित आधार पर इन अनुमानों में परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति के वहन मूल्य की प्रतिवर्ष या उससे अधिक बार हानि के लिए समीक्षा की जाती है यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहन मूल्य पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकता है।

### 2.2.18 पट्टे

समूह द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

#### क) पट्टेदार के रूप में समूह

समूह द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। समूह पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

#### i) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

समूह उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता क राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में समूह को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

#### ii) पट्टा दायित्व

समूह द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ समूह उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए समूह पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

समूह के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

#### 3) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

समूह द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे

पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। समूह द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

समूह द्वारा पट्टा लेखांकन में किए समायोजन इंड एएस 116 के अनुसार किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण /पुनःसमूहन इंड एएस116 की अपेक्षाओं के प्रभाव से किया गया है।

**ख) पट्टाकार के रूप में समूह**

वे पट्टे जिनमें समूह मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

**2.2.19 वित्तीय उपकरण**

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

**क) वित्तीय परिसम्पतियां**

***प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन***

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

***अनुवर्ती मापन***

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- **परिशोधन लागत पर नामे उपकरण**

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैं:

- क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और
- ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकायों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।
- ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- **अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण (एफवीटीओसीआई)**

निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।
- एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण**

- एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड

को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।
- **इक्विटी उपकरण**

  इंड एएस 109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरणएफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए समूह द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। समूह द्वारा ऐसे चयन उपकरण – वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

  यदि समूह किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, समूह इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

  एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

### *वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता*

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो समूह संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस 109 के अनुसरण में समूह द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

समूह द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल एप्रोच' का अनुसरण किया गया है:

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए समूह यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक समूह सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है।

परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

समूह द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

*वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्ति*

किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पतियों का भाग अथवा समान प्रकार की वित्तीय परिसम्पतियों के समूह का भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पतियों से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब वित्तीय परिसम्पतियां एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।

वहन राशि एवं प्रतिफल के रूप में प्राप्त / प्राप्य राशि के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

**ख) वित्तीय देयताएं**

*प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन*

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

समूह की वित्तीय देयताों में व्यापार एवं अन्य देयताएं,ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

*अनुवर्ती मापन*

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

समूह के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

*ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं*

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

*वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति*

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

**ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं**

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

**घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण**

समूह वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब समूह या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि समूह वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। समूह स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ङ) स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

### 2.2.20 उचित मूल्य मापन

समूह द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में।

उत्तम अथवा लाभकारी बाजार समूह की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

समूह द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, समूह द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समूह द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन समूह की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए समूह द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

### 2.2.21 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस 105 ''बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां'' के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन (i) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (ii) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से

संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

**2.2.22 पूर्व अवधि समायोजन**

पूर्व अवधि आंकड़ों से संबंधित प्रकट त्रुटियों/कमियों को गैर महत्वपूर्ण माना गया है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया गया है। यदि ऐसी सभी त्रुटियों तथा खामियां समूह के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल प्रचालनिक राजस्व के 0.50% से अधिक नहीं है।

**2.2.23 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण**

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन समूह द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति समूह का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, समूह द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

**क. संग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए गुंजाइश**

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

**ख. परिभाषित लाभ योजनाएं**

सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों की लागतों का निर्धारण बीमांकन मूल्यांकनों के उपयोग से किया जाता है। बीमांकक अनुमानों में विभिन्न अनुमान लगाए जाने की आवश्यकता होती है जो भविष्य में वास्तविक अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे निर्धारण में छूट दर, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर एवं भावी पेंशन वृद्धि शामिल होती है। मूल्यांकन की जटिलताओं में बढ़ोतरी तथा इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व ऐसे अनुमानों में परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदी हैं। सभी अनुमानों की समीक्षा रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

**ग. आकस्मिताएं**

समूह के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, समूह के फसाव वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का समूह की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

**घ. वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता**

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। समूह अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो समूह के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

**ङ. कर**

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। समूह द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण समूह के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के

साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

**च. गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता**

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

**छ. बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां**

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो।

**ज. पट्टे – आवर्धित ऋण दर के अनुमान**

समूह पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, समूह द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो समूह को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में समूह

समूह पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

समूह द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। समूह अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से समूह के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात समूह पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से समूह को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

**झ. राजस्व स्वीकृति**

समूह की एक राजस्व मान्यता नीति है जिसके उपयोग से समूह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए समूह द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदत्ता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

## 3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | पट्टे वाली भूमि | पट्टे वाली भूमि | पट्टे वाले भवन | फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट–आवासीय | फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट–गैर आवासीय | संयंत्र और मशीनरी | सर्वेक्षण उपकरण | कम्प्यूटर | कार्यालय उपकरण | फर्नीचर | कारवां, केम्प और अस्थायी शेड | वाहन | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फुट नोट | | | | | | | | | | (i) | | | |
| सकल वहन मूल्य (लागत पर) | | | | | | | | | | | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **42.69** | **–** | **–** | **6.36** | **40.66** | **88.59** | **1.87** | **6.35** | **4.15** | **3.50** | **8.32** | **3.59** | **206.08** |
| संवर्धन | – | 36.89 | – | – | 20.73 | 102.68 | 0.09 | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 0.08 | – | **162.29** |
| निपटान /समायोजन | – | – | – | – | – | (6.64) | (0.05) | (0.28) | (0.05) | (0.09) | (5.56) | (0.84) | **(13.51)** |
| बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण | – | – | – | – | – | (0.22) | – | – | (0.03) | (0.01) | – | – | **(0.26)** |
| विनिमय (लाभ)/हानि | – | – | – | – | 0.28 | 2.87 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.21 | **3.57** |
| **31 मार्च 2020 को** | **42.69** | **36.89** | **–** | **6.36** | **61.67** | **187.28** | **1.95** | **6.76** | **4.76** | **3.98** | **2.87** | **2.96** | **358.17** |
| संवर्धन | – | – | – | – | 1.43 | 0.40 | 0.01 | 0.88 | 0.45 | 1.13 | 0.03 | – | **4.33** |
| निपटान /समायोजन | – | – | – | – | (0.14) | (5.15) | (0.21) | (0.24) | (0.32) | (0.12) | – | 0.70 | **(5.48)** |
| बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण | – | – | – | – | – | (0.01) | – | – | – | – | – | – | **(0.01)** |
| विनिमय (लाभ) /हानि | – | – | – | – | 0.06 | (2.04) | (0.01) | (0.01) | (0.02) | (0.03) | (0.03) | (0.08) | **(2.16)** |
| **31 मार्च 2021 को** | **42.69** | **36.89** | **–** | **6.36** | **63.02** | **180.48** | **1.74** | **7.39** | **4.87** | **4.96** | **2.87** | **3.58** | **354.85** |
| मूल्यह्रास एवं हानि | | | | | | | | | | | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **–** | **–** | **–** | **3.35** | **13.07** | **46.76** | **0.38** | **2.93** | **1.93** | **1.16** | **6.96** | **0.89** | **77.43** |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार | – | – | – | 0.19 | 2.29 | 8.97 | 0.19 | 1.19 | 0.67 | 0.33 | 0.50 | 0.41 | **14.74** |
| हानि | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **–** |
| निपटान /समायोजन | – | – | – | – | – | (6.07) | (0.02) | (0.17) | (0.05) | (0.03) | (5.28) | (0.20) | **(11.82)** |
| विनिमय (लाभ)/हानि | – | – | – | – | – | – | – | – | (0.02) | – | – | – | **(0.02)** |
| बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण | – | – | – | – | 0.11 | 1.76 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | **2.01** |
| **31 मार्च 2020 को** | **–** | **–** | **–** | **3.54** | **15.47** | **51.42** | **0.56** | **3.96** | **2.55** | **1.48** | **2.19** | **1.17** | **82.34** |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार | – | – | – | 0.10 | 3.20 | 11.89 | 0.19 | 1.17 | 0.62 | 0.39 | 0.38 | 0.47 | **18.41** |
| हानि | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **–** |
| निपटान /समायोजन | – | – | – | – | – | (3.77) | (0.11) | (0.26) | (0.26) | (0.07) | – | 0.07 | **(4.40)** |
| बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **–** |
| विनिमय (लाभ) /हानि | – | – | – | – | 0.02 | (1.39) | – | (0.01) | (0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.04) | **(1.48)** |
| **31 मार्च 2021 को** | **–** | **–** | **–** | **3.64** | **18.69** | **58.15** | **0.64** | **4.86** | **2.89** | **1.78** | **2.55** | **1.67** | **94.87** |
| **निवल बही मूल्य** | | | | | | | | | | | | | |
| **31 मार्च 2021 को** | **42.69** | **36.89** | **–** | **2.72** | **44.33** | **122.33** | **1.10** | **2.53** | **1.98** | **3.18** | **0.32** | **1.91** | **259.98** |
| **31 मार्च 2020 को** | **42.69** | **36.89** | **–** | **2.82** | **46.20** | **135.86** | **1.39** | **2.80** | **2.21** | **2.50** | **0.68** | **1.79** | **275.83** |

**फुटनोट:**

i) फरनीचर और फिक्सचर में फर्निशिंग भी शामिल

ii) वहन राशि में क्रियात्मक मुद्रा से प्रस्तुतिकरण मुद्रा में पी.पी.ई. अंतरण के कारण विदेशी विनियम घाटा/लाभ शामिल है।

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 4. पूंजीगत चालू कार्य

(₹ करोड़ में)

| विवरण | राशि |
|---|---|
| **1 अप्रैल 2019 को** | **50.30** |
| जमा (परिणामी व्यय)* | 2.11 |
| घटा : वर्ष के दौरान पूंजीकृत | (49.44) |
| **31 मार्च 2020 को** | **2.97** |
| जमा (परिणामी व्यय)' | 0.60 |
| घटा : वर्ष के दौरान पूंजीकृत | (0.40) |
| **31 मार्च 2021 को** | **3.17** |
| **निवल बही मूल्य** | |
| **31 मार्च 2021 को** | **3.17** |
| **31 मार्च 2020 को** | **2.97** |

### 5. निवेश परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

| विवरण | नोएडा | | | गुरुग्राम | | बंगलुरु | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भूमि | प्रगतिरत पूंजी कार्य | भवन | भूमि | प्रगतिरत पूंजी कार्य | भवन | |
| **31 मार्च 2019 को** | **327.20** | **99.19** | **–** | **2.23** | **46.18** | **3.04** | **477.84** |
| जमा (परिणामी व्यय)' | – | 49.28 | – | – | 19.64 | – | **68.92** |
| वर्ष के दौरान पूंजीगरण | – | (128.38) | 128.38 | – | – | – | **–** |
| परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में भूमि व भवन का अंतरण | (36.89) | (19.52) | – | – | – | – | **(56.41)** |
| **31 मार्च 2020 को** | **290.31** | **0.57** | **128.38** | **2.23** | **65.82** | **3.04** | **490.35** |
| जमा (परिणामी व्यय)' | – | – | – | – | 30.49 | – | **30.49** |
| वर्ष के दौरान गैरस्वीकृति | – | – | (1.57) | – | – | – | **(1.57)** |
| वर्ष के दौरान पूंजीगरण | – | – | – | – | – | – | **–** |
| **31 मार्च 2021 को अंतशेष** | **290.31** | **0.57** | **126.81** | **2.23** | **96.31** | **3.04** | **519.27** |
| **मूल्यह्रास और हानि** | | | | | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **0.23** | **0.23** |
| वर्ष के दौरान मूल्यह्रास | – | – | 1.06 | – | – | 0.04 | **1.10** |
| **31 मार्च 2020 को** | **–** | **–** | **1.06** | **–** | **–** | **0.27** | **1.33** |
| वर्ष के दौरान मूल्यह्रास | – | – | 6.89 | – | – | 0.04 | **6.93** |
| **31 मार्च 2021 को** | **–** | **–** | **7.95** | **–** | **–** | **0.31** | **8.26** |
| **निवल ब्लॉक** | | | | | | | |
| **31 मार्च 2021 को** | **290.31** | **0.57** | **118.86** | **2.23** | **96.31** | **2.73** | **511.01** |
| **31 मार्च 2020 को** | **290.31** | **0.57** | **127.32** | **2.23** | **65.82** | **2.77** | **489.02** |

**निवेश संपत्ति की आय और व्यय संबंधी सूचना**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त किराया आय | 0.41 | 0.39 |
| वर्ष के दौरान किराये की आय से निवेश संपत्ति उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित) | 0.01 | – |
| वर्ष के दौरान किराये की आय से निवेश संपत्ति उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित) | – | – |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### उचित मूल्य पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में )

| विवरण | नोएडा | | | गुरुग्राम | | बंगलुरु | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भूमि | प्रगतिरत पूंजी कार्य | भवन | भूमि | प्रगतिरत पूंजी कार्य | भवन | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **212.12** | **102.05** | **–** | **136.84** | **58.40** | **7.14** | **516.55** |
| वर्ष के दौरान पूंजीकृत | – | (102.05) | 102.05 | – | – | – | **–** |
| उचित मूल्य अंतर | 16.35 | 0.57 | 25.97 | (11.68) | 7.79 | (0.05) | **38.95** |
| **31 मार्च 2020 को** | **228.47** | **0.57** | **128.02** | **125.16** | **66.19** | **7.09** | **555.50** |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | – | – | – | – | 30.49 | – | **30.49** |
| वर्ष के दौरान गैरस्वीकृति | – | – | (1.57) | – | – | – | **(1.57)** |
| उचित मूल्य अंतर | (11.15) | (0.57) | (9.66) | (6.68) | (9.31) | 0.78 | **(36.59)** |
| **31 मार्च 2021 को** | **217.32** | **–** | **116.79** | **118.48** | **87.37** | **7.87** | **547.83** |
| नोटः–<br>स्वनिर्मित निवेश परिसंपत्ति | **217.32** | **–** | **116.79** | **118.48** | **87.37** | **7.87** | **547.83** |
| | **217.32** | **–** | **116.79** | **118.48** | **87.37** | **7.87** | **547.83** |

(i) ये मूल्यांकन मान्यता प्राप्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित हैं। उचित मूल्य लागत और आय/लागत/बाजार मूल्य दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। मूल्यांकनकर्ता द्वारा की गई धारणा के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य से जीएसटी पर विचार नहीं किया गया है।

(ii) उचित मूल्य मापन को उचित मूल्य क्रम के तीन स्तरों में श्रेणीबद्ध किया गया है।

(iii) नोएडा में निवेश सम्पत्ति चार स्थानों में है, जिसकी पट्टा अवधि 90 वर्ष है, गुरुग्राम और बंगलुरु में परिसंपत्ति केवल एक स्थल पर है जो फ्रीहोल्ड है।

(₹ करोड़ में )

| * संवर्धनों का ब्यौरा (अनुवती व्यय) | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| | प्रगतिरत पूंजीगत कार्य | प्रगतिरत पूंजीगत कार्य |
| – कार्य व्यय | 26.84 | 47.09 |
| – परामर्श प्रभार | 0.34 | 0.67 |
| – वेतन एवं पारिश्रमिक | 0.70 | 1.56 |
| – दरें एवं कर | 0.01 | 2.14 |
| – वाहन प्रचालन और अनुरक्षण | 0.05 | 0.08 |
| – ऊर्जा, बिजली और जल प्रभार | 2.38 | 1.41 |
| – विज्ञापन और प्रकाशन | 0.01 | 0.09 |
| – बैंक प्रभार | – | 0.02 |
| – दौरा और यात्रा | 0.01 | 0.02 |
| – विविध प्रचालन व्यय | 0.15 | 15.84 |
| **कुल** | **30.49** | **68.92** |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 6. अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में )

| विवरण | अमूर्त परिसंपत्तियां (साफ्टवेयर/पट्टा अधिकार/टोल रोड) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | साफ्टवेयर | पट्टा अधिकार | टोल रोड | कुल |
| **सकल ब्लॉक** | | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष** | **2.10** | **72.62** | **1,247.94** | **1,322.66** |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | 0.02 | – | – | **0.02** |
| वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन | (0.01) | (0.28) | – | **(0.29)** |
| **31 मार्च 2020 को अंतशेष** | **2.11** | **72.34** | **1,247.94** | **1,322.39** |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | 0.02 | – | 1.88 | **1.90** |
| वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन | – | – | (0.84) | **(0.84)** |
| **31 मार्च 2021 को अंतशेष** | **2.13** | **72.34** | **1,248.98** | **1,323.45** |
| **परिशोधन और हानि** | | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष** | **1.19** | **5.69** | **37.16** | **44.04** |
| वर्ष के दौरान परिशोधन | 0.54 | 1.64 | 64.58 | **66.76** |
| वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन | (0.01) | (0.03) | 0.01 | **(0.04)** |
| **31 मार्च 2020 को अंतशेष** | **1.72** | **7.30** | **101.75** | **110.76** |
| वर्ष के दौरान परिशोधन | 0.16 | 1.65 | 64.57 | **66.38** |
| वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन | – | – | (0.08) | **(0.08)** |
| **31 मार्च 2021 को अंतशेष** | **1.88** | **8.95** | **166.23** | **177.06** |
| **निवल बही मूल्य** | | | | |
| **31 मार्च 2021 को** | **0.25** | **63.39** | **1,082.75** | **1,146.39** |
| **31 मार्च 2020 को** | **0.39** | **65.04** | **1,146.19** | **1,211.63** |

नोट :

पट्टा अधिकारः इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के निर्माण के लिए आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भूमि रेलवे की है और कंपनी ने उस पर भवनों का निर्माण किया है तथा कंपनी को एमएफसी के आरंभ होने की तिथि से 45 वर्षों का पट्टा अधिकार (वाणिज्यिक अधिकार) प्राप्त है। पट्टा अधिकारों को उस तिथि से पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाएगा जिस तिथि से संबंधित परियोजना प्रोरेटा आधार पर वाणिज्यिक प्रचालन में आई है। वर्ष के दौरान परिशोधित राशि 1.65 करोड रूपए (वित्तीय वर्ष 2019–20 में 1.64 करोड रूपए)।

टोल रोड :– टोल रोड में टोल रोड के लिए आईटी अवसंरचना साफ्टवेयर का मूल्य भी तथा टोल रोड के ईपीसी कार्य भी शामिल हैं। यह अगले से गणनीय नहीं है और परिसंपत्ति का अभिन्न अंग है।

### 7. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में )

| विवरण | विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | | |
|---|---|---|---|
| | साफ्टवेयर | टोल रोड | कुल |
| **सकल ब्लॉक** | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **–** | **4.89** | **4.89** |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | 9.79 | 25.20 | **34.99** |
| वर्ष के दौरान पूंजीकरण | – | – | **–** |
| वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन | – | (13.15) | **(13.15)** |
| **31 मार्च 2020 को** | **9.79** | **16.94** | **26.73** |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | – | 0.01 | **0.01** |
| वर्ष के दौरान पूंजीकरण | – | (1.88) | **(1.88)** |
| वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन | – | (15.07) | **(15.07)** |
| **31 मार्च 2021 को** | **9.79** | **–** | **9.79** |
| **परिशोधन और हानि** | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष** | **–** | **–** | **–** |
| वर्ष के दौरान परिशोधन | – | – | – |
| हानि | – | – | – |
| वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन | – | – | – |
| **31 मार्च 2020 को** | **–** | **–** | **–** |
| वर्ष के दौरान परिशोधन | – | – | – |
| हानि | – | – | – |
| वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन | – | – | – |
| **31 मार्च 2021 को** | **–** | **–** | **–** |
| **निवल बही मूल्य** | | | |
| **31 मार्च 2021 को** | **9.79** | **–** | **9.79** |
| **31 मार्च 2020 को** | **9.79** | **16.94** | **26.73** |

नोट : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के अंतर्गत एसएपी एस4/एचएएनए ईआरपी साफ्टवेयर अधिग्रहण हेतु पूंजीगत व्यय शामिल है।

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 8. गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में )

| विवरण | भूमि | भवन (i) | वाहन | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **सकल ब्लॉक** | | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **1.25** | **5.21** | **0.04** | **6.50** |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | – | – | – | – |
| वर्ष के दौरान निपटान / समायोजन | – | – | – | – |
| **31 मार्च 2020 को** | **1.25** | **5.21** | **0.04** | **6.50** |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | – | – | – | – |
| वर्ष के दौरान निपटान / समायोजन | – | – | – | – |
| **31 मार्च 2021 को** | **1.25** | **5.21** | **0.04** | **6.50** |
| **मूल्यह्रास एवं हानि** | | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **0.05** | **0.95** | **–** | **1.00** |
| वर्ष के दौरान मूल्यह्रास | 0.02 | 0.29 | 0.02 | **0.33** |
| वर्ष के दौरान हानि | – | – | – | **–** |
| वर्ष के दौरान निपटान / समायोजन | – | – | – | **–** |
| **31 मार्च 2020 को** | **0.07** | **1.24** | **0.02** | **1.33** |
| वर्ष के दौरान मूल्यह्रास | 0.04 | 0.31 | 0.02 | **0.37** |
| वर्ष के दौरान हानि | – | – | – | **–** |
| वर्ष के दौरान निपटान / समायोजन | – | – | – | **–** |
| **31 मार्च 2021 को** | **0.11** | **1.55** | **0.04** | **1.70** |
| **निवल बही मूल्य** | | | | |
| **31 मार्च 2021 को** | **1.14** | **3.66** | **–** | **4.80** |
| **31 मार्च 2020 को** | **1.18** | **3.97** | **0.02** | **5.17** |

फुटनोट:

i) इसमें सेन मार्टिन मार्ग, दिल्ली, पाली हिल, मुंबई और मेट्रो रेलवे सेवा भवन, कोलकाता 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

ii) कंपन द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल (सीआईसी) के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.76 कराड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

### 9. इक्विटी विधि के प्रयोग द्वारा लेखांकित निवेश

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **इक्विटी माध्यमों पर निवेश (पूर्णत प्रदत्त कोट न किए गए–लागत पर)** | | |
| ***संयुक्त उद्यम कंपनियां*** | | |
| इरकॉन–सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल) प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 : 6,38,70,000 (संदर्भ नोट (i) | 87.00 | 76.52 |
| भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड 5,19,99,699 प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 : 3,99,99,699) (संदर्भ नोट (ii) | 62.56 | 48.09 |
| बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 7,63,37,300 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 : 7,63,37,300) | 76.60 | 76.45 |
| झारखंड सेंट्रल रेलवे प्रत्येक 10 रुपए के 1,30,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 : 1,30,00,000) (संदर्भ नोट (iii) | 63.64 | 63.45 |
| महानदी कोल रिफाइनरी लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 13,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 : 7,63,37,300) | – | – |
| छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 14,25,75,700 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 : 12,25,75,700) | 138.18 | 116.53 |
| छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 13,11,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020: 13,11,70,000) | 130.91 | 130.98 |
| **कुल** | **558.89** | **512.02** |
| **कोट न किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य** | **558.89** | **512.02** |
| **निवेशों के मूल्य में हानि की सकल राशि** | **–** | **–** |

**फुट नोट:**

(i) (क) आई.एस.टी.पी.एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद–5) के अनुसार एन.एच.ए.आई के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई.एस.टी.पी.एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51 प्रतिशत से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के अध्यधीन शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.2010 को आरम्भ हुआ था। उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन अधिकार के अध्यधीन तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

(ii) भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 29 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में आरएलडीए, इरकॉन और के बीच शेयरधारिता पैटर्न में परिणामी संशोधन के साथ तीसरे रणनीतिक भागीदार / शेयरधारक के रूप में राइट्स लिमिटेड की भागीदारी को मंजूरी दी है। राइट्स क्रमशः 50:26:24 के अनुपात में है।

(iv) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के पक्ष में 50 करोड रुपये के ब्याज मुक्त अग्रिम को मंजूरी दे दी है। ऋण की चुकौती केवल परियोजना के समापन या रियायत अवधि के अंत में, जो भी बाद में हो, पर की जाएगी।

(iv) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को संचित घाटा हुआ है, जिसके कारण समूह ने 31 मार्च 2021 को महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के निवेश की लागत के बराबर संचित हानियों को मान्यता दी है। समूह के पास महानदी के संबंध में हानियों का गैर–मान्यता प्राप्त हिस्सा है जो दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार 0.22 करोड़ (31 मार्च 2020: 0.21 करोड़ रुपये) है।

## 10. गैर चालू परिसम्पतियाँ–गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

### 10.1 गैर चालू वित्तीय परिसम्पित्तयाँ–निवेश

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **बांडों में निवेश (कोट किए गए, परिशोधित लागत पर )** | | |
| 8.00% इंडियन रेलवे फाइनांस निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 163,131 बांड ( 31 मार्च 2020 163,131 इकाइयां) | 16.31 | 16.31 |
| 7.21% इंडियन रेलवे फाइनांस निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड ( 31 मार्च 2020 : 500) | 49.99 | 50.01 |
| 8.23% इंडियन रेलवे फाइनांस निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 5,00,000 बांड ( 31 मार्च 2020: 5,00,000 इकाइयां) | 50.00 | 50.00 |
| 8.35 % इंडियन रेलवे फाइनांस निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड ( 31 मार्च 2020 : 500 इकाइयां) | 49.97 | 49.96 |
| 7.15% इंडियन रेलवे फाइनांस निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 250 बांड ( 31 मार्च 2020 : 250 इकाइयां) | 25.00 | 24.99 |
| 7.07% इंडियन रेलवे फाइनांस निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 3,02,000 बांड ( 31 मार्च 2020 : 3,02,000 इकाइयां ) | 30.20 | 30.20 |
| 7.14% एनएचएआई के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 1,99,989 बांड (31 मार्च 2020 : 1,99,989 इकाइयां) | 20.00 | 20.00 |
| 7.02% एनएचएआई के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2020 : 500 इकाइयां) | 49.99 | 49.98 |
| **कुल** | **291.46** | **291.45** |
| **कोट किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य** | **291.46** | **291.45** |
| **कोट किए गए निवेशों का सकल बाजार मूल्य** | **343.48** | **322.13** |
| **निवेश के मूल्य में हानि का सकल मूल्य** | **–** | **–** |

### 10.2 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **क. वसूली योग्य : रक्षित** | | |
| स्टाफ ऋण व अग्रिम | 0.13 | 0.13 |
| **ख. वसूली योग्य : अरक्षित** | | |
| **(i) संबंधित पक्षों से ऋणः** | | |
| संयुक्त उद्यम | | |
| – छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | – | 39.00 |
| **(ii) अन्यः** | | |
| स्टाफ ऋण और अग्रिम' | 0.35 | 0.20 |
| **कुल** | **0.48** | **39.33** |

*** निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| स्टाफ ऋण और अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि | – | 0.0004 |
| **कुल** | **–** | **0.0004** |

## 10.3 गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| **वसूली योग्य : अरक्षित** | | | | |
| **प्रतिभूति जमा राशि** | | | | |
| – सरकारी विभाग | | 0.01 | | 0.03 |
| – अन्य | | 0.64 | | 0.39 |
| **संविदा परिसंपत्तिः** | | | | |
| – ग्राहकों से प्रतिधारण राशि | | 57.27 | | 113.09 |
| – ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि | | 1.22 | | 3.47 |
| – एससीए के दृष्टि से वहन की गई निर्माण लागत {संदर्भ फुटनोट (i)} | | 793.69 | | 316.60 |
| 12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि (संदर्भ फुट नोट (ii) | | 0.01 | | 0.01 |
| 12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि (बैंक गरींटी) (संदर्भ फुट नोट (iii) | | 0.01 | | 0.25 |
| स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज# (संदर्भ फुट नोट (iv) | | 0.35 | | 0.23 |
| रेल भूमि विकास प्राधिकरण/आरएलडीए से वसूली योग्य (संदर्भ फुटनोट (v) | 1,245.61 | | 1,870.56 | |
| घटाः भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण (संदर्भ नो 20.1 (i) ख} | (1,230.61) | 15.00 | (1,845.92) | 24.64 |
| **कुल** | | **868.20** | | **458.71** |

**फुटनोटः**

(i) निर्माण लागत हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) के तहत इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड और इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे राजमार्ग से संबंधित है।

(ii) एफडीआर सहित **0.01 करोड रूपए** (0.01 करोड रूपए)

(iii) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के मामले में सांविधिक प्राधिकरणों को गिरवी रखी गई सावधि जमा प्रदर्शित करता है (31 मार्च 2020: हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी को जारी बैंक गारंटी के प्रति रखी गई सावधि जमा को प्रदर्शित करता है)।

(iv) निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| स्टाफ ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि | - | 0.0004 |
| **कुल** | **-** | **0.0004** |

(v) समूह ने भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण प्राप्त किया है (संदर्भ नोट 20.1) और पट्टा करार की शर्तों के अनुसार आगे जिसका भुगतान रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को किया गया है। आरएलडीए तथा समूह के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार ऋण से संबंधित मूल राशि तथा ब्याज की सभी किश्तें तथा किसी प्रकार की त्रुटि या आतरिक्त ब्याज, तथा अन्य लागतें, व्यय तथा प्रभार (या अन्यथा ऋण करार के अंतर्गत या अनुसरण में देय ) का भुगतान आरएलडीए द्वारा समूह को ऋण करार के अंतर्गत उनकी संबंधित देय तिथि से कम से कम पांच (5) दिन पूर्व ऐसे खाते में किया जाएगा जो कि आईआरएफसी द्वारा निर्धारित किया गया हो। रेल मंत्रालय से आरएलडीए को निधियों का समवर्ती संवितरण करने के लिए आरएलडीए और रेल मंत्रालय को वापसी सहमति से उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी। इस वसूलीयोग्य राशि की निबंधन और शर्तें वहीं होंगी जैसी कि उक्त ऋण के मामले में हैं।

इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, आरएलडीए ने बांद्रा ईस्ट पर परियोजना स्थल के पट्टाधारण अधिकारों सहित वहां वाणिज्यिक विकास कार्य करने के अधिकार समूह को अंतरित कर दिए हैं। समूहपरियोजना स्थल के वाणिज्यिक विकास कार्य को करने के प्रयोजन के लिए तथा समूह द्वारा चिह्नित विकासकर्ताओं को परियोजना स्थल को आगे उप–ठेके पर देने (सभी संबद्ध विकास अधिकारों सहित) के प्रयोजनों से मुक्त, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बोली प्रकियाओं के माध्यम से उपयुक्त विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) को नियुक्त करने के लिए पात्र है।

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 11. आस्थिगित कर परिसंपत्तियां और आयकर

**इंड एएस 12 ''आयकर'' संबंधी प्रकटन**

**(क) 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु आयकर व्यय के प्रमुख घटक :** (₹ करोड़ में )

| क्र.सं | विवरण | को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| 1 | **लाभ और हानि खंड** | | |
| | **चालू आयकरः** | | |
| | चालू आयकर प्रभार | 148.94 | 163.16 |
| | पिछले वर्ष के चालू कर संबंधी समायोजन | 17.87 | (14.76) |
| | **आस्थगित करः** | | |
| | अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिक्रम से संबंधित | 19.65 | 38.28 |
| | **लाभ एवं हानि खंड विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय** | **186.46** | **186.68** |
| 2 | **अन्य वृहत आय खंड** | | |
| | **वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकरः** | | |
| | निर्धारित लाभें योजनाओं के पुनर्निर्धारण पर निवल हानि / (लाभ) | (0.10) | 0.30 |
| | विनिमय लाभ लाभ / हानि पर निवल हानि / (लाभ) | (0.30) | (1.30) |
| | **ओसीआई खंड में रिपोर्टिड आयकर व्यय** | **(0.40)** | **(1.00)** |

**(ख) 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 के लिए कर व्ययों का पुनर्विनियोजन तथा लेखांकन लाभ गुणा भारतीय घरेल कर दरः**

(₹ करोड़ में )

| क्र.सं | विवरण | को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| 1 | आयकर पूर्व लेखांकन लाभ | 575.91 | 667.99 |
| 2 | लेखांकन लाभ पर कर | 148.50 | 172.97 |
| 3 | कर समायोजन पर प्रभाव | | |
| | (i) पिछले वर्ष के चालू आय कर संबंधी समायोजन | (0.39) | (14.73) |
| | (ii) पूर्ववर्ती अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग | – | – |
| | (iii) कर अंतर का प्रभाव | – | 40.46 |
| | (iv) कर से छूट प्राप्त आय पर कर | (5.93) | (12.22) |
| | (v) कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौतीयोग्य व्यय | | |
| | – अन्य राष्ट्र अतिरिक्त कर | 32.08 | 9.82 |
| | – अन्य गैर कटौतीयोग्य व्यय | 3.24 | 4.98 |
| | विभिन्न अन्य मदों पर कर प्रभाव | 8.56 | (15.60) |
| **4** | **लाभ और हानि विवरण में रिपोर्टिड आयकर व्यय** | **186.06** | **185.68** |
| 5 | कर दर प्रभाव | 32.31% | 27.80% |

**(ग) तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देयताओं) के घटक**

(₹ करोड़ में )

| क्र.सं | विवरण | तुलनपत्र | | लाभ एवं हानि विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| 1 | परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर | (155.91) | (121.69) | 34.22 | 101.27 |
| 2 | प्रावधान | 74.46 | 75.65 | 1.19 | 35.75 |
| 3 | आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 43ख की अस्वीकृत मदें | 0.01 | 0.04 | 0.03 | (0.04) |
| 4 | चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि ववरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान | 26.33 | 29.93 | 3.60 | 6.33 |
| 5 | व्यवसाय घाटे | 121.19 | 101.57 | (19.62) | (100.69) |
| 6 | प्राथमिक व्यय और अन्य | 4.41 | 4.64 | 0.23 | (4.34) |
| | **निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)** | **70.49** | **90.14** | **19.65** | **38.28** |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(घ) तुलन पत्र में निम्नानुसार प्रदर्शित

(₹ करोड़ में )

| क्र.सं | विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|
| 1 | आस्थगित कर परिसंपत्ति | 226.40 | 211.83 |
| 2 | आस्थगित कर देयता | (155.91) | (121.69) |
| | **आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) / (निवल)** | **70.49** | **90.14** |

नोट : आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है, क्योंकि वे समान शासी नियमों के अंतर्गत आते हैं।

(ड.) तुलन पत्र में निम्नानुसार प्रदर्शित

**31 मार्च 2021 को**

(₹ करोड़ में )

| क्र.सं | विवरण | 1 अप्रैल 2020 को शेष / निवल | लाभ हानि विवरण में स्वीकृत | ओसीआई में स्वीकृत | 31 मार्च 2021 को शेष / निवल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर | (121.69) | (34.22) | – | **(155.91)** |
| 2 | प्रावधान | 75.65 | (1.19) | – | **74.46** |
| 3 | आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 43ख की अस्वीकृत मदें | 0.04 | (0.03) | – | **0.01** |
| 4 | चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि ववरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान | 29.93 | (3.60) | – | **26.33** |
| 5 | व्यवसाय घाटे | 101.57 | 19.62 | – | **121.19** |
| 6 | प्राथमिक व्यय और अन्य | 4.64 | (0.23) | – | **4.41** |
| | **निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)** | **90.14** | **(19.65)** | **–** | **70.49** |

**31 मार्च 2020 को**

(₹ करोड़ में )

| क्र.सं | विवरण | 1 अप्रैल 2020 को शेष / निवल | लाभ हानि विवरण में स्वीकृत | ओसीआई में स्वीकृत | 31 मार्च 2019 को शेष / निवल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर | (20.42) | (101.27) | – | **(121.69)** |
| 2 | प्रावधान | 111.40 | (35.75) | – | **75.65** |
| 3 | आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 43ख की अस्वीकृत मदें | – | 0.04 | – | **0.04** |
| 4 | चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि ववरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान | 36.26 | (6.33) | – | **29.93** |
| 5 | व्यवसाय घाटे | 0.88 | 100.69 | – | **101.57** |
| 6 | प्राथमिक व्यय और अन्य | 0.30 | 4.34 | – | **4.64** |
| | **निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)** | **128.42** | **(38.28)** | **–** | **90.14** |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 12. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **वसूली योग्य : अरक्षित** | | |
| **पूंजीगत अग्रिम से इतर अग्रिम** | | |
| सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों का अग्रिम | 28.50 | 113.88 |
| ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम | – | 0.07 |
| कर विभागों में जमा राशि | – | 0.17 |
| पर संचित ब्याज | | |
| –ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम | 19.14 | 15.49 |
| **कुल** | **47.64** | **129.61** |

### 13. दरसूचियां

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| कच्चा माल (लागत या एनआरपी पर मूल्यित, जो भी कम हो, या अन्यथा उल्लिखित हो) | | |
| – हाथ में | 25.10 | 30.95 |
| – तीसरे पक्षों के पास | 44.22 | 26.05 |
| – पारगमन में | 0.47 | – |
| अन्य (स्क्रैप) | 0.82 | 0.29 |
| प्रगति निर्माण कार्य (लागत पर ) | 50.04 | 263.38 |
| **कुल** | **120.65** | **320.67** |

### 14. चालू परिसंपत्तियां – चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

#### 14.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| वसूली योग्य : अरक्षित (संदर्भ नोट–i, ii) | 630.77 | 551.19 |
| संदिग्ध समझे गए : अरक्षित | 20.48 | 27.18 |
| घटा: संदिग्ध ऋणों हेतु हानि प्रावधान | (20.48) | (27.18) |
| **कुल** | **630.77** | **551.19** |

**फुट नोट :**

(i) अन्य संबंधित पक्षों से प्राप्य राशि **258.78 करोड़ रूपए** सहित (31 मार्च 2020 को: 214.76 करोड़ रूपए) और प्रकटन नोट रू 37 (ग) 4.1

(ii) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के व्यापार प्राप्य में **2.20 करोड़ रुपए** (वित्त वर्ष 2019–20 में 1.49 करोड़ रुपये) की प्राप्य राशि शामिल है, जो न्यायाधीन है।

#### 14.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(₹ करोड़ में )

| विवरण | फुट नोट | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|
| उपलब्ध रोकड़ | | 0.08 | 0.08 |
| उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट | (i) | – | 7.65 |
| ट्रांजिट में पारगमन | | – | 0.19 |
| बैंक में शेष : | | | |
| –चालू खातों में | (iii) | 170.82 | 183.74 |
| –फलैक्सी खातों में | (ii) एंड (iv) | 203.48 | 147.15 |
| –तीन महीनों से कमी की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि | (ii) एंड (v) | 39.82 | 174.06 |
| **कुल (संदर्भ नोट–vi)** | | **414.20** | **512.87** |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 14.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में )

| विवरण | फुट नोट | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|
| **अन्य बैंक शेष** | | | |
| – 3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की मूल परिवक्वता वाली जमा राशियां | (ii)] (v) एंड (vii) | 3,029.31 | 2,156.99 |
| – 3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की मूल परिवक्वता वाली जमा राशियां (बैंक गारंटी) | (viii) | 2.79 | 2.68 |
| – लाभांश संवितरण खाता | | 0.14 | 0.07 |
| **कुल** | | **3,032.24** | **2,159.74** |

**फुट नोट (नोट–14.2 और 14.3) : .**

(i) **शून्य रूपए** के चैक/उपलब्ध ड्राफ्ट (31 मार्च 2020 को 7.65 करोड रूपए), जिन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा नकदीकृत किया जा सकता है।

(ii) इसमें **2,018.35 करोड़ रु.** (31 मार्च 2020 को 1,825.89 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जिसपर उन्हें ब्याज दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें व्यापार देय के प्रति 737.90 करोड़ रु. (31 मार्च 2020 को 576.86 करोड़) की परियोजना निधि शामिल है।

(iii) इसमें एस्क्रो खाते के **2.13 करोड रूपए** (1.11 करोड रूपए) शामिल हैं जो इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार निर्धारित निधि है और एस्क्रो खाते से संबंधित शेष **0.07 करोड रूपए** ( 31 मार्च 2020 को 0.02 करोड रूपए) जो इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार निर्धारित निधि है।

(iv) इसमें एस्क्रो खाते के **9.17 करोड रूपए** (31 मार्च 2020 को 11.65 करोड रूपए) शामिल हैं जो इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार निर्धारित निधि है और एस्क्रो खाते से संबंधित शेष **6.35 करोड रूपए** (31 मार्च 2020 को 3.30 करोड रूपए) जो इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार निर्धारित निधि है।

(vi) इसमें इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के **42.80 करोड रूपए** (31 मार्च 2020 को 8.00 करोड रूपए) शामिल हैं।

(vii) इसमें इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के **30.07 करोड रूपए** (31 मार्च 2020 को 92.71 रूपए) शामिल हैं।

(vii) इरकॉन दावांनगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड के **26.46 करोड़ रूपए** (31 मार्च 2020 तकः शून्य) जो पंजाब नेशनल बैंक के पास जमा राशि है।

(viii) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के म्यांमार रोड प्रोजेक्ट के लिए विदेश मंत्रालय को जारी बैंक गारंटी के प्रति रखी गई है वह सावधि जमा का प्रतिनिधित्व करती है।

### 14.4 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **क. वसूली योग्य : रक्षित** | | |
| स्टाफ ऋण व अग्रिम | 0.16 | 0.41 |
| **ख. वसूली योग्य : अरक्षित** | | |
| स्टाफ ऋण व अग्रिम* | 0.79 | 1.21 |
| **कुल** | **0.95** | **1.62** |

*** निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा**

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| स्टाफ ऋण और अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि | - | 0.0020 |
| **कुल** | - | **0.0020** |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 14.5 चालू परिसंपत्तियां – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में )

| विवरण | फुटनोट | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|
| **प्रतिभूति जमा राशि** | | | | | |
| प्रतिभूति जमा राशि | | | | | |
| – सरकारी विभाग | | | 12.68 | | 17.50 |
| – अन्य | | | 132.80 | | 133.28 |
| संविदा परिसंपत्तिः | | | | | |
| – बिल योग्य राजस्व/प्राप्य किन्तु अदेय | (i) (क) एवं (ख) | | 183.37 | | 214.13 |
| – प्रगतिरत निर्माण कार्य (वास्तविक मूल्य पर) | (i) (ख) | | 153.06 | | 161.57 |
| – एससीए के अनुसार किया गया निर्माण लागत | (ii) | | 302.38 | | 434.57 |
| – ग्राहकों से प्रतिधारण राशि | (iii) | | 98.82 | | 14.55 |
| – ग्राहकों द्वारा आहरित राशि | (iii) | | 279.76 | | 192.09 |
| बयाना जमा राशि | | | 2.26 | | 0.26 |
| 12 महीनों से कम की परिवक्वता वाली सावधि जमा राशियां | | | 8.18 | | 8.57 |
| 12 महीनों से कम की परिवक्वता वाली सावधि जमा राशियां/बैंक गारंटियां | (iv) | | 0.26 | | – |
| संचित ब्याज | | | | | |
| – स्टाफ को अग्रिम | (v) | | 0.25 | | 0.51 |
| – संबंधित पक्षों को ऋण | | | 9.35 | | 8.15 |
| – रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम | | 160.72 | | 212.85 | |
| घटाः भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण पर संचित ब्याज | (vi) | (156.56) | 4.16 | (210.00) | 2.85 |
| – बैंकों में जमा राशि | | | 31.75 | | 33.20 |
| – बांड | | | 17.82 | | 17.86 |
| **शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटनः** | | | | | |
| भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि. | | | – | | – |
| 301 इक्विटी शेयर–10 रुपए ( 31 मार्च 2020: 301) | | | | | |
| अन्य वसूली योग्य | | | | | |
| (क) संबंधित वर्षों से (संयुक्त उपक्रम)) | | | | | |
| – इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर | | | 3.70 | | 3.66 |
| – मेट्रो टनलिंग ग्रुप | | | 4.64 | | 4.37 |
| – इरकॉन सोमा टोलवे प्रा लि | | | 0.02 | | 0.02 |
| – भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड | | | 0.96 | | 0.99 |
| – इरकॉन – एफकॉन जे वी | | | 0.68 | | 29.43 |
| – छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड | | | 0.20 | | 0.60 |
| – बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | | | 0.83 | | 0.56 |
| – महानदी कोयला रेलवे लिमिटेड | | | 1.82 | | 1.40 |
| – एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम | | | 0.51 | | – |
| (ख) रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलीडीए) से वसूली योग्य | | 639.95 | | 615.31 | |
| घटाः भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण | (vi) | (615.31) | 24.64 | (615.31) | – |
| (ग) ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावे | | | 20.64 | | 18.72 |
| (ड.) अग्रिम पट्टा किराया | | | 0.18 | | 0.19 |
| (च) अन्यें | (vii) एवं (viii) | | 10.68 | | 59.62 |
| **संदिग्ध समझे गए : अरक्षित** | | | | | |
| प्रतिभूति जमा राशियां | | | | | |
| – सरकारी विभाग | | | 0.12 | | 0.12 |
| – अन्य | | | 0.17 | | 0.26 |
| बयाना जमा राशि | | | 0.16 | | 0.16 |
| संविदा परिसंपत्ति | | | | | |
| – ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि | | | 5.99 | | 5.99 |
| – ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि | | | 3.16 | | 5.68 |
| इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड से प्राप्य | | | 0.05 | | 0.05 |
| रेल भूमि विकास प्राधिकरण से प्राप्य | | | 5.81 | | 5.81 |
| घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि व्यवस्था | | | (15.46) | | (18.07) |
| **कुल** | | | **1,306.40** | | **1,358.65** |

फुटनोट :–

(i) (क) इसमें ग्राहकों द्वारा प्रमाणित **23.22 करोड रूपए** ( 31 मार्च 2020 को 32.77 करोड रूपए) मूल्य के कार्य शामिल हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को बिल योग्य नहीं किया गया है।

(ख) इसमें **157.34 करोड रूपए** के संबंधित पक्षों से प्राप्य राशियां शामिल हैं (31 मार्च 2020 को 186.67 करोड रूपए) और इसे नोटः 37 (ग) 4.2 (क) में प्रकट किया गया है।

(ii) हाइब्रइड एनिविटी मॉडल (एचएएम) के अंतर्गत इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड और इरकॉन दावणगिरि हवेरी राजमार्ग लिमिटेड द्वारा निर्मित राजमार्ग से संबंधित निर्माण लागत

(iii) इसमें **67.79 करोड रूपए** के संबंधित पक्षों से प्राप्य राशियां शामिल हैं (31 मार्च 2020 को 35.13 करोड रूपए) और इसे नोटः 37 (ग) 4.2 (ख) में प्रकट किया गया है।

(iv) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के मामले में हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी को जारी बैंक गारंटी के प्रति रखी गई सावधि जमा का प्रतिनिधित्व करता है।

(v) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, **शून्य रुपए** (31 मार्च 2020 को शून्य रुपए) है।

निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा (₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| स्टाफ ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि पर ब्याज | – | 0.0028 |
| **कुल** | **–** | **0.0028** |

(vi) संदर्भ नोट 23.2 और 20.1(ii) ख

(vii) इसमें इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटैड के संबंध में इक्विटी सहायता के रूप में एनएचएआई से देय **शून्य रूपए** (31 मार्च 2020 को 46.94 करोड रूपए) शामिल हैं।

(viii) इसमें कोविड–19 के कारण मार्च 2020 में प्रदत्त अतिरिक्त रियायत शुल्क के कारण एनएचएआई से शून्य रूपए (31 मार्च 2020 को 0.41 करोड रूपए)रूपए शामिल हैं, जो इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड द्वारा एनएचएआई से आगामी माह में वसूली योग्य हैं।

## 15. दर सूचियां

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| टीडीएस और अग्रिम कंर सहित प्रदत्त कर (कर हेतु प्रावधान का निवलें) | 31.28 | 30.35 |
| वापसी योग्य आयकर | – | (0.19) |
| **चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)** | **31.28** | **30.16** |

## 16. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **वसूली योग्यः अरक्षित** | | |
| **पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम** | | |
| सामग्री और मशीन के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम | 384.06 | 279.63 |
| ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को अग्रिम | 706.10 | 688.67 |
| निम्नलिखित से वसूली योग्य अग्रिम | | |
| – बिक्री कर (टीडीएस सहित) | 321.17 | 340.14 |
| घटा : संरक्षणाधीन जमा राशि | (217.05) | (218.65) |
| – मूल्य संवर्धित कर | 87.75 | 86.94 |
| – वस्तु एवं सेवा कर | 540.64 | 423.35 |
| – सेवा कर इनपुट क्रेडिट | 0.01 | 0.01 |
| प्रतिभूति जमा | 28.72 | 28.72 |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **संचित ब्याज** | | |
| ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास जमाराशि | 78.10 | 79.67 |
| –आयकर धनवापसी | 0.20 | – |
| पूर्व प्रदत्त व्यय | 7.90 | 3.72 |
| आस्थगित सीएसआर व्यय | 7.12 | – |
| उचित मूल्य समायोजन | 0.01 | 0.01 |
| अन्य | 0.01 | 0.03 |
| **संदिग्ध समझे गए : अरक्षित** | | |
| ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को ऋण | 16.99 | 16.93 |
| बिक्री कर (टीडीएस सहित) | 35.04 | 36.05 |
| मूल्य संवर्धित कर | 7.18 | 7.18 |
| घटाः संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि व्यवस्था | (59.21) | (60.16) |
| **कुल** | **1,944.74** | **1,712.24** |

## 17. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

| विवरण | फुटनोट | 31मार्च 2021 को | 31मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|
| निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति | (i) तथा (ii) | 0.45 | 0.93 |
| **कुल** | | **0.45** | **0.93** |

**फुट नोट :**

(i) आर्थिक दृष्टि से मरम्मत के परे और/या निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (वसूलीयोग्य मूल्य और बही मूल्य के निम्नतर पर ):–

(₹ करोड़ में)

| परिसंपत्तियों का ब्लॉक | परिसंपत्तियों का विवरण | निपटान की विधि एवं संभावित समय | गैर चालू परिसंपत्तियों पर संभावित (हानि) / लाभ | सेगमेंट | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सकल ब्लाक | निवल ब्लॉक | सकल ब्लाक | निवल ब्लॉक |
| **संयंत्र और मशीनरी** | | | | | | | | |
| उत्तरी क्षेत्र | संयंत्र और मशीनरी (नोएडा वर्कशाप) | एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समया वर्ष 2021 के अंत तक | – | घरेलू : पीएमडी प्रभाग | 0.78 | 0.05 | 0.78 | 0.05 |
| उत्तरी क्षेत्र | संयंत्र और मशीनरी (डीएमआरसी सीई 6) | एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समया वर्ष 2021 के अंत तक | – | घरेलू | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0.01 |
| मलेशिया क्षेत्र | इंजन . 04 संख्या (15 संख्या) | खुली निविदा | – | अंतरराष्ट्रीय | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| | रेलपथ मशीन–शून्य (5), होपर वैगन–2 (शून्य), फ्लैट वेगन–10(9), चौड़े बेस वाला ट्रैक्टर–शून्य (2) और रेल डिब्बे–2 (शून्य) | सीमित निविदा | – | अंतरराष्ट्रीय | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 |
| | इलैक्ट्रिक चेन होस्ट प्रणाली | सीमित निविदा | – | अंतरराष्ट्रीय | 0.01 | 0.01 | – | – |

| परिसंपत्तियों का ब्लॉक | परिसंपत्तियों का विवरण | निपटान की विधि एवं संभावित समय | गैर चालू परिसंपत्तियों पर संभावित (हानि) / लाभ | सेगमेंट | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सकल ब्लाक | निवल ब्लॉक | सकल ब्लाक | निवल ब्लॉक |
| मोजांबीक परियोजना | संयंत्र और मशीनरी | | – | अंतरराष्ट्रीय | - | - | 5.90 | 0.29 |
| **कार्यालय उपकरण** | | | | | | | | |
| मलेशिया क्षेत्र | कार्यालय उपकरण : 28 (0), वातानुकूलन : 17 (0) और इलैक्ट्रिकल उपकरण : 68 (0) | सीमित निविदा | – | अंतरराष्ट्रीय | 0.03 | - | 0.03 | - |
| **फर्नीचर और फिक्सचर** | | | | | | | | |
| मलेशिया क्षेत्र | 79 फर्नीचर मदें | सीमित निविदा | – | अंतरराष्ट्रीय | - | - | 0.01 | - |
| **फ्रीहोल्ड भवन – आवासीय** | | | | | | | | |
| दक्षिणी क्षेत्र | फ्रीहोल भवन – आवासीय – चेन्नई | खुली निविदा | – | घरेलू | 0.38 | 0.28 | 0.38 | 0.28 |
| **कुल** | | | | | **1.49** | **0.45** | **7.59** | **0.93** |

(ii) **नोटः** परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे उसके वहन राशि और पुन वर्गीकरण पर बिक्री की लागत घटा उचित मूल्य पर मापा गया है। तदनुसार, **0.003 करोड़ रूपए** (मार्च 2020 0.01 करोड रूपए) के लिए हानि का प्रावधान किया गया है।

## 18. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **प्राधिकृत शेयर पूंजी** | | |
| 200,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 2 रुपए/ संदर्भ नोट सं 18(ड.) | | |
| (40,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2020 को) | 400.00 | 400.00 |
| | **400.00** | **400.00** |
| **जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी** | | |
| 47,02,57,870 इक्विटी शेयर प्रति 2 रुपए/ संदर्भ नोट सं 18(ड.) | | |
| (9,40,51,574 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2020 को) | 94.05 | 94.05 |
| | **94.05** | **94.05** |

### (क) 5 प्रतिशत से अधिक के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के शेयर धारकों का ब्यौरा

| शेयरधारक का नाम | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | श्रेणी में धारण प्रतिशत | शेयरों की संख्या | श्रेणी में धारण प्रतिशत |
| भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को – संदर्भ नोट सं 18(ड.) | 34,41,50,825 | 73.18% | 8,38,78,417 | 89.18% |

**(ख) रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए बोनस के रुप में जारी इक्विटी शेयर, रोकड से इतर समझे जाने के लिए जारी शेयर और वापस लाए गए शेयरों का ब्यौरा :**

| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | शेयरों की संख्या | शेयरों की संख्या | शेयरों की संख्या | शेयरों की संख्या | शेयरों की संख्या |
| रोकड़ से इतर जारी इक्विटी शेयर | – | – | – | – | – | – |
| बोनस शेयर के रुप में जारी इक्विटी शेयर | – | – | – | – | 7,91,84,000 | – |
| इक्विटी शेयर बाय बैक | – | – | – | 49,28,426 | – | – |
| **कुल** | **–** | **–** | **–** | **49,28,426** | **7,91,84,000** | **–** |

वर्ष 2017–18 निवेश एवं जन सम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) ने इरकॉन को निदेश दिया है कि वे समग्र प्रदत्त इक्विटी के 5 प्रतिशत तक शेयरों के बायबैक करे। कुल 49,41,818 शेयरों को बायबैक करने का प्रस्ताव है, जो कि इन शेयरों की बुक वैल्यु पर होगा। निदेशक मंडल ने 21.09.2017 की अपनी 236वीं बैठक में प्रति 10 रुपए के अपने पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बायबैक को अनुमोदन प्रदान किया है, जो कि मौजूदा शेयरधारकों से 49,41,818 शेयरों से आधक नहीं होंगे। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की समापन तिथि यथा 04.12.2017 को भारत सरकार द्वारा धारित 49,28,426 शेयरों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

**(ग) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/अधिकार :**

**(i) वोटिंग**

समूह में केवल 2 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

**(ii) दिवालियापन**

समूह के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के वितरण के पश्चात, समूह की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी।

**(iii) लाभांश**

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के मद्देनजर है।

**(घ) वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का समायोजन**

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | रूपए करोड़ में | शेयरों की संख्या | रूपए करोड़ में |
| वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर | 9,40,51,574 | 94.05 | 9,40,51,574 | 94.05 |
| जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर | – | – | – | – |
| जमाः शेयरों के विघटन के कारण शेयरों की संख्या में वृद्धि (संदर्भ नोट सं. 18(ड.) | 37,62,06,296 | – | – | – |
| वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर | **47,02,57,870** | **94.05** | **9,40,51,574** | **94.05** |

**(ड.)** दिनांक 22 मार्च, 2020 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों ने मंजूरी दी है:

(i) 10/– रुपये के अंकित मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर को 2/– रूपए के अंकित मूल्य वाले पांच इक्विटी शेयरों में विघटन जो स्टॉक एक्सचेंजों में दिनांक 3 अप्रैल, 2020 से परिलक्षित हो चुका है।

(ii) धारक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में संशोधन किया।

**(च)** इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 5 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी 268वीं बैठक में 1:1 के अनुपात में 2/– रुपये के 47,02,57,870 पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। (अर्थात शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में 21 मई, 2021 के साथ प्रत्येक मौजूदा 1 (एक) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर जारी करना। एनएसई और बीएसई से अंतिम लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमोदन किया गया 31 मई, 2021 को प्राप्त हुआ। बोनस के बाद, समूह की चुकता शेयर पूंजी 188,10,31,480 रुपये है जो 94,05,15,740 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 19. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| प्रतिधारित आमदनी | 1,024.61 | 791.85 |
| आरक्षित निधि | 3,284.64 | 3,284.64 |
| पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि | 4.93 | 4.93 |
| अन्य वृहत आय | (5.10) | (4.19) |
| **कुल** | **4,309.08** | **4,077.23** |

**i) निम्नानुसार संचलन**

**क. प्रतिधारित आमदनी**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **आरंभिक शेष** | **791.85** | **580.93** |
| लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक का अंतरण | 391.06 | 485.27 |
| लाभांश कर सहित वर्ष के दौरान घोषित और प्रदत्त लाभांश | (96.87) | (122.74) |
| अंतरिम लाभांश और उस पर कर | (61.13) | (152.50) |
| निर्धारित लाभ योजना का पुनःमापन (कर का निवल) | (0.30) | 0.89 |
| **समापन शेष** | **1,024.61** | **791.85** |

**ख. सामान्य आरक्षित निधि**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **आरंभिक शेष और अंतिम शेष** | **3,284.64** | **3,284.64** |

**ग. पूंजी रिडम्पशन आरक्षित निधि**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **आरंभिक शेष और अंतिम शेष** | **4.93** | **4.93** |

**घ. अन्य वृहत आय**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **आरंभिक शेष** | **(4.19)** | **(0.33)** |
| वर्ष के दारान विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल) | (0.91) | (3.86) |
| **अंतिम शेष** | **(5.10)** | **(4.19)** |
| **सकल योग (क+ख+ग+घ)** | **4,309.08** | **4,077.23** |

**ii) निम्नानुसार संचलन**

**(क) प्रतिधारित आमदनियां**

प्रतिधारित आमदनियां समूह के आवतरित लाभों को प्रस्तुत करती हैं।

**(ख) सामान्य आरक्षित निधि**

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधियों को प्रदर्शित करता है, यह निगमित नियमों के अनुसार है, जहां लाभ के एक भाग को सामान्या आरक्षित निधि में नियोजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सामान्य आरक्षित निधि में किसी राशि को अंतरित करने का विशेषाधिकार समूह का है।

**(ग) पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि**

धारक कंपनी ने दिनांक 26 दिसंबर 2017 को शेयरों के बायबैक क पश्चात लाभों में से पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि का सृजन किया है।

**(घ) अन्य वृहत आय की मदें**

अन्य वृहत आय में विदेशी प्रचालनों पर अंतरित विनिमय अंतर के कारण शेष राशि का प्रदर्शित करता है।

**iii) लाभांश संवितरण**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| घोषित/भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश वित्तीय वर्ष 2019–20 को अंतिम लाभांश जिसे वर्ष 2020–21 में भुगतान किया गया 2.06 प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रदत्त 2.165 प्रति शयर ) संदर्भ नोट 18(ड.) | 96.87 | 101.81 |
| अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर | – | 20.93 |
| 2020–21 के दौरान अंतरिम लाभांश : 1.30 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2019–20: 2.69 रुपए प्रति शेयर) (संदर्भ नोट 18(ड.) | 61.13 | 126.50 |
| अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर | – | 26.00 |
| कुल | **158.00** | **275.24** |

**iv) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वीकार न किया गया लाभांश :**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है: | | |
| 31 मार्च 2021 के लिए लाभांश: 1.32 रूपए प्रति शेयर (31 मार्च 2020: 1.03 रूपए प्रति शेयर) बोनस इश्यू के आधार पर पुनर्गठित। नोट 18 (ड.) और 18 (च) | 124.15* | 96.87 |
| अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर | – | – |
| **कुल** | **124.15** | **96.87** |

अपनी आगामी बैठक में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अंतिम लाभांश को संशोधित करके 2/– रु. प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर प्रति शेयर 1.70 रु. कर दिया है और तदनुसार कुल देय लाभांश 159.89 करोड़ है।

## 20. गैर चालू देयताएं – वित्तीय देयताएं

### 20.1 गैर चालू वित्तीय देयताएं – कर्ज

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| **बैंकों से ऋण** | | | | |
| **रक्षित :** | | | | |
| पंजाब नेशनल बैंक से ऋण (नीचे नोट–i का संदर्भ लें) | | 312.09 | | – |
| **अन्यों से ऋण:** | | | | |
| **अरक्षित** | | | | |
| भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण (नीचे नोट i ख का संदर्भ लें) | 1,230.61 | | 1,845.92 | |
| घटा: रेल भूमि विकास प्राधिकरण से वसूली (आरएलडीए) {संदर्भ नोट सं. 10.3} | (1,230.61) | – | (1,845.92) | – |
| **कुल** | | **312.09** | | **–** |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

नोटः

**i) पुनर्भुगतान शर्तों, ब्याज दर और प्रतिभूति प्रकटन का ब्यौरा :**

**क बैंकों से रक्षित ऋण**

**निबंधन और शर्तें:**

इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड के पक्ष में बैंक द्वारा 502.76 करोड़ रूपए का ऋण स्वीकृत किया गया और रिपोर्टिंग तिथि तक वितरित ऋण रु. 330.93 करोड़ है, जिसमें से 18.84 करोड रूपए को नोट 23.2 में दर्शाए गए हैं। चुकौती अवधि 10 वर्ष और 6 महीने होगी (24.04.2021 से आरंभ और 24.07.2031 को अंतिम किस्त)

सावधि ऋण का पुनर्भुगतान 42 तिमाही किश्तों में किया जाएगा जो दिनांक 24 अप्रैल 2021 से आरंभ होंगी।

धारक कंपनी की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी द्वारा समर्थित सावधि ऋण (केअर एएए रेटेड)

**ब्याज दर :**

ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर 1 वर्ष की एमसीएलआर (7.35 प्रतिशत–सितंबर 2020) +0.60 प्रतिशत अर्थात 7.95 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। वर्तमान में समय–समय पर परिवर्तन के अधीन है।

जब कभी देय होगा, ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

**प्रतिभूति का ब्यौराः**

(क) सहायक कंपनी की सभी अचल संपत्ति/ चल संपत्ति (परियोजना परिसंपत्तियों के अतिरिक्त, संचालन चरण में सहायक कंपनी के मुक्त प्रवाह से प्राप्त की गई संपत्ति को छोड़कर) के आडमार के माध्यम से पहला प्रभार और ऋणदाता को इस संबंध में समय–समय पर सूचित किया जा रहा है ।

(ख) परियोजना के बही ऋण पर पहला प्रभार, नकदी प्रवाह, प्राप्य, कमीशन, जो भी प्रकृति का राजस्व और जहां भी उत्पन्न होता है, वर्तमान और भविष्य की अमूर्त, सद्भावना और अवांछित पूंजी (वर्तमान और भविष्य) का संचालन करता है।

(ग) परियोजना बैंक खाते पर पहला शुल्क, जिसमें नामित बैंक में खोले गए एस्क्रो खाते तक सीमित नहीं है, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किया जाएगा और आय का उपयोग ऋणदाता द्वारा तय की जाने वाली तरीके और प्राथमिकता में किया जाएगा।

(घ) उधारकर्ता के पक्ष में परियोजना से संबंधित किसी भी अनुबंध के लिए परियोजना के सभी समझौते, ऋण पत्र (यदि कोई हो), और गारंटी और निष्पादन बांड के तहत सभी सहायक कंपनी के अधिकारों और ब्याज का निर्धारण।

(ड.) प्राधिकरण द्वारा सुविधाओं के लिए देनदाओं की ओर से प्रतिस्थापन करार का निष्पादन किया गया है।

(च) सभी लागू बीमा नीतियों का आकलन।

**ख अन्यों से अरक्षित ऋण**

**(क) अरक्षित ऋण की निबंधन और शर्तें:**

समूह ने भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण प्राप्त किया है, जो कि पट्टा करार की शर्तों के अनुसार रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को भुगतान किया गया है। आरएलडीए और समूह के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, मूल राशि और ब्याज की सभी किश्तों और किसी प्रकार की चूक या आतरिक्त ब्याज, तथा अन्य लागतें, व्यय और ऋण से संबंधित प्रभारों (या ऋण करार के के अनुसरण में अन्यथा देय) का भुगतान समूह को आरएलीडीए द्वारा किया जाएगा। ऋण की मूल राशि का पुनर्भुगतान 15 अप्रैल 2019 को आरंभ होगा जिसे पांच किश्तों में दिया जाएगा (नोट सं. 10.3 (फुट नोट–v)।

**(ख) ब्याज दर :**

(i) समूह प्रतिवर्ष 8.77 प्रतिशत की दर पर समय समय पर ऋण अग्रिम और बकाया की मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करेगी (लागू ब्याज दर) (विशिष्ट रुप से ब्याज कर, सेवाकर तथा/या ऐसा कोई अन्य कर/उपकर/ड्यूटी )। लागू ऐसे कर/उपकर/ड्यूटी, यदि कोई हो, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों के आतरिक्त ऋणधारक द्वारा ऋणदाता को देय होगा (उसी रुप व समय में जैसा कि मूल तथा ब्याज के लिए है)।

(ii) लागू कर दर दीर्घकालीन मुद्रा के लिए निर्धारित की जाएगी।

**(ग) समझौता ज्ञापन की समाप्ति (एमओयू)**

कुछ निश्चित घटनाओं के घटित होने पर समझौता ज्ञापन समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद इरकॉन को आईआरएफसी, इरकॉन, आरएलडीए और रेल मंत्रालय (एमओआर) के बीच सहमति के अनुसार ऐसी इकाई को प्रतिस्थापित किया जाएगा। रेल मंत्रालय इस समझौते की समाप्ति पर ऋण समझौते के तहत संपूर्ण बकाया राशि का पूर्व भुगतान करने का हकदार होगा।

**घ) आईआरएफसी से ऋण की भरपाई और आरएलडीए से वसूली योग्य**

आरएलडीए और समूह के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (''एमओयू'') के पैरा 2.4 के अनुसार, मूलधन और ब्याज की सभी किश्तें, साथ ही कोई चूक या अतिरिक्त ब्याज, और ऋण से जुड़ी अन्य लागतें, खर्च और शुल्क (या अन्यथा ऋण समझौते के तहत या उसके अनुसार देय), समूह को आरएलडीए द्वारा भुगतान किया जाएगा।

समूह के पास आईआरएफसी के संबंध में ऋण देयता को निर्धारित करने और एमओयू के अनुसार आरएलडीए से वसूल करने का कानूनी रूप से लागू योग्य अधिकार है और साथ ही साथ आरएलडीए से प्राप्त आय के साथ आईआरएफसी से ऋण का निपटान करने की वित्तीय व्यवस्था है। तदनुसार, इंड एएस–32 के प्रावधान के अनुसार आरउलडीए से वसूली योग्य राशि और आईआरएफसी से ऋण की भरपाई की गई है और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है।

### 20.2 गैर चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | – | – |
| (ख) अन्य सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से इतर | | |
| (i) संविदा और आपूर्तिकर्ता | – | – |
| **कुल** | **–** | **–** |

### 20.3 गैर चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| जमा राशि व प्रतिधारण राशि | 282.72 | 393.30 |
| ग्राहकों को देय राशि | 0.23 | 0.23 |
| ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज | – | 7.08 |
| पट्टा देयताएं | 0.15 | 0.14 |
| **कुल** | **283.10** | **400.75** |

## 21. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | फुट नोट | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान | 21.1 | 95.01 | 109.26 |
| अन्य प्रावधान | 21.2 | 214.86 | 209.47 |
| | | **309.87** | **318.73** |
| **चालू** | | **202.29** | **239.83** |
| **गैर चालू** | | **107.58** | **78.90** |

इंड एएस 37 की अपेक्षाओं के अंतर्गत यथापेक्षित संचलन प्रावधानों का प्रकटन निम्नानुसार है :

### 21.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानः

(क) अवकाश नकदीकरण, निपटान भत्ते, सेवानिवृत्तिपूर्व लाभ, निष्पादन संबंधी वेतन एवं अवकाश यात्रा रियायत के प्रयोजन हेतु प्रावधान किए गए हैं।

(ख) इंड एएस–19 'कर्मचारी लाभों' के अनुसार प्रकटन हेतु नोट 36 में प्रावधान किए गए हैं।

(ग) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान के के वहन मूल्य में संचल के लिए प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | उपदान | अवकाश वेतन* | सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | निष्पादन संबंधी वेतन | अवकाश यात्रा रियायत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31 मार्च 2020 को** | **0.03** | **68.52** | **1.28** | **10.45** | **28.86** | **0.11** | **109.25** |
| चालू | – | 8.52 | 0.18 | 10.45 | 28.86 | – | **48.01** |
| गैर चालू | 0.03 | 60.00 | 1.10 | – | – | 0.11 | **61.24** |
| वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 0.01 | 10.11 | 0.15 | 4.72 | 11.73 | 0.01 | **26.73** |

| विवरण | उपदान | अवकाश वेतन* | सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | निष्पादन संबंधी वेतन | अवकाश यात्रा रियायत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घटा: वर्ष के दौरान उपयोग | – | (6.68) | (0.03) | (10.45) | (19.51) | – | **(36.67)** |
| घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता | – | (1.88) | – | – | (2.15) | (0.01) | **(4.04)** |
| (विनिमय लाभ)/हानि | – | (0.13) | (0.13) | – | – | – | **(0.26)** |
| **31 मार्च 2021 को** | **0.04** | **69.94** | **1.27** | **4.72** | **18.93** | **0.11** | **95.01** |
| **चालू** | **–** | **8.31** | **0.16** | **4.72** | **18.93** | **0.02** | **32.14** |
| **गैर चालू** | **0.04** | **61.63** | **1.11** | **–** | **–** | **0.09** | **62.87** |

* विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों के लिए 1.38 करोड रूपए शामिल हैं, जिसमें अवकाश वेतन प्रावधान वास्तविक आधार पर किया गया है।

## 21.2 अन्य प्रावधान

प्रावधानों और संचलनों की प्रकृति के संबंध में इंड एएस 37 के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:

### (क) डिमोबिलाइजेशन प्रावधान

समूह ने विदेशी परियोजनाओं के संबंध में श्रमशक्ति और संयत्र एवं उपकरण के डिमोबिलाइजेशन के प्रति व्ययों के पूरा करने के लिए डिमोबिलाइजेशन प्रावधान किए हैं।

### (ख) अनुरक्षण प्रावधान

लागत जमा संविदा में, अनुरक्षण के लिए प्रावधान किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य है।

मद दर तथा एकमुश्त टर्नकी संविदाओं में संविदागत दायित्वों, उपठेकेदार के दायित्वों, प्रचालनिक टर्नओवर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए समूह के दायित्व को कवर किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, प्रमुख अनुरक्ष हेतु प्रावधान टोलरोढ के प्रचालन हेतु अनुरक्षण नियमावली की तर्ज पर बनाए गए हैं।

### (ग) विधिक मामले

विधि मामलों के लिए प्रावधान दायित्व को प्रस्तुत करते हैं, जिनकी नयालयों, मध्यस्थता और अपील संबंधी मामलों के संबंध में सफल होने की संभावना होती है।

### (घ) अन्य व्यय के लिए प्रावधान

अन्य व्यय हेतु प्रावधान अप्रत्यक्ष करों और अन्यों के संबंध में संभावित कर देयताओं को प्रदर्शित करते हैं।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | डीमोबिलाइजेशन | अनुरक्षण | विविध संविदाएं | अन्य व्यय | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| **31 मार्च 2020 को** | **14.01** | **42.48** | **45.18** | **107.81** | **209.48** |
| चालू | 12.76 | 26.07 | 45.18 | 107.81 | **191.82** |
| गैर चालू | 1.25 | 16.41 | – | – | **17.66** |
| वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 0.04 | 31.65 | 16.88 | 7.01 | **55.58** |
| घटा: वर्ष के दौरान उपयोग | (0.01) | (3.62) | (2.56) | (13.02) | **(19.21)** |
| घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता | (0.13) | (1.95) | (1.41) | (27.93) | **(31.42)** |
| (विनिमय लाभ)/हानि | (0.39) | (0.95) | – | 0.55 | **(0.79)** |
| बट्टा खाता | 0.02 | 1.20 | – | – | **1.22** |
| **31 मार्च 2021 को** | **13.54** | **68.81** | **58.09** | **74.42** | **214.86** |
| **चालू** | **12.46** | **25.18** | **58.09** | **74.42** | **170.15** |
| **गैर चालू** | **1.08** | **43.63** | **–** | **–** | **44.71** |

## 22. अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **क) संविदागत देयताएं** | | |
| ग्राहकों से अग्रिम | 333.50 | 267.88 |
| **ख) अन्य** | | |
| एमएसी के उप पट्टे से अपफ्रंट राशि | 31.46 | 30.28 |
| कुल | **364.96** | **298.16** |

## 23. चालू देयताएं – चालू वित्तीय देयताएं

### 23.1 चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार देय राशियां

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| (क) सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम | 14.77 | 8.08 |
| (ख) सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम से इतर | | |
| (i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता | 743.25 | 581.11 |
| **Total** | **758.02** | **589.19** |

नोटः

क) कंपनी अधिनियम, 2013/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नोट 45 में किया गया है।

### 23.2 चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| दीर्घकालीन ऋण की चालू परिपक्वताएं | | | | |
| (क) पंजाब नेशनल बैंक से रक्षित ऋण | | 18.84 | | – |
| (ख) भारतीय रेलवे वित्त निगम से अरक्षित ऋण | 615.31 | | 615.31 | |
| घाटाः रेल भूमि विकास प्राधिकरण से वसूली /संदर्भ नोट सं. i | (615.31) | – | (615.31) | – |
| पंजाब नेशनल बैंक से रक्षित ऋण पर संचित ब्याज | | 2.23 | | – |
| भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण पर संचित ब्याज | 156.56 | | 210.00 | |
| घटाः रेल भूमि विकास प्राधिकरण से ऋण पर संचित ब्याज/संदर्भ नोट सं. i | (156.56) | – | (210.00) | – |
| देय उपदान | | 4.72 | | 3.32 |
| जमाराशि, प्रतिधारण राशि और रोकी गई राशि | | 1,106.20 | | 952.84 |
| ग्राहकों को देय राशि | | 795.60 | | 671.46 |
| ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज | | 287.33 | | 252.17 |
| अन्य देय (कर्मचारी देय राशियों सहित) | | 228.40 | | 234.42 |
| पट्टा देयता | | 0.01 | | 0.03 |
| **कुल** | | **2,443.33** | | **2,114.24** |

**फुट नोट :**

(i) संदर्भ नोट 14.5 और 20.1(i) (ख)

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 24. वित्तीय चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **क) संविदागत देयता** | | |
| ग्राहकों से अग्रिम | 2,054.00 | 2,039.86 |
| – घटा: संरक्षणाधीन जमा राशियां | (217.05) | (218.65) |
| अग्रिम संविदा प्राप्तियां | 243.38 | 263.78 |
| **ख) अन्य** | | |
| सांविधिक देय राशिया (संदर्भ फुटनोट (i)) | 210.51 | 169.88 |
| एमएफसी के उपट्टे से अपफ्रंट राशि | 1.43 | 1.43 |
| **कुल** | **2,292.27** | **2,256.30** |

नोट :

क) सांविधिक देयों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सांविधिक देय राशियों के लिए देयताएं शामिल हैं।

### 25. चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| कर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर का निवल) (संदर्भ नोट सं.48 (क)) | 87.21 | 32.03 |
| **कुल** | **87.21** | **32.03** |

### 26. प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| संविदा राजस्व | 4,992.81 | 5,095.97 |
| टोल प्रचालन से राजस्व | 153.62 | 139.36 |
| एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में समूह का भाग (गैरनिगमित) | 0.51 | – |
| मशीनरी किराया प्रभार | 3.75 | 16.66 |
| एमएफसी पट्टा | 11.08 | 16.65 |
| परियोजना प्रबंधन परामर्श | 167.76 | 106.65 |
| अन्य प्रचालनिक राजस्व | 12.43 | 15.82 |
| **कुल** | **5,341.96** | **5,391.11** |

### 27. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|---|
| **ब्याज आय:** | | | | |
| कर मुक्त बांड पर ब्याज | | 22.04 | | 22.10 |
| आयकर धनवापसी पर ब्याज | | 0.59 | | 0.15 |
| स्टॉफ अग्रिम पर ब्याज | | 0.10 | | 0.10 |
| संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज; संदर्भ नोट (i)) | | 1.81 | | 3.61 |
| अग्रिमों और अन्य पर ब्याज | 74.11 | | 27.10 | |
| घटा : ग्राहकों को अंतरित अन्य ब्याज | (21.89) | 52.22 | (9.35) | 17.75 |
| वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज आय | | – | | 0.14 |
| सकल बैंक ब्याज | 114.13 | | 168.26 | |
| घटा : ग्राहकों को अंतरित ब्याज | (55.15) | 58.98 | (110.78) | 57.48 |
| **अन्य :** | | | | |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|---|
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ | | 3.83 | | 29.08 |
| म्युचुवल फंड की बिक्री से लाभ | 2.36 | | 0.96 | |
| घटा – ग्राहकों को प्रदान म्युचुवल भंड की बिक्री पर लाभ | (0.35) | 2.01 | – | 0.96 |
| विविध आय (संदर्भ नोट (ii)) | 24.17 | | 13.08 | |
| घटा: बीमा दावा पारित | (1.26) | 22.91 | – | 13.08 |
| विनिमय उच्चावचन लाभ | – | | 17.87 | |
| घटा: विनिमय उच्चावचन घाटा | – | – | (17.75) | 0.12 |
| संयुक्त उपक्रम कंपनियों से लाभांश आय | | 17.00 | | – |
| अन्य निवेशों से लाभांश आय | – | | 6.15 | |
| घटा : ग्राहकों को अंतरित लाभांश | – | – | (2.15) | 4.00 |
| **कुल** | | **181.49** | | **148.57** |

फुट नोटः–

### (i) संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याजः

(₹ करोड़ में)

| संबंधित पक्षों का विवरण | 2020–21 | 2019–20 |
|---|---|---|
| – छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | 1.81 | 3.61 |
| | **1.81** | **3.61** |

(ii) एकीकत्रत संयुक्त प्रचालनों में अन्य आय में समूह का भाग सहित (गैर निगमित) **0.43 करोड रूपए** (वित्तीय वर्ष 2019–20: 0.39 करोड रूपए)

## 28 (i) प्रयुक्त सामग्री और भंडारण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | फुटनोट | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|
| आरंभिक शेष | | 57.28 | | 54.77 | |
| जमाः वर्ष के दौरान खरीद | (i) | 376.45 | | 352.22 | |
| | | 433.73 | | 406.99 | |
| घटाः अंतिम शेष | | (67.10) | 366.63 | (57.28) | 349.71 |
| कुल | | | **366.63** | | **349.71** |

**फुट नोटः**

**(0.38) करोड़** (31 मार्च 2020 को (1.70.करोड़) रुपये का विनिमय लाभ/(हानि) शामिल है जो कार्यात्मक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में अंतरण के कारण है।

## 28 (ii) प्रगतिरत कार्य में (वृद्ध)/कमी

(₹ in crore)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| आरंभिक शेष | 263.38 | | 277.17 | |
| जमाः विनिमय लाभ/(हानि) हेतु वर्ष के दौरान समायोजन | (1.57) | | 2.10 | |
| | 261.81 | | 279.27 | |
| घटाः अंतिम शेष | (50.04) | 211.77 | (263.38) | 15.89 |
| **कुल** | | **211.77** | | **15.89** |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 28 (iii) परियोजना और अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | फुट नोट | परियोजना व्यय | | अन्य व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए |
| कार्यगत व्यय | (i) | 3,824.16 | 4,093.20 | – | – |
| टोल प्रचालन और अनुरक्षण व्यय | | 16.00 | 15.93 | – | – |
| अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार | | 5.77 | 3.62 | – | – |
| निरीक्षण, भू–तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि | | 23.39 | 20.86 | – | – |
| मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण | | 7.22 | 4.77 | – | – |
| मशीनरी का किराया प्रभार | | 6.16 | 7.45 | – | – |
| विनिमय उच्चावचन हानि | | – | – | 12.26 | – |
| घटा : विनिमय उच्चावचन लाभ | | – | – | (4.29) | – |
| निवल विनिमय उच्चावचन हानि | | – | – | 7.97 | – |
| किराया–गैर आवासीय | | 4.26 | 5.52 | 1.05 | 1.50 |
| दर एवं कर | | 25.14 | 32.14 | 1.63 | 1.01 |
| वाहन प्रचालन व अनुरक्षण | | 8.72 | 12.84 | 1.88 | 1.81 |
| मरम्मत और रखरखाव | | | | | |
| – भवन | | 0.18 | 0.04 | 0.73 | 0.91 |
| – कार्यालय तथा अन्य | | 2.55 | 3.23 | 4.67 | 5.04 |
| बिजली, विद्युत व जल प्रसार | | 6.20 | 5.17 | 1.48 | 1.76 |
| बीमा | | 8.93 | 6.06 | 0.41 | 0.45 |
| यात्रा और वाहन | | 2.93 | 12.19 | 0.83 | 2.71 |
| मुद्रण एवं लेखन सामग्री | | 0.81 | 1.14 | 0.55 | 0.88 |
| डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स | | 1.22 | 1.49 | 0.39 | 0.56 |
| विधिक और व्यावसायिक प्रसार | | 15.10 | 21.14 | 6.70 | 6.54 |
| सुरक्षा सेवाएं | | 1.60 | 1.61 | 0.77 | 0.69 |
| सूचीकरण व्यय | | – | – | 0.14 | 0.23 |
| व्यवसाय संर्वधन | | 0.08 | 0.19 | 0.28 | 0.98 |
| बट्टा खाता: | | | | | |
| – ऋण | | – | – | – | – |
| – अग्रिम | | 0.06 | – | – | – |
| – विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | | 15.07 | – | – | – |
| – अन्य परिसंपत्तियां | | 0.47 | 0.04 | – | – |
| परिसंपत्ति/ भंडार की बिक्री से हानि | | – | – | 0.08 | 0.55 |
| निदेशकों की फीस | | – | – | 0.10 | 0.21 |
| चंदा | | – | – | – | 0.02 |
| लेखापरीक्षकों की फीस | (iv) | – | – | 0.69 | 0.79 |
| विज्ञापन और प्रसार | | 0.01 | – | 2.60 | 4.20 |
| प्रशिक्षण और भर्ती | | – | – | 0.07 | 1.22 |
| निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट–46 का संदर्भ लें) | | – | – | 10.59 | 10.18 |
| विविध व्यय | | 3.16 | 5.99 | 1.82 | 2.50 |
| बैंक और अन्य वित्तीय प्रभार | | – | – | 0.07 | 0.03 |
| सांविधिक देय के विलिंबित भुगतान पर ब्याज | | – | – | 0.12 | 0.05 |
| शुल्क और अंशदान प्रभार | | – | – | 0.03 | 0.11 |
| एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में कंपनी के व्यय का आनुपातिक भाग (गैरनिगमित) | | 0.03 | 0.22 | – | – |
| प्रावधान जमा –बट्टा खाता (नोट–21 का संदर्भ लें) | (ii) | 14.14 | 41.09 | – | – |
| उपयोग किया गया प्रावधान (नोट–21 का संदर्भ लें) | (iii) | (19.45) | (198.45) | – | – |
| प्राथमिक व्यय | | 0.05 | – | – | – |
| **कुल** | | **3,973.96** | **4,097.48** | **45.65** | **44.93** |

फुट नोटः

i) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एजेंसी कमीशन के पट्टेखाते/रिवर्सल सहित, जो 84.13 करोड रूपए की राशि हेतु विदेशी परियोजनाओं को देय है।

ii) संदिग्ध अग्रिम और ऋणों के प्रति अतिरिक्त बट्टा खाता प्राधानान **(10.03) करोड रूपए** (वित्तीय वर्ष 2019–20:–10.46 करोड रूपए)

iii) संदिग्ध अग्रिमों के प्रति **0.23 करोड रूपए** (वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए **0.01 करोड रूपए**)

iv) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| (क) लेखापरीक्षा फीस – चालू वर्ष | 0.36 | 0.37 |
| (ख) कर लेखापरीक्षा फीस–चालू वर्ष | 0.10 | 0.10 |
| (ग) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क | 0.18 | 0.17 |
| (घ) प्रमाणन शुल्क | 0.03 | 0.07 |
| (ड.) यात्रा और तुरन्त देय व्यय | | |
| – यात्रा व्यय | 0.01 | 0.03 |
| – आउट ऑफ पॉकेट व्यय | 0.01 | 0.05 |
| **कुल** | **0.69** | **0.79** |

## 29. कर्मचारी पारिश्रमिक व लाभ

(₹ करोड़ में)

| विवरण | फुट नोट | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | | | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परियोजना व्यय | अन्य व्यय | कुल | परि | अन्य व्यय | कुल |
| वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस | (i) | 154.03 | 51.36 | **205.39** | 161.33 | 69.42 | **230.75** |
| भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान | | 9.44 | 5.04 | **14.48** | 9.71 | 3.90 | **13.61** |
| विदेशी सेवा अंशदान | | 0.82 | 0.79 | **1.61** | 0.96 | 0.92 | **1.88** |
| सेवानिवृत्ति लाभ | | 17.71 | 6.83 | **24.54** | 17.84 | 13.58 | **31.42** |
| कर्मचारी कल्याण | | 1.14 | 0.23 | **1.37** | 1.31 | 0.37 | **1.68** |
| **कुल** | | **183.14** | **64.25** | **247.39** | **191.15** | **88.19** | **279.34** |

फुट नोट :

(i) **0.50 करोड़ रुपए** के गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर आयकर शामिल हैं (31 मार्च 2020 को : 0.51 करोड़ रुपए)।

## 30. वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

| विवरण | फुटनोट | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज व्यय | (i) | 177.31 | | 239.00 | |
| घटाः रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम पर ब्याज | | (164.81) | 12.50 | (220.35) | 18.65 |
| अन्य ऋण लागत | | | | | |
| – बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार | | | 9.57 | | 7.78 |
| पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत | | | 0.01 | | – |
| वित्तीय माध्यमों का परिशोधन | | | – | | 0.14 |
| प्रावधानों पर छूटों का अप्रयोग | | | 1.22 | | 1.27 |
| **कुल** | | | **23.30** | | **27.84** |

फुट नोट :

**1.21 करोड़ रुपए** के आयकर पर ब्याज शामिल हैं (31 मार्च 2020 को : 6.66 करोड़ रुपए)।

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 31. मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| संपत्ति संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास | 18.41 | 14.74 |
| प्रयोग अधिकार –पट्टा परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास | 0.37 | 0.33 |
| अमूर्त परिसंपत्तियां का परिशोधन | 66.38 | 66.76 |
| निवेश परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास | 6.93 | 1.10 |
| परिसंपत्तियों की हानि | - | 0.01 |
| **कुल** | **92.09** | **82.94** |

### 32. अन्य वृहत आय (ओसीई) के घटक

इक्विटी में आरक्षित निधि के प्रत्येक प्रकार द्वारा ओसीआई में परिवर्तन से असहमति को निम्नानुसार दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | परिभाषित लाभ योजनाओं का लाभ/(हानि) का पुनःमापन/प्रतिधारित आमदनी में प्रस्तुत | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
| परिभाषित लाभ योजनाओं का लाभ/(हानि) का पुनःमापन | (0.40) | 1.19 |
| उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवगीकृत नहीं किया जाएगा। | 0.10 | (0.30) |
| **कुल** | **(0.30)** | **0.89** |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | विदेशी मुद्रा अंतरण | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
| विदेशी विनिमय अंतरण अंतर | (1.21) | (5.15) |
| उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवगीकृत किया जाएगा | 0.30 | 1.30 |
| **कुल** | **(0.91)** | **(3.85)** |
| **सकल योग** | **(1.21)** | **(2.96)** |

### 33. क. उचित मूल्य मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं को इन वित्तीय विवरण में उचित मूल्य पर मापा जाता है और इन्हें उचित मूल्य क्रम में तीन स्तरों पर समूहित किया जाता है।। इन तीन स्तरों को मापन के महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोकनयोग्यता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो निम्नानुसार है:

**स्तर 1** – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजार में कोट किए गए मूल्य (असमायोजित)।

**स्तर 2** – स्तर–1 के भीतर शामिल किए गए कोट किए गए मूल्यों के आतरिक्त इनपुट, जिनका परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के अनुसार) या अप्रत्यक्ष रुप से (यथा मूल्यों से निर्धारित)।

**स्तर 3** – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए गैर अवलोकनीय इनपुट

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

**क) 31 मार्च 2021 को श्रेणीयों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वहन मूल्य | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| **लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)** | | | | |
| म्युचुवल फंड में निवेश | – | – | – | – |
| **कुल** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| (I) निवेश | | | | |
| कर मुक्त बांड़ में निवेश | 291.46 | – | – | 291.46 |
| (ii) ऋण | 1.43 | – | – | 1.43 |
| (iii) अन्य – वित्तीय परिसंपत्तियां | 2,174.60 | – | – | 2,174.60 |
| **कुल** | **2,467.49** | **–** | **–** | **2,467.49** |

(₹ in crore)

| विवरण | वहन मूल्य | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| **परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं** | | | | |
| (i) उधार | 312.09 | – | – | 312.09 |
| (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | 2,726.43 | – | – | 2,726.43 |
| **कुल** | **3,038.52** | **–** | **–** | **3,038.52** |

**ख)** दिनांक 31 मार्च 2020 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय मध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:*

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वहन मूल्य | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| **लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)** | | | | |
| म्युचुवल फंड में निवेश | – | – | – | – |
| **कुल** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| (i) निवेश | | | | |
| कर मुक्त बांड़ में निवेश | 291.45 | – | – | 291.45 |
| (ii) ऋण | 40.95 | – | – | 40.95 |
| (iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 1,817.36 | – | – | 1,817.36 |
| **कुल** | **2,149.76** | – | – | **2,149.76** |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वहन मूल्य | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| **परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं** | | | | |
| (i) उधार | – | – | – | – |
| (ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 2,514.99 | – | – | 2,514.99 |
| **कुल** | **2,514.99** | **–** | **–** | **2,514.99** |

प्रबंधन मूल्यांकन करता है कि रोकड और रोकड समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू वित्तीय देयताएं इन माध्यमों की अल्पकालीन परिपक्वताओं के कारण अपने वहन मूल्यों के समीप बनी रहीं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य को उस मूल्य पर शामिल किया गया है जिस पर माध्यम को इच्छुक पक्षों के बीच चालू संव्यवहार में विनिमय किया जा सकता है। उचित मूल्यों को अनुमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विधियों और अनुमानों का प्रयोग किया गया था।

i) म्युचवल फंड इकाइयों में निवेशों का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित है जैसा कि तुलनपत्र तिथि को प्रकाशित

विवरणों में इन म्युचवल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है। एनएवी उस मूल्य को दर्शाता है जिस पर जारीकर्ता म्युचवल फंड की भावी इकाइयों को जारी करेगा और मूल्य जिसपर निवेशकों से ऐसी इकाइयों को जारीकर्ता रिडीम करेगा।

ii) संयुक्त उपक्रमों मे निवेश को इक्विटी निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिन्हें एतिहासिक लागत पर लेखांकित किया जाता है। चूंकि इनका कार्यक्षेत्र निरीक्षण के प्रयोजन हेतु इंड एएस 109 से बाहर है, इसलिए इन्हें उपर्युक्त तालिका में प्रकट नहीं किया गया है।

*वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा 2019–20 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 उचित मूल्य मापनों के बीच कोई अंतरण नहीं था।

## ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह की प्रमुख वित्तीय देयता व्यापार और अन्य देय राशियां हैं। समूह की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल हैं संबंधित पक्षों को ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियों जो प्रत्यक्ष रुप से इसके प्रचालनों से प्राप्त हुई हैं। समूह म्युचुवल फंड और कर मुक्त बांड़ों में भी निवेश करता है। समूह की गतिविधियों के कारण उसे कुछ वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम भी हो सकते हैं।

## ग. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिमों से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यम हैं व्यापार प्राप्य, बाजार देय तथा अन्य गैर–डैरिवेटिव वित्तीय माध्यम।

### (i) विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करता है और उसे व्यापक विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा रहता है (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान सामान्यत समान होते हैं) जो अमरीकी डॉलर, यूरो, येन, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, एमजेडएन, बीटीएन, जेडएआर, एनपीआर तथा एमवाईआर में विदेशी मुद्रा संव्यवहार होते हैं। समूह को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिमों का स्वतः बचाव हो जाता है। दिनांक 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 को संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 5 प्रतिशत की वृद्धि या कमी हमारे कर पूर लाभ पर क्रमशः **16.88 करोड़ रुपए** तथा 16.27 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति समूह का महत्वपूर्ण जोखिम निम्नानुसार है:

**31 मार्च 2021 को** (₹ करोड़ में)

| विवरण | यूएसडी | यूरो | डीजेडडी | बीडीटी | एलकेआर | एमवाईआर | जेडएआर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **परिसंपत्तियां** | | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 36.47 | 0.07 | 47.27 | – | – | 1.23 | – | **85.04** |
| रोक़ड़ तथा रोक़ड़ समतुल्य रोकड़ | 22.01 | 48.11 | 14.37 | 5.71 | 4.20 | 4.48 | 0.07 | **98.95** |
| ठेकेदारों का अग्रिम | 3.30 | 0.39 | – | 5.84 | – | – | – | **9.53** |
| अन्य परिसंपत्तियां | 155.86 | – | 143.33 | 70.38 | 3.51 | 20.46 | 18.37 | **411.91** |
| **कुल** | **217.64** | **48.57** | **204.97** | **81.93** | **7.71** | **26.17** | **18.44** | **605.43** |
| **देयताएं** | | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 2.08 | 0.22 | 23.22 | 3.78 | 9.35 | 0.06 | – | **38.71** |
| ग्राहकों का अग्रिम | 31.21 | 7.48 | – | – | – | 0.57 | – | **39.26** |
| अन्य परिसंपत्तियां | 12.55 | – | 110.39 | 24.13 | 8.78 | 0.93 | 33.04 | **189.82** |
| **कुल** | **45.84** | **7.70** | **133.61** | **27.91** | **18.13** | **1.56** | **33.04** | **267.79** |

**31 मार्च 2021 को** (₹ करोड़ में)

| विवरण | यूएसडी | यूरो | डीजेडडी | बीडीटी | एलकेआर | एमवाईआर | जेडएआर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **परिसंपत्तियां** | | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 27.34 | 0.32 | 21.37 | – | – | 1.68 | – | **50.71** |
| रोक़ड़ तथा रोक़ड़ समतुल्य रोकड़ | 44.23 | 60.42 | 74.19 | – | 13.30 | 24.64 | 15.70 | **232.48** |

| विवरण | यूएसडी | यूरो | डीजेडडी | बीडीटी | एलकेआर | एमवाईआर | जेडएआर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ठेकेदारों का अग्रिम | 1.51 | – | 0.70 | 24.42 | – | – | – | **26.63** |
| अन्य परिसंपत्तियां | 109.21 | – | 71.24 | 112.63 | 0.93 | 0.61 | 15.81 | **310.43** |
| **कुल** | **182.29** | **60.74** | **167.50** | **137.05** | **14.23** | **26.93** | **31.51** | **620.25** |
| **देयताएं** | | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 43.84 | 8.43 | 35.47 | 7.94 | 9.45 | 0.99 | – | **106.12** |
| ग्राहकों का अग्रिम | 78.48 | – | – | – | – | 0.26 | – | **78.74** |
| अन्य परिसंपत्तियां | 10.40 | 1.45 | 49.71 | – | 0.96 | 1.96 | 45.53 | **110.01** |
| **कुल** | **132.72** | **9.88** | **85.18** | **7.94** | **10.41** | **3.21** | **45.53** | **294.87** |

### (ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज जोखिम बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। समूह अपने ब्याज जोखिमों की व्यवस्था समूह की नीतियों और जोखिम प्रयोजनों के अनुसार करता है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यमों में शामिल हैं कर मुक्त बांड तथा बैंक में जमा राशि। इन वित्तीय माध्यमों में ब्याज दर जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि वित्तीय माध्यमों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित होता है। इसक अतिरिक्त, समूह को ऋणों/कर्ज पर किसी प्रकार के ब्याज का जोखम नही है, क्योंकि इनके ब्याज की दर नियत है।

### ख) ऋण जोखिम

समूह के ग्राहक प्रोफाइल में भारत तथा विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य स्वामित्व वाली कपनियां शामिल हैं। तदनुसार, समूह का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान तथा परियोजना के अंत में कतिपय प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। कुछ मामलों में प्रतिधारण को बैंक/निगमित गारंटियों के प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह के पास वसूली पर उचित ध्यान केन्द्रित करने के लिए संगठन के भीतर ही विभिन्न स्तरों पर ओवरड्यू ग्राहक प्राप्यों के लिए विस्तृत समीक्षा तंत्र विद्यमान है।

#### व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां

समूह के ऋण जोखिम का खतरा मुख्य रुप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। व्यक्ति या देश जहां ग्राहक प्रचालन कर रहा है, वहां त्रुटि जोखिम सहित ग्राहक की जनसांख्यिकीय भी ऋण जोखिम को प्रभावित करती है।

#### ऋण जोखिमि की संभावना

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलएफसीएल) परिदृश्य का प्रयोग किया गया है** | | |
| गैर चालू निवेश | 291.46 | 291.45 |
| गैर चालू ऋण | 0.48 | 39.33 |
| अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां | 16.02 | 25.55 |
| चालू निवेश | – | – |
| रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य | 414.20 | 512.87 |
| अन्य बैंक शेष | 3,032.24 | 2,159.74 |
| चलू ऋण | 0.95 | 1.62 |
| अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां | 295.32 | 348.14 |
| **वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा भत्ते का मापन किया गया है** | | |
| व्यापार प्राप्य | 651.25 | 578.37 |
| संविदा परिसंपतियां | 1,878.72 | 1,461.74 |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा घाटे में परिवर्तन का सार

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **आरंभिक भत्ते** | **38.85** | **39.01** |
| वर्ष के दौरान प्रावधान | – | – |
| वर्ष के दौरान प्रयुक्त | – | – |
| राशि बट्टा खाता | (9.22) | (0.16) |
| **समापन भत्ते** | **29.63** | **38.85** |

वर्ष के दौरान समूह में **शून्य रुपए** (31 मार्च, 2020: शून्य रुपए) के घाटा भत्ता है।

### जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलीईसीएली ) परिदृश्य के प्रयोग द्वारा आंकलित घाटे में परिवर्तन का सार

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **वर्ष के दौरान प्रावधान** | **6.40** | **0.47** |
| वर्ष के दौरान प्रावधान | – | 5.94 |
| वर्ष के दौरान प्रयुक्त | – | (0.01) |
| राशि बट्टा खाता | (0.09) | – |
| (विनिमय लाभ) / हानि | – | – |
| **समापन भत्ते** | **6.31** | **6.40** |

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राक्कलन तकनीकों या अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान समूह में **शून्य रुपए** (31 मार्च, 2019 : 5.94 करोड़ रुपए) के घाटा भत्ता है।

### ग) ऋण जोखिम

समूह पर्याप्त रोकड़ और बाजार योग्य प्रतिभुतियों के अनुरक्षण और प्रतिबद्ध ऋण क्रमों की पर्याप्त राशि के माध्यम से निधियों पर पहुंच बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करता है। कोष विभाग नियमित रुप से अनुमानों की तुलना में रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों की स्थिति की मॉनीटरिंग करते हैं। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता स्थितियों का आकलन और तुलन पत्र चल निधि अनुपात के अनुरक्षण पर विचार किया जाता है।

समूह की निवेश नीति और नीति तथा कार्ययोजना का मुख्य ध्यान पूंजी का संरक्षण और समूह की चल निधि आवश्यकताओं को सहयोग प्रदान करना है। समूह का वरिष्ठ प्रबंधन समूह की निवेश नीति और इसके निवेश उद्देश्यों की उपलब्धि की निगरानी करता है। समूह विशिष्ट रुप से भारत सरकार के ऋण बांडों और म्युचुवल फंडों में ही निवेश करता है। नीति सामान्य रुप से निवेश ग्रेड की अपेक्षा करती है जिसका प्रमुख उद्देश्य मूल राशि घाटे के संभावित जोखिम को न्यूनतम करना है।

एनएचएआई बांड के ब्याज की दर नियत होती है इसप्रकार इनको बांड उत्पादन दरों में परिवर्तन द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा म्युचुवल फंड उच्च तरलता परिसंपत्तियां हैं, जिसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है तथा इसमें पुनर्निवेश होता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराती है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | | |
|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2 वर्ष और अधिक |
| उधार | 18.84 | 18.84 | 293.25 |
| व्यापार प्राप्य | 758.02 | – | – |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 2,424.49 | 283.10 | – |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | | |
|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2 वर्ष और अधिक |
| उधार | – | – | – |
| व्यापार प्राप्य | 589.19 | – | – |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 2,114.24 | 400.75 | – |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

जोखिम संकेन्द्रण तब उत्पन्न होते हैं जब अनेक प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों या समान भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएं ऐसी होती हैं जो आर्थिक, राजनैतिक या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा उनके संविदागत दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। संकेन्द्रण एक विशिष्ट उद्योग को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति समूह के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल किए जाते हैं ताकि विविध पोर्टफोलियो को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित कर सके। ऋण जोखिमों के चिह्नित संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्व के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है: (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
| शीर्ष पांच परियोजनाओं से राजस्व | 2,758.23 | 2,975.30 |

### ग) पूंजी प्रबंधन

अपनी पूंजी के प्रबंधन का समूह का उद्देश्य निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित और सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को जारी रखना है, ताकि कंपनी अपने शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य स्टेकधारकों का लाभ दे सके। निदेशक मंडल समूह की लाभांश संवितरण नीति की तर्ज पर इक्विटी शेयर धारकों को लाभांश के स्तर की निगरानी भी करता है। कंपनी ने निवेश के जन परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग/डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार लाभांश का भुगतान किया है।

(₹ करोड़ में)

| वितरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| प्रदत्त लाभांश | 158.00 | 228.31 |
| **कुल** | **158.00** | **228.31** |

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 30 जून 2020–21 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 2 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 1.32 रूपए के अंतिम लांभांश की संस्तुति की है, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। यह प्रति इक्विटी शेयर 2 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 1.30 रूपए की दर पर प्रदत्त अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

अपनी आगामी बैठक में निदेशक मंडल में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अंतिम लाभांश को संशोधित करके प्रति शेयर 2/– रुपये के अंकित मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर 1.70 रुपये कर दिया है, तदानुसार कुल देय लाभांश 159.89 करोड़ रुपये है।

इसके अतिरिक्त, समूह आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय संविदाओं की अपेक्षाओं के आलोक में समायोजनों करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है।

वित्तीय वर्ष 2017 और 18 में समूह द्वारा आईआरएफसी से उठाया गया असुरक्षित ऋण जो बदले में आरएलडीए को दिया गया है, आरएलडीए से प्राप्त राशि से चुकाया जाएगा।

समूह आमतौर पर उद्योग और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर पूंजी की निगरानी करता है। समूह ऋण इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करता है जो कुल इक्विटी से विभाजित ऋण है। ऋण में दीर्घकालिक ऋण की गैर–वर्तमान और वर्तमान परिपक्वता शामिल है। समीक्षाधीन अवधि के अंत में ऋण इक्विटी अनुपात इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|
| ऋण (नोट सं. 20.1) | 312.09 | – |
| दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (नोट सं. 23.2) | 18.84 | – |
| **ऋण** | **330.93** | **–** |
| इक्विटी (नोट सं. 18) | 94.05 | 94.05 |
| अन्य इक्विटी (नोट सं. 19) | 4,309.08 | 4,077.23 |
| **कुल इक्विटी** | **4,403.13** | **4,171.28** |
| **ऋण इक्विटी अनुपात** | **0.08** | **–** |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

**34.** (क) समेकित वित्तीय विवरण दिनांक 1 अप्रैल 2015 से आरंभ वित्तीय वर्ष से यथा लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 129(3) और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों की अपेक्षा के अनुसार तैयार किए जाते हैं। तदनुसार, कंपनी (जिसे धारक कंपनी भी कहा गया है), इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम (संयुक्त रूप से समूह कहा गया है) निम्नानुसार समेकित वित्तीय विवरण पर विचार करता है:

| क्र.सं | सहायक कंपनी/संयुक्त उपक्रम का नाम | मूल राष्ट्र | प्रतिशत भाग | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | **सहायक कंपनी :** | | | |
| 1 | इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड | भारत | 100.00% | 100.00% |
| 2 | इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | भारत | 100.00% | 100.00% |
| 3 | इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | भारत | 100.00% | 100.00% |
| 4 | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | भारत | 100.00% | 100.00% |
| 5 | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | भारत | 100.00% | 100.00% |
| 6 | इरकॉन गुढगांव रिवाडी हाइवे लिमिटेड | भारत | 100.00% | 100.00% |
| | **संयुक्त उद्यम कंपनियां** | | | |
| 1 | इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड | भारत | 50.00% | 50.00% |
| 2 | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | भारत | 26.00% | 26.00% |
| 3 | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | भारत | 26.00% | 26.00% |
| 4 | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | भारत | 26.00% | 26.00% |
| 5 | झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड | भारत | 26.00% | 26.00% |
| 6 | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | भारत | 26.00% | 26.00% |
| 7 | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | भारत | 26.00% | 50.00% |

(ख) निकायों की वित्तीय विवरण जिनका प्रयोग कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि को समेकित करने के प्रयोजन से किया गया है।

(ग) जहां तक संभव है, समेकित वित्तीय विवरणों को समान लेखांकन नीतियों के प्रयोग द्वारा तैयार किया गया है जैसे संव्यवहार तथा समान परिस्थितियों में अन्य घटनाएं और इन्हें धारक कंपनी की पृथक वित्तीय विवरणों के समान रूप में तैयार किया गया है। धारक कंपनी या इसकी संयुक्त उपक्रम कंपनियों के लेखांकन नीतियों में अंतर, यदि कोई है, वो महत्वपूर्ण नहीं है।

**35.**

(क) चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मकता बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं। इन पुनर्वर्गीकरण का संचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ख) पूर्ववर्ती आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से भिन्न दर्शाने हेतु उन्हें प्रकोष्ठ ( ) में दर्शाया गया है।

## 36. कर्मचारी लाभ

**इंड एएस 19 ''कर्मचारी लाभ'' के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है :**

### (i) निर्धारित अंशदान योजना : सामान्य ब्यौरा

**पेंशन**

समूह ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक समूह में 15 वर्ष की सेवा (अन्य सीपीएसई मे सेवा सहित) पूरी करने वाले आईडीए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2009 से इरकॉन सुनिश्चित अंशदायी अधिवर्षिता पेशन योजना, 2009 क्रियान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए **9.02 करोड रूपए** (8.97 करोड़ रूपए) समूह के अंशदान भाग का भुगतान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2020–21 के दौरान लेखांकित किया गया है।

### (ii) निर्धारित लाभ योजना : सामान्य ब्यौरा

#### भविष्य निधि

समूह एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि समूह के दायित्व से अधिक है। वर्ष के दौरान समूह ने ट्रस्ट में **13.14 करोड़ रूपए** (12.36 करोड़ रूपए) का अंशदान किया है।

#### उपदान

समूह ने अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण अपने रोजगार को समाप्त करने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में कंपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इरकॉन ने कर्मचारी सामूहिक भविष्य निधि योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया। ट्रस्ट का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2021 को **4.76 करोड रूपए** (3.35 करोड़ रूपए) की परिसंपत्तियों को बीमांकन आधार पर लेखा बहियों में बुक किया गया है।

#### सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

समूह ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000–01 के दौरान 12.00 करोड़ रूपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण समूह कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, समूह ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर **4.72 करोड़ रूपए** (10.45 करोड़ रूपए) का भी प्रावधान किया है।

#### अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

##### सामान्य वर्णन

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल हैं– गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

**31 मार्च 2021 को लाभ हानि विवरण और तुलनपत्र में स्वीकृत विभिन्न कर्मचारी लाभों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:–**

**i) निम्न के दौरान निर्धारित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भविष्य निधि | | उपदान | | सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ | | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को |
| **अवधि के आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व** | 380.23 | 341.76 | 85.75 | 83.73 | 110.96 | 101.20 | 1.28 | 1.28 |
| चालू सेवा लागत | 43.56 | 43.39 | 3.97 | 4.13 | 3.98 | 3.57 | 0.07 | 0.07 |
| पूर्व सेवा लागत | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ब्याज लागत | 31.97 | 29.60 | 5.93 | 6.28 | 7.68 | 7.59 | 0.09 | 0.10 |
| प्रदत्त लाभ | (46.92) | (36.32) | (15.90) | (7.31) | (3.05) | (2.95) | (0.03) | (0.07) |
| दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि | 0.40 | 1.80 | 0.42 | (1.09) | 9.16 | 1.56 | (0.13) | (0.09) |
| **अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व** | **409.24** | **380.23** | **80.16** | **85.75** | **128.73** | **110.96** | **1.27** | **1.28** |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

**ii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भविष्य निधि | | उपदान | | सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ | | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को |
| **अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य** | **380.48** | **345.51** | **82.39** | **79.69** | **91.07** | **83.52** | **-** | **-** |
| नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान | 43.56 | 43.39 | 3.32 | 4.01 | 10.45 | 4.49 | - | - |
| प्रदत्त लाभ | (46.92) | (36.32) | (15.90) | (7.31) | (3.05) | (2.95) | - | - |
| ब्याज लागत | 33.51 | 27.89 | 5.94 | 6.35 | 6.00 | 6.01 | - | - |
| ब्याज आय सहित योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल | - | - | - | - | - | - | - | - |
| एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार | - | - | (0.35) | (0.36) | - | - | - | - |
| **अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य** | **410.63** | **380.48** | **75.39** | **82.39** | **104.47** | **91.07** | **-** | **-** |

**iii) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भविष्य निधि | | उपदान | | सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ | | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
| योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 410.63 | 380.48 | 75.39 | 82.39 | 104.47 | 91.07 | - | - |
| निर्धारित लाभ दायित्व | 409.24 | 380.23 | 80.16 | 85.75 | 128.73 | 110.96 | 1.27 | 1.28 |
| **तुलनपत्र में स्वीकृत राशि** | **1.39** | **0.25** | **(4.77)** | **(3.36)** | **(24.26)** | **(19.90)** | **(1.27)** | **(1.28)** |

**iv) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भविष्य निधि | | उपदान | | सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ | | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
| चालू सेवा लागत | 13.13 | 12.43 | 3.97 | 4.13 | 3.98 | 3.57 | 0.07 | 0.07 |
| पूर्व सेवा लागत | - | - | - | - | - | - | - | - |
| निवल ब्याज व्यय | - | - | 0.23 | 0.31 | 1.38 | 1.33 | 0.09 | 0.10 |
| **लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि** | **13.13** | **12.43** | **4.20** | **4.44** | **5.36** | **4.89** | **0.16** | **0.16** |

**v) अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि** (₹ करोड़ में)

| विवरण | भविष्य निधि | | उपदान | | सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ | | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
| भौगोलिक अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन | – | – | – | 0.03 | – | 0.06 | – | 0.00 |
| वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन | (0.02) | (0.03) | (1.83) | (1.74) | (4.11) | (5.33) | (0.04) | (0.02) |
| संभावित समायोजन | (0.38) | (1.77) | 1.42 | 2.80 | (5.05) | 3.72 | 0.18 | 0.11 |
| ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियो पर प्रतिफल | 1.54 | (1.71) | (0.12) | 0.02 | (0.29) | (0.26) | – | – |
| **अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि** | **1.14** | **(3.51)** | **(0.53)** | **1.11** | **(9.45)**** | **(1.81)** | **0.13** | **0.09** |

** **(9.45 करोड़ रूपए)** (1.81 करोड़ रूपए) के गैर स्वीकार्य बीमांकक लाभ/घाटे (ओआईसी) में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) के प्रति है। चूंकि पीआरएमबी के संबंध में देयता को बीमांकक मूल्यांकन के रूप में प्रावधान नहीं किया गया है और इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए, बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार पीआरएमबी के संबंध में ओसीआई पर विचार नहीं किया गया है।

**vi) कुल योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य की योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं** (₹ करोड़ में)

| विवरण | भविष्य निधि | | उपदान | | सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ | | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
| भारत सरकार की प्रतिभूतियां | 59.67% | 60.17% | – | – | 9.52% | 9.52% | – | – |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियां | – | – | – | – | 30.86% | 30.86% | – | – |
| केन्द्र राज्य गारंटित बांड | – | – | – | – | 18.73% | 18.73% | – | – |
| उच्च गुणवत्ता निगमित बांड | 38.04% | 36.17% | – | – | 23.40% | 23.40% | – | – |
| पीएसयू बांड | – | – | – | – | 7.35% | 7.35% | – | – |
| पीएसयू आधारित ।।। टीयर । बांड | – | – | – | – | 8.25% | 8.25% | – | – |
| ऋण म्युचुवल फंड | 0.77% | 0.29% | – | – | – | – | – | – |
| आईटीएफ/इंडैक्स/इक्विटी म्युचवल फंड | 1.52% | 3.37% | – | – | 1.89% | 1.89% | – | – |
| बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि | – | – | 100.00% | 100.00% | – | – | – | – |
| **कुल** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | – | – |

**vii) समूह की योजना के लिए पीएफ/उपदान/पीआरएमबी/सेवानिवृत्ति भत्ता देयता के निर्धारण में प्रयुक्त प्रधान अनुमान निम्नानुसार है:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भविष्य निधि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | भविष्य निधि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | उपदान 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | उपदान 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | पीआरएमबी 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | पीआरएमबी 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | सेवानिवृत्ति भत्ते 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | सेवानिवृत्ति भत्ते 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छूट की दर | 6.54% | 6.92% | 6.54% | 6.92% | 6.54% | 6.92% | 6.54% | 6.92% |
| भावी वेतन वृद्धि | 8.50% | 8.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| मृत्यु दर | 100% IALM (2012-14) | 100% IALM (2012-14) | 100% IALM (2012-14) | 100% IALM (2012-14) | 100% IALM (2012-14) | 100% IALM (2012-14) | 100% IALM (2012-14) | 100% IALM (2012-14) |

**viii) उपर दर्शाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों हेतु मात्रात्मक संवेदी विश्लेषण निम्नानसुार :** (₹ करोड़ में)

| विवरण | पीएफ योजना (डीबीओ पर प्रभाव) | | उपदान योजना (डीबीओ पर प्रभाव) | | पीआरएमबी (डीबीओ पर प्रभाव) | | सेवानिवृत्ति भत्ते (डीबीओ पर प्रभाव) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
| **अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य** | **409.24** | **380.23** | **80.16** | **85.75** | **128.73** | **110.96** | **1.27** | **1.28** |
| छूट की दर | 6.54% | 6.92% | 6.54% | 6.92% | 6.54% | 6.92% | 6.54% | 6.92% |
| 0.50% की वृद्धि | (0.02) | (0.03) | (2.40) | (2.40) | (4.86) | (4.19) | (0.05) | (0.05) |
| 0.50% की कमी | 0.03 | 0.03 | 2.57 | 2.56 | 5.24 | 4.51 | 0.05 | 0.05 |
| भावी वेतन वृद्धि | 8.50% | 8.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| 0.50% की वृद्धि | – | – | 1.11 | 1.10 | – | – | 0.05 | 0.05 |
| 0.50% की कमी | – | – | 1.14 | (1.13) | – | – | (0.05) | (0.05) |

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण का निर्धारण उस विधि से किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न उपर्युक्त प्रमुख अनुमानों में युक्तिसंगत परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभदायित्वों पर प्रभाव को दर्शाते हैं।

मृत्यु और आहरण के कारण संवेदनशीलता सामग्रीगत नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया जाता है।

मुद्रा स्फीति की दर, भुगतान में पेंशनों की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर तथा जीवन संभाव्यता के प्रति संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति के एकमुश्त लाभ के रूप में लागू नहीं है।

**ix) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान**

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए निर्धारित लाभ योजना के संभिावित अंधदान **26.73 करोड़ रूप्ए** है।

**x) निर्धारित लाभ दायित्वों की परिक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है:** (₹ करोड़ में)

| निर्धारित लाभ दायित्वों की अवधि(वर्ष) | भविष्य निधि | उपदान | सेवानिवृत्ति पूर्व | सेवानिवृत्ति भत्ते |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.60 | 12.00 | 3.62 | 0.16 |
| 2 | 122.12 | 10.60 | 16.59 | 0.16 |
| 3 | | 8.60 | 6.92 | 0.14 |
| 4 | | 7.82 | 6.99 | 0.13 |
| 5 | | 7.69 | 6.40 | 0.13 |
| 6 | 183.52 | 4.35 | 3.72 | 0.07 |
| 6 से आगे | | 29.10 | 60.72 | 0.48 |
| **कुल** | **409.24** | **80.16** | **104.97** | **1.27** |

**जोखिम विश्लेषण**

समूह को अनेक निर्धारित लाभ योजना के जोखिमों की संभावना हैं। निर्धारित लाभ योजनाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिम और इन जोखिमों के प्रभावों के सबंध में प्रबंधन का अनुमान निम्नानुसार है:

**ब्याज जोखिम**

योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज दर में कमी योजना दायित्व में वृद्धि करती है।

**दीर्घायु जोखिम/जीवनकाल संभाव्यता**

निर्धारित लाभ योजना दायित्वों का वर्तमान मूल्य का परिकलन नियोजना के दौरान और अंत दोनों में योजना भागीदारों की मृत्युदर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ द्वारा किया जाता है। योजना भागीदारों जीवनकाल संभाव्यता में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

**वेतन वृद्धि जोखिम**

निर्धारित लाभ योजना दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन योजना भागीदारों के भावी वेतनों के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

## 37. संबंधित पक्षों सव्यवहार

इंड एएस 24 ''संबंधित पक्ष प्रकटन'' के अनुपालन में प्रकटन निम्नानुसार है:

**क) संबंधित पक्षों की सूची**

**(i) सहायक कंपनी**

इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.
इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड, 24 दिसंबर, 2020 को निगमित

**(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियां**

इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

**(iii) गैर निगमित संयुक्त उपक्रम (संयक्त प्रचालन)**

संयुक्त प्रचालन
एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसोर्टियम
एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम

**समाप्त संयुक्त प्रचालन**

इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर
मैट्रो टनलिंग समूह
इरकॉन एफकॉन

**वित्तीय रूप से बंद संयुक्त प्रचालन**

इरकॉन–कोब्रा–ईएलआईओपी
इरकॉन–श्री भवानी बिल्डर
इरकॉन–एसएमजी प्रोजेक्ट जेवी
इरकॉन–गन्नन डंक्ले
इरकॉन–आरसीएस:पिलफिडरर
इरकॉन–एसपीएससीपीएल
रिकॉन

**(iv) (क) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक (केएमपी)**

**पूर्णकालीन निदेशक**

| नाम | पदनाम |
|---|---|
| श्री एस.के.चौधरी* | सीएमडी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) |
| श्री एम.के.सिंह** | निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) |
| योगेश कुमार मिश्रा | निदेशक (कार्य) |
| श्री एस.एल.गुप्ता | निदेशक (परियोजना) |

* दिनांक 30.4.2021 से सीएमडी के पद से पदमुक्त हुए।

** दिनांक 01.05.2021 से सीएमडी और दिनांक 11.06.2021 से सीईओ के पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण और श्री सुरजीत दत्ता, सीजीएम/वित्त/मुख्यालय दिनांक 11.06.2021 से सीएफओं को अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं।

**कंपनी सचिव**

| नाम | पदनाम |
|---|---|
| सुश्री रितु अरोड़ा | कंपनी सचिव |

**(ख) अन्य निदेशक**

**सरकारी नामिति अंशकालीन (सरकारी) निदेशक**

| नाम | पदनाम |
|---|---|
| श्री धनन्जय सिंह | अंशकालीन (कार्य) निदेशक |

**(v) नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं**

इरकॉन उपदान ट्रस्ट
इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
इरकॉन चिकित्सा न्यास
इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास

**(vi) सरकार संबंधी न्यास**

धारक कंपनी रेल मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) है। धारक कंपनी भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है जिसके पास दिनांक 31 मार्च 2021 को भारत के राष्ट्रपति के नाम **73.18 प्रतिशत** इक्विटी शेयरों का धारिता है। इंड एएस 24 के पैरा 25 तथा 26 के अनुसरण में निकाय जिन पर समान सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग निकाय और अन्यस निकाय संबंधित पक्ष माने जाते हैं। इन पक्षों के साथ संव्यवहारों को आर्म लैंथ आधार पर बाजार शर्तों पर निष्पादित किया जाता है। समूह ने सरकार संबंधी निकायों के लिए उपलब्ध छूट हेतु आवेदन किया है और इस संबंध में वित्तीयस विवरणों में सीमित प्रकटन किया है। कंपनी के निम्नलिखित सरकार संबंधी न्यासों के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार हैं:

| निकाय का नाम | संबंध |
|---|---|
| रेल मंत्रालय | नियंत्रण निकाय |
| रेल भूमि विकास प्राधिकरण | रेल मंत्रालयस के अधीन सांवधिक निकाय |
| भारतीय रेल वित्त निगम | रेल पीएसयू |

**ख) कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)/निदेशकों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:** (₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|
| 1 | अल्पकालीन नियोजन लाभ (i) | 3.00 | 3.27 |
| 2 | अन्य दीर्घकालीन नियोजन लाभ | 0.30 | 0.58 |
| 3 | बैठक शुल्क | 0.10 | 0.20 |
| | **कुल** | **3.40** | **4.05** |

**नोट:**

(i) वित्तीय वर्ष 2020–21 के आंकड़ों में अनन्तिम आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वर्ष के दौरान 0.73 करोड़ रूपए के पीआरपी प्रावधान ( वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 1.02 करोड़ रूपए के पीआरपी प्रावधान सहित जिसका भुगतान अनन्तिम आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान किया गया) शामिल हैं।

(ii) यथा अनुमेय निदेशकों से वसूली की गई है जिन्हे कंपनी के आवास और कार प्रदान की गई है।

**अन्य पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:** (₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | संव्यवहार की प्रकृति | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध की प्रकृति | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री | | | | |
| 1.1 | संविदा राजस्व | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 215.68 | 332.19 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 23.73 | 21.70 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 40.28 | 21.75 |
| | | झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 4.06 | 9.49 |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| क्र.सं. | संव्यवहार की प्रकृति | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध की प्रकृति | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 1.75 | 21.19 |
| | | एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 564.19 | 355.86 |
| | | एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 5.81 | 2.34 |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 2,766.46 | 3,072.95 |
| 1.2 | किराया आय | इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.03 | 0.03 |
| | | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 0.04 | – |
| 2 | वस्तुओं और सेवाओं की खरीद | | | | |
| 3 | प्रतिनियुक्ति कर्मचारी व्यय, किराय एवं अन्य विविध व्यय (आय) की प्रतिपूर्ति | इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | – | 0.02 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.67 | 0.59 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.43 | 0.35 |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.27 | – |
| | | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.22 | 0.84 |
| 4 | ब्याज आय | | | | |
| 4.1 | ऋण पर ब्याज आय | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 1.81 | 3.61 |
| 4.2 | अग्रिम पर ब्याज आय | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 72.19 | 114.12 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.06 | 0.26 |
| | | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 165.32 | 220.97 |
| 4.3 | बांड पर ब्याज आय | भारतीय रेल वित्त निगम | सरकार संबंधी निकाय | 17.11 | 22.10 |
| 4.4 | लाभांश आय | इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 17.00 | – |
| 5 | लाभांश | | | | |
| 5.1 | लाभांश संवितरण | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 140.89 | 203.61 |
| 5.2 | पारित लाभांश आय | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | – | 2.15 |
| 5.3 | पारित निवेश बिक्री पर लाभ | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 0.21 | – |
| 6 | ब्याज व्यय | | | | |
| 6.1 | अग्रिम ब्याज व्यय | | | – | – |
| 6.2 | अग्रिम पर ब्याज व्यय | भारतीय रेल वित्त निगम | सरकार संबंधी निकाय | 164.81 | 220.35 |
| 7 | इक्विटी शेयरों में निवेश | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 20.00 | – |
| | | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 12.00 | 14.20 |
| 8 | ऋण मुक्त ब्याज (इक्विटी माने गए) | झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | – | 50.00 |
| 9 | ऋणों की वसूली | छत्तीसगढ ईस्ट वस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 39.00 | – |
| 10 | अग्रिमों की वसूली | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 615.31 | 615.30 |
| 11 | ऋणों का पुनर्भुगतान | भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड | सरकार संबंधी निकाय | 615.31 | 615.30 |
| 12 | प्राप्त अग्रिम | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 3.07 | 3.67 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 36.39 | 9.17 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | – | 0.98 |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | – | 0.26 |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 2,700.26 | 1,538.70 |
| 13 | अग्रिमों का पुनर्भुगतान | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 15.19 | – |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 9.34 | – |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.98 | – |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.26 | – |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 2496.10 | 1,523.58 |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| क्र.सं. | संव्यवहार की प्रकृति | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध की प्रकृति | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं** | | | | |
| 14.1 | **वर्ष के दौरान अंशदान** | इरकॉन उपदान ट्रस्ट | नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं | 3.30 | 4.01 |
| | | इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास | नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं | 40.12 | 43.39 |
| | | इरकॉन चिकित्सा न्यास | नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं | 10.45 | 4.49 |
| | | इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास | नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं | 9.02 | 8.97 |
| 14.2 | **वर्ष के दौरान प्रतिपूर्तियां** | इरकॉन उपदान ट्रस्ट | नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं | 13.57 | 5.79 |

नोट :

(i) सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम कंपनियों तथा संयुक्त प्रचालनों के साथ गारंटियों और अन्य प्रतिबद्धताओं हेतु नोट 40 का संदर्भ लें।

(ii) रेल मंत्रालय से खरीद प्रकृति में काल्पनिक है अतः गैर–तथ्यात्मक है। इस लिए प्रकट नहीं किया गया।

### ग) संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष निम्नानुसार:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | संव्यवहार की प्रकृति | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध की प्रकृति | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **इक्विटी निवेश** | इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 64.15 | 64.15 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 142.58 | 122.58 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 131.17 | 131.17 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.01 | 0.01 |
| | | झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 63.00 | 63.00 |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 76.34 | 76.34 |
| | | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 52.00 | 40.00 |
| 2 | **बांडों में निवेश** | भारतीय रेल वित्त निगम | सरकार संबंधी निकाय | 221.47 | 221.47 |
| 3 | प्रदान ऋणों के प्रति वसूली योग्य राशि | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | – | 39.00 |
| 4 | ऋणों से इतर वसूलीयोग्य राशि | | | | |
| 4.1 | **व्यापार प्राप्य** | इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.06 | 0.06 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 46.94 | 34.40 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 23.37 | 8.23 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 4.75 | – |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 6.65 | 16.64 |
| | | एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 137.82 | 134.72 |
| | | एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 4.42 | 1.42 |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 34.77 | 19.29 |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| क्र.सं. | संव्यवहार की प्रकृति | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध की प्रकृति | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.2** | **संविदा परिसंपत्तियां** | | | | |
| **(a)** | **बिलयोग्य राजस्व/प्राप्य जो देय हैं और वसूली योग्य मूल्य पर सीडब्ल्यूआईपी** | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 19.53 | 26.68 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 4.80 | 21.41 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.38 | - |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 22.94 | 21.19 |
| | | एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 91.04 | 91.43 |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 18.65 | 25.95 |
| **(b)** | **प्रतिधारण राशि एवं आहरित राशि** | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 2.16 | - |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 4.32 | 2.28 |
| | | एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 59.41 | 32.04 |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 1.90 | 0.81 |
| **4.3** | **वसूली योग्य अग्रिम और दावे** | इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.02 | 0.02 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.20 | 0.60 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 1.83 | 1.40 |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.83 | 0.56 |
| | | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 0.96 | 0.99 |
| | | इरकॉन एफकॉन | संयुक्त प्रचालन | 0.68 | 29.43 |
| | | एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 0.51 | - |
| | | इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर | संयुक्त प्रचालन | 3.70 | 3.66 |
| | | मेट्रो टनलिंग समूह | संयुक्त प्रचालन | 4.64 | 4.37 |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 8.04 | - |
| | | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 1,885.56 | 2,485.87 |
| **4.4** | **ऋणों पर संचित ब्याज** | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 9.35 | 8.15 |
| **4.5** | **अग्रिमों पर संचित ब्याज** | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 160.72 | 212.85 |
| **4.6** | **बांडोंपर संचित ब्याज** | भारतीय रेल वित्त निगम | सरकार संबंधी निकाय | 12.91 | 17.86 |
| **4.7** | **न्यासों से वसूलीयोग्य** | इरकॉन उपदान ट्रस्ट | नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं | 3.65 | 5.8 |
| **5** | **ऋणों** | भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड | सरकार संबंधी निकाय | 1845.92 | 2461.23 |
| **6** | **के प्रति देय राशि** | | | | |
| **6.1** | **व्यापार प्राप्य** | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | - | 0.10 |
| **6.2** | **संविदागत दायित्व (अग्रिम एवं अग्रिम संविदा प्राप्तियां)** | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 1499.52 | 1303.94 |
| | | इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 44.55 | 44.55 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 44.98 | 57.11 |
| | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | 57.35 | 30.35 |
| | | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | - | 0.98 |
| | | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम कंपनियां | - | 0.26 |
| | | एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम | संयुक्त प्रचालन | 48.33 | 148.61 |
| | | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 10.00 | - |
| **6.3** | **ग्राहकों को अन्य देय** | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 779.59 | 651.36 |

| क्र.सं. | संव्यवहार की प्रकृति | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध की प्रकृति | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.4** | **ऋणों पर देय ब्याज** | भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड | सरकार संबंधी निकाय | 156.56 | 210.00 |
| **6.5** | **अग्रिमों पर देय ब्याज** | रेल भूमि विकास प्राधिकरण | सरकार संबंधी निकाय | 1.76 | – |
| | | रेल मंत्रालय | सरकार संबंधी निकाय | 234.16 | 204.81 |
| **6.6** | न्यासों को देय | इरकॉन उपदान ट्रस्ट | नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं | 4.72 | 3.32 |

**घ) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार की शर्तें एवं निबंधन**

(i) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों को आर्म लैंड संव्यवहारा में प्रचलित समतुल्य शर्तों के अनुसार किया गया है।

(ii) वर्ष के अंत में संबंधित वर्षों के बकाया शेष अरक्षित हैं और इन्हें बैंक संव्यवहारों के माध्यम से निपटाया गया है। ऋणों से अन्य शेष और ब्याज धारित अग्रिम ब्याज मुक्त हैं।

(iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को ऋण सभी अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों और निबंधनों के आधार पर हैं।

## 38. प्रति शेयर आमदनी

इंड एएस 33 ''प्रति शेयर आमदनी'' के अनुसार प्रकटन

मूल ईपीएस की राशि का परिकलन मूल इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के वेटेज द्वारा भाग करके किया जाता है।

विलयित ईपीएस का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के वेटेज औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों के वेटेड औसत संख्या जो सभी विललियत संभावित इक्विटी शेयरों के इकिवटी शेयरों में परिवर्तन पर जारी किया जाएगा, के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात इक्विटी धारकों के प्रति वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके किया जाता है।

**(i) मूल एवं विलयित आमदनी प्रति शेयर (रूपए में)**

| विवरण | नोट | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|
| इक्विटी धारकों के प्रति लाभ (रूपए करोड में) | (ii) | 391.06 | 485.27 |
| मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या (संख्या में)* | (iii) | 940,515,740 | 940,515,740 |
| प्रति शेयर आमदनियां (मूल) | | 4.16 | 5.16 |
| प्रति शेयर आमदनियां (विलयित) | | 4.16 | 5.16 |
| प्रति शेयर फेस मूल्य | | 2.00 | 2.00 |

*इरकॉन के निदेशक मंडल ने दिनांक 5 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी 268वीं बैठक में 1:1 के अनुपात में 2/– रुपये के 47,02,57,870 पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। (अर्थात शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में दिनांक 21 मई, 2021 के साथ प्रत्येक मौजूदा 1 (एक) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर जारी किया गया। एनएसई और बीएसई से अंतिम लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमोदन दिनांक 31 मई, 2021 को प्राप्त हुआ। बोनस के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी रु.188,10,31,480 है, जिसे प्रत्येक 2/– रुपये के 94,05,15,740 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

**(ii) इक्विटी शेयरों के प्रति लाभ (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (रूपए करोड में)**

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ | 391.06 | 485.27 |
| ईपीएस के परिकलन हेतु प्रयुक्त कंपनी के शेयरधारकों के प्रति लाभ | 391.06 | 485.27 |

**(iii) इक्विटी शेयरों के वेटिड औसत संख्या (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)**

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष | 9,40,51,574.00 | 9,40,51,574.00 |
| वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर | – | – |
| शेयरों के विघटन के कारण शेयरों की संख्या में वृद्वि | 37,62,06,296.00 | 37,62,06,296.00 |
| वित्तीय विवरण के जारी किए जाने से पूर्व रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात जारी बोनस शेयर | 47,02,57,870.00 | 47,02,57,870.00 |
| **मूल ईपीएस के परिकलन के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या** | **94,05,15,740.00** | **94,05,15,740.00** |
| **विलयित प्रभावः** | | |
| जमाः वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या | – | – |
| **विलयित ईपीएस परिकलन हेतु इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या** | **94,05,15,740** | **94,05,15,740** |

## 39. परिसंपत्तियों की हानि

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) के नियम 3 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), संशोधन नियम 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस 36 ''परिसंपत्तियों की हानि'' की शर्तों के अनुसार निवल वसूलीयोग्य मूल्य और वहन लागत के निम्नतर के आधार पर वसूलीयोग्य राशि का परिकलन द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि का मूल्यांकन किया है। तदनुसार शून्य (शून्य) की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

## 40. प्रावधान, आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

### (i) प्रावधान

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकसमिक परिसंपत्तियों के अनुसार वर्ष के दौरान प्रावधानों में संचलन और प्रावधानों की प्रकृति का प्रकटन नोट 21 में किया गया है।

### (ii) आकस्मक देयताएं

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकसमिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | फुट नोट | 31 मार्च 2021 को | वर्ष के दौरान संवर्धन | वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे | | | 31 मार्च 2021 को |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आरंभिक शेष में से | वर्ष के दौरान संवर्धन में से | वर्ष के दौरान निपटाए कुल दावे | |
| **क)** | **कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया** | | | | | | | |
| | विवादित प्रत्यक्ष कर मांग | | | | | | | |
| | (i) कंपनी के संबंध में | 1 | 303.47 | 6.94 | (2.35) | – | (2.35) | **308.06** |
| | (ii) संयुक्त प्रचालनों में | 2 | 0.24 | – | – | – | – | **0.24** |
| | विवादित अप्रत्यक्ष मांग | | | | | | | |
| | (i) कंपनी के संबंध में | 3 | 396.94 | 66.01 | (206.36) | – | (206.36) | **256.59** |
| | (ii) संयुक्त प्रचालनों में | 4 | 4.25 | – | – | – | – | **4.25** |
| | विधिक मामले | | | | | | | |
| | (i) कंपनी के संबंध में | 5 | 510.32 | 67.40 | (103.00) | – | (103.00) | **474.72** |
| | (ii) संयुक्त प्रचालनों में | 6 | 0.02 | – | – | – | – | **0.02** |
| | कर्मचारियों द्वारा दावे | 7 | 2.43 | – | (0.05) | – | (0.05) | **2.38** |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| | विवरण | फुट नोट | 31 मार्च 2021 को | वर्ष के दौरान संवर्धन | वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे | | | 31 मार्च 2021 को |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आरंभिक शेष में से | वर्ष के दौरान संवर्धन में से | वर्ष के दौरान निपटाए कुल दावे | |
| ख) | **की ओर से कंपनी द्वारा जारी गारंटी (वित्तीय गारंटियों को छोड़कर)** | | | | | | | |
| | संयुक्त प्रचालन | 8 | 1.40 | – | (1.40) | – | (1.40) | – |
| ग) | अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है | | | | | | | |
| | ग्राहक द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदन के निपटान के लिए लंबित तरलीकृत क्षति | | 9.27 | – | – | – | – | **9.27** |
| | कुल | | **1,228.34** | **140.35** | **(313.16)** | **–** | **(313.16)** | **1,055.53** |

फुट नोट :

1. आयकर प्राधिकरण ने विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के संबंध में विभिन्न आपत्तियों के लिए मांग उत्पन्न की है। इनमें से कई मामले कंपनी के पक्ष में न्यायाधीन हुए हैं कि किन्तु संबंधित विभिन्नों ने उच्चतर प्राधिकरणोंा में इन मुद्दों को उठाया है। कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है, जो विभिन्न अपील स्तरों पर लंबित हैं। स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर और इन अपीलों की गतिविधियों के आधार पर, प्रबंधन को विश्वास है कि अपील प्रक्रिया के पूरा होने पर मांग किए गए अतिरिक्त कर को निरस्तर कर दिया जाएगा और तदनुसार, अपील प्राधिकार्यों द्वारा लंबित निर्णय लिया जाएगा, एवं इन वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2. इंटरनेशनल मेट्रो टनलिंग ग्रुप, कंपनी के संयुक्त प्रचालन के मामले में, आयकर प्राधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2010–11, 2012–13 तथा 2013–14 के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए उत्पाद शुल्क के संबंध में आय खाते में 0.24 करोड रूपए (0.24 करोड रूपए) की मांग उत्पन्न की है जिसे बाद में वर्षों में घोषित किया गया था। संयुक्त प्रचालन ने उक्त वित्तीय वर्षों के लिए इन मांगों के विरूद्ध उपयुक्त अपील प्राधिकरणों के समक्ष अपीलें दायर की हैं। कंपनी संयुक्त प्रचालन में हित के भाग के अनुसार उक्त मांग के लिए संयुक्त रूप से दायी है। यह निर्णय अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवाकर, वेट आदि के संबंध में प्राधिकारियों के समक्ष विभिन्न विवाद लंबित हैं। कंपनी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई इन मांगों का विरोध कर रही है और ये मामले विभिन्न अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। उपर्युक्त मामलों के अंतिम निर्णय के लिए लंबित होने पर, वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किए गए हैं. उपर्युक्त विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगों, में 169.18 करोड रूपए शामिल हैं जिनकी प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है।

4. इंटरनेशनल मेट्रो टनलिंग ग्रुप, कंपनी के संयुक्त प्रचालन के मामले में, श्रम व्ययों के गैर प्रावधान के कारण 4.25 करोड रूपए (4.25 करोड रूपए) की राशि के बिक्री कर प्राधिकारियों के समक्ष विवादित मांग लंबित हैं। संयुक्त प्रचालन ने इन मांगों के विरूद्ध उपयुक्त अपील प्राधिकरणों के समक्ष अपीलें दायर की हैं। यह निर्णय अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

5. कंपनी निर्माण संविदा शर्तों संबंधी विभिन्न विवादों में विभिन्न विधिक मुकदमों में एक पक्ष है जो भारत और विदेश में विभिन्न न्यायालयों और मध्यस्थता प्रक्रियाओं के समक्ष लंबित है। कुछ ठेकेदारों ने संविदा मूल्यों में संवर्धन, मूल्य संवर्धन सहित संशोधित कार्य अनुसूची, कार्य के विस्तारित अवधि, निष्क्रिय प्रभर आदि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु कंपनी पर दावों प्रस्तुत किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार अनुमेय नहीं हैं। 557.26 करोड रूपए (613.84 करोड रूपए) के कुल दावों में से 82.54 करोड रूपए (103.52 करोड रूपए) के प्रावधान किए गए हैं और शेष 474.72 करोड रूपए (51..32 करोड रूपए) के शेष देशों को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी ने 134.94 करोड रूपए (137.11 करोड रूपए) की राशि के लिए संविदा की शर्तों के अनुसार अनुमेय ठेकेदारों पर प्रति दावे दायर किए हैं। इन दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि ये अनिश्चित हैं।

6. ठेकेदारों में से एक, मेसर्स साई इंजीनियर्स ने अनुबंध की शर्तों पर विवाद के लिए 0.02 करोड़ (0.02 करोड़ रुपये) की राशि हेतु इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। निर्णय अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित है और इसलिए वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7. कर्मचारियों/अन्य से संबंधित कुछ मामले समूह के विरुद्ध न्यायालयों में लंबित हैं जिनके संबंध में दायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, रु. 2.38 करोड़ (2.43 करोड़ रुपये) के कुछ मामलों कर्मचारियों से संबंधित सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड से संबंधित हैं।

8. कंपनी ने उद्मपुर : कटरा खंड पर ब्राड गेज बेलेस्टलेस रेलपथ के अभिकल्प और निमार्ण के निष्पादन हेतु शून्य (1.40 करोड रूपए) की राशि के लिए इरकॉन–आरसीएस–पिलफिडरर, संयुक्त प्रचालन की ओर से बैंक गारंटी दी है।

### (iii) आकस्मिक परिसंपत्तियां

इंड एएस 37–प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटन निम्नानुसार है:

क) समूह द्वारा अपने कुछ ग्राहकों पर दावे प्रस्तुत किए गए हैं और मध्यस्थताओं द्वारा इन्हें कंपनी के पक्ष में प्रदान किया गया है, जिसके प्रति ग्राहक न्यायालय में चले गए हैं और इन्हें प्राप्य के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा 395.43 करोड रूपए (419.46 करोड रूपए) जिसमें प्रदान मध्यस्थता के अनुसार 31.03.2021 तक परिकलित ब्याज शामिल है।

ख) समूह द्वारा उप ठेकेदार पर प्रति दावा दायर किया गया और इसे मध्यस्थता द्वारा कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया गया, जिसके विरूद्ध वे न्यायालय में गए और इसे प्राप्यों के रूप में लेखांकिन नहीं किया गया है यथा 24.12 करोड रूपए (22.81 करोड रूपए)।

ग) कंपनी के पक्ष में इथोपिया के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 31.03.2021 तक परिकलित ब्याज सहित 0.89 अमरीकी डालर (0.87 एमएन अमरीकी डॉलर) तथा इथोपियन बिरर 1.16 एमएन (1.10 एमएन बिर) समतुल्य **6.74 करोड रूपए** (6.80 करोड रूपए) के बीमा दावे का निर्णय कंपनी के पक्ष में दिया है, जो इथोपिया के उच्च न्यायालय द्वारा आदेश निष्पादन स्तर पर लंबित है।

### (iv) प्रतिबद्धता

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | फुटनोट | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|---|
| **क)** | **पूंजी प्रतिबद्धताएं** | | | |
| | पूंजी खाते पर निष्पाादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य/अग्रिम का निवल और इनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है: | 1 | 130.49 | 43.12 |
| **ख)** | **अन्य प्रतिबद्धताएं** | | | |
| (i) | संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से निधियत प्रतिबद्धता | 2 | 80.41 | 61.70 |
| (ii) | इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड की अन्य प्रतिबद्धताएं | | 393.35 | 798.67 |
| (iii) | इरकॉन पी बी टोलवे लिमिटेड की अन्य प्रतिबद्धताएं | | – | 2.77 |
| (iv) | इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड की अन्य प्रतिबद्धताएं | | 505.88 | 526.60 |
| (v) | इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड की अन्य प्रतिबद्धताएं | | 266.83 | 418.50 |
| | | | **1,376.96** | **1,851.36** |

फुटनोट:

(₹ करोड़ में)

**1.**

| क्र.सं | पूंजी प्रतिबद्धता | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2021 को |
|---|---|---|---|
| 1 | परिसंपत्ति, संयंत्र व उपकरण पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि। | – | 2.01 |
| 2 | निवेश परिसंपत्ति पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि | 2.00 | 24.74 |
| 3 | विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि | 128.49 | 16.37 |
| 4 | निर्माणाधीन वित्त परिसंपत्ति पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि | – | – |
| | **कुल** | **130.49** | **43.12** |

(₹ करोड़ में)

**2.**

| क्र.सं | सहायक कंपनियों का नाम | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | इक्विटी | ऋण | इक्विटी | ऋण |
| 1 | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | 16.28 | – | 36.28 | – |
| 2 | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | 62.83 | – | 0.13 | – |
| 3 | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | 1.29 | – | 1.29 | – |
| 4 | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | 0.01 | – | 0.01 | – |
| 5 | झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड ' | – | – | – | – |
| 6 | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | – | – | 24.00 | – |
| | **कुल** | **80.41** | **–** | **61.70** | **–** |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### 41. खण्ड रिपोर्टिंग

इंड एएस–108 ''प्रचालन सेगमेंट के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:

#### क. सामान्य सूचना

प्रचालन सेगमेंटों को उपक्रम के उस घटक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे लिए विशिष्ट वित्तीय सूचना उपलब्ध है जिसकी मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, यह निर्णय लेने के लिए कि संसाधनों का आवंटन और निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाए। कंपनी की निदेशक मंडल मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक है। प्रचालन क्षेत्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वे मुख्य प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप हो। कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय प्रचालन क्षेत्र का निर्धारण किया है।

#### ख. रिपोर्टेबल क्षेत्रों तथा वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित राशि के समाधान के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

| विवरण | अंतरराष्ट्रीय | | घरेलू | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
| **सेगमेंट राजस्व** | | | | | | |
| बाहरी ग्राहकों से राजस्व | 583.59 | 450.01 | 4,758.37 | 4,941.10 | **5,341.96** | **5,391.11** |
| **कुल प्रचालन राजस्व** | **583.59** | **450.01** | **4,758.37** | **4,941.10** | **5,341.96** | **5,391.11** |
| ब्याज आय | 2.92 | 5.34 | 132.82 | 95.99 | **135.74** | **101.33** |
| अन्य आय | 5.07 | 27.93 | 40.68 | 19.31 | **45.75** | **47.24** |
| अंतरःसेगमेंट | – | – | – | – | **–** | **–** |
| **कुल राजस्व** | **591.58** | **483.28** | **4,931.87** | **5,056.40** | **5,523.45** | **5,539.68** |
| सेगमेंट परिणाम | | | | | | |
| प्रावधान, मूल्यह्रास, ब्याज, आपवादिक मद और कर से पूर्व लाभ | 40.64 | 204.23 | 640.75 | 580.00 | **681.39** | **784.23** |
| घटाः प्रावधान और बट्टा खाता | 4.39 | (7.02) | (18.53) | (34.07) | **(14.14)** | **(41.09)** |
| घटाः मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि | (3.20) | (3.81) | (88.89) | (79.13) | **(92.09)** | **(82.94)** |
| घटाः प्रावधान | – | – | (12.50) | (18.65) | **(12.50)** | **(18.65)** |
| कर पूर्व लाभ | – | – | 14.86 | 30.40 | **14.86** | **30.40** |
| **घटाः कर व्यय** | **41.83** | **193.40** | **535.69** | **478.55** | **577.52** | **671.95** |
| कर पश्चात लाभ | (31.82) | (28.45) | (154.64) | (158.23) | **(186.46)** | **(186.68)** |
| **कर अदायगी के बाद लाभ** | **10.01** | **164.95** | **381.05** | **320.32** | **391.06** | **485.27** |

#### ग. अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

| विवरण | अंतरराष्ट्रीय | | घरेलू | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
| कुल परिसंपत्तियां | 581.68 | 647.29 | 10,672.30 | 9,533.39 | **11,253.98** | **10,180.68** |
| कुल देयताएं | 501.47 | 576.76 | 6,349.38 | 5,432.64 | **6850.85** | **6009.40** |
| इक्विटी विधि द्वारा संयुक्त उद्यमों में निवेश | – | – | 558.89 | 512.02 | **558.89** | **512.02** |

| विवरण | अंतरराष्ट्रीय | | घरेलू | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
| वित्तीय माध्यमों, आस्थगित कर परिसंपत्तियां, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर गैर–चालू परिसंपत्तियां. | 25.15 | 29.47 | 1,957.63 | 2,111.49 | **1,982.78** | **2,140.96** |
| पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्युआईपी, निवेश परिसंपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां तथा विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां) | 0.07 | 0.23 | 34.99 | 162.43 | **35.06** | **162.66** |

### घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, घरेलू क्षेत्र में एकल बाहरी ग्राहक से लगभग **54.69 प्रतिशत** (55.51 प्रतिशत) प्रचालन राजस्व अर्जित किया गया है।

## 42. अन्य निकायों में हित का प्रकटन

अन्य निकायों में हित का प्रकटन

### (क) संयुक्त प्रचालनों में निवेश

संयुक्त प्रचालनों में निवेश को लागत पर लेखांकित किया गया है:

| क्र. सं | संयुक्त प्रचालन का नाम | व्यवसाय का प्रमुख स्थान एवं निगमन का देश | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात | वोटिंग अधिकार का अनुपात | प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात | वोटिंग अधिकार का अनुपात |
| **i)** | **प्रचालन में परियोजना हेतु:** | | | | | |
| | एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसोर्टियम | गुजरात एवं महाराष्ट्र, भारत | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम | महाराष्ट्र, भारत | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| **ii)** | **समाप्त संयुक्त प्रचालन** | | | | | |
| | इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर | दिल्ली एनसीआर, भारत | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| | मेट्रो टनलिंग समूह | दिल्ली एनसीआर, भारत | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| | इरकॉन एफकॉन | बांग्लादेश | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
| **iii)** | **अंतत बंद संयुक्त प्रचालन** | | | | | |
| | इरकॉन–कोब्रा–ईएलआईओपी | दिल्ली एनसीआर, भारत | 61.22 | 61.22 | 61.22 | 61.22 |
| | इरकॉन–श्री भवानी बिल्डर | चेन्नई, भारत | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 |
| | इरकॉन–एसएमजी प्रोजेक्ट जेवी | तमिलनाडु, भारत | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| | इरकॉन–गन्नन डंक्ले | उत्तर प्रदेश, भारत | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |
| | इरकॉन–आरसीएस:पिलफिडरर | जम्मू और कश्मीर, भारत | 65.08 | 65.08 | 65.08 | 65.08 |
| | इरकॉन–एसपीएससीपीएल | जम्मू और कश्मीर, भारत | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| | रिकॉन | दिल्ली एनसीआर, भारत | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### (ख) संयुक्त उपक्रम कंपनियों में निवेश

| क्र. सं | संयुक्त उपक्रम कंपनी का नाम | व्यवसाय का प्रमुख स्थान एवं निगमन का देश | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | | लेखांकन विधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात | वोटिंग अधिकार का अनुपात | प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात | वोटिंग अधिकार का अनुपात | |
| 1 | इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड | महाराष्ट्र, भारत | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | इक्विटी पद्धति |
| 2 | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | छत्तीसगढ, भारत | 21.23 | 26.00 | 25.91 | 26.00 | इक्विटी पद्धति |
| 3 | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | छत्तीसगढ, भारत | 26.02 | 26.00 | 26.02 | 26.00 | इक्विटी पद्धति |
| 4 | महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | ओडीश, भारत | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | इक्विटी पद्धति |
| 5 | झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड | झारखंड, भारत | 14.82 | 26.00 | 23.59 | 26.00 | इक्विटी पद्धति |
| 6 | बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | छत्तीसगढ, भारत | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | इक्विटी पद्धति |
| 7 | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | नई दिल्ली भारत | 26.00 | 26.00 | 50.00 | 50.00 | इक्विटी पद्धति |

### (ग) संयुक्त प्रचालनों में वित्तीय हित (कंपनी के शेयर के स्तर तक)

(₹ करोड़ में)

| क्र. स | विवरण | समाप्त संयुक्त प्रचालन के नाम | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | इरकॉन एफकॉन | | एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम | | इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर | | मेट्रो टनलिंग | | कुल | |
| | | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 |
| | **वर्ष के अंत में:** | | | | | | | | | | |
| 1 | **परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | |
| | पीपीई | – | – | – | – | – | – | – | – | **–** | **–** |
| | प्रगतिरत पूंजीगत कार्य | – | – | – | – | – | – | – | – | **–** | **–** |
| | अन्य परिसंपत्तियां | 0.68 | 29.43 | – | – | 4.64 | 4.61 | 4.86 | 4.81 | **10.18** | **38.85** |
| 2 | **देयताएं** | | | | | | | | | | |
| | प्रावधान | – | 0.18 | – | – | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.37 | **0.17** | **0.59** |
| | अन्य देयताएं | – | – | – | – | 0.91 | 0.91 | 0.07 | 0.07 | **0.98** | **0.98** |
| | **वर्ष के अंत में:** | | | | | | | | | | |
| 3 | कुल आय | 0.10 | – | 2.75 | – | 0.07 | 0.09 | 0.24 | 0.31 | **3.16** | **0.40** |
| 4 | कुल व्यय | – | 0.04 | 1.64 | – | – | – | 0.03 | 0.01 | **1.67** | **0.05** |
| 5 | कुल कर | 18.40 | – | 0.60 | – | 0.03 | 0.04 | (0.06) | 0.13 | **18.97** | **0.17** |
| 6 | कर पूर्व लाभ | (18.30) | (0.04) | 0.51 | – | 0.04 | 0.05 | 0.27 | 0.17 | **(17.48)** | **0.18** |
| 7 | अन्य वृहत आय | – | – | – | – | – | – | – | – | **–** | **–** |
| 8 | कुल वृहत आय | (18.30) | (0.04) | 0.51 | – | 0.04 | 0.05 | 0.27 | 0.17 | **(17.48)** | **0.18** |

**फुट नोट:** संयुक्त प्रचालनों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 40 में प्रकट किया गया है।

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### (घ) संयुक्त उपक्रम कंपनियों का सारबद्ध तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं | विवरण | बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल) | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल) | | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31-3-2021 को | 31-3-2020 को | 31-3-2021 को | 31-3-2020 को | 31-3-2021 को | 31-3-2020 को | 31-3-2021 को | 31-3-2020 को |
| 1 | गैर चालू परियंपत्तियां | 251.72 | 250.83 | 2472.12 | 2109.48 | 932.98 | 662.55 | 183.67 | 92.72 |
| 2 | चालू परियंपत्तियां | 50.06 | 60.50 | 254.26 | 261.08 | 101.17 | 33.17 | 174.52 | 128.72 |
| | **कुल परिसंपत्तियां (क)** | **301.78** | **311.33** | **2,726.39** | **2,370.56** | **1,034.15** | **695.72** | **358.19** | **221.44** |
| 3 | गैर चालू देयताएं | – | – | 2,019.16 | 1,771.37 | 526.78 | 168.56 | 13.59 | 11.80 |
| 4 | चालू देयताएं | 7.18 | 17.27 | 51.18 | 59.92 | 4.28 | 23.80 | 41.93 | 50.41 |
| | **कुल देयताएं (ख)** | **7.18** | **17.27** | **2,070.34** | **1,831.29** | **531.06** | **192.36** | **55.52** | **62.21** |
| 5 | **निवल परिसंपत्तियां (क–ख)** | **294.60** | **294.06** | **656.04** | **539.27** | **503.09** | **503.36** | **302.67** | **159.23** |
| | क) रोकड और रोकड समतुल्य | 43.69 | 53.68 | 98.02 | 144.11 | 77.02 | 17.13 | 14.97 | 25.33 |
| | ख) वित्तीय देयताओं सहित (व्यापार प्राप्य और अन्य देय किन्तु प्रापधान को छोडकर) | 7.17 | 17.27 | 2,069.65 | 1,819.42 | 530.99 | 191.24 | 20.15 | 22.22 |

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं | विवरण | इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | | झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड | | महानदी कोल रेल लिमिटेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31-3-2021 को | 31-3-2020 को | 31-3-2021 को | 31-3-2020 को | 31-3-2021 को | 31-3-2020 को |
| 1 | गैर चालू परियंपत्तियां | 291.12 | 349.32 | 252.88 | 177.25 | 121.43 | 71.23 |
| 2 | चालू परियंपत्तियां | 377.68 | 360.26 | 29.57 | 66.28 | 0.80 | 0.56 |
| | **कुल परिसंपत्तियां (क)** | **668.79** | **709.57** | **282.45** | **243.54** | **122.23** | **71.78** |
| 3 | गैर चालू देयताएं | 334.08 | 357.95 | 136.59 | 136.59 | – | – |
| 4 | चालू देयताएं | 160.71 | 198.59 | 55.01 | 50.01 | 123.10 | 72.59 |
| | **कुल देयताएं (ख)** | **494.79** | **556.54** | **191.59** | **186.60** | **123.10** | **72.59** |
| 5 | **निवल परिसंपत्तियां (क–ख)** | **174.00** | **153.03** | **90.86** | **56.94** | **(0.87)** | **(0.81)** |
| | क) रोकड और रोकड समतुल्य | 2.91 | 6.81 | 29.35 | 66.06 | 0.79 | 0.52 |
| | ख) वित्तीय देयताओं सहित (व्यापार प्राप्य और अन्य देय किन्तु प्रापधान को छोडकर) | 403.68 | 439.11 | – | – | 122.96 | 72.44 |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### (च) संयुक्त उपक्रम कंपनियों के लाभ और हानि का सारबद्ध विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं | विवरण | बस्तर रेल प्रा.लि. | | छत्तीसगढ इस्ट रेलवे लिमिटेड | | छत्तीसगढ इस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 |
| 1 | राजस्व | – | – | 33.77 | 13.95 | – | – | 30.59 | 45.53 |
| 2 | ब्याज आय | 1.82 | 2.99 | – | – | – | 0.06 | 8.35 | 3.56 |
| 3 | अन्य आय | – | – | – | – | – | – | 0.40 | 0.46 |
| | **कुल आय** | **1.82** | **2.99** | **33.77** | **13.95** | **–** | **0.06** | **39.34** | **49.55** |
| 4 | प्रचालनों पर व्यय | 1.09 | 1.54 | 11.53 | 4.97 | 0.27 | 0.17 | 29.64 | 44.18 |
| 5 | मूल्यहृास एवं परिशोधन | – | – | 0.65 | 0.19 | – | – | 1.89 | 0.69 |
| 6 | ब्याज व्यय | – | – | 45.76 | 19.95 | – | – | 0.78 | 0.18 |
| | **कुल व्यय** | **1.09** | **1.54** | **57.94** | **25.11** | **0.27** | **0.17** | **32.30** | **45.05** |
| 7 | आयकर | 0.19 | 0.26 | (31.94) | 11.33 | – | – | 1.77 | 1.22 |
| 8 | **वर्ष के लिए लाभ** | **0.54** | **1.19** | **7.77** | **(22.48)** | **(0.27)** | **(0.11)** | **4.61** | **4.79** |
| 9 | अन्य वृहत आय | – | – | – | – | – | – | – | 0.01 |
| 10 | **कुल वृहत आय** | **0.54** | **1.19** | **7.77** | **(22.48)** | **(0.27)** | **(0.11)** | **4.61** | **4.80** |

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं | विवरण | इरकॉन –सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | | झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड | | महानदी कोल रेल लिमिटेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 |
| 1 | राजस्व | 193.88 | 198.31 | – | – | – | – |
| 2 | ब्याज आय | 11.91 | 11.60 | 2.24 | 1.92 | 0.02 | 0.02 |
| 3 | अन्य आय | 2.44 | 2.29 | – | – | – | – |
| | **कुल आय** | **208.23** | **212.19** | **2.24** | **1.92** | **0.02** | **0.02** |
| 4 | प्रचालनों पर व्यय | 47.14 | 30.50 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.85 |
| 5 | मूल्यहृास एवं परिशोधन | 58.39 | 58.54 | – | 0.01 | – | – |
| 6 | ब्याज व्यय | 42.12 | 43.83 | 0.04 | 0.09 | – | – |
| | **कुल व्यय** | **147.65** | **132.87** | **0.08** | **0.16** | **0.08** | **0.85** |
| 7 | आयकर | 5.62 | 12.72 | 0.88 | 0.43 | – | – |
| 8 | वर्ष के लिए लाभ | 54.96 | 66.60 | 1.28 | 1.33 | (0.06) | (0.83) |
| 9 | अन्य वृहत आय | – | – | – | – | – | – |
| 10 | **कुल वृहत आय** | **54.96** | **66.60** | **1.28** | **1.33** | **(0.06)** | **(0.83)** |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

### (छ) संयुक्त उपक्रम कंपनियों के वहन मूल्य का समायोजन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल) | | छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) | | छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल) | | इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.3. 2021 को | 31.3. 2020 को | 31.3. 2021 को | 31.3. 2020 को | 31.3. 2021 को | 31.3. 2020 को | 31.3. 2021 को | 31.3. 2020 को |
| आरंभिक निवल परिसंपत्तियां | 294.06 | 292.87 | 539.27 | 440.28 | 503.37 | 503.48 | 156.51 | 77.29 |
| वर्ष हेतु लाभ | 0.54 | 1.19 | 7.77 | (22.48) | (0.27) | (0.11) | 4.53 | 4.71 |
| प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि | – | – | 109.00 | 32.00 | – | – | 60.00 | 14.20 |
| अन्य वृहत आय | – | – | – | – | – | – | – | – |
| प्रदत्त लाभांश | – | – | – | – | – | – | – | – |
| अन्य वित्तीय माध्यामें के इक्विटी घटक | – | – | – | – | – | – | 78.85 | 0.34 |
| अन्य समायोजन/आवेदन राशि लंबित आवंटन | – | – | – | 89.47 | – | – | – | 60.00 |
| शेयर इश्यु व्यय | – | – | – | – | – | – | – | (0.03) |
| **समापन निवल परिसंपत्तियां** | **294.60** | **294.06** | **656.04** | **539.27** | **503.10** | **503.37** | **299.89** | **156.51** |
| **प्रतिशत में समूह का भाग** | | | | | | | | |
| प्रदत्त शेयर पूंजी एवं लाभ में | 26.00% | 26.00% | 21.23% | 25.91% | 26.02% | 26.02% | 26.00% | 50.00% |
| शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन | – | – | – | – | – | – | – | – |
| समूह का भाग | | | | | | | | |
| प्रदत्त शेयर पूंजी एवं लाभ में | 76.60 | 76.46 | 141.37 | 139.71 | 130.91 | 130.98 | 62.56 | 78.26 |
| शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन | – | – | – | – | – | – | – | (30.17) |
| अन्य समायोजन | – | – | (3.19) | (23.18) | – | – | – | – |
| **वहन मूल्य** | **76.60** | **76.46** | **138.18** | **116.53** | **130.91** | **130.98** | **62.56** | **48.09** |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | इरकॉन –सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | | झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड | | महानदी कोल रेल लिमिटेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.3.2021 को | 31.3.2020 को | 31.3.2021 को | 31.3.2020 को | 31.3.2021 को | 31.3.2020 को |
| आरंभिक निवल परिसंपत्तियां | 153.04 | 86.44 | 56.95 | 55.50 | (0.81) | 0.02 |
| वर्ष हेतु लाभ | 54.96 | 66.60 | 1.28 | 1.33 | (0.06) | (0.83) |
| प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि | – | – | 32.63 | – | – | – |
| अन्य वृहत आय | – | – | – | – | – | – |
| प्रदत्त लाभांश | (34.00 ) | – | – | – | – | – |
| अन्य वित्तीय माध्यामें के इक्विटी घटक | – | – | – | – | – | – |
| अन्य समायोजन/आवेदन राशि लंबित आवंटन | – | – | – | 0.12 | – | – |
| **समापन निवल परिसंपत्तियां** | **173.99** | **153.04** | **90.87** | **56.95** | **(0.87)** | **(0.81)** |

| विवरण | इरकॉन –सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | | झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड | | महानदी कोल रेल लिमिटेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.3.2021 को | 31.3.2020 को | 31.3.2021 को | 31.3.2020 को | 31.3.2021 को | 31.3.2020 को |
| प्रतिशत में समूह का भाग | | | | | | |
| प्रदत्त शेयर पूंजी एवं लाभ में | 50.00% | 50.00% | 14.82% | 23.59% | 26.00% | 26.00% |
| शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन | – | – | – | – | – | – |
| समूह का भाग | | | | | | |
| प्रदत्त शेयर पूंजी एवं लाभ में | 87.00 | 76.52 | 13.63 | 13.45 | (0.23) | (0.21 ) |
| शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन | – | – | 50.00 | 50.00 | – | – |
| अन्य समायोजन | – | – | (0.03) | – | 0.23 | 0.21 |
| वहन मूल्य | **87.00** | **76.52** | **63.64** | **63.45** | **–** | **–** |

## 43. राजस्व

### क. राजस्व का विचलन

प्रचालन सेगमेंट और उत्पादन या सेवा के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाओं से समूह के राजस्व का विचलन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| उत्पादों और सेवाओं का प्रकार | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व | | | निष्पादन दायित्व मापन की विधि | | अन्य राजस्व | लाभ हानि विवरण/ सेगमेंट रिर्पोटिंग के अनुसार कुल |
| | घरेलू | विदेशी | कुल | इनपुट विधि | आउटपुट विधि | | |
| रेलवे | 3,634.83 | 578.02 | **4,212.85** | 4,207.39 | 5.46 | 2.35 | **4,215.20** |
| राजमार्ग | 921.22 | 1.46 | **922.68** | 922.68 | – | – | **922.68** |
| इलैक्ट्रिकल | 0.02 | – | **0.02** | 0.02 | – | – | **0.02** |
| भवन | 166.30 | – | **166.30** | 166.30 | – | 1.66 | **167.96** |
| अन्य | 12.34 | – | **12.34** | 12.34 | – | 23.76 | **36.10** |
| **कुल** | **4,734.71** | **579.48** | **5,314.19** | **5,308.73** | **5.46** | **27.77** | **5,341.96** |

**वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से 5,308.74 करोड रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया और 5.46 करोड रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।**

(₹ करोड़ में)

| उत्पादों और सेवाओं का प्रकार | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व | | | निष्पादन दायित्व मापन की विधि | | अन्य राजस्व | लाभ हानि विवरण/ सेगमेंट रिर्पोटिंग के अनुसार कुल |
| | घरेलू | विदेशी | कुल | इनपुट विधि | आउटपुट विधि | | |
| रेलवे | 3,700.83 | 420.76 | **4,121.59** | 4,121.59 | – | 6.62 | **4,128.21** |
| राजमार्ग | 1,007.64 | 6.66 | **1,014.30** | 1,014.30 | – | 5.45 | **1,019.75** |
| इलैक्ट्रिकल | 17.69 | 7.37 | **25.06** | 25.06 | – | – | **25.06** |
| भवन | 102.14 | – | **102.14** | 102.14 | – | – | **102.14** |
| अन्य | 79.97 | – | **79.97** | 79.97 | – | 35.98 | **115.95** |
| **कुल** | **4,908.27** | **434.79** | **5,343.06** | **5,343.06** | **–** | **48.05** | **5,391.11** |

**वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से 5,343.06 करोड रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया और शून्य रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।**

**ख कंपनी ने इंड एएस 115 ''ग्राहकों से संविदाओं से राजस्व'' के अनुप्रयोग के लिए पूर्वलक्षी आशोधित परिदृश्य का प्रयोग किया है और दिनांक 1 अप्रैल 2018 को प्रतिधारित आमदनियों पर इसका प्रभाव शून्य है।**

## ग. संविदा शेष

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य (नोट 14.1) | 630.77 | 551.19 |
| संविदा परिसंपत्तियां (नोट 10.3 और 14.5) | 1,869.57 | 1,450.07 |
| संविदा दायित्व (नोट 22 और 24) | **2,413.83** | **2,352.87** |

(i) व्यापार प्राप्य गैर–ब्याज धारणीय है और ग्राहक प्रोफाइल में शामिल हैं – रेल मंत्रालय, भारत तथा विदेश में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, राज्य स्वामित्व कंपनियां। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिन की ऋण अवधि सीमा के साथ मासिक प्रगति भुगतान शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय विचार करने के लिए कंपनी के अधिकार को प्रकट करने के लिए सेवाएं निष्पादित की जाती हैं। इसमें निर्माण संविदाओं के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष राशियां शामिल हैं, जो उस समय उत्पन्न होती हैं, जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। पूर्व में संविदा परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार की गई किसी राशि को संलग्न शर्तें के संतोष के स्तर पर व्यापार प्राप्यों के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है, जो कि बिलिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

## वर्ष के दौरान संविदा शेषों में संचलन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां | 1,450.07 | 720.40 |
| वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्तियां | 1,869.57 | 1,450.07 |
| **निवल वृद्धि/कमी** | **419.50** | **729.67** |

वर्ष 2020–21 के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में **419.50 करोड रूपए** की निवल वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से संविदा शर्तों के आधार पर कार्य के प्रमाणन पर संविदा परिसंपत्तियों की वसूली के कारण है।

वर्ष 2020–21 के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में **729.67 करोड रूपए** की निवल वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से संविदा शर्तों के आधार पर कार्य के प्रमाणन पर बिलों के लिए इनपुट विधि के आधार पर राजस्व की स्वीकृति के कारण है।

(iii) निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदा देयताएं ग्राहकों से शेष राशियों के कारण हैं, यह तब उत्पन्न होती हैं जब विशिष्ट माइलस्टोन भुगतान इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त तिथि का स्वीकार राजस्व से अधिक हो जाता है और अग्रिम दीर्घकालीन निर्माण संविदाओं में प्राप्त होता है। प्राप्त अग्रिम की राशि को उस समय समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इनवाइस प्राप्त हो जाता है।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं | 2,352.87 | 2,859.68 |
| वर्ष के अंत में संविदा देयताएं | 2,413.83 | 2,352.87 |
| **निवल वृद्धि/कमी** | **60.96** | **(506.81)** |

वर्ष 2020–21 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में **60.96 करोड़ रुपये** की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से ग्राहक से प्राप्त अग्रिम के कारण और वर्ष 2019–20 के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में **506.81 करोड़ रुपये** की शुद्ध कमी हुई है जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान निष्पादित कार्यों के प्रति ग्राहक से प्राप्त अग्रिम भुगतान के समायोजन के कारण है।

## घ. निम्नलिखित से स्वीकृत राजस्वी की राशि का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में संविदा दायित्वों में शामिल राशि | 1,334.43 | 1,746.54 |

## ड. संविदा प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च 2021 को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि **शून्य** (दिनांक 31 मार्च 2020 को शून्य) है।

वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत परिशोधन की राशि **शून्य** (वित्तीय वर्ष 2019–20 को शून्य) है।

## च. निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दायित्वों संबंधीसूचना नीचे सारबद्ध है:

दिनांक 31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों को आवंटित संव्यवहार मूल्य ;असंतुष्ट या आंशिक असंतुष्ट, निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| एक वर्ष के भीतर | 7,020.16 | 5,246.80 |
| एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष के भीतर | 7375.00 | 6540.67 |
| दो वर्ष से अधिक | 21,689.00 | 21,213.00 |
| **कुल** | **36,084.16** | **33,000.47** |

## सेवा रियायत व्यवस्थाएं

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत व्यवस्थाओं को परिशिष्ट–ग–सेवा रियायत व्यवस्थाएं (इंड एएस–115) के अनुसार रिकार्ड किया जाता है। परिशिष्ट–ग लागू होता है यदि:

क) प्रदाता नियंत्रित और विनियमित करता है कि प्रचालक द्वारा उक्त अवसंरचना से क्या सेवाएं प्रदान करेगा और किसे प्रदान करेगा तथा किस मूल्य पर करेगा, और

ख) प्रदाता व्यवस्था की अवधि के समाप्ति पर अवसंरचना में किसी प्रकार के अवशिष्ट अहित या अन्यथा स्वामित्व, लाभ पात्रताओं के माध्यम से नियंत्रण करेगा।

यदि उपर्युक्त दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है तो, वित्तीय परिसंपत्तियों को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है, जहां तक प्रचालक का सेवा हेतु प्रदाता के विशेषाधिकार से या पर रोकड़ या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को प्राप्त करने का अशर्त संविदागत अधिकार है।

इन वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभि स्तर पर लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसे प्रचालन के प्रति प्रदान सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात इन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष्ष के अंत में लागत पर परिशोधित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है, जहां प्रचालक जन सेवा के प्रयोक्ता प्रभार का अधिकार प्राप्त कर लेता है, बशर्ते ये प्रभार प्रयेक्त सेवा के स्तर की शर्तें के अधीन होंगे।

इन अमूर्त परिसंपत्तियों को आरंभिक स्तर पर लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसे प्रचालन के प्रति प्रदान सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात इन्हें रियायत की अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

समूह संविदा की शर्तों के अनुसार लक्ष्य के समापन पर एनएचएआई से देय प्राप्यों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि तक सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत **1096.07 करोड रूपए** (751.17 करोड रूपए) की वित्तीय परिसंपत्ति को स्वीकार करता है। कंपनी ने इंड एएस 115 से संबंधित ''ग्राहकों से राजस्व'' के अनुसार एससीए के अंतर्गत सड़क निर्माण पर 31 मार्च 2021 तक की अवधि हेतु **680.81 करोड रूपए** (1012.11 करोड रूपए) के राजस्व को स्वीकार करता है।

समूह सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर **11.67 करोड रूपए** (25.20 करोड रूपए) को स्वीकार करता है। समूह सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर लाभ के रूप में **शून्य** (शून्य रूपए) को स्वीकार करता है। सेवा रियातय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के संयबंध में स्वीकृत राजस्व, सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य को प्रदर्शित करता है। समूह ने टोल सडकों के प्रचालन से **153.62 करोड रूपए** (139.37 करोड रूपए) के राजस्व का स्वीकार किया है।

## 43. पट्टे

### क) पट्टाधारी के रूप में समूह

पट्टाधारी के रूप में समूह ने विभिन्न पट्टा संविदाओं में प्रवेश किया है, जिसमें भूमि, कार्यालय स्थान, गेस्ट हाउस तथा वाहनों के पट्टे शामिल हैं। इंड एएस 116 को स्वीकार करने से पूर्व, समूह वित्तीय पट्टे या प्रचालन पट्टे को आरंभि तिथि को अपने पट्टों (पट्टाधारी के रूप में) का वर्गीकरण करती है।

समूह के पास 12 महीनों या कमी की अवधि के पट्टों सहित कतिपय कार्यालयों और गेस्टा हाउस के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पकालीन पट्टा' स्वीकृत छूटों के लिए आवेदन करती है।

**प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति**

वर्ष के दौरान प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों की वहन राशियों की स्वीकृति औरसंचलना को नोट 7 में प्रकट किया गया है।

**पट्टा देयताएं**

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की स्वीकृति और संचलनों के वहन मूल्य को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को |
|---|---|
| **1 अप्रैल 2020 को आरंभिक शेष** | 0.17 |
| संवर्धन | – |
| ब्याज को मान्यता | 0.01 |
| भुगतान | (0.02) |
| **31 मार्च 2021 को शेष** | **0.16** |
| **चालू** | **0.01** |
| **गैर चालू** | **0.15** |

**लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|
| प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यहास व्यय (संदर्भ नोट 31) | 0.37 |
| पट्टा दायित्वों पर ब्याज व्यय (संदर्भ नोट 30) | 0.01 |
| अल्पकालीन पट्टों संबंधी व्यय (संदर्भ नोट 28 (iii)) | 5.31 |
| | **5.69** |

समूह के पास अनेक पट्टा संविदाएं हैं जिनमें विस्तार और समापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं। ये विकल्प प्रबंधन द्वारा वार्तायोग्य हैं और समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। प्रबंधन यह निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण विवेकाधीकार का प्रयोग करता है कि क्या ये विस्तार और समापन विकल्प प्रयोग हेतु युक्तिसंगत हैं।

विस्तार और समापन की प्रयोग तिथि के अनुसरण पर अवधि से संबंधित रियायती संभावित भावी किराया भुगतान निम्नानुसार हैं, जिन्हें पट्टा अवधि में शामिल नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | पांच वर्षों के भीतर | पांच वर्षों से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|
| विस्तार विकल्प जिनका प्रयोग नहीं किया जाना है | – | – | – |
| समापन विकल्प जिनका प्रयोग कियाजाता है | – | – | – |

**ख) पट्टादाता के रूप में समूह**

समूह ने भवन, संयंत्र और मशीनरी तथा एमएफसी को प्रचालन पट्टे पर दिया है, जिन्हें संबंधित करारों के अनुसार उपयुक्त नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।

(i) एमएफसी के उप–पट्टे के संबंध में – **11.08 करोड रूपए** (16.65 करोड रूपए) (एमएफसी पट्टा नोट में शामिल)। उप–पट्टाधारी से प्राप्त /प्राप्य एक मुश्त भुगतान राशि को प्रोरेटा आधार पर पट्टा अवधि में सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया गया है।

(ii) कंपनी ने प्रचालन पट्टों के अंतर्गत भवनों को दिया है। पट्टा किराया (किराया और सेवा प्रभार) समग्री रूप से **8.15 करोड रूपए** हैं (7.58 करोड़ रूपए) जिन्हें पट्टा व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

(iii) कंपनी ने प्रचालन पट्टों के अंतर्गत मशीनरीं को दिया है। पट्टा आय (किराया और सेवा प्रभार) समग्री रूप से **3.75 करोड रूपए** हैं (16.66 करोड़ रूपए) जिन्हें पट्टा व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

(iv) कंपनी ने पेट्रोल पम्प जिसे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा प्रचालित किया जाना है, के लिए पट्टे पर एनएचएआई के साथ सेवा रियायत व्यवस्था की शर्तों के अनुसार टोल रोड के समीप निर्धारित क्षेत्र दिया है, और शेक्ष क्षेत्र का पट्टा और प्रचालन सिनपर्जी इंजीनियरिंग ग्रुट प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। एचपीसीएल से **0.16 करोड रूपए** (0.16 करोड रूपए) की राशि और सिनर्जी से **0.16 करोड रूपए** ( 0.12 करोड रूपए ) की राशि पट्टा भुगतानों के रूप में प्राप्त हुई थी।

**गैर–रद्दकरणीय प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भावी न्यूनतम किराये निम्नानुसार हैं:**

(₹ करोड़ में)

| | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|
| **एक वर्ष के भीतर** | | |
| निर्धारित क्षेत्र | 0.35 | 0.33 |
| बहु उद्देशीय परिसर | 17.20 | 17.93 |
| **एक वर्ष के पश्चात किन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं** | | |
| निर्धारित क्षेत्र | 1.24 | 1.38 |
| बहु उद्देशीय परिसर | 76.33 | 76.64 |
| **पांच वर्ष से अधिक** | | |
| निर्धारित क्षेत्र | 2.62 | 2.83 |
| बहु उद्देशीय परिसर | 578.61 | 615.09 |

## 45. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षति ब्यौरा निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं | विवरण | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदेश शेष मूल राशि और उस पर ब्याज: | - | - |
| | सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यमों को देश मूल राशि | 14.54 | 8.08 |
| | उपर्युक्त पर देय ब्याज | 0.24 | - |
| 2 | प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 16 की शर्तों में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि। | - | - |
| 3 | प्रदत्त भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है किन्तु वर्ष की निर्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार ब्याज को शामिल किए बिना। | - | - |
| 4 | प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में संचित ब्याज की राशि जो भुगतान क लिए शेष है। | - | - |
| 5 | अगले वर्ष भी देय और भुगतान योग्य राशि पर और ब्याज की राशि, जबतक कि लघु उपक्रम को वास्तव में किए गए भुगतान की तिथि पर ब्याज देय है, जो कि सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की गैर–अनुमति के प्रयोजन हेतु है। | - | - |

## 46. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

लोक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित समूह अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार समूह का अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तीन तत्काल पूर्व वित्तीय वर्षों के दौरान समूह को हुए निवल औसत लाभों के कम से कम 2 प्रतिशत की दर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करना अपेक्षित है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

**क) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर* | 10.59 | 10.14 |
| उपर्युक्त से इतर प्रयोजनों हेतु | 0.15 | - |
| **कुल** | **10.74** | **-** |

* खरीदी और संबंधित संगठनों को सुपुर्द की गई परिसंपत्तियां कंपनी द्वारा धारित नहीं हैं

ख) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | | | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नकद में प्रदत्त | भुगतान किया जाना है | कुल | नकद में प्रदत्त | भुगतान किया जाना है | कुल |
| परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर' | 0.84 | – | 0.84 | 2.34 | | 2.34 |
| उपर्युक्त से इतर प्रयोजनों हेतु | 9.90 | – | 9.90 | 7.84 | | 7.84 |
| **कुल** | **10.74** | **–** | **10.74** | **10.18** | **–** | **10.18** |

* Assets purchased and handed over to respective organisation and are not being held by the Group.

ग) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली शेष राशि

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशि (उपर्युक्त (क) के अनुसार) | 10.74 | 10.14 |
| वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की गई सकल राशि (उपर्युक्त (ख) के अनुसार) | 10.74 | 10.18 |

घ) प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत सीएसआर व्ययों का ब्यौरा निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| कोविड–19 के विरूद्ध लड़ाई के लिए प्रधान मंत्री केयर्स निधि में अंशदान | 8.54 | 4.50 |
| भूख, गरीबी व कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता का संवर्धन तथा सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना | 0.96 | 1.76 |
| विशेष रूप से बच्चों में व्यावसायिक कौशल संवर्धन सहित विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा का संवर्धन | 0.38 | 3.07 |
| पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना | 0.02 | 0.33 |
| महिलाओं और अनाथों के लिए होम और होस्टल की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम डे–केयर केन्द्रों और ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना | 0.35 | 0.18 |
| खेलकूद | 0.19 | |
| अन्य /अन्य प्रशासनिक लागत सहित | 0.30 | 0.34 |
| **कुल** | **10.74** | **10.18** |

## 47. कोविड–19 प्रकटन

''कोरोनावायरस (कोविड –19) ने दुनियाभर में विश्वभर में स्वास्थ्य प्रणालियों, अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों के लिए सबसे बड़ा वैश्विक संकट उत्पन्न किया है। इसने उन सभी प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को प्रभावित किया है जिनमें हम प्रचालन करते हैं और लगभग सभी देश दूसरी लहरों की चपेट में हैं। विभिन्न सरकारों द्वारा महामारी को रोकने के लिए की गई कार्रवाइयों, जैसे सीमाओं को बंद करना और लॉकडाउन प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप, परियोजना निष्पादन में रुकावट, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण कंपनी के सामान्य संचालन में व्यापक अवरोध उत्पन्न हुआ है।

### वित्तीय निष्पादन

वर्ष की पहली तिमाही के दौरान लॉकडाउन के प्रभाव और दूसरी तिमाही में आपूर्ति श्रृंखला पर कुछ हद तक दबाव के कारण, राजस्व और लाभप्रदता लक्ष्य को वर्ष की दूसरी छमाही में संशोधित किया गया था। वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान, कंपनी ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और इस अवधि के दौरान अपने पिछले वर्ष के निष्पादन को पार कर लिया और अंततः चालू वर्ष के लिए अपने संशोधित बजट टर्नओवर और लाभप्रदता के लक्ष्य को पार कर सकती है।

हालांकि, समाप्त वर्ष के परिणाम उस सीमा तक, पिछली अवधियों के परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

### तलनता

कंपनी के पास अपने संचालन के लिए पर्याप्त तरलता है और **34,600 करोड़ रुपये** से अधिक की इसकी मजबूत ऑर्डर बुक पर्याप्त नकदी प्रवाह दृश्यता प्रदान करती है।

### सुचारू संचालन के लिए उठाए गए कदम

कंपनी ने सभी कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने, परिसर और वाहनों को नियमित रूप से साफ करने, सभी कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने को सुनिश्चित करने के लिए कोविड–19 के लिए कड़ी निगरानी प्रक्रियाओं को जारी रखा है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की मदद करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें कोविड देखभाल केंद्र, टीकाकरण केंद्र स्थापित करना और उन्हें चिकित्सा देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना शामिल है।

### कोविड–19 के भावी प्रभाव का आकलन

कंपनी ने वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली सहित अपने वित्तीय परिणामों की तैयारी में कोविड –19 के परिणामस्वरूप होने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है। कोविड–19 के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करते हुए, कंपनी ने सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और आशा है कि परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की जाएगी।

इस वैश्विक स्वास्थ्य महामारी की दूसरी और संभावित तीसरी लहर का वास्तविक प्रभाव लगाए गए अनुमानों से भिन्न हो सकता है, क्योंकि भारत और विश्व स्तर पर कोविड –19 की स्थिति विकसित हो रही है। हालांकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की गहनता से निगरानी कर रही है।''

## 48. अन्य प्रकटन

क) कंपनी ने आयकर अधिरियम, 1961 के अनुच्छेद–115खकक के अंतर्गत अनुमत विकल्प का प्रयोग करने का चयन किया है, जैसा कि कर नियम (संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा आरंभ किया गया है। तदनुसार, आयकर कर परिवर्तित होकर 34.944 प्रतिशत से 25.168 प्रतिशत हो गई है।

वर्ष 2019–20 तक, कंपनी अनुच्छेद 80–।क के अनंतर्गत कटौती को ध्यान में रखे बिना आयकर हेतु प्रावधान कर रही थी। वर्ष 200–01 से 2019–20 से आरंभ अवधि के लिए, आर्थ विभिन्न वर्षों के लिए सीआईटी(क) द्वारा कंपनी को 80–।क के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है ;वर्ष 2004.05ए 2005.06ए 2007.08ए 2012.13ए 2013.14ए 2014.15ए 2015.16 और 2016.17द्ध और वर्ष 2000.01ए 2001.02ए 2002.03ए 2003.04ए 2004.05 और 2005.06 और इसकी अनुमति आईटीएटी द्वारा दी गई थी। इन वर्षों में से कंपनी अभी भी वर्ष 2007–08, 2012–12 तथा 2013–14 के लिए 80–।क के अंतर्गत कटौती हेतु प्रावधान कर रही है जो इन वर्षों के लिए कंपनी के प्रति विभाग द्वारा दायर अपीलों पर विचार करते हुए परम्परागत परिदृश्य में किया गया है। तथापि, वर्ष 2014–15 से आगे, सीआईटी(क) द्वारा 80–।क के अंतर्गत कटौती की अनुमति के पश्चात कंपनी 80–।क के अंतर्गत कटौती के प्रति बढ्टा खाता प्रावधान कर रही है।

वर्ष 2019–20 तक कंपनी डीटीएए करारों के अनुसार, जहां कर निर्धारण हेतु प्रस्तावित वैश्विक आय से विदेशों में अर्जित आय को अलग रखा जा रहा था, के पश्चात भारर में कर हेतु वैश्विक आय प्रस्तावित किया जा रहा था। कंपनी को वर्ष 2005–06 तक एक्सक्लूजन विधि की अनुमति थी, तत्पश्चात विदशों में प्रदत्त करों के प्रति ऋण को विभिग द्वारा वैश्विक आय पर परिकलित करों की अनुमति दी गई है। देय कर का भुगतान करने के पश्चात, आईटीएटी के समक्ष निपटान हेतु लंबित अपीलों को दायर करने इस मुद्दे का निवारण किया गया है।

ख) लागत जमा परियोजनाओं में कुछ संविदाकारों द्वारा किए गए दावों के कारण विभिन्न न्यायालयों और अपील प्राधिकरणों के समक्ष कंपनी के विरूद्ध कुछ अन्य मामले लंबित है। ऐसे मामलों में, कंपनी संविदा के शर्तों के अनुसार ग्राहकों से पूर्ण प्रतिपूर्ति पर बल देती है और किसी प्रकार से संसाधनों के आर्थिक आउटफ्लों की आशा करती है। इस संबंध में न्यायाधीन कुल दावे **2134.49 करोड़ रूपए** (2190.76 करोड़ रूपए) के हैं, जिनमें से **6.19 करोड़ रूपए** (5.58 करोड़ रूपए) के लिए प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है। कंपनी ने **1048.42 करोड़ रूपए** (1128.25 करोड़ रूपए) के लिए ठेकेदारोां के प्रति दावा भी किया है। इन दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि यह अनिश्चित हैं।

ग) माननीय उच्च न्यायालय ने समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के प्रति ओरी राजमार्ग परियोजना यूपी–05 हेतु एनएचएआई के प्रति **97.96 करोड़ रूपए** की राशि के लिए मध्यस्थता निर्णय प्रदान करने की अनुमति दी है। कंपनी ने न्यायालय के अंतिम निर्णय तक समतुल्य राशि की देयता प्रदान की है।

घ) वर्ष के दौरान इरकॉन इंन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड ने वित्तीय बजट 2020 में घोषित विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना है। इस योजना के अनुसार, आकलिती को सीआईटी (अपील), आईटीएटी, अधिकरण एच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कर विवाद

के निपटान का एक अवसर प्रदान किया जाता है। दिनांक 31.03.2020 को, वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 से संबंधित 19.32 करोड रूपए की मांग (ब्याज और दंड को छोडकर) के प्रति योजना का विकल्प चुना गया और इस योजना के तहत 4.35 करोड रूपए की निवल राशि जमा कराई गई (आकलन के समय स्टे के प्रति 4.05 करोड रूपए की पहले से जमा राशि के समायोजन के पश्चात और टीडीएस, एमएटी और विदेश कर ऋणों के रूप में शेष समायोजन के पश्चात)। आज की तिथि को उक्त आकलन वर्ष के लिए कोई कर विवाद लंबित नहीं है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, आयकर विभाग द्वारा 4.51 करोड़ रुपये की कुल शुद्ध देनदारी के लिए निर्धारिती की अंतिम कर देयता निर्धारित करने वाला फॉर्म 3 जारी किया गया है, जबकि 4.35 करोड़ रुपये की देयता का दावा किया गया है। अतिरिक्त मांग के लिए आवश्यक प्रावधान 0.16 करोड़ रुपये लेखा पुस्तकों में किया गया है। डीटीए/डीटीएल समायोजन उपरोक्त लेनदेन के अनुसार खाते की किताबों में किया गया है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, पैप्स को वित्त वर्ष 2017–18 के मुकाबले मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध खाते की पुस्तकों में 3.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ड.) समूह में बैंकों और अन्य पक्षों से शेषों की आवधि पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली उपस्थित है। अभी तक, व्यापार/अन्य देय राशियों तथा ऋण और अग्रिमों के संबंध में, शेष पुष्टि पत्र पक्षों के भेंजे गए थे। कुछ व्यापार प्राप्यों, अन्य परिसंपत्तियों और अन्य देयों के शेष पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजनों,यदि कोई हो, के अध्याधीन हैं। समायोजन नियमित आधार पर किए जाते हैं। तथापि, प्रबंधन ऐसे लंबित पुष्टियों/समायोजनों के किसी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव की आशा नहीं करती है।

च) प्रबंधन के मतानुसार, परिसंपत्तियों, सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा गैर चालू निवेशों से इतर परिसंपत्तियों के मूल्य,व्यवसायों की सामान्य प्रक्रिया में तुलन पत्र में वर्णित अनुसार मूल्यों से कम नहीं होनी चाहिए।

## 49. हाल की घोषणा

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') नए लेखा मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित कर रहा है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू होती। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन I, II और III में संशोधन करने के लिए दिनांक 24 मार्च, 2021 को अधिसूचना जारी की है ताकि इसके द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में आवश्यक प्रकटीकरण प्रस्तुत कर सके। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी पर लागू होते हैं। संशोधन व्यापक हैं और कंपनी कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी।

## 50. दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी अधिनिधम, 2013 की अनुसूची–III के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना

(₹ करोड़ में)

| निकाय का नाम | निवल परिसंपत्ति यथा कुल परिसंपत्ति घटा कुल देयता | | लाभ या हानि में भाग | | अन्य वृहत आय में भाग | | कुल वृहत आय में भाग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | समेकित निवल परिसिंपत्ति के प्रतिशत के रूप में | राशि/ रूपए में | समेकित लाभ और हानि के प्रतिशत के रूप में | राशि/ रूपए में | समेकित अन्य वृहत आय के प्रतिशत के रूप में | राशि/ रूपए में | समेकित कुल वृहत आय के प्रतिशत के रूप में | राशि/ रूपए में |
| **मूल कंपनी** | | | | | | | | |
| इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | 72.61% | 3,197.26 | 103.55% | 404.94 | 100.00% | (1.21) | 103.56% | 403.73 |
| **सहायक कंपनियां** | | | | | | | | |
| इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड | 1.68% | 74.08 | (3.60%) | (14.06) | – | – | (3.61%) | (14.06) |
| इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड | 2.91% | 128.23 | (5.47%) | (21.39) | – | – | (5.49%) | (21.39) |
| इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड | 3.82% | 168.25 | 0.17% | 0.65 | – | – | 0.17% | 0.65 |
| इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड | 3.18% | 140.02 | 1.48% | 5.78 | – | – | 1.48% | 5.78 |
| इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि. | 3.10% | 136.34 | 0.07% | 0.28 | – | – | 0.07% | 0.28 |
| इरकॉन गुडगांव रेवाढी हाइवे लिमिटेड | – | 0.06 | – | 0.01 | – | – | – | 0.01 |
| **कुल सहायक कंपनियां** | | **646.98** | | **(28.73)** | | **–** | | **(28.74)** |

# समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| निकाय का नाम | निवल परिसंपत्ति यथा कुल परिसंपत्ति घटा कुल देयता | | लाभ या हानि में भाग | | अन्य वृहत आय में भाग | | कुल वृहत आय में भाग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | समेकित निवल परिसिंपत्ति के प्रतिशत के रूप में | राशि/ रूपए में | समेकित लाभ और हानि के प्रतिशत के रूप में | राशि/ रूपए में | समेकित अन्य वृहत आय के प्रतिशत के रूप में | राशि/ रूपए में | समेकित कुल वृहत आय के प्रतिशत के रूप में | राशि/ रूपए में |
| सहायक कंपनियों में गैर नियंत्रण हित | – | – | – | – | – | – | – | – |
| सहायक कंपनियों की निवल राशि | | **646.98** | | **(28.73)** | **–** | **–** | | **(28.74)** |
| **संयुक्त उपक्रम** | | | | | | | | |
| बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड | 1.74% | 76.60 | 0.04% | 0.14 | – | – | 0.04% | 0.14 |
| छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड | 3.14% | 138.18 | 0.42% | 1.65 | – | – | 0.42% | 1.65 |
| छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड | 2.97% | 130.91 | (0.02%) | (0.07) | – | – | (0.02%) | (0.07) |
| इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड | 1.98% | 87.00 | 2.68% | 10.48 | – | – | 2.69% | 10.48 |
| झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड | 1.45% | 63.64 | 0.05% | 0.19 | – | – | 0.05% | 0.19 |
| महानदी कोल रेलवे लिमिटेड | – | – | – | – | – | – | – | – |
| इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 1.42% | 62.56 | 0.63% | 2.47 | – | – | 0.63% | 2.47 |
| **कुल संयुक्त उपक्रम** | | **558.89** | | **14.86** | | **–** | **–** | **14.86** |
| **निवल योग** | **100%** | **4,403.13** | **100%** | **391.07** | **100%** | **(1.21)** | **100%** | **389.85** |

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
**हरबीर सिंह गुलाटी**
साझेदार
स.सं 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून 2021

**निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

ह0/–
**योगेश कुमार मिश्रा**
निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
**एम.के.सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीईओ, निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06607392

ह0/–
**सुरजीत दत्ता**
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
**रितु अरोड़ा**
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

*****

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधि. नियम, 2013 के खंड–129 (4) के साथ पठित खंड 143–(6) (ख) के अंर्तगत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद–129(4) के साथ पठित अनुच्छेद–139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद–129(4) के साथ पठित अनुच्छेद–143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 30.06.2021 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद–129(4) के साथ पठित अनुच्छेद–143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड और इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है किन्तु इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों, अनुबंध के सूचिबद्ध अनुसार, की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अतिरिक्त, इस अधिरियम के खंड 139 (5) और 143 (6), निजी निकाय होने के कारण इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड पर लागू नहीं है, जिसमें उनके सांविधिक लेखापरीखक की नियुक्ति और अनूपूरक लेखापरीक्षा आयोजन करने का प्रावधान है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ना तो सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई है और ना ही इस कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो अधिनियम के अनुच्छेद–143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**
**के निमित्त और उनकी ओर से**

ह/–

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँकः 23.08.2021

**(के.एस रामुवालिया)**
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड–143(6) (ख) के अंर्तगत भारत के नियंत्रक वं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद–139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद–143 के अंतर्गत लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के अधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.06.2021 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद–143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो अधिनियम के अनुच्छेद–143(6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**
**के निमित्त और उनकी ओर से**

ह/–

**(के.एस रामुवालिया)**
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँकः 23.08.2021

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के संयुक्त उद्यमों की सूची जिनके लिए वर्ष 2020–21 हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–129 (4) के साथ पठित धारा–143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

## सहायक कंपनियां

1. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
2. इरकॉन दावणगिरि हवेरी हाइवे लिमिटेड
3. इरकॉन इंन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड
4. इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाइवे लिमिटेड

## संयुक्त उद्यम

1. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
3. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
4. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
5. छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
6. छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड

ह/–
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (समन्वय)
रेल वाणिज्यिक

# नोट

# नोट

# नोट

# नोट

# Footprints of **IRCON**










इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
IRCON INTERNATIONAL LIMITED

## REGISTERED OFFICE

C-4, District Centre, Saket, New Delhi - 110017.
Tel: +91-11-26565666 Fax: +91-11-26522000/26854000,
Email: info@ircon.org, Website: www.ircon.org
CIN: L45203DL1976GOI008171

Designed and Printed by LALIT ADVERTISING